

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)

उद्भव

प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक उच्चतर शिक्षा का भारतीय इतिहास में हमेशा से एक विशिष्ट स्थान रहा है। प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध स्थल थे, जहां न केवल पूरे देश से बल्कि कोरिया, चीन, बर्मा (अब म्यांमार), सिलोन (अब श्रीलंका), तिब्बत और नेपाल जैसे दूरस्थ देशों से भी विद्यार्थियों को आकर्षित करता रहा है। आज, भारत विश्व के सबसे बड़े उच्चतर शिक्षा प्रणालियों में से एक का प्रबंधन करता है।

उच्चतर शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था वर्ष 1823 की माउंटस्टुआर्ट एलफिन्स्टोन की टिप्पणियों में दर्ज है, जिसमें अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान को पढ़ाने के लिए विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया था। बाद में, लॉर्ड मैकाले ने वर्ष 1835 के अपनी टिप्पणियों में, “देश के निवासियों को बेहतर ढंग से अच्छे अंग्रेजी विद्वान” बनाने के प्रयासों की वकालत की। वर्ष 1854 के सर चार्ल्स वुड के पत्र, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का ‘मैग्ना कार्टा’ के रूप में जाना जाता है, ने प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालयी शिक्षा की एक उचित रूपरेखा तैयार करने की योजना बनाने की सिफारिश की। इसके माध्यम से स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की एक सुसंगत नीति तैयार करने की योजना बनाई जानी थी। इसके पश्चात्, वर्ष 1857 में कोलकाता, बम्बई (अब मुंबई) और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, तत्पश्चात् वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किया गया।

शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबद्ध क्षेत्रों में जानकारी और सहयोग सांझा करके, विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1925 में अंतर्विश्वविद्यालय बोर्ड (जिसे बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के रूप में जाना जाने लगा) की स्थापना की गई।

देश में युद्ध उपरांत शिक्षा विकास पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड जिसे सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है के साथ ही भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का पहला प्रयास वर्ष 1944 में किया गया। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश की, जिसका गठन वर्ष 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कामकाज की देखरेख करने के लिए किया गया था। वर्ष 1947 में समिति को उस समय मौजूदा विश्वविद्यालयों के साथ कार्य व्यवहार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात् “भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा पर रिपोर्ट करने के लिए और उन सुधारों और विस्तारों का सुझाव देने के लिए जो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं और देश की आकांक्षाओं के अनुरूप वांछनीय हो सकते हैं” डॉ एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। उन्होंने अनुशंसा की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन, यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल पर किया जाए जिसमें विख्यात शिक्षाविदों में से पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाए।

वर्ष 1952 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि सार्वजनिक निधियों से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को अनुदान सहायता के आवंटन से संबंधित सभी मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संदर्भित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिनांक 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) का उद्घाटन किया।

तथापि, देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों का समन्वय करने, निर्धारण करने तथा रखरखाव करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। संपूर्ण देश में प्रभावी क्षेत्रवार कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी बंगलुरु और दिल्ली स्थित उत्तरी क्षेत्र महाविद्यालय ब्यूरो (एनआरसीबी) में छह क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करके अपने परिचालन को विकेंद्रीकृत किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है, जिसमें तीन अतिरिक्त ब्यूरो 35 फिरोजशाह रोड तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण कैम्पस से भी चल रहे हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

2018-2019



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)

वेबसाइट : www.ugc.ac.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

- (1) आयोग में निम्नवत शामिल होंगे:-
- (प) एक अध्यक्ष (ii) एक उपाध्यक्ष, और (iii) दस अन्य सदस्यगण, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (2) अध्यक्ष को ऐसे व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न हों।
- (3) खंड (iii) की उप-धारा (1) में संदर्भित अन्य सदस्यगणों में से :-
- (क) दो सदस्यों को केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके अधिकारियों में से चुना जाएगा; (ख) कम से कम चार सदस्यों को उन व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो चुने जाने के समय किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक हों; और (ग) शेष सदस्यों को निम्नवत व्यक्तियों में से चुना जाएगा:- (i) जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान अथवा अनुभव हो; (ii) जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे से संबंध हों, अथवा (iii) जो विश्वविद्यालय के कुलपति हों, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केन्द्र सरकार के मतानुसार प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो।
- बशर्ते कि इस खंड के तहत चुने गए कम से कम आधे सदस्यगण ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न हों।
- (4) उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथ ऐसे कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे जो अध्यक्ष के लिए विहित की गई हों।
- (5) इस धारा के तहत की गई प्रत्येक नियुक्ति उस तिथि से प्रभावी होगी जब उसे केन्द्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग के सदस्यों की सूची

1.	अध्यक्ष प्रो० धीरेन्द्र पाल सिंह ^(*)	
2.	उपाध्यक्ष प्रो० भूषण पटवर्धन ^(*)	
	सदस्यगण	
3.	श्री आर० सुब्रह्मण्यम	सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
4.	श्री प्रमोद कुमार दास	अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली-110001
5.	प्रो० एम० जगदीश कुमार	कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
6.	प्रो० एम० रमेश चंद्र कुहाड़	कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, जंत-पाली, महेन्द्रगढ़, हरियाणा
7.	डॉ० जी० गोपाल रेड्डी	पूर्व संकाय अध्यक्ष, कला और सामाजिक विज्ञान संकाय, पालामुरु विश्वविद्यालय, तेलंगाना तथा पूर्व प्राचार्य ओस्मानिया विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हैदराबाद
8.	प्रो० सुशमा यादव	कुलपति, भगत फूल सिंह (बीपीएस) महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत
9.	प्रो० राघवेन्द्र पी० तिवारी ^(*)	कुलपति, डॉ० हरि सिंह गौण विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश
10.	डॉ० (श्रीमती) उमा चंद्रशेखर वैद्य ^(@)	पूर्व कुलपति कविकुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र
11.	डॉ० किरण हजारीका ⁽⁺⁾	प्राचार्य, तेंगाखाट महाविद्यालय, असम
12.	डॉ० नागेश ठाकुर ^(§)	
	सचिव	
	प्रो० रजनीश जैन	

(*) दिनांक 27 सितम्बर, 2108 से

(%) दिनांक 22 जून, 2018 से

(@) दिनांक 22 जून, 2018 से

(+) दिनांक 16 जुलाई, 2018 से

(§) दिनांक 09 मार्च, 2019 से

© विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नवम्बर, 2019

मुद्रक एवं प्रकाशक : सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
द्वारा मुद्रित और प्रकाशित।

डिजाइन एवं मुद्रण : चन्दू प्रेस, डी-97, शकरपुर, दिल्ली-110092
फोन : +91 9810519841, 011-22526936 | ई-मेल : chandupress@gmail.com

विषयसूची

i" B l l ; k

	ikDdFku	
	dk;idkjh lkjk'k 2018&2019	
1.	iLrkouk	19
1.1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन	19
1.2	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ/अनुभाग	21
1.3	प्रकाशन	30
1.4	बजट और वित्त	31
1.5	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा सम विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)	59
1.6	कुलपतियों और निदेशकों का राष्ट्रीय सम्मेलन	59
1.7	आयोग द्वारा विचार किए गए तथा अनुमोदित मुख्य निर्णय	61
1.8	विशेष क्रियाकलाप/पहल	87
2.	mPprj f'k{kk iLkkyh d fodkl d l c/k e vkdM	101
2.1	उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात	102
2.2	विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय	103
2.3	छात्र नामांकन	145
2.4	उत्तीर्ण हुए छात्र/ परीक्षा परिणाम	156
2.5	संकाय संख्या	158
3.	fodkl ;ktuk, vkj fo'ofokky; dk lgk;rk	161
3.1	विश्वविद्यालयों को सहायता	161
3.2	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	161
3.3	राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय	173
3.4	सम विश्वविद्यालय संस्थान	175
3.5	राज्य निजी विश्वविद्यालय	179
4.	egkfo ky; dk fodkl vkj vuj{k.k lgk;rk	181
4.1	महाविद्यालयों का विकास	181
4.2	वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त महाविद्यालय	181
4.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान	181
4.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को जारी योजनावार अनुदान (सामान्य विकास सहायता)	185
4.5	दिल्ली के महाविद्यालयों/बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों को अनुदान	195
5.	xLkorrk vkj mRÑ"Vrk	201
5.1	उत्कृष्टता की संभावना- प्रशिक्षण और अनुसंधान	201
5.2	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)	205
5.3	स्वायत्त महाविद्यालय	207
5.4	मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी)	207
5.5	शिक्षाविदों के लिए नेतृत्व कार्यक्रम (एलईएपी)	208
5.6	राजभाषा का संवर्धन	209
5.7	द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	210

5.8	राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा : शिक्षण और शोध हेतु मानव संसाधन विकास	214
5.9	यात्रा अनुदान	219
5.10	गुणवत्ता संवर्धन हेतु अंतर्विश्वविद्यालय संसाधन	220
5.11	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	243
5.12	विश्वविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपस्करों का विकास	248
5.13	उत्कृष्टता के संस्थान	248
5.14	गुणवत्तायुक्त शोधपत्रों का संवर्धन	250
5.15	उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने तथा उसे संस्थाबद्ध करने के लिए ग्रेडिड स्वायत्ता	251
5.16	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गुणवत्ता अधिदेश	252
6.	“kk/k dk çkR l kgu	253
6.1	शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं	253
6.2	शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक	254
6.3	पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ	254
6.4	एम.फिल./पी.एच.डी. हेतु शोध अध्येतावृत्तियाँ (कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ/शोध एसोशिएटशिप)	256
6.5	स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	263
6.6	स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियाँ	265
6.7	खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए निशुल्क शिक्षा	269
6.8	विभिन्न शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलापों हेतु शिक्षकों, विषय/विधा आधारित संघों को प्रोत्साहन देना	270
6.9	विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध	270
7.	fyx rFkk lkekft d lekurk	273
7.1	भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास	273
7.2	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रों तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम	274
7.3	उच्चतर शिक्षा में सामाजिक श्रेणियों, अल्पसंख्यकों, शारीरिक रूप से निशक्त छात्रों और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व	283
8.	iklfxd rFkk eY; vk/kkfjr f'k{kk	285
8.1	विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र	285
8.2	भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतक	285
9.	f'k{k.k vkj Kku v tiu gr l ipuk vkj l ipkj ik l kfxdh; k dk ledu	287
9.1	ई-गवर्नेंस/ई-कार्यालय	287
9.2	ई-विषयवस्तु/एमओओसी	288
9.3	राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी)	290
9.4	शिक्षा में वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम (एआरपीआईटी)	292
10.	dk'ky fodkl lc/kh igy	293
10.1	एनएसक्यूएफ के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौशल विकास योजना	293
11.	eDr vkj njLFk f'k{kk	297
11.1	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम	297
11.2	ऑनलाइन ज्ञान अर्जन	300

प्राक्कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) की वर्ष 1953 में स्थापना के साथ ही वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन अनवरत रूप से किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, देश में उच्चतर शिक्षा के मानकों के समन्वय तथा उनके रखरखाव हेतु शीर्ष निकाय है, जो वर्ष 2018 में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता अधिदेश लेकर आया है, जो आज भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली द्वारा सामना की जा रही बड़ी चुनौतियों का समाधान करेगा जिसमें स्नातकों की नियोजन-योग्यता, अत्याधुनिक पाठ्यचर्या को बनाए रखना, गुणवत्तायुक्त शिक्षण शोध और सेवाओं को समृद्ध बनाना और उसका रखरखाव, तथा नवीनतम प्रौद्योगिकियों का समेकन करना शामिल है, जो ज्ञान अर्जन की पद्धति में क्रांति ला सकता है। रिपोर्ट में उच्चतर शिक्षा के उत्कृष्टता तथा समानता आधारित विस्तार सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से की गई नई पहल भी शामिल हैं।

मुझे आशा है कि इस वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए आंकड़े/ जानकारी उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों तथा हितधारकों के लिए उपयोगी साबित होंगे।

मैं इस अवसर पर आयोग के सभी सदस्यों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रम को आगे ले जाने में उनके उदार सहयोग हेतु अत्यंत आभारी हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं इस अवसर पर रिपोर्ट को इसके वर्तमान स्वरूप में तैयार करने के लिए डॉ० एन० गोपूकुमार, संयुक्त सचिव, श्री सुभाश चन्द्र, पूर्व-समन्वयक, वि.अ.आ. तथा डॉ० दीक्षा राजपूत, प्रकाशन अधिकारी, वि.अ.आ. को उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए विशेषरूप से उनका धन्यवाद करता हूँ।

वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु में सुधार लाने के लिए बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है।

नई दिल्ली
नवम्बर, 2019

प्रो० धीरेन्द्र पाल सिंह
अध्यक्ष

कार्यकारी सारांश : 2018-19

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 का कार्यकारी सारांश विश्वविद्यालयी शिक्षा के समन्वय, मानकों के निर्धारण तथा रखरखाव के अनिवार्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 में किए गए क्रियाकलापों को समाहित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 में लागू की गई विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों तथा इन पर हुए व्यय को विस्तार से दर्शाता गया है। सारांश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना तथा भूमिका, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकीय विकास, वर्ष के दौरान लिए गए बड़े निर्णय, विभिन्न योजनाओं के तहत विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के वित्तीय परिव्यय तथा कौशल शिक्षा सहित गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता, शोध, पहुंच तथा समानता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का संक्षेप में ब्योरा दिया गया है।

1. प्राक्कथन-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन

- आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 10 सदस्य (सचिव-शिक्षा सचिव- व्यय, तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामनिर्देशित 8 अन्य सदस्य) होते हैं। सचिव आयोग के सचिवालय का मुखिया होता है जिसमें 407 कार्यरत कर्मचारिवृंद हैं जिनमें समूह 'क' के 73 अधिकारी, समूह 'ख' के 226 अधिकारी, समूह 'ग' के 100 कर्मचारी तथा जलपानगृह के 8 कर्मचारी शामिल हैं। कार्यरत कर्मचारिवृंदों में 31.20 प्रतिशत महिलाएं, 23.10 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 4.42 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 से देश में 6 क्षेत्रीय कार्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक ब्यूरो कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेंद्रीकरण किया है।
- सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 17,199 आवेदन तथा प्राप्त हुए हैं तथा 11,110 का निपटान किया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान 2512 अपीलें प्राप्त हुईं जिनमें से 1163 अपीलों का सी0पी0आई0ओ0 तथा एफ0ए0ए0 द्वारा निपटान किया गया तथा आरटीआई शुल्क संग्रहण 44,190/- रुपये रहा तथा अतिरिक्त शुल्क 47,424/- रुपये रहा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अकादमिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 तैयार किए जिन्हें दिनांक 18 जुलाई, 2018 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एम.फिल./ पी.एच.डी. के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016 में प्रथम और द्वितीय संशोधन जारी किया है जिन्हें क्रमशः 27 अगस्त, 2018 और 18 अक्टूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सतर्कता प्रकोष्ठ को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 194 शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से केन्द्रीय सतर्कता आयोग (03) शिकायतें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से (12) शिकायतें, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से (19) शिकायतें और अन्य (125) शिकायतें (विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों तथा अन्य एजेन्सियों से प्राप्त हुईं) और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 35 शिकायतें भजी गईं तथा संवेदनशील स्वरूप की शिकायतों को जांच अधिकारी के समक्ष रखा गया और समिति की सिफारिशों के अनुरूप कार्यवाही आरंभ की गई। इसके अलावा, सतर्कता प्रकोष्ठ में 14 आरटीआई आवेदन भी प्राप्त हुए थे और इनका समय से उत्तर भेजा गया था।
- वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारत के विभिन्न न्यायालयों में दर्ज 820 मामलों में प्रतिवादी बनाया गया और अधिवक्ताओं के बिल पर पिछले वर्ष के 152.50 लाख रुपये की तुलना में 167.80 लाख रुपये का व्यय हुआ।
- संसद् डेस्क को वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष के 685 संसदीय प्रश्नों की तुलना में 634 प्रश्न प्राप्त हुए। 47 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर आश्वासन दिया गया तथा शेष का निपटान कर दिया गया।
- कदाचार रोधी प्रकोष्ठ मौजूदा जाली विश्वविद्यालयों तथा उपाधियों तथा उनकी बढ़ती संख्या की समस्या से निपटने के लिए उत्तरदायी है तथा उसने कुल 23 जाली संस्थानों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की है। 23 जाली संस्थानों के अतिरिक्त दो और विश्वविद्यालय यथा (1) भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (2) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लॉनिंग एंड मैनेजमेंट (आईआईपीएम), जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्रदान

नहीं की गई है। गैर-अनुमोदित संस्थानों को चेतावनी नोटिस/ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समाचार पत्रों में जनसाधारण/ छात्रों की जागरूकता हेतु अकादमिक सत्र के आरंभ में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को जाली संस्थानों में प्रवेश प्राप्त न करने हेतु आगाह करते हुए एक नोटिस/प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पदों तथा सेवाओं में आरक्षण के आदेशों को लागू करने हेतु एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की है।
- “कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न” से संबंधित एक मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक शिकायत समिति के संज्ञान में लाया गया।
- वर्ष 2008 में स्थापित रैगिंग-रोधी प्रकोष्ठ, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मौजूद रैगिंग की समस्या के निराकरण के लिए उत्तरदायी है। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को रैगिंग के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। 12 भाषाओं में कॉल सेंटर सुविधाओं के साथ एक 24X7 राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800-180-5522 आरंभ की गई है। रिपोर्टाधीन वर्ष (2018-19) के दौरान विभिन्न महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों से 1031 शिकायतें प्राप्त हुईं और सम्बद्ध संस्थानों से शिकायतों पर कार्यवाही करने और की गई कार्यवाही की रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने को कहा गया है। 1009 शिकायतों के मामले में संस्थानों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी दी गई, तथापि, शेष 22 मामलों में की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रतीक्षित है और यदि उनसे कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है तो रैगिंग की समस्या के निवारण संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम के अनुसार संगत दंडात्मक कार्यवाही आरंभ की जाएगी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लेखाओं का बेहतर रखरखाव करने तथा पारदर्शिता बनाए रखने हेतु कार्य कर रहा है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शून्य सहिष्णुता की नीति को लागू करने के लिए कैम्पसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा लिंग संवेदनशीलता पैदा करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं।
- वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रकाशन ब्यूरो ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दस्तावेजों के प्रकाशन/मुद्रण पर 16.46 लाख रुपये व्यय किए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजट और अनुदान-सहायता की प्राप्ति का ब्योरा निम्नवत है:

- सामान्य बजट शीर्ष के तहत 11358.28 करोड़ रुपये के आबंटन (आरई) के समक्ष 11368.20 करोड़ रुपये के कुल अनुदान (राजस्व तथा पूंजीगत) प्राप्त हुए। 456.75 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि (वर्ष 2017-18) को भी वर्ष 2018-19 के दौरान उपयोग किया गया है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व और पूंजीगत (सामान्य) बजट के तहत मंत्रालयों से प्राप्त अनुदान निम्नवत थे: (1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य) 11368.20 करोड़ रुपये। (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली: 270.00 करोड़ रुपये। (3) जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली: 97.70 करोड़ रुपये।
- प्राप्त किए गए 11824.95 करोड़ रुपये के राजस्व और पूंजीगत अनुदान (प्राप्त निधियां: 11368.20 करोड़ रुपये + वर्ष 2017-18 का अव्ययित शेष = 465.75 करोड़ रुपये), वर्ष 2018-19 के दौरान संस्थानों को 11513.60 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई। (6583.62 करोड़ रुपये) 57.18 प्रतिशत राशि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, (2135.68 करोड़ रुपये) 18.55 प्रतिशत राशि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को जारी की गई, (460.57 करोड़ रुपये) 4.00 प्रतिशत राशि राज्य विश्वविद्यालयों को जारी की गई, (515.24 करोड़ रुपये) 4.48 प्रतिशत राशि सम विश्वविद्यालयों को जारी की गई, (203.04 करोड़ रुपये) 1.76 प्रतिशत राशि राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को जारी की गई, (245.11 करोड़ रुपये) 2.13 प्रतिशत राशि अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को जारी की गई, (153.12 करोड़ रुपये) 1.32 प्रतिशत राशि क्षेत्रीय केन्द्रों को जारी की गई, (1100.23 करोड़ रुपये) 9.56 प्रतिशत राशि छात्रवृत्तियों/ अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान हेतु जारी की गई, (2.32 करोड़ रुपये) 0.02 प्रतिशत राशि रैगिंग रोधी उपायों, (0.15 करोड़ रुपये) 0.004 प्रतिशत राशि उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई), (0.85 करोड़ रुपये) 0.01 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी), (103.26 करोड़ रुपये) 0.90 प्रतिशत राशि प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय) तथा (क्षेत्रीय कार्यालय) (10.40 करोड़ रुपये) 0.09 प्रतिशत राशि विविध/ विश्वविद्यालयेतर संस्थानों हेतु व्यय की गई।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों के पदों (समूह क, ख और ग) के लिए एक समान सेवा शर्तों के संपूर्ण ढांचे की सिफारिश करने के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) का गठन किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान और नवोन्मेष विषय पर कुलपतियों और निदेशकों के तीन दिवसीय (दिनांक 26 से 28 जुलाई, 2018 तक) राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया था।
- वर्ष 2018-19 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 9 बैठकें हुईं तथा मानकों के रखरखाव; सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भ; विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों को अनुदान से संबंधित मामलों पर लिए गए बड़े निर्णयों को अध्याय-1 में पृष्ठ 61 से पृष्ठ 88 पर में दिया गया है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान, किए गए विशेष क्रियाकलाप/पहल का ब्योरा अध्याय-1 (पृष्ठ 88 से पृष्ठ 100 पर में दिया गया है)
- 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आने के बाद से विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के अधिदेश के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) ने अपनी स्थापना के 65 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस प्रकार, इसने देश में उच्चतर शिक्षा के गुणात्मक सुधार की अपनी यात्रा में 65 महत्वपूर्ण पड़ाव पूर्ण कर लिए हैं।

2. उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास : कुछ आँकड़े

- आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ज) और 12(झ) के तहत देश तथा अन्य देशों के विश्वविद्यालयों की शिक्षा से सम्बंधित मामलों में इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने का अधिकार है, जैसा वह उचित समझता है तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी जानकारी प्रदान करना अपेक्षित होता है जो किसी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के संबंध में आवश्यक हो। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़ें प्राप्त करने के लिए, जिनका मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में उच्चतर शिक्षा के समग्र स्थिति का आंकलन करने के लिए डाटाबेस तैयार करने हेतु उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया है।
- आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से एक प्रतिबद्ध पोर्टल (<http://aishe.gov.in>) विकसित किया गया है। पोर्टल तक पहुंच बनाने तथा डॉटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना और सांख्यिकीय ब्यूरो ने वर्ष 2014-15 से सीधे विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/ महाविद्यालयों से देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा से जुड़े ऐसे सभी मामलों पर आंकड़े संग्रहित करना बंद कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़े प्राप्त करने, उनके संकलन तथा प्राक्कलन का कार्य अखिल भारतीय आधार पर पोर्टल <http://aishe.gov.in> के माध्यम से कार्य किया जा रहा है।
- स्वतंत्रता के समय उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 2.1 लाख छात्रों के साथ देश में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 महाविद्यालय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो आंकड़े थे उनकी तुलना में अब डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों (1047) के मामले में यह संख्या 52.35 गुना हो चुकी है, महाविद्यालयों (41935) के संबंध में यह संख्या 83.89 गुना हो चुकी है और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत छात्रों का नामांकन (37399388) 178.09 गुना हो चुका है।
- दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की संख्या 911 विश्वविद्यालय हो गई है (51 केन्द्रीय, 397 राज्य सार्वजनिक, 334 राज्य निजी, 126 सम विश्वविद्यालय, राज्य विधान के तहत स्थापित तीन संस्थान) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत 12070 महाविद्यालय सूचीबद्ध हैं और इन महाविद्यालयों में से 9755 महाविद्यालय उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 12ख के तहत आते हैं। जहां तक, संबंधित राज्यों में विश्वविद्यालयों की संख्या का संबंध है, 83 विश्वविद्यालयों के साथ राजस्थान सूची में शीर्ष स्थान पर है जिसके पश्चात् उत्तर प्रदेश (75), गुजरात (67) आदि हैं।
- रिपोर्टाधीन वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची में 17 राज्य सार्वजनिक तथा 40 राज्य निजी विश्वविद्यालयों और 3 सम विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया है। 07 राज्य सार्वजनिक, 23 सम विश्वविद्यालयों तथा 2 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया था।

- वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 41,935 महाविद्यालय थे (संबद्ध - 38787, संघटक- 1702, स्नातकोत्तर/ ऑफ कैम्पस केन्द्र- 183, मान्यताप्राप्त केन्द्र- 1263)।
- वित्त वर्ष 2018-19 के अंत तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों की कुल संख्या 12070 थी। इनमें अब तक धारा 2(च) के तहत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश (2839), जिसके बाद महाराष्ट्र (1471), कर्नाटक (1065), तमिलनाडु (660), मध्य प्रदेश (592) और गुजरात (557) आदि में है।
- देश में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन दर (जीईआर) 26.3 प्रतिशत है जिसे 18 से 23 आयु वर्ग के लिए परिकलित किया गया है। पुरुष जनसंख्या के लिए जीईआर 26.3 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए यह 26.4 प्रतिशत है।
- शिक्षा सत्र 2018-19 के दौरान नियमित और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के समस्त पाठ्यक्रमों और स्तरों पर कुल छात्रों का नामांकन 373.99 लाख था जिसमें 181.90 लाख छात्राएँ थीं, जो कि समस्त नामांकन का 48.64 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में छात्रों का सर्वाधिक नामांकन (64.69 लाख) रहा जिसके बाद महाराष्ट्र (42.30 लाख), तमिलनाडु (34.14 लाख) तथा पश्चिम बंगाल (20.97 लाख) इत्यादि राज्य रहे।
- प्रतिशत के संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर छात्र नामांकन: स्नातकपूर्व (79.76 प्रतिशत), स्नातकोत्तर (10.81 प्रतिशत), शोध (0.53 प्रतिशत), डिप्लोमा/प्रमाणपत्र (8.26 प्रतिशत) तथा समेकित पाठ्यक्रमों से (0.64 प्रतिशत) रहा।
- विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों/संस्थानों में 164 अलग-अलग देशों से 47,427 विदेशी छात्र नामांकित हैं।
- वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 1416299 शिक्षकों में से लगभग 58 प्रतिशत पुरुष शिक्षक हैं तथा 42 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं।
- वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पी.एच.डी. तथा एम.फिल. पाठ्यक्रमों में क्रमशः 169170 तथा 30692 छात्र नामांकित हुए।
- वर्ष 2018 के दौरान, 64.74 लाख छात्रों ने स्नातक उपाधि प्राप्त की तथा 15.00 लाख छात्रों ने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की।
- वर्ष 2018 के दौरान क्रमशः 40813 तथा 25787 पी.एच.डी. तथा एम.फिल. शोध उपाधियाँ प्रदान की गईं। पी.एच.डी. स्तर पर सबसे अधिक विज्ञान विषय में (10023) उपाधियाँ, तत्पश्चात् अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में (7160) उपाधियाँ प्रदान की गईं।
- प्रतिशत के संदर्भ में, महिला नामांकन लक्षद्वीप में सर्वाधिक रहा (76.70 प्रतिशत) उसके पश्चात् केरल (58.19 प्रतिशत) तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (55.67 प्रतिशत) रहा। परिशुद्ध संख्या में उत्तर प्रदेश 32.79 लाख महिला नामांकन शीर्ष पर रहा जिसके बाद महाराष्ट्र (19.06 लाख) तथा तमिलनाडु (16.77 लाख) आदि रहे।

3. विश्वविद्यालयों को विकास और अनुरक्षण अनुदान

- केन्द्रीय, राज्यों और सम विश्वविद्यालयों को पहुंच को बढ़ाने, समानता को सुनिश्चित करने में, संगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता में सुधार करने, प्रशासन को प्रभावी बनाने, छात्रों हेतु सुविधाओं में वृद्धि करने, शोध सुविधाओं का संवर्धन करने और विश्वविद्यालयों की किन्हीं अन्य योजनाओं को सम्मिलित करते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए सामान्य विकास अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सीमित संख्या में विश्वविद्यालयों को उनके शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर दोनों वर्गों में कर्मचारियों के वेतन के लिए आवर्ती व्यय का भुगतान करने, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों आदि के रखरखाव, और कुछ अनिवार्य भुगतानों जैसे करों, टेलीफोन, बिजली के बिल, डाक खर्च आदि के लिए अनुरक्षण अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और कुछ समविश्वविद्यालयों को पूंजीगत तथा अनुदान राजस्व (वेतन तथा आवर्ती अनुदान) दोनों का भुगतान किया जा रहा है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को केवल योजनागत पूंजीगत अनुदान का ही भुगतान किया जा रहा है। निजी विश्वविद्यालयों को केवल शिक्षकों तथा छात्रों की योजनाओं के लिए ही अनुदान प्रदान किया जाता है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 51 थी। इनमें से नौ विश्वविद्यालयों नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (iii) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई (iv) सॉउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली (v) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार, (vi) राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश और (vii) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश (viii) डॉ०

राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर- 848003 (ix) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कोवरुक, मणिपुर- 795146 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है।

- वर्ष 2018-19 के दौरान 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वेतन, आवर्ती तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के तहत क्रमशः 414932.00 लाख रुपये, 189922.66 लाख रुपये तथा 56064.91 लाख रुपये का सामान्य विकास अनुदान उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2018-19 के दौरान एम.फिल/ पी.एच.डी. हेतु गैर-नेट अध्येतावृत्ति की योजना के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 113.38 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आठ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों यथा (1) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (2) विश्व भारती, शांतिनिकेतन (3) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय (4) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय (5) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (6) मणिपुर विश्वविद्यालय (7) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय (8) केन्द्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में पूर्ण योग विभाग तथा पाठ्यक्रमों को संस्वीकृत किया है ताकि स्वास्थ्य, सामाजिक सौहार्द और अनुशासन का संवर्धन करने के साधन के रूप में योग को बढ़ावा दिया जा सके।
- वर्ष 2018-19 के दौरान अल्पसंख्यकों/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों/ महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की अनुशिक्षण योजना के तहत जामिया मिलिया इस्लामिया को 42.50 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे शिक्षकों को 15,000/- रुपये प्रतिमाह के विशेष मानदेय की योजना आरंभ की है जो चार चिह्नित विज्ञान अकादमियों में से कम से कम दो के अध्येता हों। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान योजना के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 14.59 लाख रुपये-पुदुचेरी विश्वविद्यालय (2.25 लाख रुपये) तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (12.34 लाख रुपये), की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को उर्दू माध्यम के शिक्षकों के पेशेवर विकास हेतु केन्द्र की स्थापना के लिए निधियां उपलब्ध करवा रहा है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए निधियां उपलब्ध करवा रहा है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा का विस्तार तथा उसे सुदृढ़ करने की योजना तैयार की है। वर्तमान में, 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय/ विभाग हैं जो विभिन्न पूर्व-सेवाएं तथा अन्य अध्यापक शिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्र की स्थापना के लिए 9 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुमोदित किया है- तेजपुर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय केरल और विश्व भारती। वर्ष 2018-19 के दौरान तीन केन्द्रीय (विश्वविद्यालयों) को (1) झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय (13.51 लाख रुपये) (2) गुरु घासी दास विश्वविद्यालय (27.00 लाख रुपये) और (3) सिक्किम विश्वविद्यालय (90.00 लाख रुपये) को कुल 130.51 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।
- एचईएफए को केन्द्र सरकार द्वारा लाभ नहीं अर्जित करने वाली गैर- बैंकिंग वित्त एजेन्सी कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में केन्द्र सरकार उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महत्वपूर्ण अवसंरचना को तैयार करने के लिए बजटेंतर संसाधनों को जुटाने के लिए दिनांक 31 मई, 2017 को स्थापित किया था। वर्ष 2022 तक शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों का पुनरुद्धार करना एक प्रयास है जिसके तहत बाजार से संसाधनों को उपलब्ध करवाकर उद्देश्यों को कार्ययोजना में परिवर्तित करना है। सभी संस्थानों, विशेषकर वर्ष 2014 के पश्चात् स्थापित हुए संस्थानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, और सीमित आंतरिक संसाधनों

वाले संस्थानों के लिए सरकार ने एचईएफए के तहत वित्तपोषण करने के लिए पांच पद्धतियों तथा निधियों के मूल भाग (इन सभी मामलों में ब्याज का भुगतान सरकारी अनुदान से किया जाएगा) के पुनर्भुगतान के लिए कार्यविधि को अनुमोदित किया है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा इसके संकाय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र अथवा उसके तहत कोई भी इकाई, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को अथवा उससे पूर्व मूल्यांकन और प्रत्यायन करवाए बिना, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 तथा उसके पश्चात् आयोग की किसी भी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने अथवा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी। 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 36 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पूर्व में एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त किया है परंतु प्रत्यायन अवधि पूर्ण हो गई है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और मिजोरम विश्वविद्यालय ने प्रत्यायन के लिए आवेदन किया है। झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पहली बार प्रत्यायन के लिए आवेदन किया है।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय/ भारत सरकार ने भारत के संविधान में एक सौ तीनवें संशोधन के अनुरूप केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को लागू किया है ताकि इसे तुरंत लागू किया जा सके और इसका अनुपालन किया जा सके। तदनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों से प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लागू करने का अनुरोध किया है।

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 09 जनवरी 2019 के का०ज्ञा० सं० 36039/1/2019-स्थाप (आर०) के माध्यम से केंद्र सरकार के पदों तथा सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को अधिसूचित किया है जो दिनांक 01.02.2019 अथवा उसके पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली सभी सीधी भर्तियों पर लागू होगी। भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में वि.अ.आ ने दिनांक 20 मार्च, 2018 के पत्र सं. एफ 25-4/2007 (सीयू) पार्ट फाइल के माध्यम से उपयुक्त निर्णय को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लागू किया है।

- दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों के विधानों द्वारा अधिनियमित कानूनों के अंतर्गत 397 राज्य सरकारी और 334 राज्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों के लिए 253.80 रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014-15 के दौरान "स्वच्छ भारत- स्वस्थ भारत" नामक नई योजना आरंभ की है। इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय, सामान्य विकास अनुदान का उपयोग करेंगे जिसे पहले ही राज्य विश्वविद्यालयों को आबंटित किया जा चुका है।
- गैर- योजनागत (2018-19) अनुदान वेतन शीर्ष हेतु पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को 220.27 रुपये की राशि संस्वीकृत की गई।
- दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 126 सम विश्वविद्यालय थे। 126 सम विश्वविद्यालयों में से 21 चिह्नित सम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विकास अनुदान तथा निर्धारित अनुरक्षण/ विशेष अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।
- वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य विकास योजना (ब्लॉक अनुदान) के तहत 10 सम विश्वविद्यालयों को 5796.94 लाख रुपये की राशि जारी की है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान पूंजीगत अनुदान (अनुरक्षण अनुदान) के तहत 10 सम विश्वविद्यालयों को 41483.45 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

4. महाविद्यालयों को विकास तथा अनुरक्षण सहायता

- महाविद्यालयों को विकास सहायता का बल, मूलभूत अवसंरचना का उन्नयन कर शिक्षण- ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को समर्थन देने पर रहा है। मौजूदा संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार तथा उन्हें सुदृढ़ करना, स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण, यौक्तिकरण तथा विविधीकरण के माध्यम से स्तरों में सुधार करने, विशेषरूप से उन्हें करियर के अवसरों से जोड़ने पर बल दिया गया है। शैक्षिक

रूप से पिछड़े हुए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएँ मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर भी नए महाविद्यालयों की स्थापना करना आयोग की एक प्राथमिकता है।

- दिनांक 31 मार्च, 2019 तक देश में 40489 महाविद्यालय (संबद्ध और संघटक) थे। इनमें से, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत केवल 12070 महाविद्यालयों अर्थात् 29.81 प्रतिशत को मान्यता प्राप्त है। कुल 12070 महाविद्यालयों में से मात्र 9755 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। महाविद्यालय क्षेत्रक से संबद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलुरु तथा दिल्ली स्थित उत्तरी क्षेत्र महाविद्यालय ब्यूरो (एनआरसीबी) के माध्यम से होता है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने महाविद्यालय विकास सहायता योजना के अंतर्गत 155 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 13.60 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया।
- दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 तक महाविद्यालयों को विकास सहायता योजना के तहत 5854 पात्र महाविद्यालयों को 797.32 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
- वर्ष 2018-19 के दौरान महिला छात्रावास के निर्माण की योजना के तहत 131 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों से 16.00 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान 2024 महाविद्यालयों को 504.89 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया।
- वर्ष 2018-19 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों/एनआरसीबी ने 176 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को स्वायत्त महाविद्यालय की योजना के तहत 33.10 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान 309 महाविद्यालयों को 225.92 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था।
- वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजना की योजना के तहत विज्ञान में 2.14 करोड़ रुपये तथा मानविकी में 2.04 करोड़ रुपये का अनुदान क्रमशः विज्ञान के 457 तथा मानविकी के 554 शिक्षकों को जारी किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान मानविकी और विज्ञान के 18462 शिक्षकों को 246.42 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया।
- वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने संगोष्ठियों/परिसंवाद/कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के 255 प्रस्तावों को अनुमोदित किया तथा पात्र महाविद्यालयों को 0.91 करोड़ रुपये की राशि जारी की। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान योजना के तहत 6937 महाविद्यालयों 81.01 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने संकाय विकास कार्यक्रम योजना के तहत 1396 लाभार्थियों (शिक्षकों) को 56.65 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान योजना के तहत 8485 लाभार्थियों (शिक्षकों) को 239.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने का एक नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए इसने प्रत्येक महाविद्यालय को आईक्यूएसी की स्थापना करने तथा उसे सुदृढ़ करने हेतु व्यय के लिए प्रारंभिक राशि (सीड मनी) के रूप में 3.00 लाख रुपये उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ योजना (आईक्यूएसी) के तहत 4685 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 139.46 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया।
- वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना तथा उपकरण विकास योजना के तहत 149 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 25.44 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान 1091 महाविद्यालयों को 338.45 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन महाविद्यालयों को विशेष विरासत योजना का लाभ प्रदान कर रहा है जिन्होंने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं जिन्होंने न केवल उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अथाह योगदान दिया बल्कि देश के लंबे इतिहास के सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक ताने-बाने को बनाए रखने में अत्यधिक योगदान दिया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे

विरासत वाले संस्थानों के योगदान को मान्यता देने तथा उन्हें पुरस्कृत करता है ताकि वे हमारी युवा पीढ़ी को शिक्षा के उचित मान के बारे में प्रोत्साहित करते रहें। वर्ष 2018-19 के दौरान योजना के तहत एक महाविद्यालय को 0.34 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान “महाविद्यालयों को विशेष विरासत योजना” के तहत 16 महाविद्यालयों को 10.54 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई।

- दृष्टिबाधित शिक्षक: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों के लिए पाठक की सहायता से और शिक्षण और अधिगम सहायता सामग्री का उपयोग करके पाठक भत्ते, ब्रेल पुस्तकों, रिकार्ड की गई सामग्रियों आदि के क्रय के लिए धनराशि उपलब्ध करवाकर सहायता प्रदान करने की एक योजना तैयार की है। वर्ष 2018-19 के दौरान 74 लाभार्थियों को 0.33 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान 265 लाभार्थियों को कुल 2.85 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया।
- दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने ऐसी योजनाओं के लिए 7076 लाभार्थी महाविद्यालयों को एकमुश्त ‘कैच-अप’ अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, आमेलित योजनाओं, प्रतिबद्ध देयताओं (विआ की पुरानी योजनाएं) के तहत स्वर्ण जयंती आयोजनों हेतु 1334.05 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जिन्हें बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंद कर दिया गया था।
- वर्ष 2018-19 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में 198158.86 लाख रुपये के कुल राजस्व अनुदान उपलब्ध कराए गए और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार घटक महाविद्यालयों को 5874.58 लाख रुपये की राशि का भी भुगतान किया गया है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के 19 महाविद्यालयों को महिला छात्रावास, खेल-कूद अवसंरचना, भवन निर्माण तथा संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला आयोजित करने तथा दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिए पाठक भत्ते हेतु 1165.63 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

5. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता

- शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 16 चिह्नित विश्वविद्यालयों को “उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय” (यूपीई) का दर्जा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। 15 विश्वविद्यालयों की कार्यावधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और उन्हें अव्ययित अनुदान राशि का उपयोग करने के लिए दिनांक 31 मार्च, 2019 तक समय विस्तार दिया गया था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षण और शोध क्रियाकलापों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता तथा अंतर्विधायी पद्धति को बढ़ावा देने के लिए “किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र” की योजना आरंभ की है। दिनांक 31 मार्च, 2019 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों से 29 केन्द्रों को इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्रों को 2.45 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- महाविद्यालयों में मुख्य रूप से शिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करने और महाविद्यालयों में शोध की संस्कृति की पहल करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने “उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय” (सीपीई) नामक एक योजना आरम्भ की है। वर्तमान में, 295 महाविद्यालयों को सीपीई दर्जा प्राप्त है तथा 19 महाविद्यालय को उत्कृष्टता के महाविद्यालय (सीई) का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2018-19 के दौरान सीपीई योजना के तहत कुल 314 महाविद्यालय सीपीई योजना के तहत हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान महाविद्यालयों को 14.61 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने तथा शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के तहत जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान सहित विज्ञान के विश्वविद्यालय विभागों को सहायता प्रदान की जा रही है। दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार एसएपी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या 808 रही। वर्ष 2018-19 के दौरान सीएएस स्तर पर 150 विभागों तथा डीएसए के स्तर पर 72 विभाग तथा डीआरएस के स्तर पर 586 विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2018-19 के दौरान 74.62 करोड़ रुपये की राशि का व्यय हुआ।
- आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत सम्भाव्यता वाले मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 25

राज्यों के 108 विश्वविद्यालयों के 687 महाविद्यालयों को स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना के तहत 176 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 33.10 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था।

- मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्रीय केन्द्र (आरसीसीबी), (अकादमिक स्टॉफ कॉलेज- एएसीसी) के माध्यम से विभिन्न विधाओं में शिक्षकों के पेशेवर विकास हेतु एक वृहत कार्यक्रम का संचालन किया गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रहे इन केन्द्रों के कार्यक्रम हेतु 42.22 करोड़ रुपये का अनुदान संस्वीकृत किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान 66 विआ-एच0आर0डी0सी0 द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों में लगभग 25000 शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक पदाधिकारियों के द्वितीय स्तर के लिए तीन सप्ताह के महत्वाकांक्षी नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एलईएपी) (दो सप्ताह का स्वदेशी तथा एक सप्ताह का विदेश में प्रशिक्षण) आरंभ किया गया।
- हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन, टिप्पण और मसौदा लेखन और हिन्दी टंकण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। केन्द्रीय/ राज्य/ सम विश्वविद्यालयों में आयोग से अनुदान प्राप्त करने वाले विभागों में हिंदी विभाग की स्थापना और उन्नयन के लिए आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, नारवे तथा न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ संयुक्त शोध कार्यक्रम चला रहा है साथ ही यह छात्रवृत्तियों, शोध कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भारतीय विद्वानों को उनकी शोध क्षमता को पहचानने का अवसर प्रदान करता है।
- भारत- इजरायल संयुक्त शोध कार्यक्रम के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इजरायल साइंस फाउंडेशन (आईएसएफ) ने संयुक्त-शोध परियोजना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए तथा वित्तपोषण हेतु वर्ष 2018 के दौरान तीन वर्षों की अवधि के लिए 11 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- यूकेआईईआरआई विषयगत भागीदारियां, ब्रिटेन और भारत में संस्थान- आधारित सिद्ध शोध क्षमता वाले शोध दलों के मध्य किए जाने का लक्ष्य है। विषयगत भागीदारी के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक 15 मार्च, 2018 से 14 मार्च, 2020 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए 18 संयुक्त शोध परियोजनाएं प्रदान की गई थी।
- उच्चतर शिक्षा में भारतीय- जर्मन भागीदारी (आईजीपी): मंत्रालयों के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन तथा इस आशय के संयुक्त घोषणापत्र के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) भारत और जर्मन एकेडेमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी), जर्मनी द्वारा उच्चतर शिक्षा में भारत-जर्मन भागीदार (आईजीपी) के मध्य दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं जर्मनी के महामहिम चांसलर की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। पहले चरण में वर्ष 2016 में 8 संस्थागत भागीदारियां प्रदान की गईं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा जर्मन अकादमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी) द्वारा तैयार की गई परियोजना आधारित कार्मिक आदान- प्रदान कार्यक्रम (पीपीपी) के तहत वर्ष 2018 के दौरान एक परियोजना का दो वर्षों के लिए चयन किया गया था।
- उच्चतर शिक्षा तथा शोध के क्षेत्र में इंडो-नारवीयन सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत तथा नारवे के बीच उच्चतर शिक्षा संपर्क को बढ़ाना है। उच्चतर शिक्षा पर एक समझौता ज्ञापन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विआ) भारत और 'नारवीयन सेन्टर फॉर इन्टरनेशनल को-आपरेशन इन एजुकेशन' (एसआईयू) के बीच शिक्षा सहयोग समझौते पर दिनांक 14 फरवरी, 2014 को हस्ताक्षर किए गए थे। आईएनसीपी के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत तथा एसआईयू, नारवे ने वर्ष 2014 के दौरान तीन वर्षों के लिए 13 परियोजनाओं का चयन किया और इसे आगे 31 दिसम्बर, 2018 तक बढ़ाया।
- शिक्षा के क्षेत्र में भारत- अमेरिका रणनीतिक भागीदारी तैयार करने की प्रतिबद्धता के पुष्टि स्वरूप वर्ष 2009 में भारत- अमेरिका 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल की घोषणा की गई है।

- भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त शोध परियोजना के तहत, संयुक्त शोध परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण प्राप्त करने के इच्छुक शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
- आस्ट्रेलिया-भारत शैक्षणिक परिषद् (एआईईसी) ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को छात्र स्थानांतरण विषय पर एक परियोजना अवार्ड की।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, युवा भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षकों को उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराने के लिए अमेरिका में पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान हेतु रमन अध्येतावृत्तियों की पेशकश कर रहा है ताकि उभरते हुए क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
- राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ, यूनाईटेड किंगडम, भारत में विश्वविद्यालयों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में उत्कृष्ट संकाय सदस्यों को शोध कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए 10 राष्ट्रमंडल चिकित्सा अध्येतावृत्ति अवार्डों की पेशकश करता है। वर्ष 2018 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10 भारतीय चिकित्सकों को नामनिर्दिष्ट किया जिसमें से राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति आयोग द्वारा 03 भारतीय चिकित्सकों का चयन किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय छात्रों से हंगरी में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेल अध्ययन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान हंगरी छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा 166 भारतीय छात्रों का चयन किया गया था। इसके समक्ष उच्चतर शिक्षा के चयनित विश्वविद्यालयों में अध्ययन जारी रखने के लिए हंगरी के तीन विद्वानों ने भारत का दौरा किया।
- वर्ष 2018 में विअ ने बुल्गारिया भाषा और संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय सगोष्ठी में भागिदारी के लिए 4 विद्वानों को बुल्गारिया का दौरा करने हेतु नामांकित किया है।
- विदेशी भाषा शिक्षक : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है, जो अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी भाषा पढ़ाने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 22 विदेशी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यापन और शोध के पेशे में प्रवेश करने वालों के लिए न्यूनतम मानदंड सुनिश्चित करने हेतु सहायक प्राचार्य तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के लिए एक वर्ष में दो बार एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा (विअआ नेट) परीक्षा का कार्य भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को सौंपा गया है। आयोजित करता है। नेट परीक्षा 80 विषयों में आयोजित की जाती है। जुलाई, 2018 में विअआ नेट में सहायक आचार्य हेतु आयोजित अर्हता परीक्षा में 8.59 लाख अभ्यर्थी तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की परीक्षा में 5.80 लाख अभ्यर्थी बैठे। इन अभ्यर्थियों में से सहायक आचार्य हेतु 56364 (6.56 प्रतिशत) तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति और सहायक आचार्य हेतु 3972 (0.69 प्रतिशत) अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए।
- दिसम्बर, 2018 में आयोजित विअआ नेट परीक्षा में सहायक आचार्य हेतु अर्हता के लिए 6.82 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे और कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति परीक्षा में 4.72 लाख अभ्यर्थी बैठे। इन अभ्यर्थियों में से 44355 (6.50 प्रतिशत) अभ्यर्थियों ने सहायक आचार्य के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की और 3946 (0.84 प्रतिशत) अभ्यर्थियों ने जेआरएफ और सहायक आचार्य के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से “सीएसआईआर” विज्ञान के पांच विषयों में नेट परीक्षा संचालित करता है। जून, 2018 तथा दिसम्बर, 2018 में संयुक्त सीआईएसआर-विअआ नेट परीक्षा आयोजित की गई तथा प्रत्येक परीक्षा में 1500 विअआ-जेआरएफ सहित क्रमशः 7247 तथा 7458 अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य हेतु अर्हक पाया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्यों/राज्यों के समूहों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) के संचालन के लिए भी प्रत्यायन प्रदान किया है। जिन उम्मीदवारों ने दिनांक 01 जून, 2002 से पूर्व, व्याख्याता हेतु राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण कर ली है, ऐसे उम्मीदवार को “नेट” परीक्षा में बैठने से छूट प्राप्त है। जून, 2002 अथवा उसके बाद होने वाली सेट परीक्षाओं में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार, राज्य के केवल उन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में व्याख्याता/सहायक आचार्य के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, जहाँ उसने सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है।

- वर्ष 2018-19 के दौरान आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, पूर्वोत्तर राज्यों, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने सफलतापूर्वक सेट परीक्षा आयोजित की। सेट परीक्षा संचालित करने पर होने वाले व्यय को संबद्ध राज्यों द्वारा वहन किया जाता है।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत 355 महाविद्यालय के शिक्षकों, 07 कुलपतियों और 02 आयोग के सदस्यों ने अपने शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठाया। वित्तीय सहायता का भुगतान उनकी विदेश यात्रा, पंजीकरण शुल्क, निवास भत्ता आदि के लिए किया जाता है। स्थायी शिक्षक/पुस्तकाध्यक्ष तीन वर्ष में एक बार और कुलपति, आयोग सदस्य और विआ के अधिकारी दो वर्ष में एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लाभार्थियों को 5.25 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के तहत स्वायत्त केन्द्रों के रूप में स्थापित आठ अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.), भारतीय विश्वविद्यालयी प्रणाली में कार्य कर रहे हैं ताकि प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान कर और अत्याधुनिक उपकरण और उत्कृष्ट ग्रंथालय सुविधा तक पहुंच प्रदान कर विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों को सामान्य सुविधाएं, सेवाएँ एवं कार्यक्रम आदि उपलब्ध कराए जा सकें। रिपोर्टाधीन वर्ष 2018-19 के दौरान सात अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को पूंजीगत शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत 116.78 करोड़ रुपये, 77.36 करोड़ रुपये और 107.87 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चयनित विश्वविद्यालयों में 04 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों की स्थापना की है ताकि उन्हें नियमित रूप से सहायता प्रदान की जा सके। वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन केन्द्रों को 561.63 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान जारी किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से इस विचार के तहत वर्ष 2014 के दौरान विश्वविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना एवं उपकरण विकास योजना शुरू की है कि खेल पिरामिड के आधार को व्यापक बनाने से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिजात खेलों में भागीदारी हेतु पर्याप्त संख्या में खिलाड़ी तैयार होंगे जो देश को प्रतिष्ठा दिलाएंगे। वर्ष 2018-19 के दौरान 5.72 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान 69 लाभार्थी विश्वविद्यालयों को 73.68 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- सरकार ने 'श्रेष्ठता के संस्थान' के नाम से जाने वाले विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में 20 संस्थानों (सार्वजनिक क्षेत्र से 10 और निजी क्षेत्र से 10) की स्थापना/उन्नयन के लिए विनियामक ढांचा मुहैया कराने की योजना को अनुमोदित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों और दिशानिर्देशों के उपबंधों के तहत 20 उच्च संभावना वाले संस्थानों के चयन को प्रभावित करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति (ईईसी) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी पहली रिपोर्ट (10 मई, 2018) को सौंपी थी, जिसमें उसने योजना के तहत कवर किए जाने वाले निम्नलिखित 8 सार्वजनिक संस्थानों और 3 निजी संस्थानों की पहचान और सिफारिश की थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची को परिष्कृत और सुदृढ़ करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्णय लिया कि एससीओयूपी और डब्ल्यूओएस में अनुक्रमणिकाबद्ध शोध जर्नल रिकॉर्ड को विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कृषि और जैव चिकित्सा विज्ञान की विधा में सभी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए विचार किया जाएगा।
- सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली आदि विधाओं में विश्वसनीय गुणवत्तायुक्त पत्रिकाओं की सूची का सुझाव देने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अकादमिक और अनुसंधान आचार संघ (केयर) का गठन किया है।
- ऐसा सक्षमकारी परिवेश तैयार करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, जिसमें उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) वैश्विक उत्कृष्टता के संस्थान बन सकते हैं, उच्चतर शिक्षा में संस्थान उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए स्वायत्ता की अहम भूमिका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडबद्ध स्वायत्ता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों (केवल) का वर्गीकरण) विनियम, 2018 को दिनांक 12 फरवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया है।
- आयोग ने दिनांक 24 मई, 2018 को आयोजित अपनी 532 वीं बैठक में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में गुणवत्ता में मानदंडों में सुधार करने के लिए उद्देश्यों को अनुमोदित किया। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान वर्ष 2022 तक उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु प्रयास करेंगे।

6. शोध संवर्धन

- “शिक्षकों के लिए शोध परियोजनाएं” योजना का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न विधाओं में ऐसे क्षेत्रों में बल देकर जो अलग-अलग विधाओं तथा विषय जैसे स्वास्थ्य, वृद्धावस्था रोग, पर्यावरण, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तनाव प्रबंधन, डब्ल्यू.टी.ओ. और अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव आदि कुछ क्षेत्र तथा विषय विशेषज्ञ द्वारा चयनित अन्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर उच्चतर शिक्षा में शोध में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/चिकित्सा/भेषजी/कृषि सहित विज्ञान तथा मानविकी, सामाजिक विज्ञान कला और विधि सहित भाषाओं, आदि में वृहद अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अधिकतम सीमा क्रमशः 20.00 लाख रुपये और 15.00 लाख रुपये है। यहां तक कि 70 वर्ष की आयु तक के सेवानिवृत्त शिक्षक भी अनुसंधान परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान कला और मानविकी में 227 लाभार्थी तथा विज्ञान में 861 लाभार्थी थे। वर्ष के दौरान वृहद शोध परियोजनाओं के लाभार्थियों को 11.45 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया।
- शोध अवार्ड योजना, पात्र विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के स्थायी शिक्षकों द्वारा बिना शोध मार्गदर्शन प्राप्त किए अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में दो वर्ष का पूर्णकालिक स्वतंत्र अनुसंधान करने वाले शिक्षकों के लिए तैयार की गई है। शिक्षक जो डाक्टोरेट हैं और 45 वर्ष की आयु से कम हैं, उन्हें अवार्ड के लिए विचार किया जाता है। सभी विधाओं के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 स्लॉट के लिए अवार्डों का चयन किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान अवार्ड धारकों को भुगतान करने पर 5.80 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- शोध में उच्च गुणवत्ता विकसित करने के लिए विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को आकर्षित करने हेतु वर्ष 1983 में ‘शोध वैज्ञानिक योजना’ आरम्भ और लागू की गई थी। वर्तमान में, 24 शोध वैज्ञानिक विभिन्न भारतीय संस्थानों में कार्यरत हैं, जबकि यह योजना बंद कर दी गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान इन शोध वैज्ञानिकों के वेतन एवं आकस्मिक व्यय पर कुल 1.89 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- ‘अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति’ की योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उनके चयनित क्षेत्र में उच्च शोध करने का अवसर प्रदान करना है जिन्होंने डॉक्टरल उपाधि प्राप्त कर ली है और जिनके शोध कार्य प्रकाशित हो गए हैं तथा जिन्होंने पहले ही स्वतंत्र रूप से शोध कार्य का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है, वे इसके तहत पात्र हैं। अध्येतावृत्ति पांच वर्षों के लिए है। वर्ष 2018-19 के दौरान 460 पोस्ट डॉक्टरल अध्येताओं को भुगतान करने पर 25.95 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पी.एच.डी. उपाधि धारक तथा पूर्णकालिक आधार पर पोस्ट-डॉक्टरल शोध करने की इच्छुक बेराजगार महिलाओं के लिए प्रतिवर्ष 100 स्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसमें नए अभ्यर्थियों को 38,800 प्रतिमाह की राशि और 2 वर्ष पश्चात् 46,500 रुपये प्रतिमाह तथा पांच वर्षों के लिए 50,000 रुपये प्रतिवर्ष की आकस्मिक राशि का भुगतान किया जाता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 591 महिला अध्येताओं को भुगतान करने पर 32.72 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई।
- भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति, भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उच्च अध्ययन तथा शोध करने का अवसर उपलब्ध कराती है। योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 स्लॉट उपलब्ध हैं। प्रथम वर्ष के लिए अध्येतावृत्ति की राशि 38,800 रुपये प्रतिवर्ष है, दूसरे वर्ष के लिए 40,300 रुपये प्रति प्रतिमाह और तीसरे वर्ष के लिए 41,900 रुपये प्रतिमाह और 50,000 रुपये प्रतिवर्ष की आकस्मिक राशि का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान 454 लाभार्थियों को 18.63 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।
- आधारभूत विज्ञान/चिकित्सा/अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी विषयों में पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान करने के लिए डॉ0 डी0 एस0 कोठारी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति योजना उपलब्ध कराई जा रही है। आज तक, 2661 अभ्यर्थियों को योजना अवार्ड की गई है तथा 1364 पी0डी0एफ कार्यरत हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न संस्थानों में कार्यरत अध्येताओं को 23.26 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत और अधिवाषिता की आयु के समीप पहुंच गए प्रतिभावान विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मूलभूत विज्ञान के क्षेत्र में शोध जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से ‘विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग— बी0एस0आर0 संकाय अध्येतावृत्ति' नाम से योजना आरंभ की है। विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में आचार्य/ सह-आचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षक इसके लिए पात्र हैं। अध्येतावृत्ति में 50,000 रुपये प्रतिमाह की राशि प्रदान की जाती है जिसमें पेंशन और/ अथवा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सम्मिलित नहीं है। वर्ष 2018-19 के दौरान 104 बीएसआर संकाय अध्येताओं को 11.14 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

- इमेरिटस अध्येतावृत्ति योजना के तहत सभी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों में 70 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त अध्यापकों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से शोध करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष विज्ञान विषय तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए उपलब्ध स्लॉटों की संख्या 100 है। अध्येताओं को 50,000 रुपये प्रतिवर्ष की आकस्मिक राशि के साथ दो वर्षों के लिए 31,000 रुपये प्रतिमाह के मानदेय का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान 169 लाभार्थी अध्येताओं को भुगतान करने पर 3.82 करोड़ रुपये व्यय किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति योजना (जेआरएफ) (भारतीय नागरिकों के लिए) के तहत उन भारतीय अभ्यर्थियों को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित विश्वविद्यालय नेट परीक्षा उत्तीर्ण की हैं।
- रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए जेआरएफ योजनाओं के तहत 740.00 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। वर्तमान में, लगभग 24850 विद्वान जेआरएफ के तहत एम.फिल./ पीएचडी कर रहे हैं।
- विदेशी नागरिकों हेतु कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) तथा शोध एसोसिएटशिप योजना (आरए) के तहत 46 विदेशी नागरिकता वाले अभ्यर्थी, पीएचडी/ पोस्ट डॉक्टोरल शोध कर रहे हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान जेआरएफ तथा आरए (विदेशी नागरिकों) को 0.52 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।
- उच्चतर शिक्षा में सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 2000 'अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ' उपलब्ध कराता है ताकि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उच्चतर अध्ययन एवं शोध कर एम.फिल./ पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त कर सकें। वर्ष 2018-19 के दौरान योजना के तहत 6883 अनुसूचित जाति के लाभार्थी अध्येताओं पर 255.84 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अध्येतावृत्ति के लिए वित्तपोषण तथा उसे लागू करने का कार्य वर्ष 2005 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है जिसमें प्रतिवर्ष 1000 स्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान 35 लाभार्थियों पर 1.50 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए वित्तपोषण तथा उसे लागू करने का कार्य, वर्ष 2009 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है जिसमें प्रतिवर्ष 1000 स्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि अल्पसंख्यक छात्र एम.फिल तथा पी.एच.डी. जैसे उच्च अध्ययन कर सकें। अध्येतावृत्ति की दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य अध्येतावृत्तियों के अनुरूप है। 2537 लाभार्थियों पर 91.13 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2014 से अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को कार्यान्वित करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है। प्रत्येक वर्ष सभी विषयों के लिए अध्येतावृत्ति के 1000 स्लॉट उपलब्ध हैं। अध्येतावृत्ति की दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य अध्येतावृत्तियों के अनुरूप है। वर्ष 2018-19 के दौरान इस योजना पर 683 लाभार्थियों पर 22.44 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया गया।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्ष 2012 से निशक्त छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना को लागू करने का कार्य सौंपा है ताकि निशक्त छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसरों में वृद्धि की जा सके जिससे वे एम.फिल तथा पीएचडी उपाधि प्राप्त कर सकें। अध्येतावृत्ति की राशि अन्य जेआरएफ योजनाओं के अनुरूप है। अध्येताओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, निशक्तता कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा भुगतान किया जाता है। योजना के तहत विचारण हेतु (वर्ष 2017-18 तथा 2018-19) के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
- स्वामी विवेकानंद एकल बालिका अध्येतावृत्ति योजना के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान 142 लाभार्थियों को 4.74 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया।

- “विज्ञान विषय में मेधावी छात्रों हेतु शोध अध्येतावृत्ति” योजना (आरएफएसएमएस) को मेधावी छात्रों हेतु उच्च अध्ययन एवं शोध करने के लिए आरंभ किया गया है ताकि मेधावी छात्रों को उन्नत अध्ययन तथा शोध कार्य आरंभ करने हेतु अवसर प्रदान किए जा सकें ताकि वे विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर सकें। ऐसे अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालयों में विज्ञान विषयों में उत्कृष्टता की संभाव्यता / उन्नत अध्ययन केन्द्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित विशेष सहायता विभागों में पीएच.डी. हेतु पंजीकृत हैं वे इस योजना के तहत पात्र हैं। प्रारंभ में अध्येतावृत्ति की अवधि दो वर्ष की है और अध्येता द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन के आधार पर इसे तीन और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2018-19 के अंत तक सैप / गैर-सैप विभागों को 9355 शोध अध्येतावृत्तियां आबंटित की गई थी तथा 3550 कनिष्ठ शोध अध्येता कार्यरत हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान 62.94 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था।
- वर्ष 2006-2007 में आरंभ किए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल / पीएचडी हेतु गैर-नेट अध्येतावृत्ति। वर्ष 2018-2019 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 13.38 लाख रुपये राशि जारी की गई है।
- समाज के वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उन्हें स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययनों को आरंभ करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए ‘पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों की योजना’ को कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2018-19 के चयन किए जाने हैं। इस योजना के तहत 2.81 करोड़ रुपये का व्यय हुआ और 312 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।
- “इंदिरा गाँधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना” का उद्देश्य परिवार में एकल बालिकाओं की शिक्षा को छात्रवृत्ति के माध्यम से सहायता प्रदान करना तथा माता-पिता को छोटे परिवार मानदंड का पालन करने हेतु प्रेरित करना है। जिन बालिकाओं ने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में निष्णात उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है वे इस योजना के तहत पात्र हैं। छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष के लिए है जिसमें 3,100 रुपये (एक वर्ष में 10 माह) प्रतिमाह की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाएगी। सभी पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से चयन किया जाएगा। वर्ष 2018-19 के दौरान 9.96 करोड़ का व्यय हुआ और 2289 लाभार्थियों ने वित्तीय सहायता प्राप्त की।
- प्रतिभावान छात्रों को स्नातकोत्तर शिक्षा जारी रखने के लिए बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2005-2006 से स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति की योजना को लागू किया गया है। योजना के तहत पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (पेशेवर पाठ्यक्रम शामिल नहीं हैं) विशेषज्ञता के किसी भी क्षेत्र में और साथ ही देश में उच्चतर शिक्षा के किसी भी संस्थान में जारी रख सकते हैं। सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रथम और द्वितीय रैंक धारक और ऑनर्स (प्रवीण) पाठ्यक्रम में केवल प्रथम रैंक धारक छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। 3100 रुपये प्रतिमाह (वर्ष में दस माह के लिए) की छात्रवृत्ति की राशि के साथ छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए चयन, राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति पोर्टल पर किया जाएगा। 4.49 करोड़ रुपये का व्यय किया गया तथा वर्ष 2018-19 के दौरान 979 लाभार्थियों ने वित्तीय सहायता प्राप्त की।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्नातक छात्रों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने हेतु सहायता करने के लिए एम.ई./एम.टेक./एम.फार्मा. विषयों में गेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को 12,400 रुपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति राशि तथा 5,000 प्रतिवर्ष रुपये की आकस्मिक राशि के साथ स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति उपलब्ध करवा रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान 1125 लाभार्थियों का 21.01 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2015-16 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए “ईशान उदय” नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना आरंभ की है। सामान्य उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दर 5,400 रुपये प्रतिमाह और तकनीकी और पेशेवर उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए 7,800 रुपये प्रतिमाह है। योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के 10,000 अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केनरा बैंक के बीच किए गए समझौते (एमओयू) के अनुसार भुगतान के लिए प्रक्रिया सीधे ही केनरा बैंक द्वारा की जाती है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए चयन को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अंतिम रूप दिया जाना शेष है। वर्ष 2018-19 के दौरान 151.67 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। वर्ष 2018-19 के दौरान 19970 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेल पदक विजेताओं को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना आरंभ की है। योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विशिष्ट खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है जिन्होंने राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेल पदक जीता हो अथवा मान्यताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद स्पर्धाओं में भाग लिया हो। योजना के तहत 70 लाभार्थी हैं।
- इस योजना का उद्देश्य समाज विज्ञान, मानविकी तथा भाषाओं में विषय संघों को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट क्रियाकलाप करने हेतु सहायता प्रदान करना है ताकि अध्यापकों और शोधकर्ताओं को सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भागीदारी करने और पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित किया जा सके जिसके परिणामस्वरूप पत्र प्रकाशित हो सके, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 'शिक्षकों, विषयों/ विधा आधारित संघों से विभिन्न शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलाप आयोजित करने की योजना' के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध संबंधी अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नवत योजना लागू की जा रही है:

- विज्ञान संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी स्तर पर उच्च गुणवत्तायुक्त शोध को सुदृढ़ करने और अकादमी संकाय सदस्यों में नई प्रतिभाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नवोन्मेषी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'फैकल्टी रिचार्ज' कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस प्रयोजनार्थ, वर्ष 2011 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और शिक्षकों का चयन करने के लिए एक प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वयक की नियुक्ति की गई थी। वर्तमान में, इस कार्यक्रम के तहत 373 संकाय सदस्यों का चयन किया गया है, जिसमें से 185 कार्यरत हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से चयनित 160 अभ्यर्थियों को वेतन अनुदान तथा 30 अभ्यर्थियों को स्टार्ट-अप अनुदान के रूप में 13.32 करोड़ रुपये की राशि जारी गई थी।
- बीएसआर कार्यक्रम के तहत नेटवर्क शोध केन्द्रों की स्थापना हेतु अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 10 विभागों को अनुमोदन प्रदान किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान इन केन्द्रों को 4.81 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था।
- "नए भर्ती हुए ऐसे सभी संकायों हेतु स्टार्ट-अप अनुदान योजना" के तहत, अनुमोदित/उद्धृत जर्नलों में कम से कम दो शोध प्रकाशन करने वाले पी0एच0डी0 उपाधि धारक सहायक आचार्य के स्तर के सभी शिक्षक इस योजना हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। योजना के तहत, सहायता की सीमा 10 लाख रुपये है। वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के 181 नव नियुक्त संकाय सदस्यों को 11.96 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- 'मिड करियर अवार्ड योजना' के अंतर्गत शिक्षक को शोध कार्य करने के लिए 10.00 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस अनुदान का उपयोग छोटे उपकरण, रसायन, आकस्मिक व्यय और क्षेत्र कार्य के लिए किया जा सकता है। विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य करने वाले 28 शिक्षकों को 2.09 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

7. लिंग और सामाजिक समानता

- 'भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास और क्षमता निर्माण' योजना का उद्देश्य शिक्षण, शोध तथा क्षेत्र कार्यवाही और क्षेत्र कार्यवाही कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र की वस्तुस्थिति के साथ लगातार संपर्क बनाने को बढ़ावा देना है। दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयी प्रणाली में 159 महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित हो चुके हैं तथा कार्य कर रहे थे। वर्ष 2012-13 से 2018-19 के दौरान महिला अध्ययन केन्द्रों को 7.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों पर भर्ती और विश्वविद्यालयों में सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की सतत् रूप से निगरानी कर रहे हैं। उपर्युक्त मानदंडों के बारे में जानकारी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग द्वारा नियमित रूप से एकत्रित की जाती है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय,

अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग को सूचनार्थ तथा अनुवर्ती कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाती है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/ अल्पसंख्यक समुदायों के जरूरतमंद छात्रों को एक अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए उपचारी अनुशिक्षण प्रदान करने/ नेट-सेट परीक्षा/ सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण प्रदान करने के लिए नियमित समय-सारणी से इतर विशेष कक्षाएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है। इन योजनाओं के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।
- सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पांच केन्द्रों हेतु क्रमशः 6.13 लाख रुपये और 10.14 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
- विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं तथा बाध्यताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों (ईओसी) की स्थापना की है। वर्ष 2018-19 के दौरान पांच केन्द्रों को 0.88 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।
- आयोग ने दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को आयोजित 535वीं बैठक में नए स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित करने का संकल्प लिया जहां अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित नहीं हैं।
- सैद्धांतिक तथा नीतिगत महत्व वाले सामाजिक बर्हिवेशन तथा समावेशन के मुद्दों पर शोध के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में सामाजिक समावेशन तथा बर्हिवेशन नीति का अध्ययन करने के लिए शिक्षण-सह-शोध केन्द्रों की स्थापना की थी। दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों में 33 केन्द्र कार्यरत थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2018-19 के दौरान इस योजना के तहत 7.25 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया।
- उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में निःशक्त व्यक्तियों की अनदेखी नहीं की जाए और विशेष शिक्षकों तथा परामर्शदाताओं हेतु विशेष पाठ्यक्रम विकसित करने और निःशक्त व्यक्तियों को अलग-अलग स्वरूप में सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दो योजनाएं अर्थात् विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने (टीईपीएसई) और विशेष आवश्यकताओं वाले निशक्त व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन) को लागू कर रहा है। अब इन योजनाओं की देखरेख, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही है और प्रकोष्ठ द्वारा अनुदान जारी किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने (टीईपीएसई) की योजना के तहत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दो केन्द्रों को अनुमोदित किया है।
- उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जातियों हेतु सकल नामांकन अनुपात 23.0 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 17.2 प्रतिशत है।
- उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई) प्रति सौ पुरुषों पर क्रमशः 102 और 92 है।

8. प्रासंगिक और मूल्य आधारित शिक्षा

- भारत के बाहर अन्य क्षेत्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषताओं के समग्र बोध को बढ़ावा देने, विशेषरूप से भारत के आर्थिक, राणनीतिक तथा राजनीतिक हित में नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु समय-समय पर विश्वविद्यालयों की पहचान करता रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के तहत 35 केन्द्र कार्य कर रहे थे और वर्ष 2018-19 के दौरान क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के तहत केन्द्रों को 79.14 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।
- भारतवर्ष के महान समाज विचारकों के विचारों एवं दृष्टिकोण से शिक्षकों एवं छात्रों को परिचित करवाने के उद्देश्य से विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में 394 अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान 2.98 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था।

9. शिक्षण और ज्ञान अर्जन हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकीयों का समेकन

- ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में ई-कार्यालय योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यान्वित किया गया है ताकि मिसिलों की प्राप्ति और उनके चालन, वेतन पर्ची ई-अवकाश के रखरखाव आदि के संबंध में कागज रहित परिवेश तैयार किया जा सके।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संपूर्ण समेकित और स्वचालित ई-अभिशासन मॉड्यूल को मिशन मोड में विकसित करने और संपूर्ण (एंड-टू-एंड) समाधान उपलब्ध कराने के लिए इस कार्य को इन्फिलिबनेट को सौंपा है।
- ई-पाठशाला परियोजना की 'फोर क्वार्टेंट' पद्धति में 70 विषयों में 23500 मॉड्यूलों तथा 778 पत्रों को विकसित किया है। विश्वभर में लगभग 51 लाख शिक्षार्थियों की ई-पाठशाला तक पहुंच है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जुलाई, 2018 से आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र के दौरान 47 एमओओसी पाठ्यक्रमों की पेशकश की है, जो जुलाई, 2018 से आरंभ होगा। 40311 शिक्षार्थियों ने स्वयं प्लेटफॉर्म पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गैर-प्रौद्योगिकीय स्नातकोत्तर एमओओसी पाठ्यक्रमों में नामांकन किया था। दिनांक 01 दिसम्बर और 02 दिसम्बर, 2018 को 08 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पाठ्यक्रमों की परीक्षा, नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (एनटीए) द्वारा आयोजित की गई थी। इन परीक्षाओं में 412 शिक्षार्थी बैठे।
- वर्ष 2017 में शिक्षा संस्थानों/ बोर्डों/ पात्र मूल्यांकन निकायों द्वारा दर्ज की गई अकादमिक उपाधियों (डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अंक तालिका आदि) के ऑनलाइन निक्षेपागार के रूप में एनएडी को आरंभ किया गया था। यह 24X7 शैक्षिक अवाडॉ को उपलब्ध कराने की ऑनलाइन पद्धति है।
- दिनांक 29 मार्च, 2019 को एनएडी की प्रगति के संबंध में आंकड़े निम्नवत हैं: 1008 शिक्षा संस्थान ऑनबोर्ड हैं, 505405 छात्र पंजीकृत हैं, 31308926 अवार्ड दर्ज किए गए हैं और 182 सत्यापनकर्ता हैं।
- सेवारत शिक्षकों के ऑनलाइन पेशेवर विकास की एक विशिष्ट पहल, एमओओसी प्लेटफॉर्म स्वयं-शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम (एआरपीआईटी) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को आरंभ किया गया था।

10. कौशल विकास पहल

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2013-14 के दौरान प्रायोगिक आधार पर **सामुदायिक महाविद्यालय** योजना आरंभ की, ताकि कम लागत एवं उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके जिसमें पारंपरिक कौशल विकास और पारंपरिक पाठ्यक्रम का समावेश हो जिससे कि सीखने वाले को प्रत्यक्षतः नियोजन क्षेत्र अथवा उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में जाने के अवसर प्राप्त हो सके। योजना के तहत 172 सामुदायिक महाविद्यालय अनुमोदित किए गए थे जिसमें से वर्ष 2018-19 के दौरान 27.74 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 143.19 करोड़ रुपये के कुल अनुदान की राशि जारी की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयी/ महाविद्यालयी शिक्षा के भाग के रूप में कौशल विकास आधारित उच्चतर शिक्षा योजना आरंभ की है जिसमें एनएसक्यूएफ के तहत डिप्लोमा/उच्चतर डिप्लोमा जैसे बहु प्रवेश तथा निकास विकल्पों वाली 'बैचलर ऑफ वोकेशन' (बीओवोक) उपाधि प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत 446 विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अनुमोदित किए जा चुके हैं और जिनमें से वर्ष 2018-19 के दौरान 330 संस्थानों को अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान 103.08 करोड़ रुपये के अनुदान जारी किए गए थे। दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 240.14 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया है।
- डीडीयू कौशल केन्द्र का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर आयोग की आवश्यकताओं हेतु कुशल जनशक्ति को तैयार करना है। 92 संस्थानों (16 स्व-वित्तपोषित) को अनुमोदित किया गया है, जिसमें से वर्ष 2018-19 के दौरान 28 संस्थानों को अनुमोदित किया

गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान 11.78 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई। दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 122.56 करोड़ रुपये के कुल अनुदान की राशि जारी की गई थी।

11. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 को दिनांक 23 जून, 2017 को राजपत्र में अधिसूचित किया था तत्पश्चात् 11 अक्टूबर, 2017 को प्रथम संशोधन और दिनांक 06 फरवरी, 2018 को द्वितीय संशोधन को अधिसूचित किया गया था और 06 सितम्बर, 2018 को तृतीय संशोधन को अधिसूचित किया गया था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) के द्वितीय और तृतीय संशोधन विनियम, 2018 के तहत प्रस्तावों को संसाधित करने के उपरांत, 82 उच्चतर शिक्षा संस्थान (जुलाई, 2018 तथा उसके उपरांत आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र के लिए 75 उच्चतर शिक्षा संस्थान और जनवरी, 2019 तथा उसके पश्चात् आरंभ होने वाले सत्र के लिए 7 उच्चतर शिक्षा संस्थान) को शिक्षा वर्ष 2018-19 तथा उसके पश्चात् से ओडीएल पद्धति से 1328 कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडिड स्वायत्ता के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 की श्रेणी-I के तहत 20 उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति से कार्यक्रमों की पेशकश करने का हकदार है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 04 जुलाई, 2018 को ऑनलाइन (पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया था और ऑनलाइन पद्धति से पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। दिनांक 31 मार्च, 2019 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 22 उच्चतर शिक्षा संस्थानों से आवेदन प्राप्त हुए थे।

► प्रस्तावना

- ❖ 1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन
- ❖ 1.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ/अनुभाग
- ❖ 1.3 प्रकाशन
- ❖ 1.4 बजट और वित्त
- ❖ 1.5 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा सम विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)
- ❖ 1.6 कुलपतियों और निदेशकों का राष्ट्रीय सम्मेलन
- ❖ 1.7 आयोग द्वारा विचार किए गए तथा अनुमोदित मुख्य निर्णय
- ❖ 1.8 विशेष क्रियाकलाप/पहल

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनांक 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आया तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा में समन्वय करने तथा मानकों के निर्धारण तथा अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय बन गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 उपबंध करती है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से ऐसे सभी कदम उठाएगा जो विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन और समन्वय तथा शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए उचित समझेगा।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 18 के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सटीक एवं संपूर्ण ब्योरा देते हुए प्रत्येक वर्ष एक बार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसकी प्रतियों को केन्द्र सरकार को भेजेगा तथा सरकार उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखेगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र, राज्य सरकारों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच एक अहम कड़ी का काम करता है। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने की भूमिका के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को भी परामर्श देता है। यह शिक्षकों के लिए शिक्षण के न्यूनतम मानदण्ड तथा योग्यता हेतु विनियम भी तैयार करता है।
- उच्चतर शिक्षा के बहु-आयामी उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उच्चतर शिक्षा के स्तर को बनाये रखने तथा उसके समन्वय के मुख्य कार्यों के निर्वहन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विविध कार्यक्रम तैयार किए हैं तथा कार्यान्वित किए हैं।

1.1 संगठनात्मक ढांचा: आयोग में एक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद के चयन के लिए व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए दस सदस्यों में से दो सदस्यों का चयन, केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से किया जाता है। कम से कम चार सदस्यों का चयन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से किया जाता है। शेष सदस्यों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किया जाता है:

- 1). जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान अथवा अनुभव हो;
- 2). जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे से संबंध हों, अथवा
- 3). जो विश्वविद्यालय के कुलपति हो, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केन्द्र सरकार के मत में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो।

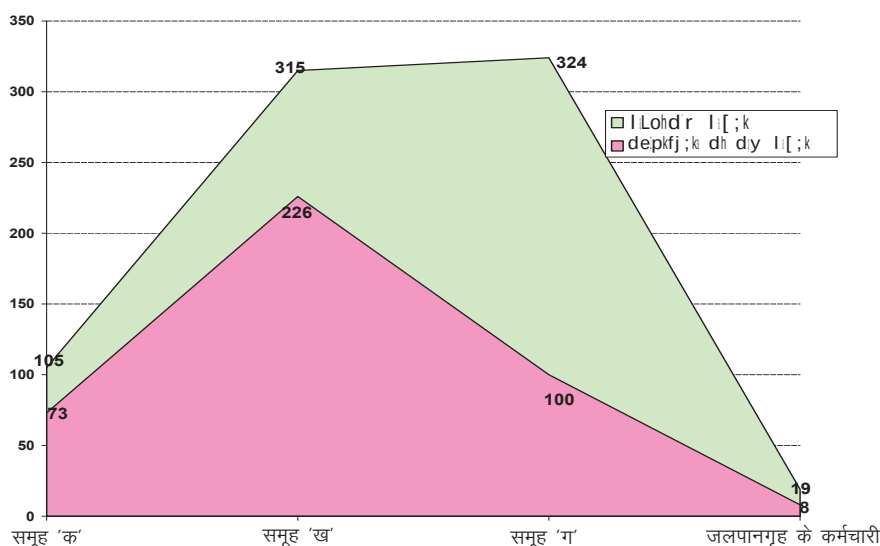
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकारी शीर्ष सचिव महोदय हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित कर्मचारिवृंद के साथ उन्होंने आयोग के सचिवालय की अध्यक्षता की:-

leg	l:loh-r l[:k	dy depkfj; ; dh l[:k	dy depkfj; ; dh l[:k e		
			efgyk %çfr'kr%	vulfpr tkfr %çfr'kr%	vulfpr tutkfr %çfr'kr%
leg *d*	105	73 (69.52 प्रतिशत)	36 (49.32 प्रतिशत)	13 (17.81 प्रतिशत)	03 (4.11 प्रतिशत)
leg *[k*	315	226 (71.75 प्रतिशत)	76 (33.63 प्रतिशत)	47 (20.80%)	10 (4.42 प्रतिशत)
leg *x	324	100 (30.86 प्रतिशत)	15 (15.00 प्रतिशत)	31 (31.00 प्रतिशत)	05 (5.00 प्रतिशत)
tyikuxg di depkfjon dy	19	08 (42.11 प्रतिशत)	शून्य	03 (37.50 प्रतिशत)	शून्य
	763	407 (53.34 प्रतिशत)	127 (31.20 प्रतिशत)	94 (23.10 प्रतिशत)	18 (4.42 प्रतिशत)

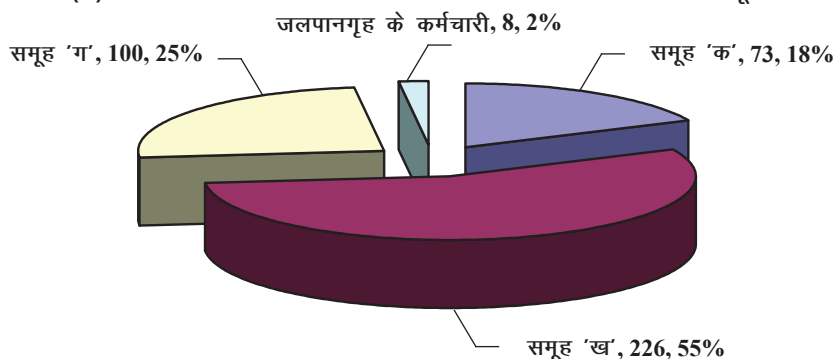
{k=h; dk;ky; } विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलूरू तथा दिल्ली में सात क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से प्रचालनरत है। क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके तहत शामिल राज्य के महाविद्यालयों की सूची निम्नवत है:

Øe l[:k	{k=h; dk;ky; }	doj fd, x, jkT;@ lÄ jkT; {k=
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ), हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी और तेलंगाना
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ), पुणे	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीव
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ), भोपाल	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ), गुवाहाटी	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और सिक्किम
5.	पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ), कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडीशा, सिक्किम, झारखण्ड
6.	दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ), बंगलूरू	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो (एनआरसीओ), दिल्ली	जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश

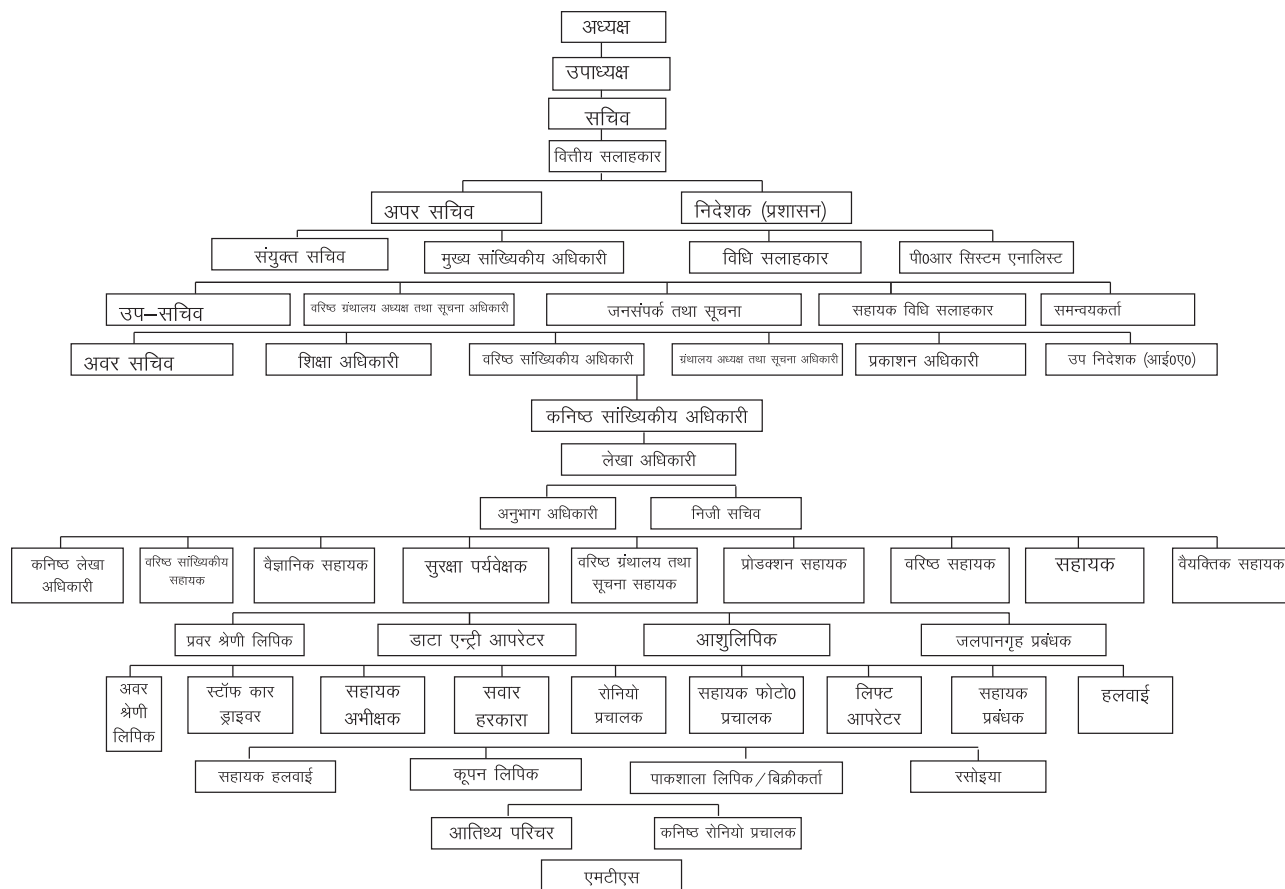
रेखाचित्र 1.1(क): वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग के सचिवालय के कर्मचारियों की संस्वीकृत तथा मौजूदा संख्या



रेखाचित्र 1.1(क): वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग के कर्मचारियों की स्तरवार मौजूदा संख्या



1.1(ख) संगठनात्मक चित्र



1.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ/अनुभाग

1.2(क) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनकर्ताओं को जानकारी प्रदान करता है। केन्द्रीय सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के तहत एक प्रकोष्ठ अर्थात् सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ, सूचना का अधिकार अधिनियम (आर0आईए0 के तहत आवेदनों/अपीलों को प्राप्त करता है तथा अपेक्षित संख्या में उनकी प्रतियां तैयार कर उन्हें केन्द्रीय सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के माध्यम

से उन्हें विभिन्न सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों को भेजता है, जिनके पास संगत जानकारी होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यालय, शाखा कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर 22 अपीलीय प्राधिकारी तथा 45 सीपीआईओ हैं। आवेदक से प्राप्त सूचना के अधिकार के तहत आवेदन/ अपील तथा केन्द्रीय सूचना आयोग से प्राप्त नोटिस/ निर्णयों को केन्द्रीयकृत रूप से केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के नाम पर मुख्य कार्यालय में प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को अग्रेषित किया जाता है जिसके पास संगत जानकारी होती है। आवेदक द्वारा भेजे गए आरटीआई आवेदन तथा केन्द्रीय सूचना आयोग आदि से प्राप्त नोटिस/निर्णयों को मुख्य कार्यालय में सीपीआईओ के नाम पर प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित सीपीआईओ को भेजा जाता है जिनके पास संगत जानकारी होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सभी ब्यूरो प्रमुख को आरटीआई के तहत अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उनके तहत ब्यूरो में तैनात उप सचिव/अवर सचिव/शिक्षा अधिकारियों को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों/शुल्क आदि की त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट को आरआईए प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किया जाता है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट तथा सीआईसी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों पर संबंधित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है। आवेदकों से संग्रहित आरटीआई शुल्क का भी लेखा-जोखा आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा रखा जाता है। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर डाली गई है।

वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 17,199 आवेदन प्राप्त हुए तथा 11,110 आवेदनों का निपटान किया गया तथा 2512 अपीलें प्राप्त हुई जिनमें से 1163 अपीलों का निपटान किया गया। आरआईए प्रकोष्ठ द्वारा आरटीआई शुल्क संग्रहण 44,190/- रुपये रहा तथा सूचना के अधिकार के नियम के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त शुल्क 47,424/- रुपये रहा।

1.2(ख) वेतनमान अनुभाग

वेतनमान अनुभाग की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी तथा इसे केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की गई वेतन समीक्षा समितियों के कार्य का समन्वय करने साथ ही साथ शिक्षकों महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अन्य समकक्ष संवर्गों अर्थात् पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षा के निदेशकों के वेतनमान तथा सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है। यह अनुभाग शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर के संगठन तथा अन्य समकक्ष संवर्गों के साथ भी बातचीत करता है। रिपोर्टाधीन अवधि, वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए तथा उनके बारे में विश्वविद्यालयों को जानकारी दी गई:-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा हितधारकों से विभिन्न मामलों पर अनेक प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिसके लिए वेतनमान अनुभाग द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2010 के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं, जो निम्नवत हैं:

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 तैयार किए हैं और उन्हें दिनांक 18 जुलाई, 2018 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया है जिसके पश्चात् सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 को अंगीकार करने के लिए दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 के पत्र संख्या एफ.1-2/2017 (ईसी/ पीएस) के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
2. करियर प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ शिक्षकों/ सहायक कुल सचिव/ सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष/ उप पुस्तकाध्यक्ष/ शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक/ शारीरिक शिक्षा के महाविद्यालय निदेशक के संबंध में अभिविन्यास/ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भागीदारी करने हेतु तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 के पत्रांक संख्या एफ.संख्या 2-16/2002(पीएस)पीटी.एफ.एल. II के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
3. शिक्षण में सेवारत शिक्षकों के ऑनलाइन पेशेवर विकास करने के लिए एमओओसी प्लेटफार्म 'स्वयं' का उपयोग करते हुए- वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम (एआरपीआईटी) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को आरंभ किया गया था इस विशिष्ट पहल के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र को उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

4. जिन अभ्यर्थियों ने दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पी.एच.डी. के लिए नामांकन/ पंजीकरण/ पी.एच.डी. पूर्ण कर ली थी उनके लिए सीएसएस के तहत प्रोन्नति के लिए अपेक्षित वर्षों की गैर-प्रशम्य अग्रिम वेतनवृद्धियों की ग्राह्यता को स्पष्ट करते हुए दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 के पत्र संख्या एफ. संख्या 28-9/2018(पीएस/प्रकीर्ण) के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एम.फिल./पी.एच.डी. के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016 में प्रथम तथा द्वितीय संशोधन जारी किए हैं जिन्हें क्रमशः दिनांक 27 अगस्त, 2018 तथा 18 अक्टूबर, 2018 को अधिसूचित किया गया था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।
6. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में 'गेस्ट फैकल्टी' के मानदेय की दरों में वृद्धि हेतु संशोधित दिशानिर्देशकों को दिनांक 28 जनवरी, 2019 के एफ. संख्या 25-1/2018 (पीएस/ प्रकीर्ण) के माध्यम से जारी किया गया था और इस संबंध में परिपत्र को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था।
7. अंतर्विषयक विषयों (संक्षिप्त ब्योरा) के संबंध में दिनांक 04 जुलाई, 2018 के पत्र संख्या एफ. संख्या 27-9(ओडिशा) 2010(एल)/ पीएस के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी।
8. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 में यथा उपबंधित प्रावधानों में विसंगतियों का पता लगाने के लिए प्रो० आर० पी० तिवारी के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने विनियम, 2018 में प्रस्तावित संशोधनों के साथ-साथ अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट को आयोगी की आगामी बैठक में अनुमोदित किया जाएगा।
9. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एम.फिल./पी.एच.डी. विनियम, 2016 पर पुनर्विचार करने के लिए प्रो० बलराम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
10. अभ्यागत संकाय के लिए अभ्यागत संकाय हेतु मानदेय में संशोधन। सार्वजनिक सूचना जारी की गई और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1.2 (ग) सतर्कता प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भ्रष्टाचार की प्रभावी ढंग से रोकथाम करने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया है ताकि कार्यालय के कार्यों पर नजर रखी जा सके जिससे कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त न हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने तथा भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने के लिए उत्तरदायी हैं और जहां कहीं भी आवश्यक होता है उनके द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती है। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी को आगे निम्नवत सुनिश्चित करना होता है:

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 29 अक्टूबर से 03 नवम्बर, 2018 तक की अवधि के दौरान व्याख्यान देकर, शपथ दिलावाकर, इशतेहार तथा पोस्टर प्रदर्शित कर तथा पर्चे बांटकर तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर **। r d r k t k x : d r k l l r k g** मनाया गया।

सतर्कता प्रकोष्ठ ने सभी विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का परामर्श दिया। सतर्कता प्रकोष्ठ को इस संबंध में विश्वविद्यालयों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

वर्ष 2018-19 के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ को **d U n h ; l r d i r k v k ; k x l l 03] e k u o l l k / k u f o d k l e = k y ; l l 12] d U n h ; v U o " k . k C ; j k l l 19** और **d U n h ; l r d i r k v k ; k x } k j k e k u o l l k / k u f o d k l e = k y ; d k 35 f ' k d k ; r i H k t h x b]** विभिन्न विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों और अन्य एजेंसियों से 125 शिकायतें प्राप्त हुईं। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित ब्यूरो के पास भेज दिया गया है। अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधियों के दुरुपयोग के संबंध में जांच करने के लिए कतिपय मामलों में जांच समितियों का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ, शिकायतों पर जांच के निष्कर्षों पर कार्यवाही करने के लिए संबंधित प्रशासनिक ब्यूरो को परामर्श देता है। शिकायतों के संबंध में वास्तविक रिपोर्टों को सीवीसी/मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी भेजा गया था।

इसके अलावा, सतर्कता प्रकोष्ठ में 14 आरटीआई आवेदन भी प्राप्त हुए थे और इनका समय से उत्तर भेजा गया था।

1.2 (घ) विधिक प्रकोष्ठ

विधिक प्रकोष्ठ, देशभर में उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च/अधीनस्थ न्यायालयों, मंचों तथा आयोग आदि के समक्ष दायर किए गए विधिक प्रकरणों पर कार्यवाही करता है।

विधिक प्रकोष्ठ, न्यायालय में दायर किए गए प्रकरणों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, देशभर में अन्य न्यायिक निकायों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अलग-अलग कार्यालयों में कार्यरत 'स्टैंडिंग काउंसिल' / 'पेनल के अधिवक्ताओं' के बीच का समन्वय करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी ब्यूरो को विभिन्न मामलों में विधिक मत भी देता है।

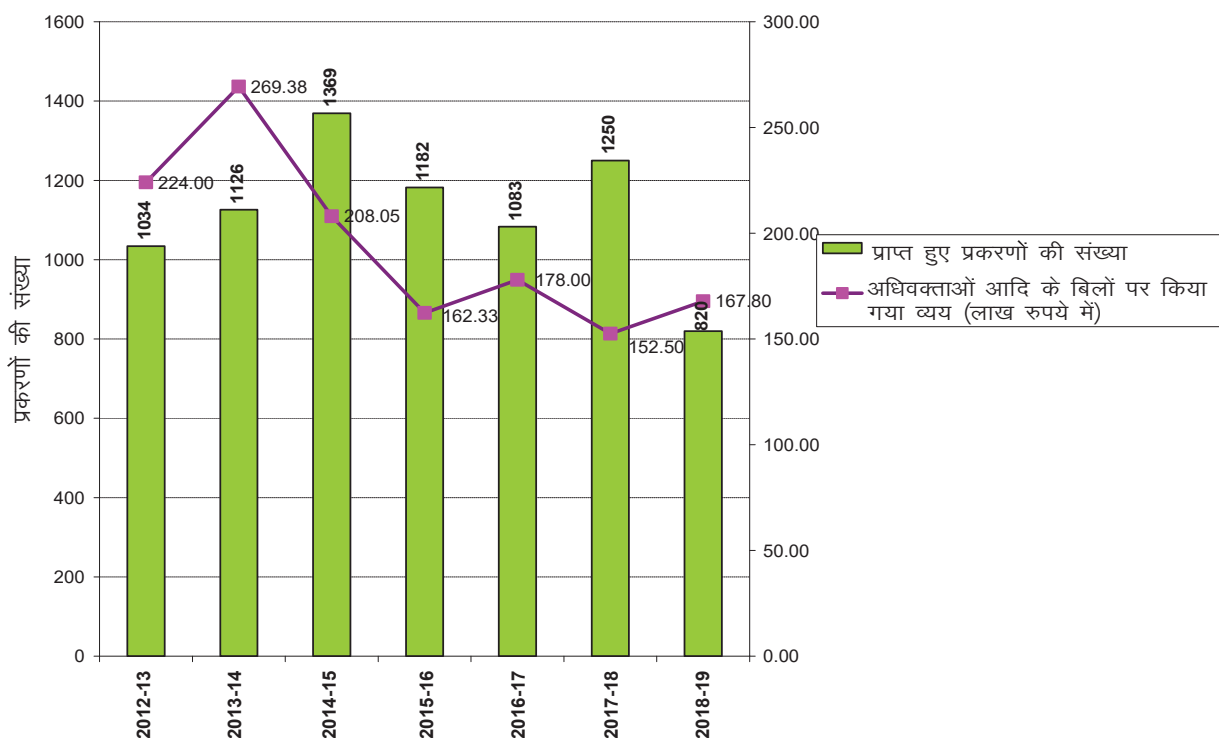
वर्तमान में, चल रहे अधिकांश प्रकरण मुख्यतः वेतनमान, अर्हता, अधिवर्षिता की आयु, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों की नियुक्तियों/ चयन, पेशेवर/ नेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा तथा विभिन्न संस्थानों/ फर्जी संस्थानों की स्थापना आदि से संबंधित होते हैं। कुछ प्रकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारिवृंदों से संबद्ध प्रशासनिक मामलों के संबंध में होते हैं।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भारत के उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं का एक पेनल तैयार किया गया है।

तालिका 1.2(घ): अधिवक्ताओं के बिलों पर वर्षवार किया गया व्यय (वर्ष 2012-13 से 2018-19) (लाख रुपये में)

वर्ष	अधिवक्ताओं के बिलों पर किया गया व्यय (लाख रुपये में)	प्राप्त हुए प्रकरणों की संख्या
2012-2013	224.00	1034
2013-2014	269.38	1126
2014-2015	208.05	1369
2015-2016	162.33	1182
2016-2017	178.00	1083
2017-2018	152.50	1250
2018-2019	167.80	820

रेखाचित्र 1.2 (घ): वर्षवार (वर्ष 2012-13 से 2018-19 के दौरान) प्राप्त प्रकरणों की संख्या तथा अधिवक्ताओं आदि के बिलों पर किया गया व्यय

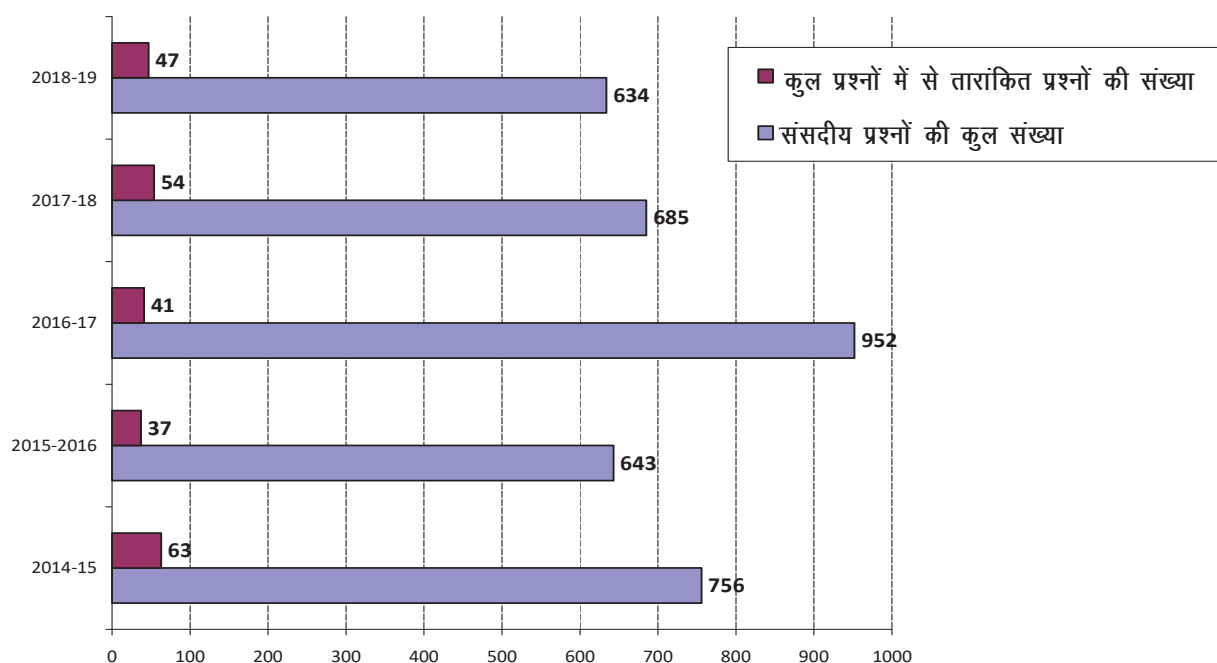


1.2(ड) संसदीय मामलों से संबंधित डेस्क :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संसदीय मामलों से संबंधित डेस्क उच्चतर शिक्षा के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषरूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त हुए संसदीय प्रश्नों के उत्तर तैयार करने और उनका समन्वय करने का कार्य करता है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान लोक सभा/ राज्य सभा के बजट, मानसून और शरदकालीन सत्र के दौरान प्राप्त हुए तथा उत्तरित प्रश्नों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	संसदीय प्रश्नों की कुल संख्या	कुल प्रश्नों में से तारांकित प्रश्नों की संख्या
2014-15	756	63
2015-16	643	37
2016-17	952	41
2017-18	685	54
2018-19	634	47

रेखाचित्र 1.2(ड): वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान प्राप्त हुए और उत्तर दिए गए संसदीय प्रश्नों की वर्षवार संख्या



वर्ष 2018-19 (01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019)

सत्र की तिथि	प्राप्त हुए लोक सभा संसदीय प्रश्न		प्राप्त हुए राज्य सभा संसदीय प्रश्न		कुल		कुल योग
	ग्राह्य/ अतारांकित	तारांकित	ग्राह्य/ अतारांकित	तारांकित	ग्राह्य/ अतारांकित	तारांकित प्रश्न	
01 अप्रैल, 2018 से 06 अप्रैल, 2018	40	4	24	0	64	4	68
18 जुलाई, 2018 से 10 अगस्त, 2018	97	9	83	11	180	20	200
11 दिसम्बर, 2018 से 08 जनवरी, 2019	153	7	103	6	256	13	269
31 जनवरी, 2019 से 13 फरवरी, 2019	60	7	27	3	87	10	97
द्वि	350	27	237	20	587	47	634

आश्वासनों की संख्या=10

1.2 (च) कदाचार रोधी प्रकोष्ठ (एएमपीसी)

एएमपीसी का मूल उद्देश्य जनता/विद्यार्थी/अभिभावक आदि से गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों के संबंध में शिकायतों की जांच करना और साथ ही इसका प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से जानकारी एकत्रित करना है और ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई करना है। उच्चतर शिक्षा के विस्तार के फलस्वरूप अनेक प्रकार के कदाचार चल रहे हैं जिनका तुरंत समाधान किए जाने की आवश्यकता है ताकि समाज के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उच्चतर शिक्षा की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित किया जा सके।

वर्तमान में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित जाली विश्वविद्यालयों की सूची में 23 जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों के नाम हैं और यह सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर भी उपलब्ध है। उपयुक्त 23 विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, दो अतिरिक्त संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है।

क. भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

ख. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लॉनिंग एंड मैनेजमेंट (आईआईपीएम), 133/4, कुतुब एन्क्लेव, फेज- ५, नई दिल्ली -110016
वर्ष 2018-19 के दौरान की गई कार्यवाही की निम्नवत मुख्य विशेषताएं हैं:

1. एक फर्जी विश्वविद्यालय नामतः आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (स्परिचुअल यूनिवर्सिटी), 351-352, फेज-1, ब्लॉक-ए, विजय विहार, रिठाला, रोहिणी, दिल्ली -110085 को दिनांक 05 अप्रैल, 2018 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित जाली विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित किया गया।
2. 'मैथिली यूनिवर्सिटी/ विश्वविद्यालय, दरभंगा के संबंध में संबंधित राज्य से यह जानकारी प्राप्त होने पर उसे फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची से विलोपित कर दिया गया था कि यह फर्जी विश्वविद्यालय अब मौजूद नहीं है।
3. **निम्नवत गैर-अनुमोदित संस्थानों को चेतावनी नोटिस जारी किए गए थे:**
 - i) एक चेतावनी नोटिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल- सेल्फ गवर्नमेंट, सी.डी बर्फावाला लेन, जूहू गली, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई- 400058 को जारी किया गया था।
 - ii) दिनांक 06 नवम्बर, 2018 को रूरल नैचुरोपैथी आर्गनाइजेशन, एन-11, सी-11, 17-5, दीप नगर, हुडको, औरंगाबाद- 431003 को एक चेतावनी नोटिस जारी किया गया था।
 - iii) इंडियन बोर्ड ऑफ हैल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च (आईबीएचईआर) को प्लॉट नंबर 20, साईप्रभा बंगलो, द्वितीय तल पद्ममार्ग सोसाइटी, ट्रेजर पार्क के निकट, पुणे-सतारा रोड, पुणे -411009 को एक चेतावनी नोटिस जारी किया गया था।
 - iv) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिंस एंड नेचुरल हीलिंग, 123, आराम नगर पार्क, फिशरीज यूनिवर्सिटी रोड, अंधेरी वेस्ट मुंबई -400061 को दिनांक 06 नवम्बर, 2018 को चिकित्सा विज्ञान विधा में तुरंत डिग्री पाठ्यक्रम को बंद करने के लिए एक चेतावनी नोटिस जारी किया गया।
 - v) क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, फ्लैट नंबर 301, ग्रेस विला अपार्टमेंट, 7/5 श्रीनगर, गुंटूर -2, (अंधरा प्रदेश) को 28 नवम्बर, 2018 को एक चेतावनी नोटिस जारी किया।
4. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल- सेल्फ गवर्नमेंट, सी.डी बर्फावाला लेन, जूहू गली, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई- 400058 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

जन साधारण/ छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट तथा हिंदी और अंग्रेजी में प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी करके संस्थानों के गैर मान्यताप्राप्त दर्जे के बारे में अवगत कराया जाता है तथा उन्हें ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त नहीं करने के लिए चेतावनी दी जाती है।

1.2 (छ) विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पदों और सेवाओं में आरक्षण संबंधी आदेशों के प्रवर्तन हेतु एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया है। प्रकोष्ठ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संयुक्त सचिव संपर्क अधिकारी और उप सचिव महोदय सहायक संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं।

1.2 (ज) कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी प्रकोष्ठ

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की “कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न” संबंधी आंतरिक समिति है जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संयुक्त सचिव डॉ. (श्रीमती) मंजु सिंह करती हैं।

समिति का व्यापक प्रचार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्यालय के मुख्य स्वागत कक्ष तथा क्षेत्रीय कार्यालय में नोटिस लगाए गए हैं। जनसाधारण की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर समिति की संरचना सहित संगत टेलीफोन नम्बर अपलोड किए गए हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एक मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक शिकायत समिति के ध्यान में लाया गया था।

1.2 (झ) रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ

विभिन्न रैगिंग रोधी उपाय करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। सिविल अपील संख्या 887/2009 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 08 मई, 2009 के निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने “उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 तैयार किए हैं, और उन्हें सर्वप्रथम दिनांक 04 जुलाई, 2009 को अधिसूचित किया गया तत्पश्चात् इन्हें दिनांक 08.10.2012, 29.03.2014 और 29.06.2016 संशोधित किया गया जोकि वर्तमान में प्रभावी हैं। यह विनियम सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए अनिवार्य स्वरूप के हैं।

12 भाषाओं में एक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800-180-5522 आरंभ की गई है, जिस पर रैगिंग संबंधी घटनाओं के कारण समस्या में फंसे छात्र कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन को 12 भाषाओं यथा अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं (तमिलनाडु, तेलगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, उड़िया, असमिया, गुजराती और बंगाली) में कॉल सेंटर सुविधा के साथ स्थापित की गई है ताकि रैगिंग के पीड़ितों की मदद करने के अलावा ऐसी घटनाओं के संबंध में प्रभावी कार्रवाई उपलब्ध कराई जा सके। हेल्पलाइन में सीधे शिकायतकर्ता/ रैगिंग के पीड़ितों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतों को हेल्पलाइन द्वारा संबंधित संस्थानों और स्थानीय प्रशासन (एसएचओ और एसपी) को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अग्रेषित किया जाता है। रैगिंग के संबंध में शिकायतों की प्राप्ति पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबंधित संस्थानों से कृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगता है। यदि प्रतिक्रिया विलम्ब से प्राप्त होती है तो बार-बार अनुस्मारक दिए जाते हैं और जब किसी भी कार्रवाई नहीं किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो दंडात्मक कार्रवाई आरंभ की जाती है।

आयोग ने सभी संस्थानों के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि वे अपनी विवरणिका में रैगिंग की रोकथाम और रैगिंग के परिणामों के बारे में सरकार के निदेशों को अपनी विवरणिका में सम्मिलित करें।

वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान

क्र.सं.	कृत कार्रवाई रिपोर्ट	दंडात्मक कार्रवाई	अनुस्मारक
1-	1031	1009	22

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्ष 2018-19 के दौरान विअआ से संबंधित रैगिंग की 1031 कथित शिकायतें प्राप्त हुईं। कुल 1009 मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बंद कर दिया गया तथा वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान 22 मामले लंबित हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संबंधित संस्थानों के ध्यान में 1031 शिकायतें लाया है तथा अनुस्मारकों के माध्यम से मामलों को उनके साथ कड़ाई से उठाया है ताकि इस संबंध में त्वरित कार्रवाई की जा सके।

22 मामलों में कृत कार्रवाई रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और यदि कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है तो रैगिंग की समस्या पर लगाम लगाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 के अनुसार संगत दंडात्मक कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग रोधी उपायों की निगरानी के मुद्दे पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, प्रो० डी० पी० सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 25 जून, 2018 को 9वीं अंतर्परिषद् समिति की बैठक आयोजित हुई। समिति की सिफारिशें/ निर्णय निम्नवत हैं:

- lcf/kr ifj"nk }kjk fiNYk o"ki e jfxx jk/kh mik;k gr ehfm;k vfhk;ku d lcf/k e fLFkr fjikV@dr dkjokbA संयुक्त सचिव (एआरसी) ने एनएफडीसी द्वारा तैयार की गई टीवीसी को प्रस्तुत किया। इन स्पॉट को देखने के पश्चात् समिति का मत था कि इन्हें जल्द ही मीडिया समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और जुलाई/ अगस्त में प्रवेश के अगले सत्र से पूर्व प्रसारित करना चाहिए। इस बात पर सहमति हुई की पोस्टरों की सॉफ्टकापी को विभिन्न परिषदों द्वारा उनके स्वयं की प्रस्तुति और वेबसाइटों में उपयोग हेतु प्रदान किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी की जिन छात्रों ने रैगिंग रोधी अभियान हेतु पोस्टर और लघु फिल्में तैयार की हैं उन्हें पुरस्कृत करने के लिए जल्द ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाए।
- ifj"nk }kjk dr dkjokb fjikV iklr gbA विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परिषदों द्वारा रैगिंग के विरुद्ध विभिन्न परिषदों द्वारा किए गए कार्य की समग्र रूप से एक रूपरेखा तैयार करने के लिए संबंधित परिषदों द्वारा केवल शिकायतों के मामले पर की गई कार्रवाई की बजाय किए गए रैगिंग रोधी उपायों की एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाए। इस बात पर भी सहमति तैयार हुई की निगरानी एजेन्सी विभिन्न परिषदों के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों के साथ एडमिन पासवर्ड साझा करेगी ताकि वे अपने महाविद्यालयों के संबंध में मामलों को देख सकें और यह जान सकें कि संपर्क केन्द्र और निगरानी एजेन्सी द्वारा मामलों पर किस प्रकार कार्रवाई की जा रही है।
- o"ki 2016&17 di fy, ,tUl h lo{k.k vkj mPprj f'k{kk di lcf/k e vf[ky Hkkjrh; lo{k.k ¼, vkbi, l ,pb) }kjk mud iVky ij lLrr fd, x, lLFkkuk dh l[;k e fHkUurk di lcf/k e ijLij&lcf/kk di fo'y"i.k.k ij ,d iLrfr fuxjkuh , tUl h }kjk Hkh 'kh"i jkT;k di fy, ,d virj fo'y"i.k.k fd;k tk,xkA उपयुक्त की प्रतिक्रिया में दो डॉटा सेट नामतः एक निगरानी एजेन्सी द्वारा तैयार किया गया तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एआईएसएचई के डॉटा सेट के परस्पर-संबंधों पर कार्यवाही की, इस प्रकार एजेन्सी एआईएसएचई की तकनीकी दल के साथ समन्वय कर सकती है और एक अद्यतन डॉटा सेट तैयार कर सकती है जो सत्यापित और सटीक हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस विषय के संबंध में एक पत्र जारी करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संपर्क करने के लिए सहमत हुआ है।
- tkx: drk vfhk;ku e fo|ky;k dk lfefyr dju dh vko'; drk di lcf/k e eukoKkfud igy ij fuxjkuh , tUl h dh fjikVA रैगिंग रोधी कार्यक्रमों को विद्यालयों में आरंभ करने के लिए, निगरानी एजेन्सी ने एक संक्षिप्त टिप्पण तैयार की है और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत किया है ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इस मुद्दे पर सचिव, उच्चतर और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विभाग के साथ बैठक आयोजित कर सकें। इसने यह भी सुझाव दिया की सचिव, महिला और बाल विकास को भी इस बैठक में भाग लेने के आमंत्रित करना उपयोगी होगा चूंकि इस संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अनेक पहल की हैं और दोनों मंत्रालयों की एक समेकित पहल विद्यालयों से रैगिंग की समस्या के उन्मूलन के लिए अत्यधिक लाभप्रद होगी।

n'k e mPprj f'k{kk lLFkkuk e jfxx jk/kh mik;k dh fuxjkuh di ead ij fopkj dju di fy, fnukd 15 uoEcj] 2018 dk ikO Hk"i.k iVo[ku] ohlh,e] fo'ofok|ky; vunku vk;kx dh v/;{krk e nloh virifj"n lfefr dh cBd vk;kftr dh xba lfefr }kjk dh xbi flQkfj'k@ fu.k; fuEuor g

समिति इस बात पर सहमत थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शिकायतों पर कार्यवाही करने वाले कर्मचारियों, कॉल सेंटर और विआ के कर्मचारियों को नए सिरे से पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम करवाया जाए/ प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाए ताकि बेहतर निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। कतिपय परिषदों ने उचित ढंग से प्रदर्शित करने के लिए पोस्टरों की सॉफ्ट प्रति/ हार्ड प्रति भेजने का भी अनुरोध किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मीडिया अभियान हेतु निधियां जारी करने का भी अनुरोध किया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे संसाधित करने के लिए पूर्व में संस्वीकृत की गई राशि के उपयोग के संबंध में मूल उपयोग प्रमाणपत्र मांगा।

इस चर्चा से व्यापक मुद्दे उभरे, समिति ने उल्लेख किया की यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि रैगिंग कम हो रही है जबकि शिकायतों की संख्या में वृद्धि पाई जा रही है। शिकायतों की संख्या में वृद्धि छात्रों और उनके माता-पिता का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शिकायत निवारण प्रणाली पर भरोसे को दर्शाता है। परिषद् ने कहा कि अब शिकायत प्रबंधन की प्रणाली निर्बाध रूप और अधिकांश शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के अनुरूप कार्य कर रही है। यह राष्ट्रीय रैगिंग उन्मूलन कार्यक्रम के चरण-2 को आरंभ करने का सही समय है जिसमें अब रैगिंग को पूर्णतः समाप्त करने के लिए विनियम के अनुपालन पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

यह दो रिपोर्टें, नामतः मोहन राव रिपोर्ट और विनीत जोशी रिपोर्ट को स्वतंत्र रूप से तैयार किया गया है। प्रथम रिपोर्ट को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर तैयार किया गया है और दूसरी रिपोर्ट को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के आदेश पर तैयार किया गया है। दोनों रिपोर्टों में यह सिफारिश की गई है कि विद्यालयों में रैगिंग की समस्या पर लगाम लगाने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। समिति सर्वसम्मति से सहमत थी कि दोनों रिपोर्टों की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्परिषद् समिति की विशेष बैठक आयोजित की जानी चाहिए ताकि मौजूदा रैगिंग रोधी विनियमों को विद्यालयों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों पर लागू होने करने के लिए आशोधनों अथवा सिफारिशों पर राष्ट्रीय सहमति तैयार की जा सके। यह निर्णय लिया गया कि अगली अंतर्परिषद् समिति की बैठक, जिसे विशेषरूप से विद्यालयों में डराने-धमकाने के मुद्दे पर बुलाया जाएगा उसमें सभी शिक्षा विभागों, विद्यालयी शिक्षा के राज्य बोर्डों, विद्यालयी शिक्षा के केन्द्रीय बोर्डों जैसे सीबीएसई, केन्द्रीय विद्यालय आदि, महिला और बाल विकास मंत्रालय, चार्टर्ड लाइन फाउंडेशन (1098), राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (एनसीपीसीआर), पुलिस विभाग के साइबर अपराध विशेषज्ञ, कौशल विकास परिषद् के प्रतिनिधियों को विशेष अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रो0 राज काचरू, संस्थापक न्यासी (अमन सत्य काचरू न्यास) को दिनांक 31 जून, 2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए निगरानी एजेन्सी (एनजीओ) के रूप में समय विस्तार दिया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और सभी विनियामक निकायों को विभिन्न माध्यमों में पर्याप्त प्रचार के द्वारा रैगिंग रोधी तंत्र का सुदृढ़ करने, रैगिंग रोधी समितियों का गठन करने और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर लगाम लगाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 का अनुपालन करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को वर्ष में दो बार अर्थात् 06 जून, 2018 तथा 27 दिसम्बर, 2018 को परिपत्र जारी किया और विज्ञापन बोर्ड प्रदर्शित करने तथा विज्ञापन पुस्तिकाएं बांटने का अनुरोध किया। उपर्युक्त सभी परिपत्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर प्रदर्शित किया गया है।

आवंटित अनुदान	लाभार्थी	भुगतान की गई राशि
वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों की संख्या जिन्हें अनुदान जारी किया गया है।	i. अमन सत्य काचरू न्यास, रैगिंग के उन्मूलन के लिए अमन आंदोलन, 689, सेक्टर- 23, गुरुगांव (हरियाणा)	50,92,440/-
	ii. मैसर्स सायरेक्स इंफोसर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जे-1, उद्योग नगर, डीडी मोटर्स के निकट, रोहतक रोड, पीरागढी, नई दिल्ली	1,21,14,656/-
	iii. रैगिंग रोधी उपायों के संबंध में मीडिया अभियान के तहत निम्नवत क्रियाकलाप आरंभ किए गए थे। निम्नवत एजेन्सियों के लिए राशि अनुमोदित की गई थी:	31,20,221/-
	➤ एनएफडीसी के माध्यम से मीडिया अभियान	8,81,400/-
	➤ प्रसार भारती के माध्यम से मीडिया अभियान	34,929/-
	➤ डीएवीपी के माध्यम से मीडिया अभियान	22,03,892/-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परिसर में रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया। अपने स्वयं के भवन में कॉल सेंटर स्थापित करके हम नियमित आधार पर हेल्पलाइन के कार्यकरण की निगरानी/ पर्यवेक्षण कर सकते हैं। इस कॉल सेंटर का अन्य मुद्दों यथा छात्र शिकायत निवारण, महिला छात्र हेल्पलाइन, प्रजातीय भेदभाव तथा जाति आधारित भेदभाव के मामले पर कार्यवाही करने के लिए विस्तार किया जा सकता है। इससे आवर्ती आधार पर लाखों रुपयों की बचत हो सकती है चूंकि हमें हेल्पलाइन एजेन्सी को कुल मासिक मजदूरी के बिल पर 49.50 प्रतिशत की दर से कमीशन का भुगतान करना पड़ता है।

1.2 (ज) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ

महानिदेशक लेखापरीक्षा और राजस्व की संस्तुति पर मई, 1995 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आंतरिक वित्त के उचित रखरखाव तथा पारदर्शिता करने के उद्देश्य से आन्तरिक लेखा प्रकोष्ठ गठित किया गया। तब से, यह कार्यालय उपनिदेशक की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है जिनकी सहायता के लिए भारत सरकार के कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेखापरीक्षा/ कनिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयी प्रणाली के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अंतर्विश्वविद्यालयी केन्द्रों की लेखापरीक्षा भी करता है। इसके अलावा, आंतरिक लेखा प्रकोष्ठ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न वित्तीय मामलों पर भी परामर्श देता है। इस प्रकोष्ठ को पेंशन भुगतान के मामलों, जीपीएफ/सीपीएफ अंतिम भुगतान के मामलों, वेतन निर्धारण, संविदा दस्तावेजों तथा समय-समय पर सौंपे गए अन्य मामलों तथा लेखों की बाद की लेखापरीक्षा,

अनुदान सहायता रजिस्टर की परीक्षा जांच तथा संस्वीकृतियां, सांविधिक लेखापरीक्षा में उठाई गई आपत्तियों का विभाग से अनुपालना करवाना/निपटान तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पैरा के संबंध में विभिन्न निकायों के साथ समन्वय करना। विश्वविद्यालयों तथा अन्य लाभार्थी संस्थानों को जारी की गई निधियों तथा उनके उपयोग की जांच करना तथा लेखों का निरीक्षण कार्य करने का कार्य भी प्रकोष्ठ को सौंपा गया है।

1.3(ट) लिंग संवेदीकरण प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कैम्पस में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और लिंग संवेदीकरण हेतु कार्यक्रमों को चलाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं ताकि इस संबंध में शून्य सहनशीलता की नीति पर अमल किया जा सके। वर्ष 2013 में न्यायमूर्ति वर्मा समिति विधेयक, 2013, विशाखा दिशानिर्देश तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के लागू होने के उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय परिसरों को किसी भी प्रकार के लिंग संबंधी भेदभाव तथा उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए अध्ययन करने तथा सिफारिशें करने के लिए एक विशेष कृतबल का गठन किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों तथा छात्रों के यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिशोध तथा निवारण) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों से उनके संबंधित संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित करने और लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे पर कार्यवाही करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन करने तथा लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया है।

वर्ष 2018 के दौरान यौन उत्पीड़न के मामलों के संबंध में वार्षिक विवरणिका पर समेकित स्थिति रिपोर्ट* निम्नवत है

mUkj nu oky egkfo ky; @fo'ofok ky;k dh l ;k	ntl fd, x, ;ku mRihMu d ekeyk dh l ;k	o"K d nkjku fuiVkb xb f'kdk;rk dh l ;k	90 l vf/kd fnuk rd yfcr ekeyk dh l ;k	o"K d nkjku ;ku mRihMu d fo:) vk;kftr tkx: drk dk;Øek l c/kh dk;'kkykvk dh l ;k	xfBr dh xb vkrfjd f'kdk;r lfefr;k dh l ;k
विश्वविद्यालय-63	75	73	3	535	31
महाविद्यालय-11	4	4	0	46	8

(*वर्ष 2018 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्राप्त जानकारी)

जेंडर चैम्पियन

युवा किशोरों और किशोरियों को लिंग के संबंध में संवेदनशील बनाने तथा एक सकारात्मक सामाजिक मानदंड तैयार करने के लिए जिससे किशोरियों को विश्वविद्यालय परिसर में सम्मान प्राप्त हो तथा उनके अधिकारों का भी सम्मान किया जाए तथा एक ऐसे जिम्मेदार नेतृत्व का चयन करना जो एक समेकित तथा अंतर्विधायी पद्धति को सुग्राही बनाएं, जो लिंग के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने का बोध रखते हों जिससे समाज में महिला और पुरुष के अनुभव आकार लेते हों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा इसे कार्यान्वित करने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ इसे साझा किया है।

1.3 प्रकाशन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रकाशन ब्यूरो विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-सम्मेलनों पर रिपोर्टें, समितियों की रिपोर्ट, विवरण पुस्तिकाओं और सूचना पत्रकों का प्रकाशन करता है। प्रकाशन ब्यूरो ने वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नवत प्रकाशन किए हैं:

वर्ष 2018-19 के दौरान प्रकाशनों की सूची

1. राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार विवरणिका।
2. उच्चतर शिक्षा सांख्यिकीय- जनवरी, 2018
3. स्वयं (एमओओसी) पाठ्यक्रम: एक दृष्टि में
4. उच्चतर शिक्षा अखिल भारतीय और राज्य प्रोफाइल वर्ष 2017-18

5. गुणवत्ता अधिदेश
6. उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हाल की पहल
7. ग्रेड स्वायत्ता के संबंध में कुलपतियों की कार्यशाला हेतु डाकेट, दिनांक 20 सितम्बर, 2018
8. लेखन सामग्री (विजिटिंग कार्ड/ लैटर हैड/ लिफाफे आदि)
9. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 (अंग्रेजी और हिन्दी)
10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक लेखा 2017-18 (अंग्रेजी और हिन्दी)

वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दस्तावेजों के प्रकाशन हेतु 16,45,996/- (सोलह लाख पैंतालीस हजार नौ सौ छियानवे रुपये) की राशि का व्यय हुआ।

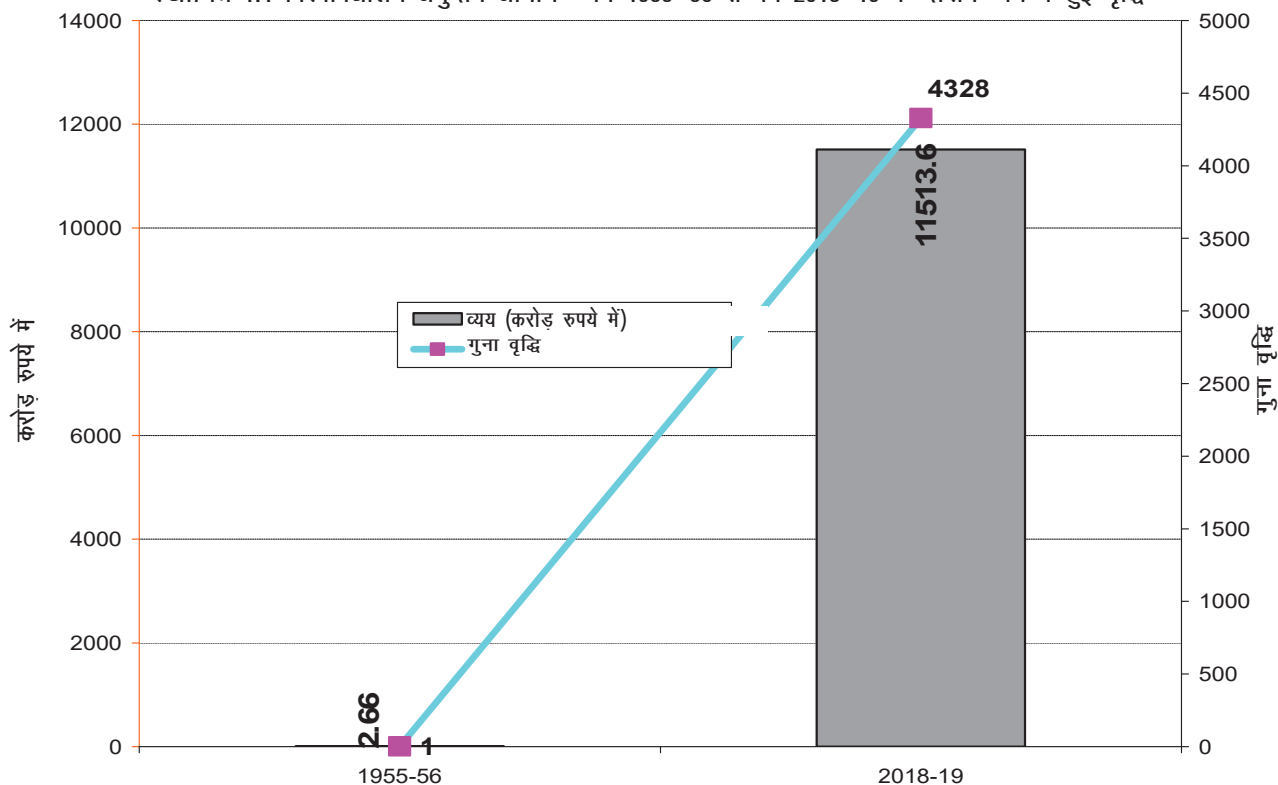
1.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार, आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी निधि से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तथा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को अनुदान आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से **अनुरक्षण (राजस्व) तथा विकास (पूँजीगत) अनुदानों** के रूप में निधियाँ आवंटित एवं संचित कर सकता है, ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में स्तरों को बनाए रखा जा सके और उनमें सुधार किया जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-व्यय में हुई कुल वृद्धि

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
1955-56	2.66
2018-19	11513.60
गुणावृद्धि	4328

रेखाचित्र 1.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- वर्ष 1955-56 से वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय में हुई वृद्धि



वर्ष 2018-19 के लिए बजट को तालिका 1.4 (i) में दिया गया है।

रक्यदक 1-4 ढाऱा ०"क 2018&19 दऱ फऱ, कतव वकवु

(करोड़ रुपये में)

Øe l; ;k	ctV 'kh"ki	vkcVu %jktLo vkj iithxr)	
		ctV vueku	l:'kkf/kr vueku
1	सामान्य	11227.98	11358.28
	dy%	11227.98	11358.28

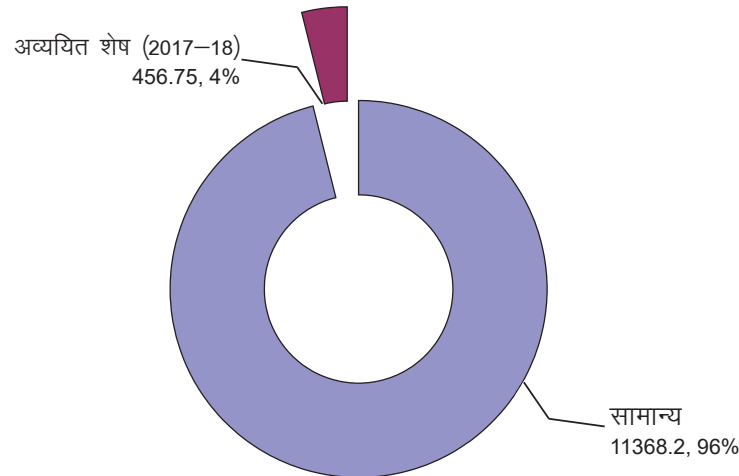
वर्ष 2018–19 के दौरान केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान का ब्योरा तालिका 1.4 (ii) में दिया गया है।

तालिका 1.4(ii): वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त अनुदान

(करोड़ रुपये में)

Øe l; ;k	ctV 'kh"ki	vkcVu %jktLo vkj iithxr)
1	सामान्य	11368.20
2	अव्ययित शेष (2017–18)	456.75
	dy %	12805.46

रेखाचित्र 1.4(ii): प्राप्त हुए अनुदान (राजस्व और पूंजीगत) (करोड़ रुपये में)

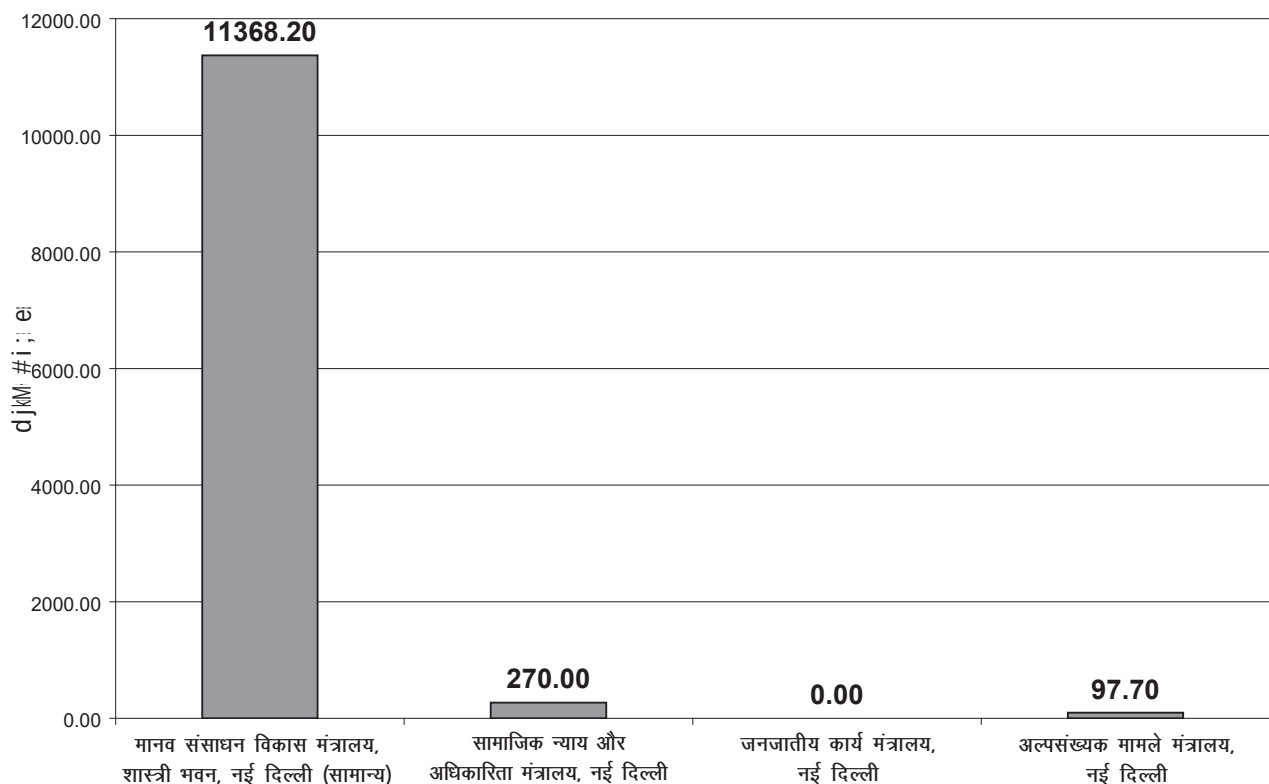


तालिका 1.2(ख): वर्ष 2018–19 के दौरान राजस्व और पूंजीगत (सामान्य) बजट शीर्ष के तहत प्राप्त अनुदान

(करोड़ रुपये में)

Ø-l:-	e=ky; l: Åklr vunku	iklr vunku %jktLo vkj iithxr)
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	11368.2
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	
	(i) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	240
	(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	30
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	0
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	97.7
	dy%	11735.9

रेखाचित्र 1.4(iii): वर्ष 2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान (राजस्व और पूंजीगत)

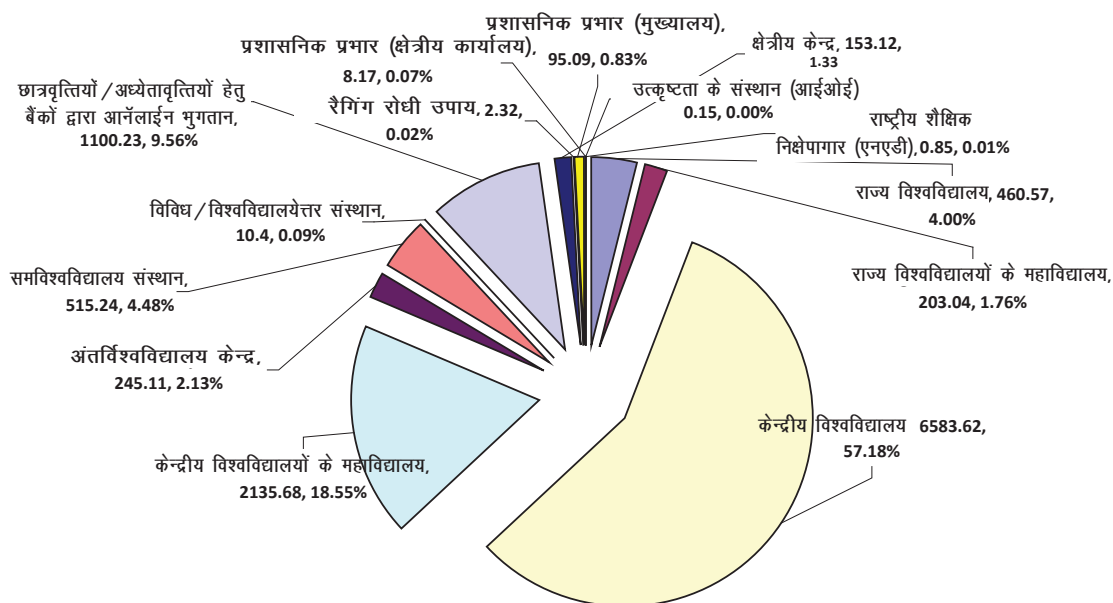


वर्ष 2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदानों का ब्योरा तालिका 1.4(iv) में दिया गया है।

तालिका 1.4(iv): वर्ष 2018-19 के दौरान संस्थानों को जारी किया गया राजस्व और पूंजीगत अनुदान

क्र.सं.	संस्थान का नाम	राजस्व अनुदान (ला. रु.)	पूंजीगत अनुदान (ला. रु.)
1	राज्य विश्वविद्यालय	460.57	4.00
2	राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	203.04	1.76
3	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	6583.62	57.18
4	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	2135.68	18.55
5	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	245.11	2.13
6	समविश्वविद्यालय संस्थान	515.24	4.48
7	विविध/ विश्वविद्यालयोत्तर और संस्थान	10.40	0.09
8	छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों द्वारा ऑनलाईन भुगतान	1100.23	9.56
9	क्षेत्रीय केन्द्र	153.12	1.32
10	प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	95.09	0.83
11	प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	8.17	0.07
12	रैगिंग रोधी उपाय	2.32	0.02
13	उत्कृष्टता के संस्थान (आईआई)	0.15	0.004
14	राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी)	0.85	0.01
	कुल	11513.60	100.00
	कुल राजस्व अनुदान	11368.20	
	कुल पूंजीगत अनुदान	456.75	
	कुल	11824.95	

रेखाचित्र 1.4(iv): वर्ष 2018-19 के दौरान संस्थानों को जारी किया गया अनुदान (राजस्व और पूंजीगत)

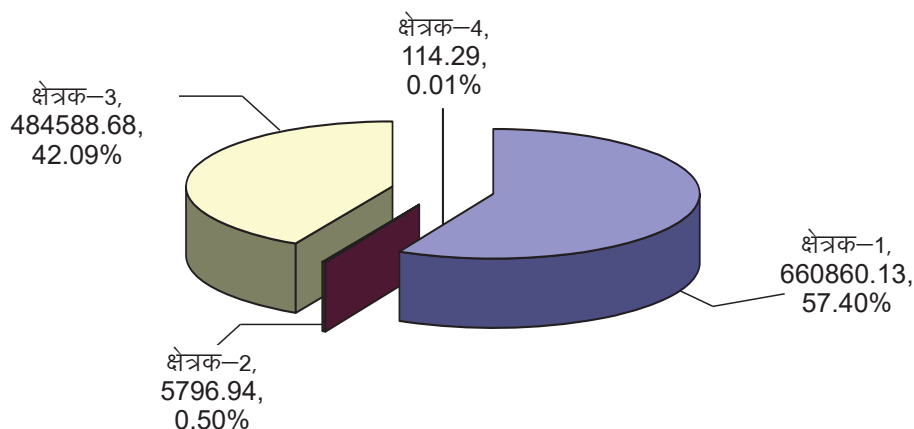


तालिका 1.4(v): वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान (राजस्व और पूंजीगत) का सारांश

	क्षेत्रक-1	क्षेत्रक-2	क्षेत्रक-3	क्षेत्रक-4	कुल (क्षेत्रक-1 से 4)
fo' ofo ky ;					
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	650785.09		7577.13		658362.22
सम विश्वविद्यालय		5796.94	45684.06	40.06	51521.06
राज्य विश्वविद्यालय			45983.18	74.23	46057.41
अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र			24511.46		24511.46
विश्वविद्यालयेतर संस्थान			999.30		999.30
dy %fo' ofo ky ;) :	650785.09	5796.94	124755.13	114.29	781451.45
egkfo ky ;					
केन्द्रीय विश्वविद्यालय (यूसीएमएस)	10075.04		203493.34		213568.38
सम विश्वविद्यालय			2.74		2.74
राज्य विश्वविद्यालय			20304.13		20304.13
विश्वविद्यालयेतर संस्थान			40.25		40.25
dy %egkfo ky ;) :	10075.04	0.00	223840.46	0.00	233915.50
dy %fo' ofo ky ; \$ egkfo ky ;) :	660860.13	5796.94	348595.59	114.29	1015366.95
छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों द्वारा ऑनलाइन भुगतान			110023.22		110023.22
क्षेत्रीय केन्द्र			15311.84		15311.84
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)			9509.41		9509.41
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)			817.10		817.10
रैगिंग रोधी उपाय			232.49		232.49
उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई)			14.51		14.51
राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी)			84.52		84.52
कुल योग:	660860.13	5796.94	484588.68	114.29	1151360.03

क्षेत्रक-1: केन्द्रीय विश्वविद्यालय; क्षेत्रक-2: सम विश्वविद्यालय; क्षेत्रक-3: (केन्द्रीय/ राज्य/ सम) विश्वविद्यालय; क्षेत्रक-4: विविध

रेखाचित्र 1.4(v): वर्ष 2018-19 के दौरान क्षेत्रवार जारी किया गया राजस्व और पूंजीगत अनुदान (लाख रुपये में)



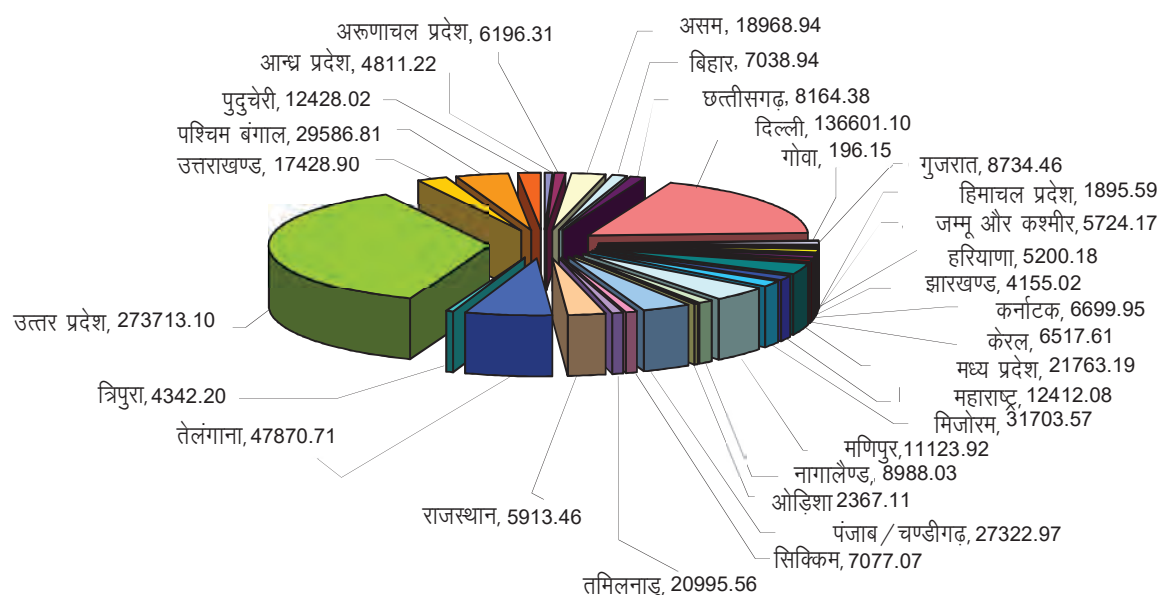
1-4%vi% o" 2018&19 d nkjku fo'ofokj; k@ I LFkkuk d k jkT;okj tkjh fd;k x;k jktLo vkj i thxr vunku rkfydk 1-4%vi% e fn;k x;k gl

rkfydk 1-4%vi% o" 2018&19 d nkjku fo'ofokj; k@ I LFkkuk %k=d 1]2]3]4)
d k jkT;okj tkjh fd;k x;k jktLo vkj i thxr vunku

dkM	jkT;	dy %yk[k #i; e)			
		31	35	36	dy
1.	आन्ध्र प्रदेश	1584.472	724.3485	2502.4	4811.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	1426.655	514.316	4255.34	6196.311
3.	असम	2456.829	1796.634	14715.48	18968.94
4.	बिहार	1427.843	3055.2	2555.9	7038.943
5.	छत्तीसगढ़	2092.694	1508.412	4563.27	8164.376
6.	दिल्ली	44288.82	5454.173	86858.15	136601.1
7.	गोवा	147.7797	48.372	0	196.1517
8.	गुजरात	2266.073	1112.822	5355.56	8734.455
9.	हरियाणा	1833.553	1865.614	1501.01	5200.177
10.	हिमाचल प्रदेश	625.9299	611.5	658.16	1895.59
11.	जम्मू और कश्मीर	1677.608	2288.943	1757.615	5724.166
12.	झारखण्ड	943.6115	1347.102	1864.31	4155.023
13.	कर्नाटक	1834.855	3109.159	1755.932	6699.946
14.	केरल	2388.384	2143.659	1985.563	6517.606
15.	मध्य प्रदेश	7313.215	2512.861	11937.11	21763.19
16.	महाराष्ट्र	5088.00	1362.208	5961.869	12412.08
17.	मणिपुर	2677.578	384.95	8061.387	11123.92
18.	मिजोरम	9860.642	1305.594	20537.33	31703.57
19.	नागालैण्ड	1600.205	501.36	6886.46	8988.025
20.	ओड़िशा	1446.05	687.8083	257.72	2391.58
21.	पंजाब/चण्डीगढ़	1759.699	1249.06	24314.21	27322.97
22.	राजस्थान	1574.861	1614.516	2724.083	5913.46
23.	सिक्किम	1881.00	2615.00	2581.07	7077.07

क्र.सं.	राज्य	कुल राज्यवार (रुपये लाख में)			
		31	35	36	कुल
24.	तमिलनाडु	6096.64	3341.798	11532.66	20971.09
25.	तेलंगाना	13550.22	4097.537	30222.95	47870.71
26.	त्रिपुरा	1229.019	413.00	2700.18	4342.199
27.	उत्तर प्रदेश	82340.87	18877.95	172494.2	273713.1
28.	उत्तराखण्ड	3767.662	2138.1	11523.14	17428.9
29.	पश्चिम बंगाल	11023.65	3331.695	15231.46	29586.81
30.	पुदुचेरी	4462.902	1205.00	6760.12	12428.02
	संपूर्ण भारत	220667.3	71218.7	464054.7	755940.7

रेखाचित्र 1.4(vi): वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालयों/ संस्थानों (राजस्व और पूंजीगत) को राज्यवार जारी किया गया अनुदान



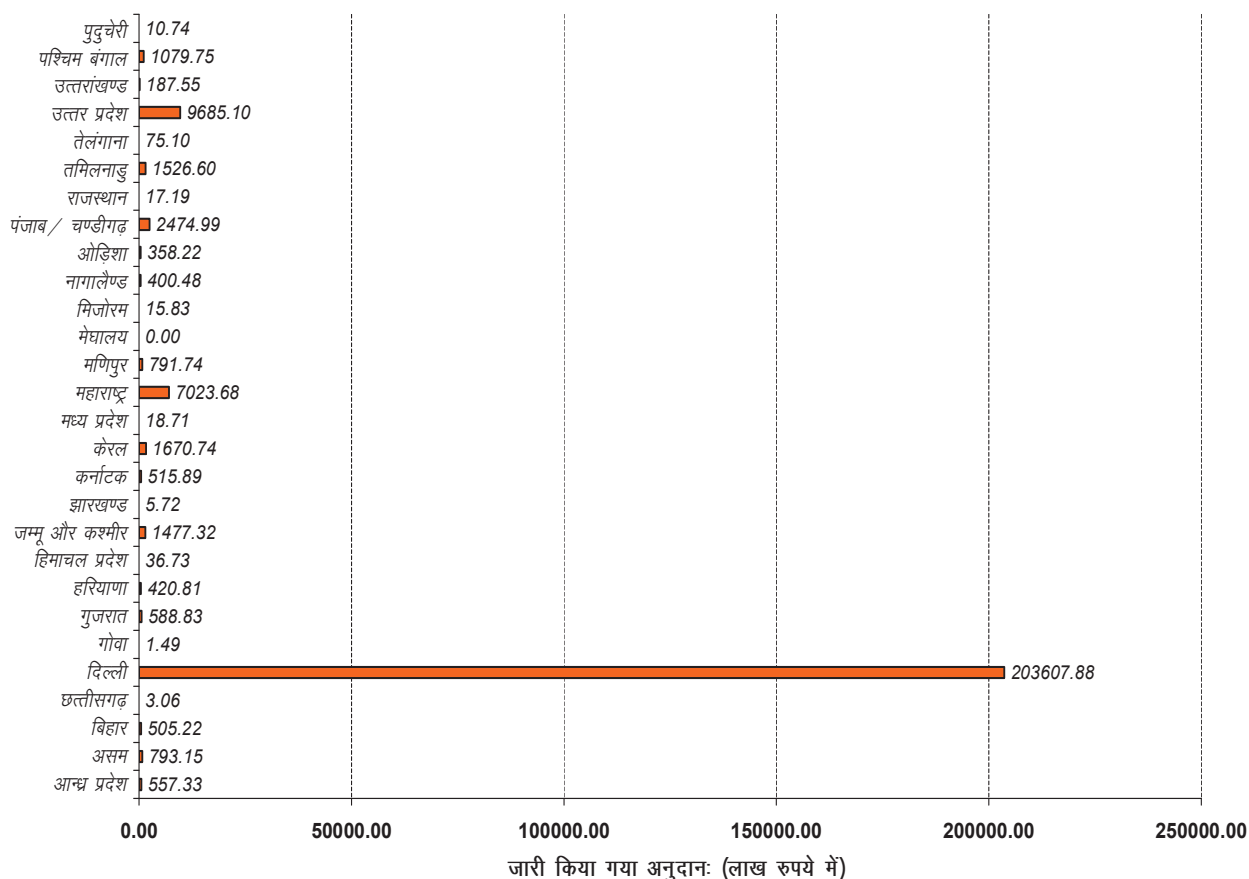
1.4(vii) वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालयों/ संस्थानों (राजस्व और पूंजीगत) को राज्यवार जारी किया गया अनुदान

क्र.सं.	राज्य	कुल राज्यवार (रुपये लाख में)			
		31	35	36	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	381.53	175.80	0.00	557.33
2.	असम	670.04	123.11	0.00	793.15
3.	बिहार	366.57	138.65	0.00	505.22
4.	छत्तीसगढ़	3.06	0.00	0.00	3.06
5.	दिल्ली	34310.44	1259.74	168037.70	203607.88
6.	गोवा	1.49	0.00	0.00	1.49
7.	गुजरात	406.21	182.62	0.00	588.83
8.	हरियाणा	298.20	122.61	0.00	420.81
9.	हिमाचल प्रदेश	15.18	21.54	0.00	36.73
10.	जम्मू और कश्मीर	123.99	1353.34	0.00	1477.32
11.	झारखण्ड	5.60	0.12	0.00	5.72
12.	कर्नाटक	463.23	52.66	0.00	515.89

क्रम संख्या	राज्य	कुल राज्यवार (रुपये लाख में)			
		31	35	36	कुल
13.	केरल	1375.93	294.81	0.00	1670.74
14.	मध्य प्रदेश	18.35	0.36	0.00	18.71
15.	महाराष्ट्र	5791.82	1231.86	0.00	7023.68
16.	मणिपुर	739.45	52.30	0.00	791.74
17.	मेघालय	25.39	0.00	0.00	25.39
18.	मिजोरम	5.25	10.58	0.00	15.83
19.	नागालैण्ड	339.74	60.74	0.00	400.48
20.	ओड़िशा	277.82	80.40	0.00	358.22
21.	पंजाब / चण्डीगढ़	1888.82	586.17	0.00	2474.99
22.	राजस्थान	17.19	0.00	0.00	17.19
23.	तमिलनाडु	1152.93	373.67	0.00	1526.60
24.	तेलंगाना	58.30	16.80	0.00	75.10
25.	उत्तर प्रदेश	1789.25	2548.45	5347.41	9685.10
26.	उत्तराखण्ड	143.57	43.98	0.00	187.55
27.	पश्चिम बंगाल	646.98	149.82	282.95	1079.75
28.	पुदुचेरी	10.74	0.00	0.00	10.74
	संपूर्ण भारत	51301.67	8880.13	173668.06	233849.85

*ऑनलाइन, क्षेत्रीय कार्यालय, रैगिंग रोधी उपाय, प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय) और (क्षेत्रीय कार्यालय) हेतु जारी अनुदान के अलावा

रेखाचित्र 1.4(vii): वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व और पूंजीगत अनुदानों के तहत महाविद्यालयों को राज्यवार जारी* किया गया अनुदान



1-4%viii% o" 2018&19 d nkjku 31& vunku lgk;r] 35& iithxr ifj|Eifct;k] 36& oru d rgr tkjh fd, x, diy vunku %jktLo vkj iithxr) dk C;kjk rkfydk 1-4%viii% e fn;k x;k g|

तालिका 1.4(viii): वर्ष 2018-19 के दौरान जारी किए गए कुल अनुदान (राजस्व और पूंजीगत अनुदान) का ब्योरा

उपयोगकर्ता	कुल (लाख रुपये में)			
	31	35	36	कुल
विश्वविद्यालय/ संस्थान	228328.22	80174.56	472948.69	781451.45
महाविद्यालय	51343.06	8904.38	173668.06	233915.49
ऑनलाइन	110023.22	-	-	110023.22
क्षेत्रीय कार्यालय	9215.41	6096.43	-	15311.84
रैगिंग रोधी उपाय	232.49	-	-	232.49
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	5543.23	-	3966.18	9509.41
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	450.04	-	367.05	817.10
उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई)	14.51	-	-	14.51
राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी)	84.52	-	-	84.52
कुल	405234.70	95175.37	650949.98	1151360.03

31- अनुदान सहायता, 35- पूंजीगत परिसम्पत्तियां, 36- वेतन

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3				क्षेत्र-4				कुल (लाख रुपये में)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्र-1				क्षेत्र-2				क्षेत्र-3				क्षेत्र-4				कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36		31	35	36		31	35	36		31	35	36		31	35	36	dy
	मिजोरम																				
24	मिजोरम विश्वविद्यालय	2282.83	800.00	8081.98		0.00	0.00	0.00		91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2373.90	800.00	8081.98	11255.88
	कुल	2282.83	800.00	8081.98		0.00	0.00	0.00		91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2373.90	800.00	8081.98	11255.88
	नागालैण्ड																				
25	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	1596.73	464.96	6886.46		0.00	0.00	0.00		3.48	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1600.21	501.36	6886.46	8988.03
	कुल	1596.73	464.96	6886.46		0.00	0.00	0.00		3.48	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1600.21	501.36	6886.46	8988.03
	ओडिशा																				
26	ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1033.63	500.00	257.72		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1033.63	500.00	257.72	1791.35
	कुल	1033.63	500.00	257.72		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1033.63	500.00	257.72	1791.35
	पुदुचेरी																				
27	पुदुचेरी यूनिवर्सिटी	4120.22	1175.00	6760.12		0.00	0.00	0.00		342.68	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4462.90	1205.00	6760.12	12428.02
	कुल	4120.22	1175.00	6760.12		0.00	0.00	0.00		342.68	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4462.90	1205.00	6760.12	12428.02
	पंजाब																				
28	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	882.62	700.00	2209.55		0.00	0.00	0.00		63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		946.46	700.00	2209.55	3856.01
	कुल	882.62	700.00	2209.55		0.00	0.00	0.00		63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		946.46	700.00	2209.55	3856.01
	राजस्थान																				
29	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	934.47	1400.00	2577.54		0.00	0.00	0.00		57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		992.04	1400.00	2577.54	4969.58
	कुल	934.47	1400.00	2577.54		0.00	0.00	0.00		57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		992.04	1400.00	2577.54	4969.58
	सिक्किम																				
30	सिक्किम विश्वविद्यालय	1800.00	2600.00	2581.07		0.00	0.00	0.00		81.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1881.00	2615.00	2581.07	7077.07
	कुल	1800.00	2600.00	2581.07		0.00	0.00	0.00		81.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1881.00	2615.00	2581.07	7077.07
	तमिलनाडु																				
31	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1113.17	1200.00	1934.65		0.00	0.00	0.00		56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1169.48	1200.00	1934.65	4304.13
	कुल	1113.17	1200.00	1934.65		0.00	0.00	0.00		56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1169.48	1200.00	1934.65	4304.13
	तेलंगाना																				
32	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	2271.84	600.00	6558.06		0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2351.84	600.00	6558.06	9509.90
33	इग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी	1975.41	800.00	6382.26		0.00	0.00	0.00		14.45	0.00	315.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1989.86	800.00	6697.81	9487.67
34	हैदराबाद विश्वविद्यालय	8320.28	2049.80	16819.90		0.00	0.00	0.00		488.36	470.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8808.64	2519.85	16819.90	28148.39
	कुल	12567.53	3449.80	29760.22		0.00	0.00	0.00		582.81	470.06	315.55	0.00	0.00	0.00	0.00		13150.34	3919.85	30075.77	47145.97
	त्रिपुरा																				
35	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	1116.87	350.00	2700.18		0.00	0.00	0.00		112.15	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1229.02	413.00	2700.18	4342.20
	कुल	1116.87	350.00	2700.18		0.00	0.00	0.00		112.15	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1229.02	413.00	2700.18	4342.20

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	dly
	उत्तर प्रदेश																
36	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	28418.43	1900.00	70650.72	0.00	0.00	0.00	524.73	85.22	0.00	0.00	0.00	28943.16	1985.22	70650.72	101579.10	
37	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	3428.42	500.00	3050.95	0.00	0.00	0.00	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3507.03	500.00	3050.95	7057.98	
38	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	38439.59	14400.00	73102.47	0.00	0.00	0.00	549.56	74.88	0.00	0.00	0.00	38989.15	14474.88	73102.47	126566.50	
39	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	9533.76	700.00	21582.61	0.00	0.00	0.00	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9744.99	700.00	21582.61	32027.60	
	कुल	79820.20	17500.00	168386.75	0.00	0.00	0.00	1364.13	160.10	0.00	0.00	0.00	81184.33	17660.10	168386.75	267231.18	
	उत्तराखण्ड																
40	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	1237.09	1000.00	7252.86	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1245.11	1000.00	7252.86	9497.97	
	कुल	1237.09	1000.00	7252.86	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1245.11	1000.00	7252.86	9497.97	
	पश्चिम बंगाल																
41	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन	9114.52	1225.00	15231.46	0.00	0.00	0.00	69.63	14.40	0.00	0.00	0.00	9184.15	1239.40	15231.46	25655.01	
	कुल	9114.52	1225.00	15231.46	0.00	0.00	0.00	69.63	14.40	0.00	0.00	0.00	9184.15	1239.40	15231.46	25655.01	
	कुल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	188478.45	55314.91	406991.74	0.00	0.00	0.00	5667.65	1255.76	653.72	0.00	0.00	194146.10	56570.67	407645.46	658362.22	
	सम विश्वविद्यालय																
	आन्ध्र प्रदेश																
42	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	0.00	0.00	0.00	0.00	329.10	0.00	900.68	0.00	2502.40	0.00	0.00	900.68	329.10	2502.40	3732.18	
43	श्री सत्य साईं इस्टीड्यूट ऑफ हायर लर्निंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57	45.34	0.00	0.00	0.00	7.57	45.34	0.00	52.92	
44	गॉबी इस्टीड्यूट ऑफ एण्ड टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जी.आई.टी.ए.एम.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02	0.00	0.00	30.02	
45	कोनेरू लक्ष्मया एजूकेशन फाउंडेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	17.32	
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	329.10	0.00	955.60	45.34	2502.40	0.00	0.00	955.60	374.44	2502.40	3832.44	
	दिल्ली																
46	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	0.00	0.00	0.00	225.21	78.00	0.00	1364.13	0.00	3133.04	0.00	0.00	1589.34	78.00	3133.04	4800.38	
47	जामिया हमदर्द	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.65	123.90	800.00	0.00	0.00	164.65	123.90	800.00	1088.55	
48	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	1.04	
49	एम्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71	0.00	0.00	20.71	
	कुल	0.00	0.00	0.00	225.21	78.00	0.00	1550.52	123.90	3933.04	0.00	0.00	1775.73	201.90	3933.04	5910.68	

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपये में)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपये में)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31

[illegible]

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपये में)		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
186	पेरियार विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	42.44	0.00
187	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07	0.00	0.00
188	तमिलनाडु डॉ० अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.21	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	22.21	51.83	0.00
189	तमिल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00
190	थिरुल्लूर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	1.15	0.00
191	मद्रास विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.77	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.77	152.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1338.92	1145.92	259.05	0.00	0.00	0.00	1338.92	1145.92	259.05
	तेलंगाना															
192	आचार्य एन० जी० रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.89	0.00	0.00
193	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	0.00
194	जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28	0.00	0.00
195	काकतीया विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.52	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33.52	9.60	0.00
196	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02	31.65	0.00
197	नालसार विधि विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00
198	ओस्मिया विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.73	129.92	147.18	0.00	0.00	0.00	253.73	129.92	147.18
199	तेलंगाना विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.26	177.68	147.18	0.00	0.00	0.00	366.26	177.68	147.18
	उत्तर प्रदेश															
200	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39	12.33	0.00
201	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00
202	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.24	0.00	0.00
203	डॉ० बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	0.00	0.00
204	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	84.82	0.00
205	डॉ० शकुंतला मिश्रा नेशनल रीहैब यूनीवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38	12.54	0.00
206	किंग जार्ज आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	0.00	0.00
207	एमजी काशी विद्यापीठ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00
208	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13	0.00	0.00
209	लखनऊ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.43	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.28	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	207.28	109.70	0.00

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपये में)		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	कर्नाटक															
227	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.61	589.53	701.68	0.00	0.00	0.00	696.61	589.53	701.68
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.61	589.53	701.68	0.00	0.00	0.00	696.61	589.53	701.68
	मध्य प्रदेश															
228	यूजीसी-डीएई कंसोत्रियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1447.49	2044.85	1871.32	0.00	0.00	0.00	1447.49	2044.85	1871.32
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1447.49	2044.85	1871.32	0.00	0.00	0.00	1447.49	2044.85	1871.32
	महाराष्ट्र															
229	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1621.19	3687.34	2182.98	0.00	0.00	0.00	1621.19	3687.34	2182.98
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1621.19	3687.34	2182.98	0.00	0.00	0.00	1621.19	3687.34	2182.98
	कुल योग (आईयूसी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6691.44	8951.01	8869.02	0.00	0.00	0.00	6691.44	8951.01	8869.02
	उप योग: विश्वविद्यालयेत्तर / संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.45	4.85	25.00	0.00	0.00	0.00	969.45	4.85	25.00
	कुल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	188478.45	55314.91	406991.74	0.00	0.00	0.00	5667.65	1255.76	653.72	0.00	0.00	0.00	194146.10	56570.67	407645.46
	कुल सम विश्वविद्यालय	0.00	0.00	2384.61	2912.33	500.00	0.00	11635.59	2244.24	31804.23	40.06	0.00	0.00	14060.26	5156.57	32304.23
	कुल राज्य विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12386.74	9491.46	24104.98	74.23	0.00	0.00	12460.97	9491.46	24104.98
	ऑनलाईन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110023.22	0.00	0.00	0.00	0.00	110023.22	0.00	0.00	110023.22
	क्षेत्रीय कार्यलय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9215.41	6096.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9215.41	6096.43	0.00
	रैगिंग रोधी उपाय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.49	0.00	232.49
	प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5543.23	0.00	3966.18	0.00	0.00	0.00	5543.23	0.00	3966.18
	प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.04	0.00	367.05	0.00	0.00	0.00	450.04	0.00	367.05
	आईआई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.51	0.00	0.00
	एनएडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.52	0.00	84.52
	कुल योग	188478.45	55314.91	406991.74	2384.61	2912.33	500.00	162914.29	28043.75	69790.18	114.29	0.00	0.00	353891.64	86270.99	477281.92
																917444.54

1-4th 2018&19 di nk'ju egkfo |ky; k dk jT; &okj] fo' ofo |ky; &okj] {k=d&okj t kjh fd; k x; k
jktLo vkj iit'hr vunku dk C; kjk

Øe l : k	राज्य / विश्वविद्यालय	{k= 01			{k= 02			{k= 03			{k= 04			dy egfto ky; &okj %yk[k #i; e			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	कुल
1	केन्द्रीय विश्वविद्यालय असम असम विश्वविद्यालय कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.86	17.10	0.00	0.00	0.00	43.86	17.10	0.00	60.96
2	दिल्ली विश्वविद्यालय मणिपुर मणिपुर विश्वविद्यालय कुल	1444.21 1444.21	750.00 750.00	7880.83 7880.83	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	32866.23 32866.23	509.74 509.74	160156.87 160156.87	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	34310.44 34310.44	1259.74 1259.74	168037.70 168037.70	203607.88 203607.88
3	मेघालय नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.45	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	739.45	52.30	0.00	791.74
4	मिजोरम मिजोरम विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.39	0.00	0.00	25.39
5	नागालैण्ड नागालैण्ड विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	339.74	60.74	0.00	400.48
6	पुदुचेरी पुदुचेरी यूनिवर्सिटी कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	0.00	0.00	10.74
7	उत्तर प्रदेश बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1213.65	2004.63	5347.41	0.00	0.00	0.00	1213.65	2004.63	5347.41	8565.69
8	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
9	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
10	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
11	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
12	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
13	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
14	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
15	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
16	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
17	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
18	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
19	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
20	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
21	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
22	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
23	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
24	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
25	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
26	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
27	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
28	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
29	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
30	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
31	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
32	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
33	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
34	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
35	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
36	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
37	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
38	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
39	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
40	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
41	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
42	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
43	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
44	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
45	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
46	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
47	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
48	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
49	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
50	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
51	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
52	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
53	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
54	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
55	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
56	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
57	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
58	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
59	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
60	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
61	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98	0.00	31.63
62	उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	23.98</								

Sl. No.	राज्य / विश्वविद्यालय	{k= 01}			{k= 02}			{k= 03}			{k= 04}			dy egkfo ky : &okj #y%[k #i : e#			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	कुल
	राज्य विश्वविद्यालय																
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय																
	राज्य विश्वविद्यालय																
	आन्ध्र प्रदेश																
12	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.51	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	76.51	17.10	0.00	93.61
13	अदिकवि नन्पा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.71	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	73.71	17.10	0.00	90.81
14	आन्धा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.40	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	113.40	32.10	0.00	145.50
15	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अनन्तपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.55	0.00	0.00	41.55
16	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काकीनाडा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69	0.00	0.00	5.69
17	कृष्णा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87	90.00	0.00	99.87
18	श्री कृष्णा देवराय विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.94
19	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.85	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	59.85	19.50	0.00	79.35
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.53	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	381.53	175.80	0.00	557.33
	असम																
20	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.21	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	235.21	43.28	0.00	278.49
21	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.97	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	390.97	62.73	0.00	453.70
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.18	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	626.18	106.01	0.00	732.19
	बिहार																
22	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर, विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	41.40	0.00	87.40
23	भूपेन्द्र नारायण मण्डल यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.67	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	220.67	64.40	0.00	285.07
24	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00	4.34
25	मगध विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.18	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	94.18	32.85	0.00	127.03
26	पटना विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	1.35
27	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.57	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	366.57	138.65	0.00	505.22
	छत्तीसगढ़																
28	पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	3.06
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	3.06
	गोवा																
29	गोवा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	1.49
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	1.49
	गुजरात																
30	गुजरात विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51	85.00	0.00	97.51
31	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.94	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	156.94	23.52	0.00	180.47
32	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.48	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	175.48	74.10	0.00	249.58

Sl. No.	राज्य/विश्वविद्यालय	{k= 01}			{k= 02}			{k= 03}			{k= 04}			dy egkfo ky ; &okj yk[k # i ; e		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
33	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.28	0.00	38.28
34	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00
	वीर नारगाड दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.21	182.62	588.83
	हरियाणा															
35	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	1.81
36	पं भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	2.05
37	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.28	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	154.28	80.12	234.39
38	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.06	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	140.06	42.50	182.56
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.20	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	298.20	122.61	420.81
	हिमाचल प्रदेश															
39	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18	21.54	36.73
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18	21.54	36.73
	जम्मू और कश्मीर															
40	कश्मीर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.44	577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	109.44	577.60	687.04
41	जम्मू विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	775.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	775.74	790.28
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.99	1353.34	0.00	0.00	0.00	0.00	123.99	1353.34	1477.32
	झारखण्ड															
42	राँची विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.12	5.50
43	बिर्सा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.12	5.72
	कर्नाटक															
44	बंगलुरु विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.75	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	96.75	5.70	102.45
45	गुलबर्गा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79	18.30	91.09
46	कर्नाटक विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.73	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69.73	7.14	76.87
47	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	0.00	5.61
48	कुबेम्पू विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03	0.02	4.05
49	मैंगलोर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.18	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	68.18	10.10	78.28
50	मैसूर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.22	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	115.22	11.40	126.62
51	तुमकूर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24
52	रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
53	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27	0.00	30.27
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.23	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	463.23	52.66	515.89

Sl. No.	राज्य / विश्वविद्यालय	{k= 01}			{k= 02}			{k= 03}			{k= 04}			dy egkfo ky : &okj %y% [k #i : e#			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	कुल
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय केरल																
54	कालीकट यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.32	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	727.32	188.34	0.00	915.66
55	कन्नूर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	1.52
56	केरल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.71	0.00	0.00	92.71
57	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.37	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	554.37	106.47	0.00	660.84
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1375.93	294.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1375.93	294.81	0.00	1670.74
	मध्य प्रदेश																
58	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	2.92
59	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00	2.73
60	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82	0.36	0.00	9.18
61	विक्रम विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	3.88
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35	0.36	0.00	18.71
	महाराष्ट्र																
62	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1028.76	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1028.76	247.30	0.00	1276.06
63	मुम्बई विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.20	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	205.20	43.68	0.00	248.88
64	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.55	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	298.55	63.70	0.00	362.25
65	सावित्री भाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1553.68	373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1553.68	373.94	0.00	1927.62
66	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1107.10	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1107.10	247.70	0.00	1354.80
67	शिवाजी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.99	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	613.99	112.86	0.00	726.85
68	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	19.20
69	एसआरटीएम विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.69	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	349.69	34.20	0.00	383.89
70	शोलापुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.86	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	39.86	8.10	0.00	47.96
71	आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.05	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	573.05	100.38	0.00	673.43
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5789.09	1231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5789.09	1231.86	0.00	7020.95
	ओड़ीशा																
72	बेरहामपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00	4.66
73	फकीर मोहन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.90	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	51.90	12.60	0.00	64.50
74	उत्तरी ओड़िशा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64	13.80	0.00	43.44
75	संबलपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	3.22
76	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	उत्कल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.40	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.40	54.00	0.00	242.40
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.82	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	277.82	80.40	0.00	358.22
	पंजाब																
78	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	1.37

Sl. No.	राज्य/विश्वविद्यालय	{k= 01}			{k= 02}			{k= 03}			{k= 04}			dy egkfo ky ; &okj yk[k # i ; e		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
79	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.01	218.37	0.00
80	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.58	258.64	0.00
81	पंजाब विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.91	109.16	0.00
82	पंजाबी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00
83	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1888.82	586.17	0.00
	राजस्थान															
84	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00
85	एमडीएस विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	0.00	0.00
86	कोटा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00
87	राजस्थान विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19	0.00	0.00
	तमिलनाडु															
88	अलगप्पा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.80	11.40	0.00
89	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88	0.00	0.00
90	भरथियार विश्वविद्यालय, चेन्नई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.51	13.60	0.00
91	भारथीदासन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.49	234.16	0.00
92	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.40	90.09	0.00
93	मनोमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.53	0.00	0.00
94	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.89	2.50	0.00
95	पेरियार विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.86	19.00	0.00
96	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76	0.00	0.00
97	थिरुवल्लूर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63	0.00	0.00
98	मद्रास विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.18	2.92	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1152.93	373.67	0.00
	तेलंगाना															
99	जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलॉजीकल यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
100	काकतीय विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	0.00	0.00
	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.33	16.80	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.30	16.80	0.00
	उत्तर प्रदेश															
101	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.50	62.32	0.00
102	सीएसजेएम कानपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75	73.62	0.00
103	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.26	31.81	0.00
104	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.19	176.44	0.00

Sl. No.	राज्य/विश्वविद्यालय	{k= 01}			{k= 02}			{k= 03}			{k= 04}			dy egkfo ky : &okj #yK[k #i : e#		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
105	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.83	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	78.83	50.76	0.00
106	डॉ आरएमएलए यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	0.96	0.00
107	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09	5.26	0.00
108	एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.93	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	116.93	116.59	0.00
109	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.37	0.00
110	लखनऊ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08	13.80	0.00
	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.45	536.92	0.00	0.00	0.00	0.00	524.45	536.92	0.00
	कुल															
	उत्तराखण्ड															
111	कुमाऊँ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.92	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.92	20.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.92	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.92	20.00	0.00
	पश्चिम बंगाल															
112	कल्याणी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00
113	बर्दवान विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.26	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	44.26	20.66	0.00
114	कोलकाता विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.52	50.40	282.95	0.00	0.00	0.00	207.52	50.40	282.95
115	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.07	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	48.07	5.70	0.00
116	वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	5.70	0.00
117	विद्यासागर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.80	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	326.80	67.36	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.98	149.82	282.95	0.00	0.00	0.00	646.98	149.82	282.95
	कुल: राज्य विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14577.02	5444.16	282.95	0.00	0.00	0.00	14577.02	5444.16	282.95
	उप कुल: केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1444.21	750.00	7880.83	0.00	0.00	0.00	35303.09	2685.97	165504.28	0.00	0.00	0.00	36747.30	3435.97	173385.11
	उप कुल: सम विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00
	उप कुल: राज्य विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14577.02	5444.16	282.95	0.00	0.00	0.00	14577.02	5444.16	282.95
	उप कुल: गैर- विश्वविद्यालय/ संस्थान:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	24.25	0.00
	उप योग: कुल योग:	1444.21	750.00	7880.83	0.00	0.00	0.00	49898.85	8154.38	165787.23	0.00	0.00	0.00	51343.06	8904.38	173668.06
																233915.49

1.5 केन्द्रीय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश से, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों के लिए एक समान स्टॉफ पैटर्न पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) का गठन किया गया। इस संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति का उद्देश्य इन संस्थानों के शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों (क, ख और ग समूह) के लिए समान सेवा शर्तों के समग्र ढाँचे की सिफारिश करना है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार की गई तथा अग्रेषित दिशानिर्देशों के अनुसार अपने शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों के लिए एसीपी / एमएसीपी योजना को लागू करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 02 जनवरी, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19-62/2017.सीयू/सीडीएन के माध्यम से अर्द्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठन तथा केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित और नियंत्रित सांविधिक निकायों में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग को लागू किया। उपर्युक्त अनुमोदन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 18 जनवरी, 2018 के पत्र संख्या 11-1/2017(सीयू) के पत्र के माध्यम से सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों, दिल्ली के महाविद्यालयों (54) तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों को सम्प्रेषित कर दिया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 08 मार्च, 2018 के सीजीएचएस-II की आदेश संख्या एफ सं. 60011/13/2017-सीजीएचएस-II के अनुसार नर्सिंग स्टॉफ के पदनाम में परिवर्तन किया गया है। उपर्युक्त अनुमोदन को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/ समविश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 29 नवम्बर, 2017 के पत्र संख्या एफ.6-7/97 के माध्यम से सम्प्रेषित किया गया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों में नर्सिंग संवर्ग को भाग-‘ख’ के वेतनमान प्रदान करने हेतु निर्णय विचाराधीन है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 02 नवम्बर, 2017 के पत्र संख्या 1-7/2015-यू.II(2) के माध्यम से कुल सचिव, उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, उप वित्त अधिकारी तथा सहायक वित्त अधिकारी के वेतन के ढाँचे/ वेतनमान में संशोधन की योजना के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपर्युक्त पदों के लिए विनियमों को अंतिमरूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति की प्रथम बैठक दिनांक 16 जनवरी, 2018 को आयोजित हुई थी। विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए मसौदा विनियमों को आयोग द्वारा उसकी दिनांक 29 जनवरी, 2019 को आयोजित 538वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था।

आयोग ने जेसीआरसी अनुभाग में प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के विसंगतियों के मामलों की जांच करने के लिए एक स्थायी समिति का भी गठन किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्राप्त विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के विसंगतियों के मामलों का समाधान करने के लिए आवधिक रूप से बैठकें आयोजित की गई थी।

1.6 कुलपतियों और निदेशकों का राष्ट्रीय सम्मेलन (दिनांक 26 से 28 जुलाई, 2018)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान और नवोन्मेष विषय पर कुलपतियों और निदेशकों के तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जिसमें सभी भागीदारों द्वारा निम्नवत दस संकल्पों को अपनाया गया था।

- (1) वर्ष 2020 तक हमारे संबंधित विश्वविद्यालयों और संबद्ध संस्थानों तथा वर्ष 2022 तक सभी नैक प्रत्यायित संस्थानों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गुणवत्ता अधिदेश को प्राप्त करने के लिए अपनी वचनबद्धताओं की पुनर्पुष्टि करते हैं।
- (2) शिक्षा वर्ष 2019-20 से पाठ्यचर्या को अद्यतन करके उच्चतर शिक्षा संस्थानों में ज्ञान अर्जन निष्कर्ष आधारित पाठ्यचर्या ढाँचे (एलओसीएफ) को अंगीकार और लागू करना; शिक्षण में उपयुक्त सुधार करके ज्ञान अर्जक केन्द्रीत शिक्षण ज्ञानअर्जन प्रक्रियाओं को अंगीकार करना।
- (3) नए भर्ती हुए शिक्षकों के प्रवेशन प्रशिक्षण में भागीदारी करना और तथा ‘स्वयं’ का उपयोग करते हुए सभी शिक्षकों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण आयोजन करना और शिक्षकों की अभिप्रेरणा के स्तर में सुधार करने के लिए उपाय करना।

- (4) प्रतिस्पर्धा आधारित अनुसंधान वित्तपोषण योजना में भाग लेने के लिए शिक्षकों और छात्रों का अनुकूलन करते हुए अपने संबंधित संस्थाओं की अनुसंधान उत्पादकता में बढ़ोतरी करना।
- (5) नवोन्मेष को बढ़ावा देने और स्मार्ट इंडिया हेकैथॉन में भागीदारी करने में प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय सहायता, शैक्षिक स्वतंत्रता और लचीलापन सहित नवोन्मेष की संस्कृति और पारिस्थितिकी का सृजन करना; छात्रों द्वारा 'स्टार्ट अप' लगाने को सुकर बनाना।
- (6) उन्नत भारत अभियान के तहत कम से कम पांच गांवों को गोद लेकर समुदाय की सामाजिक/ आर्थिक बेहतरी में छात्रों की सक्रिय भागीदारी हेतु उन्हें संवेदनशील बनाना।
- (7) उच्चतर शिक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं हेतु विधिवत रूप से संशोधित 'राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना' (एनएपीएस) के तहत संगत योजनाओं में भागीदारी द्वारा उच्चतर शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा में परिवर्तित करने को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करना और साथ ही उद्योग के साथ रचनात्मक संबंधों की प्राप्ति करना।
- (8) छात्रों और शिक्षकों में डिजिटल ज्ञान अर्जन संसाधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और क्रेडिट अंतरण के लिए 'स्वयं' पाठ्यक्रमों को अनुमोदित करना तथा ई-शोध सिंधु, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जैसे संसाधनों का उपयोग करना और उपाधियों को राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार पर अपलोड करना।
- (9) साहित्यिक चोरी को रोकने व निम्न स्तरीय जर्नलों को हटाने के लिए उपबंध करना और अनुसंधान में नैतिकता के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- (10) स्मार्ट और स्वच्छ कैंपस के लिए प्रयास करना और साथ ही अपनी संस्थाओं व संबद्ध महाविद्यालयों के आसपास के विद्यालयों में परामर्श देना ताकि शैक्षिक उत्कृष्टता हेतु प्रयास करने के लिए छात्रों / शिक्षकों को प्रेरित किया जा सके।

इसका भी संकल्प लिया गया कि इस लक्ष्य को वर्ष 2020 तक प्राप्त किया जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उद्देश्यों को निर्धारित किया है। इन उद्देश्यों में उच्चतर शिक्षा के सभी आंतरिक क्षेत्र यथा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट ज्ञान अर्जन परिणामों और व्यावहारिक कौशल के साथ पाठ्यचर्या में नियमित संशोधन करने, युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार पहुंच में सुरक्षा प्रदान करने अथवा उन्हें उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ बनाने; सामाजिक – औद्योगिक संबंध विकसित करना; उच्चतर शिक्षा संस्थान में गुणात्मक आत्म सुधार को सुनिश्चित करने के लिए अभिप्रेरित शिक्षकों की उपलब्धता और प्रत्यायन शामिल हैं। आयोग द्वारा यथा अनुमोदित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गुणवत्ता अधिदेश तथा सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों से अपेक्षित विभिन्न अन्य पहलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर डाला गया है और देशभर में इसे परिचालित किया गया है।

गुणवत्ता अधिदेश के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने **ज्ञान अर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या रूपरेखा (एलओसीएफ)** के प्रारूप को तैयार करने की पहल की है। यह पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के अंत में बोध और परिणाम के संदर्भ में स्नातक से की जाने वाली अपेक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान शिक्षण ज्ञान अर्जन क्रियाकलापों को समक्रमिक बनाने के एक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, इस दृष्टिकोण में छात्रों को सक्रिय शिक्षार्थियों के रूप में परिकल्पना की गई है जिसके माध्यम से शिक्षक एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है और दोनों मिलकर आजीवन ज्ञान अर्जन की नींव रखते हैं। 15 स्नातक विषयों में एलओसीएफ तैयार हैं।

उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य महत्वपूर्ण पहल परीक्षा संबंधी सुधार हैं। चूंकि, प्रचलित परीक्षा प्रणाली में अधिकाधिक रटने व सतही ज्ञान को बल दिया जाता है, इसलिए, विद्यमान परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए इस प्रकार एक प्रयास किया गया है कि छात्रों की उच्च बोधात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन किया जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले छह दिवसीय प्रवेश पाठ्यक्रम का प्रस्ताव करते हुए **“छात्र प्रवेश पाठ्यक्रम हेतु मार्गदर्शिका”** भी तैयार की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को शारीरिक गतिविधि, परामर्श देने, रचनात्मक कलाओं और संस्कृति, साहित्यिक गतिविधि, पाठ्यचर्या से इतर गतिविधियों जैसे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नए माहौल और संस्था के साथ परिचय विकसित करने में छात्रों की सहायता प्रदान करना है।

गैर-प्रत्यायित संस्थाओं में परामर्श देने हेतु स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु व्यावहारिक कौशल के लिए पाठ्यचर्या विकसित करने के लिए एक कृत बल का गठन किया गया है ताकि प्रत्येक संस्था को वर्ष 2022 तक प्रत्यायन प्राप्त हो सके। बेहतर एनएएसई अंक/ एनआईआरएफ रैंकिंग वाली सभी संस्थाओं को यह संसूचित किया जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हें परामर्शदाता के रूप में विचार कर रहा है ताकि वे अपने परामर्शप्राप्तकर्ता संस्थाओं की पहचान कर सकें।

1.8 वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा विचार किए गए और अनुमोदित मुख्य निर्णय।

वर्ष 2018–19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित नौ बैठकें की:

- 531वीं बैठक, 11 मई, 2018
- 532 वीं बैठक, 24 मई, 2018
- 533 वीं बैठक, 9 जुलाई, 2018
- 534 वीं बैठक, 2 अगस्त, 2018
- 535 वीं बैठक, 27 सितम्बर, 2018
- 536 वीं बैठक, 14 नवम्बर, 2018
- 537 वीं बैठक, 10 दिसम्बर, 2018
- 538 वीं बैठक, 29 जनवरी, 2019
- 539 वीं बैठक, 26 फरवरी, 2019

वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नवत विषयों पर आयोग द्वारा मुख्य संकल्प लिए गए—

- मानकों से जुड़े मामलों
- सरकार और अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भ
- विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता संबंधी कार्यक्रम आदि
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान

531वीं बैठक, 11 मई, 2018

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने 'नए सिरे से' श्रेणी के तहत राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (एनआरटीआई), एनएआईआर कैंपस, लालबाग वड़ोदरा- 390004, गुजरात को सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त यह भी विचार किया गया कि एनआरटीआई को छात्रों को नौकरी देने हेतु उपयुक्त कदम उठाने हेतु परामर्श दिया जाए।

532 वीं बैठक, 24 मई, 2018

- आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग की स्थापना करने और विद्यमान रक्षा अध्ययन विभाग को उन्नत बनाकर चार केंद्रीय विश्वविद्यालयों यथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय और राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग बनाने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग के तहत शिक्षण पदों के सृजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिए गए संकल्प की अभिपुष्टि की और साथ ही यह भी अभिपुष्टि की कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के प्रस्ताव पर भी विद्यमान मामलों के साथ विचार किया जाए।
- आयोग ने महाविद्यालयों को स्वायत्ता का दर्जा देने के नए/विस्तार के लिए स्वायत्त महाविद्यालय संबंधी स्थायी समिति के निर्णयों पर विचार किया और अभिपुष्टि की और निम्नवत् विचार किया:
 - i. सेंट स्टीफन महाविद्यालय, नई दिल्ली के मामले पर विचार किया गया और यह संकल्प लिया गया कि इस विषय पर कानूनी राय ली जाए ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्ता प्रदान करना और स्वायत्त महाविद्यालयों में मानकों को बनाए रखने के लिए उपाय) विनियम, 2018 और दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 9क के बीच विवाद की जांच की जाए और इनका समाधान किया जाए। कानूनी राय की प्राप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
 - ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा उठाए गए विसंगतियों के संबंध में अनुपालन सौंपने के लिए कहा जाए।
 - iii. शेष नए मामलों (06) को अनुमोदित कर दिया गया।
 - iv. डॉ० एस.एन.एस राजलक्ष्मी कला और विज्ञान महाविद्यालय, कोयम्बटूर को अलावा सभी विस्तार संबंधी मामलों (18) को अनुमोदित कर दिया गया।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित सनराइज विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय), अलवर, राजस्थान के विरुद्ध 'न्यूज 24 चैनल' द्वारा किए गए स्टिंग आपरेशन में उठाए गए मुद्दों की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तथ्यों का पता लगाने वाली समिति की सिफारिशों पर विचार किया और निम्नवत रूप में इसका निपटारा किया:
 - सनराइज विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय) अलवर, राजस्थान को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।
 - राजस्थान सरकार से अनुरोध किया जाए कि वे धोखाधड़ी पूर्ण कार्य करने और जाली डिग्री देने के लिए आपराधिक उपायों/कार्यवाहियों सहित तत्काल कार्रवाई करें।
 - आगे की कार्रवाई के संबंध में कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लें।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जिस समिति ने दिनांक 29 से 30 मार्च, 2018 के दौरान तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय), गुलटेकडी, पुणे-411037 (महाराष्ट्र) के कार्यकरण की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित समीक्षा करने के लिए दौरा किया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सिफारिश न करने का संकल्प लिया। इसके अतिरिक्त, सम विश्वविद्यालय का दर्जा वापस लेने के संबंध में संस्थान को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और एक माह के भीतर उत्तर प्राप्त किया जाए। इसके अतिरिक्त, इस सम विश्वविद्यालय से कहा गया कि वह कारण बताओ नोटिस के उत्तर के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियों के संबंध में बिंदु-वार उत्तर दें।
- आयोग ने दिनांक 20 से 22 मार्च, 2018 के दौरान पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय (सम विश्वविद्यालय), सेक्टर 12, चंडीगढ़ - 160012 का दौरा करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित कार्यों की समीक्षा की और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सिफारिश नहीं करने का संकल्प लिया। आयोग ने संकल्प लिया कि वह एनबीए प्रत्यायन के लिए तत्काल आवेदन हेतु संस्था को परामर्श दे। आगे यह भी पाया गया कि संस्था के पास इसके आधे पाठ्यक्रमों के लिए एनबीए प्रत्यायन होना चाहिए। एनबीए प्रत्यायन का अनुपालन सौंपे जाने पर इसे आयोग के समक्ष रखा जाए।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की उस रिपोर्ट पर विचार किया जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के अंतर्गत यथा अपेक्षित करपागम ऐकेडेमी ऑफ हॉयर एजुकेशन (सम विश्वविद्यालय), पोचाली मेन रोड, इचनारी पोस्ट, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) के कार्यकरण की समीक्षा के लिए दिनांक 24 से 25 मार्च को दौरा किया और इस शर्त के साथ इसे अनुमोदित किया कि दौरा पर जाने वाली विशेषज्ञ समिति के सुझाव, यदि कोई हों तो, छह माह की अवधि में लागू किया जाए और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपी जाए।
- आयोग ने सम विश्वविद्यालय का दर्जा पाने वाली संस्थानों के ऑफ कैंपस के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए आयोग द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर विचार किया— बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सम विश्वविद्यालय), मेसरा, रांची (झारखंड) के ऑफ कैंपस के बारे में सिफारिशें और यह संकल्प लिया कि विशेषज्ञ समिति द्वारा यथाशीघ्र सभी कैंपसों की जांच की जाए। इसके अतिरिक्त, संस्थान अपने (पटना और देवघर) ऑफ कैंपसों के लिए अनुमोदन प्राप्त करे और प्रवेश लेने से पूर्व एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त करे।
- आयोग ने सम विश्वविद्यालयों वाली संस्थाओं द्वारा पृथक सोसाइटी के सृजन और आस्तियों के अंतरण से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे स्वीकार किया तथा यह संकल्प लिया कि चूंकि इन सम विश्वविद्यालय संस्थानों का सृजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 के पूर्व किया गया था, इसलिए वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के दायरे में नहीं आते हैं। इसलिए, वे सभी मामले जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 के पूर्व सम विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया, को पृथक सोसाइटी/ न्यास के सृजन के प्रावधान से छूट प्रदान की जाए।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कलसालिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन (सम विश्वविद्यालय), आनंद नगर, कृष्णकोईल-626126, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु के कार्यकरण की समीक्षा के लिए दिनांक 28 से 29 अप्रैल, 2018 को इसका दौरा करने वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि दौरा करने वाली समिति के सुझाव, यदि कोई हों तो, छह माह के भीतर लागू किया जाए और इसका अनुपालन रिपोर्ट दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपी जाए।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडबद्ध स्वायत्ता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थानों को श्रेणीबद्ध किए जाने पर विचार किया और 09 सम विश्वविद्यालय संस्थाओं को ग्रेडबद्ध स्वायत्ता प्रदान करने को अनुमोदन प्रदान दिया। इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया गया कि आईएआरआई, नई दिल्ली के पत्र को पृथक सोसाइटी संबंधी मुद्दे के समाधान के बाद जारी किया जाए एवं बिट्स पिलानी के मामले में ऑफ कैंपस संबंधी मामले के समाधान होने के बाद जारी किया जाए।
- आयोग ने आगे सुमनदीप विद्यापीठ द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार किया और ग्रेडबद्ध स्वायत्ता संबंधी सिफारिशों को अनुमोदित करने का संकल्प लिया।
- आयोग ने उन सभी विश्वविद्यालयों को आमंत्रित करने का भी सुझाव दिया जिन्हें अब तक श्रेणी एक और दो के तहत स्वायत्ता प्रदान की गई है ताकि वे यह प्रस्तुति दे सकें कि अगले पांच वर्षों के लिए स्वायत्ता का इस्तेमाल किस प्रकार करने का प्रस्ताव है और उनकी कार्य योजना क्या है।
- आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय/ सम विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय/ शिक्षा संकाय सदस्य को स्थापित करने/ सुदृढ़ करने के लिए पाठ्यक्रमों और जनशक्ति पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने केन्द्रीय/ सम विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों के सृजन पर विचार किया और अनुमोदित किया। इसके अतिरिक्त, यह भी सुझाव दिया गया कि नए पदों के सृजन और नए पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए युक्तियुक्त प्रक्रियाओं को अग्रिम रूप से प्रस्ताव मंगवाकर पूरा किया जाए।
- आयोग ने शुल्क की वापसी तथा मूल प्रमाणपत्रों को संस्थानों में नहीं रखे जाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने केन्द्रीय बौद्ध शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चोगलामसर, लेह (लद्दाख), जम्मू और कश्मीर के कार्यकरण की समीक्षा करने और भविष्य में ऐसे सभी मामलों को देखने के लिए विशेषज्ञों का एक दल गठित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को प्राधिकृत करने पर विचार किया और संकल्प लिया।
- आयोग ने डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन जाने पर इनके शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के संवर्ग ढांचे और पदनामों, वेतन और भत्ते को युक्तिसंगत बनाने व वेतनमान को युक्तिसंगत बनाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने “पश्तो पीठ की स्थापना” के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने 16 से 18 अप्रैल, 2018 के दौरान श्री देवराज उर्स एकेडमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), तमाका, कोलार, कर्नाटक के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए इसका दौरा करने वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के अंतर्गत आवश्यक था तथा इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि दौरा करने वाली विशेषज्ञ समिति के सुझाव, यदि कोई हों, को छह माह की अवधि में लागू किया जाएगा और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा जाएगा।
- आयोग ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में “मालवीय कॉमनवेल्थ चेंबर फॉर क्रॉस बॉर्डर टीचर एजुकेशन” के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2016 में संशोधन पर विचार किया और एमफिल/पीएचडी डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग (एमफिल/पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2016 के खंड 5.4.1 और 5.4.2 में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करते हुए इन विनियमों में आंशिक संशोधन करने का संकल्प लिया:

- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/निःशक्त श्रेणी (5.4.1) के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत से 45 प्रतिशत अंक कर 5 प्रतिशत की छूट दी जाए।
- लिखित परीक्षा में 70 प्रतिशत और साक्षात्कार/ मौखिक परीक्षा में कार्यनिष्पादन के लिए 30 प्रतिशत अंक होंगे (5.4.2)।
- ये उपबंध सरकारी राजपत्र में अधिसूचना किए जाने की तिथि से उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू होंगे।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम) विनियम, 2018 पर विचार किया और इन्हें कुछ संशोधन के साथ अनुमोदित किया।
- आयोग ने सम विश्वविद्यालय संस्थानों के ऑफ कैंपस के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए आयोग द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर विचार किया— ये सिफारिशें सम विश्वविद्यालयों संस्थानों द्वारा आरंभ की गई ऑफ कैंपस/ पाठ्यक्रमों के संबंध में थीं— और संकल्प लिया कि जिन ऑफ कैंपसों का दौरा, विशेषज्ञ समिति द्वारा नहीं किया गया है, उनका दौरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा यथाशीघ्र दौरा किया जाए। विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों पर आयोग द्वारा विचार किया जाए और अनुमोदन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास भेजी जाए। आयोग ने यह भी संकल्प किया कि जो संस्थाएं संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम चला रही हैं, उन्हें यह चलाते रहने की अनुमति दी जाए।

(विशेष पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम आदि)

- आयोग ने योग विज्ञान के एक अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र को स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया और अनुमोदित किया। यह भी संकल्प लिया गया था कि योग विज्ञान अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र को स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु द्वारा दान में दिए गए 10 एकड़ भूमि पर बंगलुरु में स्थापित किया जाए।
- आयोग ने जर्नलों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची पर विचार किया और अनुमोदित किया। इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया गया था कि एक शिकायत निवारण तंत्र को विकसित किया जाए। यह भी सुझाव दिया गया था कि परिषदों, अकादमियों और अन्य संस्थानों यथा आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीपीआर, आईसीएमआर, एनसीईआरटी, आईजीएनसीए, आईआईपीए आदि के प्रतिनिधियों को मुद्दों का विवेकपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए जब कभी आवश्यक हो, स्थायी समिति की बैठकों में विशेष अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया जाए।
- आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) हेतु विअआ द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न सुधार कार्यक्रमों पर विचार किया। उचित चर्चा के बाद आयोग ने 'स्नातक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या आधारित ज्ञान अर्जन परिणाम' को तैयार करने हेतु प्रारूप दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया। ये प्रारूप दिशानिर्देश विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु ज्ञान अर्जन परिणामों के न्यूनतम मानकों को परिभाषित करते हुए पाठ्यचर्या में संशोधन करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान हेतु टेम्पलेट के रूप में कार्य कर सकते हैं।

आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिदेश जिनमें पांच उद्देश्य शामिल हैं, को भी अनुमोदित किया जिन 5 उद्देश्यों को वर्ष 2022 तक प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाना है और इनकी प्राप्ति के लिए 10 पहल के एक सेट का भी उल्लेख किया गया है:

1. छात्रों के लिए स्नातक परिणाम में सुधार करना ताकि उनमें से कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों को रोजगार/ स्वरोजगार प्राप्त हों अथवा उच्चतर शिक्षा लेने हेतु अग्रसर हों।
2. समाज/उद्योग के साथ छात्रों के संबंध को इस प्रकार बढ़ावा देना कि कम से कम दो तिहाई छात्र संस्थाओं में अपने अध्ययन के दौरान सामाजिक रूप से उत्पादक क्रियाकलापों में शामिल हो सकें।

3. छात्रों को अनिवार्य पेशेवर कौशल यथा टीम वर्क, संप्रेषण कौशल, नेतृत्व कौशल, समय प्रबंधन कौशल आदि में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा छात्रों में नवोन्मेष/उद्यमशीलता एवं महत्वपूर्ण विचार को अंतर्निविष्ट करना और इन प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए अवसरों को बढ़ावा देना।
4. यह सुनिश्चित करना कि किसी भी समय शिक्षकों की रिक्तियां संस्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हों; तथा संबंधित ज्ञान और अध्यापन के संबंधित क्षेत्र में अद्यतन और उभर रहे रुझानों के बारे में सभी शिक्षकों को अनुकूलित किया जाए जिससे कि छात्रों को ज्ञान प्राप्त हो।
5. वर्ष 2022 तक 2.5 के न्यूनतम अंक के साथ प्रत्येक संस्थान एनएएससी प्रत्यायन प्राप्त करे।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा निम्नलिखित पहल की जाएंगी:

1. छात्रों के लिए प्रवेशन कार्यक्रम
2. ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या रूपरेखा— नियमित अंतराल में पाठ्यचर्या में संशोधन।
3. प्रभावी शिक्षण ज्ञानअर्जन प्रक्रिया के लिए आईसीटी आधारित ज्ञानअर्जन साधनों का उपयोग।
4. छात्रों के लिए व्यवहार कौशल।
5. प्रत्येक संस्थान के लिए सामाजिक और औद्योगिक संबंध: ग्रामीण समुदायों से ज्ञान सांझा करने और समग्र सामाजिक/आर्थिक बेहतरी के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय कम से कम 5 गांवों को गोद लेगा और प्रत्येक महाविद्यालय कम से कम एक गांव को गोद लेगा।
6. परीक्षा संबंधी सुधार— संकल्पना और अनुप्रयोग का परीक्षण; निर्गम परीक्षाएं आयोजित करना।
7. पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद छात्रों की कैरियर में होने वाली प्रगति का पता लगाना।
8. सभी नए शिक्षकों के लिए प्रवेशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, और सभी शिक्षकों के लिए वार्षिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण—एनआरसी की भूमिका; एवं सभी शैक्षिक प्रशासकों के लिए अनिवार्य नेतृत्व/ प्रबंधन प्रशिक्षण।
9. संकाय सदस्यों द्वारा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देना और नए ज्ञान का सृजन करना।
10. गैर-प्रत्यायित संस्थानों को परामर्श देना ताकि प्रत्येक संस्था वर्ष 2022 तक प्रत्यायन प्राप्त कर सकें।

सभी विश्वविद्यालयों को उपर्युक्त पहलों के कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार करने और बताए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने व जुलाई, 2018 से पूर्व इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपने के लिए कहा जाए।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ई-गवर्नेंस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रदान करने के लिए एनआईएसजी के प्रस्ताव पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन, बंगलुरु के पद के लिए छानबीन समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने निदेशक, आईएनएफएलआईबीएनईटी, गांधीनगर, गुजरात के पद के लिए छानबीन समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया। यह भी संकल्प लिया गया कि इस के लिए यथाशीघ्र पुनः विज्ञापन दिया जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया गया कि वर्तमान निदेशक के कार्यकाल को छह माह अथवा नए निदेशक के आने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाए।

(विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान)

- आयोग ने दिनांक 30 सितम्बर, 2017 के बाद बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता योजना के उपयोग के लिए समय विस्तार पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एनएसक्यूएफ योजनाओं यथा समुदाय महाविद्यालयों, बी. वोक. डिग्री पाठ्यक्रम और डीडीयू कौशल के तहत अनुदान सहायता के जारी रहने पर विचार किया तथा सभी विद्यमान योजनाओं को समाकलित करते हुए एवं साझा मानकों का अनुसरण करते हुए व्यावसायिक योजनाओं के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया। यह भी संकल्प लिया गया कि गैर-तकनीकी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षा वर्ष 2018-19 के दौरान 1.5 लाख छात्रों को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

533 वीं बैठक, दिनांक 09 जुलाई, 2018

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने दिनांक 05 जून, 2018 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 15-1/2018-यू3(ए) के संदर्भ में सम विश्वविद्यालय संस्थानों के ऑफ कैंपस प्रस्ताव के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आयोग का

परामर्श भेजने के हेतु अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राधिकृत करने हेतु विचार किया और तथा अनुमोदित किया।

- आयोग ने नव स्थापित सुपर स्पेशलिटी कॉम्प्लेक्स, सर सुंदरलाल अस्पताल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में जनशक्ति संबंधी आवश्यकता के लिए प्रस्ताव का आंकलन करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और इन्हें इस सुझाव के साथ अनुमोदित किया कि संभार तंत्र और अवसंरचना की तैयारी के मद्देनजर चरणबद्ध तरीके से पदों को भरा जाए ताकि भरे गए पदों का इष्टतम उपयोग किया जा सके।
- आयोग ने प्रारूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2018 पर विचार किया और अनुमोदित किया। यह भी संकल्प लिया गया कि प्रारूप विनियमों को हितधारकों को 15 दिनों का समय देते हुए उनकी टिप्पणियाँ प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर डाला जाए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को इन विनियमों में हितधारकों से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल करने के लिए प्राधिकृत किया जाए एवं उसके बाद इस पर सहमति के लिए इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भेज दिया जाए।
- आयोग ने टैगोर शिक्षा महाविद्यालय, इंदौर को नया स्वायत्त दर्जा देने के संबंध में कानूनी राय के संबंध में स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने तीन निजी संस्थाओं के लिए उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) का दर्जा दिए जाने हेतु अधिकार प्राप्त समिति (ईईसी) की रिपोर्ट और सिफारिशों पर विचार किया और इसके अनुमोदन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मासंविम) के पास भेजने की सिफारिश की। संस्तुत संस्थान, निम्नवत स्वरूप के हैं:

1. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी (ब्रॉउन फील्ड संस्थान)
2. मनिपाल एकेडेमी ऑफ हॉयर एजुकेशन (ब्रॉउन फील्ड संस्थान)
3. जियो इंस्टीट्यूट (रिलायंस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च) (ग्रीन फील्ड संस्थान)

इसके अतिरिक्त, निजी और सरकारी संस्थानों के लिए समान महत्व के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ईईसी द्वारा संस्तुत आठ सरकारी संस्थाओं में से आयोग ने आईओई दर्जा प्रदान करने के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (2018) में सबसे ऊंची रैंकिंग के साथ तीन संस्थानों को संस्तुत किया:

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (क्यूएस रैंकिंग 172)
2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई (क्यूएस रैंकिंग 179)
3. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु (क्यूएस रैंकिंग 190)

तथापि, आयोग ने इस बात को दोहराया कि आईओई प्रदान करने के लिए ईईसी द्वारा संस्तुत शेष पांच सरकारी संस्थानों पर आयोग द्वारा बाद में विचार किया जाएगा।

आयोग ने आठ क्षेत्रगत संस्थानों के बारे में ईईसी की टिप्पणियों को नोट किया जिनमें संस्थानों में अपने संबंधित क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिखर तक पहुंच की अधिक क्षमता के बारे में उल्लेख है और यह सिफारिश की कि सरकार उनमें निवेश करने के लिए एक पृथक पाठ्यक्रम आरंभ कर सकती है। आयोग ने यह संकल्प किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन क्षेत्रीय संस्थाओं के लिए विशेष रणनीति पर विचार करे।

आयोग ने देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के लिए ईईसी द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों की सराहना की और संकल्प लिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन सुझावों को ध्यान में रखे व इसके लिए उचित रणनीति बनाएं।

आयोग ने उत्कृष्ट संस्थाओं के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने व अपनी रिपोर्ट व सुझावों को सौंपने का कार्य करने के लिए ईईसी हेतु अपनी सराहना को दर्ज किया।

आयोग ने आगे संकल्प लिया कि ईईसी से सभी 20 संस्थाओं की पहचान किए जाने तक आईओई के रूप में घोषणा किए जाने के लिए उपयुक्त संस्थानों की पहचान की प्रक्रिया को जारी रखने का अनुरोध किया जाए।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [ग्रिडबद्ध स्वायत्ता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों का श्रेणीकरण] विनियम, 2018 के खंड 4.3 और 5.2 में संशोधन पर विचार किया और अनुमोदन दिया— संदर्भ— मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दिनांक 05 जून, 2018 का पत्र संख्या एफ 15-1/2018- यू3(ए)।
- आयोग ने नेहरू ग्राम भारती (एनजीबी) (सम विश्वविद्यालय), कोटवा-जमुनीपुर, दुववाली, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का 04 से 05 मई, 2018 को इसके कार्यकरण की समीक्षा के लिए दौरा करने वाली विअआ की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया था जो विअआ (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित था और संकल्प लिया कि नेहरू ग्राम भारती के मामले को सम विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास सिफारिश नहीं की जाए। नेहरू ग्राम भारती को अगले शैक्षिक वर्ष तक एक वर्ष के भीतर विश्वविद्यालय के रूप में संबद्ध होने के लिए कहा जाए। तथापि, वर्तमान में प्रवेश पाने वाले छात्र नेहरू ग्राम भारती (सम विश्वविद्यालय) से अपनी डिग्री लेते रहेंगे। अगले शैक्षिक सत्र से छात्रों को नेहरू ग्राम भारती के संबद्धता प्राप्त करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश देना चाहिए।
- आयोग ने विअआ अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी), नई दिल्ली को जम्मू (जम्मू और कश्मीर), अमरावती (महाराष्ट्र), आइजॉल (मिजोरम), कोट्टयम (केरल) और धनकनाल (ओडिशा) स्थित अपने पांच क्षेत्रीय कैंपसों के साथ 'नए सिरे से' श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए गठित विअआ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और संकल्प किया कि भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली को नए सिरे से श्रेणी के तहत दर्जा देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास संस्तुति की जाए।
- आयोग ने बीएचयू में संवर्ग और नर्सिंग अधीक्षक को अनुसूची भाग ख '19' के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित पीबी 15600-39100+ 6600 जीपी (छठे सीपीसी के तहत) वेतनमान को विस्तार देने के लिए बीएचयू के अनुरोध पर विचार किया। आयोग ने एजेंडा और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अपर सचिव की टिप्पणियों पर विचार किया और संकल्प किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा जाए जिसे वह अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पास आगे अग्रेषित करे।
- आयोग ने विअआ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में मीनाक्षी एकेडमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एंड रिसर्च (एमएएचईआर) (सम विश्वविद्यालय), वेम्बुलियम कोइल स्ट्रीट, वेस्ट के.के.नगर, चेन्नई- 600078 (तमिलनाडु) से प्राप्त उत्तर पर विचार किया और संकल्प किया कि किसी अन्य विशेषज्ञ समिति द्वारा कारण बताओ नोटिस के उत्तर के विधिमान्यकरण करने के लिए मीनाक्षी एकेडमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एंड रिसर्च (एमएएचईआर) का दौरा किया जाए। तथापि, पूर्व की समिति के कुछ सदस्यों को इस समिति में शामिल किया जा सकता है। समिति को शुल्क/ कैपिटेशन शुल्क और चिकित्सा पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की उपलब्धता की भी जांच करनी चाहिए।
- आयोग ने विअआ द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन (सम विश्वविद्यालय), गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर, जिला चुरू, राजस्थान- 331403 को जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्राप्त उत्तर पर विचार किया और संकल्प लिया कि विअआ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, कारण बताओ नोटिस का उत्तर, शपथपत्र, शैक्षणिक परिणाम आदि की विअआ अध्यक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा समग्र रूप से समीक्षा की जाए। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाए।
- आयोग ने दिनांक 12 से 13 जुलाई, 2018 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रयोनोरशिप एंड मैनेजमेंट (एनआईएफटीईएम) (सम विश्वविद्यालय), कुंडली, सोनीपत (हरियाणा) का विअआ (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के अंतर्गत यथा अपेक्षित इसके कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए दौरा करने वाली विअआ की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और संकल्प किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रयोनोरशिप एंड मैनेजमेंट (एनआईएफटीईएम) (सम विश्वविद्यालय), कुंडली, सोनीपत, (हरियाणा) को वर्ष 2020 तक दो

वर्षों के लिए सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की संस्तुति की जाए। इस सम विश्वविद्यालय संस्था को दो वर्षों के भीतर एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए कहा जाए और इसी अवधि के दौरान वह विअआ को अनुपालन रिपोर्ट सौंपे।

- आयोग ने विअआ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जिस विशेषज्ञ समिति ने विअआ अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत 'नए सिरे से' श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए प्रस्ताव का मूल्यांकन करने हेतु दिनांक 04 से 05 मई, 2018 के दौरान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हीयरिंग, मनसागंगोत्री, मैसूरु, कर्नाटक का दौरा किया था और संकल्प लिया कि 'नए सिरे से' ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हीयरिंग, मनसागंगोत्री, मैसूरु, कर्नाटक को आशय पत्र (एलओआई) प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को संस्तुति की जाए। इस संस्थान से विअआ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित अपक्षाओं को पूरा करने के लिए कहा जाए।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडबद्ध स्वायत्ता देने के लिए विश्वविद्यालयों का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 के श्रेणी-1 के तहत स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (सम विश्वविद्यालय) बंगलुरु (कर्नाटक) के श्रेणीकरण के प्रस्ताव पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने महाविद्यालय शिक्षकों/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्षों/ कुलपतियों/ आयोग सदस्यों और विअआ अधिकारियों के लिए यात्रा अनुदान योजना को जारी रखने पर विचार किया और अनुमोदित किया। इसके अतिरिक्त, यह संकल्प लिया गया कि इस योजना के अंतर्गत (एक) कुलपतियों को उनकी पात्रता के अनुसार उस श्रेणी में यात्रा की अनुमति हो; (दो) विअआ सदस्यों को 'बिजेनेस क्लॉस' / 'एक्जीक्यूटिव क्लॉस' में यात्रा करने की अनुमति दी जाए।
- आयोग ने विअआ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में विनायक मिशनंस रिसर्च फाउंडेशन (सम विश्वविद्यालय), राष्ट्रीय राजमार्ग-47, संकारी मेन रोड, अरियानूर, सालेम, तमिलनाडु-636308 से प्राप्त उत्तर पर विचार किया और संकल्प लिया कि विअआ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, कारण बताओ नोटिस का उत्तर, शपथपत्र, अकादमी परिणाम आदि की विअआ अध्यक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा समग्र रूप से समीक्षा की जाए। इसके अतिरिक्त, समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई की जाए।
- आयोग ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) पाठ्यक्रम को रद्द करने/ मान्यता समाप्त किये जाने पर विचार किया और निम्नलिखित को अनुमोदित किया:
 1. उच्चतर शिक्षा संस्थान को उन पाठ्यक्रमों के मामले में अभ्यावेदन देने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा जिन मामलों में रद्द किए जाने के आधार के साथ रद्द करने की सूचना प्रदान की गई है।
 2. प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच के लिए विअआ के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली एक विशेषज्ञ समिति होगी। यदि आवश्यक हो तो यह समिति सुनवाई के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान को बुला सकती है।
 3. विअआ के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाने वाली एक स्थायी अपीलीय समिति होगी। इस स्थायी अपीलीय समिति की संरचना और विचारार्थ विषय एवं अपील निपटान प्रक्रिया का संकल्प विअआ के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
 4. अपील के लिए शुल्क प्रति पाठ्यक्रम दस हजार रुपये होगा।
 5. विअआ के अध्यक्ष को उपर्युक्त क्रम संख्या 2 और 3 में यथा उल्लिखित समिति की सिफारिशों के आधार पर संकल्प लेने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। लिए गए संकल्प के बारे में उच्चतर शिक्षा संस्थान को सूचना प्रदान की जाएगी और आयोग को आगामी बैठक की सूचना दी जाएगी।
- क. आयोग ज्ञान अर्जन सहायक केन्द्र/ अध्ययन केन्द्रों, मान्यता अवधि, वर्ष 2018-19 के बाद से दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की मान्यता के लिए 'इंटरफेस समितियों' की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया और यह संकल्प किया कि निम्नलिखित निर्णयों के साथ मान्यता अथवा अन्यथा सूचना प्रदान की जाए:-

1. दूरस्थ शिक्षा पद्धति में एमबीए/ एमसीए/ बीएड/ एमएड/ बीएड (विशेष शिक्षा)/एमएड (विशेष शिक्षा)/होटल प्रबंधन पाठ्यक्रमों को संबंधित विनियामक प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन के बिना मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी; यह निर्णय वर्ष 2018-19 और उसके बाद के लिए मान्य होगा।
 2. एनएएसी के बिना उच्चतर शिक्षा संस्थान जिन्होंने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा विनियम, 2017 के दूसरे संशोधन के अनुसार तीन माह की अवधि में एनएएसी के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी।
 3. नियमित रूप से पिछले पांच वर्षों से एक ही प्रकार के/समान पाठ्यक्रमों को नहीं चलाने वाले निजी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी।
 4. तमिल विश्वविद्यालय के मामले में विआ इंटरफेस समिति की सिफारिशों (नियमित रूप वाले पाठ्यक्रम और सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पूर्ण एसएलएम की उपलब्धता) के संबंध में अभिपुष्टि करेगा और अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ उपयुक्त संकल्प लेगा।
 5. विआ की डिग्री संबंधी विशिष्टियों के अनुसार अमान्य नाम वाले पाठ्यक्रमों के मामले में विआ सही नाम के साथ अनुमोदन प्रदान कर सकता है।
 6. उपर्युक्त निर्णयों के मद्देनजर, इंटरफेस समितियों की सिफारिशों में बदलाव विआ के अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ किए जाएंगे और इसकी सूचना आने वाली बैठक में आयोग को दी जाएगी।
 7. उच्चतर शिक्षा संस्थान को पाठ्यक्रम-वार कमियों के बारे में बतलाते हुए आयोग के संकल्प में उल्लिखित कारणों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अभ्यावेदनों को सौंपने के लिए 30 दिनों की समयावधि दी जाएगी और विआ (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के संगत प्रावधानों व इसमें संशोधनों के अनुसार संसाधित किया जाएगा।
 8. आयोग ने संकल्प लिया कि केवल चालू शिक्षा वर्ष 2018-19 के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 तक दाखिला प्रक्रिया को पूरा करेगा और उसके बाद कोई भी दाखिला नहीं होगा।
- ख. आयोग ने विआ (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के गुणवत्तापूर्ण प्रावधानों और इसके संशोधनों को नोट किया ताकि देश में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। आयोग ने पाया कि मूल (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियमों के संबंध में दूसरे संशोधन (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियमों ने एक असंगत स्थिति उत्पन्न की है जहां बिना एनननसी प्रत्यायन अंक वाले विश्वविद्यालय पात्र बन गए हैं, जबकि 3.4 तक एनएएसी अंक वाले विश्वविद्यालय भी पात्र नहीं हैं। आयोग ने भी प्रो. (श्रीमती) सुषमा यादव, आयोग सदस्य और प्रो. आई.एम. कपाही, पूर्व आयोग सदस्य से प्राप्त मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रस्तावों की प्रथम स्तर की जांच करते हुए दिनांक 22 और 23 मई, 2018 को लिखित रूप में जतायी गई ऐसी ही चिंताओं को भी नोट किया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने पाया कि उपलब्ध एनएएसी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में 865 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में से केवल 61 विश्वविद्यालयों के पास सीजीपीए 3.26 और इससे अधिक है। इससे सुगम्यता को बढ़ाने का उद्देश्य पूरा नहीं होता है ताकि सकल दाखिला अनुपात में बढ़ोतरी हो सके। तथापि, विस्तार में दोनों ही संघटक यथा गुणात्मक और परिमाणात्मक होंगे। आयोग ने विआ (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के गुणवत्ता आश्वासन उपबंधों के साथ विस्तारपूर्वक उपर्युक्त पर और इसके संशोधनों व एनएएसी प्रत्यायन के प्रभाव पर विचार विमर्श किया और निम्नलिखित संकल्प लिया:
1. शुरुआत से ही पात्रता शर्त के रूप में एनएएसी का आरोपण नहीं होगा और इसे समयबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा संस्थान का मूल्यांकन विआ (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 और इसके संशोधनों द्वारा निर्धारित अन्य सभी प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा।
 2. तदनुसार, विआ (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) दूसरा संशोधन विनियम, 2018 को संशोधित किया जाएगा और विनियम 3, उप विनियम 1, खंड (viii) में निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:— “(viii) उच्चतर शिक्षा संस्था ने अपने पांच वर्ष पूरा कर लिया है। बशर्ते कि उच्चतर शिक्षा संस्थान इस संबंध में एक परिचय देगा कि यह शिक्षा वर्ष 2019-20 के अंत तक 4 प्वाइंट स्केल में एनएएसी के 3.26 अंक प्राप्त कर लेगा, इसमें असफल रहने पर आयोग उस

उच्चतर शिक्षा संस्थान को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों को कोई अनुमोदन नहीं देगा। बशर्ते कि यह खंड मुक्त विश्वविद्यालयों के एनएएसी प्रत्यायन हेतु पात्र बनने तक उन पर लागू नहीं होगी और मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे इस हेतु पात्र बनने के लिए एक वर्ष के भीतर एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त करें। बशर्ते कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कोई भी संस्था समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित विद्यमान सम विश्वविद्यालय और अन्य संगत विनियमों के अनुसार मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यचर्या अथवा पाठ्यक्रमों को चलाएगा। बशर्ते कि, उच्चतर शिक्षा संस्थाएं जो सम विश्वविद्यालय हैं, उन्हें विशिष्ट पाठ्यक्रमों हेतु मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यचर्या चलाने के लिए सम विश्वविद्यालय को विशेषरूप से अनुमति प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्षीन मुक्त और दूरस्थ शिक्षा देने के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी एवं 'ऑफ कैम्पस केन्द्रों' के बाद अध्ययन केंद्रों की एक-एक करके जांच की जाती है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पर्याप्त पाया जाता है और अनुमोदन, पाठ्यचर्या अथवा पाठ्यक्रम विशिष्ट होगा।"

3. आयोग ने विअआ (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के अनुबंध दस की मद संख्या 6 के संगत प्रावधान को संशोधित करने का भी संकल्प लिया; ये उपबंध मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम की पूर्ण क्षमता को सीमित करने संबंधी हैं जो समान प्रकार के परंपरागत पाठ्यक्रम की क्षमता और मुख्य कैम्पस में कुल क्षमता वाली है, यह निम्नानुसार है:

- (i) शिक्षार्थी सहायता केन्द्र/ अध्ययन केन्द्र और मुख्य कैम्पस में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में अंतर्ग्रहण पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- (ii) छात्रों की संख्या की तुलना में योग्य परामर्शदाताओं का अनुपात 1:100 होगा।
- (iii) मद संख्या 6 के शेष संघटक वही होंगे।
- (iv) तदनुसार, मद संख्या 6 को संशोधित किया जाएगा।

4. आयोग ने उपर्युक्त क्रम संख्या 2 पर लिए निर्णय और दूरस्थ शिक्षा में समानता को बनाए रखने के विचारार्थ संकल्प लिया कि विअआ (ऑनलाइन पाठ्यचर्या अथवा पाठ्यक्रमों) विनियम, 2018 में उसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा और तदनुसार ही, विनियम 4, उप विनियम (1), खंड (ii) और (iii) में निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:—

“(ii) उच्चतर शिक्षा संस्थान इस बारे में एक परिचय देगा कि वह 4 प्वाइंट स्केल पर एनएएसी का 3.26 अंक प्राप्त करेगा और उसे पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम एक वर्ष और शिक्षा वर्ष 2019–20 के अंत तक राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे (एनआईआरएफ) में समग्र श्रेणी में शीर्ष 100 में होना चाहिए, इसमें असफल होने पर आयोग उक्त उच्चतर शिक्षा संस्थान के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को कोई अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा।” बशर्ते कि यह खंड एनएएसी अथवा समान प्रत्यायन प्रणाली और एनआईआरएफ के ऐसे मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए उपलब्ध कराए जाने तक लागू नहीं होंगे।

- आयोग ने विअआ (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय), एयरपोर्ट रोड, प्रताप नगर, उदयपुर, राजस्थान-313001 के कार्यकरण की समीक्षा के लिए 18 से 19, जून, 2018 के दौरान इसका दौरा करने वाली विअआ की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया था और इस विद्यापीठ के सम विश्वविद्यालय के दर्जे को बनाए रखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सिफारिश करने का संकल्प लिया।
- आयोग ने डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के दैनिक कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम वेतनमान और मंहगाई भत्ता प्रदान करने के लिए इस विश्वविद्यालय के अनुरोध पर विचार किया और अनुमोदित किया।

(विशेष पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम आदि)

- आयोग ने गैर-तकनीकी उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवेशन पाठ्यक्रम हेतु मार्गदर्शिका पर विचार किया और निम्नलिखित संशोधनों के साथ इन्हें अनुमोदित किया: (एक) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के मुद्दों और आवश्यकताओं का मूल्यांकन और निवारण किया जाना चाहिए। (दो) भाषा और परिमाणात्मक पाठ्यचर्या के संबंध में नए दाखिले लिए छात्रों की आवश्यकताओं का आकलन किया जाए और ऐसे विषयों में कमजोर छात्रों को ब्रिज/ प्रारंभिक पाठ्यचर्या कराया जाए।
- आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) के अद्यतन दिशानिर्देशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने निदेशक, आईयूसी, नई दिल्ली की नियुक्ति के संबंध में छानबीन समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया। प्रो. अविनाश चंद्र पांडेय को इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर, नई दिल्ली के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान)

- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना आबंटन के लिए दिनांक 31 मार्च, 2019 तक राज्य विश्वविद्यालयों के ब्लॉक अनुदान की उपयोगिता के विस्तार पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने जम्मू विश्वविद्यालय (जम्मू) में अभ्यागत संकाय सदस्य के रूप में कार्य करते हुए दिनांक 01 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के दौरान कश्मीरी प्रवासी शिक्षक डॉ. निरोजिनी भान भट के संबंध में अध्यापकता के विस्तार को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया और अनुमोदित किया।

535 वीं बैठक, दिनांक 27 सितम्बर, 2018

- आयोग ने विअअ अधिनियम, 1956 की धारा 2(च), 12(ख) के तहत अनुदेशों के अनुमोदन और धारा 13 के तहत अनुपालन पर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की और निर्णय लिया कि:
 - i. विश्वविद्यालयों को परामर्श प्रदान किया जाए कि दो वर्षों के बाद इन विश्वविद्यालयों में विशेषज्ञ समिति के दौरे के बजाय तुरंत अनुपालन रिपोर्ट सौंपे।
 - ii. उच्चतर शिक्षा संस्थानों से कहा जाए कि वे अपनी वेबसाइट पर सहायक दस्तावेजों, चित्रों, वीडियो और जियोटैगिंग के साथ अपनी संस्था के बारे में सभी संगत सूचना डालें।
 - iii. इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों के वास्तविक दौरे को कम किया जाए।
- आयोग ने महाविद्यालयों को स्वायत्ता का नए सिरे से दर्जा दिए जाने/ विस्तार करने के लिए स्वायत्त महाविद्यालय संबंधी स्थायी समिति के निर्णयों पर विचार किया और अभिपुष्टि की और सभी 19 महाविद्यालयों को स्वायत्ता के दर्जे में विस्तार देने का निर्णय लिया।
- आयोग ने विअआ (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 में यथा अपेक्षित नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (सम विश्वविद्यालय), वी. एल. मेहता रोड, विले पारले (पश्चिम), मुम्बई (महाराष्ट्र) के दर्जे पर विचार किया और उसकी समीक्षा की अभिपुष्टि की।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने विअआ विनियम के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य के रूप में नियुक्ति के लिए बी.टेक के बाद सीधे पीएचडी उपाधि (निष्णात उपाधि के बिना) पर विचार किया और यह संकल्प लिया कि एक स्पष्टीकरण जारी किया जाए। साथ ही, इसकी सूचना विसंगति निवारण समिति को दी जाए।
- आयोग विअआ (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित महर्षि मार्कण्डेयवर (सम विश्वविद्यालय), मुलाना, अम्बाला (हरियाणा) के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए दिनांक 08 से 10 अगस्त, 2018 के दौरान इसका दौरा करने वाली विअआ विशेष समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदन किया।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडबद्ध स्वायत्ता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों (केवल) के श्रेणीकरण) विनियम, 2018 के श्रेणी-I के तहत एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलॉजी (सम विश्वविद्यालय), एसआरएम नगर, कट्टनकुलाथुर- 603203, जिला-कांचीपुरम, तमिलनाडु के श्रेणीकरण पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने कैरियर प्रगति के उद्देश्य से दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक शिक्षकों/सहायक कुल सचिव/सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष/ उप पुस्तकाध्यक्ष/शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक/शारीरिक शिक्षा के महाविद्यालय निदेशक के संबंध में अभिविन्यास/ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने की तिथि में विस्तार करने पर विचार किया और इसका अनुमोदन किया।
- आयोग ने विअआ (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत यथा आवश्यक इंस्टीट्यूट ऑफ अर्मामेंट टेक्नोलॉजी (सम विश्वविद्यालय) गांधी नगर, पुणे-411025 (महाराष्ट्र) के कार्यकरण की समीक्षा के लिए दिनांक 23 से 24 अगस्त, 2018 के दौरान इसका दौरा करने वाली विअआ की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने इस समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र/विअआ वित्तपोषित सम विश्वविद्यालयों में शिक्षणेत्तर पदों के सृजन के मुद्दे पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित नए विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने चालू शिक्षा वर्ष 2018-19 में प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 को बढ़ाने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से प्राप्त अनुरोध पर विचार किया और वर्ष 2018-19 से आगे 20 अक्टूबर, 2018 तक के लिए दूरस्थ शिक्षा पद्धति के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया। उच्चतर शिक्षा संस्थान दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 तक दाखिले की प्रक्रिया को पूरी कर लेगी और उसके बाद कोई प्रवेश नहीं लिया जाएगा।
- आयोग ने तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय) द्वारा सौंपे गए कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार किया और इसके सम विश्वविद्यालय के दर्जे को जारी रखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मामले की सिफारिश नहीं भेजने का संकल्प लिया। तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ से एक वर्ष के भीतर अर्थात् अगले शिक्षा सत्र तक किसी विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध होने के लिए कहा जा सकता है। तथापि, वर्तमान में प्रवेश लेने वाले छात्रों को तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय) से अपनी उपाधियां प्राप्त होती रहेंगी। अगले शिक्षा सत्र से छात्रों को तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ द्वारा किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के बाद ही दाखिला मिलेगा।
- आयोग ने नए पाठ्यचर्या/ पाठ्यक्रम/ विभाग/ विद्यालय/ केन्द्र को आरंभ करने के लिए सम विश्वविद्यालय संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित विअआ की स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत 'नए सिरे से' श्रेणी (स्थापित की जाने वाली) के तहत केशव विद्यापीठ के नाम से सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए सोसाइटी फॉर द स्टडी, सर्वे एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर, पर्णकुटी, अनंतपुर, यूनिवर्सिटी रोड, रीवा, मध्यप्रदेश द्वारा सौंपे गए प्रस्ताव के 'नए सिरे' वाली श्रेणी के तहत इस प्रस्ताव को रद्द करने के लिए समिति की सिफारिशों पर विचार किया और स्वीकार किया।
- आयोग ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया जिनकी सिफारिशें उन अभ्यागत विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों पर आधारित हैं जिन्होंने शिक्षा सत्र 2018-19 और उसके बाद से दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रमों/ पाठ्यचर्या हेतु सम विश्वविद्यालयों/ निजी विश्वविद्यालयों का दौरा किया था तथा निम्नलिखित का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, एमबीए, एमसीए, यात्रा और पर्यटन जैसे मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई से प्राप्त पत्र के अनुसार आयोग के संकल्प के जारी करने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में एक वचन लिया जाएगा।

1. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान: आयोग ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों अर्थात् मुख्यालयों एवं नई दिल्ली, मुम्बई, गुरुवयूर, इलाहाबाद, लखनऊ, जयपुर, जम्मू, गर्ली (हिमाचल प्रदेश), भोपाल, पुरी और श्रृंगेरी स्थित अनुमोदित ऑफ कैंपस में उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा पेशकश किए जाने वाले सिफारिशों के पृष्ठ में यथा उल्लिखित दो पाठ्यक्रमों के अनुमोदन पर विचार किया और अनुमोदित किया। दिनांक 22 अगस्त, 2016 के एनएएसी पत्र संख्या 22-5/जीएच/डीओ/2016 के आधार पर एनएएसी शर्त में छूट दी गई जिसमें यह उल्लेख था कि “विअआ और एनएएसी संस्कृत विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के लिए अनुदान एवं प्रत्यायन उद्देश्यों के लिए पृथक मानकों को तैयार करें।”
2. जैन विश्वविद्यालय: आयोग ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश अर्थात् इन सिफारिशों संबंधी शीट में यथा उल्लिखित अन्य ब्योरो के साथ बारह पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया।
3. एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी: आयोग ने समग्र सिफारिशों के साथ पांच पाठ्यक्रमों की सिफारिश करते हुए कि ‘एनएएसी अपेक्षाओं के गैर- अनुपालन के कारण पात्र नहीं’ की सिफारिश करते हुए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया। आयोग ने यह कहते हुए एनएएसी से ई-मेल के माध्यम से स्पष्टीकरणों को भी नोट किया कि एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास विअआ से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संबंधी आवेदन करते समय एनएएसी था और वर्तमान में भी 3.55 का एनएएसी सीजीपीए 15 अगस्त, 2023 तक मान्य है।

उपर्युक्त के मद्देनजर आयोग ने संकल्प लिया कि पाठ्यक्रम-वार मान्यता संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के जानकारी प्रदान की जाएगी।

4. जगद्गुरु श्री शिवरात्रीस्वारा विश्वविद्यालय
5. जैन विश्व भारती संस्थान
6. दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
7. डॉ. डी. वाई. पाटील विद्यापीठ

उपर्युक्त क्रम. सं. (4), (5), (6) और (7) में उल्लिखित सभी चार उच्चतर शिक्षा संस्थान के लिए आयोग ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और संकल्प किया कि अभ्यागत विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की तुलना में समिति की सिफारिशों और इस रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्य की पुनःपुष्टि की आवश्यकता है तथा तदनुसार ही संकल्प लिया कि उच्चतर शिक्षा संस्थान को उसी विशेषज्ञ समिति के साथ आमुख बैठक के लिए बुलाया जाएगा जिसने अभ्यागत विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर और विअआ के अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ इस संकल्प को संसूचित किया जाएगा। इस प्रकार लिए गए संकल्प की सूचना आयोग की आने वाली बैठक में दी जाएगी।

8. सिक्किम मनिपाल विश्वविद्यालय
9. जामिया हमदद
10. मैट्स विश्वविद्यालय

उपर्युक्त क्र.सं. (8), (9) और (10) पर उल्लिखित सभी तीनों उच्चतर शिक्षा संस्थान के लिए आयोग ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों अर्थात् संबंधित सिफारिश शीट में उल्लिखित कारणों के आधार पर किसी पाठ्यक्रम को मान्यता नहीं देने पर विचार किया और अनुमोदित किया।

क्रम. सं. (1) से (10) में तथा उल्लिखित उच्चतर शिक्षा संस्थान के मामले में कमी वाले पाठ्यक्रमों के लिए यथा प्रयोज्य, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विअआ (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 और इसके संशोधन में निहित प्रावधानों के अनुसार अभ्यावेदन देने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा तथा आयोग की दिनांक 02 अगस्त, 2018 को हुई 534वीं बैठक में निर्णय लिया गया।

- आयोग ने वर्ष 2018-19 और उसके बाद से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने के लिए इंटरफेस विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया। एजेंडा में संदर्भित विशेष मामलों के संबंध में आयोग के संकल्प निम्नवत् हैं: -

- क. एम. जी. चित्रकूट विश्वविद्यालय: आयोग ने इंटरफेस विशेष समिति की सिफारिशों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदित किया अर्थात् पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान किए जाने को सर्वप्रथम संसूचित किया जाए और वर्ष 2018-19 में प्रयोगशाला और अन्य सुविधाओं के होने के सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय का दौरा किया जाना चाहिए।
- ख. मद्रास विश्वविद्यालय: आयोग ने इंटरफेस विशेषज्ञ समिति की दो कार्यक्रमों के नामकरण से संबंधित सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- ग. उ.प्र. राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय: आयोग ने इंटरफेस विशेष समिति को सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- घ. स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय: आयोग ने एम.ए. के छह कार्यक्रमों से संबंधित इंटरफेस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- ङ. पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय: आयोग ने इंटरफेस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया। यह पाया गया कि विशेषज्ञ समिति ने मास्टर ऑफ साइंस/एम. ए. (गणित) की सिफारिश की है। एमएससी (गणित) और एमए (गणित) दो स्वतंत्र पाठ्यक्रम हैं। और विनियमों के अनुसार छह (प्रति पाठ्यक्रम तीन) संकाय सदस्यों की आवश्यकता है। मूल्यांकन पृष्ठ में एमएससी (गणित) के बदले तीन संकाय सदस्यों का उल्लेख किया गया है और तदनुसार, इस पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया गया है।
- च. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय: आयोग ने इंटरफेस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया तथा एमएससी (वनस्पति विज्ञान), एमएससी (जन्तु विज्ञान), एमएससी (भौतिकी), एमएससी (रसायन शास्त्र) और एमएससी (गणित) पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया।
- छ. कल्याणी विश्वविद्यालय: आयोग ने इंटरफेस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और एमए (शिक्षा) और एमए (भूगोल) पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया।
- ज. गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय: आयोग ने इंटरफेस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और पाया कि छह पाठ्यक्रमों में से चार पाठ्यक्रमों को अपर्याप्त संकाय सदस्यों के आधार पर रद्द कर दिया गया है और दो पाठ्यक्रमों को अपर्याप्त संकाय सदस्यों व एसएलएम के आधार पर रद्द कर दिया गया है।

आयोग ने यह नोट किया कि विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने पाठ्यक्रम-वार संकाय सदस्यों के चनय/नियुक्ति के बारे में सूचना प्रदान करते हुए एक ई-मेल भेजा है (प्रत्येक नियुक्ति पत्र की प्रति भी भेजी गई है)। इसके मद्देनजर जिन पाठ्यक्रमों में पर्याप्त संकाय सदस्यों के नहीं होने के कारण कमी पायी गई है, को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और अन्य पाठ्यक्रमों मान्यता नहीं प्रदान की जाएगी। एमसीए (पंचवर्षीय समेकित) पाठ्यक्रम में डिग्री की विनिदिष्टताओं संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना, 2014 में उल्लिखित प्रावधानों से संबंधित समेकित पाठ्यक्रम का भी अनुपालन किया जाना चाहिए।

- झ. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय: आयोग ने इंटरफेस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया। आयोग ने पाया कि भारतीय नर्सिंग परिषद् ने सेवारत परिचारिकाओं के लिए पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम कराने के लिए इग्नू को अनुमति प्रदान की है। आईएनसी के अनुसार पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम डिप्लोमा को उन्नयन कर स्नातक स्तर तक करने के लिए सामान्य नर्सिंग और प्रसूती विद्या में योग्य परिचारिकाओं के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम है।

आयोग ने नोट किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 में स्नातक और स्नात्कोत्तर स्तर पर डिग्री वाले नर्सिंग पाठ्यक्रमों पर प्रतिबंध है। इसके मद्देनजर, पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी।

आयोग ने यह भी पाया कि इग्नू एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी और जो दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अंतर्गत शिक्षा प्रदान कर रहा है तथा वर्ष 2012-13 तक इग्नू के अंतर्गत पूर्व दूरस्थ शिक्षा परिषद्, दूरस्थ

शिक्षा का विनियामक था। इग्नू देशभर में गुणवत्तापूर्ण दूरस्थ शिक्षा प्रदान कर राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न और प्रासंगिक क्षेत्रों में योगदान देता रहा है। इन सभी कारकों पर विचार करते हुए आयोग ने सुझाव दिया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एक निदेश जारी करने का अनुरोध किया जाए जिससे कि इग्नू को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के दायरे से बाहर रखा जाए।

विशेषज्ञ समिति की शेष सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया गया।

- अ. एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय: आयोग ने इंटरफेस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और नोट किया कि 'बंद कर दिये गए' के रूप में विनिर्दिष्ट सात पाठ्यक्रमों को प्रति पाठ्यक्रम दो पूर्णकालिक समर्पित संकाय सदस्यों के नहीं होने के कारण समाप्त कर दिया गया। आयोग ने एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय के दिनांक 24 सितम्बर, 2018 के कार्यालय आदेश को भी नोट किया जिसके तहत 15 (पंद्रह) पाठ्यक्रमों हेतु प्रति पाठ्यक्रम एक संकाय सदस्य की नियुक्ति की सूचना हो। विस्तृत विचारण के पश्चात् आयोग ने संकल्प लिया कि 'बंद कर दिए गए' के रूप में दर्शाए गए पाठ्यक्रमों को केवल 'बंद किया हुआ' माना जाएगा।
- ट. मौलाना आजाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय: आयोग ने इंटरफेस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
- ठ. कश्मीर विश्वविद्यालय और मुम्बई विश्वविद्यालय: आयोग ने इंटरफेस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और निदेश दिया कि द्वितीय संशोधन के संगत प्रावधान के अनुसार आवश्यक कार्यवाई की जाए। एनएएसी रहित उच्चतर शिक्षा संस्थान जिन्होंने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा विनियम के दूसरे संशोधन, 2018 के अनुसार तीन माह के भीतर एनएएसी के लिए आवेदन नहीं किया है; जिसे तीन माह के विंडो में 67 दिनों के लिए एनएएसी के बंद होने के मद्देनजर दिनांक 07 अगस्त, 2018 तक बढ़ा दिया गया था, वे पात्र नहीं माने जाएंगे।
- ड. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय: आयोग ने इंटरफेस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों यथा पहले सूचनाओं के आदान-प्रदान किए जाने के लिए पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र अवसंरचना और सुविधाओं के वास्तविक सत्यापन के लिए दौरा किया जाना चाहिए, पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।

(विशेष पाठ्यक्रम, गुणवत्ता पूर्ण कार्यक्रम आदि)

- आयोग ने महाराष्ट्र और गोवा राज्यों की ओर से एसईटी के आयोजन के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे को प्रत्यायित किए जाने पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध महाविद्यालयों को अपनी चल रही भवन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ओबीसी विस्तार नीति के अंतर्गत निधियों की उपयोग हेतु दिनांक 31 मार्च, 2019 तक समय विस्तार प्रदान किए जाने पर विचार किया और अनुमोदित किया।

(विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान)

- आयोग ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय (जीकेवी), हरिद्वार को योजना अनुदान दिए जाने पर विचार किया और इसे अनुमोदित किया, इस योजना अनुदान को टंडन समिति की रिपोर्ट के कारण रोक दिया गया था।

536वीं बैठक, दिनांक 14 नवम्बर, 2018

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित महाविद्यालयों को शामिल करने की अभिपुष्टि की और यह संकल्प लिया गया कि इस योजना के अंतर्गत—
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत महाविद्यालयों को शामिल करने के लिए आवेदन को संसाधित करने के समय को ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाते हुए कम किया जाए।
 2. उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) 12ख की स्थिति के लिए आवेदन के पूर्व अपनी वेबसाइटों पर सभी प्रकार का ब्योरा देंगे।
 3. आयोग ने संकल्प लिया कि विआ अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत महाविद्यालयों को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में संशोधन किया जाए।

- आयोग ने षण्मुंगा आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडेमी (एसएसटीआरए), सम विश्वविद्यालय, तितुमलाई समुद्रम, तंजावुर, तमिलनाडु की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 में यथा अपेक्षित समीक्षा स्थिति की अभिपुष्टि की।
- आयोग ने महाविद्यालयों को स्वायत्ता का दर्जा 'नए सिरे से' देने/विस्तार देने के लिए स्वायत्त महाविद्यालय संबंधी स्थायी समिति के निर्णयों पर विचार किया और अभिपुष्टि की। आयोग ने संकल्प लिया कि निम्नवत हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों से विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणियां आमंत्रित की जाएं: (क) निम्नवत के स्वायत्ता के दर्जे में विस्तार (एक) श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलोजी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, जो अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, से संबद्ध है और (दो) पीईएस कॉलेज ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, माण्ड्या, कर्नाटक जो मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर के साथ संबद्ध है, तथा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, सैदापेट, चेन्नई, तमिलनाडु जो तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन विश्वविद्यालय, करापक्कम, चेन्नई के साथ संबद्ध है।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) (सम विश्वविद्यालय), 17-बी, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित इसके कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए दौरा करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित दिनांक 27 से 29 सितम्बर, 2018 के दौरान विगनान फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नॉलोजी एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), वडलामुडी, गुंटूर जिला- 522213, आंध्र प्रदेश के कार्यक्रम की समीक्षा के लिए दौरा करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने राजा राजेश्वरी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, बंगलुरु को अपने क्षेत्राधिकार में लेने के लिए डॉ. एम.जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई (तमिलनाडु) द्वारा सौंपे गए प्रस्ताव का आकलन करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 और इसके चौथे संशोधन, 2016 के तहत दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व दाखिला लिए/ पंजीकृत/ पीएचडी की डिग्री पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को सीएस के तहत पदोन्नति हेतु पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने और वर्ष के लाभ के लिए गैर-संयोजित अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकार्यता से संबंधित मामलों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदित किया जिसे मानव रचना डेंटल कॉलेज, फरीदाबाद (हरियाणा) को अपने दायरे में लाने के लिए मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च स्टडीज (सम विश्वविद्यालय), फरीदाबाद (हरियाणा) द्वारा दिए गए प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए गठित किया गया था।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडबद्ध स्वायत्ता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण), विनियम, 2018 की श्रेणी एक के अंतर्गत जेएसएस एकेडेमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), मैसूर (कर्नाटक) के श्रेणीकरण पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडबद्ध स्वायत्ता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण), विनियम, 2018 के श्रेणी एक के अंतर्गत कोनेरु लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन (सम विश्वविद्यालय), ग्रीन फील्ड्स, वेदेश्वरम, गुंटूर जिला - 522502, आंध्र प्रदेश के श्रेणीकरण पर विचार किया और अनुमोदित किया।

- आयोग ने प्रारूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2018 पर विचार किया और गहन विचार-विमर्श के बाद संकल्प किया कि सदस्यों के सुझावों व कानूनी विचारों के मद्देनजर इस प्रारूप विनियम को अंतिम रूप दिया जाए व इसके अनुमोदन के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।
- आयोग ने निम्नवत संस्थाओं को 'नए सिरे से' स्वायत्ता का दर्जा देने से संबंधित मामले पर विचार किया और अनुमोदित किया, यह संस्थान हैं: 1. गुरुनानक खालसा कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, किंग्स सर्किल, मतुंगा, मुम्बई- 400019, महाराष्ट्र जो मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई से संबद्ध है और 2. कर्मवीर भाउराव पाटील महाविद्यालय, कर्मवीर पथ पंढरपुर- 413304 जिला- सोलापुर महाराष्ट्र जो सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर से संबद्ध है।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम आदि)

- आयोग ने अनुमोदित जर्नलों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूची की समीक्षा पर विचार किया और सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली आदि जैसे विषयों के लिए विश्वसनीय गुणवत्ता जर्नलों की नई सूची को तैयार करने हेतु अनुमोदित जर्नलों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची की समीक्षा पर विचार किया और सीएआरई (कंसोर्टियम फॉर एकेडेमिक एंड रिसर्च एथिक्स) के कंसोर्टियम को अनुमोदित किया।
- सीएआरई को संगत सांविधिक परिषदों/अकादमिक निकायों को शामिल करना चाहिए। यह सीएआरई सदस्यों द्वारा संस्तुत जर्नलों के विश्लेषण के लिए आईएनएफएलआईबीएनईटी की और इस कार्य हेतु चिह्नित संस्थानों की सहायता से निर्धारित समय-सीमा के भीतर विभिन्न विषयों में गुणवत्तापूर्ण जर्नलों की सूची को तैयार करेगा और उसका रखरखाव करेगा। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि छात्रों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों को निम्न स्तरीय/घटिया जर्नलों के मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए परामर्श जारी किया जाए।
- आयोग ने बेहतर कार्यनिष्पादन वाले संस्थानों (परामर्श) द्वारा गैर प्रत्यायित संस्थाओं की निगरानी पर विचार किया और परामर्श की योजना को अनुमोदित किया। तथापि, सदस्यों के सुझावों के आलोक में योजना संबंधी दिशानिर्देशों को उपयुक्त तरीके से संशोधित किया। आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को संशोधित दिशानिर्देशों को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया है।
- आयोग ने एनएएसी, बंगलुरु से संबंधित प्रशासनिक मामले पर विचार किया और यह संकल्प किया कि एनएएसी भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुए जनशक्ति की अपनी पूर्ण आवश्यकता का मूल्यांकन करे और एक व्यापक प्रस्ताव दे। इस प्रस्ताव में वित्त सचिव और कार्यकारी समिति द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित अपने सीआरआर के साथ विद्यमान पदों में अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता तथा नए पदों के सृजन के औचित्य का ब्योरा शामिल होना चाहिए।

(विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान)

- आयोग ने विश्वविद्यालयों के शेष अनुदान पर विचार किया और अनुमोदित किया जिन विश्वविद्यालयों ने गैर-12बी के तहत कवर नहीं किए गए राज्य विश्वविद्यालयों के लिए एकमुश्त अनुदान योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा किया है।

537वीं बैठक, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018

- आयोग ने शिक्षकों की कैरियर उन्नति योजना के उद्देश्य के लिए पात्र पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हेतु अर्पित (शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रम की अभिपुष्टि की और इसके अतिरिक्त, संकल्प किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सभी विश्वविद्यालयों और कुलपतियों को यह सूचित करते हुए पत्र लिखना चाहिए कि 'अर्पित' पाठ्यक्रम जिसमें ई-प्रमाणपत्र के लिए 'प्रॉक्टर्ड परीक्षा' के साथ 40 घंटे की अनुदेश शामिल हैं, के तहत पेशकश किए जाने वाले एमओओसीएस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने को कैरियर प्रोन्नति के उद्देश्य के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के समान माना जाए। इस पाठ्यक्रम को व्यापक बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों को भी शामिल किया जाए।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) तृतीय संशोधन विनियम, 2018 के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थान से प्राप्त आवेदनों को संसाधित करने के संबंध में हुई प्रगति को नोट किया। आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर संकल्प लेने के लिए प्राधिकृत किया और इसकी सूचना उच्चतर शिक्षा संस्थान को प्रदान की जाएगी। लिए गए निर्णयों के बारे में आयोग को सूचित किया जाएगा।
- आयोग ने एएसजी, श्री विक्रमजीत बनर्जी के मत सहित स्थायी अपीलीय समिति के गठन और विचारार्थ विषय और अपील निपटान प्रक्रिया से संबंधित सूचना को नोट कर लिया कि अपीलीय स्तर पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नए साक्ष्य पर विचार किया जाए।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने माननीय कोलकाता न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिए गए निर्णय/आदेश और निदेश के संबंध में डॉ. एस.एन. ओझा, वरिष्ठ 'सिस्टम प्रोग्रामर सह रीडर' (पुनर्नामित पद) के मामले में 65 वर्ष तक सेवानिवृत्ति की आयु में बढ़ोतरी पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) और लवासा (पुणे) में ऑफ कैम्पस केन्द्रों को आरंभ करने के लिए क्राइस्ट (सम विश्वविद्यालय), बंगलुरु (कर्नाटक) द्वारा सौंपे गए प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए गठित विअआ की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सिफारिश करने का संकल्प लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एआईसीटीई विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुपालन के अध्यक्षीन गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) और लवासा (पुणे) में ऑफ कैम्पस केन्द्रों को आरंभ करने के लिए क्राइस्ट (सम विश्वविद्यालय संस्थान), बंगलुरु को एक आशय पत्र (एलओआई) जारी करे।

- आयोग ने डॉ. एमजीआर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सम विश्वविद्यालय), मदुरावोयल, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा दिनांक 30 जून, 2019 के पश्चात् सम विश्वविद्यालय के दर्जे को बनाए रखने संबंधी प्रस्तुत की गई अनुपालन रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम विश्वविद्यालय), इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली को दिनांक 07 जून, 2012 के पश्चात् सम विश्वविद्यालय का दर्जा विस्तार/ जारी रखने पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने 2018-19 से आगे मुक्त और दूरस्थ (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) पद्धति के माध्यम से चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम, जिसका सत्र जनवरी, 2019 से आरंभ हो रहा है, को मान्यता प्रदान करने के लिए सम विश्वविद्यालयों (डीटीबी) और निजी विश्वविद्यालयों के अभ्यावेदनों पर इंटरफेस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और और निम्नलिखित उच्चतर शिक्षा संस्थान के संबंध में इन सिफारिशों को अनुमोदित किया:

- i. दयालबाग शैक्षिक संस्थान, दयालबाग, आगरा (उत्तर प्रदेश)
- ii. जैन विश्वविद्यालय, बंगलुरु, कर्नाटक
- iii. जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली।
- vi. पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटील विद्यापीठ, सेक्टर-7, नेरूल, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र

आयोग ने निदेश दिया कि उच्चतर शिक्षा संस्थान को यह सूचित किया जाएगा कि मान्यता प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश जनवरी, 2019 से आरंभ हो रहे शैक्षिक सत्रों और उसके बाद से ही दिया जा सकता है।

सिक्किम मनिपाल और मैट विश्वविद्यालय के मामलों में आयोग ने यह पाया कि इंटरफेस विशेषज्ञ समिति ने पुरजोर तरीके से यह सिफारिश की गई है कि विशेषज्ञ समिति के दौरे का आयोजन वर्ष 2019-20 के शिक्षा सत्र में प्रवेश लेने से पूर्व किया जाना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। इसका तात्पर्य यह है कि संबंधित उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास प्रवेश लेने के लिए केवल जनवरी, 2019 का शैक्षिक सत्र है। इसे और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूर्व समिति ने सशर्त सिफारिशें दी थी, इसलिए, आयोग ने संकल्प लिया कि विशेषज्ञ समिति के दौरे का आयोजन किया जाए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

- आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए जनवरी और जुलाई के लिए शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय-सीमा पर विचार किया और अनुमोदित किया तथा निदेश दिया कि उच्चतर शिक्षा संस्थान को संबंधित शिक्षा वर्ष अर्थात् जुलाई के शिक्षा सत्र के लिए 10 सितम्बर एवं जनवरी के शिक्षा सत्र के लिए 10 मार्च, में प्रवेश की अंतिम तिथि से 10 दिनों के भीतर प्रवेश संबंधी ब्योरा अपलोड करने को कहा जाएगा।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता पूर्ण पाठ्यक्रम आदि)

- आयोग ने आईएनएफएलआईबीएनईटी, गांधीनगर के निदेशक प्रो. जे. पी. सिंह जूरल की सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (आईएनएफएलआईबीएनईटी), गांधीनगर के निदेशक के रूप में नियुक्ति के संबंध में छानबीन समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने निर्णय लिया कि “विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना और नई पीठों को स्थापित करने हेतु दिशानिर्देश” में किए गए संशोधनों की पुनः जांच की जाए।
- आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अतिथि संकाय सदस्यों के मानदेय की दरों में बढ़ोतरी पर विचार किया और निम्नलिखित रूप में मामले पर निर्णय लिया और अनुमोदित किया:
 1. अतिथि संकाय सदस्य के लिए मानदेय को बढ़ाकर प्रति व्याख्यान 1500 रूपए किया जाए जो प्रतिमाह अधिकतम 50,000 रूपए के अध्यक्षीन हो।
 2. अतिथि संकाय सदस्य को संस्वीकृत पदों पर ही नियुक्त किया जाए। तथापि, उन विश्वविद्यालयों जहां संस्वीकृत पदों की संख्या शिक्षण कार्य भार के अनुसार पर्याप्त नहीं है वहां नियुक्त किए जाने वाले अतिथि संकाय सदस्यों की संख्या संस्वीकृत पदों से 20 प्रतिशत अधिक हो सकती है।
 3. अतिथि संकाय सदस्यों की अर्हता वही होगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में नियमित सहायक आचार्यों के लिए निर्धारित हैं।
 4. अतिथि संकाय सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया वही होनी चाहिए जो नियमित रूप से नियुक्त सहायक आचार्य के लिए होती है। तथापि, चयन समिति की संरचना निम्नवत होगी:
 - i. कुलपति अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
 - ii. संबंधित विषय के एक विशेषज्ञ कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
 - iii. संबंधित संकाय का संकाय अध्यक्ष; जहां कहीं भी लागू हो।
 - iv. विभाग/विद्यालय के प्रमुख/ अध्यक्ष।
 - v. कुलपति अथवा कार्यकारी कुलपति द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग /अल्पसंख्यक/ महिला/ निःशक्त श्रेणी के किसी अकादमिक सदस्य को नियुक्त किया जाएगा यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि चयन समिति का कोई भी सदस्य उपर्युक्त श्रेणी से संबंधित नहीं हो।
कम से कम चार सदस्य जिसमें विषय संबंधी कोई एक बाहरी सदस्य शामिल हो, द्वारा गणपूर्ति होगी।
 5. अतिथि संकाय सदस्य को मतदान के अधिकार के प्रयोजनार्थ नियमित शिक्षक नहीं माना जाएगा अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न सांविधिक निकायों के सदस्य के रूप में नहीं माना जाएगा।
 6. सेवानिवृत्त शिक्षकों को अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक के लिए अतिथि संकाय सदस्य के रूप अनुबंधित करने पर पर विचार किया जा सकता है।
 7. अतिथि संकाय सदस्यों को नियमित शिक्षकों की भांति भत्ते, पेंशन, उपदान और अवकाश आदि का लाभ नहीं प्राप्त होगा।

538 वीं बैठक, दिनांक 29 जनवरी, 2019

- आयोग ने महाविद्यालयों को ‘नए सिरे से’ स्वायत्ता का दर्जा देने/इसमें विस्तार करने के लिए स्वायत्त महाविद्यालय संबंधी स्थायी समिति के संकल्प पर विचार किया और इसकी अभिपुष्टि की तथा गवर्मेन्ट पीजी कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस, सागर को विस्तार देने का संकल्प भी लिया।

- आयोग ने छात्रवृत्ति / अध्येतावृत्ति के लिए संवितरण हेतु संशोधित तंत्र की अभिपुष्टि की।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट सुमनदीप विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय), पिपरिया, तालुक-वागोडिया, जिला- वडोदरा, गुजरात के दर्जे की समीक्षा की अभिपुष्टि की।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यचर्या अथवा पाठ्यक्रम) विनियम, 2018 के संबंध में हुए घटनाक्रमों को नोट किया और यह भी सूचित किया कि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 कर दिया गया है।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलोजी (सम विश्वविद्यालय), दुल्हेरा मार्ग, रूड़की रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए 06 अगस्त, दिसम्बर, 2018 को इसका दौरा करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया तथा विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियों / सुझावों पर शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलोजी (सम विश्वविद्यालय), दुल्हेरा मार्ग, रूड़की रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश से अनुपालन रिपोर्ट मांगने का संकल्प लिया। इस सम विश्वविद्यालय संस्थान के अनुपालन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाए। इस समिति की रिपोर्ट को आयोग के समक्ष रखा जाएगा।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय के दर्जे संबंधी प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए 14 से 15 दिसम्बर, 2018 के दौरान चैतन्य डिग्री महाविद्यालय, वारंगल (तेलंगाना) का दौरा करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेष समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियों / सुझावों पर चैतन्य डिग्री महाविद्यालय, वारंगल (तेलंगाना) से अनुपालन प्राप्त करने का संकल्प लिया। इस संस्था के अनुपालन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाए। समिति की रिपोर्ट को आयोग के समक्ष रखा जाएगा।
- आयोग ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सह आचार्य डॉ. नीलिमा मंडल को अत्यधिक भुगतान करने और अनुचित वित्तीय लाभ अनुशीर्षक वाले लेखापरीक्षा के मामले की जांच / पुनर्जांच करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के खंड 22.2 के अनुसार कार्रवाई हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पत्र के संबंध में सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), अवाडी, चेन्नई-600054, तमिलनाडु से प्राप्त उत्तर पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली अन्य विशेषज्ञ समिति विअआ के पत्र के उत्तर को मान्यता प्रदान करने के लिए सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), अवाडी, चेन्नई-600054, तमिलनाडु का पुनः दौरा करने का संकल्प लिया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के खंड 22.2 के अनुसार कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पत्र के संबंध में वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नॉलोजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (विस्टाज) (सम विश्वविद्यालय), पल्लवरम, चेन्नई (तमिलनाडु) से प्राप्त उत्तर पर विचार किया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली अन्य विशेषज्ञ समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पत्र के उत्तर को मान्यता प्रदान करने के लिए वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नॉलोजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (विस्टाज) (सम विश्वविद्यालय), पल्लवरम, चेन्नई (तमिलनाडु) का पुनः दौरा करने का संकल्प लिया।
- आयोग ने दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या 10-24/2018-यू3(क) के संदर्भ में सम विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा आरंभ किए जाने वाले ऑफ कैंपसों और पाठ्यक्रमों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए गठित विअआ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र के अनुसार और कार्रवाई की जानी है।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के खंड 22.2 के अनुसार कार्रवाई के लिए जारी पत्र के संबंध में पोन्नियाह रामराज्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलोजी (पीआरआईएसटी), (सम विश्वविद्यालय),

तंजावुर-613403, तमिलनाडु से प्राप्त उत्तर पर विचार किया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली अन्य विशेषज्ञ समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र के उत्तर को विधिमान्यकृत करने के लिए पोन्नियाह रामराज्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलोजी (पीआरआईएसटी), (सम विश्वविद्यालय), तंजावुर-613403, तमिलनाडु के पुनः दौरा करने का संकल्प लिया।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यचर्या अथवा पाठ्यक्रम) विनियम, 2018 के अनुसार अनुमोदन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों और प्रत्येक चरण के लिए प्रस्तावित समयावधि पर विचार किया। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन के लिए दिनांक 31 मार्च, 2019 तक दिए गए समय में विस्तार के विचारार्थ, अनुमोदन प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित समयावधि से वर्ष 2019-2020 के सत्र के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को आरंभ करने में विलम्ब होगा। चर्चा के बाद यह संकल्प लिया गया कि:
 - i. ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान से प्राप्त आवेदनों को संसाधित करना एक सतत प्रक्रिया है, अधिमानतः मासिक रूप में विशेषज्ञ समिति की बैठकें होती हैं/ प्राप्त पूर्ण प्रस्तावों के आधार पर उच्चतर शिक्षा संस्थान का दौरा किया जाता है। उच्चतर शिक्षा संस्थान से कहा जाए कि वे ऑनलाइन आवेदन करने के तत्काल बाद प्रस्ताव की तीन हार्ड प्रतियां दें।
 - ii. मान्यता प्रक्रिया में विलम्ब से बचने के लिए आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को ऑनलाइन पाठ्यक्रम कराने के लिए पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थान को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अनुमोदित करने अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थान का दौरा करने, जो भी मामला हो, के लिए प्राधिकृत किया। उच्चतर शिक्षा संस्थान के आवेदनों पर संकल्प के बारे में उच्चतर शिक्षा संस्थान को सूचित कर दिया जाएगा और अभिपुष्टि के लिए इसकी सूचना, आयोग की दी जाएगी।
- आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कुल सचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता के निरूपण के संबंध में विनियमों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा अंतिम रूप दी गई रिपोर्टों पर विचार किया और अनुमोदित किया। आयोग ने यह भी संकल्प किया कि इंजीनियर, प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, नेटवर्क एनालिस्ट, सुरक्षा अधिकारी आदि के लिए नियुक्ति व पदोन्नति अवसर हेतु न्यूनतम अर्हताओं व अन्य निबंधन और शर्तों के निरूपण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष द्वारा एक समिति का गठन किया जाए। समिति इन पदों से संबंधित विसंगतियों और/अथवा शिकायतों को भी दूर करेगी।
- आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/ सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के विसंगति से संबंधी मामलों के समाधान के लिए गठित समिति की सिफारिश पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की श्रेणी-I – उच्चतर शिक्षा संस्थान के मुद्दे पर कार्य समूह की सिफारिशों पर विचार किया और निम्नवत् संकल्प किया:
 - i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 की संगत खंडों और इसमें हुए संशोधनों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए सभी ब्योरों को अपलोड करने के लिए श्रेणी-एक के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान को अनुदेश दिया जाए कि वे इन्हें अपनी वेबसाइट पर डालें और साथ ही विअआ को शपथपत्र दें।
 - ii. इन ब्योरों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा और यदि कोई अंतर पाया जाता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 में अधिदेशित उपबंधों के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
 - iii. आयोग ने संकल्प लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ग्रेडबद्ध स्वायत्ता विनियम, विअआ (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम के विवादित प्रावधानों, माननीय उच्चतम न्यायालय के संकल्प एवं जस्टिस रेड्डी समिति की सिफारिशों को आगे निदेश देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा।
 - iv. श्रेणी-I वाले सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अपने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में छात्रों के पाठ्यक्रम –वार दाखिला संबंधी ब्योरों के संबंध में विअआ को सूचित करने का भी अनुदेश दिया जाना चाहिए जैसा कि अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान से मांगा गया है।

- v. 536वीं बैठक में आयोग द्वारा यथा निर्णित श्रेणी-I के उच्चतर शिक्षा संस्थान की इंटरफेस बैठक वर्तमान में नहीं की जाएगी।
- vi. आगे की आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो तो, उपर्युक्त मद (iii) तीन के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निदेशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की जाएगी।
 - आयोग ने नियमित और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए समान परीक्षा पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।
 - आयोग ने संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों के माध्यम से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।
 - आयोग ने शिक्षा वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्त प्रस्तावों की प्रयोज्यता तथा आयोग के आदेश की मान्यता सूची/मुद्दे को अपलोड करने की समय-सीमा पर विचार किया तथा नोट किया कि:
 - i. चूंकि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियमों के कार्यान्वयन का पहला वर्ष है, इसलिए जिन उच्चतर शिक्षा संस्थान के लिए आयोग के आदेश जारी किए गए/ मान्यता सूची 20 फरवरी, 2019 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, उन्हें जनवरी, 2019 के शिक्षा सत्र के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों को पेशकश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी, इस बात पर विचार करते हुए कि प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2019 है उन्हें प्रवेश प्रदान करने हेतु कम से कम एक सप्ताह दिया जाएगा।
 - ii. मान्यता संबंधी स्थिति के बारे में बताने के लिए एक समय-सीमा परिभाषित करने के लिए कार्य समूह की सिफारिशें वर्ष 2019-20 (जुलाई, 2019 से आरंभ होने वाले शिक्षा-सत्र) से कार्यान्वित की जाएंगी।
 - iii. ऐसी अपीलें/ अभ्यावेदन/ दौरे आदि जिनके लिए आयोग द्वारा आदेश जारी नहीं किए गए/ मान्यता सूची को दिनांक 20 फरवरी, 2019 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, उन्हें जुलाई, 2019 के सत्र और उसके बाद के सत्र के लिए विचार किया जाएगा।
 - आयोग ने एसएलएम की समीक्षा पर विचार किया तथा यह संकल्प लिया कि सभी मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उनकी वेबसाइटों पर उनके मान्यता प्राप्त मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों के ब्योरों को अपलोड करने का निदेश दिया जाएगा। एसएलएम की समीक्षा हेतु तंत्र आधारित शिकायत निवारण प्रणाली, डीईबी द्वारा तैयार की जाएगी।
 - आयोग ने राष्ट्रीय विकास और उद्यमशीलता हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थान (स्ट्राइड) के माध्यम से 'न्यू रिसर्च स्कीम फॉर ट्रांस डिस्प्लीनरी रिसर्च' के दिशानिर्देशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
 - आयोग ने 'विशेष श्रेणी वाले राज्य' (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों) में उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए भिन्न एनएएसी बैचमार्क पर विचार किया और अनुमोदित किया।
 - आयोग ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई (सम विश्वविद्यालय) को निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 तक एसएपी विभाग के विस्तार और प्रवेश हेतु प्रस्ताव पर विचार किया और अनुमोदित किया।
 - आयोग ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ओडीएल कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार किया और अनुमोदित किया:
 1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार दूरस्थ और मुक्त शिक्षा केन्द्र, जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) के अवैतनिक निदेशक के दर्जे पर विचार किया और निर्णय लिया जाना।
 2. तेरह मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले जामिया मिलिया इस्लामिया के संबंध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करना और सिफारिशों को अनुमोदित करना।
 3. जामिया मिलिया इस्लामिया के संबंध में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों को आरंभ करने हेतु शिक्षा सत्र पर विचार करना और निर्णय लिया जाना।
 - आयोग ने प्रथम परंतुक के बाद खंड (ii) और खंड (iii) एवं विनियम 4 के उप विनियम (1) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यचर्या अथवा पाठ्यक्रम) विनियम, 2018 में संशोधन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 28 जनवरी, 2019 के पत्र संख्या 5-25/2017-डीएल पर निम्नवत् विचार किया:-

“बशर्त आगे कि उच्चतर शिक्षा संस्थान, जो इन विनियमों को अधिसूचित किए जाने की तिथि से पूर्व ऑनलाइन पाठ्यचर्या चलाते रहे हैं, उन्हें इस परिवर्तन के साथ ऑनलाइन पाठ्यचर्या अथवा पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए आवेदन करने हेतु एक बार अवसर प्राप्त होगा कि वे शिक्षा सत्र 2020-21 की समाप्ति से पूर्व 4-प्वाइंट स्केल पर 3.26 के एनएएसी अंक प्राप्त करें, जिसमें असफल होने पर आयोग वर्ष 2020-21 के बाद ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को आगे अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा।”

चर्चा करने और खंड 6(3) के तहत ‘स्पष्टीकरण’ पर विचार करने के बाद, जैसा कि इस कार्यसूची में विवरण दिया गया है, आयोग ने निम्नानुसार संशोधन को अनुमोदित किया:

- i. चूंकि दिनांक 04 जुलाई, 2018 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यचर्या अथवा पाठ्यक्रम) विनियम के तहत ऑनलाइन शिक्षा हेतु कोई विनियम नहीं था इसलिए, उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने सांविधानिक निकायों के अनुमोदन के साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को आयोजित करते हुए ऑनलाइन विनियम में परिभाषित पात्रता मानदंडों की कमी के कारण ऑनलाइन विनियम की सीमा से बाहर नहीं रखा जा सकता है और इसके लिए समय दिए जाने की आवश्यकता है ताकि निर्धारित मानकों को प्राप्त किया जा सके।
 - ii. चूंकि प्रस्तावित संशोधन, खंड (ii) और खंड (iii) के पश्चात् विनियम 4, उप विनियम (1) में प्रथम परंतुक के पश्चात्, परंतुक को अंतःस्थापित करके किया जाएगा, इसलिए यह विनियम 4 के उप विनियम (1) के तहत खंड (ii) और खंड (iii) में निर्धारित पात्रता मानदंडों पर लागू होता है।
 - iii. केवल ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान जो निश्चयात्मक रूप से अथवा अपने सांविधिक निकायों के अनुमोदन, ऑनलाइन चलाए गए पाठ्यक्रमों के ब्योरे, लिए गए प्रवेश के ब्योरे, ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया, पास संबंधी ब्योरे, अनुसरण किए जा रहे सुरक्षा मानक आदि, के माध्यम से अन्य कोई साक्ष्य साबित करते हैं, पर ऑनलाइन विनियमों में किए जा रहे संशोधन के तहत विचार किया जा सकता है।
- आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में अतिथि संकाय सदस्यों के रूप में वरिष्ठ अकादमिक सदस्यों/ अधिकारियों को नियुक्त करने पर विचार किया और संकल्प किया कि समिति जिसे अतिथि संकाय सदस्य के मानदेय की बढ़ोतरी पर विचार करने के लिए गठित किया गया है, इस मुद्दे की जांच करें और आयोग के विचारार्थ अपनी सिफारिशें दें।
 - आयोग ने उत्कृष्टता के संस्थानों की पहचान करने के उद्देश्य से गठित अधिकार प्राप्त समिति (ईईसी) की दूसरी रिपोर्ट और सिफारिशों पर विचार किया और सरकार से यह स्पष्टीकरण प्राप्त करने का संकल्प लिया कि क्या अतिरिक्त 10 संस्थानों (कुल मिलाकर 10 सरकारी और 10 निजी संस्थानों के मूल अधिदेश) पर विचार किया जा सकता है? सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

(सरकार और अन्य राष्ट्रीय निकायों से संदर्भ)

- आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कृषि डिग्री पाठ्यक्रम की पेशकश करने के संबंध में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुरोध पर विचार किया और नोट किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से पत्र की प्राप्ति होने के बाद किसी भी कृषि पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान नहीं की है। आयोग ने यह भी नोट किया कि एक उच्चतर शिक्षा संस्थान अर्थात् यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय (वाईसीएमओयू), नासिक को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से इस पत्र की प्राप्ति से पूर्व कृषि संबंधी पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान कर दी गई है। इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया और आयोग ने निम्नवत् संकल्प लिया:
- i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को यह सूचित करेगा कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति में कृषि डिग्री को भविष्य में मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। तथापि, ऐसे पाठ्यक्रमों की स्थिति जिन्हें इस सूचना की प्राप्ति से पूर्व ही अनुमोदित कर दिया गया है, की सूचना इस अनुरोध के साथ मंत्रालय को भेज दी जाएगी कि ऐसे पाठ्यचर्या में पहले से ही दाखिला प्राप्त करने वाले छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कृषि डिग्री पाठ्यक्रमों को पढ़ाने वाले

विश्वविद्यालयों की सहायता के लिए आईसीएआर को पत्र लिखेगा और नजदीकी कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि (उच्चतर शिक्षा संस्थान के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में) जहां छात्रों को व्यावहारिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए उचित सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं, में शिक्षार्थी सहायक केन्द्रों की स्थापना की संभाव्यता की खोज करने के लिए आईसीएआर और संबंधित उच्चतर शिक्षा संस्थान के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

- ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधित उच्चतर शिक्षा संस्थान को पत्र लिखेगा कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति में कृषि पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता केवल शिक्षा वर्ष 2018-19 के लिए है और उच्चतर शिक्षा संस्थान को निदेश दिया कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति में किसी भी कृषि पाठ्यक्रमों में जुलाई, 2019 से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र 2019-20 से कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- iii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुक्त और दूरस्थ शिक्षा शिक्षा में प्रतिबंधित विधाओं का उल्लेख करने वाली एक जन सूचना भी जारी करेगा।

(विशेष पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम आदि)

- आयोग ने चयन समिति द्वारा सौंपी गई मूल्यांकन सुधार रिपोर्ट पर विचार किया और संकल्प किया कि हितधारकों के विचार प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाइट में इसे अपलोड कर सार्वजनिक किया जाए और उसके पश्चात् इसे इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है।

(विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान)

- आयोग ने उन संस्थानों को एसएपी अनुदान प्रदान करने पर विचार किया और अनुमोदित किया जहां आरयूएसए वित्तपोषण किया जाना प्रस्तावित/ प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह संकल्प लिया गया कि एसएपी योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाए। इस मद पर विचार करते हुए यह भी संकल्प किया गया कि यूपीई योजना के अंतर्गत चयनित राज्य विश्वविद्यालयों और सीपीई योजना के अंतर्गत चयनित महाविद्यालय को निधि की उपलब्धता के अधधीन दिनांक 31 मार्च, 2019 तक अनुदान जारी रहे। साथ ही यह भी संकल्प लिया गया कि यूपीई और सीपीई योजनाओं के दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाए और इन्हें और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाए।
- आयोग ने गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम हेतु प्राक्कलन बजट पर विचार किया और अनुमोदित किया।

539 वीं बैठक, दिनांक 26 फरवरी, 2019

- आयोग ने पत्रिकाओं के विश्लेषण, एसपीपीयू, पुणे और केयर विश्वविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रकोष्ठ हेतु केयर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा आबंटित बजट पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा शिक्षा/ पाठ्यक्रमों से संबंधित कतिपय मुद्दों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निम्नलिखित निर्णयों को नोट किया:

“अनुमोदित मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पाठ्यक्रम में मान्यता अवधि के दौरान लिया गया प्रवेश पाठ्यक्रम के पूरे होने तक मान्यता बनी रहेगी चाहे उक्त विश्वविद्यालय के पास आगे के वर्षों के लिए मान्यता नहीं हो बशर्ते यह पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मानकों के अनुसार पेशकश किया गया हो और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ओडीएल) विनियम, 2017 के विद्यमान दिशानिर्देशों और संबंधित विनियामक निकायों के विनियमों के अनुरूप हो।”

आयोग द्वारा यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय (वाईसीएमओयू), नासिक के शुल्क के साथ अपील के खो जाने से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई। आयोग को यह जानकारी दी गई कि वाईसीएमओयू ने अक्टूबर, 2018 के माह में 2,40,000/- रुपये के लिए दिनांक 23.10.2018 को डीडी के साथ 24 पाठ्यक्रमों हेतु अपील अग्रेषित की गई थी। तथापि, वाईसीएमओयू को किसी भी अपीलीय बैठकों में आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मूल डीडी के साथ उक्त अपील की प्राप्ति डीईबी कार्यालय में नहीं हुई है। वाईसीएमओयू के प्राधिकारियों के दूरभाष से बातचीत और व्यक्तिगत दौरों और “स्पीड पोस्ट ट्रेकिंग रिकार्ड” के आधार पर यह पाया गया कि वास्तव में उक्त अपील दिनांक 29 अक्टूबर, 2019 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यालय में प्राप्त हुई थी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यालय के आर एवं आई अनुभाग

ने इसे दिनांक 01.11.2018 को डीईबी को अग्रेषित कर दिया। किंतु वास्तविकता यह है कि शुल्क के साथ अपील डीईबी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई। वाईसीएमओयू प्राधिकारियों के साथ हुई चर्चा के आधार पर आयोग को यह भी जानकारी प्रदान की गई कि वाईसीएमओयू ने “गैर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों” में भी प्रवेश दिया है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद आयोग ने निम्नलिखित संकल्प लिया:

- i. चूंकि अंतिम तिथि के भीतर वाईसीएमओयू द्वारा शुल्क सहित अपील जमा की गई थी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में गुम हो गया; अतः वाईसीएमओयू की कोई गलती नहीं है और अपील संबंधी प्रक्रिया का अवसर उसे दिया जाना चाहिए। वाईसीएमओयू तत्काल ही अपील के साथ निर्धारित शुल्क देगा। वास्तविक कारणों के चलते, आयोग ने संकल्प लिया कि केवल वाईसीएमओयू के लिए अपील प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ संकल्प को जनवरी, 2019 में आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र के लिए 18 मार्च, 2019 की प्रवेश की अंतिम तिथि के साथ दिनांक 11 मार्च, 2019 तक विअआ की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा/ इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अन्य सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए जनवरी, 2019 से आरंभ हुए शिक्षा सत्र के लिए दाखिले की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2019 ही होगी।
- ii. कारण बताने के लिए वाईसीएमओयू को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए कि “गैर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों” में प्रवेश क्यों दिया गया और इन उत्तर के आधार पर विअआ अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसकी सूचना आयोग को भी दी जाएगी।
- iii. आयोग ने संकल्प लिया कि डीईबी कार्यालय में एक सुदृढ़ तंत्र की स्थापना की जाएगी ताकि सभी मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान पर निरंतर निगरानी रखी जा सके; प्रत्येक सेमेस्टर के लिए जिससे कि विअआ (ओडीएल) विनियम, 2017 और इसके संशोधनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके और इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किन्हीं उल्लंघनों के मामले में दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। आयोग ने निदेश दिया है कि इस मामले पर डीईबी कार्य समूह में चर्चा की जानी चाहिए और इसकी सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए और तत्पश्चात् इसकी जानकारी, आयोग की दी जाए।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने सम विश्वविद्यालयों द्वारा जमा की गई अनुपालन रिपोर्टों पर विचार किया और निम्नवत् संकल्प लिया:
- i. उन संस्थाओं के संबंध में सम विश्वविद्यालय के दर्जे में विस्तार करने की सिफारिश की गई जिन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है।
- ii. मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस शर्त के अध्यक्षीन उन संस्थानों जिन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना में निर्धारित शर्तों का आंशिक अनुपालन किया है, के संबंध में सम विश्वविद्यालय के दर्जे का विस्तार किए जाने हेतु इस शर्त के अध्यक्षीन विचार कर सकता है कि वे पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट सौंपेंगे।
- iii. ऐसे सम विश्वविद्यालय से अनुपालन रिपोर्ट की मांग करता है जिन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी है।
- आयोग ने दिनांक 01 जनवरी, 2019 से इन अध्येतावृत्ति की समीक्षा पर विचार किया और निम्नानुसार अनुमोदित किया:

क्र. सं.	अध्येतावृत्ति का नाम	मौजूदा अध्येतावृत्ति (रुपये प्रतिमाह)	संशोधित अध्येतावृत्ति (रुपये प्रतिमाह)	टिप्पणी
1.	विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान (एनईटी) में जेआरएफ और एसआरएफ	25,000 /— 28,000 /—	31,000 /— 35,000 /—	संशोधित अध्येतावृत्ति की दर और दिशानिर्देश मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार लागू होंगे।

निम्नलिखित अध्येतावृत्ति, जिनके लिए अन्य मंत्रालयों द्वारा वित्तपोषण किया जाता है, हेतु यह संकल्प लिया गया कि अध्येतावृत्ति की पुनः समीक्षा के मामले को सहमति हेतु संबंधित मंत्रालयों के पास भेजा जाए।

क्र. सं.	डॉक्टरल अध्येतावृत्ति का नाम	वित्तपोषित करने वाला मंत्रालय	मौजूदा अध्येतावृत्ति (रुपये प्रतिमाह)	संशोधित अध्येतावृत्ति (रुपये प्रतिमाह)
1	अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 25,000/- रुपये (जेआरएफ)	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 31,000/- रुपये (जेआरएफ)
2	अ.जा. के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	शेष अवधि के लिए 28,000/- रुपये (एसआरएफ)	शेष अवधि के लिए 35,000/- रुपये (एसआरएफ)
3	निशक्त छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति		अधिकतम अध्येतावृत्ति अवधि - पांच वर्ष	अधिकतम अध्येतावृत्ति अवधि - पांच वर्ष
4	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति			

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों के मामले को “अध्येतावृत्ति परिमेयकरण समिति” को संदर्भित किया जाए।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस (आईएलबीएस), (सम विश्वविद्यालय), बसंत कुंज, नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा के लिए इसका दौरा करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और यह सिफारिश करने का निर्णय लिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस (आईएलबीएस), (सम विश्वविद्यालय), बसंत कुंज, नई दिल्ली के सम विश्वविद्यालय के दर्जे को जारी रखे। दौरा करने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाव, यदि कोई हो, पर इस सम विश्वविद्यालय द्वारा छह महीने की अवधि के भीतर कार्रवाई की जाएगी और इसकी अनुपालन रिपोर्ट दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपी जाएगी।
- आयोग ने शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (टीआईपी) के लिए रूपरेखा पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने अकादमिक कर्मचारी अर्थात् निदेशक सह आचार्य, उप निदेशक सह सह-आचार्य, सहायक निदेशक सह सहायक आचार्य आदि के पदों पर नियुक्ति के अलावा मानव संसाधन विकास केन्द्रों (एचआरडीसी) के लिए संशोधित दिशानिर्देशों और उनकी सेवा दशाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार किया और अनुमोदित किया। यह भी संकल्प लिया गया कि इन पदों हेतु दिशानिर्देशों को अलग से जारी किया जाए।
- आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण पदों के सृजन पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने नए शिक्षण पदों के सृजन के लिए केन्द्र द्वारा वित्तपोषित सम विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों की जांच करते हुए समिति की सिफारिश पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गुणवत्ता अधिदेश में लघु संशोधन के साथ दोबारा नामकरण किए जाने पर विचार किया और अनुमोदित किया।

(सरकारी और अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भ)

- आयोग ने उन शिक्षकों के वेतन और अनुलाभों के मुद्दे के संबंध में राज्य सभा सचिवालय से प्राप्त एक संदर्भ पर विचार किया जो संसद के सदस्य के रूप में चुने गए/नामित किये गए और समिति की सिफारिशों से सहमत हुए और निम्नानुसार अनुमोदित किया:
- “वर्ष 1987 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परिपत्र के अनुसार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्रवाई कार्यक्रम में यथा उल्लिखित जो शिक्षक संसद/राज्य विधान मंडल में सदस्यों के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान छुट्टी लेना चाहते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करते हुए ऐसा करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है कि उन्हें इस प्रक्रिया में वरिष्ठता अथवा अनुवृद्धि की क्षति नहीं हो। इस मामले में उन्हें संसद/राज्य विधान मंडल सचिवालय से वेतन प्राप्त होगा।
 - ऐसे शिक्षक जो संसद सदस्य/राज्य विधान मंडल सदस्य के रूप में चुने जाने/नामित होने के बाद विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य को जारी रखने के इच्छुक हैं, उन्हें इस प्रावधान के साथ विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षण और अनुसंधान कार्य को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है कि उन्हें संसद/विधान सभा के सत्र के चलने के दौरान सत्र में उपस्थित होने के लिए “कार्यरत” माना जाए और जब ऐसे शिक्षक किसी अन्य संसद/राज्य विधानमंडल के तहत कार्य करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षण कार्य में कोई बाधा नहीं आए, विश्वविद्यालय ऐसे शिक्षकों को उपयुक्त

कार्यभार देने पर विचार कर सकता है। तथापि, ऐसे शिक्षकों के पास उस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में कोई प्रशासनिक पद/ जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए जिस अवधि में वे संसद सदस्य/ विधायक के पद पर हों।

ऐसे शिक्षक संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से अपना वेतन प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, अनुमेय भत्ते संसद/ राज्य विधानमंडल सचिवालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि संबंधित सचिवालय द्वारा संसद सदस्य/ विधायक द्वारा लाभ का पद धारण किए जाने संबंधी मुद्दे की जांच की जा सकती है।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम आदि)

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ई-गवर्नेंस परियोजना के विकास और प्रबंधन हेतु आईएनएफएलआईबीएनईटी के प्रस्ताव पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने उन्नत भारत अभियान (यूबीए 2.0) के तहत भारत में उच्चतर शिक्षा संस्था में सामाजिक दायित्व और समुदाय अनुबंध को प्रोत्साहित करने संबंधी प्रारूप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा दिशानिर्देश पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस, बंगलुरु के निदेशक की नियुक्ति के संबंध में गवेषण समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।

1.8 विशेष कार्यकलाप/ पहल

➤ 2 अप्रैल, 2018

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्ता प्रदान करना और स्वायत्त महाविद्यालय में मानकों को बनाए रखने के उपाय) विनियम, 2018 को दिनांक 12 फरवरी, 2018 को सरकारी राजपत्र में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ug.ac.in पर भी उपलब्ध है।

➤ 6 अप्रैल, 2018

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श कर टेम्पलेट के रूप में 109 स्नातक पाठ्यचर्या में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) मार्गदर्शिका और साथ ही विस्तृत पाठ्यविवरण को भी तैयार किया है। 109 पाठ्यक्रमों के पाठ्यविवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

➤ 9 अप्रैल, 2018

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि भारत सरकार ने ऑनलाइन राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना करने की योजना तैयार की है जिसमें सभी वैज्ञानिक/ तकनीकी/ विश्लेषणात्मक/ अनुसंधान उपकरण/ सुविधाओं की सूची है जिन्हें भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा प्रदत्त निधियों द्वारा खरीदा गया है और देशभर में अकादमिक/ अनुसंधान एवं विकास संगठनों में स्थापित किया गया है।

तदनुसार, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे वेबसाइट <http://www.i-stem.ac.in> पर विभिन्न केन्द्रों (वित्तपोषित करने वाली एजेंसियों द्वारा अतिरिक्त 'म्युरल' परियोजनाओं के तहत वित्तपोषित उपकरणों सहित) विद्यमान सुविधाओं के बारे में जानकारी दें।

➤ 20 अप्रैल, 2018

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को यह परामर्श दिया कि वे योग में अपेक्षित विशेषज्ञता वाले अभ्यर्थियों को फिजियोथेरेपी में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश को उचित प्राथमिकता दें। योग में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी को इस शर्त के अधीन प्रवेश में प्राथमिकता दी जा सकती है कि किसी अभ्यर्थी के प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक और अन्य पात्रता शर्तें योग में उक्त विशेषज्ञता रहित किसी अन्य अभ्यर्थी के समान प्रमाणपत्र हों।

➤ 1 मई, 2018

‘स्वयं’ हेतु गैर-प्रौद्योगिकीय स्नातकोत्तर एमओओसी

‘स्वयं’ प्लेटफार्म, भारत सरकार का एक स्वदेशी प्लेटफार्म है जो छात्रों को सर्वश्रेष्ठ संकाय द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों में वस्तुतः शामिल होने तथा उच्च गुणवत्ता वाले अध्ययन संसाधनों का उपयोग करने, चर्चा मंचों में भाग लेने, परीक्षा देने तथा अकादमिक ग्रेड अर्जित करने के लिए समर्थ बनाने के लिए एमओओसी (वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रम चलाता है। इसका उद्देश्य आजीवन ज्ञान अर्जकों, छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं को ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए कहीं भी, कभी भी आधार पर मल्टीमीडिया का उपयोग करने के लिए लाभांशित करना है।

भारत सरकार ने विद्यालय से लेकर उच्चतर शिक्षा स्तर तक आठ राष्ट्रीय समन्वयकों की पहचान की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहचान विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों से जुड़े शिक्षकों/पेशेवरों से स्नातकोत्तर एमओओसी विकसित करने के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम हेतु क्रेडिट ढांचा) विनियम, 2016 भी जारी किया है ताकि एमओओसी पाठ्यक्रम के आधार पर अधिकतम 20 प्रतिशत तक क्रेडिट अंतरित किए जा सकें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और शिक्षाविदों से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य उच्च गुणवत्ता वाले एमओओसी विकसित करने के लिए “विस्तृत प्रस्ताव” के साथ साथ पाठ्यक्रम के उद्देश्यों और रूपरेखाओं के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हुए यू-ट्यूब पर अपलोड करने के लिए लगभग 5 मिनट का एक नमूना वीडियो आमंत्रित करता है ताकि एमओओसी पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले प्रस्ताव नियमित आधार पर प्राप्त होते रहें।

“विस्तृत प्रस्ताव” जमा करते समय निम्नलिखित मानदंड को पूरा करना होगा:

- शिक्षाविद/संकाय जिनका संबंधित क्षेत्र में 10 वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण का अनुभव हो वे पाठ्यक्रम समन्वयक बन सकते हैं।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कार्यरत संकाय के लिए एमओओसी पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए मेजबान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का सहमति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- चूंकि पाठ्यक्रम में क्रेडिट/प्रमाणपत्र का प्रावधान है इसलिए, उन्हें ‘मेजबाज विश्वविद्यालय/संस्थान’ को मंजूरी देनी होगी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं और जो अंतिम परीक्षा, मूल्यांकन करने और क्रेडिट/प्रमाणपत्र देने के लिए भी सहमत हों। “
- एक पाठ्यक्रम समन्वयक एक समय में केवल एक पाठ्यक्रम की पेशकश कर सकता है।
- मानव विकास मंत्रालय द्वारा एमओओसी पाठ्यक्रम का विकास करने और वित्तपोषण के तरीके के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिन्हें निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:
- ई-पाठ और वीडियो विकसित करने के लिए निर्देश पुस्तिका और दिशानिर्देश www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।
- एमओओसी पाठ्यक्रम के विकास और परिदान की अवधारणा को समझने में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालय की सहायता करने के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान-बंगलुरु ने एमओओसी पर एक एमओओसी विकसित किया है जो एमओओसी को कैसे विकसित किया जाए, उसके संबंध में एमओओसी एक स्व-प्रगति पाठ्यक्रम है। निम्नलिखित लिंक से पाठ्यक्रम पर पहुँचा जा सकता है: – <https://www.iimb.edu.in/course/course-v1:IIMBx+MOOC101x+Instructor-paced/about>

➤ 8 मई, 2018

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से ने ‘स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन शिक्षता’ कार्यक्रम आरंभ किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 23 मार्च, 2018 के पत्र के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखे पत्र में आयोग ने स्वच्छ भारत अभियान अभियान के कार्यकलापों के अंतर्गत 15 दिनों (100) के लिए ग्रीष्मकालीन शिक्षता करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के तहत किसी ऐच्छिक पाठ्यक्रम की तरह दो क्रेडिट देने के निर्णय के बारे में सूचित किया है। सचिव (उच्चतर शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के अ.शा. पत्र संख्या 11014/02/2018 के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को स्वच्छ भारत शिक्षता कार्यक्रम में छात्रों की भागीदारी के लिए लिखा है। कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी अग्रेषित किए गए थे।

इस संबंध में, यह अनुरोध है कि सभी विश्वविद्यालय निम्नलिखित को लागू करने पर विचार करें:

- (i) स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन अंतःशिक्षिता वर्ष 2018 कार्यक्रम (प्रति संलग्न) संबंधी दिशानिर्देशों के बिंदु 3 में यथा उल्लिखित सुझाई गई गतिविधियों का व्यापक प्रचार करना।
- (ii) छात्रों को 15 दिनों (100 घंटे) में की गई गतिविधियों का विवरण देते हुए एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।
- (iii) परियोजना रिपोर्ट में यथा उल्लिखित कार्य की समीक्षा/ मूल्यांकन के आधार पर विश्वविद्यालय दो क्रेडिट दे सकता है।

➤ **18 मई, 2018**

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि इस वर्ष, भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के सहयोग से वैश्विक स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस, 2018 की मेजबानी कर रही है। इस वर्ष का विषय “प्लास्टिक प्रदूषण पर विजय” है।

विश्वविद्यालयों से दिनांक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के दौरान जागरूकता अभियान चलाने का अनुरोध किया गया था।

➤ **18 मई, 2018**

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को उनके विश्वविद्यालय के साथ-साथ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में प्रतिज्ञा लेकर उपयुक्त तरीके से आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की सूचना दी।

➤ **4 जून, 2018**

आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 24 मई, 2018 को आयोजित अपनी 532 वीं बैठक में सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को आयोग द्वारा अनुमोदित “गुणवत्ता अधिदेश” परिचालित किये। अधिदेश निर्धारित उद्देश्य को वर्ष 2022 तक प्राप्त करने का संकल्पना करता है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई आरंभ करने का अनुरोध किया जाता है।

➤ **28 मई, 2018**

रैगिंग रोधी

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 887/2009 में दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने “उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या निवारण विनियम, 2009” को अधिसूचित किया था। देश के सभी शिक्षण संस्थानों के लिए विनियम अनिवार्य हैं। चूंकि रैगिंग—मुक्त परिसर सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए निम्नलिखित सिफारिशें और कार्रवाई आपके दायरे में आने वाले विश्वविद्यालय और सभी संस्थानों में लागू की जा सकती हैं।

बुनियादी उपाय

1. रैगिंग रोधी समिति, रैगिंग रोधी दल, रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना और इन उपायों का विभिन्न मीडिया के माध्यम से पर्याप्त प्रचार।
2. संस्था की विवरणिका और सूचना पुस्तिका/ विवरण पुस्तिका में रैगिंग रोधी चेतावनी का उल्लेख सुनिश्चित किया जाए।
3. संपर्क विवरण के साथ रैगिंग रोधी समिति से संबंधित नोडल अधिकारियों के पूर्ण पते के साथ संस्थानों की वेबसाइट अद्यतन करना।
4. शपथ पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम में दूसरे संशोधन के अनुपालन में, प्रत्येक शिक्षा वर्ष में प्रत्येक छात्र और प्रत्येक अभिभावक को एक ऑनलाइन शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 29 जून, 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में तीसरे संशोधन को अधिसूचित किया है, जिसमें निम्नलिखित को शामिल करके रैगिंग की परिभाषा का विस्तार किया गया है

3(i) रंग, नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय उत्पत्ति, भाषाई पहचान, जन्म स्थान, निवास स्थान अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी अन्य छात्र (नए या अन्यथा) पर लक्षित कोई शारीरिक अथवा मानसिक शोषण (धमकाने और बहिष्करण सहित) का कोई कृत्य।

6. महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना।

ख परामर्श और निगरानी उपाय।

7. छात्रों के साथ नियमित रूप से बातचीत और परामर्श से रैगिंग के शुरुआती लक्षणों और समस्या पैदा करने वालों की पहचान की जा सकती है ।

8. छात्रावासों, छात्रों के आवास, कैटीन, आराम गृहों का औचक निरीक्षण।

ग. रैगिंग—मुक्त परिसर के विचार का रचनात्मक प्रसार।

9. रैगिंग रोधी कार्यशाला, संगोष्ठियों और इस विचार के प्रसार के लिए अन्य रचनात्मक कार्यक्रम।

10. व्यक्ति की गोपनीयता को प्रभावित किए बिना सुरक्षा और सुरक्षा एप, रचनात्मक रूप से तैनात किए जा सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आरंभ किए गए अन्य उपायों का प्रयोग।

11. रैगिंग से जुड़ी घटनाओं के कारण परेशान छात्र राष्ट्रीय रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800-5522 (24X7 निःशुल्क) पर कॉल कर सकते हैं या रैगिंग के विरुद्ध Helpline@antiragging.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

12. रैगिंग के संबंध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट यथा www.ugc.ac.in और www.antiragging.in पर जाएं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निगरानी एजेंसी यथा अमन सत्य काचरू ट्रस्ट से मोबाइल नंबर 0987114303, 09818400116 (केवल आपातकालीन स्थिति में) पर संपर्क करें।

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग के बुरे प्रभावों के बारे में छात्रों को परामर्श देने के लिए 4 लघु फिल्मों और एक वृत्तचित्र फिल्म तैयार करवाई हैं। यह फिल्में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर मौजूद हैं। सभी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से अनुरोध है कि वे इन फिल्मों को छात्रों को अभिविन्यास और अन्य कार्यक्रमों के दौरान नियमित रूप से दिखाएं। यह फिल्में निम्नलिखित लिंक, ugc.ac.in/page/Videos-Regarding-Ragging.aspx पर उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों का कोई भी उल्लंघन या यदि कोई संस्थान रैगिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहता है अथवा इन विनियमों के अनुसार कार्य नहीं करता है अथवा अपराधियों को उचित रूप से रैगिंग की घटनाओं को दंडित करने में विफल रहता है, तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे दिनांक 15 नवम्बर, 2017 के पत्र के माध्यम से संप्रेषित सिफारिशों को लागू करें और इस तरह एक रैगिंग मुक्त परिसर सुनिश्चित करें, जो एक सहायक और निष्पक्ष संस्थागत परिवेश के लिए एक मूलभूत आवश्यकता जो परिवर्तन, सीखने और प्रगति के लिए खुली हो।

➤ 8 जून, 2018

आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पी.एच.डी प्रदान हेतु न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के तहत यथा उपबंधित, विदेशी पीएचडी डिग्री की भारतीय पीएचडी डिग्री की समकक्षता के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की है।

कोई भी विदेशी पीएचडी उपाधि जिसे एआईयू द्वारा अपनी प्रक्रिया का पालन करते हुए समतुल्य माना गया हो, उसे भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए नेट से छूट के लिए वैध माना जाएगा।

➤ 19 जून, 2018

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता के बारे में बताया, जो देशभर के सभी शिक्षण संस्थानों में लैंगिक चैंपियनों की नियुक्ति के लिए समान व्यवहार को बढ़ावा देता हो।

विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि वे अपने उत्कृष्ट विश्वविद्यालय में शिक्षण संस्थानों और संबद्ध महाविद्यालयों में लैंगिक चैंपियन के लिए दिशानिर्देशों का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करें (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है)। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी 'जेंडर चैंपियन' के लिए एक 'बैज' निकाला है जो उसकी वेबसाइट के साथ साथ माई गॉव पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

➤ **26 जून, 2018**

ईएटी- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने वाले सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे अपनी सभी योजनाओं के लिए पीएफएमएस के सभी तीन मॉड्यूलों को कार्यान्वित करें ताकि अंतिम व्यक्ति तक धनराशि की पूरी तरह से ट्रैकिंग सुनिश्चित हो और साथ ही समय पर धनराशि जारी करना सुनिश्चित हो। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जिन सभी पंजीकृत एजेंसियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत भुगतान किया जा रहा है उसमें तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से ईएटी मॉड्यूल के सभी तीन मॉड्यूलों का उपयोग किया जाए, जिसके न किए जाने पर जिन अनुदानग्राही संस्थानों (विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/संस्थाओं) को आगे कोई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल के “एक्सपेंडीचर फाईलिंग” घटक के तत्काल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। संबंधित एजेंसियों के लिए ईएटी मॉड्यूल डॉटा के अनुसार पीएफएमएस में अनुदानग्राही संस्थान के पास उपलब्ध शेष राशि के आधार पर आगे अनुदान जारी किया जाएगा, जिसमें अंतिम उपयोगकर्ता तक का व्यय शामिल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए ईएटी मॉड्यूल का कार्यान्वयन/अपनाना अनिवार्य है।

➤ **31 जुलाई, 2018**

आयोग ने “राष्ट्रीय विश्वविद्यालय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता” का आयोजन किया, 10 विश्वविद्यालयों को लघु फिल्म पुरस्कार जीतने के लिए चुना गया है।

➤ **6 अगस्त 2018**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि साहित्यिक चोरी पर रोक लगाने और देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में इस खतरे की संभावना को खत्म करने के लिए कुछ संस्थागत तंत्र की सिफारिश करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 20 मार्च, 2017 को आयोजित अपनी 530वीं बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अकादमिक अखंडता संवर्धन और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में साहित्यिक चोरी निवारण) विनियमों पर विचार और उसे अनुमोदित किया। इस विनियम को 31 जुलाई, 2018 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट यथा www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

➤ **7 अगस्त, 2018**

आयोग ने स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर ज्ञान अर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या ढांचे (एलओसीएफ) के विकास पर एक सार्वजनिक सूचना जारी की। इस संबंध में एलओसीएफ के खाके के विकास के लिए विभिन्न विषय विशिष्ट समिति का गठन किया गया है। एलओसीएफ का मूल आधार यह विनिर्दिष्ट करना है कि अध्ययन के किसी विशेष कार्यक्रम को पूरा करने वाले स्नातकों से उनके अध्ययन के कार्यक्रम के अंत में क्या जानने, समझने और सक्षम होने की उम्मीद की जाती है। ज्ञान-अर्जन का यह दृष्टिकोण छात्रों को एक सक्रिय शिक्षार्थी और शिक्षक को एक अच्छा सूत्रधार बनाता है जो साथ मिलकर आजीवन ज्ञान-अर्जन की नींव रखते हैं।

ज्ञान-अर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या ढांचे पर शिक्षकों, छात्रों, शिक्षा कर्मियों, प्रख्यात शिक्षाविदों और लोगों सहित सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से विचार/सुझाव प्राप्त करना।

➤ **9 अगस्त 2018**

डीईबी-आयोग ने 02 अगस्त, 2018 को आयोजित अपनी 534 वीं बैठक में अंतराफलक समितियों की सिफारिशों पर विचार किया और वर्ष 2018-19 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को मंजूरी दी।

आयोग द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में सभी हितधारकों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण निर्णय अधिसूचित किए जा रहे हैं:

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के विनियम 1 के उप विनियम 2(त) के अनुसार, वर्ष 2018-19 और उसके बाद के लिए वैध संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना सभी व्यावसायिक कार्यक्रम अर्थात् एमबीए/एमसीए/बीएड (विशेष शिक्षा)/एमएड (विशेष शिक्षा) होटल प्रबंधन/यात्रा/पर्यटन और ओडीएल पद्धति में प्रबंधन कार्यक्रमों को मान्यता प्राप्त नहीं दी जाएगी।

2. दिनांक 06 फरवरी 2018 को अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) 2 वां संशोधन विनियम 2018 के अनुसार, उच्चतर शिक्षा संस्थानों जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा वर्ष 2017-18 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जिन्हें दूसरा संशोधन के जारी होने की तिथि से तीन महीने के भीतर एनएएसी मान्यता प्राप्त नहीं हुई, उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के अनुबंध-X के खंड 3.3 के अनुसार, निजी विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम, जो पिछले 5 वर्षों से नियमित पद्धति से समान/ वैसे ही कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं, को मान्यता नहीं दी जाएगी।
4. वर्तमान शिक्षा वर्ष 2018-19 के लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थान अक्टूबर, 2018 तक प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करेगा और इसके बाद कोई प्रवेश नहीं किया जाएगा।
5. उच्चतर शिक्षा संस्थान को कार्यक्रम-वार कमियों को सूचित करने वाले मान्यता पत्र में इंगित कारणों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की समयावधि दी जाएगी और उस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के संबंधित उपबंधों और इसके संशोधन के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के भाग-I के विनियम 1 के उप विनियम (2) के अनुसार, केवल स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री स्तर के कार्यक्रमों पर विचार किया गया है। प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों पर विचार नहीं किया गया है।
- ख. जिन उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने इंटरफेस बैठक में भाग लिया था, और जिनके नाम मान्यता सूची में नहीं हैं, उन्हें वर्ष 2018-19 के लिए ओडीएल कार्यक्रमों की पेशकश के लिए मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वि.अ.आ. (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के भाग-II के विनियम 3 के उप विनियम (4) के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 30 दिनों के भीतर अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाएगा।
- ग. ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान, जिन्हें मान्यता सूची के अनुसार वर्ष 2018-19 और उसके बाद के लिए ओडीएल कार्यक्रम चलाने के लिए मान्यता दी है, उन्हें मान्यता प्राप्त/गैर मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों और तत्संबंधी कारणों के विवरण वाले मान्यता पत्र अलग से जारी किये जा रहे हैं।
- घ. ओडीएल कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों की तैयारियों का आकलन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समितियों द्वारा सम विश्वविद्यालयों और इसके ज्ञान अर्जन सहायता केंद्रों/अध्ययन केंद्रों का दौरा के लिए प्रक्रिया चल रही है। आयोग के निर्णय से अलग से संसूचित किया जाएगा।

➤ **16 अगस्त, 2018**

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए प्रेरण कार्यक्रम आरंभ करने के लिए सूचित किया। आयोग ने 02 अगस्त, 2018 को आयोजित अपनी 534वीं बैठक में "छात्र प्रेरण कार्यक्रम मार्गदर्शिका" को मंजूरी दी है। छात्र प्रेरण कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को नए वातावरण में समायोजित और सहज महसूस कराना और साथी छात्रों, शिक्षकों तथा संस्थान के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करना है।

➤ **23 अगस्त 2018**

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को सूचित किया कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्यायन की मौजूदा क्षमता में वृद्धि करने के लिए इस कार्य क्षेत्र में और अधिक प्रत्यायन एजेंसियों को आने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मूल्यांकन और प्रत्यायन अभिकरणों की मान्यता और निगरानी) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया है।

➤ **28 अगस्त 2018**

सार्वजनिक सूचना- वि.अ.आ. (एम.फिल / पीएचडी उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2016, के अनुसरण में वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल / पीएचडी उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया है। उपरोक्त अधिसूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।

➤ **31 अगस्त 2018**

आयोग ने वि.अ.आ. (श्रेणीबद्ध स्वायत्ता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का वर्गीकरण) विनियम, 2018 के मद्देनजर सम विश्वविद्यालय माने जाने वाले श्रेणी-I और श्रेणी-II के संस्थानों द्वारा परिसर से इतर केंद्र आरंभ करने की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया।

➤ **4 सितंबर, 2018**

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को सूचित किया कि “आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम 2016 के अनुसार” आधार संख्या को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित और प्रदर्शित करने पर रोक है। विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों की आधार संख्या को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित या प्रदर्शित न करें।

➤ **5 सितम्बर, 2018**

आयोग ने शिक्षकों के अवकाश की अवधि के दौरान एपीआई प्राप्तांक का परिकलन करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों के सूचनार्थ एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया।

➤ **11 सितंबर, 2018**

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को सूचित किया कि महात्मा गांधी के 150 वें जन्म वर्ष समारोह के शुभारंभ और स्वच्छ भारत मिशन की चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिनांक 15 सितंबर से दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 तक स्वच्छता ही सेवा 2018 (एसएचएस) मनाने का निर्णय लिया गया है। स्वच्छता ही सेवा 2018 का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए जन आन्दोलन में तेजी लाना है, इस विश्वास को और मजबूत करना है कि ‘स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है। स्वच्छता ही सेवा 2018 का शुभारंभ दिनांक 15 सितंबर 2018 की प्रातःकाल आयोजित किया जाए, जिससे छात्रों को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया जाए।

➤ **11 सितंबर, 2018**

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सूचित किया ताकि समावेशी भारत के लिए आत्मनिर्भर गाँव समूह के स्वदेशी विकास के लिए देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शामिल किया जा सके। उन्नत भारत अभियान के तहत संस्था के चयन की प्रक्रिया का दूसरा चरण दिनांक 01 सितंबर 2018 से आरंभ हो गया है।

➤ **14 सितंबर, 2018**

ईएटी- विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वित्त और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर व्यय अग्रिम और अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल को अपनाने का फैसला किया है ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधि की पूर्ण ट्रैकिंग और अंतिम लाभार्थी तक व्यय को सुनिश्चित किया जा सके। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं कार्यान्वित कर रही सभी पंजीकृत अभिकरणों को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से ईएटी मॉड्यूल का उपयोग करना होगा अन्यथा अभिकरणों को आगे निधि जारी नहीं की जाएगी।

यह अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की जाए: –

1. 20 सितंबर, 2018 तक वि.अ.आ. के आर.ओ., आई.यू.सी. तथा वि.अ.आ. द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों में ईएटी मॉड्यूल का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के लिए पीएफएमएस के तहत पंजीकृत बैंक खाता(तों) को किसी अन्य वित्तपोषण अभिकरण के लिए पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इस खाते का विशेषरूप से केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसके न किए जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लाभार्थी संस्थानों को आगे अनुदान जारी नहीं करेगा।
3. बैंक खाता संस्थान के पूर्ण नाम के अनुसार होना चाहिए (जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2(च) और 12ख सूची में उल्लिखित है) न कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निधि या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना अनुदान के रूप में।

➤ **14 सितंबर, 2018**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 05 मई, 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/ पीएचडी उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 जारी किया था। विनियम के खंड 11 में यह कहा गया है:

1. यद्यपि इन विनियमों के होते हुए और कोई अन्य नियम या विनियम किसी समय पर लागू होने पर भी कोई भी विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय एम.फिल और पीएचडी कार्यक्रमों को दूरस्थ माध्यम से संचालित नहीं करेगा।
2. मौजूदा पीएचडी विनियम में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी किए जाने के अध्यक्षीन अंशकालिक पीएचडी की अनुमति दी जाएगी।

तत्पश्चात्, विभिन्न मुक्त विश्वविद्यालयों से नियमित आधार पर एम.फिल/ पीएचडी कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति चाहने के संबंध में कई प्रश्न प्राप्त हुए। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और अन्य राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को उपर्युक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों और समय-समय पर इसके संशोधनों के अनुसार नियमित आधार पर एम.फिल/ पीएचडी कार्यक्रम चलाने की अनुमति है, बशर्ते कि इन विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में नियमित आधार पर अकादमिक/ अनुसंधान कार्यक्रम चलाने का प्रावधान शामिल हो।

यह सार्वजनिक सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूर्व में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को नियमित आधार पर एम.फिल/ पीएचडी कार्यक्रम चलाने की मान्यता/ अनुमति प्रदान, जैसा लागू हो, करने के लिए जारी किए गए पत्रों को निरस्त कर देगी।

➤ **17 सितंबर, 2018**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 06 सितंबर, 2018 को आधिकारिक राजपत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) तृतीय संशोधन विनियम, 2018 को अधिसूचित किया है जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर किया जा सकता है।

➤ **19 सितंबर, 2018**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार के बारे में सभी विश्वविद्यालयों को एक पत्र जारी किया एनएडी-भारत सरकार ने प्रशासनिक और अकादमिक सुधार लाने के अपने प्रयास में राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी) की स्थापना की है जो प्रतिभूतियों के निक्षेपागार के आधार पर अकादमिक उपाधियों का एक डिजिटल निक्षेपागार है। राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार 24x7 ऑनलाइन उपलब्ध है और यह अकादमिक संस्थानों/ बोर्डों/ पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा डिजिटल प्रारूप में दर्ज किए गए अकादमिक उपाधियों (डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, मार्क-शीट आदि) की पुनर्प्राप्ति और सत्यापन के लिए हितधारकों को हर समय पहुंच उपलब्ध कराता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार के कार्यान्वयन के लिए अधिकृत निकाय के रूप में नामित किया है। एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड और सीडीएसएल वेंचर्स, लिमिटेड जो भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत पंजीकृत निक्षेपागारों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ हैं, वे राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार हेतु दो डिजिटल संस्थाएँ हैं जो शैक्षणिक उपाधि को डिजिटल प्रारूप में रखेंगी और आंकड़ों की सत्यनिष्ठता सुनिश्चित करेंगी।

अकादमिक संस्थान अर्थात् विश्वविद्यालय, विद्यालय बोर्ड, केंद्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थान, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित विशिष्ट पेशेवर संस्थानों, पात्रता मूल्यांकन निकायों, और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संस्थानों को अपने अकादमिक उपाधियों को प्रविष्ट करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार की सेवा लेने के लिए दो निक्षेपागारों में से किसी एक यथा एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड और सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड के साथ सेवा स्तर का समझौता करना अपेक्षित है। विशेषरूप से राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार में अभी तक शामिल नहीं होने वालों के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार के कार्यान्वयन को सुकर बनाने और एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड और सीडीएसएल वेंचर्स, लिमिटेड के साथ सेवा स्तरीय समझौते करने वाले संस्थानों को शैक्षिक आवर्ड निक्षेपित करने हेतु बढ़ावा देने के लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली में दिनांक 28 सितंबर, 2018 को एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई।

➤ **19 सितंबर, 2018**

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ (एमपीएच) के लिए एक मॉडल पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या तैयार किया है और अपने विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या को

अपनाने और सभी संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों को प्रासंगिक निर्देश देने का अनुरोध किया है। अनुमोदन मॉडल एमपीएच पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट <http://mohfw.gov.in/sites/default/files/MPH-Model%20Course%20Curriculum.pdf> पर उपलब्ध है।

➤ 19 सितंबर, 2018

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित किया कि भारत सरकार ने उचित तरीके से इस अवसर को मनाने के लिए दिनांक 29 सितंबर, 2018 को 'सर्जिकल स्ट्राइक दिवस' मनाने का निर्णय लिया है।

➤ 1 अक्टूबर 2018

डीईबी- दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो –उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय-सार्वजनिक सूचना

- क. आयोग ने दिनांक 27 सितंबर, 2018 को आयोजित अपनी 535वीं बैठक में उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा शिक्षा सत्र 2018-19 से दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 तक पेशकश किए जाने वाले मान्यता प्राप्त 'मुक्त और दूरस्थ शिक्षा' कार्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। उच्चतर शिक्षा संस्थान, दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेंगे और इसके बाद कोई प्रवेश नहीं लिया जाएगा।
- ख. उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अभ्यावेदन और दस्तावेजी साक्ष्यों पर आयोग के निर्णय के आधार पर संशोधित कार्यक्रम मान्यता की स्थिति, दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in/deb पर उपलब्ध होगी। उच्चतर शिक्षा संस्थान वि.अ.आ. की वेबसाइट पर उपलब्ध संशोधित कार्यक्रम मान्यता स्थिति के अनुसार मान्यता प्राप्त कार्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को कार्यक्रम-वार मान्यता की स्थिति का विवरण देने वाला वि.अ.आ. का पत्र जल्द से जल्द जारी किया जाएगा।
- ग. उपरोक्त 'ख' पर संशोधित मान्यता स्थिति के अनुसार को मान्यता नहीं दिए गए कार्यक्रम (अभी भी कमी पाई गई है) के संबंध में उच्चतर शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के भाग-II के उप-नियम (5) के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र की तिथि से दिन 30 के भीतर, प्रति कार्यक्रम दस हजार रुपये के शुल्क के साथ आयोग को अपील, यदि कोई हो तो, कर सकते हैं।
- घ. विशेषज्ञ समिति दौरा रिपोर्ट पर आयोग के निर्णय के आधार पर कार्यक्रम की मान्यता की स्थिति दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in/deb पर उपलब्ध होगी। उच्चतर शिक्षा संस्थान वि.अ. आ. की वेबसाइट पर उपलब्ध संशोधित कार्यक्रम मान्यता स्थिति के अनुसार मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को कार्यक्रम-वार मान्यता की स्थिति का विवरण देने वाला वि.अ.आ. का पत्र जल्द से जल्द जारी किया जाएगा।
- ड. उपर्युक्त 'घ' पर मान्यता स्थिति के अनुसार त्रुटिपूर्ण पाए गए कार्यक्रम के लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थान शेष कमी के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ 30 दिनों के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास एक अपील विकल्प मौजूद है।

➤ 03 अक्टूबर, 2018

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने और वि.अ.आ. द्वारा आरंभ किए गए विकल्प आधार क्रेडिट प्रणाली के अधीन अपने कैंपसों में इस कार्यक्रम को चलाने के लिए विमान रखरखाव में स्नातक स्तर की डिग्री कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम ढांचा तैयार किया है। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा कार्यान्वयन के लिए पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है। हालांकि, विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि पाठ्यक्रम को अपनाने से पहले नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की स्वीकृति प्राप्त करें क्योंकि डीजीसीए एक सांविधिक निकाय है जो उड़्डयन सुरक्षा और उड़्डयन योग्यता मानकों के लिए मानक और विनियम निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। पाठ्यक्रम में नामांकन प्राप्त करने वाले छात्रों की जानकारी और जागरूकता के लिए सभी विश्वविद्यालयों को अपनी वेबसाइटों पर अनुमोदन का प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

➤ 10 अक्टूबर 2018

आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-केनरा बैंक के वेब पोर्टल पर जोड़ी गई कुछ सुविधाओं के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की <http://scholarship.canarabank.in>

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक समर्पित अत्याधुनिक प्रणाली के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां प्रदान कर रहा है जो डीबीटी मंच पर लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ समेकित है। नामित वेब पोर्टल को दुरुस्त किया गया है ताकि छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति पाने वालों को भुगतान प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करके समय पर और नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उम्मीदवारों की मासिक पुष्टि के आधार पर नामित वेब पोर्टल पर विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा जोड़े गए सभी छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां पाने वालों को डिफॉल्ट रूप से भुगतान किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मास्टर डाटा प्रविष्टियों का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता नहीं है और हर महीने की 15 तारीख तक मासिक पुष्टि के आधार पर भुगतान कर दिया जाएगा। मासिक पुष्टि विकल्प "मेकर" और "चैकर" कार्यात्मकता के साथ सक्षम है। ऐसे सभी विश्वविद्यालय और संस्थान जिन्होंने वेब पोर्टल से जुड़ने के लिए लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त नहीं किया है, वे उसे केवल fellowshipsa3@gmail.com पर एक अनुरोध भेजकर तत्काल आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। वेब पोर्टल पर नई कार्यक्षमताएं संचालित करने के लिए विस्तृत यूट्यूब ट्यूटोरियल और दिशानिर्देश तत्काल संदर्भ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

➤ 15 अक्टूबर, 2018

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को परामर्श दिया कि नवोन्मेष और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि देश में जमीनी स्तर पर नवोन्मेषकों की कोई कमी नहीं है और उनके विकास को सुकर बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। आयोग ने इस अभियान हेतु उठाए जाने वाले कुछ विशिष्ट कदमों का सुझाव दिया।

➤ 16 अक्टूबर, 2018

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को परामर्श दिया कि वे अपने संस्थान में दिनांक 29 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र में उल्लिखित क्रियाकलाप आयोजित करें। प्रत्येक कर्मचारी/ छात्र/ शिक्षक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट "pledge.cvc.nic.in" पर जाकर ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विश्वविद्यालयों के संबद्ध महाविद्यालयों को भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने की सलाह दी जाए।

➤ 17 अक्टूबर, 2018

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि ई-कचरे के पुनर्चक्रण के लिए असंगठित क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रदूषणकारी प्रौद्योगिकियों के कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए एक स्थायी तंत्र आरंभ करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षण संस्थानों से अनुरोध है कि वे छात्रों के बीच ई-कचरे के स्वास्थ्य खतरों, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पुनर्चक्रण के लिए सर्वोत्तम तरीकों और देश में इससे संबंधित नियमों/ विनियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विषय-वस्तु का उचित तरीके से इस्तेमाल करें। विषय-वस्तु डाउनलोड एवं व्यापक प्रसार के लिए www.greene.gov.in पर उपलब्ध है।

➤ 22 अक्टूबर, 2018

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि भारत सरकार सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाने के लिए पूरे देश में दिनांक 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाकर हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को संरक्षित और सुदृढ़ करने के लिए हमारे समर्पण को मजबूत करने के विशेष अवसर के रूप में मनाती है। विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालय ने इस अवसर को मनाया और निम्नलिखित कार्यक्रम (1) एकीकृत भारत के संदेश के साथ " रन फॉर यूनिटी" (2) "राष्ट्रीय एकता दिवस" प्रतिज्ञा समारोह (3) प्रतियोगिता / प्रश्नोत्तरी/वाद-विवाद (4) राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुरक्षा संबंधी विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए।

➤ **2 नवंबर, 2018**

आयोग ने शुल्क के वापस करने तथा मूल प्रमाणपत्रों के गैर-प्रतिधारण के संबंध में वि.अ.आ. के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अधिसूचना के रूप में उचित निर्देश जारी किए।

➤ **5 नवंबर, 2018**

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता अनुसंधान में सुधार और नवाचार के लिए वि.अ.आ. और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहल आरंभ की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में संस्कृति और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय नवोन्मेष प्रकोष्ठ (एमआईसी) की स्थापना की गई है। एमआईसी का प्राथमिक अधिदेश नए विचारों पर काम करने के लिए युवा छात्रों को प्रोत्साहित करना, उन्हें प्रेरित करना और उनका पोषण करना है। एमआईसी ने चयनित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में “इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल” के गठन की संकल्पना की है। विश्वविद्यालय इस पहल को आगे ले जाएं और दिनांक 20 नवंबर, 2018 से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ‘इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी) में पंजीकरण करने का लिंक <http://www.facilities.aicte-india.org/IC/iic.html> है।

➤ **27 नवम्बर, 2018**

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को दिनांक 31 मार्च, 2021 तक कार्यान्वित करने के लिए “सामाजिक विज्ञान में प्रभावपूर्ण नीतिगत शोध (आईएमपीआरईएसएस)” योजना में सक्रिय रूप से भागीदारी करने का परामर्श दिया। योजना के तहत, 1500 शोध परियोजनाओं को दो वर्ष के लिए अवार्ड किया जाएगा ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक विज्ञान को समर्थन दिया जा सके ताकि मार्गदर्शक नीति निर्माण का सक्षम बनाया जा सके।

विश्वविद्यालयों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने संकाय सदस्यों को आईसीएसआर को www.impress.icssr.res.in पर ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि उन पर विचार किया जा सके।

➤ **29 नवम्बर, 2018**

सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को सूचित किया गया है कि अपने महाविद्यालयों/ संस्थानों में छात्रों के लिए कार्यक्रम/ वार्ता का आयोजन करें ताकि युवाओं में जागरूकता पैदा की जा सके, सशस्त्र सेना झंडा दिवस को प्रत्येक वर्ष 07 दिसम्बर को हमारे पराक्रमी सशस्त्र सेना कर्मियों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान का स्मरण किया जा सके जो हमारे देश की सम्प्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करते हैं तथा आतंकवाद और विद्रोह के खतरों के विरुद्ध हमारे जीवन को सुरक्षित बनाने के साथ- साथ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव करते हैं।

➤ **12 दिसम्बर, 2018**

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 को श्रीनिवास रामानुजन की जन्म वर्षगांठ के अवसर पर वार्ता/संगोष्ठी आयोजित कर “राष्ट्रीय गणित दिवस” के रूप में मनाने के लिए सूचित किया ताकि भारत के महान गणितज्ञ द्वारा दिए गए बड़े योगदान से छात्रों को अवगत कराया जाए।

➤ **13 दिसम्बर, 2018**

आयोग ने सार्वजनिक सूचना जारी की कि ऐसे सभी महाविद्यालय/संस्थाएं जिनकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत समावेशन हेतु आवेदन करने की मंशा है, वे इसके लिए आवेदन करने से पूर्व अपनी वेबसाइट पर अपने महाविद्यालयों के सभी ब्योरे को अपलोड करें। महाविद्यालय को अपनी वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी भी समय महाविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदान किए गए ब्योरों की जांच कर सकता है। जिस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत समावेश हेतु आवेदन करना है, वह अपने संबद्ध विश्वविद्यालय के माध्यम से अपने प्रस्ताव भेज सकता है।

➤ **19 दिसम्बर, 2018**

आयोग ने “स्मार्ट हेकेथॉन (एसआईएच)” के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की जो एक राष्ट्रव्यापी पहल है और जिसका लक्ष्य ज्वलंत समस्याओं के नवोन्मेषी समाधान देने के लिए हमारे प्रौद्योगिकी के छात्रों के लिए एक मंच प्रदान करना है ताकि उनमें समस्या के निवारण के लिए उत्पादक नवोन्मेष और दृष्टिकोण की संस्कृति विकसित की जाए।

➤ **1 जनवरी, 2019**

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को 'स्वयं' प्लेटफार्म पर उपलब्ध एआरपीआईटी पाठ्यचर्या में भाग लेने के लिए संकाय सदस्य को प्रोत्साहित करने हेतु नए आरंभ किए गए एआरपीआईटी पाठ्यचर्या के बारे सूचित किया ताकि वे न केवल अपने विषयों में अद्यतन घटनाक्रमों अवगत रहें बल्कि अपने कैरियर प्रगति में भी सहायक हो।

➤ **4 जनवरी, 2018**

आयोग ने शिक्षा सत्र 2019-20 और उसके बाद के सत्र के लिए ऑनलाइन पद्धति से चलाए जाने वाले पाठ्यचर्या/ पाठ्यक्रमों की मान्यता के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्रस्तावों को आमंत्रित किए जाने के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

➤ **28 जनवरी, 2019**

आयोग ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अतिथि संकाय सदस्यों के मानदेय दरों में बढ़ोतरी करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया।

➤ **11 फरवरी, 2019**

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को सूचित किया कि यूनेस्को ने प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की है ताकि मातृभाषा के प्रसार को बढ़ावा दिया जा सके और विश्वभर में भाषायी और सांस्कृतिक परंपरा के बारे में पूर्ण जागरूकता पैदा की जा सके और सहिष्णुता तथा बातचीत के आधार पर समझबूझ के साथ एकजुटता को बढ़ावा दिया जा सके। तदनुसार, निम्नवत उद्देश्यों के साथ मातृभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 21 फरवरी, 2019 को मातृभाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया:

- देश में भाषायी विविधता को उजागर करना।
- न केवल संबंधित मातृभाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करना बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के उपयोग को भी बढ़ावा देना।
- देश में संस्कृति की विविधता और साहित्य, शिल्प, प्रदर्शन कला, पांडुलिपियों तथा सृजनात्मक अभिव्यक्तियों के अन्य स्वरूपों को समझना और उसके प्रति ध्यान आकर्षित करना।
- अपनी स्वयं की मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना।

➤ **19 फरवरी, 2019**

आयोग ने हितधारकों की टिप्पणियों और सुझावों का आह्वान करते हुए विआ की वेबसाइट पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2018 संबंधी एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

➤ **22 फरवरी, 2019**

आयोग ने विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न मीडिया से प्राप्त हो रही रिपोर्टों के संदर्भ में सभी विश्वविद्यालयों को एक पत्र जारी किया, सभी विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध महाविद्यालयों से कहा गया है कि वे कैम्पस में छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करें। वे इस स्थिति पर नजर रखें और किसी अवांछित घटना होने पर कानून व्यवस्था तंत्र का सहारा लें।

➤ **22 फरवरी, 2019**

सार्वजनिक सूचना— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मूल्यांकन सुधारों संबंधी एक समिति का गठन किया था जो उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गुणवत्ता अधिदेश के पांच उद्देश्यों में से एक है। समिति ने सुधारों पर विचार करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंप दी जिनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और मूल्यांकन प्रणाली के परिणामों के लिए आवश्यकता है। आयोग ने दिनांक 21.01.2019 को हुई अपनी 538वीं बैठक में इस रिपोर्ट पर विचार किया और इस रिपोर्ट पर सुविचारित राय लेने के लिए मूल्यांकन सुधार रिपोर्ट के संबंध में शिक्षकों, छात्रों, परीक्षा नियंत्रक, समन्वयक शिक्षाविदों और जन साधारण सहित हितधारकों से विचार/सुझाव प्राप्त करने का निर्णय लिया।

➤ **26 फरवरी, 2019**

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों से अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी परीक्षा लेने वाले निकायों को उपयुक्त परामर्श जारी करने अनुरोध किया ताकि दिनांक 29 अगस्त, 2019 के दिशानिर्देशों के खंड पांच के संदर्भ में जिला/ मंडल/ राज्य स्तर पर शिक्षकों/ उपाचार्य/ प्रयोगशाला सहायक का एक पैनल बनाया जाए। जब तक शिक्षकों के पैनल नहीं बना लिए जाते हैं, कोई भी विभाग जो परीक्षा आयोजित कर रहा है, दिनांक 29 अगस्त, 2019 के दिशानिर्देशों के संदर्भ में परीक्षा आयोजित नहीं करेगा।

➤ **11 मार्च, 2019**

सार्वजनिक सूचना—> भर्ती हुए सभी नए शिक्षकों के लिए प्रवेशन पाठ्यक्रम

आयोग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित एक अधिदेश, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में नए भर्ती हुए संकाय सदस्यों के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाले संकाय सदस्य के रूप में विकसित करना प्रवेशन पाठ्यक्रम (एफआईपी) को तैयार करना और लागू करना है ताकि उनके शिक्षण और प्रबंधन कौशल में सुधार लाया जा सके, उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संस्कृति में समायोजित हो सके और अपनी पेशागत उत्तरदायित्वों को बेहतर तरीके से समझ सकें। विआ ने संकाय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए एक रूपरेखा को तैयार की है ताकि नए शिक्षकों को शिक्षा के पेशे में लाया जा सके जिसका उद्देश्य नए शिक्षकों की सहायता करना है।

➤ **15 मार्च, 2019**

सार्वजनिक सूचना -> मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति के अंतर्गत वर्जित पाठ्यक्रम

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 23 जून, 2017 को राजपत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 को अधिसूचित किया था। तत्पश्चात् दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को पहला संशोधन अधिसूचित किया गया, दिनांक 06 फरवरी, 2018 को दूसरा संशोधन अधिसूचित किया गया और दिनांक 06 सितम्बर, 2018 को तीसरा संशोधन अधिसूचित किया गया था।
2. पेशेवर पाठ्यक्रमों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के भाग-I के उप विनियम (2) के खंड (त) में उपबंधों को परिभाषित किया गया:
‘पेशेवर पाठ्यक्रम’ का अर्थ अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, भेषजी, नर्सिंग, वस्तुकला, भौतिक चिकित्सा के पाठ्यक्रमों के अलावा पाठ्यक्रम और ऐसे पाठ्यक्रम जिन्हें किसी भी सांविधिक परिषदों अथवा विनियामक प्राधिकरणों द्वारा दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था में पेशकश करने की अनुमति नहीं है, जिन्हें मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति अथवा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के तहत इन विनियमों के उद्देश्य, यदि कोई हों तो, के लिए इसके तहत उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा आयोजित किया जाता है, पर केवल तभी विचार किया जाना चाहिए यदि इसका अनुमोदन संबंधित सांविधिक परिषदों अथवा विनियामक प्राधिकारियों द्वारा किया गया हो।
3. यह सूचनार्थ है कि सचिव और महानिदेशक, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार और आयोग की दिनांक 29 जनवरी, 2019 को हुई 538वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जुलाई, 2019 से आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र 2019-20 से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति में कृषि डिग्री पाठ्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
4. सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे इसे नोट कर लें।

➤ **20 मार्च, 2019**

आयोग ने दिनांक 21 जून, 2019 को विश्वविद्यालयों को अपने उत्कृष्ट विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में निम्नलिखित कार्यकलापों को अपनाते हुए पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का परामर्श दिया:

- i. शेष विश्व में योग का प्रसार करने में राष्ट्रीय गौरव की भावना का आह्वान करना और युवाओं में योग को बढ़ावा देना।

- ii. शारीरिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यकलाप के एक भाग के रूप में योग को अपनाना।
- iii. सामान्य योग नयाचार (सीवाईपी) पर ध्यान केन्द्रित करना जिसमें 45 मिनट का अपेक्षाकृत सरल योगाभ्यास शामिल होता है जो देश के कुछेक प्रख्यात योग विशेषज्ञों द्वारा बताए गए नयाचारों के अनुसार है। इसे अधिक संख्या में लोगों को अधिकतम शारीरिक और बौद्धिक लाभ प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। सीवाईपी की प्रति <http://yoga.ayush.gov.in/common-yoga-protocol> पर उपलब्ध है।
- iv. जिस योग कार्यक्रम में शिक्षक और छात्र भाग लेने वाले हैं उसके लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आवश्यक सुविधाओं को खुला रखना।

➤ **20 मार्च, 2019**

आयोग ने विश्वविद्यालयों को अपने विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में निम्नलिखित कार्यकलापों को अपनाते हुए दिनांक 21 जून, 2019 को पांचवे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का परामर्श दिया है।

► उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विकास के संबंध में आंकड़े

- ❖ 2.1 उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात
- ❖ 2.2 विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय
- ❖ 2.3 छात्र नामांकन
- ❖ 2.4 उत्तीर्ण हुए छात्र/ परीक्षा परिणाम
- ❖ 2.5 संकाय संख्या

आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ज) के अन्तर्गत आयोग द्वारा भारत तथा अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर जानकारी एकत्र करने का अधिकार है और धारा 12(झ) के अन्तर्गत उस विश्वविद्यालय में आरंभ की गई विभिन्न शिक्षण शाखाओं अथवा अध्ययन की वित्तीय स्थिति से संबंधित नियमों एवं विनियमों के संबंधित जानकारी को भेजने को कह सकता है जिसमें उस विश्वविद्यालय में ज्ञान-अर्जन की प्रत्येक शाखा के संबंध में शिक्षण और परीक्षा के स्तर सहित सभी नियम और विनियम शामिल हैं।

शिक्षा क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़े, जिनका मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है, प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में व्यापक रूप से विविध उच्चतर शिक्षा प्रणाली का डॉटाबेस तैयार करने हेतु उच्चतर शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया है। सर्वेक्षण में प्रत्युत्तर देने वाले संस्थान द्वारा सीधे ऑनलाइन माध्यम से जमा किए गए आंकड़ों का संकलन तथा प्रबंधन किया जाता है। तीन प्रकार के उच्चतर शिक्षा संस्थान नामतः विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्टैण्डालोन संस्थानों की पहचान की गई है तथा उनका सर्वेक्षण किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों का एक मुख्य दल, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में शामिल थे, जिसमें डॉटा कैप्चर फॉर्मेट (डीसीएफ), कार्यशालाओं में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, सॉफ्टवेयर विकास करने में नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर की सहायता करना (एनआईसी) आदि। सर्वेक्षण कार्य का समन्वय करने के लिए प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये गए हैं।

आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से एक प्रतिबद्ध पोर्टल (<http://aishe.gov.in>) विकसित किया गया है। पोर्टल तक पहुंच बनाने तथा डॉटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होता है। संस्थानों के पंजीकरण को राज्य/ केन्द्र स्तर पर उपर्युक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और महाविद्यालय के मामले में विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। डीसीएफ का ई-संस्करण संस्थान के ढांचे/ आकार के अनुसार घटता- बढ़ता है। किसी भी अन्वेषक को आंकड़े संग्रहित करने के लिए संस्थान में नहीं भेजा जाता है। एक विशिष्ट विशेषता यह है कि भरे हुए डीसीएफ हमेशा पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं, जिस तक संस्थान तथा उच्च स्तर के प्राधिकारियों द्वारा पहुंच बनाई जा सकती है। सभी संस्थानों को पोर्टल तक पहुंच बनाने तथा डॉटा अपलोड करने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना तथा सांख्यिकी ब्यूरो ने सीधे विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों से आंकड़े संग्रहित करना बंद कर दिया है, अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़ों का संकलन तथा प्राक्कलन <http://aishe.gov.in> पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रत्येक वर्ष, सर्वेक्षण रिपोर्ट विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा के स्टैण्डालोन संस्थानों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बड़ी संख्या में मानदंडों पर आधिकारिक आंकड़े तैयार करता है।

एआईएसएच 2018-19 : एआईएसएच के तहत जानकारी को उच्चतर शिक्षा संस्थानों से, मोटे तौर पर एआईएसएच के पोर्टल पर पंजीकृत विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्टैण्डालोन संस्थान में श्रेणीबद्ध कर संग्रहित किया गया था। इन श्रेणियों में वास्तविक प्रतिक्रिया क्रमशः 944 (95.1 प्रतिशत), 36308 (91 प्रतिशत), और 8354 (77.9 प्रतिशत) संस्थानों से प्राप्त हुई। इस प्रकार संग्रहित आंकड़ों को प्राक्कलन हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थान हेतु एआईएसएच के वर्ष 2016-17 अथवा वर्ष 2017-18 के आंकड़ों को साथ मिलाकर किया जाता है, जिसने वर्ष 2018-19 के सर्वेक्षण में डॉटा अपलोड नहीं किए थे। आंकड़ों को मिलाते हुए यह सुनिश्चित किया गया था कि संस्थान वर्ष

2018-19 के दौरान मौजूद थे। वर्ष 2018-19 के लिए आंकड़ों को एक साथ मिलाते हुए, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा स्टैण्डालोन संस्थानों के लिए डॉटा अपलोडिंग का प्रतिशत क्रमशः 962 (96.9 प्रतिशत), 38179 (95.6 प्रतिशत) और 9190 (85.7 प्रतिशत) रहा।

स्वतंत्रता के समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय तथा 500 महाविद्यालय थे और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में 2.1 लाख छात्र थे। दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार आईआईएम, सहित 1047 डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/ संस्थान (स्रोत: एआईएसएचई पोर्टल तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(च) के तहत आने वाले संस्थान), 41935 महाविद्यालयों (संबद्ध/ संघटक/ स्नातकोत्तर/ 'ऑफ-कैम्पस केन्द्र' / मान्यताप्राप्त संस्थान) (स्रोत: वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट) तथा उच्चतर शिक्षा में 373.99 लाख छात्रों का नामांकन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन सभी की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अब यह एक सुस्थापित तथ्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष के आंकड़ों की तुलना में उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों की संख्या में 52.35 गुना वृद्धि हुई है, महाविद्यालयों की संख्या में 82.76 गुना वृद्धि हुई है और उच्चतर शिक्षा में छात्र नामांकन में 178.09 गुना वृद्धि हुई है। विशेषरूप से, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों जैसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि के बिना छात्र नामांकन और पाठ्यक्रमों में दाखिले की क्षमता में इतनी व्यापक वृद्धि कभी सम्भव नहीं हो पाती।

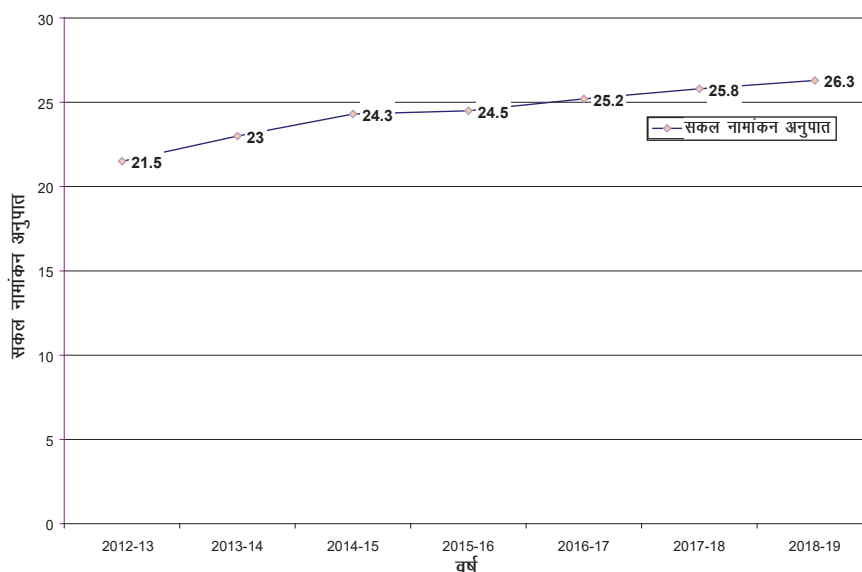
2.1 उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (18 से 23 वर्ष) : देश में 18-23 वर्ष आयु वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 26.3 प्रतिशत है। पुरुष जनसंख्या के लिए सकल नामांकन अनुपात 26.3 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 25.4 प्रतिशत रहा।

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में रुझान) वर्ष 2012-13 के दौरान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 21.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 के दौरान 26.3 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत अधिक हुई जोकि वर्ष 2012-13 के दौरान 16.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 के दौरान 23 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के मामले में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2012-13 के दौरान 11.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 के दौरान 17.2 प्रतिशत हो गया। (स्रोत : वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

तालिका 2.1: वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018-19 के दौरान उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात

वर्ष	सकल नामांकन अनुपात
2012-13	21.50
2013-14	23.00
2014-15	24.30
2015-16	24.50
2016-17	25.20
2017-18	25.80
2018-19	26.30

रेखाचित्र 2.1: वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018-19 के दौरान सकल नामांकन अनुपात



2.2 विश्वविद्यालय/ संस्थान/ महाविद्यालय

2.2(i) विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान अर्थात् ऐसे संस्थान जिन्हें संसद अथवा राज्य विधानमंडल के कतिपय अधिनियम के तहत उपाधि प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के निम्नवत स्वरूप हैं: (1) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (2) राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय (3) राज्य निजी विश्वविद्यालय (4) सम विश्वविद्यालय संस्थान (5) राज्य विधानमंडल के तहत स्थापित संस्थान (6) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और अन्य।

2.2(i)(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) तथा 2(ख) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालय

वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 51 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 397 राज्य निजी विश्वविद्यालय, 334 राज्य निजी विश्वविद्यालय, राज्य विधानमंडल के तहत 3 संस्थान और 126 सम विश्वविद्यालय संस्थान सूचीबद्ध हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान 17 राज्य निजी विश्वविद्यालय [सूची 2.2(i)(क)], 40 राज्य निजी विश्वविद्यालय [सूची 2.2(i)(ख)], और 3 सम विश्वविद्यालय [सूची 2.2(i)(ग)] और 3 केन्द्रीय विश्वविद्यालय और केन्द्रीय विश्वविद्यालय का एक राज्य निजी विश्वविद्यालय [सूची 2.2(i)(घ)] को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान 7 राज्य निजी विश्वविद्यालय, 23 सम विश्वविद्यालय और 2 राज्य निजी विश्वविद्यालय [सूची 2.2(i)(ड)] को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र घोषित किया गया था।

2.2(i)(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की राज्य-वार सूची (दिनांक 04 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	वि०अ०आ० की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
	आंध्र प्रदेश		
1	डॉ अब्दुल हक उर्दू विश्वविद्यालय, कुरनूल-518001, आंध्र प्रदेश	14.12.2018	15.02.2019
	बिहार		
2	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, पटना-800014, बिहार	29.08.2018	06.12.2018
3	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर, बिहार	06.01.2017	12.07.2018
4	पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, कंकरबाग रोड, राजेंद्र नगर टर्मिनल के निकट, पटना-800020, बिहार	17.08.2018	21.08.2018
5	पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया- 854301, बिहार	17.08.2016	12.07.2018
	दिल्ली		
6	नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, सेक्टर-3, द्वारका, दिल्ली	26.09.2018	12.11.2018
	गुजरात		
7	सरदार कृष्णनगर, दंतेवाड़ा, कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृष्णनगर-385506, जिला- बनासकांठा, गुजरात	29.04.2004	23.04.2018
8	बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय, आदर्श निवासी विद्यालय कैम्पस, वावडी रोड, राजपिपला, जिला-नर्मदा गुजरात	25.07.2018	01.10.2018
	हरियाणा		
9	गुरुग्राम विश्वविद्यालय, राव तुला राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, सेक्टर-51, गुरुग्राम-122018	07.06.2018	12.02.2019
10	महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, मुंदरी, कैथल. 136027, हरियाणा	09.05.2018	24.01.2019
	झारखंड		
11	बिनोद बिहार महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, झारखंड	23.03.2017	30.05.2018
12	डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड	23.03.2017	26.06.2018
	ओडिशा		
13	वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, अयुर विहार, बुरला, संबलपुर-768017, ओडिशा	20.06.2014	05.04.2018
	मणिपुर		
14	धनमंजुरी विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर	06.04.2018	02.11.2018

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	वि0अ0आ0 की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
	मध्य प्रदेश		
15	धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग, रिज रोड, सिविल लाइन्स, जबलपुर, मध्य प्रदेश	28.07.2018	10.09.2018
	राजस्थान		
16	बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीकानेर कैम्पस, करणी औद्योगिक क्षेत्र, पुगल रोड, बीकानेर-334004	18.05.2017	28.01.2019
	सिक्किम		
17	सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय, गंगटोक पूर्वी सिक्किम, तडोंग-737102, सिक्किम	19.04.2017	01.01.2019

2.2(ii)(ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित राज्य निजी विश्वविद्यालयों की राज्य-वार सूची
(दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक)

क्रम संख्या	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	सम्मिलित किए जाने की तिथि
	आंध्र प्रदेश		
1.	सवीथा अमरावती विश्वविद्यालय, तीसरा तल, वैष्णवी कॉम्प्लेक्स, एकजीक्यूटिव क्लब, विजयवाड़ा-520008, आंध्र प्रदेश	30.04.2018	08.01.2019
2.	केआरईए विश्वविद्यालय, सेंट्रल एक्सप्रेसवे, श्रीसिटी, आंध्र प्रदेश	30.04.2018	10.12.2018
3.	वीआईटी-एपी विश्वविद्यालय, अमरावती- 522237, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	23.06.2018
	असम		
4.	कृष्णगुरु अद्वैतमिक विश्वविद्यालय, नसात्रा, बारपेटा, असम	11.04.2017	30.11.2018
	बिहार		
5.	एमिटी यूनिवर्सिटी, रूपसपुर, बेली रोड, पटना. 801503, बिहार	18.08.2017	12.04.2018
6.	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, ब्लॉक - भगवानपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग-77 (पटना-मुजफ्फरपुर राजमार्ग), जिला- वैशाली- 844114, बिहार	29.01.2018	26.06.2018
7.	गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार, जिला- रोहतास - 821305, बिहार	15.06.2018	02.08.2018
8.	माता गुजरी विश्वविद्यालय, पुरबपाली रोड, किशनगंज- 855107, बिहार	20.02.2019	14.03.2019
9.	अल-करीम विश्वविद्यालय के निकट, कटिहार-पुर्णिया रोड, सिरसा, कशीम बाग, कटिहार- 854 106 (बिहार)	15.06.2018	27.05.2018
	छत्तीसगढ़		
10.	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ (निजी विश्वविद्यालय)	17.04.2018	02.08.2018
11.	एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, ग्राम-माथ, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़	17.04.2018	16.10.2018
	गुजरात		
12.	गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गोकुल एजुकेशनल कैम्पस, नियर जीआरएसएल, सुजानपुर पाटिया, सिद्धपुर, जिला पाटन, गुजरात (निजी विश्वविद्यालय)	23.03.2018	21.06.2018
13.	आत्मीय विश्वविद्यालय, योगीधाम गुरुकुल, कालावाड़ रोड, राजकोट-360005 गुजरात	13.04.2018	23.06.2018
	हरियाणा		
14.	आईआईएलएम यूनिवर्सिटी, 1, नॉलेज सेंटर, गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर-53, गुरुग्राम-122003, हरियाणा (निजी विश्वविद्यालय)	06.04.2018	10.07.2018
	झारखंड		
15.	राधा गोविंद विश्वविद्यालय, राधा गोविंद नगर, लालकी, रामगढ़	11.10.2018	28.11.2018
16.	कैपिटल यूनिवर्सिटी, रांची-पटना मेन रोड, कोडरमा, झारखंड	11.10.2018	04.12.2018
17.	नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय, पोखरी, पीओ- भिलाई पहाड़ी, पीएस-एमजीएम, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	19.09.2018	12.11.2018
18.	रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय, नवाडीहकला, पीओ और पीएस बिश्रामपुर, पलामू- 822132, झारखंड	19.09.2018	14.03.2019

क्रम संख्या	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	सम्मिलित किए जाने की तिथि
कर्नाटक			
19.	खाजा बंदनवाज विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन, खाजा बंदनवाज विश्वविद्यालय परिसर, रौजा-आई बुजुर्ग, कलाबुरगी-585104, कर्नाटक	21.04.2018	31.10.2018
20.	आदिचुंचनगिरी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-75, तालुक- नागमंगला, जिला- मंड्या, बी.जी. नगरा 571448, कर्नाटक (निजी विश्वविद्यालय)	22.01.2018	31.10.2018
महाराष्ट्र			
21.	छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, शेडुंग टोल प्लाजा के पास, पुरानी मुंबई पुणे राजमार्ग, पनवेल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	09.08.2018	31.10.2018
22.	डी. वार्ड. पाटिल अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर - 29, प्रधानकरन, अकुर्डी, पुणे - 411044 महाराष्ट्र, (निजी विश्वविद्यालय)	14.03.2018	05.06.2018
23.	जी.एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, बाढनेरा, अंजनगांव, बारी रोड, अमरावती- 444701, महाराष्ट्र	20.07.2018	26.03.2019
मध्य प्रदेश			
24.	रेनेसां यूनीवर्सिटी, सर्वेक्षण संख्या 34/2, 51/1/1, ग्राम रेवती, सांवर रोड, अरबिंदो अस्पताल के पीछे, इंदौर- 452015, मध्य प्रदेश	24.08.2017	02.05.2018
25.	मध्यांचल व्यावसायिक विश्वविद्यालय, पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैम्पस, रातीबाद, भोपाल- 462044, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	11.01.2018	10.07.2018
26.	भाभा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-12, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी भोपाल- 462026, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	11.01.2018	12.07.2018
27.	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-86, ग्राम चौका, सागर रोड, छतरपुर- 471001, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	28.07.2018	30.08.2018
28.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, सरदार पटेल नॉलेज सिटी, वारासेयोनी रोड, डोंगरिया, बालाघाट	28.07.2018	18.09.2018
29.	मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गाँव - गादिया और रत्नाखेड़ी, ब्लॉक - बिल्किसगंज, सीहोर (मध्य प्रदेश)	11.01.2018	25.09.2018
30.	डॉ० सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, खंडवा-इंदौर रोड, पोस्ट-छैगांव माखन, खंडवा - 450771 (मध्य प्रदेश)	28.07.2018	26.09.2018
मणिपुर			
31.	मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एमआईयू पैलेस, घासी, एयरपोर्ट रोड, इंफाल- 795140, मणिपुर	14.02.2019	13.03.2019
ओडिशा			
32.	एआईपीएच यूनीवर्सिटी, पालाहा, भुवनेश्वर-कटक, राष्ट्रीय राजमार्ग-5, भुवनेश्वर- 752101, ओडिशा	26.02.2018	04.01.2019
33.	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, गुनूपुर- 765022, जिला रायगढ़, ओडिशा	27.12.2018	05.02.2019
राजस्थान			
34.	श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कामधेज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़), राजस्थान	28.03.2018	24.01.2018
35.	श्री कुशलदास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़, राजस्थान	05.10.2018	07.12.2018
36.	एपेक्स यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 5, साइंस टैक सिटी, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, लिंक रोड, 248 अचरोल, जयपुर, राजस्थान- 303002	05.10.2018	13.12.2018
37.	श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, जिला- दौसा, राजस्थान- 303511	05.10.2018	13.12.2018
38.	लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी, अलवर-तिजारा-दिल्ली हाईवे, चिकानी, अलवर, राजस्थान	05.10.2018	13.12.2018
उत्तराखंड			
39.	सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय, बालावाला, देहरादून- 248161, उत्तराखंड	03.08.2018	07.02.2019
पश्चिम बंगाल			
40.	सिस्टर निवेदिता विश्वविद्यालय, डी.जी.-1/2, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता-700 156, पश्चिम बंगाल	22.02.2018	12.04.2018

2.2(i)(ग) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित सम विश्वविद्यालयों की सूची (दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक)

क्रम संख्या	सम विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
	असम राज्य	
1.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), बालगाँव, बीटीएडी, कोकराझार, असम	13.12.2018
	गुजरात राज्य	
2.	राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (एनआरटीआई), एनएआईआर कैम्पस, लालबाग, वडोदरा, गुजरात	26.07.2018
	पश्चिम बंगाल राज्य	
3.	इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस (आईएसीएस), 2ए और 2बी, राजा एस.सी. मल्लिक रोड, जादवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700032	08.05.2018

2.2(ii)(घ) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित केन्द्रीय विश्वविद्यालय (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक)

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का नाम
1. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, मणिपुर (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
2. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के अधिनियमित होने के साथ दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 से तत्कालीन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है।
3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रल्ली ग्राम, विजयनगरम जिले में आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (सीटीयूएपी) को मंजूरी प्रदान की है। जैसा कि दिनांक 10 नवम्बर, 2018 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 की संख्या 6) की तैरहवीं अनुसूची के तहत उपबंध है।
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 23 मई, 2018 को एल संख्या एफ.नम्बर 19-18/2014 डेस्क यू के माध्यम से अनंतपुर जिले के अनंतपुरम के जंतलुरु गांव में आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएपी) को स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।

2.2(ii)(ङ) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालयों की सूची- दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक

विश्वविद्यालय का नाम
राज्य निजी विश्वविद्यालय
1 ग्लोकल विश्वविद्यालय, दिल्ली यमुनोतरी मार्ग, अकबरपुर, मिर्जापुर पोल, तहसील-बेहात, सहारनपुर. 247001, उत्तर प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)
2 मेवाड़ विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग 79, गंगारार, चित्तौड़गढ़- 312901, राजस्थान (निजी विश्वविद्यालय)
राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय
3 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, एनईजेओटीआई भवन, बी.के.काकाती रोड, भोलानाथ मंदिर पथ, उलुबेरी, गुवाहाटी- 781 007, असम
4 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, पॉलिटेक्निक कैम्पस, बीआईटी मेसरा, रांची
5 वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बुरला- 768018, जिला-संबलपुर, ओडिशा।
6 राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान
7 राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी, बासर (ग्राम और एमडील.) जिला निर्मल, हैदराबाद, तेलंगाना- 504107
8 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, सीतापुर- हरदोई बाईपास रोड, आईआईएम, लखनऊ के निकट, उत्तर प्रदेश -226013
9 आलिया विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
सम विश्वविद्यालय संस्थान
10 कोनेरु लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, ग्रीन फील्ड्स, वडेसवाम, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश
11 राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, आंध्र प्रदेश
12 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
13 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली
14 भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली
15 सुमनदीप विद्यापीठ, वडोदरा, गुजरात
16 जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलूरु, कर्नाटक
17 जेएसएस अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एंड रिसर्च, मैसूर, कर्नाटक

विश्वविद्यालय का नाम	
18	एनआईटीटीई, मंगलूरु, कर्नाटक
19	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
20	दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान संस्थान, वर्धा, महाराष्ट्र
21	डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, पुणे, महाराष्ट्र
22	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पुणे, महाराष्ट्र
23	होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र
24	नरसी मोनजी इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुम्बई, महाराष्ट्र
25	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल, लावाले, पुणे, महाराष्ट्र
26	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई, महाराष्ट्र
27	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई, महाराष्ट्र
28	शिक्षा ओ अनुसंधान, भुवनेश्वर, ओडिशा
29	जैन विश्व भारती संस्थान, लांडनू, जिला नागौर, राजस्थान
30	षण्मुघा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी (एसएएसटीआरए), तंजावुर, तमिलनाडु
31	श्री रामचंद्र उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पोरुर, चेन्नई, तमिलनाडु
32	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई, तमिलनाडु

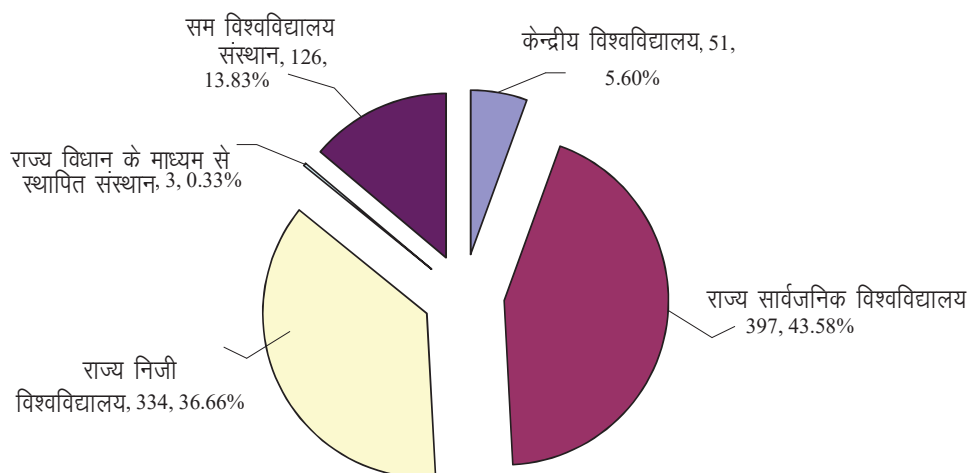
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के तहत राज्य निजी विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता केवल उन मामलों तक सीमित होगी जो केवल छात्रों तथा शिक्षकों से संबंधित हों)

2.2 (i)(च): दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों* की स्वरूपवार संख्या

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय/ संस्थान का स्वरूप	दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय/ संस्थानों की संख्या	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (ख) के तहत केन्द्रीय सहायता हेतु पात्र विश्वविद्यालयों की संख्या (दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)
1	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	51	
2	राज्य विश्वविद्यालय	397	228
3	राज्य निजी विश्वविद्यालय	334	7
4	राज्य विधान के माध्यम से स्थापित संस्थान	3	
5	सम विश्वविद्यालय संस्थान	126	39
	कुल	911	274

*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालय/ संस्थान

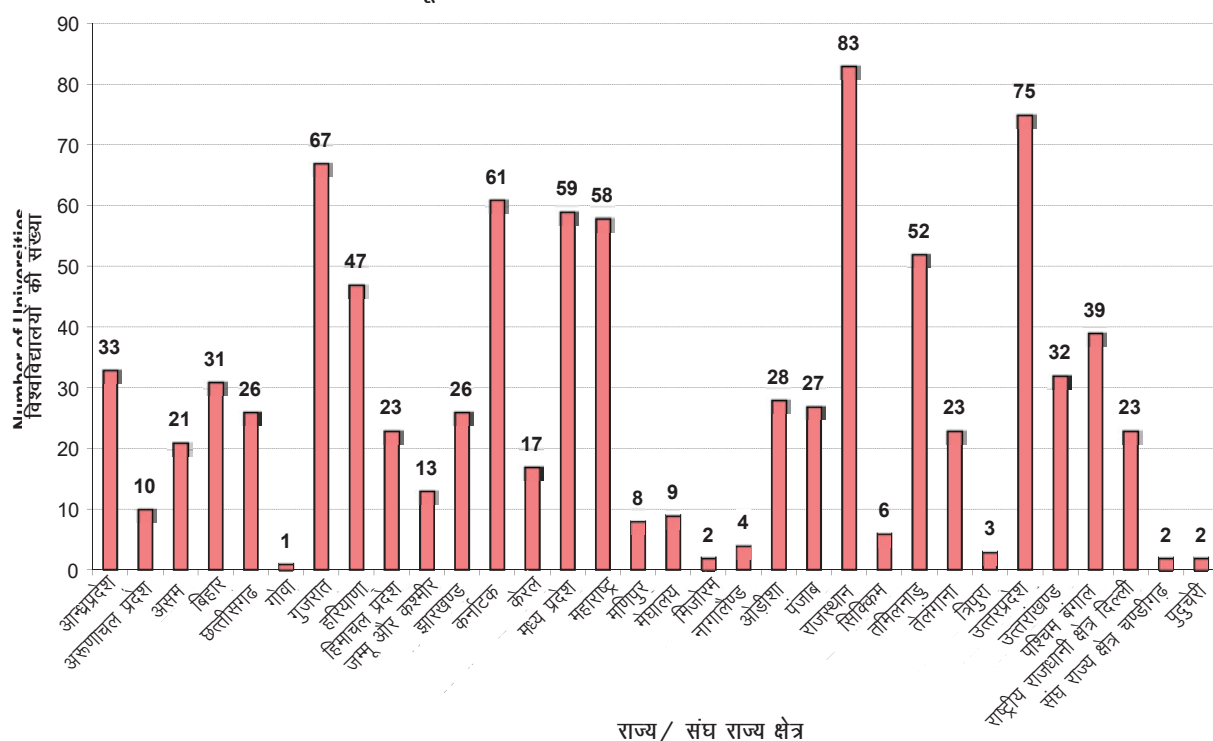
रेखाचित्र 2.2 (i) (च) : दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की स्वरूपवार संख्या



तालिका 2.2 (i)(छ) : दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्य वार संख्या

क्रम संख्या	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या						विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (ख) के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालयों की कुल संख्या		
		कुल	केन्द्रीय	राज्य	निजी	सम	राज्य विधान मंडल अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान	राज्य	निजी	सम
1	आन्ध्र प्रदेश	33	2	21	5	5		13		4
2	अरुणाचल प्रदेश	10	1		8	1				
3	असम	21	2	12	6	1		5	1	
4	बिहार	31	4	18	7	1	1	10		
5	छत्तीसगढ़	26	1	14	11			4		
6	गोवा	1		1				1		
7	गुजरात	67	1	29	34	3		12		2
8	हरियाणा	47	1	18	22	6		11	1	
9	हिमाचल प्रदेश	23	1	5	17			3		
10	जम्मू और कश्मीर	13	2	9		1	1	6		
11	झारखण्ड	26	1	10	14	1		5		
12	कर्नाटक	61	1	29	17	14		16		5
13	केरल	17	1	13		3		9		1
14	मध्य प्रदेश	59	2	23	33	1		12		1
15	महाराष्ट्र	58	1	23	13	21		17		10
16	मणिपुर	8	3	3	2					
17	मेघालय	9	1		8					
18	मिजोरम	2	1		1					
19	नागालैण्ड	4	1		3					
20	ओड़ीशा	28	1	18	6	3		10	1	2
21	पंजाब	27	1	9	15	2		7		
22	राजस्थान	83	1	24	51	7		12	1	2
23	सिक्किम	6	1	1	4					
24	तमिलनाडु	52	2	22		28		19		5
25	तेलंगाना	23	3	18		2		12		
26	त्रिपुरा	3	1	1	1					
27	उत्तरप्रदेश	75	6	30	29	9	1	18	3	1
28	उत्तराखण्ड	32	1	11	17	3		3		
29	पश्चिम बंगाल	39	1	26	10	2		17		1
30	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	23	5	8		10		5		5
31	संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	2		1		1		1		
32	पुदुचेरी	2	1			1				
	कुल	911	51	397	334	126	3	228	7	39

रेखाचित्र 2.2(i) (छ): दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या



तालिका 2.2(छ) (i): दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
आंध्र प्रदेश			
1	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम	2018	http://cuap.ac.in
2	केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम	2018	
अरुणाचल प्रदेश			
3	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, रोनों हिल्स, डाकघर दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश-791112	1985 (वर्ष 2007 से केन्द्रीय)	http://www.rgu.ac.in
असम			
4	असम विश्वविद्यालय, डाकघर असम विश्वविद्यालय, सिलचर-788011	1994	http://www.aus.ac.in
5	तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला सोनितपुर, पो 70 नम्बर 72, नापाम, तेजपुर, असम-784001	1994	http://www.tezu.ernet.in
बिहार			
6	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बीआईटी कैम्पस, पी.ओ.- बी.वी महाविद्यालय, पटना- 800014	2009	http://www.cub.ac.in
7	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर-848125, बिहार, भारत+		
8	नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला नालन्दा-बिहार+ (केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010	http://nalandauniv.edu.in
9	महात्मा गाँधी बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी, बिहार	2014	http://www.mguniversity.ac.in
छत्तीसगढ़			
10	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, मुख्य परिसर, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495009	1983 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय)	http://www.ggu.ac.in
गुजरात			
11	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर-29 गाँधीनगर-382029, गुजरात	2009	http://www.cug.ac.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
हरियाणा			
12	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ग्राम जंत-पाली, जिला महेन्द्रगढ़-123029	2009	http://www.cuh.ac.in
हिमाचल प्रदेश			
13	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पो0 बा0 नम्बर 21, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176215	2009	http://www.cuhimachal.ac.in
जम्मू और कश्मीर			
14	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ट्रांजिट कैम्पस, सोनावर, जी0बी0 पंत अस्पताल के निकट, श्रीनगर- 190 005 (जम्मू और कश्मीर)	2009	http://www.cukashmir.ac.in
15	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बागला (राहया-सुचानी), जिला साम्बा, जम्मू-181143 (जम्मू और कश्मीर)	2009	http://www.cujammu.ac.in
झारखण्ड			
16	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रातू लोहारडगे रोड, बराम्बे, राँची-835205	2009	http://www.cuj.ac.in
कर्नाटक			
17	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कादागांची, अलांद रोड, अलांद तालुक, गुलबर्गा (जिला)-585311, कर्नाटक	2009	http://www.cuk.ac.in
केरल			
18	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बीकेएम टॉवर, नायामार मूला, विद्यानगर, पी0 ओ0, कासरगोड-671123	2009	http://www.cukerala.ac.in
मध्य प्रदेश			
19	डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश-470003	1946 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय)	http://www.dhsgsu.ac.in
20	द इन्दिरा गाँधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी, माकाल सदन, अमरकण्टक, मध्य प्रदेश	2008	http://www.igntu.nic.in
महाराष्ट्र			
21	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, मानस मन्दिर, पो0ओ0 वर्धा, महाराष्ट्र-442005	1997	http://www.hindivishwa.org
मणिपुर			
22	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल-795004+	1993	http://www.cau.org.in
23	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इम्फाल, मणिपुर- 795003	1980 (वर्ष 2005 से केन्द्रीय)	http://www.manipuruniv.ac.in
24	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नम्बर 910, आईजवाल- 796012, मिजोरम+		www.nsu.ac.in
मेघालय			
25	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, नेहू कैम्पस, शिलांग, मेघालय-793022	1973	http://www.nehu.ac.in
मिजोरम			
26	मिजोरम विश्वविद्यालय, पो0ब0 नम्बर 910, आईजवाल, मिजोरम-796009	2000	http://www.mzu.edu.in
नागालैण्ड			
27	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कैम्पस कोहिमा, मुख्यालय लुमानी, नागालैण्ड-797001	1994	http://www.nagalanduniversity.ac.in
ओड़ीशा			
28	ओड़ीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लान्डीगुड़ा, कोरापुट, ओड़ीशा-764020	2009	http://www.cuo.ac.in
पंजाब			
29	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मन्सा रोड, भटिन्डा, पंजाब-151001	2009	http://www.cup.ac.in
राजस्थान			
30	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 8. भण्डार सिंदरी, जिला अजमेर-305801, राजस्थान	2009	http://www.curaj.ac.in
सिक्किम			
31	सिक्किम विश्वविद्यालय, छटा माईल, समदर, पी0ओ0 तदांग, गंगटोक, सिक्किम-737102	2007	http://www.cus.ac.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
तमिलनाडु			
32	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नीलाकुड़ी कैम्पस, कंगलानचेरी (पोस्ट), तिरुवारूर-610101, तमिलनाडु	2009	http://www.cutn.ac.in
33	इन्डियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई-600119+	2008	http://www.imu.edu.in
तेलंगाना			
34	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500046	1974	http://www.uohyd.ac.in
35	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गाचीबोली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-50032	1998	http://www.manuu.ac.in
36	इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ओ0यू0 कैम्पस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500007	1973 (वर्ष 2007 से केन्द्रीय)	http://www.efluniversity.ac.in
त्रिपुरा			
37	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर, अगरतला, त्रिपुरा-799130, अगरतला	1987	http://www.tripurauniv.in
उत्तर प्रदेश			
38	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202002	1920	http://www.amu.ac.in
39	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद-211002	1887	http://www.alluniv.ac.in
40	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ -226025	1996	http://www.bbau.ac.in
41	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005	1916	http://www.bhu.ac.in
42	राजीव गांधी नेशनल एवियेशन यूनिवर्सिटी, फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश +		
43	रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश +	2014	http://www.rlbcau.ac.in
उत्तराखण्ड			
44	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल-246174	1973 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय)	http://www.hnbgua.ac.in
पश्चिम बंगाल			
45	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन, पश्चिम बंगाल-731235	1951	http://www.visva-bharati.ac.in
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली			
46	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007	1922	http://www.du.ac.in
47	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110068+	1985	http://www.ignou.ac.in
48	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110025	1988	http://www.jmi.nic.in
49	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110067	1969	http://www.jnu.ac.in
50	सॉउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110067+ (केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010	http://www.southasianuniversity.Org
पुदुचेरी			
51	पुदुचेरी यूनिवर्सिटी, आर0 वेंकटरामन नगर, कालापेट, पुदुचेरी-605014	1985	http://www.pondiuni.edu.in

टिप्पण : नौ विश्वविद्यालय नामतः

(i) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (iii) इन्डियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई-600119 (iv) सॉउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली (v) राजीव गांधी नेशनल एवियेशन यूनिवर्सिटी, फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश (vi) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार (vii) रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश (viii) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार (ix) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कोतरुक, मणिपुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है चूंकि इन्हें भारत सरकार द्वारा सीधे वित्तपोषित किया जाता है।

चार संघ राज्य क्षेत्र नामतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीव तथा लक्षद्वीप, में कोई विश्वविद्यालय नहीं हैं।

* विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित और केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र विश्वविद्यालय)

112 वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

क्रम संख्या	jkT; @fo' ofo ky ;	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबसाइट
	fcgkj		
34	आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, मीठापुर फार्म एरिया, मीठापुर, पटना-800 001 बिहार	2008	http://www.akubihar.ac.in
35	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर-842001 *	1952	http://www.brabu.net
36	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबोर, भागलपुर, 813210	2010	http://www.bausabour.org.in
37	बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, बिहार कालेज कैम्पस, पटना-800014, बिहार	29.08.2016	https://www.basu.org.in/
38	भूपेन्द्र नारायण मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा - 852113 *	1993	http://www.bnmuh.bih.nic.in
39	चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय, ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ कैम्पस, गांधी मैदान, पटना - 800001 *	2006	http://www.cnlu.ac.in
40	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा 841301 *	1995	http://www.jpv.bih.nic.in
41	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा - 846008 *	1961	http://www.ksdsu.edu.in
42	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा - 846008*	1972	http://www.lnmuh.in
43	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया - 824234 *	1962	http://www.magadhuniversity.org
44	मौलाना मजहारूल हक अरेबिक एण्ड पर्शियन यूनिवर्सिटी, 3 पोलो रोड, पटना - 800001 (बिहार)	2004	http://www.mmhpu.bih.nic.in
45	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर, बिहार	06.01.2017	https://www.mungeruniversity.ac.in/
46	नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना - 800001	1995	http://www.nalandaopenuniversity.Com
47	पाटलीपुत्र यूनिवर्सिटी, कंकरबाग रोड, नियर राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना-800020, बिहार	17.08.2018	http://www.pppu.ac.in/
48	पटना विश्वविद्यालय, पटना - 800005 *	1917	http://www.patnauniversity.ac.in
49	पूरुषोत्तम विश्वविद्यालय, पूरुषोत्तम - 854301, बिहार	17.08.2016	http://www.purneauniversity.ac.in/
50	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर - 812007 *	1960	http://www.tmbu.org
51	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा - 802301 *	1994	http://www.vksu-ara.org
	NUkh x<		
52	छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जी.ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ (राज्य विश्वविद्यालय)	2008	http://www.cghealthuniv.com
53	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, जिला - बस्तर	2008	http://www.bvyjdp.ac.in
54	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय (पूर्व में बिलासपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था) बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2011	http://www.bilaspuruniversity.ac.in
55	छत्तीसगढ़ कामधेनू विश्वविद्यालय, दुर्ग-491001	2011	www.cgkv.ac.in
56	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर - 8, भिलाई 490009 (छत्तीसगढ़)	2004	http://www.csvtu.ac.in
57	दुर्ग विश्वविद्यालय, वासुदेव वर्मन पाटानकर बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर, रायपुर नाका, दुर्ग, छत्तीसगढ़	2015	http://durguniversity.ac.in/
58	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सिविल लाइन, रायपुर-492001 *	2003	http://www.hnlu.ac.in
59	इन्दिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर - 492006 *	1987	http://www.igau.edu.in
60	इन्दिरा गाँधी कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़-491881 *	1956	http://www.iksvv.com
61	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफरमेशन टेक्नोलॉजी, प्लॉट नम्बर 7, सेक्टर 24, पुरखोटी के निकट, मुक्तांगन, नया रायपुर-493661, छत्तीसगढ़	2014	http://www.iiitb.ac.in
62	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	2004	http://www.ktujm.ac.in
63	पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर-492010 *	1964	http://www.prsu.ac.in
64	पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2004	http://www.pssou.ac.in
65	सरगुजा विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय प्रशासन भवन अस्पताल रोड के निकट, अम्बिकापुर	2008	http://www.sargujauniversity.in
	xkok		
66	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा - 403206 *	1985	http://www.unigoa.ac.in
	xt jkr		
67	आणंद कृषि विश्वविद्यालय, आणंद	2004	http://www.aau.in
68	बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय, आदर्श निवासी विद्यालय परिसर, वावड़ी रोड, राजपीपला, जिला नर्मदा गुजरात	25.07.2018	
69	भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय, केयर ऑफ गवर्नमेंट पालीटेक्नीक कालेज, बिखना रोड, खादिया जूनागढ़-362640	2015	http://www.bknmu.edu.in

114 वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

क्रम संख्या	jkT; @fo'ofok y;	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबसाइट
104	गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार-125001 *	1995	http://www.gjust.ac.in
105	हरियाणा विश्वकर्म स्किल यूनिवर्सिटी (दुधोला पलवल), सेक्टर-18, गुरुग्राम, हरियाणा	2016	http://www.hvsu.ac.in
106	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी-122502 *	2013	http://www.igi.ac.in
107	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र-136119 *	1956	http://www.kuk.ac.in
108	लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, हिसार-125004	2010	http://lwww.uvas.edu.in
109	महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल-132001, हरियाणा	28.11.2016	http://www.mhu.ac.in
110	महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, मुंदरी, कैथल-136027, हरियाणा	09.05.2018	http://www.mvsumktl.ac.in
111	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक - 124001 *	1976	http://www.mdurohtak.ac.in
112	स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफार्मिंग एण्ड विजुअल आर्ट्स, इंटिग्रेटेड कैम्पस, सेक्टर-6, रोहतक, हरियाणा	2014	http://www.supva.ac.in
113	वाईएमसीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद-121006 *	2009	http://www.ymcaust.ac.in
	fgekpy çn'k		
114	डॉ. वाई.एस. परमारयूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, नौनी-173230 *	1986	http://www.yspuniversity.ac.in
115	हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गंधाल, शकराह, उप-तहसील धामी, जिला- शिमला-171011, हिमाचल प्रदेश	2016	http://www.hpnl.ac.in
116	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला - 171005 *	1970	http://www.hpuniv.ac.in
117	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर-176062 *	1978	http://www.hillagric.ac.in
118	हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, गांधी चौक, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश-177001	2010	http://www.himtu.ac.in
	tEe vkj d'ehj		
119	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी कैम्प ऑफिस, बाईपास रोड, चन्नी हिम्मत के सामने, जम्मू *	2005	http://www.bgsbuniversity.org
120	क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, महिला शासकीय महाविद्यालय, गांधी नगर, जम्मू-180004		http://www.clujammu.in
121	क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, एस0पी0 महाविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	2016	http://www.cusrinagar.edu.in
122	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर - 190006 *	1949	http://www.kashmiruniversity.net
123	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर- 191121*	1982	http://www.skuastkashmir.ac.in
124	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, छत्ता, जम्मू-180009	1999	http://www.skuast.org
125	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कैम्प ऑफिस : 27 ए/डी, गांधीनगर, जम्मू-180004 *	2004	http://www.smvdu.net.in
126	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एवेन्यू, अवान्तिपुरा, पुलवामा - 192122 (जम्मू और कश्मीर) *	2005	http://www.islamicuniversity.edu.in
127	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मूतवी 180006 *	1968	http://www.jammuniversity.in
	>kj[k.M		
128	बिनोद बिहार महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, धनबाद, झारखण्ड	23.03.2017	http://bbmku.ac.in/
129	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची-834006 *	1980	http://www.baujharkhand.org
130	डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची, झारखंड	23.03.2017	www.spmuranchi.ac.in
131	झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, पुरानी न्यायिक अकादमी (श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान परिसर) मेयर रोड, राँची -834002	2016	http://www.rsu.ac.in
132	कोल्हन विश्वविद्यालय, चाइबासा, पश्चिम सिंहभूमि (झारखण्ड)	2007	http://www.kolhanuniversity.ac.in
133	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज इन लॉ, बहुकला संस्थान परिसर, बीआईटी, मेसरा, राँची-835217 *	2010	http://www.nusranchi.ac.in
134	नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मादीनीनगर, पलामू - 822101	2007	http://www.npu.ac.in
135	राँची विश्वविद्यालय, राँची - 834001 *	1960	http://www.ranchiuniversity.org
136	सिद्ध कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका - 814101 *	1992	http://www.skmu.edu.in/
137	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग - 825301 *	1993	http://www.vbu.co.in

क्रम संख्या	jkt ; @fo'ofok yk ;	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबसाइट
	dukVd		
138	बंगलुरु विश्वविद्यालय, बंगलुरु – 560056 *	1964	http://www.bub.ernet.in
139	बंगलुरु नार्थ यूनिवर्सिटी, देवराज उर्स एक्सटेंशन, तमाका, कोलार–563103, कर्नाटक	2017	http://www.bnu.ac.in
140	बंगलुरु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय महाविद्यालय परिसर, डॉ. अम्बेडकर वीथी, बंगलुरु–560001, कर्नाटक	29.06.2017	http://www.bcu.ac.in
141	दावनगिरी विश्वविद्यालय, शिवगंगोत्री, दावनगिरी – 577002 *	2009	http://www.devangereuniversity.org
142	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा – 585106 *	1980	http://www.gulbargauniversity.kar.nic.in
143	कन्नड विश्वविद्यालय, हम्पी, जिला बेलारी, कमालपुरा–583276 *	1992	http://www.kannadauniversity.org
144	कर्नाटक जनपद विश्वविद्यालय, घटाघोडी एनएच-4 तालुक–शिर्गाँव, जिला–हवैरी, कर्नाटक–581197	2012	http://www.janapadauni.in
145	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ – 580003 *	1949	http://www.kud.ac.in
146	कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज विश्वविद्यालय, रायथा भवन, भूमरड्डी सर्किल, गदाग–582101, कर्नाटक	2016	http://www.ksrdpru.in
147	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर – 586101*	2004	http://www.kswu.ac.in
148	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शंकरघट्टा – 577451*	1987	http://www.kuvempu.ac.in
149	कर्नाटक वेटरिनरी एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, नन्दीनगर, पीबी नं. 6, बीदर – 585401	2004	http://www.kvafsu.kar.nic.in
150	कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय, हुबली *	2009	http://www.kslu.ac.in
151	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर–570006	1996	http://www.ksoumysore.edu.in
152	कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय, बंगलुरु–580018	2011	http://www.ksu.ac.in
153	कर्नाटक फोकलर यूनिवर्सिटी, गोटागोडी, शिर्गाँव तालुक, हावैरी जिला 581197	2011	http://www.janapadauni.in
154	केएसजीएच संगीत एवं अभिनय कला विश्वविद्यालय, एलजेबी रोड, नियर अशोक सर्कल, लक्ष्मीपुरम, मैसूर–570004	2009	http://www.musicuniversity.ac.in
155	मैंगलोर विश्वविद्यालय, मैंगलोर – 574199 *	1980	http://www.mangaloreuniversity.ac.in
156	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर – 570005 *	1916	http://www.uni-mysore.ac.in
157	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलुरु–560072 *	1992	http://www.nls.ac.in
158	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बंगलुरु–560041	1994	http://www.rguhs.ac.in
159	रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय, विद्यासंगम, एनजी–4, पीबी हाइवे, बेलागावी – 591156, कर्नाटक*	2010	http://www.rcub.ac.in
160	तुमकुर विश्वविद्यालय, प्रथम तल, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भवन, एमजी रोड, तुमकुर–572101*	2004	http://www.tumkuruniversity.in
161	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु–560065 *	1964	http://www.uasbangalore.edu.in
162	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ – 580005*	1986	http://www.uasd.edu
163	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर – कर्नाटक 584104	2010	http://www.uasraichur.edu.in
164	यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टिकल साइंस, बागलकोट उद्यानगिरि, सीमीकेरी के समीप क्रॉस बागलकोट–587104	2010	http://www.uhsbagalkot.edu.in/
165	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलागावी – 590018*	1999	http://www.vtu.ac.in
166	विजयनगर श्रीकृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, जनाना सागर कैम्पस, विनायक नगर, छावनी, बेल्लारी – 583104	2010	http://www.vskub.org
	djjy		
167	ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, सीईटी कैम्पस, तिरुअनंतपुरम–695016	2015	https://ktu.edu.in/
168	कालीकट यूनिवर्सिटी, त्रिची पालारी, मालापुरम जिला कोडीकोड–673635 *	1968	http://www.universityofcalicut.info
169	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कोच्ची – 682022 *	1971	http://www.cusat.ac.in
170	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर – 670562 *	1997	http://www.kannuruniversity.ac.in
171	केरल कृषि विश्वविद्यालय, थ्रिसूर – 680656 *	1972	http://www.kau.edu
172	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवन्तपुरम – 695034 *	1937	http://www.keralauniversity.ac.in
173	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एण्ड ओशन स्टडीज, पनागढ़, कोच्ची – 682506 केरल	2011	http://www.kufos.ac.in
174	केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, थ्रिसूर – 680596	2011	http://www.kuhs.ac.in

क्रम संख्या	jkT; @fo'ofok y ;	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबसाइट
175	केरल यूनिवर्सिटी आफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, पोकोट लाकीदी पीओ, वायनाड, केरल	2011	http://www.kvasu.ac.in
176	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम – 686560 *	1983	http://www.mgu.ac.in
177	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांसड लीगल स्टडीज (एन.यू.ए.एल.एस.) कालोर, कोच्चि – 682017, केरल *	2009	http://www.nuals.ac.in
178	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी – 683574 *	1994	http://www.ssus.ac.in
179	थूनचट्ट एजुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय, मोहन विलास, पुकायिल पीओओ तिरुवर, मल्लपुरम, जिला केरल – 676 107 *	2013	http://www.malayamuniversity.edu.in
	eè; çn'k		
180	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा – 486003 *	1968	http://www.apsurewa.nic.in
181	अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, एम.पी. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर, कोलार मार्ग, भोपाल – 462016	2011	http://www.abvhu.org
182	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल – 462026 *	1970	http://www.bubhopal.nic.in
183	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर – 452001*	1964	http://www.dauniv.ac.in
184	धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भारत रत्न भीम राव आंबेडकर इंस्टिट्यूट ऑफ टेलिकॉम ट्रेनिंग, रिज रोड, सिविल लाइन्स, जबलपुर, मध्य प्रदेश	28.07.2018	https://www.mpdnl.ac.in
185	डॉ० बी०आर० अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ० अम्बेडकर नगर, महाओ–453441, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश	2016	http://www.brauss.in
186	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर – 482004 *	1964	http://www.jnkvv.nic.in
187	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर–474011 *	1964	http://www.jwaji.edu
188	मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, एनएससीबी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर, बेडाघाट रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश	2011	http://www.mpsmu.edu.in
189	महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर, मध्य प्रदेश	2014	http://www.mchhatrasaluniversity.com
190	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट–485331, जिला सतना *	1993	http://www.mgegvchitrakoot.com
191	एम.पी.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल–462016 *	1995	http://www.bhovirtualuniversity.com
192	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल–462039*	1993	http://www.mcu.ac.in
193	महर्षि पाणिनी संस्कृत एवम् वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश–456010	2008	http://www.mpsvvuj_jain.org
194	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सिविल लाइन, जबलपुर–482001	2009	http://www.mppevv.org
195	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भादभादा रोड, बारकरी कलां, भोपाल 462044*	1999	http://www.nliu.ac.in
196	पंडित एस०एन० शुक्ला विश्वविद्यालय, शाहडोल–484001, मध्य प्रदेश	15.09.2016	http://www.ptsnsuniversity.ac.in
197	राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, महादाजी चौक, अचलेश्वर मार्ग, ग्वालियर, 474009	2009	http://www.rmtmusicandartsuniversity.com
198	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल – 462036 *	1998	http://www.rgtu.net
199	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर – 482001*	1957	http://www.rdunibp.in
200	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड ग्वालियर–474002	2009	http://www.rvskvv.nic.in
201	सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बौद्धिस्ट–इंडिक स्टडीज, द्वितीय तल, इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एण्ड पालिसी एनालिसिस, भादभादा स्क्वेयर, भोपाल–462003, मध्य प्रदेश	2013	http://www.sanchiuniv.edu.in
202	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन – 456010*	1957	http://www.vikramuniversity.org
	egkj k"V		
203	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद–431004*	1958	http://www.bamu.net
204	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लोनेरे–402103*	1992	http://www.dbatu.ac.in
205	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला – 444104*	1969	http://www.pdkv.mah.nic.in
206	गोडवाना विश्वविद्यालय, एमआईडीसी रोड कॉम्पलेक्स, गढ़चिरोली, 422605, महाराष्ट्र	1994	http://www.gondwana.digitaluniversity.ac.in
207	कवि कुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर – 441106*	1997	http://www.sanskrituni.net
208	कॉकण कृषि विद्यापीठ दपोली, जिला रत्नागिरि – 415712*	1972	http://www.dbskvv.org
209	महाराष्ट्र एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, फुटाला लेक रोड, नागपुर – 440001	2002	http://www.mafsu.in

क्रम संख्या	j k T ; @ f o ' o f o k y ;	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबसाइट
210	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट बाक्स 8338, देवनार, मुंबई-400088	2014	http://www.nlumumbai.edu.in
211	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (जेओटीआई), सीपी क्लब रोड, नागपुर-440001, महाराष्ट्र	2015	http://www.nlunagpur.ac.in
212	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट बी0एड0 कालेज कैम्पस, पदमपुरा, औरंगाबाद-431005, महाराष्ट्र	2017	http://www.mnlua.ac.in
213	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक - 424 004	2000	http://www.muhs.ac.in
214	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी - 413722 *	1968	http://www.mpkv.mah.nic.in
215	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभानी - 431402 *	1983	http://www.mkv2.mah.nic.in
216	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई - 400032 *	1857	http://www.mu.ac.in
217	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव - 425001 *	1991	http://www.nmu.ac.in
218	सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे-411007 *	1949	http://www.unipune.ac.in
219	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती-444602 *	1983	http://www.sgbau.ac.in
220	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर - 416004 *	1962	http://www.unishivaji.ac.in
221	श्रीमती नाथीबाई दमोदर थाकरसे महिला विश्वविद्यालय मुम्बई-400020 *	1951	http://www.sndt.digitaluniversity.ac
222	शोलापुर विश्वविद्यालय, शोलापुर पुणे रोड, केगांव, शोलापुर-413255 *	2004	http://www.su.digitaluniversity.ac
223	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड-431606 *	1995	http://www.srtmun.org
224	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक-422222 *	1990	http://www.ymou.digitaluniversity.ac
225	दि राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर-440001 *	1923	http://www.nagpuruniversity.org
	ef.kijj		
226	धनंजुरी विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर	06.04.2018	http://www.dmu.ac.in
227	मणिपुर तकनीकी विश्वविद्यालय, तकियेलपेट, इंफाल, मणिपुर	2016	http://www.mtu.ac.in
228	मणिपुर संस्कृति विश्वविद्यालय, पैलेस कम्पाउंड, पूर्वी इंफाल-795001, मणिपुर	2015	http://www.muc.ac.in
	VkMh'kk		
229	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, बेरहामपुर-760007 *	1967	http://www.bamu.nic.in
230	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला-769004	2003	http://www.bput.ac.in
231	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर-756020 *	1999	http://www.fmuniversity.nic.in
232	गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, फाटक, बुद्धिराजा, सम्बलपुर, ओडिशा- 768004	2015	http://www.gmuniversity.ac.in
233	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गोथापरना, पीओ मालीपाड़ा, भुवनेश्वर-751003	2014	http://www.iiit.bh.ac.in
234	खालीकोटे विश्वविद्यालय, बेरहामपुर, गंजम, ओडीशा	2015	http://www.khallikotcollege.org
235	उत्तरी ओडिशा विश्वविद्यालय, बारीपडा, जिला मयूरभंज-757003 *	1999	http://www.nou.nic.in
236	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट बाँक्स-28, कटक - 753001 *	2008	http://www.nluo.ac.in
237	ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, जी0एम0 विश्वविद्यालय कैम्पस, बुद्धि राजा, सम्बलपुर-768004 ओडिशा	2015	http://www.osou.ac.in
238	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751003 *	1962	http://www.ouat.ac.in
239	रमा देवी महिला विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ओडिशा	2015	http://www.rdwuniversity.nic.in
240	रावेनशाह विश्वविद्यालय, कटक - 753003 *	2005	http://www.ravenshawuniversity.ac.in
241	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर - 768019 *	1967	http://www.suniv.ac.in
242	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी-752003 *	1981	http://www.sjsv.nic.in
243	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर 751004 *	1943	http://www.utkal-university.org
244	उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर - 751009	1999	http://www.uuc.ac.in
245	वीर सुरेन्द्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बुरला, जिला सम्बलपुर, ओडीशा -768018 *	2009	http://www.vssut.ac.in
246	वीर सुरेन्द्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, आयुर्विहार, बुरला सम्बलपुर- 768017 ओडीशा	20.06.2014	http://www.vimsar.ac.in
	i t k c		
247	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, सादीक रोड, फरीदकोट - 151203 *	2002	http://www.bfuhs.ac.in

क्रम संख्या	jkT; @fo'ofokly ;	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबसाइट
248	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर — 143005 *	1969	http://www.gndu.ac.in
249	गुरु अंगददेव वेदिरनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना—141004 *	2005	http://www.gadvasu.in
250	गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधमल, होशियारपुर, पंजाब—146001	2010	http://www.graupunjab.org
251	महाराज रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, डबवाली रोड, भटिंडा—151001 *	2015	http://www.mrsptu.ac.in
252	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना — 141004 *	1962	http://www.pau.edu
253	आई के गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर—144 011	1998	http://www.ptu.ac.in
254	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला — 147002 *	1962	http://www.punjabiversity.org
255	द राजीव गाँधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला — 147001*	2006	http://www.rgnul.ac.in
	jk tLFkku		
256	बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीकानेर कैम्पस, करणी औद्योगिक क्षेत्र, पुगल रोड, बीकानेर— 334004	18.05.2017	https://www.btu.ac.in
257	डॉ० भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, 89, रॉयल हाऊस, खवासजी का बाग, दुर्गापुर, टोंक रोड, जयपुर—302018	2012	http://www.babasaheb.university.nic.in
258	गोविन्द गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी, श्री गोविन्द गुरु गवर्नमेंट कॉलेज कैम्पस, बनावसवाड़ा—327001	2012	http://www.ggtu.ac.in
259	हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, सूचना केंद्र परिसर, सवाई राम सिंह रोड, जयपुर — 302 004	2012	http://www.hjuj.ac.in
260	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर — 342011 *	1962	http://www.jnvu.edu.in
261	जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, 2—2ए, झालना डोंगरी, जयपुर (राजस्थान) *	1998	http://www.jrsanskrituniversity.ac.in
262	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा — 324010 *	1987	http://www.vmou.ac.in
263	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर—313001	2000	http://www.mpuat.ac.in
264	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर — 305009 *	1987	http://www.mdsuajmer.com
265	महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय, एम0एस0जे0 महाविद्यालय भवन, भारतपुर—321001 (राजस्थान)	2012	http://www.brijuniversity.ac.in
266	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर — 313001 *	1962	http://www.mlsu.ac.in
267	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर — 342004 *	2004	http://www.nljodhpur.ac.in
268	स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर—334006 *	1987	http://www.raubikaner.org
269	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2004	http://www.raujodhpur.org
270	राजस्थान आईएलडी स्किल यूनीवर्सिटी (आरआईएसयू), 6/2, जामडोली आईएलडी कैम्पस, जयपुर—302031, राजस्थान (राज्य विश्वविद्यालय)	30.03.2017	
271	सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान—342004	2012	http://www.policeuniversity.ac.in
272	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर — 302004 *	1947	http://www.uniraj.ernet.in
273	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बी—1, सवाई मानसिंह रोड, (एसएमएस अस्पताल के सामने) जयपुर *	2005	http://www.ruhsraj.org
274	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंसेज, बीकानेर, राजस्थान *	2010	http://www.rajuvas.org
275	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर, राजस्थान *	2003	http://www.mgsubikaner.ac.in
276	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, अखेलगढ़, रावतभाटा रोड, कोटा 324010	2006	http://www.rtu.ac.in
277	राजर्षि भारतीहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, महिला छात्रावास भवन, बाबू शोभराम शासकीय कला महाविद्यालय परिसर, अलवर, राजस्थान	2012	http://www.rrbmuniv.ac.in
278	शेखावत विश्वविद्यालय, श्रीकल्याण शासकीय महाविद्यालय की पीछे, सीकर—332001	2012	http://www.shekhau.ac.in
279	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान) *	2003	http://www.uok.ac.in
	f l fDde		
280	सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय, गंगटोक पूर्वी सिक्किम, तडोंग—737102, सिक्किम	19.04.2017	http://www.sikkimstateuniversity.in/

क्रम संख्या	क्र.सं. / @fo'ofa ky ;	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबसाइट
	rfeyukM		
281	अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पा नगर, कराईकुडी-630003 *	1985	http://www.alagappauniversity. ac.in
282	अन्ना विश्वविद्यालय, गुंडई, चेन्नई - 600025 *	1978	http://www.annauniv. edu
283	अन्ना मलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर - 608002 *	1929	http://www.annamalaiuniversity. ac.in
284	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर - 641046 *	1982	http://www.b-u.ac.in
285	भारथीदासन विश्वविद्यालय, त्रिचुरापल्ली - 620024 *	1982	http://www.bdu.ac.in
286	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई - 600005 *	1857	http://www.unom.ac.in
287	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई - 625021 *	1965	http://www.mkuniversity.org
288	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेल्ली - 627012 *	1992	http://www.msuniv.ac.in
289	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल - 624102 *	1984	http://www.motherterasawomenuniv.org
290	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम - 636010 *	1998	http://www.periyaruniversity. ac.in
291	तमिल विश्वविद्यालय, थंजावुर - 613010 *	1981	http://www.tamiluniversity.ac.in
292	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर - 641003 *	1971	http://www.tnau.ac.in
293	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय संख्या 577, अन्ना सलाई साडदापेट, चेन्नई-600015 *	2004	http://www.tnou.ac.in
294	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई - 600028 *	1998	http://www.tndalu.ac.in
295	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी अन्ना सलाई, चेन्नई-600032 *	1989	http://www.tnmgrmu.ac.in
296	तमिलनाडु मत्स्यिकी विश्वविद्यालय, प्रथम लाईनबीच रोड, नागापट्टनम-611001 *	2012	http://www.tnfu.org.in
297	तमिलनाडु नेशनल लॉ स्कूल, नवालूर, कुट्टापट्ट, श्रीरंगम तालुक, त्रिचुरापल्ली-620009 *	2012	http://www.tnls.ac.in
298	तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आठवां तल, ईवीए सम्पत, मालीगई, कॉलेज रोड, चेन्नई	2005	http://www.tnpesu.org
299	तमिलनाडु संगीत तथा ललित कला विश्वविद्यालय, डॉ0 डी0जी0एस0 दिनाकरन सलाई, चेन्नई-600028	2013	http://www.tnmfau.in
300	तमिलनाडु वेटिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई-600051 *	1990	http://www.tanuv.ac.in
301	तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय, सरक्कादु , वेल्लोर 632115 *	2003	http://www.tvuni.in
302	तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी, कामराजर सलाई, चेन्नई-600005	2008	http://www.tnteu.in
	ryxkuk		
303	आचार्य एन0जी0 रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500030 *	1964	http://www.angrau.net
304	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033 *	1982	http://www.braou.ac.in
305	जवाहर लाल नेहरू वास्तुकला तथा ललित कला विश्वविद्यालय, महावीर मार्ग, मसाब टैंक, हैदराबाद-500028 *	2008	http://www.jnafau.ac.in
306	जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलाजीकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद-500085 *	1972	http://www.jntuh.ac.in
307	कालोजी नारायणराव यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंस, ककातिया मेडीकल कॉलेज कैम्पस, रंगमपेट, वारंगल, तेलंगाना-506002	26.09.2017	http://www.knruhs.in
308	काकतीया विश्वविद्यालय, वारंगल - 506009 *	1976	http://www.kakatiya.ac.in
309	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, येल्लारेड्डीयुगुडेम, नलगोण्डा-508254 *	2008	http://www.mguniversity.ac.in
310	नालसार कला, विधि और न्याय विश्वविद्यालय, शमरपेट, आर0आर जिला, हैदराबाद-500101 *	1999	http://www.nalsar.ac.in
311	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082	1989	http://www.nims.ap.nic.in
312	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद - 500007 *	1918	http://www.osmania.ac.in
313	पालामुरु विश्वविद्यालय, अयप्पा कॉम्प्लेक्स, पुलिस मुख्यालय के सामने, महबूब नगर-509001 *	2008	http://www.palamuruuniversity. ac.in
314	पोट्टी श्रीरामलू तेलगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500004 *	1985	http://www.teluguuniversity. ac.in
315	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030	2014	http://www.pjtsau.ac.in
316	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नालेज टेक्नोलाजी, हैदराबाद *	2011	http://www.rgukt.in
317	सातवाहन विश्वविद्यालय, मल्कापुर रोड, करीमनगर - 505001	2008	http://www.satavahana.ac.in
318	श्रीकोण्डा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030 हैदराबाद	2014	http://www.skitshu.ac.in

क्रम संख्या	jkT; @fo'ofok y ;	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबसाइट
319	श्री पी० वी० नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटेनरी यूनीवर्सिटी, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500030	2014	http://www.tsvu.nic.in
320	तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद - 503322 *	2006	http://www.telanganauniversity.ac.in
	f=i jk		
321	महाराजा बीर बिक्रम विश्वविद्यालय, अगरतला, त्रिपुरा	2015	http://www.mbbuniversity.ac.in
	mUkj çn'k		
322	इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, सीपीआई परिसर, सिविल लाइंस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	2016	http://www.allstateuniversity.org
323	बंदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बंदा-210001, उत्तर प्रदेश	2010	http://www.buat.edu.in
324	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी-284128 *	1975	http://www.bujhansi.org
325	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208002 *	1974	http://www.csauc.ac.in
326	छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर - 208024 *	1965	http://www.kanpuruniversity.org
327	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ -250005 *	1965	http://www.ccsuniversity.org
328	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर - 273009 *	1957	http://www.ddugu.edu.in
329	डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद - 224001 *	1975	http://www.rmlau.ac.in
330	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर - डी-1, एल.डी. 'ए', कानपुर रोड स्कीम, लखनऊ 226012 *	2005	http://www.rmlnlua.ac.in
331	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा-282004 *	1927	http://www.dbrau.com
332	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र. - 201312 *	2002	http://www.gbu.ac.in
333	हारकोट बटलर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, कानपुर 208002 उत्तर प्रदेश	2016	http://www.hbtu.ac.in
334	जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, उत्तर प्रदेश	2016	http://www.jncu.ac.in
335	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, 619, इंदिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226013 *	2010	http://www.uafulucknow.ac.in
336	किंग जार्ज आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ-226003 *	2004	http://www.kgmcindia.edu
337	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ - 226007 *	1921	http://www.lucknowuniv.org
338	मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273010	2013	http://www.mmmut.ac.in
339	एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली - 243006 *	1975	http://www.mjpru.ac.in
340	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-221002 *	1974	http://www.mgkvp.ac.in
341	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद - 224229 *	1974	http://www.nduat.ernet.in
342	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी - 221002 *	1958	http://www.ssvv.up.nic.in
343	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ-250110	2004	http://www.svbpm eerut.ac.in
344	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर -272202	2015	http://www.sidunikapilvastu.edu.in
345	यू.पी. किंग जार्ज दंत चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ-226003	2004	
346	उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश	2001	http://www.upvetuniv.edu.in
347	यू.पी. राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, 17, महर्षि दयानन्द मार्ग, (थार्नहिल रोड) इलाहाबाद-211001	2004	http://www.uprtou.ac.in
348	डॉक्टर ए.पी.जे अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय, लखनऊ 226 031	2001	http://www.uptu.ac.in
349	उत्तर प्रदेश यूनीवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, सैफई, इटावा-206130, उत्तर प्रदेश	2016	http://www.upums.ac.in
350	उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉ० शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, मोहन रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017 *	2008	http://www.dsmru.up.nic.in
351	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर - 222002 *	1987	http://www.vbspu.ac.in
	mUkjk[k.M		
352	दून विश्वविद्यालय, मोथरवाला रोड, केदारपुर, देहरादून-248001 *	2005	http://www.doouniveristy.ac.in
353	जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, पंतनगर - 263145 *	1960	http://www.gbpuat.ac.in
354	हेमवती नन्दन बहुगुणा आयुर्विज्ञान शिक्षा विश्वविद्यालय, 124, गंगा विहार, रोडवेज कार्यशाला के सामने, हरिद्वार रोड, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड	2014	http://www.hnbumu.ac.in
355	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल-263001 *	1973	http://www.kuntl.in

क्रम संख्या	क्र.सं. ; @fo'ofa ky ;	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबसाइट
356	श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बडशाहीथोल, टीहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249199	2011	http://www.sdsuv.ac.in
357	उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय, जगत सिंह बिष्ट राजकीय होटल प्रबंधन और खानपान संस्थान परिसर, चिल्कापिटा, खाटयाड़ी, अल्मोड़ा-263601	2016	
358	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, 7-ए, प्लेजेन्ट वेली, राजपुर रोड, देहरादून-248009, उत्तराखण्ड	2009	http://www.uau.ac.in
359	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार- 249401 (उत्तरांचल)	2005	http://www.usvv.org
360	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, ए-12, सरस्वती विहार, लोवर अघोवाला, पोस्ट-धालानवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	2008	http://www.uktech.ac.in
361	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर के समीप, तीन पानी बाँय पास रोड, पी.ओ. इंडस्ट्रीयल एस्टेट, हल्द्वानी-263139 (नैनीताल), उत्तराखंड (राज्य विश्वविद्यालय)	2005	http://www.uou.ac.in
362	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड 246123	2011	http://www.uuhf.ac.in
	if'pe cxy		
363	आलिया विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700091 *	2007	http://www.aliah.ac.in
364	बांकुरा विश्वविद्यालय, पुआबागन कैम्प कार्यालय, डाकघर बागबंद, जिला बांकुरा-722146	2014	http://www.bankurauniv.ac.in
365	बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नाडिया-741252 *	1974	http://www.bckv.edu.in
366	वर्द्धमान विश्वविद्यालय, राजबाती, वर्द्धमान-713104 *	1960	http://www.buruniv.ac.in
367	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता-700073 *	1857	http://www.caluniv.ac.in
368	कूच बिहार पंचानन बर्मा विश्वविद्यालय, विवेकानन्द रोड, कूच बिहार-736101	2012	http://www.cbpbu.ac.in
369	डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय, केयर ऑफ फकीर चंद, डायमंड हार्बर, दक्षिण चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल-743331	2013	http://www.dheou.ac.in
370	जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता-700032 *	1955	http://www.jadavpur.edu
371	गौर बंग विश्वविद्यालय, रविन्द्र एवेन्यू, मालदा कॉलेज परिसर, पोस्ट बॉक्स. एवं जिला - मालदा-732101	2007	http://www.ugb.ac.in
372	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी-741235 *	1960	http://www.klyuniv.ac.in
373	काजी नजरूल विश्वविद्यालय, पुराना अड्डा कार्यालय भवन (आसनसोल गर्ल्स कॉलेज के पीछे), पी ओ- आसनसोल-713304, जिला- बर्दवान, पश्चिम बंगाल	2012	http://www.knuedu.in
374	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राम मोहनपुर, दार्जिलिंग-734430 *	1962	http://www.nbu.ac.in
375	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता-700020	1997	http://www.wbnsou.ac.in
376	प्रेजीडेंसी विश्वविद्यालय, 86/1 कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता-700073 *	2010	http://www.presiuniv.ac.in
377	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता-700050 *	1962	http://www.rbu.ac.in
378	रायगंज विश्वविद्यालय, पीओ-रायगंज, जिला उत्तरी दिंजापुर-733134 *	2015	http://www.raiganjuniversit.ac.in
379	सिद्धो-कान्हो-बिरसा विश्वविद्यालय, 10ए, ब्लॉक-एलए, प्रशासनिक भवन, रेंच रोड परिसर, सैनिक स्कूल के पास, पुरलिया-723104 *	2010	http://www.skbu.ac.in
380	द संस्कृत कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता- 700073	2016	http://www.sanskritcollegeanduniversity.org.in
381	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस, एनयूजेएस भवन, 12 एलबी ब्लॉक, सेक्टर-III, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता *	2004	http://www.nujs.edu
382	द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डीडी-36, सेक्टर-1, सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700064 *	2002	http://www.wbuhs.ac.in
383	पश्चिम बंगाल अध्यापक प्रशिक्षण और शिक्षा आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय 25/2 और 25/3, बैलीगंज सर्कुलर रोड, कोलकाता-700019	2015	http://www.wbuttepa.ac.in
384	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, जिला - कूच बिहार-736165	2001	http://www.ubkv.ac.in
385	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर - 721102 *	1981	http://www.vidyasagar.ac.in
386	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एंड फिशरीज साइंसेज, बेलगाचिया, कोलकाता 700037	1995	http://www.wbuafsc.ac.in
387	मौलाना अबुल कलाम आजाद पश्चिम बंगाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बीएफ -142, साल्ट लेक, कोलकाता-700091 *	2001	http://www.wbut.net

क्रम संख्या	jkT; @fo'ofok y;	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबसाइट
388	वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, बारासात गर्वमेंट कालेज एनेक्सी बिल्डिंग, 10 के0एन0सी0 रोड, कोलकाता 700124 *	2007	http://www.wbsubregistration.org
	jk"Vh; jk tēkkuh {k= fnYyh		
389	भारत रत्न डॉ बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लोथियान रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006 *	2007	http://www.aud.ac.in
390	दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, डीआईपीएसआर कैम्पस, सेक्टर-III, पुष्प विहार, नई दिल्ली	2010	http://www.dpsru.edu.in
391	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शाहबाद दौलतपुर, बवाना रोड, दिल्ली*	2009	http://www.dce.edu
392	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्व विद्यालय, सेक्टर –16 सी द्वारका, दिल्ली-110 078 *	1998	http://www.ipu.ac.in
393	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006	2013	http://www.igdtuw.ac.in
394	इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के निकट ओखला औद्योगिक एस्टेट फेस-III नई दिल्ली – 110020*	2008	http://www.iiitd.ac.in
395	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर-14, द्वारका, नई दिल्ली *	2008	http://www.nludelhi.ac.in
396	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सेक्टर –3, द्वारका, दिल्ली	26.09.2018	http://www.nsit.ac.in/
	jk"Vh; jk tēkkuh {k= p.Mhx<		
397	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़-160014 *	1947	http://www.puchd.ac.in

तालिका 2.2 (i)(छ)(iii) दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार राज्य निजी विश्वविद्यालय

(* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालय)

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना की तिथि	वेबसाइट
	vkēk çn'k		
1	संचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी एंड मैनेजमेंट, गिडीजाला जंक्शन, आनंदपुरम मंडल, विशाखापत्तनम-531173, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	http://www.cutm.ac.in
2	केआरईए विश्वविद्यालय, सेंट्रल एक्सप्रेसवे, श्री सिटी, आंध्र प्रदेश	30.04.2018	http://krea.edu.in/
3	सवीथा अमरावती विश्वविद्यालय, तीसरी मंजिल, वैष्णवी कॉम्प्लेक्स, कार्यकारी क्लब के सामने, विजयवाड़ा-520008, आंध्र प्रदेश	30.04.2018	www.saveethaamaravati.university
4	एसआरएम विश्वविद्यालय, नीरुकोंडा-कुरागल्लू ग्राम, मंगलगिरी मंडल, गुंटूर जिला-522502, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	http://www.srmap.edu.in
5	वीआईटी-एपी विश्वविद्यालय, अमरावती-522237, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	https://vitap.ac.in/
	v : .kkpy in'k		
6	एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पासीघाट, जिला ईस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश-791102	10.05.2013	http://www.apexuniversity.ac.in
7	अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़, एनएच-52, नामसाई, जिला नामसाई, -792103, अरुणाचल प्रदेश	26.05.2012	http://www.arunachaluniversity.ac.in
8	अरुणोदय विश्वविद्यालय, ई-सेक्टर, निरजुली, ईटानगर, जिला-नामसाई-791109, अरुणाचल प्रदेश	21.10.2014	http://www.arunodayauniversity.ac.in
9	द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, होलोंगी, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश	18.09.2017	
10	हिमालयन यूनिवर्सिटी, 401, टकर काम्पलैक्स, नाहरलगुन, इटानगर, जिला-पापुमपारे-791110, अरुणाचल प्रदेश	03.05.2013	http://www.himalayanuniversity.com
11	नार्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्नीकल युनिवर्सिटी, सिबु-पियुयी, आलो (पीओ), पश्चिम सियांग (जिला), अरुणाचल प्रदेश-791001	03.09.2014	http://www.neftu.edu.in
12	द इंदिरा गांधी टेक्नॉलोजी एण्ड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, जीरो, अरुणाचल प्रदेश-791120	26.05.2012	http://www.indiragandhiuniversity.in
13	वेंकटेश्वरा मुक्त विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	20.06.2012	http://www.vou.ac.in
	vle		
14	असम डॉन बोस्को यूनिवर्सिटी, अजारा, गुवाहाटी 781017 *	12.02.2009	http://www.dbuniversity.ac.in
15	असम डॉउन टॉउन यूनिवर्सिटी, शंकर महादेव पथ, गांधी नगर, पानीखेती, गुवाहाटी-781036	29.04.2010	http://www.adtu.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना की तिथि	वेबसाइट
16	कृष्णगुरु अद्वैतमिक यूनिवर्सिटी, नासात्रा, बारपेटा, असम -781307	11.04.2017	http://www.kav.org.in/
17	महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय, श्रीमंत, श्रीमंत शंकरदेव संघ काम्पलैक्स, हलधर भायुन पथ, कालोंपार, नौगांव-782001, असम	14.08.2013	http://www.mssv.co.in
18	द असम काजीरंगा यूनिवर्सिटी, जोरहाट, असम 785006	11.04.2012	http://www.kazirangauniversity.in
19	द असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बेटकुची, तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने, एनएच-37, गुवाहाटी-781035, असम	23.08.2013	http://www.rgu.ac.in
	fcgkj		
20	अल-करीम यूनिवर्सिटी कटिहार-पुरनेया रोड के पास, सिरसा, करीम बाग, कटिहार-854 106 (बिहार)	15.06.2018	http://www.alkarimuniversity.edu.in/
21	एमिटी यूनिवर्सिटी, रूपसपुर, बेली रोड, पटना - 801503, बिहार	18.08.2017	http://amity.edu/patna/
22	डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी ब्लॉक- भगवानपुर, एन एच-77 (पटना-मुजफ्फरपुर हाईवे), जिला-वैशाली - 844114, बिहार	29.01.2018	http://cvru.ac.in/
23	गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुहार, जिला-रोहतास-821305 बिहार	15.06.2018	https://www.gnsu.ac.in/
24	माता गुजरी यूनिवर्सिटी, पूरबपाली रोड, किशनगंज- 855107, बिहार	20.02.2019	
25	संदीप यूनीवर्सिटी, ग्राम सिजोली, जिला मधुबनी,-847235, बिहार	08.06.2017	http://www.sandipuniversity.edu.in
26	के० के० यूनीवर्सिटी, बैरौती, नेपुरा, बिहार शरीफ, नालंदा, बिहार-803115	08.06.2017	http://www.kkuniversity.ac.in
	NUkh I x<		
27	एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया आर्ट्स, ग्राम-माथ, तहसील-तिलदा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	17.04.2018	https://aaft.edu.in/
28	एमिटी युनिवर्सिटी, ग्राम मंथ, तहसील-तिलदा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	21.08.2014	http://www.amity.edu/raipur/
29	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कारगी रोड, कोटा, बिलासपुर 495001	03.11.2006	http://www.cvru.ac.in
30	आईसीएफआई विश्वविद्यालय, रा०रा०-6, रायपुर-मिलाई रोड, ग्राम-छोरहा, आरआई सर्कल, अहीवारा, धामधा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़	24.03.2011	http://www.iuraipur.edu.in
31	आईएसबीएम विश्वविद्यालय, गाँव-नवापारा (कोसमी) ब्लॉक, तहसील - छुरा, जिला- गरियाबंद -493996, छत्तीसगढ़	09.09.2016	http://www.isbmuniversity.edu.in
32	आईटीएम विश्वविद्यालय, पीएच नं. 137, उपावाड़ा, नया रायपुर, जिला-रायपुर - 493661, छत्तीसगढ़	03.02.2012	http://www.itmuniversity.org
33	कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	24.03.2011	http://www.kalingauniversity.org
34	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, पोस्ट मंगला, बिलासपुर-495001	18.04.2002	http://www.mumt.com
35	मैट्स विश्वविद्यालय, अरंग खारोरा हाइवे, ग्राम पंचायत, गुल्लू, ग्राम - गुल्लू, तहसील-अरांग, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़	03.11.2006	http://www.matsuniversity.ac.in
36	ओ०पी० जिनदल युनिवर्सिटी, नालेज पार्क, घरोन्दा रोड, पुन्जीपाथरा, रायगढ़-496001	21.08.2014	http://www.opju.ac.in
37	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ (निजी विश्वविद्यालय)	17.04.2018	http://sruraipur.ac.in/
	x i t jkr		
38	अहमदाबाद विश्वविद्यालय, आईएस बंगलो नम्बर-2, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009	07-07-2009	http://www.ahduni.edu.in
39	अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृतधाम परिसर, भोपाल गुमा-संसद रोड अहमदाबाद, गुजरात-382115	09.05.2016	http://www.anu.edu.in
40	आत्मीय युनिवर्सिटी, योगीधाम गुरुकुल, कालवाड़ रोड, राजकोट-360005, गुजरात	13.04.2018	https://atmiyauni.ac.in/
41	एयूआरओ यूनिवर्सिटी ऑफ हास्पिटेलिटी एण्ड मैनेजमेंट, सूरत, गुजरात 394510	12.10.2011	http://www.auruniversity.edu.in
42	केलारेक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद 382481	07.07.2009	http://www.ctu.calorx.org
43	सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009	12.04.2015	http://www.cept.ac.in
44	चरोत्तर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, छंगा-388421, जिला-आनन्द	04.11.2009	http://www.charusat.ac.in
45	सी०यू० शाह विश्वविद्यालय, सुरेन्द्रनगर-अहमदाबाद राज्य राजमार्ग, कोथारिया गांव के निकट, वधावन सिटी-363030, जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात	22.04.2013	http://www.cushahuniversity.ac.in
46	धीरुभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी, गाँधीनगर, पोस्ट बॉक्स नं. 4, गांधी नगर, 382007	06.03.2003	http://www.daiict.ac.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना की तिथि	वेबसाइट
47	गणपत विश्वविद्यालय, गणपत विद्यानगर, मेहसाणा, गोजारिया हाइवे, जिला मेहसाणा-382711	23.03.2005	http://www.ganpatuniversity.ac.in
48	जी०एल०एस० विश्वविद्यालय, गुजरात लॉ सोसायटी कैम्पस, लॉ गार्डन के सामने, एलीसब्रिज, अहमदाबाद-380006	15.04.2015	http://www.glsuniversity.ac.in
49	गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गोकुल एजुकेशनल कैम्पस, नियर जीआरएसएल, सुजानपुर पाटिया, सिद्धपुर, जिला पाटन, गुजरात (निजी विश्वविद्यालय)	23.03.2018	http://gokuleducation.ac.in/
50	जी०एस०एफ०सी० यूनिवर्सिटी, विज्ञान भवन, डाकघर फर्टीलाइजर नगर - 391750, जिला वदोदरा, गुजरात	19.12.2014	http://www.gsfcuni.edu.in
51	इन्डस विश्वविद्यालय, इन्डस कैम्पस, रणचारदा, वाया-थालतेज, अहमदाबाद-382115	02.05.2012	http://www.iiuedu.in
52	इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ-गांधीनगर, सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ इकोनामिक्स एण्ड सोशल रिसर्च कैम्पस, ड्राइव-इन-रोड, थालतेज, अहमदाबाद-380054	02.05.2015	http://www.iiphg.edu.in
53	इंद्रशील यूनीवर्सिटी, रतनपुर, धांधुलका, अहमदाबाद-382465, गुजरात	31.03.2017	http://www.indrashiluniversity.edu.in
54	इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, खोबा, गांधीनगर-382007	12.10.2011	http://www.iar.ac.in
55	आईटीएम-वोकेशनल यूनीवर्सिटी, प्लॉट 6512, अजवा निमेता रोड, रावाल तालुका, वाघोडिया, वदोदरा, गुजरात	08.05.2014	http://www.itm.ac.in
56	कादी सर्वा विश्वविद्यालय, सर्वा विद्यालय कैम्पस, सैक्टर 15/23, गांधीनगर-382015	16.05.2007	http://www.ksvuniversity.org.in
57	कर्मावती विश्वविद्यालय, 907/ए, उवारसाड़-382422, जिला गांधीनगर, गुजरात	31.03.2017	http://www.karnavatiuniversity.com
58	लाकुलिश योग विश्वविद्यालय, "लोटस व्यू" निरमा विश्वविद्यालय के सामने, एस०जी० राजमार्ग, छारोडी, अहमदाबाद-382481	16.04.2013	http://www.lyu.ac.in
59	मारवाड़ी विश्वविद्यालय, राजकोट-मोरबी राजमार्ग, राजकोट-360003	09.05.2016	http://www.marwadiuniversity.ac.in
60	नवरचना विश्वविद्यालय, वसना-भयली रोड, वडोदरा-382015	07.07.2009	http://www.nuv.ac.in
61	निरमा यूनिवर्सिटी सरखेज, गांधीनगर हाइवे, ग्राम छोरीडी, अहमदाबाद -382481	12.3.2003	http://www.nirmauni.ac.in
62	पं. दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, रायसेन, जिला गाँधीनगर-382009	04.04.2007	http://www.pdpu.ac.in
63	पीपी सावानी विश्वविद्यालय, रा० रा०-8, गेटको, बिल्टैक, ग्राम धामदोड़, कोसाम्बा, तहसील-मंगरोल, जिला सूरत-394125, गुजरात	31.03.2017	www.ppsu.ac.in
64	पारूल विश्वविद्यालय, डाकघर लिम्दा, ताल्लुक-वाघोडिया, जिला वदोदरा-391760	21.04.2015	http://www.paruluniversity.ac.in
65	प्लास्टइंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डुंगरा, जीआईडीसी, वीएपीआई, जिला-वलसाड़- 396195	05/09/2016	http://www.plastindia.edu.in
66	आर.के. यूनिवर्सिटी, राजकोट-भावनगर हाइवे, कस्तूरबाधाम, राजकोट, गुजरात 360020	14.10.2011	http://www.rku.ac.in
67	राय विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात 382260	02.05.2009	http://www.raiuniversity.edu
68	संकल्पचंद पटेल विश्वविद्यालय, संकल्पचंद पटेल विद्याधाम, विसनगर-384315	09.05.2016	http://www.spceung.ac.in
69	स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इन्नोवेशन यूनीवर्सिटी, भोयान राठौड़, इफको के सामने, अदलाज सेलथा रोड, गांधीनगर - 382420, गुजरात	31.03.2017	http://www.ssiu.ac.in
70	टीम लीज स्किल युनिवर्सिटी, तारसाली बाईपास, वडोदरा-390009	22.04.2013	http://www.teamleaseuniversity.org
71	यूकेए तारसाडिया विश्वविद्यालय, मालिबा कैम्पस, गोपाल विद्यानगर, बारोली-महुआ रोड, जिला-सूरत, गुजरात-394350	14.10.2011	http://www.utu.ac.in
gfj ; k.kk			
72	अल-फलाह युनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा	02.05.2014	http://www.alfalahuniversity.edu.in
73	एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी एजुकेशन वैली, पंचगांव, मानेसर, जिला - गुड़गाँव-122413, हरियाणा	26.04.2010	http://www.amity.edu/gurgaon
74	अंसल विश्वविद्यालय, गुड़गाँव, हरियाणा	10.02.2012	http://www.ansaluniversity.edu.in
75	एपीजे स्टॉय यूनिवर्सिटी, पलवल रोड, सोहना, गुड़गाँव-122103, हरियाणा	02.11.2010	http://www.university.aapeejay.edu.in
76	अशोक विश्वविद्यालय, प्लॉट नम्बर. 2, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कुण्डली, रा०रा०क्षे०, सोनीपत, हरियाणा-131028	02.05.2014	http://www.ashokaka.edu.in
77	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा 124021	10.02.2012	http://www.babamastanathuniversity.com
78	बीएमएल मुंजाल युनिवर्सिटी, 67वां किलोमीटर स्टोन, रा०रा०-8, सिधरावली, जिला- गुड़गाँव-123413, हरियाणा	02.05.2014	http://www.bml.edu.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना की तिथि	वेबसाइट
79	जी0डी0 गोएनका विश्वविद्यालय, जी0डी0 गोएनका एजूकेशन सिटी, गुडगांव सोहना रोड, गुडगांव, हरियाणा-122 103	03.05.2013	http://www.gdgoenkauniversity.com
80	आईआईएलएम विश्वविद्यालय, 1, नॉलेज सेंटर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर -53, गुरुग्राम - 122003, हरियाणा (निजी विश्वविद्यालय)	06.04.2018	http://www.iilmr.ac.in/
81	द नार्थकैप यूनीवर्सिटी, हुडा सेक्टर 23ए, गुरुग्राम-122107, हरियाणा	21.10.2009	http://www.itmindia.edu
82	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, राज्य राजमार्ग संख्या 22, बहादुरगढ़-झांझर रोड, झांझर-124507, हरियाणा	03.05.2013	http://www.jagannathuniversityncr.ac.in
83	कै0आर0 मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुडगांव, हरियाणा-122103	03.05.2013	http://www.krmangalam.edu.in
84	मानव रचना विश्वविद्यालय, सेक्टर-43, दिल्ली सूरजकुण्ड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा	06.08.2014	http://www.manavrachna.edu.in
85	एम0एन0वी0 विश्वविद्यालय, पलवल, हरियाणा-121105	10.02.2012	http://www.mvn.edu.in
86	महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय, सादोपुर, जिला अम्बाला, हरियाणा-134007	29.10.2010	http://www.mmumullana.org
87	एनआईएलएम विश्वविद्यालय, 9कै0मी0 माईलस्टोन, रा0रा0-65, कैथल-136027, हरियाणा	27.09.2011	http://www.niilmuniversity.in
88	ओ0पी0 जिन्दल ग्लोबल युनिवर्सिटी, सोनीपत हरियाणा-131001 *	10.11.2006	http://www.jgu.edu.in
89	पी0डी0एम0 विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स 15, सैक्टर-3ए, सराय औरंगाबाद, बहादुरगढ़-124507	14.01.2016	http://www.pdm.ac.in
90	श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राईसेन्टरी यूनिवर्सिटी, फारुखनगर रोड, बुढेडा, जिला गुरुग्राम, हरियाणा	03.05.2013	http://www.sgtuniversity.org
91	एसआरएम विश्वविद्यालय, प्लॉट संख्या 39, राजीव गांधी एजूकेशन सिटी, दिल्ली-एनसीआर, सोनीपत-कुंडली अर्बन काम्पलेक्स, हरियाणा- 131029	03.05.2013	http://www.srmuniveristy.ac.in
92	स्टारेक्स यूनीवर्सिटी, रा0 रा0-8, ग्राम बिनोला, पी0ओ0 भोराकलां, गुरुग्राम, हरियाणा	25.08.2016	http://www.starexuniversity.com
93	वर्ल्ड यूनीवर्सिटी ऑफ डिजाइन, प्लॉट नम्बर 1, राजीव गांधी एजूकेशन सिटी, राई, दिल्ली एनसीआर, सोनीपत- 131029, हरियाणा	07.02.2018	http://www.worlduniversityofdesign.ac.in
94	अभिलाश विश्वविद्यालय, चैलचौक (चाचौट), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश	23.01.2015	http://www.abhilashiuniversity.in
95	ए.पी.जी. (अलख प्रकाश गोयल) विश्वविद्यालय, ग्राम-पुजारली, शोधी मेहली बाई पास रोड, पंथाघाटी के पास, शिमला -171009	07.06.2012	http://www.apg.edu.in
96	अमी विश्वविद्यालय, काठगढ़, तहसील इंदोरा, जिला कांगड़ा (हप्र) -176401	03.11.2009	http://www.arni.in
97	बददी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, मखनुमाजरा, बददी, जिला - सोलन हिमाचल प्रदेश-173205	15.10.2009	http://www.baddiuniv.ac.in
98	बाहरा विश्वविद्यालय, वीपीओ - वाकनाघाट, तहसील - कंडाघाट, जिला - सोलन, हिमाचल प्रदेश 173215	21.01.2011	http://www.bahrauniversity.edu.in
99	कॅरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश 176041	03.05.2012	http://www.cpuniverse.in
100	चितकारा विश्वविद्यालय, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कल्लूझण्डा (बरोतीवाला), जिला सोलन - 174103	21.01.2009	http://www.chitkara.edu.in
101	एटर्नल विश्वविद्यालय, बारू साहिब, जिला सिरमौर, पिन-173101 (हिमाचल प्रदेश)	22.10.2009	http://www.eternaluniversity.edu.in
102	आई.ई.सी. (इंडिया एजुकेशन सेंटर) विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 7 और 10, अटल शिक्षा कुंज, बदी जिला, सोलन, हिमाचल प्रदेश	11.05.2012	http://www.iecuniversity.com
103	आईसीएफआई, यूनिवर्सिटी, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कालूजिहिन्दा, पीओ मंधाला, वाया बारोतीवाला, बददी, जिला-सोलन, हिमाचल प्रदेश-174103	20.10.2011	http://www.iuhimachal.edu.in
104	इन्डस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वी.पी.ओ. बाथू, तहसील हरोली, जिला रुना, हिमाचल प्रदेश-174301	01.02.2010	http://www.iiuedu.in
105	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, पी.ओ. वाकनाघाट, तहसील-कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-173234	22.05.2002	http://www.juit.ac.in
106	महर्षि मरकण्डेश्वर यूनिवर्सिटी, कुमारहाटी, सुल्तानपुर रोड, सोलन-173229	19.09.2010	http://www.mmusolan.org
107	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, जिला-सोलन-174103, हिमाचल प्रदेश	15.01.2013	http://www.mau.ac.in
108	मानव भारती विश्वविद्यालय, लाडू, सुल्तानपुर, कुमारहट्टी, सोलन -173229	22.09.2009	http://www.manavbhartiuniversity.edu.in
109	शूलिनी विश्वविद्यालय जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान, सोलन, हिमाचल प्रदेश	15.10.2009	http://www.shooliniuniversity.com

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना की तिथि	वेबसाइट
110	श्री साई विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	27.01.2011	http://www.srisaiuniversity.org
	>kj [k.M		
111	एआरएके जैन यूनीवर्सिटी, केरल पब्लिक स्कूल के सामने, मोहनपुर, गमहारिया, जिला सेराईकेला खारसावान-832108, झारखंड	04.07.2017	http://www.arkauniversity.ac.in
112	एमिटी यूनिवर्सिटी, रांची शहर परिसर निवरानपुर मुख्य सड़क, रांची झारखंड	13.05.2016	http://www.amity.edu.in
113	आईसेक्ट विश्वविद्यालय, मटवारी चौक, गांधी मैदान के सामने, हजारीबाग, झारखंड	13.05.2016	http://www.aisectuniversity.ac.in
114	केपिटल विश्वविद्यालय, रांची-पटना मेन रोड, कोडरमा, झारखंड	11.10.2018	http://www.capital.edu.in
115	झारखंड राय विश्वविद्यालय, कामरे, रातू रोड, रांची -835222	02.02.2012	http://www.jru.edu.in
116	नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय, पोखरी, पीओ- मिलाई पहाड़ी, पीएस- एमजीएम, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	19.09.2018	http://www.wbnsou.ac.in/
117	प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बोरटू रोड, बूटी मोर, पीओ-आरएमसीएच, रांची -834009, झारखंड	16.05.2016	http://www.pragyanuniversity.edu.in
118	राधा गोविंद विश्वविद्यालय, राधा गोविंद नगर, लालकी, रामगढ़	11.10.2018	http://rguniversity.org/
119	रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय, नवाडीहकला, पीओ और पीएस बिश्रामपुर, पलामू- 822132, झारखंड	19.09.2018	https://www.rcu.edu.in/
120	साई नाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड	27.04.2012	http://www.sainathuniversity.com
121	सरला बिरला यूनीवर्सिटी, बिरला कैम्पस, ग्राम आरा, पीओ माहलौंग, रांची- पुरुलिया राजमार्ग, रांची-835103, झारखंड	20.07.2017	http://www.sbu.ac.in
122	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ग्रांड एमरेल्ड बिल्डिंग, मार्ग संख्या 1 और 2 के बीच में, अशोक नगर, राँची - 834202, झारखण्ड	17.06.2008	http://www.iujharkhand.edu.in
123	उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, 12 माइल, रांची खुंटी रोड, एन एच-95, रांची- 835221	20.01.2014	http://www.ushamartinuniversity.com
124	वाईबीएन यूनीवर्सिटी, पंचवटी साउथ रेलवे कॉलोनी, रांची-834001, झारखंड	04.07.2017	http://www.ybnuniversity.in
	dukVd		
125	आदिचुनचानागिरी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-75, तालुक- नागामंगला, जिला-मांडया, बी.जी. नगर-571448, कर्नाटक (निजी विश्वविद्यालय)	22.01.2018	https://acu.edu.in/
126	अल्लायन्स यूनिवर्सिटी, बंगलुरु, (कर्नाटक)	16.09.2010	http://www.alliance.edu.in
127	अजीम प्रेमजी, यूनिवर्सिटी, 134, दोधकनेली, विप्रो कारपोरेट ऑफिस के बाद, सर्जापुर रोड बंगलुरु, कर्नाटक	13.10.2010	http://www.azimpremjiuniversity.edu.in
128	सीएमआर विश्वविद्यालय, 2, 3, 'सी' छठा मेन रोड, द्वितीय ब्लॉक , बीआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बंगलुरु- 560043, कर्नाटक	16.05.2013	http://www.cmr.edu.in
129	दयानंद सागर विश्वविद्यालय, देवराखागल्ली ग्राम, हरोहल्लाहोबली, कनकपुरा तालुक, रामनगर जिला, कर्नाटक	16.05.2014	http://www.dayanandsagar.edu.in
130	गार्डन सिटी यूनीवर्सिटी, जीसीसी हाउस, 340, पांचवा मेन, इंदिरा नगर डबल रोड, प्रथम स्टेज, इंदिरानगर, बंगलुरु,-560038, कर्नाटक	24.06.2013	http://www.gardencityuniversity
131	इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रांस-डिस्प्लीनरी, हैल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, 74 / 2, जाकरबंद कावल, येलाहांका, वाया अटूर पोस्ट, बंगलुरु-560064, कर्नाटक	26.06.2013	http://www.tdu.in
132	जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनीवर्सिटी, जेएसएस टेक्नीकल इंस्टीट्यूशन कैम्पस, मैसूरु-570006, कर्नाटक	16.01.2016	http://www.jsstuniv.in
133	ख्वाजा बंदानवाज विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन, ख्वाजा बंदानवाज विश्वविद्यालय परिसर, राउज-ए बुजुर्ग, कालाबुर्गी-585104, कर्नाटक	21.04.2018	www.kbn.university.
134	केएलई टेक्नाजिकल यूनिवर्सिटी, बी0वी0 भूमारडी कॉलेज कैम्पस, विद्यानगर, हुबली-580031	04.04.2015	http://www.kletech.ac.in
135	एम0एस0 रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंस, प्रशासनिक ब्लॉक, नई बेल रोड, एमएसआरआईटी पोस्ट, बंगलुरु-560054	09.07.2013	http://www.msruas.ac.in
136	पीईएस यूनिवर्सिटी, सौ फीट रिंग रोड, बीएसके III स्टेज, बंगलुरु-560085	16.05.2013	http://www.pes.edu
137	प्रेजीडेन्सी विश्वविद्यालय (कर्नाटक) , डिब्रूर एवं ईगलपुर ग्राम, हेसाराघाट होबली, बंगलुरु (कर्नाटक)	16.05.2013	http://www.presidencyuniversity.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना की तिथि	वेबसाइट
138	राय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, दोडाबालापुर नेलमंगलला रोड, एसएच -74, ऑफ हाईवे 207, दोडाबादलापुर तालुक, बंगलुरु - 561204	09.07.2013	http://www.raitechnologyuniversity.in
139	रीवा विश्वविद्यालय, कट्टीगेनहाल्ली, येलहानका, बंगलुरु-560064	16.05.2013	http://www.reva.edu.in
140	शरनबासवा विश्वविद्यालय, कलाबुरागी (गुलबर्गा)	29.07.2017	http://sharnbasvauniversity.edu.in
141	श्रीनिवास यूनिवर्सिटी, श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कॉलेज कैम्पस, श्रीनिवास नगर, मुका, सुरथाकल, मंगलोर-574146	20.02.2015	
	e?kky;		
142	सी एम जे यूनिवर्सिटी, शिलोंग (मेघालय)	20.07.2009	http://www.cmjuniversity.edu.in
143	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, पी.ओ. अराइमाइल, माचाकोलग्रे, तुरा, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय	04.01.2011	http://www.mgu.edu.in
144	मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, के.आई.पी.ए. कांफ्रेस सेंटर, सेन्ट्रल वार्ड, शिलांग - 793001	13.07.2005	http://www.mlcuniv.in
145	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिलांग पॉलीटेक्निक कैम्पस, मावली, शिलांग-793 022	02.12.2008	http://www.technologlobaluniversity.org
146	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, चौथा डांकाग्रे पी.ओ. अरायमाईल तुरा, पश्चिम गारो हिल्स- 793001	04.11.2009	http://www.iuemghalaya.edu.in
147	यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मेघालय 793101	02.12.2008	http://www.ustm.ac.in
148	यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेंट, शिलांग, मेघालय 793003	27.05.2011	http://www.utm.ac.in
149	विलियम कैरे विश्वविद्यालय, जोराम विला, बोम्प्लाइड रोड, शिलांग - 793001	13.07.2005	http://www.wcu.co.in
	fe t kje		
150	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, दुर्तलाग नार्थ, आइजॉल-798012	21.03.2006	http://www.iuimzoram.edu.in
	ee; in'k		
151	आवंतिका यूनीवर्सिटी, विश्वनाथपुरम, लेकोड़ा ग्राम, उज्जैई-456006, मध्य प्रदेश	12.01.2017	http://www.avantikauniversity.edu.in
152	ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश 485001	31.12.2011	http://www.aksuniversity.ac.in
153	रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, गाँव मेंडुआ, भोपाल-चिकलोड रोड, तहसील-गोहरगंज, जिला-रायसेन, मध्य प्रदेश	30.12.2010	http://www.rntu.ac.in
154	एमिटी विश्वविद्यालय, महाराजपुर डांग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474005	30.12.2010	http://www.amity.edu/gwalior
155	भाभा विश्वविद्यालय, एनएच -12, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल - 462026, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	11.01.2018	https://www.bhabhauniversity.edu.in/
156	डॉ ए.पी. जे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इंदौर-देवास बायपास रोड, गाँव-अरडिया, पोस्ट- झालरिया, मध्य प्रदेश-452016	01/04/2016	http://www.aku.ac.in
157	डॉ सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, खंडवा-इंदौर रोड, पोस्ट - छैगांव माखन, खंडवा - 450771 (मध्य प्रदेश)	28.07.2018	http://cvru.ac.in/
158	जी.एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, ग्राम- साईखेड़ा, ढोडा बोरगांव, तहसील-सोनसार, जिला- छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	27.08.2016	http://www.ghru.edu.in
159	आईटीएम विश्वविद्यालय, आईटीएम परिसर, सिधौली रैली स्टेशन के सामने, एनएच - 75, झांसी रोड, ग्वालियर -474 001	04.05.2011	http://www.itmuniversity.ac.in
160	जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी, ग्राम पंचायत मुगलिया छप, तहसील हुजूर, भोपाल-462 044	24.04.2013	http://www.jlu.edu.in
161	जेपी अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एबी रोड, रघोगढ़, जिला गुना-473226 (मध्य प्रदेश)	13.08.2010	http://www.juet.ac.in
162	एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, जेके टाऊन, सर्वधर्म सी सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल-462042 मध्य प्रदेश	08.01.2015	http://www.lnctu.ac.in
163	मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैम्पस, रातीबड़, भोपाल -462044, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	11.01.2018	https://mpu.ac.in/
164	महिर्षी महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर-482001	29.11.1995	http://www.mmyw.com
165	मालवंचल विश्वविद्यालय इंडेक्स सिटी, एनएच-59ए नीमवार रोड खुदेल के निकट इंदौर जिला 452016	04.01.2016	http://www.malwachaluniversity.com
166	मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गाँव - गादिया और रत्नाखेड़ी, ब्लॉक - बिल्किसगंज, सीहोर (मध्य प्रदेश)	11.01.2018	http://www.mguindia.com/

क्रम संख्या	राज्य/ विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबसाइट
167	मंदसौर विश्वविद्यालय, रेवास देवड़ा रोड एसएच-31, मंदसौर-458001	19.08.2015	http://www.mandsauruniversity.edu.in
168	मेडी कैप्स यूनिवर्सिटी, ए.बी.रोड, पिगदाम्बर, राऊ, इंदौर- 453331	22.07.2015	http://www.medicaps.ac.in
169	ओरियन्टल यूनिवर्सिटी, रेवती रेंज गेट न0 1 के सामने, सानवर रोड, पोस्ट बॉक्स 3111, विजय नगर डाक घर, इंदौर-452010	04.05.2011	http://www.orientaluniversity.in
170	पीपल्स यूनिवर्सिटी, भानपुर, भोपाल - 462037	04.05.2011	http://www.peopleuniversity.edu.in
171	पीके यूनिवर्सिटी, ग्राम थानारा, तहसील-कारेरा, रा0रा0-27, शिवपुरी, जिला-शिवपुरी-473551	19.08.2015	http://www.pkuniversity.edu.in
172	रेनीसा विश्वविद्यालय, सर्वे नम्बर 34/2, 51/1/1, ग्राम रेओती, सानवर रोड, अरबिंदो अस्पताल के पीछे, इंदौर- 452015, मध्य प्रदेश	24.08.2017	http://www.rnu.edu.ng/
173	आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, बाय-पास रोड, आरजीपीसी परिसर के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश	19.07.2011	http://www.rkdf.ac.in
174	सेज यूनिवर्सिटी, कायलोड कर्ताल, इंदौर देवास बाँयपास रोड, राऊ, इंदौर-452020 मध्य प्रदेश	24.08.2017	http://sageuniversity.in
175	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, सरदार पटेल नॉलेज सिटी, वारसोनी रोड, डोंगरिया, बालाघाट	28.07.2018	http://www.spuvvn.edu/
176	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, रा0रा0-12, होशंगाबाद रोड, जटखेड़ी, भोपाल, मध्य प्रदेश	08.01.2015	http://www.srku.edu.in
177	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, एनएच- 86, ग्राम चौका, सागर रोड, छतरपुर-471001, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	28.07.2018	http://www.skuindia.ac.in/
178	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, सांवर रोड, इंदौर -453111	08.01.2015	http://www.svvv.edu.in
179	श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, भोपाल-इंदौर रोड, पचामा ऑयल फेड प्लांट के सामने, पंचामा, सेहोर-466001	12.02.2014	http://www.ssutms.co.in
180	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	31.12.2011	http://www.svnuniversity.ac.in
181	सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, बड़ा बंगाडा सुपर कॉरिडोर, इंदौर -452001	27.08.2016	http://www.suas.ac.in
182	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, लातेरी रोड, सिरोज (गोशाला के निकट) जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश-464228	09.01.2013	http://www.technoglobaluniversity.com
183	वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी, भोपाल इंदौर नेशनल हाईवे, कोथरीकलां, सेहोर-466144, मध्य प्रदेश	24.08.2017	http://www.vitbhopal.ac.in
184	अजीन्क्या डी.वाई. पाटिल विश्वविद्यालय, चारहोली भद्रक, वाया लोहेगांव, पुणे-412105	25.02.2015	http://www.adypu.edu.in
185	एमिटी यूनिवर्सिटी, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, भाटन, पोस्ट-सोमाथने, पनवेल, मुंबई, महाराष्ट्र-410206	25.07.2014	http://www.amity.edu/mumbai
186	छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, शेडुंग टोल प्लाजा के पास, पुराना मुंबई पुणे राजमार्ग, पनवेल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	09.08.2018	
187	डॉ0 विश्वनाथ कराड एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, एस0 नम्बर 124, पौड रोड, कोथरुड, पुणे-411038, महाराष्ट्र	05.06.2017	http://www.mitwpu.edu.in
188	डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सेक्टर - 29, प्रधानकरन, अकुर्डी, पुणे - 411044, महाराष्ट्र (निजी विश्वविद्यालय)	14.03.2018	https://www.dypiu.ac.in/
189	फ्लेम यूनिवर्सिटी, गेट न0 1270, ग्राम लावाल, तालुक मुल्शी, पुणे-411042	13.02.2015	http://www.flame.edu.in
190	जी.एच. रायसोनी यूनिवर्सिटी, बाडनेरा, अंजनगांव, बारी रोड, अमरावती-444701, महाराष्ट्र	20.07.2018	http://ghru.edu.in/
191	एमआईटी आर्ट्स डिजाइन एण्ड टेक्नॉलाजी यूनिवर्सिटी, राजबाग, हदाप्सर लोनी कालभर से अगला, पुणे-412201	13.10.2015	http://www.mituniversity.edu.in
192	संदीप विश्वविद्यालय, त्रिंबक रोड, माहिरावाणी, नासिक, महाराष्ट्र	09.10.2015	http://www.sandipuniversity.com
193	स्पाइसर एडवेंट यूनिवर्सिटी, औंध रोड, गंदशिखंद, पोस्ट, पुणे-411004	25.07.2014	
194	सिम्बायसिस स्किल एंड ओपन यूनिवर्सिटी, ग्राम किवाले, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ ताल हावले, पुणे- 412101, महाराष्ट्र	05.05.2017	http://www.ssou.ac.in
195	संजय घोड़ावट यूनिवर्सिटी, ए/पी- अटिगरे,- 416118, हटांनानगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	13.07.2017	http://www.sanjayghodawatuniversity.ac.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना की तिथि	वेबसाइट
196	विश्वकर्मा यूनीवर्सिटी, सर्वे नम्बर 2,3,4, लक्ष्मीनगर, कोंधावा, बुदरुक, पुणे-411048, महाराष्ट्र	05.05.2017	http://www.vupune.ac.in
	ef.kij		
197	मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एमआईयू पैलेस, घारी, एयरपोर्ट रोड, इंफाल-795140, मणिपुर	14.02.2019	https://www.miu.ac/
198	सांगाई इंटरनेशनल यूनीवर्सिटी, चूराचांदपुर, मणिपुर	05.05.2015	http://www.sangaiinternationaluniversity.com
	ukxkyi.M		
199	सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी, वर्जिन टाउन, खाकीहो-झिमोमी रोड, इकिशे मॉडल कॉलेज, पीएस-डिप्युपर, दीमापुर -797115	18.09.2006	http://www.stjosephuniversity.org
200	द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, वोखा - 797111	18.09.2006	http://www.nagaland.net.in
201	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, छठा माइल सोविमा ग्राम कोहिमा रोड, दीमापुर - 797112,	04.11.2009	http://www.iunagaland.edu.in
	vkMh'kk		
202	ए.आई.पी.एच. यूनिवर्सिटी, पहाला, भुवनेश्वर-कटक, राष्ट्रीय राजमार्ग-5, भुवनेश्वर-752101, ओडिशा	26.02.2018	http://aiph.ac.in/
203	बिड़ला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आईडीसीओ प्लॉट नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल एरिया, विलेज- गोठपटना, पीएस-चंडका, भुवनेश्वर -751029	17.02.2016	http://www.bgu.ac.in
204	सेंचूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेंट, ग्राम आलूरी नगर, वाया उपालाडा, पारालखमुण्डी-761221 गजपति, ओड़ीशा *	27.08.2010	http://www.cutm.ac.in
205	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, गुनुपुर-765022, जिला रायगढ़, ओडिशा	27.12.2018	http://www.giet.edu/
206	श्री श्री यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	26.12.2009	http://www.srisriuniversity.edu.in
207	जेवियर विश्वविद्यालय, जेवियर स्कवेयर, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	13.05.2013	http://www.ximbac.in
	itkc		
208	आदेश विश्वविद्यालय, रा0रा0-7, बरनाला रोड़, भटिंडा, पंजाब	10.07.2012	http://www.adeshuniversity.ac.in
209	अकाल विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो-151302, जिला भटिंडा, पंजाब	04.06.2015	
210	सी टी युनिवर्सिटी फिरोजपुर रोड, लुधियाना-142024	23.12.2016	http://www.ctuniversity.in
211	चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, धारुवान, मोहाली-140413	10.07.2012	http://www.chandigarhuniversity.ac.in
212	चितकारा यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़-पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग, (रा0रा0-64), ग्राम - झांसला, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब-140401	07.12.2010	http://www.chitkara.edu.in
213	डी ए वी विश्वविद्यालय, जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग-44, गांव-सरमस्तपुर, जालंधर, पंजाब।	18.02.2013	http://www.@davuniversity.org
214	देश भगत विश्वविद्यालय, अमलोह, अमलोह रोड, मण्डी गोबिन्दगढ़, पंजाब	18.02.2013	http://www.deshbhagatuniversity.in
215	जीएनए युनिवर्सिटी, ग्राम-श्री हरगोबिंदगढ़, फगवाड़ा, जिला कपूरथला-144401	21.08.2014	http://www.gna.edu.in
216	गुरु काशी यूनिवर्सिटी, तलवंडी सावो, जिला - भटिंडा, पंजाब	26.12.2011	http://www.gurukashiuniversity.in
217	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालन्धर-लुधियाना जी.टी. रोड़, नर चेहरू रेलवे ब्रिज, फगवाड़ा, जिला - कपूरथला, पंजाब - 144002	26.12.2005	http://www.lpu.in
218	रायत बाहरा विश्वविद्यालय, वीपीओ - सहौरान, तहसील - खार, जिला - मोहाली, पंजाब - 140105	13.08.2014	http://www.rayatbahrauniversity.edu.in
219	आरआईएमटी विश्वविद्यालय, फ्लोटिंग रेस्त्रा के सामने, सिरहन्द साईड, मण्डी गोबिंदगढ़-147301	08.12.2015	http://www.rimt.ac.in
220	संत बाबा भाग सिंह युनिवर्सिटी, ग्राम-खियाला, डाकघर-पदियाना, जिला जालंधर-144030	12.02.2015	http://www.sbbs.edu.in
221	श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, श्री लालगिधर निवास, फतेहगढ़ साहिब - 140406	15.05.2008	http://www.sggswu.org
222	श्री गुरु राम दास यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंस, मेहता रोड, वाल्लाह, श्री अमृतसर-143001, पंजाब	17.11.2016	http://www.sgrduhs.in
	jk tLFkku		
223	एमटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान, एनएच-11सी, कान्त कालवार, जयपुर-303002	29.03.2008	http://www.amity.edu/jaipur

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना की तिथि	वेबसाइट
224	एपेक्स यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 5, साइंस टेक सिटी, रा.रा.- 48, लिंक रोड, 248 अचरोल, जयपुर, राजस्थान- 303002	05.10.2018	https://www.apexuniversity.co.in/
225	भगवन्त विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नं. 87, सीकर रोड, अजमेर-305004	16.04.2008	http://www.bhagwantuniversity. com
226	भारतीय स्कूल डेवलेपमेंट यूनिवर्सिटी, प्लॉट नम्बर एसआई / आईएनएसटी / 001, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जोन, महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, ऑफ अजमेर रोड, जयपुर- 302037, राजस्थान	30.03.2017	http://www.ruj.bsdu.in
227	भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप स्टेशन रोड, सेवाश्रम सर्कल, उदयपुर-313001	05.10.2015	http://www.bnuniversity. ac.in
228	कॅरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान	02.05.2012	http://www. cpur.in
229	डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, प्लॉट-1, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नेवाई, जिला टोंक, राजस्थान - 304021	22.04.2010	http://www.dknmu.org
230	गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	25.01.2011	http://www. geetanjaliuniversity. com
231	होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, सायपुरा, सांगानेर, जयपुर - 302029	03.04.2010	http://www.homoepathyuniversity. org
232	आईसीएफआई, विश्वविद्यालय, खसरा नं. 505 / 1, गांव जामडोली, आगरा रोड, जयपुर - 302031	23.08.2011	http://www. iujaipur.edu.in
233	आईआईएचएमआर युनिवर्सिटी, 1, प्रभु दयाल मार्ग, सांगानेर विमानापत्तन के निकट, जयपुर-302029	26.02.2014	http://www. iihmr.edu.in
234	जेईसीआरसी विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	02.05.2012	http://www.jecrcuniversity. edu.in
235	जे.के. लक्ष्मीपति विश्वविद्यालय, लालिया का वास, पी.ओ. महापुर, अजमेर रोड, जयपुर - 302026	15.09.2011	http://www.jklu.edu.in
236	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, रा.रा.-12, चाकसू बाय पास, टोंक रोड, जयपुर -303901	16.04.2008	http://www.jagannathuniversity. org
237	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जगतपुरा, जयपुर 302017	21.10..2007	http://www.jnujaipur. ac.in
238	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदन्त ज्ञान वैली विलेज, झरना माहाला, जबनेर, लिंक रोड, एनएच-8, जयपुर 303007	21.04.2008	http://www.jvwomensuniv. com
239	जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नारनादी झांवर रोड, जोधपुर - 342001	11.08.2008	http://www.jodhpurnationaluniversity. com
240	लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी, अलवर-तिजारा-दिल्ली हाईवे, चिकानी, अलवर, राजस्थान	05.10.2018	http://www.lordsuni.edu.in/
241	माधव विश्वविद्यालय, माधव हिल्स, बनास ब्रिज टॉल के सामने, रा0रा0-14, ग्राम-वादा / भुजेला, पंचायत समिति-भारजा, तहसील-पिंडवाड़ा, अंबु रोड, जिला- सिरौही, राजस्थान-307026	04.03.2014	http://www.madhavuniversity.edu. in
242	महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	http://www.mvgu.ac.in
243	महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय, मुंदीयारामसर, बिंदयाका औद्योगिक क्षेत्र के समीप, जयपुर-3020012	05.10.2015	
244	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, मेडीकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुर, टोंक रोड, जयपुर-302022	15.09.2011	http://www.MGUMST.ORG
245	महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, एसपी-2 और 3, कान्त कालवार, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, ताला मोड़, एनएच-1, आचरोल, जयपुर	03.02.2009	http://www. mjrpuniversity.com
246	मनीपाल विश्वविद्यालय, वाटिका इनफोटेक यूनिवर्सिटी, जीवीके टोल प्लाजा के निकट, जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस-वे, पोस्ट थिकारा, जयपुर - 302026	15.09.2011	http://www.jaipur.manipal.edu
247	मौलाना आज़ाद युनिवर्सिटी, ग्राम- बुजावाड़, तहसील-लुनी, जोधपुर-342802	16.09.2013	http://www. mauj.ac.in
248	मेवाड़ विश्वविद्यालय, एनएच 79, गंगारार, चित्तौड़गढ़ -312901*	22.09.2008	http://www. mewaruniversity. org
249	मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी एंड साइंस, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान	16.09.2013	http://www.modyuniversity.ac.in
250	एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना, राजस्थान	03.04.2010	http://www. niituniversity. in
251	एन.आई.एम.एस. विश्वविद्यालय, शोभानगर, जयपुर - 303001	29.03.2008	http://www. nimsuniversity. org
252	ओपीजेएस विश्वविद्यालय, रावतसर, कुंजीला, तहसील-राजगढ़, जिला-चुरू, राजस्थान	16.09.2013	http://www. opjsuniversity. edu.in
253	पेसेफिक अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी (पी.ए.एच.ई.आर.) पेसेफिक हिल्स, एयरपोर्ट रोड, प्रतापनगर एक्सटेंशन, उदयपुर - 313003	29.04.2010	http://www.pacific-university.ac.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना की तिथि	वेबसाइट
254	पेसेफिक मेडीकल यूनिवर्सिटी, बिलो का बेडला, बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, उदयपुर, राजस्थान	04.03.2014	http://www.pacificmedicaluniversity.ac.in
255	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, रामचन्द्रापुर, सीतापुर एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान	16.05.2012	http://www.poornima.edu.in
256	प्रताप विश्वविद्यालय, सुन्दरपुर, (चांदवाजी) आमरे-दिल्ली-मुम्बई हाइवे, जयपुर, राजस्थान	15.09.2011	http://www.pratapuniversity.in
257	राफेल्स विश्वविद्यालय, जैपनीज जोन, राष्ट्रीय राजमार्ग - 8, नीमराना - 201705, राजस्थान	27.03.2011	http://www.rafflesuniversity.edu.in
258	आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आरएनबी ग्लोबल सिटी, गंगानगर रोड, बीकानेर	27.04.2015	http://www.mbglobal.edu.in
259	संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान	02.05.2012	http://www.sangamuniversity.ac.in
260	साई तिरुपति विश्वविद्यालय, अम्बुआ रोड, गाँव-उमर्दा, गिरवा, उदयपुर-313015	21.04.2016	http://www.saitirupati.ac.in
261	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्बरेवाला विश्वविद्यालय, विद्या नगरी, झूझुनू-चुरु रोड, चुदेला, जिला-झूझुनू 333001	03.02.2009	http://www.j_jtu.ac.in
262	श्री कल्लाजी वैदिक विश्व विद्यालय, कामधेज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़), राजस्थान	28.03.2018	http://www.kallajivedicuniversity.com
263	श्री कुशल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़, राजस्थान	05.10.2018	https://skduniversity.com/
264	श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी, चिरावा रोड, पिलानी, राजस्थान-333031	03.04.2010	http://www.shridharuniversity.ac.in
265	श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, जिला- दौसा, राजस्थान- 303511	05.10.2018	https://shyamuniversity.in/
266	सिंहानिया विश्वविद्यालय, पचेरीबारी, झूझुनू, राजस्थान 333515	29.03.2008	http://www.singhanianuniversity.co.in
267	सर पदमपत सिंहानिया विश्वविद्यालय, भतेवार, उदयपुर - 313601	29.03.2008	http://www.spsu.ac.in
268	सनराईज विश्वविद्यालय, बागड़ राजपूत, तहसील-रामगढ़, अलवर, राजस्थान	22.09.2011	http://www.sunrise.ac.in
269	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, महल, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान-302017	21.04.2008	http://www.gyanvihar.org
270	तांतिया विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ रोड, श्री गंगानगर-335002	16.09.2013	http://www.tantianuniversity.com
271	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	http://www.uem.edu.in
272	यूनीवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान	18.05.2017	http://www.universityoftechnology.edu.in
273	विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेक्टर-36, एनआरआई रोड, सीसायावास, जगतपुर, जयपुर - 3030012	02.05.2012	http://www.vgu.ac.in
f l f Dde			
274	श्री रामासामी मेमोरियल यूनिवर्सिटी 5वाँ माइल, तदांग, रानीपूल पो.ओ. गंगटोक, सिक्किम-737102	16.01.2014	http://www.srmus.ac.in
275	सिक्किम-मनीपाल यूनिवर्सिटी 5वाँ माइल, पो.ओ. तदांग, गंगटोक - 737102	11.10.1995	http://www.smu.edu.in
276	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाईनांशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया यूनीवर्सिटी, (आईसीएफएआई), रानका रोड, लोवर सिचे, गंगटोक-737101	04.10.2004	http://www.iusikkim.edu.in
277	विनायक मिशन सिक्किम यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं० 438, एन-312, संग फाटक रोड, मिडल तदांग, पी०ओ० दारागाओरा, तदांग, पूर्वी सिक्किम-737 102	30.07.2008	http://www.vmsu.in
f=i j k			
278	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाईनांशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, अगरतला (आईसीएफएआई), पी.ओ. कमलघाट, अगरतला- सिमना रोड, मोहनपुर-799210, त्रिपुरा	31.03.2004	http://www.iutripura.edu.in
m ū k j ç n ' k			
279	एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	24.03.2005	http://www.amity.edu
280	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, 55 बाबू बनारसी दास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.bbdu.org
281	बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज कैंपस, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली -243006	16.09.2016	http://www.biu.edu.in
282	बेनेट यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 8-11, टेक जोन II, ग्रेटर नोएडा -201301	16.09.2016	http://www.bennett.edu.in
283	एरा विश्वविद्यालय, सरफराजगंज, हरदोई रोड, लखनऊ -226003	16.09.2016	http://www.erauniversity.in
284	जी.एल.ए. यूनीवर्सिटी, 17 किलोमीटर स्टोन, राष्ट्रीय राजमार्ग-2, दिल्ली मथुरा रोड, पी.ओ. चुमुहन, मथुरा- 281406	01.09.2010	http://www.gla.ac.in
285	गालगोटियास यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर 17 ए, ग्रेटर नोएडा-201203	07.04.2011	http://www.galgotiauniversity.edu.in

क्रम संख्या	राज्य/ विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबसाइट
286	आईएफटीएम यूनीवर्सिटी, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-244102	12.10.2010	http://www.iftmuniversity.ac.in
287	आईआईएमटी विश्वविद्यालय, ओ पॉकेट, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ -250001	16.09.2016	http://www.iimtu.com
288	इंटीग्रल विश्वविद्यालय, कुर्सी रोड, लखनऊ - 226026 (उत्तर प्रदेश) *	26.02.2004	http://www.integraluniversity.ac.in
289	इनवर्टिस विश्वविद्यालय, इनवर्टिस गांव, बरेली-लखनऊ नेशनल हाइवे-24, बरेली-243123	01.09.2010	http://www.invertisuniversity.ac.in
290	जगतगुरु रामभद्राचार्य हैण्डिकेप्ड यूनिवर्सिटी, चित्रकूट धाम-210204 (उत्तर प्रदेश) *	06.10.2001	http://www.jrhu.com
291	जेपी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ रोड, अनूप शहर, जिला बुलन्दशहर-203390, उत्तर प्रदेश	04.03.2014	http://www.jaypeeuniversity.ac.in
292	जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	24.06.2015	http://www.jsu.edu.in
293	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202145	30.10.2006	http://www.mangalayatan.in
294	महिर्षी यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालाजी, महिर्षी बालविद्या मंदिर एवं विश्वविद्यालय परिसर, सीतापुर रोड, पोस्ट धिबुरिया, लखनऊ-226020	24.09.2013	http://www.muit.in
295	मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश	19.06.2006	http://www.jauharuniversity.org
296	मोनाद विश्वविद्यालय, कासमाबाद, पीओ-पिलखुआ, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश-245101	12.10.2010	http://www.monad.edu.in
297	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं. 1, सेक्टर-17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)-201301	12.10.2010	http://www.niu.ac.in
298	रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, जी0टी0 रोड, मंधाना, कानपुर-209217	10.01.2014	http://www.ramauniversity.ac.in
299	संस्कृति विश्वविद्यालय, 28 किलोमीटर स्टोन, मथुरा- दिल्ली राजमार्ग, छत्ता, मथुरा, उत्तर प्रदेश	16.09.2016	http://www.sanskriti.edu.in
300	शारदा विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 32-34, नॉलेज पार्क 3, ग्रेटर नोएडा-201306	24.03.2009	http://www.sharda.ac.in
301	शिव नाडर यूनिवर्सिटी, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	06.04.2011	http://www.snu.edu.in
302	शोभित विश्वविद्यालय, आदर्श इंस्टीट्यूशनल एरिया, बाबू विजेन्द्र मार्ग, गंगोह, जिला-सहारनपुर- 247341	05.07.2012	http://www.shobituniversity.ac.in
303	श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हरदोई, देवा-लखनऊ रोड, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	04.07.2012	http://www.srmu.ac.in
304	श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, रा0रा0-24, राजाबापुर, गजरौला, जे.पी. नगर, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.svu.edu.in
305	स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, दिल्ली-हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250005	05.09.2008	http://www.subharti.org
306	तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय, एनएच-24 दिल्ली रोड, मुरादाबाद -244001	05.09.2008	http://www.tmu.ac.in
307	दि ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, मिजापुर पोल, तहसील-बेहट, सहारनपुर-247001*	05.07.2012	http://www.glocaluniversity.edu.in
	mUkj[k.M		
308	भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी, विलेज एंड पोस्ट - उत्तर झंडी चौर, तहसील - कोटद्वार, जिला - पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड - 246149	19.12.2016	http://www.bgukotdwar.ac.in
309	देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्रीकुंज, शक्तिकुंज, हरिद्वार - 249411	22.01.2002	http://www.dsvv.ac.in
310	डीआईटी विश्वविद्यालय, मसूरी डाइवर्जन रोड, देहरादून-248009	15.02.2013	http://www.dituniversity.edu.in
311	ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, 600, बेल रोड, क्लेमेट हाउस, देहरादून-248002	28.04.2011	http://www.gehu.ac.in
312	हिमालयन गढ़वाल यूनीवर्सिटी धैड़ गांव, पोखरा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	07.12.2016	http://www.hgu.ac.in
313	हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, शीशमबाड़ा, पीओ-शेरपुर, वाया शहसपुर, देहरादून - 248197	11.07.2003	http://www.himgirizeeuniversity.edu.in
314	आईएमएस यूनिवर्सिटी, माकवाला ग्रीन्स, मसूरी डाइवर्जन रोड, देहरादून - 248009	15.02.2013	http://www.iuu.ac
315	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फार्मेशन एनालिस्ट ऑफ इंडिया (आईसीएफएआई), राजावाला रोड, सेन्ट्रल होप टाउन, सेलाक्वी, देहरादून-248197	10.07.2003	http://www.iuuttarakhand.edu.in
316	मदरहुड विश्वविद्यालय, ग्राम-कारोन्दी, पोस्ट-भगवानपुर, रुडकी, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	19.01.2015	http://www.motherhooduniversity.edu.in

तालिका 2.2 (i)(छ)(V) दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार सम विश्वविद्यालय

(* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालय)

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्रदान करने का वर्ष	वेबसाइट
	vkU/k çn:'k		
1	गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जी.आई.टी.ए.एम.), गाँधी नगर कैम्पस, रशिकोन्डा, विशाखापत्तनम-530045, आंध्र प्रदेश *	13.08.2007	http://www.gitam.edu
2	कोनेरु लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, ग्रीन फील्ड्स, कुन्धानापल्ली पोस्ट वाडेशवरम्, जिला गुन्टूर, आंध्र प्रदेश 522002 *	20.02.2009	http://www.kluniversity.edu.in
3	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति-517507 *	16.11.1987	http://www.rsvidyapeetha.ac.in
4	श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशांतनिलयम्-515134, जिला अनन्तापुर, आंध्र प्रदेश *	10.11.1981	http://www.sssihl.edu.in
5	विगनान्स फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, वाडलामुडी, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश-522313	19.12.2008	http://www.vignanuniversity.org
	v : .kkpy çn:'k		
6	नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, निरजुली, ईटानगर, जिला-पापुम पारे-791109, अरुणाचल प्रदेश	31.05.2005	http://www.nerist.ac.in
	v le		
7	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीआईटी), बालगाँव, बीटीएडी, कोकराझार, असम	13.12.2018	https://www.cit.ac.in/
	fcgkj		
8	नव नालान्दा महाविहार, नालान्दा-803111 (बिहार)	13.11.2006	http://www.navanalandmahavihara.org
	xt jkr		
9	गुजरात विद्यापीठ, डाकघर नवजीवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद-380014, गुजरात *	16.07.1963	http://www.gujaratvidyapith.ac.in
10	नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट (एनआरटीआई), एनएआईआर कैम्पस, लालबाग, वडोदरा, गुजरात	26.07.2018	https://nrti.edu.in/
11	सुमनदीप विद्यापीठ, ग्राम पिपरिया, तालुक वागहोदिया, जिला वडोदरा, गुजरात *	17.01.2007	http://www.sumandeepuniversity.co.in
	gfj ; k.kk		
12	लिगाया यूनिवर्सिटी, नाचौली, पुराना फरीदाबाद-जासना रोड, फरीदाबाद-121002, हरियाणा	05.01.2009	http://www.lingayasuniversity.edu.in
13	महर्षि मार्कण्डेय एजुकेशन ट्रस्ट, मुलाना, अम्बाला, हरियाणा 133003	12.06.2007	http://www.mmumullana.org
14	मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, फरीदाबाद, हरियाणा 121001	21.10.2008	http://www.mriu.edu.in
15	नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, गुरुग्राम-122050 हरियाणा	20.05.2002	http://www.nbrc.ac.in
16	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल-132001, हरियाणा	28.03.1989	http://www.ndri.res.in
17	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एन्टरप्रेनियोरशिप एण्ड मैनेजमेंट (एनआईएफटीईएम) प्लॉट नम्बर 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कुन्डली, जिला सोनीपत, हरियाणा	08.05.2012	http://www.niftem.ac.in
	>kj [k.M		
18	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, राँची-835215, झारखण्ड	28.08.1986	http://www.bitmesra.ac.in
	tEe vkj d'ehj		
19	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, चोगलामसार, लेह (लद्दाख), जम्मू और कश्मीर	15.01.2016	http://cibs.ac.in/
	dukVd		
20	बी.एल.डी.ई., बीजापुर, कर्नाटक	29.02.2008	http://www.bldeuniversity.ac.in
21	क्रॉइस्ट, होसूर रोड, बंगलुरु-560029	22.07.2008	http://www.christuniversity.in
22	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु-560012, कर्नाटक *	12.05.1958	http://www.iisc.ernet.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्रदान करने का वर्ष	वेबसाइट
23	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, 26 / सी, इन्फोसिस (द्वार सं०-1) के सामने, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, होसूर रोड, बंगलुरु-560100	28.02.2005	http://www.iiitb.ac.in
24	जे एस एस उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, जगद्गुरु डॉ श्री शिवरात्रि राजेंद्र सर्कल, रामानुज रोड, मैसूर - 570 004 *	28.05.2008	http://www.jssuni.edu.in
25	जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, जक्कुर कैंपस, जक्कुर, बंगलुरु-59 064 *	17.08.2002	http://www.jncasr.ac.in
26	जैन ग्लोबल कैम्पस, 45वां किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग-209, जाक्कासांदरा पोस्ट, कनक पुरा तालुक, रामानगर जिला-562112	19.12.2008	http://www.jainuniversity.ac.in
27	के.एल.ई. एकेडमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एंड रिसर्च, जे.एन. मेडीकल कॉलेज कैम्पस, बेलगाम (कर्नाटक)- 590010	13.04.2006	http://www.kleuniversity.edu
28	मनीपाल अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन, माधव नगर, मनीपाल-576104	01.06.1993	http://www.manipal.edu
29	एन.आई.टी.टी.ई. डेरालकाट्टे, मंगलोर -575018 *	04.06.2008	http://www.nitte.edu.in
30	श्री देवराज उर्स अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बीएच रोड, तमाका, कोलार -563101	25.05.2007	http://www.sduu.ac.in
31	श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन, जिला तुमकुर-572102, कर्नाटक	30.05.2008	http://www.sahetumkur.ac.in
32	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, संख्या-9, अपाजप्पा, अग्रहारा, चमाराजपेट, बंगलुरु-560018, कर्नाटक *	08.05.2002	http://www.svyasa.org
33	येनेपोया, डेरालकाट्टे, मंगलोर-5750118	27.02.2008	http://www.yenepoya.edu.morg
	djy		
34	चिन्मय विश्वविद्यापीठ, आदि शंकरा निलायम, वेलियानद, एर्नाकुलम-692313	16.01.2017	http://www.chinmayauniversity.ac.in
35	केरल कलामण्डलम, वालाथोल नगर, चेरुथुरुथि -679531, वाया थ्रिसूर, केरल *	14.03.2006	http://www.kalamandalam.org
36	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुअनन्तापुरम, केरल-695547	03.07.2008	http://www.iist.ac.in
	e/; çn'k		
37	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शक्ति नगर, ग्वालियर-474002 *	21.09.1995	http://www.lnipe.gov.in
	egkj'k"V'		
38	भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ भवन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे-411030, महाराष्ट्र *	26.04.1996	http://www.bvnuniversity.edu.in
39	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, फिशरीज यूनिवर्सिटी रोड, 7, बंगलो, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई-400061	27.03.1989	http://www.cife.edu.in
40	डी. वाई. पाटिल एजुकेशनल सोसायटी, लेन बाजार, कासाबा, बावाडा कोल्हापुर-416006, (महाराष्ट्र)	31.05.2005	http://www.dypatilunikop.org
41	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वांगी (मेघे) वर्धा-442004 *	24.05.2005	http://www.dmimsu.edu.in
42	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे-411006, महाराष्ट्र	05.03.1990	http://www.dsccanlegepune.ac.in
43	डॉ० डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, संत तुकाराम नगर, पिम्परी, पुणे-411018*	11.01.2003	http://www.dpu.edu.in
44	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स, बीएमसी कालेज रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे-411004*	07.05.1993	http://www.gipe.ac.in
45	होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, पंजीकृत कार्यालय: नालेज मेनेजमेन्ट ग्रुप, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, सेंट्रल काम्पलेक्स, मुम्बई -400085 *	03.06.2005	http://www.hbni.ac.in
46	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, जनरल वैद्य मार्ग, संतोष नगर, गोरेगांव ईस्ट, मुम्बई-400065	05.12.1995	http://www.igidr.ac.in
47	डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (इंस्टीट्यूट ऑफ आर्माइन्ट टेक्नोलॉजी), गिरीनार, पुणे-411025	10.09.1999	http://www.diat.ac.in
48	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, गोवान्डी स्टेशन रोड, देवनार, मुम्बई-400088, महाराष्ट्र	31.07.1985	http://www.iipsindia.org

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्रदान करने का वर्ष	वेबसाइट
49	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलाजी, नाथालाल पारेख मार्ग, माटुन्गा, मुम्बई महाराष्ट्र-400019 *	12.09.2008	http://www.ictmumbai.edu.in
50	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मलका पुर, कराड, जिला सतारा-महाराष्ट्र	24.05.2005	http://www.kimsuniversity.in
51	एम.जी.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, एमजीएम कैम्पस, सेक्टर-18, कामोटे, नवी मुम्बई-410209	30-08-2006	http://www.mgmhu.com
52	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वीएल मेहता रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुम्बई-400056 *	13.01.2003	http://www.nmims.edu
53	पदमश्री डॉ० डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, विद्यानगर, सेक्टर-7, नेरूल, नवी मुम्बई-400706, महाराष्ट्र	20.06.2002	http://www.dypatil.ac.in
54	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डाकघर लोनी, बीके-413736, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	29.09.2003	http://www.pravara.com
55	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल, ग्राम लावाले, तहसील मुलशी, जिला पुणे-412115 *	06.05.2002	http://www.symbiosis.ac.in
56	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई होमी भाभा रोड, मुंबई-400005 *	07.05.2002	http://www.tifr.ac.in
57	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वीएन पूर्व मार्ग, देवनार, मुम्बई-400088*	29.04.1964	http://www.tiss.edu
58	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यापीठ भवन, गुलटेकडी, पुणे-411037	28.04.1987	http://www.tmv.edu.in
59	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एटी/पीओ केआईआईटी पाटीया, खुरदा, भुवनेश्वर-751024, ओडीशा *	26.06.2002	http://www.kiit.ac.in
60	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, भुवनेश्वर, ओडिशा	25.08.2017	
61	शिक्षा "ओ" अनुसंधान, भुवनेश्वर, जे-15, कंधागिरी भुवनेश्वर ओडीशा 751030 *	17.07.2007	http://www.soauniversity.ac.in
62	संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एल. आई.ई.टी.), लोंगोवाल, जिला संगरूर-148106, पंजाब	10.04.2007	http://www.sliet.ac.in
63	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, थापर टेक्नोलॉजी कैम्पस, भाडसन रोड, पटियाला-147004	30.12.1985	http://www.thapar.edu
64	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली-304022	25.10.1983	http://www.banasthali.org
65	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी-333031	27.06.1964	http://www.bits-pilani.ac.in
66	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, गांधी विद्यामंदिर, सदर शहर-331401, जिला चूरू, राजस्थान	25.06.2002	http://www.iaseuniversity.org.in
67	आई.आई.एस., गुरुकुल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान 302020 *	02.02.2009	http://www.iisuniv.ac.in
68	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, पोस्ट बाक्स नम्बर 6, लान्डनू नागौर-341306, राजस्थान *	20.03.1991	http://www.jvbi.ac.in
69	जर्नादन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ प्रतापनगर, उदयपुर-313001	12.01.1987	http://www.jmrnu.org
70	एल.एन.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्राम-रूपा की नागल, पोस्ट-सुमेल, बारास्ता कानोटा, जिला-जयपुर-303012	03.02.2006	http://www.lnmiit.ac.in
71	अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, 135, ईस्ट कोस्ट रोड, कनाथुर, चेन्नई -603113	21.08.2007	http://www.ametuniv.ac.in
72	अमृत विश्व विद्यापीठम्, एतीमादाई पोस्ट, कोयम्बटूर -641112	13.01.2003	http://www.amrita.edu
73	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन, भारती पार्क रोड, कोयम्बटूर-641043, तमिलनाडु *	08.06.1988	http://www.avinashilingam.edu
74	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, 173, अग्रहरम रोड, सेलयुर, चेन्नई-600073, तमिलनाडु	04.07.2002	http://www.bharathuniv.com
75	बी.एस. अब्दुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, वान्डालुर, चेन्नई, तमिलनाडु 600048	16.12.2008	http://www.bsau.ac.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्रदान करने का वर्ष	वेबसाइट
76	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, प्लॉट एच-1, एसआईपीसीओटी आईटी पार्क, पादुर पोस्ट, सिरयूसेरी-603103, चेन्नई (तमिलनाडु)	15.12.2006	http://www.cmi.ac.in
77	चेटीनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन (केयर), पादुर, केलाम्बक्कम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	04.08.2008	http://www.chettinadhealthcity.com
78	गौधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गौधीग्राम, डिन्डीगुल-624302 *	03.08.1976	http://www.ruraluniv.ac.in
79	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस (हिंद्स), पादुर, पुराना महाबलीपुरम रोड, केलम्बालम, चेन्नई 603103	05.05.2008	http://www.hindustanuniv.ac.in
80	कैलाशलिंगम अकादमी ऑफ रिसर्च एचड हायर एजुकेशन, आन्नद नगर, कृष्णकोईल, विरुद्धनगर- 626190, बारास्ता श्रीविलिपुत्तूर तमिलनाडु	20.10.2006	http://www.kalasalingam.ac.in
81	कारुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, कारुण्या नगर, कोयम्बटूर-641114	23.06.2004	http://www.karunya.edu
82	करपागम आकदमी ऑफ हायर एजुकेशन, पोलाच्ची मुख्य मार्ग, कोयम्बटूर तमिलनाडु	25.08.2008	http://www.karpagamuniv.com
83	एमजीआर एजुकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेरियार ईवीआर सेलाई (राष्ट्रीय राजमार्ग 4) माधुरावोयल, चेन्नई-600095	21.01.2003	http://www.drmgrdu.ac.in
84	मीनाक्षी अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, संख्या 12, वेम्बूली अम्मन कोईल मार्ग, पश्चिम के0के0 नगर, चेन्नई-600078	31.03.2004	http://www.maher.ac.in
85	नूरुल इस्लाम सेंटर फॉर हायर एजुकेशन, कुमारकोईल, थुकालाले, जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु -629175	08.12.2008	http://www.niuniv.com
86	पेरियार मनिअमाई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (पीएमआईएसटी), पेरियार नगर, वालाम, थंजावुर-613403	17.08.2007	http://www.pmu.edu
87	पुनैया रामाज्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (पीआरआईएसटी), यगप्पा चावाडी, थंजावुर-614904	04.01.2008	http://www.prist.ac.in
88	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी एएसआरएम नगर, कट्टुकुलथुर- 603203, कांचीपुरम जिला (टीएन) *	02.08.2002	http://www.srmuniv.ac.in
89	सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, जपीयार नगर, पुराना मामलपुरम मार्ग, चेन्नई-600119	16.07.2001	http://www.sathyabamauniv.ac.in
90	सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टेक्नीकल साइंसेज, पोस्ट बाक्स नम्बर 6, संख्या 162, पोन्नमाले हाई रोड, वेलापापन्चवडी, चेन्नई-6000077	18.03.2005	http://www.saveetha.com
91	शणमुघ आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च अकादमी(शास्त्र), तिरुमलाई, समुद्रम, तंजावुर-613401 *	26.04.2001	http://www.sastra.edu
92	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालय, श्री जयेन्द्र सरस्वती स्ट्रीट, एनाथुर, कांचीपुरम-631561	26.05.1993	http://www.kanchiuniv.ac.in
93	श्री रामचन्द्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1, रामचन्द्र नगर, चेन्नई-600116 *	29.09.1994	http://www.sriramachandra.edu.in
94	सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, अवाडी, चेन्नई-600054	26.05.2008	http://www.atpetersuniversity.org
95	वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी एण्ड एडवान्सड स्टडीज (विस्टास), पालवरम्, चेन्नई, तमिलनाडु-600117	04.06.2008	http://www.velsuniv.ac.in
96	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर-632014	19.06.2001	http://www.vit.ac.in
97	विनायक मिशन रिसर्च फाउन्डेशन, शंकर मणि रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 47, अरियानूर नगर, सलेम-636308	01.03.2001	http://www.vinayakamission.com
98	वेलटेक रंगाराजन डॉ0 शगुन्थला आर एण्ड डी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई तमिलनाडु-600062	15.10.2008	http://www.veltechuniv.edu.in
	r.y.xkuk		
99	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्वे न0 25, गाचीबाऊली, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद-500032	21.08.2001	http://www.iiit.ac.in
100	आईसीएफआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन, दोतानापल्ली, शंकरपल्ली रोड, हैदराबाद-501203, तेलंगाना	16.12.2008	http://www.ifheindia.org

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्रदान करने का वर्ष	वेबसाइट
	mRr j çn'k		
101	सैम हिग्नबोर्टम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, डाकघर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद-211007	15.03.2000	http://www.shiats.edu.in
102	भारतखण्ड संगीत संस्थान, 1 कैसर बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001	24.10.2000	http://www.bharkhandemusic.edu.in
103	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिबेन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी - 221007, उत्तर प्रदेश	05.04.1988	http://www.cihts.ac.in
104	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा-282005 *	16.05.1981	http://www.dei.ac.in
105	इंडियन वेदिनेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर-243122	16.11.1983	http://www.ivri.res.in
106	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, ए-10, सेक्टर-62, नोएडा-201307	01.11.2004	http://www.jiit.ac.in
107	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा-जमुनीपुर, धुबवली, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	27.06.2008	http://www.ngbu.edu.in
108	शोबित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, धुलेरा मार्ग, रुड़की रोड, मेरठ-250010	08.11.2006	http://www.shobhituniversity.ac.in
109	संतोष विश्वविद्यालय, 1, संतोष नगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201009	13.06.2007	http://www.santoshuniversity.com
	mRr jk[k.M		
110	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, डाकघर न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006	28.11.1991	http://www.icfre.org
111	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार-249404	19.06.1962	http://www.gkv.ac.in
112	ग्रॉफिक इरा यूनिवर्सिटी, 566/6, बेल रोड, कलेमेन्ट टाऊन, देहरादून उत्तराखण्ड	14.08.2008	http://www.gehu.ac.in
	if'pe cXky		
113	रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, डाकघर बेलूर मठ, जिला हावड़ा-711202, पश्चिम बंगाल*	05.01.2005	http://www.rkmvu.ac.in
114	इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस (आईएसीएस), 2ए और 2बी, राजा एस.सी. मुल्लिक रोड, जादवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700032	08.05.2018	www.iacs.res.in
	jk"Vh; jk t/kkuh {k= fnYyh		
115	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इंस्टीट्यूट, पूसा, नई दिल्ली-110012 *	22.08.1958	http://www.iari.res.in
116	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, बी-21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016 *	20.05.2002	http://www.iiit.edu
117	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001 *	29.10.2004	http://www.ili.ac.in
118	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एण्ड बाइलियरी साइंसेज (आईएलबीएस), डी-1, वसंत कुन्ज, नई दिल्ली-110070	10.07.2009	http://www.ilbs.in
119	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली-110062 *	10.05.1989	http://www.jamiahamdard.edu
120	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजिकोलॉजी, नेशनल म्यूजियम, जनपथ, नई दिल्ली-110011	28.04.1989	http://www.nmi.gov.in
121	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, 17-बी, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016	11.08.2006	http://www.nuepa.org
122	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56,57, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	07.05.2002	http://www.sanskrit.nic.in
123	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016 *	16.11.1987	http://www.slbsrsv.ac.in
124	टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, दरबारी सेठ ब्लॉक, हैबीटेट प्लेस, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	05.10.1999	http://www.teriuniversity.ac.in
	jk"Vh; jk tēkkuh {k= pMhx<		
125	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सेक्टर-12, चण्डीगढ़-160012	16.10.2003	http://www.pec.ac.in
	inpjh		
126	श्री बालाजी विद्यापीठ, महात्मा गांधी मेडीकल कालेज कैम्पस, पान्डी-कुडालोर मेन रोड, पिल्लैयाकुप्पम, पुदुचेरी-607402	04.08.2008	http://www.sbvuniversity.com

2.2 (ii) महाविद्यालय

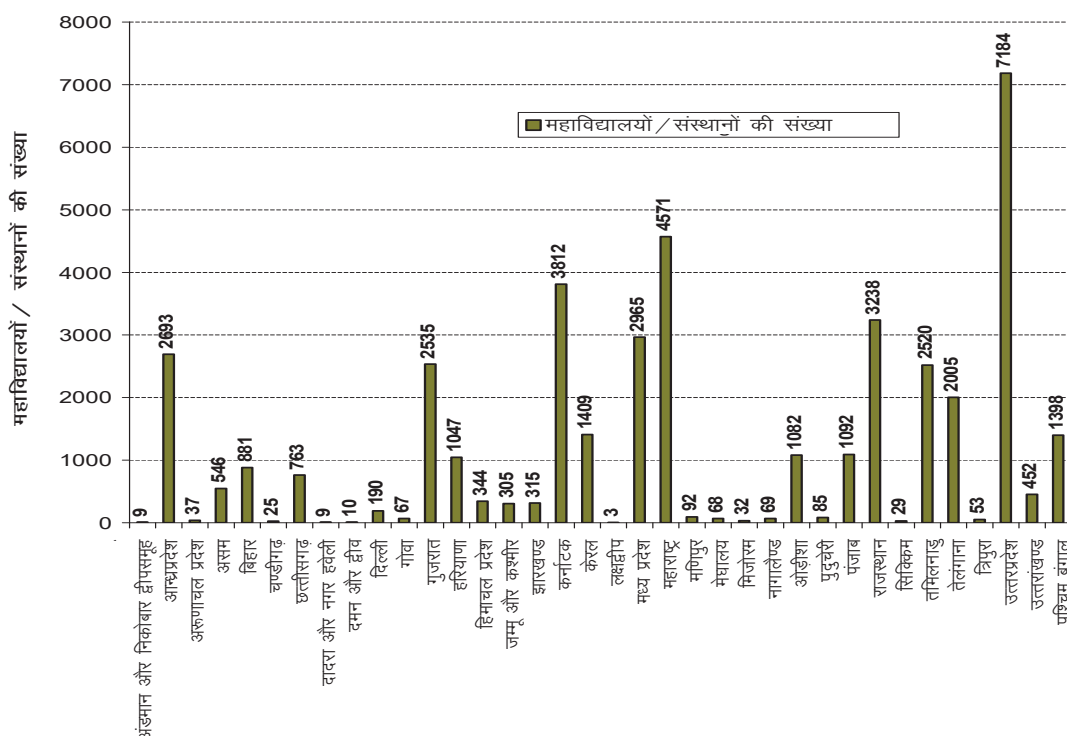
महाविद्यालय का अभिप्राय किसी संस्थान से है, चाहे वह इसी नाम से जाना जाए अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाए, जो कि किसी विश्वविद्यालय से कोई अर्हता प्राप्त करने हेतु ऐसे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुरूप अध्ययन पाठ्यक्रम चलाता हो, तथा उसे अध्ययन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए सक्षम माना गया हो तथा ऐसी अर्हता प्रदान किए जाने हेतु ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों परीक्षा हेतु तैयार करे। यह ऐसे संस्थान होते हैं जिन्हें किसी विश्वविद्यालय के तहत स्थापित अथवा अनुरक्षित अथवा उस विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के तहत सम्मिलित किया जाता है। **महाविद्यालय/ संस्थान चार प्रकार के होते हैं: (1) संबद्ध महाविद्यालय (2)संघटक महाविद्यालय (3) स्नातकोत्तर और ऑफ कैम्पस केन्द्र (4) मान्यताप्राप्त केन्द्र**

2.2 (ii) (क) : वर्ष 2018-19 के दौरान महाविद्यालय/ संस्थानों* की राज्यवार और स्वरूपवार संख्या

राज्य	संबद्ध महाविद्यालय	संघटक महाविद्यालय	स्नातकोत्तर और ऑफ कैम्पस केन्द्र	मान्यताप्राप्त केन्द्र	कुल (कालम संख्या 1 से 5)	स्टैंडालोन संस्थान*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	0	1	0	9	
आन्ध्रप्रदेश	2616	67	6	2	2693	821
अरुणाचल प्रदेश	35	2	0	0	37	11
असम	538	6	2	0	546	78
बिहार	564	280	9	28	881	150
चण्डीगढ़	25	0	0	0	25	7
छत्तीसगढ़	738	22	0	3	763	71
दादरा और नगर हवेली	8	0	0	1	9	2
दमन और द्वीव	10	0	0	0	10	2
दिल्ली	111	72	1	6	190	110
गोवा	56	1	2	8	67	11
गुजरात	2158	280	28	69	2535	330
हरियाणा	1015	31	0	1	1047	225
हिमाचल प्रदेश	329	7	1	7	344	81
जम्मू और कश्मीर	268	25	10	1	305	105
झारखण्ड	237	76	2	0	315	77
कर्नाटक	3610	110	36	56	3812	1293
केरल	1300	49	4	56	1409	438
लक्षद्वीप	0	0	3	0	3	-
मध्य प्रदेश	2166	63	3	733	2965	339
महाराष्ट्र	4264	160	5	142	4571	2260
मणिपुर	89	3	0	0	92	21
मेघालय	60	3	2	3	68	20
मिजोरम	29	3	0	0	32	15
नागालैण्ड	66	1	0	2	69	16
ओड़ीशा	1035	42	3	2	1082	372
पुदुचेरी	75	8	2	0	85	14
पंजाब	1010	63	18	1	1092	398
राजस्थान	3134	29		75	3238	484
सिक्किम	18	9	20	0	29	7
तमिलनाडु	2373	135	12		2520	918
तेलंगाना	1972	21	8	4	2005	503
त्रिपुरा	51	1	1	0	53	9
उत्तरप्रदेश	7072	56	11	45	7184	920
उत्तराखण्ड	422	24	3	3	452	161
पश्चिम बंगाल	1325	53	5	15	1398	456
कुल	38787	1702	183	1263	41935	10725

*वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई पोर्टल के अनुसार संस्थानों की सूची

रेखाचित्र 2.2(ii) (क): वर्ष 2018-19 के दौरान महाविद्यालयों / संस्थानों की राज्यवार संख्या



महाविद्यालयों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश उसके पश्चात् महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में रही।

***स्टैण्डालोन संस्थान** (विश्वविद्यालय से असंबद्ध) ऐसे संस्थान होते हैं जो डिग्री प्रदान करने हेतु सशक्त नहीं होते हैं और इसलिए वे डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम चलाते हैं। इस प्रकार के पांच संस्थानों को कवर किया गया है। वे हैं: तकनीकी जैसे बहुकला संस्थान (गुजरात और छत्तीसगढ़ में बहुकला संस्थानों को विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया है इसलिए, उन्हें स्टैण्डालोन संस्थानों के रूप में नहीं गिना गया है)। इन दो राज्य में बहुकला संस्थानों को महाविद्यालयों में सम्मिलित किया गया है (2) एआईसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (3) शिक्षक प्रशिक्षण जैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। (4) भारतीय परिचर्या महाविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त परिचर्या संस्थान। (5) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन संस्थान। एआईएसएचई के पोर्टल पर सूचीबद्ध देश में कुल 10,725 स्टैण्डालोन संस्थान हैं। स्टैण्डालोन संस्थानों में अनेक पाठ्यक्रमों में सूचीबद्ध 21,47,584 छात्रों में से लगभग 66.61 प्रतिशत पुरुष और 33.39 प्रतिशत महिलाएं हैं। स्टैण्डालोन संस्थानों को मुख्यतः निजी क्षेत्र द्वारा चलाया जाता है (75.47 प्रतिशत) (निजी गैर-सहायता प्राप्त – 66.04 प्रतिशत और निजी सहायताप्राप्त – 9.43 प्रतिशत), केवल 24.53 प्रतिशत संस्थान ही सरकारी क्षेत्र में हैं। 55.9 प्रतिशत संस्थान ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हैं (स्रोत वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

तालिका 2.2(ii) (ख): विशेषज्ञतावार महाविद्यालयों की संख्या (वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई की वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर)

विशेषज्ञता	महाविद्यालयों की संख्या	विशेषज्ञता	महाविद्यालयों की संख्या
सामान्य	25430	आयुर्वेद चिकित्सा	218
कृषि	298	दंत चिकित्सा	212
वास्तुकला	170	होम्योपैथी चिकित्सा	116
कला	865	अन्य चिकित्सा	155
वाणिज्य	295	परिचर्या	1163
कम्प्यूटर अनुप्रयोग	252	ओरियेन्टल शिक्षा	71
शिक्षा / अध्यापक शिक्षा	2912	अर्ध चिकित्सा	118
अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी	2231	भेषजी	679
ललित कला	117	भौतिक चिकित्सा	158
मत्स्य उद्योग	23	संस्कृत	281
गृह विज्ञान	17	विज्ञान	254

विशेषज्ञता	महाविद्यालयों की संख्या	विशेषज्ञता	महाविद्यालयों की संख्या
होटल और पर्यटन प्रबंधन	82	समाज कार्य	47
पत्रकारिता और जनसंचार	10	खेलकूद / योग / शारीरिक चिकित्सा	101
विधि	589	पशु चिकित्सा विज्ञान	52
प्रबंधन	671	अन्य	305
एलोपैथी चिकित्सा	287	कुल	38179

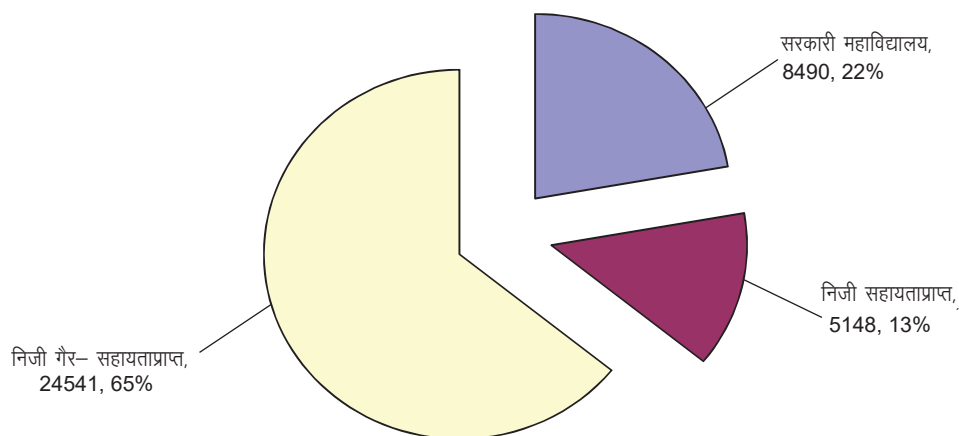
2.2(ii) (ग): संबद्ध तथा संघटक महाविद्यालय

- देश में महाविद्यालयों की सबसे अधिक संख्या वाले 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं जिनमें प्रति लाख जनसंख्या पर 28 और अधिक महाविद्यालय हैं।
- 60.53 प्रतिशत महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं।
- केवल 2.5 प्रतिशत महाविद्यालय पी.एच.डी. कार्यक्रम चलाते हैं और 34.9 प्रतिशत महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम चलाते हैं।
- देश में 77.8 प्रतिशत महाविद्यालयों का निजी प्रबंधन है; जिसमें से 64.3 प्रतिशत का निजी गैर- सहायताप्राप्त महाविद्यालय हैं तथा 13.5 प्रतिशत महाविद्यालय, निजी सहायताप्राप्त हैं। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 88 प्रतिशत निजी गैर-सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं और तमिलनाडु में 87 प्रतिशत निजी गैर-सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं, जबकि असम में 16 प्रतिशत निजी गैर-सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं।
- 16.3 प्रतिशत महाविद्यालयों में 100 से कम का नामांकन है और केवल 4 प्रतिशत महाविद्यालयों में 3000 से अधिक का नामांकन है।
- महाविद्यालय घनत्व, अर्थात् प्रति लाख पात्र जनसंख्या (18 से 23 आयु वर्ग की जनसंख्या) पर महाविद्यालयों की संख्या, जोकि अखिल भारतीय 28 के औसत की तुलना में बिहार में 7 है और कर्नाटक में 53 महाविद्यालय है।

तालिका 2.2(ii) (ग): वर्ष 2010-11 से 2018-19 के दौरान महाविद्यालयों (संबद्ध / संघटक) की वर्ष-वार संख्या

रेखाचित्र 2.2(ii) (ग): वर्ष 2018-19 के दौरान महाविद्यालयों का प्रबंधन-वार संवितरण

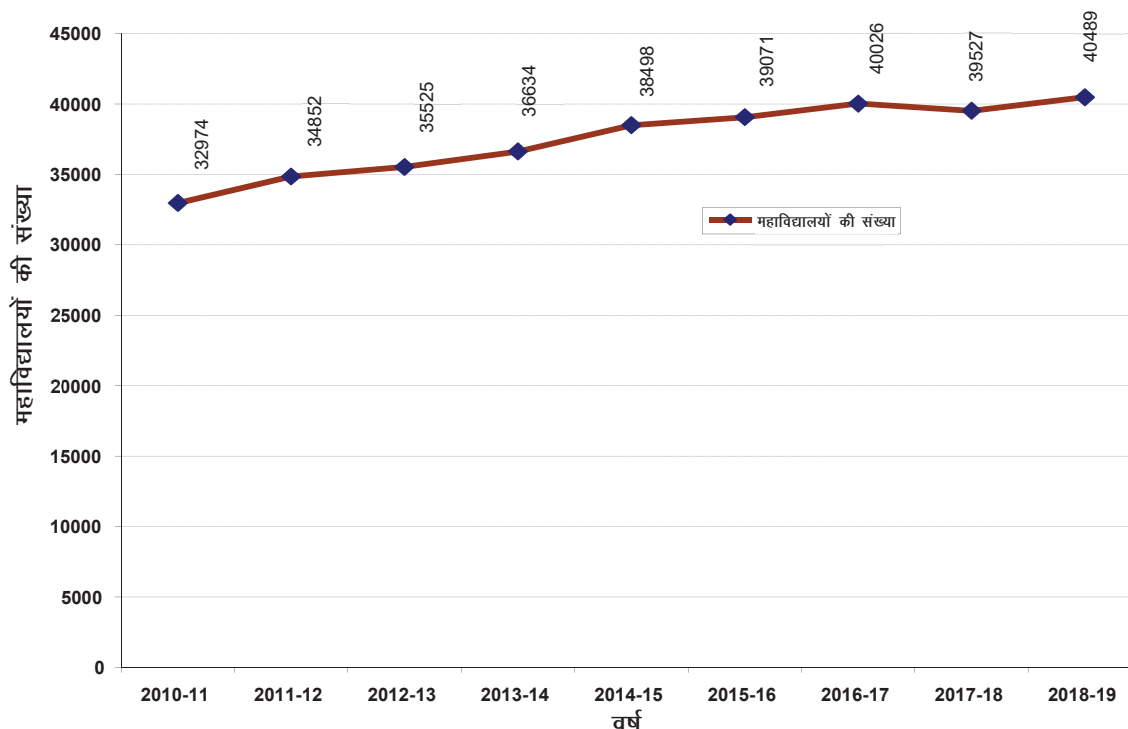
(वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई की वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर)



वर्ष	महाविद्यालयों की संख्या
2010-11	32974
2011-12	34852
2012-13	35525
2013-14	36634
2014-15	38498
2015-16	39071
2016-17	40026
2017-18	39527
2018-19	40489*

*वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई पोर्टल

रेखाचित्र 2.2(ii) (ग): वर्ष 2010-11 से 2018-19 के दौरान महाविद्यालयों की वर्ष-वार संख्या



2.2 (ii) (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत महाविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के संबंध में विनियमों को अधिसूचित किया है। जब भी महाविद्यालय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो विनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप उपर्युक्त पाए जाने पर इन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया जाता है।

महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत सम्मिलित किए जाने के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों की शर्तों के अनुरूप धारा 12ख के तहत महाविद्यालयों को सम्मिलित करता है। इससे महाविद्यालय, भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता अथवा केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हो जाता है।

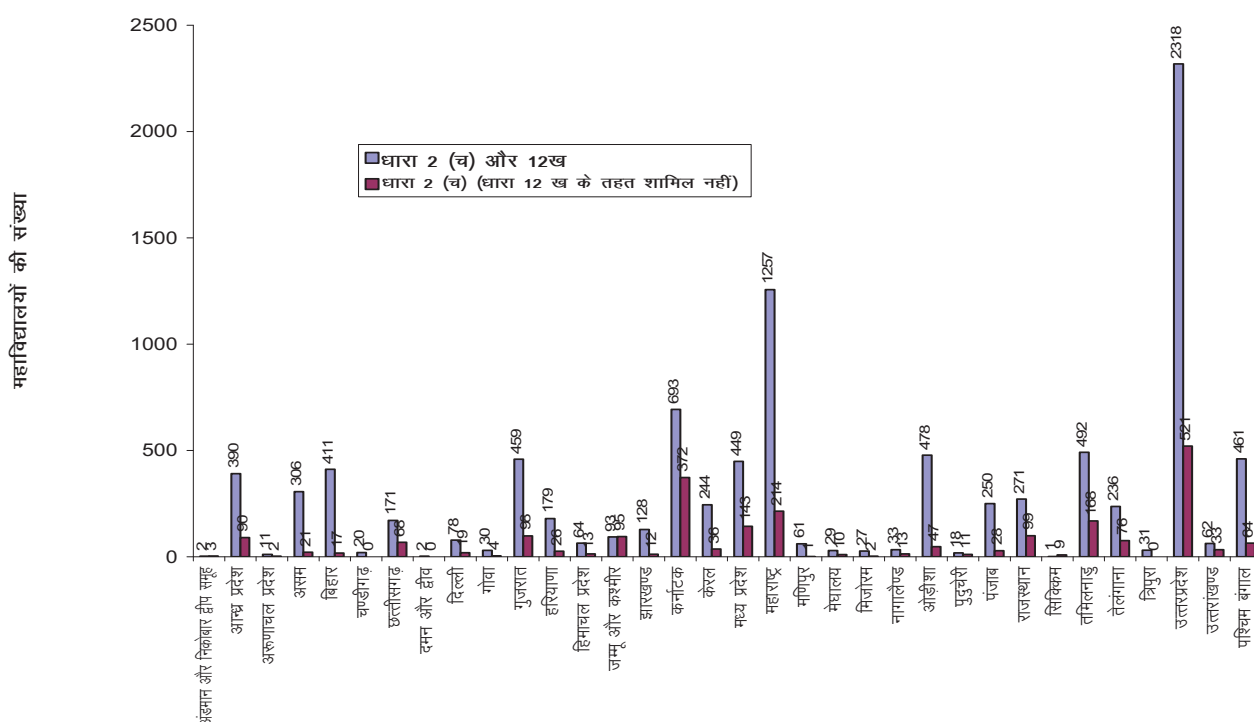
दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत सम्मिलित कुल मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों की संख्या पिछले वर्ष के 11515 (धारा 2(च) के तहत 2153 महाविद्यालय तथा धारा 12(ख) के तहत 9362 महाविद्यालय) की तुलना में 12070 (धारा 2(च) के तहत 2315 महाविद्यालय तथा धारा 12(ख) के तहत 9755) थी।

तालिका 2.2 (ii) (घ): वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख के तहत महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या

राज्य	महाविद्यालयों की संख्या		
	2(च) और 12(ख)	केवल धारा 2(च) के अन्तर्गत सम्मिलित (धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित नहीं)	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	3	5
आन्ध्र प्रदेश	390	90	480
अरुणाचल प्रदेश	11	2	13
असम	306	21	327
बिहार	411	17	428
चण्डीगढ़	20	0	20
छत्तीसगढ़	171	68	239
दमन और दीव	2	0	2
दिल्ली	78	19	97
गोवा	30	4	34

राज्य	महाविद्यालयों की संख्या		
	2(च) और 12(ख)	केवल धारा 2(च) के अन्तर्गत सम्मिलित (धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित नहीं)	कुल
गुजरात	459	98	557
हरियाणा	179	26	205
हिमाचल प्रदेश	64	13	77
जम्मू और कश्मीर	93	95	188
झारखण्ड	128	12	140
कर्नाटक	693	372	1065
केरल	244	36	280
मध्य प्रदेश	449	143	592
महाराष्ट्र	1257	214	1471
मणिपुर	61	1	62
मेघालय	29	10	39
मिजोरम	27	2	29
नागालैण्ड	33	13	46
ओड़ीशा	478	47	525
पुदुचेरी	18	11	29
पंजाब	250	28	278
राजस्थान	271	99	370
सिक्किम	1	9	10
तमिलनाडु	492	168	660
तेलंगाना	236	76	312
त्रिपुरा	31	0	31
उत्तरप्रदेश	2318	521	2839
उत्तराखण्ड	62	33	95
पश्चिम बंगाल	461	64	525
कुल	9755	2315	12070

रेखाचित्र 2.2 (ii) (घ): 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख तथा केवल धारा 2 (च) के तहत सम्मिलित महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या



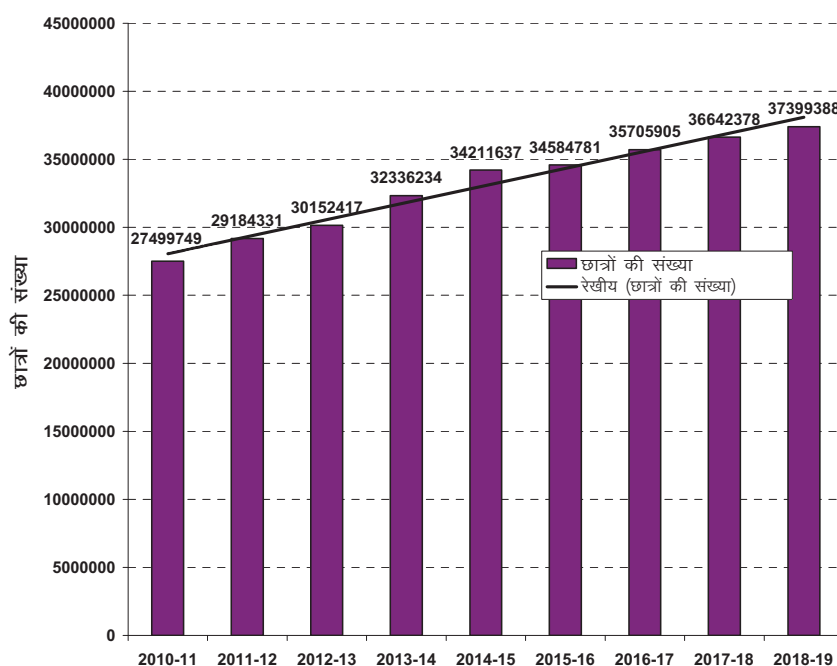
2.3 छात्र नामांकन

शिक्षा वर्ष 2018-19 के दौरान समस्त विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ उच्चतर शिक्षा के 'स्टैण्डालोन संस्थानों' में सभी स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों (नियमित और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों) में 373.99 लाख छात्र नामांकित थे।

तालिका 2.3 (i) (क) : वर्ष 2010-11 से 2018-19 के दौरान छात्र नामांकन में संपूर्ण भारत में हुई वृद्धि

वर्ष	कुल नामांकन	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत के संदर्भ में हुई वृद्धि
2010-11	27499749		
2011-12	29184331	1684582	6.13 प्रतिशत
2012-13	30152417	968086	3.32 प्रतिशत
2013-14	32336234	2183817	7.24 प्रतिशत
2014-15	34211637	1875403	5.80 प्रतिशत
2015-16	34584781	373144	1.09 प्रतिशत
2016-17	35705905	1121124	3.24 प्रतिशत
2017-18	36642378	936473	2.62 प्रतिशत
2018-19	37399388	757010	2.07 प्रतिशत

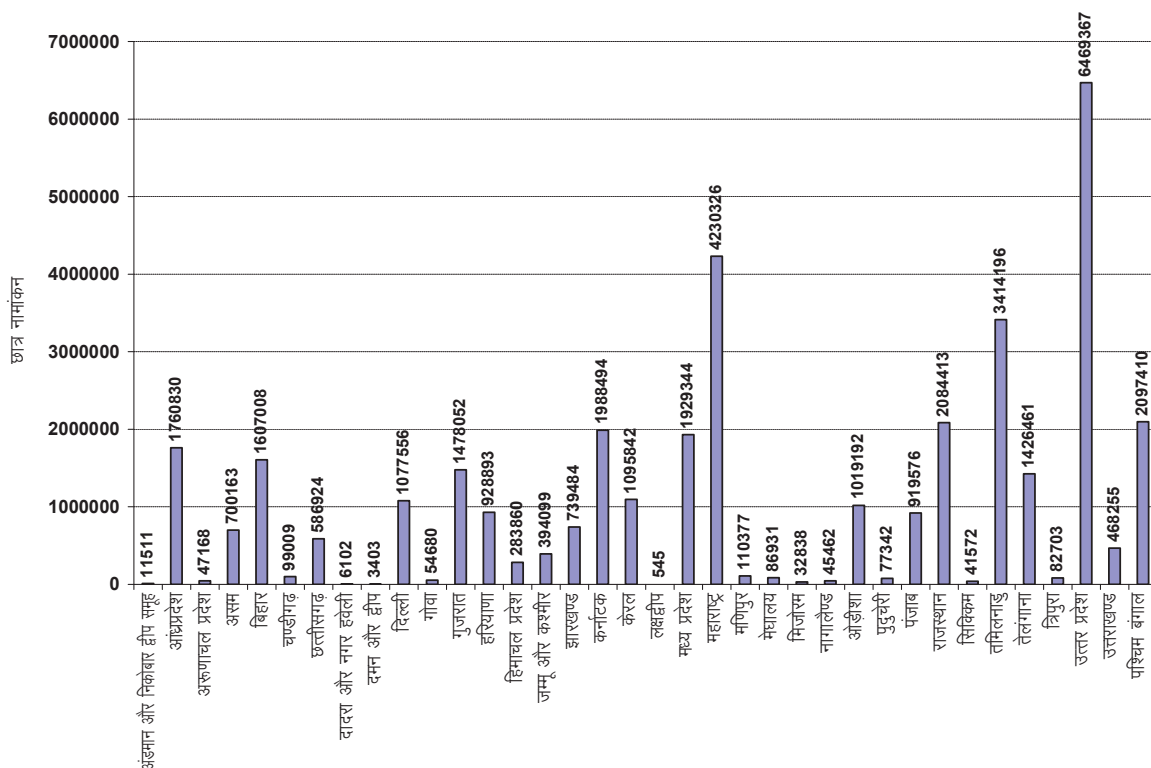
रेखाचित्र 2.3 (i) : वर्ष 2010-11 से 2018-19 के दौरान छात्र नामांकन (उच्चतर शिक्षा) में हुई वर्षवार वृद्धि



कवरेज: उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ स्टैण्डालोन संस्थानों में छात्रों के नामांकन के आंकड़ें नियमित पाठ्यक्रमों और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित हैं। (वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

373.99 लाख छात्रों में से 181.90 लाख महिला छात्र हैं जो कि इस संपूर्ण संख्या का 48.64 प्रतिशत हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल छात्र नामांकन और महिला छात्राओं के नामांकन के तुलनात्मक रुझान को तालिका 2.3 (i) (ख) में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र 2.3 (i) (ख): वर्ष 2018-19 के लिए उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का राज्यवार नामांकन



सर्वाधिक कुल छात्र नामांकन के संदर्भ में सर्वोच्च छह राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राजस्थान तथा कर्नाटक हैं। यह नोट करना रुचिकर होगा कि सर्वाधिक छात्र नामांकन वाले छह राज्यों में देशभर में नामांकित कुल छात्रों के लगभग 54.23 प्रतिशत छात्र हैं। शेष 30 राज्य (संघ राज्य क्षेत्रों सहित) में कुल छात्र नामांकन के केवल 45.76 प्रतिशत छात्र हैं। इस प्रकार, अनिवार्य रूप से इन छह राज्यों में महिला छात्र नामांकन कुल महिला नामांकन का लगभग 54.43 प्रतिशत है और इन छह राज्यों में नामांकित पुरुष छात्र देशभर में कुल पुरुष छात्र का 54.05 प्रतिशत हैं।

2.3 (i)(ग): स्तर-वार छात्र नामांकन

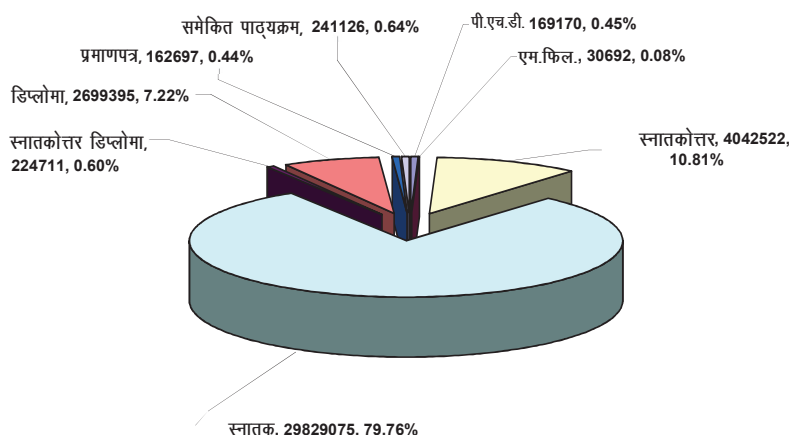
तालिका 2.3 (i)(ग)(i): वर्ष 2018-19 के दौरान उच्चतर शिक्षा में स्तर-वार छात्र नामांकन* (नियमित और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम):

स्तर	पुरुष	महिला	कुल	कुल का प्रतिशत
पी.एच.डी.	95043	74127	169170	0.45
एम.फिल.	11623	19069	30692	0.08
स्नातकोत्तर	1761330	2281192	4042522	10.81
स्नातक	15203346	14625729	29829075	79.76
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	121555	103156	224711	0.60
डिप्लोमा	1803208	896187	2699395	7.22
प्रमाणपत्र	75127	87570	162697	0.44
समेकित पाठ्यक्रम	138656	102470	241126	0.64
कुल	19209888	18189500	37399388	100.00

नोट: वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट स्रोत है

*विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ 'ऑफ कैम्पस' केन्द्र/ मान्यताप्राप्त केन्द्र/ स्टैण्डालोन संस्थान

रेखाचित्र 2.3(i)(ग)(i) : वर्ष 2018-19 के दौरान उच्चतर शिक्षा में स्तर-वार छात्र नामांकन*
(नियमित तथा दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम):



छात्र नामांकन: शिक्षा वर्ष 2018-19 के दौरान उच्चतर शिक्षा (नियमित और दूरस्थ) कार्यक्रमों में नामांकन की स्थिति से पता चलता है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में स्नातकपूर्व स्तर पर विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक छात्रों का नामांकन हुआ था। 3,73,99,338 छात्रों के कुल नामांकन में से, इसका एक बड़ा भाग अर्थात् 2,98,29,075 छात्र जोकि 79.8 प्रतिशत हैं, स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं। वहीं दूसरी ओर, स्नातकपूर्व के पश्चात्, 10.8 प्रतिशत छात्र, जोकि लगभग 40.42 लाख हैं, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं। देश में नामांकित छात्रों का बहुत ही कम भाग अर्थात् 7.2 प्रतिशत छात्र, जोकि लगभग 26.99 लाख छात्र हैं, डिप्लोमा स्तर पर नामांकित हैं और इसमें से बड़ी संख्या में छात्र अध्यापक प्रशिक्षण, नर्सिंग और तकनीकी विधाओं में नामांकित हैं। तथापि, इसमें से बहुत की कम भाग अर्थात् 1.62 और 2.24 लाख छात्र क्रमशः प्रमाणपत्र और स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तरों पर नामांकित हैं, जोकि प्रत्येक स्तर पर कुल भाग का लगभग 0.44 और 0.60 प्रतिशत बनता है।

लिंग संवितरण: यह देखा जा सकता है कि एम.फिल., स्नातकोत्तर और प्रमाणपत्र के अलावा लगभग सभी स्तरों पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात अधिक है। स्नातकपूर्व स्तर पर छात्र नामांकन 51 प्रतिशत पुरुष छात्र और 49 प्रतिशत महिला छात्रों का रहा है। डिप्लोमा स्तर पर 66.8 प्रतिशत पुरुष छात्र और 33.2 प्रतिशत महिला छात्रों के साथ विषम रहा है। पी.एच.डी. स्तर पर 56.18 प्रतिशत और 43.82 प्रतिशत महिला छात्र नामांकित हैं। समेकित स्तरों पर 57.50 प्रतिशत पुरुष छात्र और 42.50 प्रतिशत महिला छात्र हैं। स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर पर पुरुष नामांकन 54.09 प्रतिशत और महिलाओं का नामांकन 45.91 प्रतिशत रहा है।

कार्यक्रम-वार नामांकन (वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर): कार्यक्रम के संबंध में, कुल 10 कार्यक्रम, जिनमें अपेक्षाकृत अधिक नामांकन है, छात्रों के संकेन्द्रण का पता लगाने के लिए अध्ययन किया गया। कला स्नातक (बी.ए.) जिसमें 93.49 लाख छात्रों का नामांकन है, जोकि सबसे अधिक नामांकन है, इनमें से 46.96 प्रतिशत पुरुष छात्र और 53.04 प्रतिशत महिला छात्र हैं।

विज्ञान स्नातक (बी.एससी.) विषय में कुल 46.80 लाख छात्रों का नामांकन है और उनमें से 48.3 प्रतिशत पुरुष छात्र और 53.04 प्रतिशत महिला छात्र हैं। वाणिज्य स्नातक में विषय में कुल 40.30 लाख छात्रों का नामांकन है और इनमें से 51.2 प्रतिशत पुरुष छात्र और 48.8 प्रतिशत महिला छात्र हैं। प्रौद्योगिकी स्नातक विषय में विषय में कुल 21.25 लाख छात्रों का नामांकन है और जिनमें से 72 प्रतिशत पुरुष छात्र और 28 प्रतिशत महिला छात्र हैं। अभियांत्रिकी स्नातक (बी.ई.) में कुल 16.45 लाख छात्रों का नामांकन है और उनमें से 71.14 प्रतिशत पुरुष श्रेणी से हैं। कला निष्णात में कुल 15.12 लाख छात्रों का नामांकन है और इनमें से 61.78 प्रतिशत महिला छात्र हैं। कला स्नातक (प्रवीण) में कुल 16.39 लाख छात्रों का नामांकन है और इनमें से 44.79 प्रतिशत पुरुष छात्र और 55.21 प्रतिशत महिला छात्र हैं। बी.एड. पाठ्यक्रम में कुल 12.23 लाख छात्रों का नामांकन है और उनमें से 66.39 प्रतिशत महिला छात्र हैं। एमबीए में कुल 5.88 लाख छात्रों का नामांकन है और इनमें से 58.33 प्रतिशत पुरुष छात्र हैं। विज्ञान स्नातक (प्रवीण) में विषय में कुल 5.83 लाख छात्रों का नामांकन है और इनमें से 55.90 प्रतिशत पुरुष छात्र हैं। (वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

विधा/ विषयवार नामांकन (वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर): सर्वाधिक संख्या में छात्रों का नामांकन कला पाठ्यक्रम में था। कला पाठ्यक्रम में कुल 93.99 लाख छात्रों का नामांकन है जिसमें से 46.96 प्रतिशत पुरुष और 53.03 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसके पश्चात् विज्ञान दूसरी सबसे बड़ी विधा है जिसमें 47.13 छात्र नामांकित हैं जिसमें से 49 प्रतिशत पुरुष और 51 प्रतिशत महिलाएं हैं। 40.3 लाख छात्रों के नामांकन के साथ वाणिज्य तीसरी सबसे बड़ी विधा है। वाणिज्य पाठ्यक्रम कुल 51.2 प्रतिशत पुरुष छात्रों

का नामांकन है जबकि महिला नामांकन 48.8 प्रतिशत है। 38.52 लाख छात्रों के साथ अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी चौथा सबसे बड़ा विषय है। अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में पुरुष छात्रों की हिस्सेदारी 71.1 प्रतिशत है जबकि महिला छात्रों का नामांकन 28.9 प्रतिशत है। चिकित्सा विज्ञान विषय में स्थिति भिन्न है जहां महिला छात्रों का नामांकन अधिक है, जहां कुल 11.96 लाख छात्रों में से महिला छात्रों की हिस्सेदारी 7.25 लाख है। प्रबंधन विषय में 6.5 लाख छात्र नामांकित हैं, जिसमें से 4.05 लाख पुरुष छात्र हैं। विधि विषय में 3.98 लाख छात्रों का नामांकन है जिसमें से 2.64 लाख पुरुष हैं। (वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

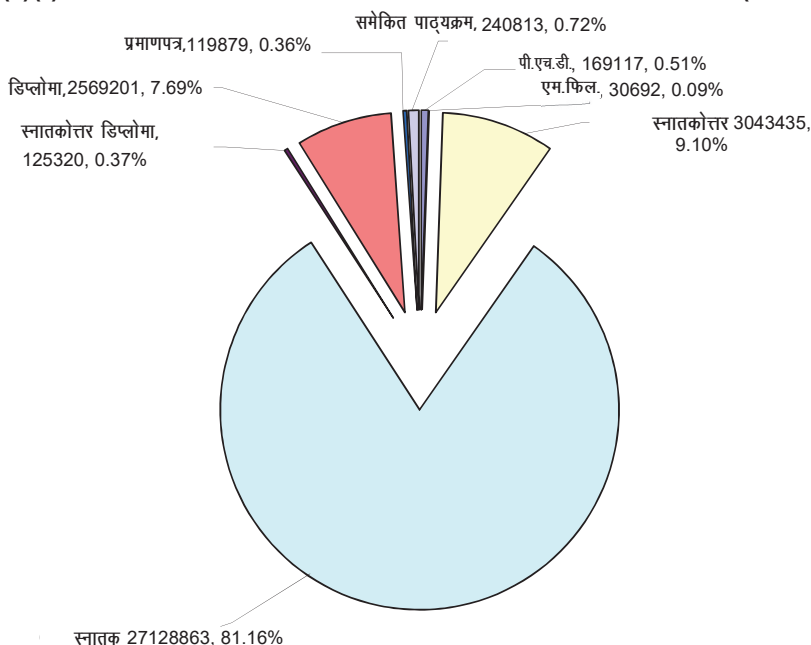
तालिका 2.3 (i)(ग)(ii) : वर्ष 2018-19 के दौरान उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में स्तर-वार छात्र नामांकन* (नियमित पाठ्यक्रम):

2.3(i)(ग)(ii) : शिक्षा वर्ष 2018-19 के दौरान उच्चतर शिक्षा (नियमित पाठ्यक्रम) में कुल 334.27 लाख छात्रों का नामांकन रहा है, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर कुल छात्रों का नामांकन क्रमशः 271.29 लाख और 334.27 लाख छात्र रहा है। शोध पाठ्यक्रमों (एम0फिल0/ पी.एच.डी.) में छात्रों का नामांकन 0.60 प्रतिशत रहा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में 8.42 प्रतिशत छात्र नामांकन रहा है। समेकित पाठ्यक्रमों में 0.72 प्रतिशत छात्र नामांकन रहा है।

तालिका 2.3(i)(ग)(ii): वर्ष 2018-19 के दौरान उच्चतर शिक्षा में स्तर-वार छात्र नामांकन* (नियमित पाठ्यक्रम):

स्तर	पुरुष	महिला	कुल	कुल का प्रतिशत
पी.एच.डी.	95015	74102	169117	0.51 प्रतिशत
एम.फिल.	11623	19069	30692	0.09
स्नातकोत्तर	1306690	1736745	3043435	9.10
स्नातक	13586745	13542118	27128863	81.16
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	64495	60825	125320	0.37
डिप्लोमा	1732260	836941	2569201	7.69
प्रमाणपत्र	55074	64805	119879	0.36
समेकित पाठ्यक्रम	138422	102391	240813	0.72
कुल	16990324	16436996	33427320	100.00

रेखाचित्र 2.3 (i)(ग)(ii) : वर्ष 2018-19 के दौरान उच्चतर शिक्षा में स्तर-वार छात्र नामांकन* (नियमित पाठ्यक्रम):



2.3(i)(घ) : दूरस्थ शिक्षा पद्धति में नामांकन

दूरस्थ शिक्षा बड़ी संख्या में छात्रों के लिए उपाधियां प्राप्त करने की एक उपयोगी पद्धति बन गई है जोकि दूरदराज और सुदूर के क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं और जिनके लिए नियमित आधार पर विश्वविद्यालय में पहुंच अभी भी एक स्वप्न ही है। दूरस्थ नामांकन उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन का 10.62 प्रतिशत है जिसमें से 44.12 प्रतिशत महिला छात्र हैं।

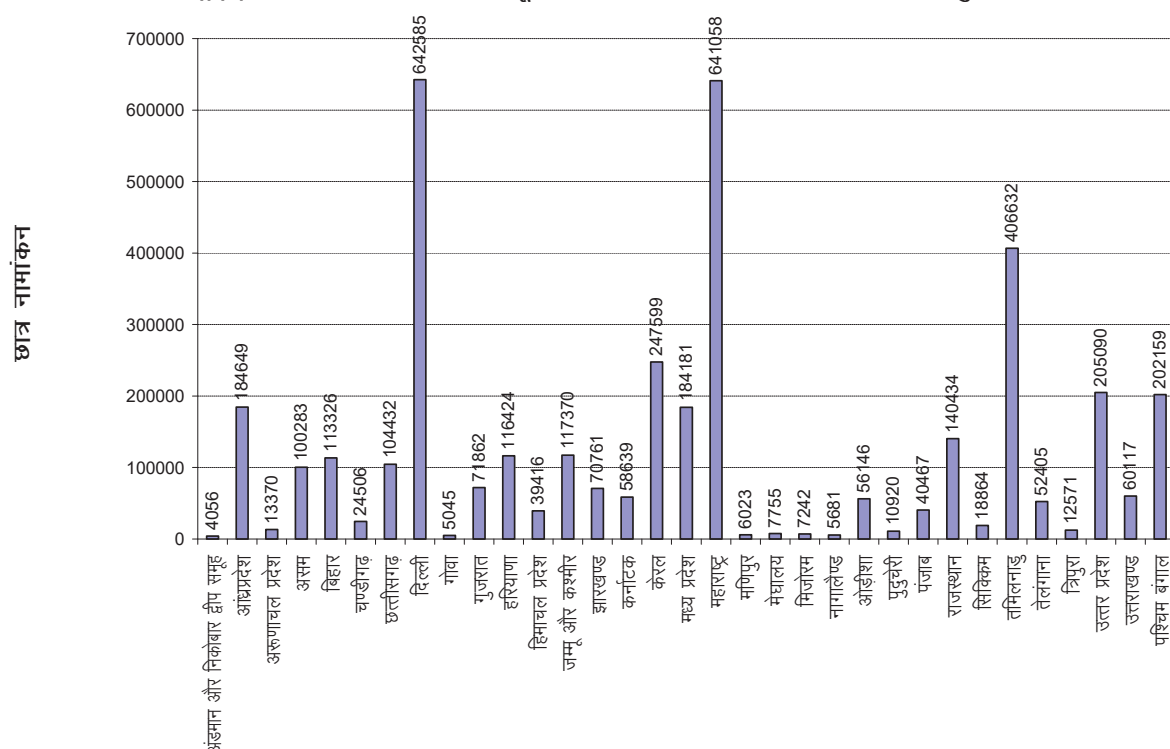
राज्यवार भिन्नता को देखते हुए, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययन जारी रखने वाले कुल छात्रों की संख्या में से, 6 राज्य 59.04 प्रतिशत छात्रों को शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। यह राज्य हैं- दिल्ली 16.2 प्रतिशत, महाराष्ट्र 16.1 प्रतिशत, तमिलनाडु 10.2 प्रतिशत, केरल 6.2 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 5.2 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल 5.1 प्रतिशत।

तालिका 2.3 (i)(ग) : वर्ष 2018-19 के दौरान दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से राज्यवार कुल छात्र नामांकन

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2033	2023	4056
2	आंध्रप्रदेश	108623	76026	184649
3	अरुणाचल प्रदेश	5644	7726	13370
4	असम	53699	46584	100283
5	बिहार	68580	44746	113326
6	चण्डीगढ़	14170	10336	24506
7	छत्तीसगढ़	59033	45399	104432
8	दिल्ली	333956	308629	642585
9	गोवा	2791	2254	5045
10	गुजरात	40252	31610	71862
11	हरियाणा	69425	46999	116424
12	हिमाचल प्रदेश	20250	19166	39416
13	जम्मू और कश्मीर	64482	52888	117370
14	झारखण्ड	41844	28917	70761
15	कर्नाटक	28777	29862	58639
16	केरल	111968	135631	247599
17	मध्य प्रदेश	115480	68701	184181
18	महाराष्ट्र	415912	225146	641058
19	मणिपुर	3310	2713	6023
20	मेघालय	3342	4413	7755
21	मिजोरम	3332	3910	7242
22	नागालैण्ड	3223	2458	5681
23	ओड़ीशा	28718	27428	56146
24	पुदुचेरी	5587	5333	10920
25	पंजाब	23380	17087	40467
26	राजस्थान	91862	48572	140434
27	सिक्किम	10861	8003	18864
28	तमिलनाडु	199454	207178	406632
29	तेलंगाना	24970	27435	52405
30	त्रिपुरा	6839	5732	12571
31	उत्तर प्रदेश	124774	80316	205090
32	उत्तराखण्ड	29964	30153	60117
33	पश्चिम बंगाल	103029	99130	202159
	कुल	2219564	1752504	3972068

(स्रोत: एआईएसएचई की रिपोर्ट : वर्ष 2017-18)

रेखाचित्र 2.3 (i)(घ) : वर्ष 2018-19 के दौरान दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यवार कुल छात्र नामांकन



तालिका 2.3 (i)(घ)(i) : वर्ष 2018-19 के दौरान दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में छात्र नामांकन का स्तरवार संवितरण

स्तर	दूरस्थ शिक्षा में नामांकन		
	पुरुष	महिला	कुल
पी.एच.डी.	28	25	53
स्नातकोत्तर	454640	544447	999087
स्नातकपूर्व	1616601	1083611	2700212
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	57060	42331	99391
डिप्लोमा	70948	59246	130194
प्रमाणपत्र	20053	22765	42818
समेकित	234	79	313
सभी	2219564	1752504	3972068

वर्ष 2018-19 की एआईएसएचई रिपोर्ट

तालिका 2.3(i)(ङ) : वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्तरवार छात्र नामांकन

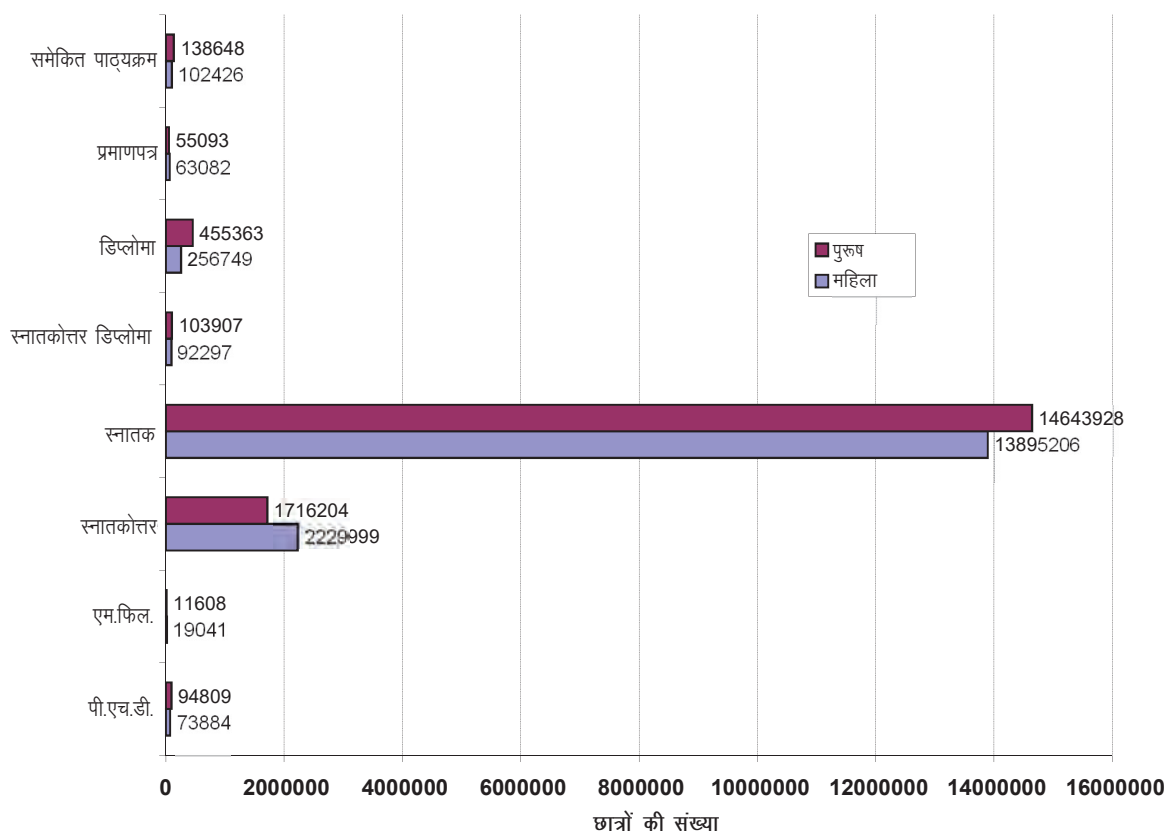
स्तर	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/ संघटक इकाई/ ऑफ कैम्पस केन्द्र*		संबद्ध महाविद्यालय और संघटक महाविद्यालय प्रतिशत		कुल और कुल का प्रतिशत	
	कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला
पी.एच.डी.	146473	62513	22220	11371	1686930 0.50 प्रतिशत	73884 0.44 प्रतिशत
एम.फिल.	18649	10799	12000	8242	30649 0.09 प्रतिशत	19041 0.11 प्रतिशत
स्नातकोत्तर	1889491	997794	2056712	1232205	3946203 11.62 प्रतिशत	2229999 13.33 प्रतिशत
स्नातक	4827633	1898976	23711501	11996230	28539134 84.05 प्रतिशत	13895206 83.04 प्रतिशत

स्तर	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग / संघटक इकाई / ऑफ कैम्पस केन्द्र*		संबद्ध महाविद्यालय और संघटक महाविद्यालय प्रतिशत		कुल और कुल का प्रतिशत	
	कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	150131	67497	46073	24800	196204 0.58 प्रतिशत	92297 0.55 प्रतिशत
डिप्लोमा	262997	93413	449115	163336	712112 2.10 प्रतिशत	256749 1.53 प्रतिशत
प्रमाणपत्र	59291	29173	58884	33909	118175 0.35 प्रतिशत	63082 0.37 प्रतिशत
समेकित पाठ्यक्रम	132130	54612	108944	47814	241074 0.71 प्रतिशत	102426 0.61 प्रतिशत
कुल	7486795	3214777	26465449	13517907	33952244 100.00	16732684 100.00

* विश्वविद्यालय विभाग के तहत किया गया दूरस्थ शिक्षा नामांकन

नोट: जानकारी प्रतिक्रिया देने वाले 962 विश्वविद्यालयों और 38179 महाविद्यालयों पर आधारित है।

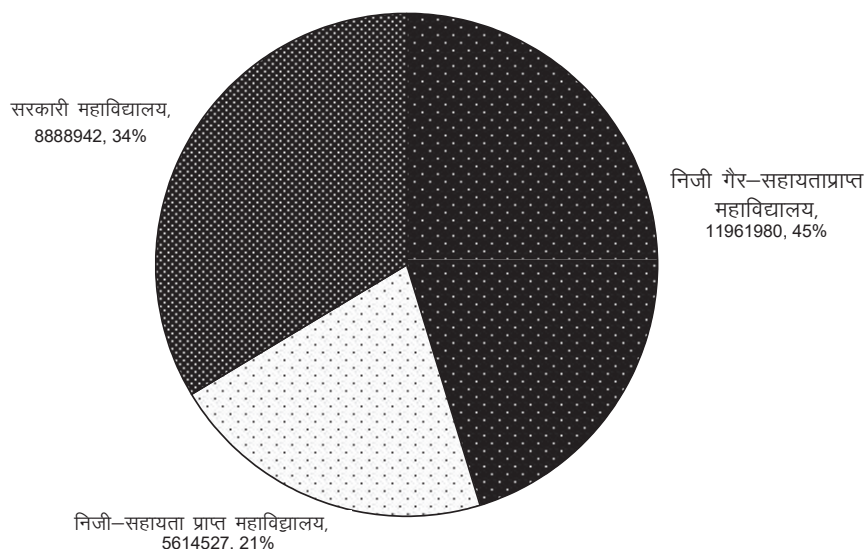
रेखाचित्र 2.3(i)(ड): वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्तरवार, लिंगवार छात्र नामांकन



2.3(i)(च): वर्ष 2018-19 के दौरान संबद्ध और संघटक महाविद्यालयों में छात्र नामांकन

संबद्ध और संघटक महाविद्यालयों में (वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर) कुल 26465449 छात्र नामांकित हैं, जिसमें से 11961980 (45.20 प्रतिशत), 5614527 (21.21 प्रतिशत), 8888942 (33.59 प्रतिशत) क्रमशः निजी-गैर सहायताप्राप्त महाविद्यालय, निजी सहायताप्राप्त महाविद्यालय और सरकारी महाविद्यालय में नामांकित हैं।

रेखाचित्र 2.3(i)(च): वर्ष 2018-19 के दौरान संबद्ध और संघटक महाविद्यालयों में छात्र नामांकन



2.3(i)(छ): विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शोध का विकास

अनुसंधान लगभग सभी विषयों में ज्ञान के मौजूदा स्वरूप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। हालांकि, इसके पारंपरिक चित्रण-वर्णन से पता चलता है कि शोध प्रयोगशालाओं में किया जाता है, वास्तव में यह लगभग सभी विषयों- अंग्रेजी से भौतिकी, स्वास्थ्य विज्ञान से लेकर इतिहास तक, रसायन विज्ञान से लेकर आपराधिक न्याय में किया जाता है। इसके लिए अलग-अलग पद्धतियों का उपयोग होता है, लेकिन इसकी सबसे मौलिक स्तर पर अनुसंधान का अभिप्राय किसी विषय के संबंध में समझ-बूझ में वृद्धि करना है।

शिक्षण और अनुसंधान एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, वे एक दूसरे के पूरक क्रियाकलाप हैं। छात्रों को अनुसंधान में अनुभव प्राप्त करने से काफी लाभ होता है और उन्हें अपनी भागीदारी के फलस्वरूप बेशकीमती व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित होते हैं। शोध कार्य करने वाले संकाय, छात्रों के साथ नवीनतम जानकारीयों सांझा करते हैं तथा उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्र में गहराई से अन्वेषण करने का अवसर प्रदान करते हैं।

रेखाचित्र 2.3 (i)(छ)(i): वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में मुख्य विधावार/विषयवार पी.एच.डी./एम.फिल. में नामांकन*

विषय	छात्र नामांकन					
	पी.एच.डी.			एम.फिल.		
	पुरुष	महिलाएं	कुल	पुरुष	महिलाएं	कुल
कृषि	3586	2470	6056	35	31	66
क्षेत्र अध्ययन	1728	1373	3101	806	1110	1916
वाणिज्य	2445	2906	5351	612	1466	2078
अपराध विज्ञान / न्यायिक विज्ञान	18	26	44		2	2
संस्कृति अध्ययन	185	271	456	97	141	238
रक्षा अध्ययन	61	4	65	154	3	157
डिज़ाइन	75	53	128		1	1
निःशक्तता अध्ययन	1	18	19	2	16	18
शिक्षा	3117	3083	6200	421	818	1239
अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी	28754	13115	41869	3	32	35
फैशन प्रौद्योगिकी	13	51	64		8	8
ललित कला	494	464	958	112	140	252
मत्स्य पालन	165	120	285	3	1	4
विदेशी भाषा	1521	2173	3694	854	1884	2738

विषय	छात्र नामांकन					
	पी.एच.डी.			एम.फिल.		
	पुरुष	महिलाएं	कुल	पुरुष	महिलाएं	कुल
गांधीवादी अध्ययन	35	26	61	24	21	45
गृह विज्ञान	93	811	904	13	63	76
भारतीय भाषा	4023	3993	8016	1511	2199	3710
सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर	1410	1455	2865	293	881	1174
पत्रकारिता और जन संचार	444	352	796	82	68	150
विधि	1314	1232	2546	275	135	410
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान	506	361	867	83	81	164
भाषा विज्ञान	448	465	913	126	232	358
प्रबंध	5425	4546	9971	208	423	631
मेराईन साइंस/ समुद्र विज्ञान	190	255	445	2	20	22
चिकित्सीय विज्ञान	4053	3420	7473	113	256	369
ओरिएंटल शिक्षा	698	346	1044	169	113	282
शारीरिक शिक्षा	769	220	989	272	102	374
धार्मिक अध्ययन	345	231	576	54	33	87
विज्ञान	23178	21524	44702	2368	4953	7321
सामाजिक विज्ञान	8726	7972	16698	2760	3616	6376
सामाजिक कार्य	345	238	583	160	183	343
पशु चिकित्सा विज्ञान	845	481	1326			
महिला अध्ययन	33	72	105	11	37	48
कुल	95043	74127	169170	11623	19069	30692

(स्रोत : वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

*नोट: वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों द्वारा दी गई वास्तविक प्रतिक्रिया पर आधारित।

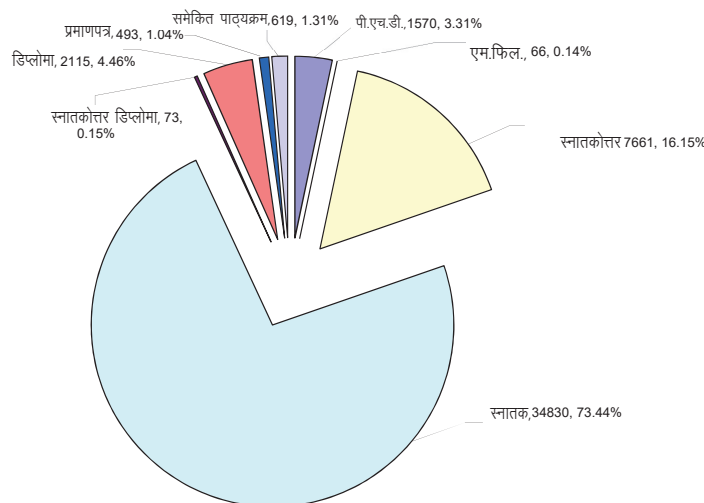
पी.एच.डी. स्तर पर, अधिकांश छात्र विज्ञान विषय (44702 छात्र) में नामांकित हैं जिसके पश्चात् अधिकांश नामांकन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी (41869 छात्र) में हुआ है। कृषि तथा संबद्ध पाठ्यक्रमों में कुल पी.एच.डी. के छात्रों की कुल संख्या 6056 है जिसमें से 59.21 प्रतिशत छात्र पुरुष हैं। वाणिज्य विषय में पी.एच.डी. हेतु 5351 छात्र नामांकित हैं जिसमें से 45.69 प्रतिशत छात्र पुरुष हैं। विदेशी भाषाओं में पी.एच.डी. हेतु 3694 छात्र नामांकित हैं। भारतीय भाषाओं में पी.एच.डी. हेतु 8086 छात्र नामांकित हैं। चिकित्सा विज्ञान में कुल 7473 छात्र पी.एच.डी. कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान विषय में पी.एच.डी. हेतु 16,698 छात्रों ने नामांकन करवाया है।

2.3 (i)(ज): विदेशी छात्र

तालिका 2.3(i)(ज): वर्ष 2018-19 के दौरान स्तरवार विदेशी छात्र नामांकन
(वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट में प्राप्त वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर डॉटाबेस)

स्तर	विदेशी छात्र		
	पुरुष	महिला	कुल
पी.एच.डी.	1201	369	1570
एम.फिल.	56	10	66
स्नातकोत्तर	5352	2309	7661
स्नातक	23376	11454	34830
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	37	36	73
डिप्लोमा	1793	322	2115
प्रमाणपत्र	235	258	493
समेकित पाठ्यक्रम	348	271	619
कुल योग	32398	15029	47427

रेखाचित्र 2.3 (i)(ज): वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्तरवार विदेशी छात्र नामांकन



देश में उच्चतर शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों की कुल संख्या 47,427 हैं। विदेशी छात्र दुनिया भर के 164 विभिन्न देशों से आते हैं। सर्वाधिक छात्र पड़ोसी देशों से आते हैं, कुल विदेशी छात्रों में से नेपाल से कुल 26.8 प्रतिशत, इसके बाद अफगानिस्तान से 9.8 प्रतिशत, बांग्लादेश से 4.38 प्रतिशत, सुडान से 4.02 प्रतिशत, भूटान से 3.82 प्रतिशत, नाइजीरिया से 3.4 प्रतिशत, और संयुक्त राज्य अमेरिका से 3.2 प्रतिशत, यमन से 3.2 प्रतिशत, श्रीलंका से 2.64 प्रतिशत, ईरान से 2.38 प्रतिशत विदेशी छात्र हैं। ऐसे छात्र जहां से बड़ी संख्या में छात्र भारत आते हैं, उनमें नेपाल से महिला छात्रों की तुलना में पुरुष छात्र अधिक हैं। वहीं दूसरी ओर, सुडान से 87.2 प्रतिशत, यमन से 90.9 प्रतिशत और अफगानिस्तान से 87.7 प्रतिशत में पुरुष छात्रों की संख्या काफी अधिक है। जबकि, नेपाल से अधिकतम संख्या में विदेशी छात्र आते हैं, पीएचडी में अधिकतम संख्या में नामांकित छात्र इथोपिया (295) जिसके बाद यमन (149) से हैं। साथ ही, अमेरिका से 1518 छात्र हैं जिसमें से 53.3 प्रतिशत महिला छात्र हैं।

सर्वाधिक संख्या में विदेशी छात्र, स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं अर्थात् कुल विदेशी छात्रों में 73.4 प्रतिशत छात्र जिसके बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लगभग 16.15 प्रतिशत छात्र नामांकित हैं। शेष स्तरों पर नामांकन 10.4 प्रतिशत है। विदेशी पुरुष छात्र लगभग सभी स्तरों पर अधिक हैं।

छात्रों के राज्य-वार संवितरण को देखें तो, कर्नाटक में सबसे अधिक संख्या में विदेशी छात्र हैं, जिनकी संख्या 10023 है। कर्नाटक के अलावा, महाराष्ट्र (5003), पंजाब (4533), उत्तरप्रदेश (4514), तमिलनाडु (4101), हरियाणा (2872), दिल्ली (2141), गुजरात (2068) और तेलंगाना (2877) में 2000 से अधिक विदेशी छात्र रहते हैं।

ऐसे 15 कार्यक्रम हैं जिनमें 1000 से अधिक विदेशी छात्र हैं और जो कुल विदेशी छात्रों का 78.2 प्रतिशत है। शीर्ष पर, बी.टेक. पाठ्यक्रम है 8861 छात्र हैं जिनमें 85 प्रतिशत पुरुष छात्र हैं, जिसके पश्चात् बी.बी.ए. है जिसमें 3354 छात्र हैं जिसमें 71.1 प्रतिशत पुरुष छात्र हैं, बी.एससी. में 3320 छात्र हैं जिसमें 62.9 पुरुष नामांकन है, बी.ए. पाठ्यक्रम में 2226 छात्रों के साथ 49.9 प्रतिशत महिला नामांकन है। बी.ई पाठ्यक्रम में 2576 छात्रों के साथ 85.3 प्रतिशत पुरुष छात्र है। बी.फार्मा. पाठ्यक्रम में 2498 छात्रों के साथ 69.45 प्रतिशत पुरुष छात्र है। बी.सी.ए.पाठ्यक्रम में 1873 विदेशी छात्र नामांकित हैं, जिसमें से 83.02 प्रतिशत पुरुष छात्र है। एम.बी.बी.एस में कुल 1429 छात्रों के साथ 58.92 प्रतिशत महिला छात्र है। नर्सिंग में कुल 1174 नामांकित है जिसमें से 92.16 प्रतिशत महिला छात्र है। पी.एच.डी पाठ्यक्रम में 1560 छात्र हैं जिसमें से 76.6 प्रतिशत पुरुष छात्र है। एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में 1574 छात्र हैं जिसमें से 67.34 प्रतिशत पुरुष छात्र हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए पाठ्यक्रमों में 1486 छात्र नामांकित हैं जिसमें से 67.36 प्रतिशत पुरुष छात्र है। एम.एससी. पाठ्यक्रमों में 1391 छात्रों के नामांकन की जानकारी दी गई है जिसमें से 71.3 प्रतिशत पुरुष छात्र हैं। दंत शल्य चिकित्सा में स्नातक (बी.डी.एस.) पाठ्यक्रमों में कुल 738 छात्र हैं जिसमें से 59.5 प्रतिशत महिला छात्र है, डिप्लोमा कार्यक्रम में 2026 विदेशी छात्रों के नामांकन की जानकारी दी गई है जिसमें से 87.2 प्रतिशत पुरुष छात्र हैं। बी.बी.एम. में कुल 338 छात्र हैं, जिसमें से 67.15 प्रतिशत पुरुष छात्र हैं।

2.4 उत्तीर्ण हुए छात्र/परीक्षा परिणाम

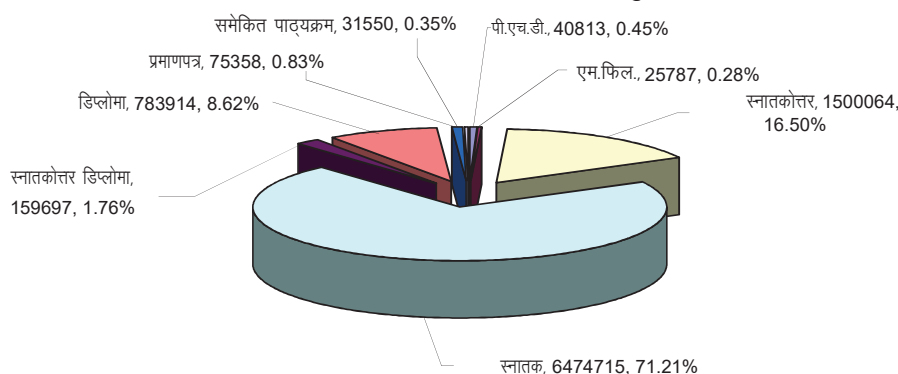
2.4 (i)(क): वर्ष 2018 के दौरान स्तर-वार परिणाम/ उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या

(आंकड़े, वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई रिपोर्ट में वास्तव में प्राप्त प्रतिक्रिया पर आधारित हैं)

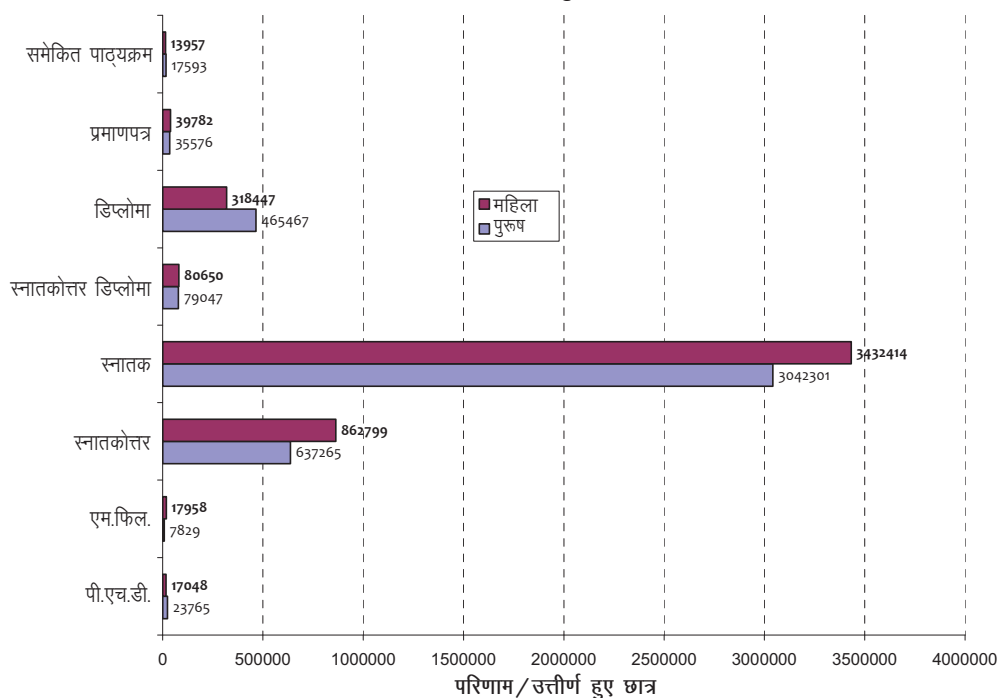
तालिका 2.4 (i)(क): वर्ष 2018 के दौरान स्तर-वार परिणाम/ उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या (विश्वविद्यालय और महाविद्यालय)

स्तर	परिणाम/ उत्तीर्ण हुए छात्र		
	पुरुष	महिला	कुल
पी.एच.डी.	23765	17048	40813
एम.फिल.	7829	17958	25787
स्नातकोत्तर	637265	862799	1500064
स्नातक	3042301	3432414	6474715
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	79047	80650	159697
डिप्लोमा	465467	318447	783914
प्रमाणपत्र	35576	39782	75358
समेकित पाठ्यक्रम	17593	13957	31550
कुल योग	4308843	4783055	9091898

रेखाचित्र 2.4 (i)(क): वर्ष 2018 के दौरान परिणाम/ उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या



रेखाचित्र 2.4 (i)(क): वर्ष 2018 के दौरान परिणाम/ उत्तीर्ण हुए छात्रों की स्तर-वार और लिंग-वार संख्या



सर्वेक्षण में प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार वर्ष 2010 के दौरान, 64.74 लाख छात्र स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और 15.00 लाख छात्र स्नातकोत्तर स्तर से उत्तीर्ण हो चुके हैं। सर्वाधिक संख्या में छात्र कला पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण हुए और कला स्नातक (बी.ए.) की उपाधि 19.9 लाख छात्रों को प्रदान की गई है जो सभी कार्यक्रमों में सर्वाधिक है जिसमें पुरुष छात्रों की संख्या 42.55 प्रतिशत रही। विज्ञान दूसरा बड़ा विषय है जिसमें 10.54 लाख छात्र उत्तीर्ण हुए जिसके पश्चात् वाणिज्य विषय में 9.65 लाख छात्र उत्तीर्ण हुए। अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी से 8.31 लाख छात्र स्नातक हुए हैं। चिकित्सा विज्ञान विषय से 2.26 लाख छात्रों को स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है।

2.4 (i)(क)(i): वर्ष 2018 के दौरान मुख्य विधावार/विषयवार प्रदान की गई पी.एच.डी./एम.फिल. उपाधियां

2.4 (i)(क)(i): मुख्य विधावार/विषयवार प्रदान की गई पी.एच.डी./एम.फिल. उपाधियां

विषय	पी.एच.डी.			एम.फिल.		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
कृषि	3164	1528	4692	6	3	9
क्षेत्र अध्ययन	775	622	1397	444	816	1260
वाणिज्य	817	743	1560	619	1732	2351
अपराध विज्ञान / न्यायिक विज्ञान	4	17	21	2	1	3
संस्कृति अध्ययन	24	36	60	44	76	120
रक्षा अध्ययन	17	3	20	111	1	112
डिजाइन	15	4	19		1	1
निःशक्तता अध्ययन	2		2			
शिक्षा	1159	1062	2221	275	582	857
अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी	4923	2237	7160	7	42	49
फैशन प्रौद्योगिकी	3	14	17		7	7
ललित कला	121	145	266	53	98	151
मत्स्य पालन	39	17	56			
विदेशी भाषा	325	447	772	702	2308	3010
गांधीवादी अध्ययन	16	10	26	22	25	47
गृह विज्ञान	25	273	298	2	34	36
भारतीय भाषा	1055	1021	2076	1084	2249	3333
सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर	235	264	499	349	1626	1975
पत्रकारिता और जन संचार	90	72	162	51	50	101
विधि	214	140	354	10	9	19
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान	90	72	162	24	31	55
भाषा विज्ञान	163	114	277	93	209	302
प्रबंधन	1103	943	2046	163	326	489
मेराईन साइंस/ समुद्र विज्ञान	16	16	32	2	21	23
चिकित्सीय विज्ञान	1002	604	1606	16	71	87
ओरिएंटल शिक्षा	233	103	336	120	109	229
शारीरिक शिक्षा/ योग	251	66	317	191	62	253
धार्मिक अध्ययन	49	27	76	21	25	46
विज्ञान	5393	4630	10023	2051	5507	7558
सामाजिक विज्ञान	2097	1601	3698	1237	1776	3013
सामाजिक कार्य	57	52	109	107	132	239
पशु चिकित्सा विज्ञान	265	141	406			
महिला अध्ययन	23	24	47	23	29	52
कुल योग	23765	17048	40813	17958	17958	25787

वर्ष 2018-19 की एआईएसएचई से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार वर्ष 2018 के दौरान कुल 40813 छात्रों को पी.एच.डी. स्तर की उपाधि प्रदान की गई, जिसमें 23765 पुरुष तथा 17048 महिलाएं थी। तमिलनाडु में सर्वाधिक छात्रों (5844) को पी.एच.डी. स्तर की उपाधि प्रदान की गई जिसके बाद कर्नाटक (5020) तथा उत्तर प्रदेश में (3996) पी.एच.डी. स्तर की उपाधि प्रदान की गई। पी.एच.डी. स्तर पर अधिकतम उपाधियां (10023) विज्ञान विषय में प्रदान की गई जिसके पश्चात् अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में (7160) पी.एच.डी. उपाधियां प्रदान की गई।

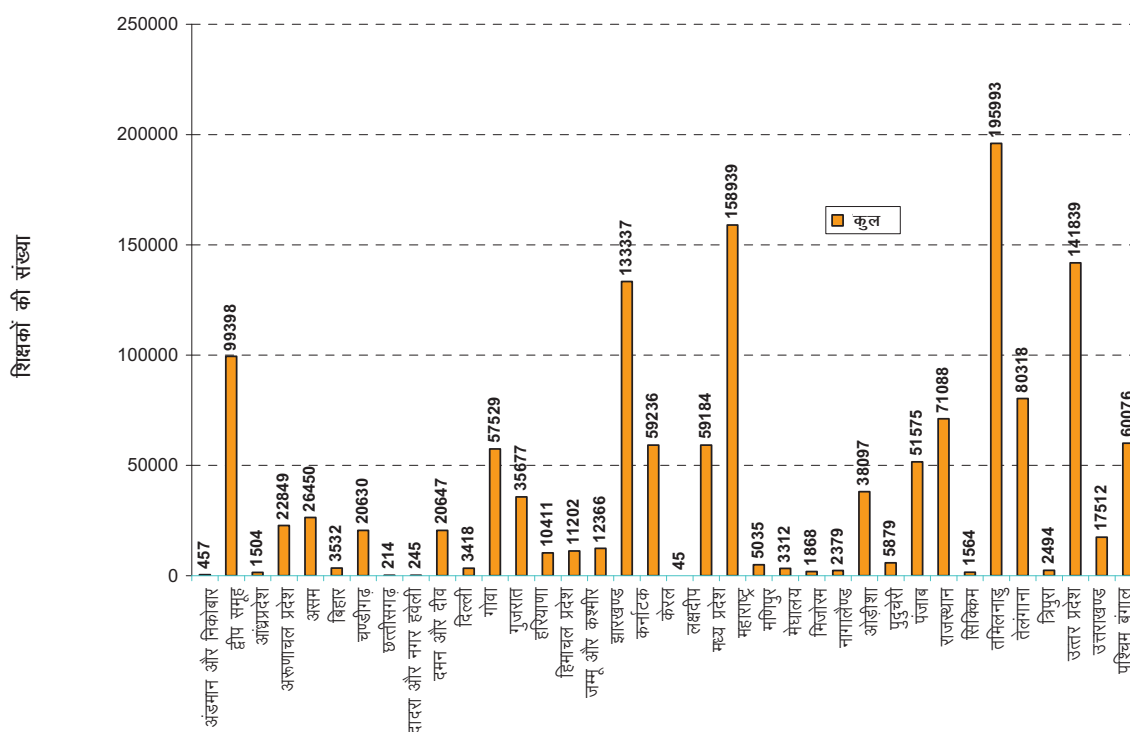
2.5 संकाय संख्या

तालिका 2.5 (क): वर्ष 2018-19 के दौरान उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में राज्य-वार तथा लिंग-वार शिक्षकों की संख्या

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	शिक्षकों की संख्या			शिक्षकों की कुल संख्या में से महिलाओं का प्रतिशत
	पुरुष	महिला	कुल	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	265	192	457	42.01
आंध्र प्रदेश	64591	34807	99398	35.02
अरुणाचल प्रदेश	959	545	1504	36.24
असम	13582	9267	22849	40.56
बिहार	20888	5562	26450	21.03
चण्डीगढ़	1453	2079	3532	58.86
छत्तीसगढ़	10881	9749	20630	47.26
दादरा और नगर हवेली	112	102	214	47.66
दमन और दीव	158	87	245	35.51
दिल्ली	9349	11298	20647	54.72
गोवा	1559	1859	3418	54.39
गुजरात	34459	23070	57529	40.10
हरियाणा	17061	18616	35677	52.18
हिमाचल प्रदेश	5462	4949	10411	47.54
जम्मू और कश्मीर	6608	4594	11202	41.01
झारखण्ड	8627	3739	12366	30.24
कर्नाटक	73476	59861	133337	44.89
केरल	22945	36291	59236	61.27
लक्षदीप	25	20	45	44.44
मध्य प्रदेश	34772	24412	59184	41.25
महाराष्ट्र	94465	64474	158939	40.57
मणिपुर	2616	2419	5035	48.04
मेघालय	1462	1850	3312	55.86
मिजोरम	994	874	1868	46.79
नागालैण्ड	1067	1312	2379	55.15
ओड़ीशा	24205	13892	38097	36.46
पुदुचेरी	3375	2504	5879	42.59
पंजाब	20871	30704	51575	59.53
राजस्थान	45110	25978	71088	36.54
सिक्किम	929	635	1564	40.60
तमिलनाडु	100433	95560	195993	48.76
तेलंगाना	48761	31557	80318	39.29
त्रिपुरा	1598	896	2494	35.93
उत्तर प्रदेश	95991	45848	141839	32.32
उत्तराखण्ड	10910	6602	17512	37.70
पश्चिम बंगाल	39264	20812	60076	34.64
कुल योग	819283	597016	1416299	42.15

वर्ष 2018-19 की एआईएसएचई रिपोर्ट के अनुसार उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों की कुल संख्या 14,16,299 है जिसमें से लगभग 57.8 प्रतिशत पुरुष और 42.2 प्रतिशत महिलाएं हैं। अखिल भारतीय स्तर पर, 100 पुरुष शिक्षकों पर मात्र 73 महिला शिक्षक हैं। सबसे कम लिंग अनुपात बिहार में दर्ज किया गया जहां महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षकों को अनुपात 1:4 था, जोकि प्रतिशत के संदर्भ में 78.97 प्रतिशत पुरुष और केवल 21.03 प्रतिशत महिलाएं थी। इसके पश्चात् दूसरा राज्य झारखंड था जहां 69.8 प्रतिशत पुरुष और केवल 30.2 प्रतिशत महिला शिक्षक थीं। उत्तर प्रदेश में कुल शिक्षकों में केवल 32.3 प्रतिशत महिला शिक्षक थीं। वहीं दूसरी ओर, केरल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली और गोवा जैसे राज्य में पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा महिला शिक्षकों की संख्या अधिक है।

रेखाचित्र 2.5 (क): वर्ष 2018-19 के दौरान उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों की राज्य-वार संख्या



तालिका 2.5 (ख) : वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों* का पदनाम-वार संवितरण

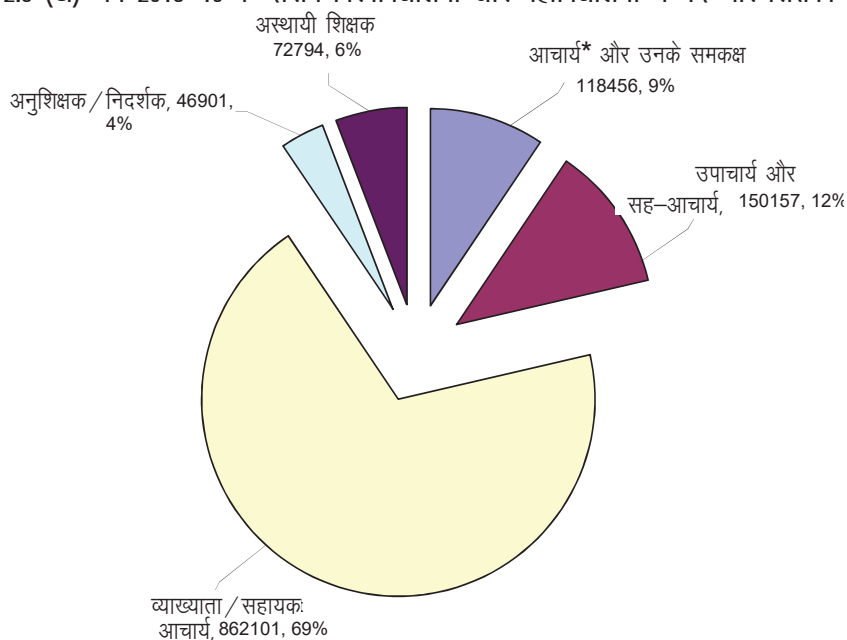
पदनाम	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग / संघटक इकाई / 'ऑफ कैम्पस' केन्द्र		संबद्ध महाविद्यालय तथा संघटक महाविद्यालय		कुल योग	
	कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला
आचार्य* और उनके समकक्ष	35221	8460	83235	22940	118456	31400
उपाचार्य और सह-आचार्य	27697	8794	122460	46437	150157	55231
व्याख्याता / सहायक आचार्य	109667	44223	752434	330867	862101	375090
अनुशिक्षक / निदर्शक	7412	4101	39489	25403	46901	29504
अस्थायी शिक्षक	7720	3274	65074	33006	72794	36280
कुल योग	187717	68852	1062692	458653	1250409	527505

* निदेशक, प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षक जो आचार्य के समकक्ष हैं, सम्मिलित हैं। अभ्यागत शिक्षक शामिल नहीं हैं।

(स्रोत: वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई रिपोर्ट में वास्तव में प्राप्त प्रतिक्रिया पर आधारित हैं)

विश्वविद्यालय स्तर पर कुल शिक्षकों की संख्या लगभग 1.90 लाख है जिसमें से 63.356 प्रतिशत पुरुष और 36.65 प्रतिशत महिलाएं हैं। महाविद्यालय (संबद्ध/संघटक) स्तर पर, शिक्षकों की संख्या 10.62 लाख है जिसमें 56.84 प्रतिशत पुरुष हैं। स्टैंडालोन संस्थानों में, शिक्षकों की कुल संख्या 1.53 लाख है जिसमें से 58.31 प्रतिशत पुरुष हैं, प्रति 100 पुरुष शिक्षकों पर महिला शिक्षकों की संख्या पर नज़र डालें तो, विश्वविद्यालय स्तर पर 58 और महाविद्यालय और स्टैंडालोन संस्थानों में, प्रति 100 पुरुष शिक्षकों पर क्रमशः 76 और 71 महिला शिक्षक हैं।

रेखाचित्र 2.5 (ख): वर्ष 2018–19 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पद-वार शिक्षकों की संख्या



► विकास योजनाएं और विश्वविद्यालयों को सहायता

- ❖ 3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता
- ❖ 3.2 केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- ❖ 3.3 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय
- ❖ 3.4 सम विश्वविद्यालय संस्थान
- ❖ 3.5 राज्य निजी विश्वविद्यालय

3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न पहलुओं नामतः पहुंच में वृद्धि करने, समानता सुनिश्चित करने, संगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार करने, उनके विश्वविद्यालय प्रशासन को और प्रभावी बनाने, अधिक संकाय सुधार कार्यक्रम उपलब्ध कराने, छात्रों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने, शोध सुविधाओं में वृद्धि करने तथा विश्वविद्यालय की अन्य योजनाओं को कवर करते हुए समग्र विकास हेतु प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को सहायता प्रदान करता है।

3.2 केन्द्रीय विश्वविद्यालय :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वर्तमान में, 51 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें से 9 विश्वविद्यालय नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (iii) इंडियन मेरीटाइम युनिवर्सिटी, चेन्नई (iv) नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला नालन्दा, बिहार (v) दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (vi) राजीव गांधी नेशनल एवियेशन युनिवर्सिटी, राय बरेली, उत्तर प्रदेश (vii) रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-75, पाहुज बांध के समीप, ग्वालियर रोड, झांसी (उत्तर प्रदेश)- 284003 (viii) डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर- 848003 और (ix) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कोतरुक, मणिपुर- 795146 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है और इसलिए, इन नौ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जा रहा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची अध्याय-2 की तालिका 2.2 (i)(छ)(i) में दी गई है।

ऐसे 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जिन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

3.2 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए योजनाएं और उनके उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

3.2(i) ब्लॉक अनुदान के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान

वित्त वर्ष 2017-18 से, बजट के योजनागत तथा गैर-योजनागत वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जानकारी प्रदान की गई है कि वेतन तथा सेवानिवृत्ति लाभ आदि पर व्यय को संस्थान/ स्वायत्त निकाय के संबंध में मद शीर्ष 36 के तहत आबंटित निधियों से पूरा किया जाएगा तथा (क) पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ; (ख) किसी योजना के तहत नियुक्त परामर्शदाताओं को वेतन और यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते आदि का भुगतान (ग) किसी योजना के तहत नियुक्त संविदागत स्टॉफ को किए गए वेतन/ मजदूरी आदि को मद शीर्ष 31-अनुदान सहायता- सामान्य के तहत उपलब्ध कराई गई निधियों से पूरा किया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में बजट के विभाजन को नीचे संक्षेप में दिया गया है:-

(लाख रुपये में)

3.2 (i) (ख) : वर्ष 2018-19 के दौरान वेतन, आवर्ती और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के तहत भुगतान किया गया अनुदान

162  वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

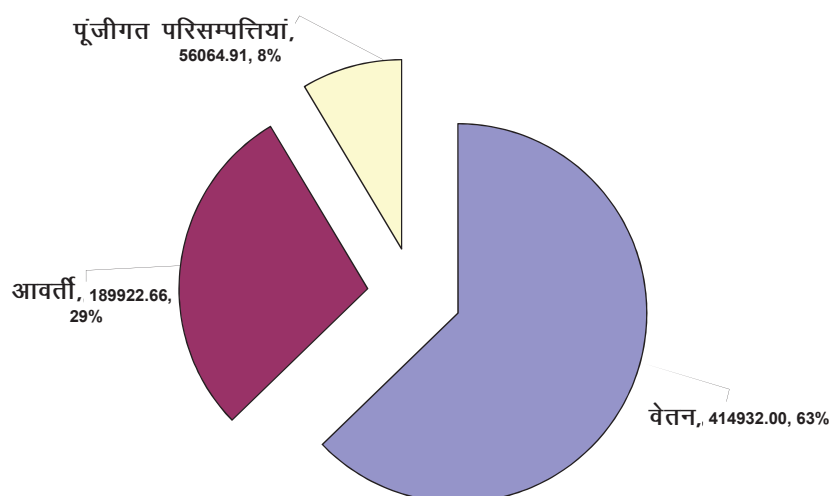
क्रम सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 के दौरान जारी किया गया अनुदान					
			वेतन		आवर्ती		पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ	
			आवंटन	जारी किया गया अनुदान	आवंटन	जारी किया गया अनुदान	आवंटन	जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4		5		6	
21	पंजाब	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2209.55	2209.55	882.62	882.62	700.00	700.00
22	पुदुचेरी	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	6760.12	6760.12	4120.22	4120.22	1175.00	1175.00
23	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2577.54	2577.54	934.47	934.47	1400.00	1400.00
24	तमिलनाडु	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1934.65	1934.65	1113.17	1113.17	1200.00	1200.00
25	तेलंगाना	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	6558.06	6558.06	2271.84	2271.84	600.00	600.00
26		हैदराबाद विश्वविद्यालय	16719.90	16719.90	8070.28	8070.28	1549.80	1549.80
27		द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी	6382.26	6382.26	1975.41	1975.41	800.00	800.00
28	उत्तराखण्ड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	7252.86	7252.86	1237.09	1237.09	1000.00	1000.00
29	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	70650.72	68270.47	28418.43	28418.43	1900.00	1900.00
30		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	68270.47	3050.95	33771.59	33771.59	6400.00	6400.00
31		बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	3050.95		3428.42	3428.42	500.00	500.00
32		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	21582.61	21582.61	9533.76	9533.76	700.00	700.00
33	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	15231.46	15231.46	9114.52	9114.52	1225.00	1225.00
	कुल - I		350600.00	350600.00	165254.66	165254.66	40955.00	40955.00
	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालय							
34	असम	असम विश्वविद्यालय	7887.78	7887.78	1521.24	1521.24	500.00	500.00
35		तेजपुर विश्वविद्यालय	6827.70	6827.70	345.60	345.60	1050.00	1050.00
36	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	4255.34	4255.34	1420.12	1420.12	500.00	500.00
37	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	7864.71	7864.71	2584.55	2584.55	344.95	344.95
38	मेघालय	नार्थ-इस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी	12435.35	12414.78	7332.06	7332.06	500.00	500.00
39	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	8081.98	8081.98	2282.83	2282.83	800.00	800.00
40	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	6886.46	6886.46	1596.73	1596.73	464.96	464.96
41	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	2581.07	2581.07	1800.00	1800.00	2600.00	2600.00
42	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	2700.18	2700.18	1116.87	1116.87	350.00	350.00
	कुल - II		59440.57	59500.00	20000.00	20000.00	7109.91	7109.91
	कुल योग - (I + II)		410100.00	410100	185254.66	185254.66	48064.91	48064.91

3.2(i) (ग): वर्ष 2018-19 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंस (आईएमएस), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को जारी किया गया अनुदान:

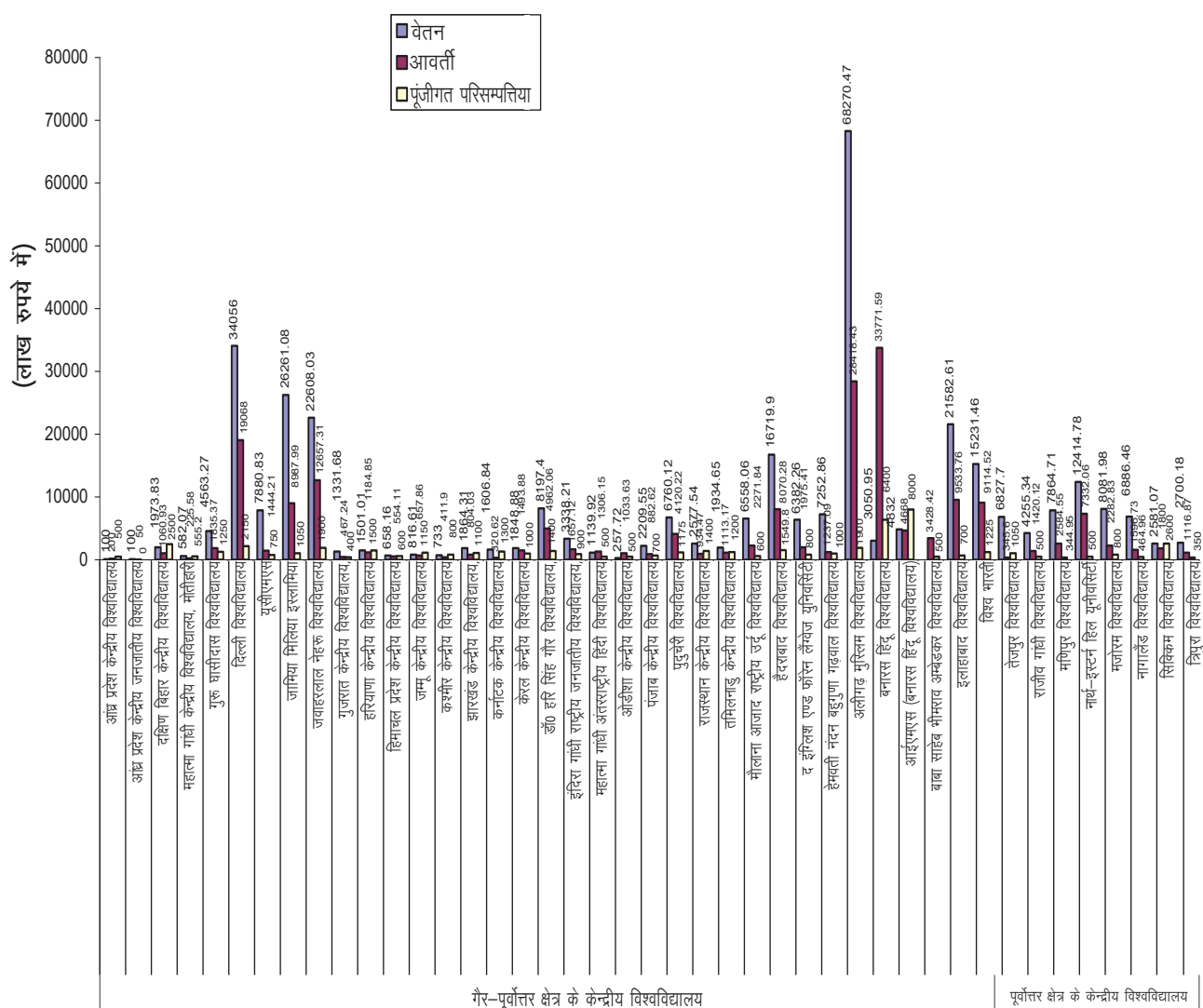
(लाख रुपये में)

वर्ष 2018-19 के दौरान जारी किया गया अनुदान					
वेतन		आवर्ती		पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ	
आवंटन	जारी किया गया	आवंटन	जारी किया गया	आवंटन	जारी किया गया
4832.00	4832.00	4668.00	4668.00	8000.00	8000.00

रेखाचित्र 3.2 (i) (ख से ग) : वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वेतन, आवर्ती तथा पूंजीगत परिसम्पत्ति शीर्ष के तहत जारी किए गए भुगतान का सवितरण (लाख रुपये में)



रेखाचित्र 3.2 (i) (ख से ग): वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वेतन, आवर्ती तथा पूंजीगत परिसम्पत्ति शीर्ष के तहत भुगतान किए गए अनुदान



गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालय

पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालय

3.2(ii) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वित्त पोषित योजनाएं

3.2(ii)(क) : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एम0फिल0/पी0एच0डी0 के लिए गैर-नेट अध्येतावृत्ति की योजना
दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 को आयोग की आयोजित हुई 433वीं बैठक के माध्यम से आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष 2006-2007 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गैर-नेट अध्येतावृत्ति की योजना आरंभ की गई। अध्येतावृत्ति की दर नीचे दी गई है:-

(i)	पूर्णकालिक पीएचडी हेतु अध्येतावृत्ति	5000 रुपये प्रतिमाह
(ii)	पूर्णकालिक एमफिल हेतु अध्येतावृत्ति	3000 रुपये प्रतिमाह
(iii)	आकस्मिक	विज्ञान के विषयों के लिए 10,000 रुपये प्रति माह और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए 8,000 रुपये प्रतिमाह

दिनांक 27 जनवरी, 2009 को मद संख्या 5.06 के माध्यम से आयोग की बैठक का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्येतावृत्ति की दर को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था, जोकि निम्नानुसार है:-

(i)	पूर्णकालिक पीएचडी हेतु अध्येतावृत्ति	5000 रुपये प्रतिमाह	8000 रुपये प्रतिमाह
(ii)	पूर्णकालिक एमफिल हेतु अध्येतावृत्ति	3000 रुपये प्रतिमाह	5000 रुपये प्रतिमाह
(iii)	आकस्मिक	विज्ञान के विषयों के लिए 10,000 रुपये प्रतिमाह और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए 8,000 रुपये प्रतिमाह	कोई परिवर्तन नहीं किया गया

योजना के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को **113.38 लाख रुपये** की राशि जारी की गई थी।

3.2(ii)(ख) : अल्पसंख्यकों/ अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की अनुशिक्षण योजना

चूंकि सेवाओं में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उपचारी अनुशिक्षण योजना ने वांछित प्रभाव नहीं डाला है इसलिए, अल्पसंख्यकों/ अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं हेतु 'आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों' की योजना को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ और जामिया मिलिया इस्लामिया में स्थापित किया गया था।

अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमी का उद्देश्य समान उन्नति के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है, जिससे अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित हो सके तथा निःशुल्क/नाममात्र शुल्क/बिना शिक्षण शुल्क पर छात्रावास की सुविधा प्रदान कर केन्द्र/राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रवेश के लिए तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उपर्युक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को निःशुल्क शिक्षण की सुविधा प्रदान की जा सके।

इस योजना के तहत अब तक आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की स्थापना करने के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	कुल आबंटन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अब तक जारी किया गया अनुदान
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1328.78	1319.28
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1500.00	1400.00
3.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	828.78	783.78
4.	डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1078.78	995.28
	कुल	6131.72	5883.72

योजना के तहत वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया को **42.50 लाख रुपये** की राशि जारी की गई।

3.2(ii)(ग): ऐसे शिक्षक जो चार में से कम से कम दो विनिर्दिष्ट विज्ञान अकादमियों के अध्येता हों उन्हें 15,000 रुपये प्रतिमाह का विशेष मानदेय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे शिक्षक जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित चार में से कम से कम दो विनिर्दिष्ट विज्ञान अकादमियों के अध्येता हों को 15,000 रुपये प्रतिमाह का विशेष मानदेय की योजना आरंभ की है:

1. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद
2. भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलुरु
3. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली
4. अभियांत्रिकी हेतु भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली

कोई भी शिक्षक केवल एक ही मानदेय प्राप्त कर सकता है और एक से अधिक मानदेय प्राप्त नहीं कर सकता है अर्थात् या तो सीएसआईआर से भटनागर पुरस्कार प्राप्तकर्ता अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के तहत मानदेय प्राप्त कर सकता है।

योजना के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान पुदुचेरी विश्वविद्यालय (2.25 लाख रुपये) और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को (12.34 लाख रुपये) को **14.59 लाख रुपये** की राशि जारी की गई।

3.2(ii)(घ) : उर्दू माध्यम के अध्यापकों के पेशेवर विकास के लिए केन्द्र की स्थापना:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उर्दू माध्यम के अध्यापकों के पेशेवर विकास हेतु केन्द्र की स्थापना करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया को निधियां उपलब्ध करवा रहा है।

3.2(ii)(ङ) : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऐसे सभी विश्वविद्यालयों को निधियां उपलब्ध कराता है जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12 ख के तहत आते हैं और वे अपने संस्थान के भीतर आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईक्यूएसी की स्थापना और उसे सुदृढ़ करने हेतु व्यय की पूर्ति करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक विश्वविद्यालय को 5.00 लाख रुपये (कुल सहायता को 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी किया जाएगा) की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है। निम्नवत मदों पर व्यय किया जा सकता है:-

क्रम संख्या	अनुदान का प्रयोजन	राशि
1	आईक्यूएसी के निदेशक/ समन्वयक को 1000X12X5 की दर से मानदेय	160,000/-
2	कार्यालय उपकरण	1,00,000/-
3	सचिवालयी और तकनीकी सेवाओं को भाड़े पर प्राप्त करना	1,80,000/-
4	आईसीटी संचार व्यय	80,000/-
5	आकस्मिताएं	80,000/-
	कुल	5,00,000/-

योजना के तहत वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था।

3.2(ii)(च): विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण

महिलाओं का दर्जा बढ़ाने तथा व्यापक रूप से समाज के विकास की क्षमता का दोहन करने के लिए साथ ही, लिंग समानता और महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

इस योजना के तहत निम्नवत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है:

(लाख रुपये में)

महिला नामांकन	गैर महानगर	महानगर/ विशेष श्रेणी के राज्य*
500 तक	100.00	200.00
500 से अधिक	120.00	240.00

*विशेष श्रेणी के राज्यों में पूर्वोत्तर राज्य (सिक्किम सहित), जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था।

3.2 (ii) (छ): लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लुप्तप्राय भाषाओं के परिरक्षण तथा उनके संवर्धन हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्वदेशी भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना आरंभ करने का निर्णय लिया, इस योजना के निम्नवत उद्देश्य थे:

1. लुप्तप्राय भाषाओं के संबंध में अंतर्विभागीय और अंतर्विधायी अनुसंधान शोध आरंभ करना।
2. सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य अर्थात् प्रारूपों अर्थात् डिजीटाईज पाठ, श्रव्य और वीडियो प्रारूप में अत्याधुनिक भाषण और भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके लघु लुप्तप्राय भाषाओं में क्षेत्रकार्य, अनुसंधान, विश्लेषण, पुरालेखन और दस्तावेजीकरण का कार्य करना।
3. मोनोग्राफ, व्याकरण, व्याकरणिक स्केच, शब्दकोश और शब्द संग्रह, नृजातीय-भाषाई और सैद्धांतिक विवरण, मौखिक और लोक साहित्य और लुप्तप्राय भाषाओं पर विद्वानों की पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन करना।
4. अल्पसंख्यक और लुप्तप्राय भाषाओं के विशेष संदर्भ के साथ भाषा और बोली की एटलस को तैयार करना।
5. लुप्तप्राय भाषाओं से संबंधित कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना ताकि लुप्तप्राय भाषाओं के संबंध में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके।
6. क्षेत्रगत भाषा विज्ञान, कोश रचना और डॉटा प्रबंधन और प्रलेखन के लिए तकनीकों में अन्य विभागों/ केंद्रों से शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करना। क्षेत्रगत भाषा विज्ञान केंद्र का एक अनिवार्य भाग होना चाहिए।
7. केंद्र को केंद्र के अनुसंधान के निष्कर्षों, अर्थात् भाषाई डॉटा, भाषा शिक्षण सामग्री, और भाषा की कृतियों के डिजिटल और एनालॉग अभिलेखागार को सुलभ करवाकर, स्वदेशी और लुप्तप्राय भाषा समुदायों की सेवा करनी चाहिए।
8. लुप्तप्राय भाषाओं के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देना और उसके संपोषण का संवर्धन करना ताकि लिपियों, अक्षर ज्ञान की पुस्तकों जैसे वर्तनी विषयक संसाधनों का विकास सहित भाषायी जीवन शक्ति को बनाए रखने और संरक्षित करने में अल्पसंख्यक/ लुप्तप्राय भाषा समुदायों का संवर्धन सुनिश्चित किया जा सके।
9. केंद्र में अनुसंधान के दौरान एकत्र किए गए आंकड़े को डिजिटल करना और इसे इंटरनेट द्वारा जनता के लिए उपलब्ध कराना।
10. प्रारंभिक चरणों में यह केंद्र विश्वविद्यालय में भाषा, भाषाविज्ञान, लोककथाओं, नृविज्ञान, और साहित्य के अन्य केंद्रों से संसाधन (जैसे जनशक्ति, प्रयोगशाला, पुस्तकें, छात्र आदि) को प्राप्त कर सकता है लेकिन अंततः एक ऐसे स्वतंत्र केन्द्र के गठन के बारे में विचार करना चाहिए जो विशुद्ध रूप से लुप्तप्राय और स्वदेशी भाषाओं के मुद्दों के लिए समर्पित हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केंद्र की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दी है: -

1. तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
2. राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश
3. सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम
4. इंदिरा गांधी नेशनल ट्रॉइबल यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश

- वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय (13.51 लाख रुपये), गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (27.00 लाख रुपये) और सिक्किम विश्वविद्यालय (90.00 लाख रुपये) को लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्र की स्थापना हेतु **130.51 लाख रुपये** का कुल अनुदान जारी किया गया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य विश्वविद्यालयों से शिक्षा विभाग की स्थापना करने तथा शिक्षकों और अध्यापकों हेतु कार्यक्रम आयोजित करने हेतु बल देता आ रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा अध्यापकों की शिक्षा संबंधी न्यायमूर्ति वर्मा आयोग (2012) की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आलोक में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालयी प्रणाली में अध्यापकों की शिक्षा हेतु संस्थागत सहायता को विस्तार देने के लिये साथ ही उसमें विभिन्न गुणात्मक सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया। ऐसे कदम उठाने की दिशा में एक ऐसा पहलू देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय की स्थापना करना था। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उनके भीतर एक शिक्षा विद्यालय स्थापित करने तथा सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के अलावा अध्यापकों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप आरंभ करने के लिए पत्र व्यवहार किया। इनमें पाठ्यचर्या शोध, नीतिगत तथा शैक्षणिक विकास, ज्ञानअर्जन तथा शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन, निर्धारण तथा मूल्यांकन, अध्यापकों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों का पेशेवर विकास करना शामिल है। एक संबंधित मुद्दा जिस पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से कार्य करने का अनुरोध किया गया था वह अध्यापक शिक्षा (एनसीटीई), 2009 के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे की सिफारिशों के आलोक में विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सुधार करने से संबंधित था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के विस्तार तथा उसे सृदृढ़ करने के लिए निधियां संस्वीकृत की जिसके विभिन्न शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सुधार हेतु कदमों को भी बल प्रदान करते हुए शैक्षणिक स्टॉफ कालेजों से अध्यापक शिक्षकों को पुनश्चर्या तथा अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया ताकि अध्यापक शिक्षा विभागों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जा सके तथा समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाये जा सके।

उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप, वर्तमान में, 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय/विभाग हैं, जो विभिन्न सेवा-पूर्व तथा अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं तथा उन्होंने अध्यापक शिक्षा के अन्य संबंधित कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने के प्रयासों को तीव्र कर दिया है।

स्वास्थ्य, सामाजिक सौहार्द तथा अनुशासन को बढ़ावा देने में योग की भूमिका के बारे में सर्व विदित है। इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं कि युवाओं में ज्ञानशील, विश्वास से भरपूर, संतुलित दृढ़ चरित्र तथा नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण कर बेहतर नागरिक बनने के लिए कला और विज्ञान के विभिन्न रूपों में योग से परिचय करवाने की आवश्यकता है। योग हमारी सांस्कृतिक धरोहर है तथा यह शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।

योग के हमारे स्वास्थ्य तथा व्यवहार पर सटीक जैविक प्रभाव का आंकलन करने के लिए इस विषय पर अधिकाधिक मुख्य धारा का शोध किया जा रहा है। यह अनिवार्य है कि भारतीय विश्वविद्यालय भी मानव स्वास्थ्य पर योग तथा ध्यान के सकारात्मक प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्यों को सुदृढ़ करें। योग में शिक्षा प्रदान करने तथा उसे व्यवहारिक रूप से करने के लिए सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में योग विभागों / केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

1. उद्देश्य

- योग में अध्ययन का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक अभिविन्यास के साथ पारंपरिक योग की गहन जानकारी प्रदान करना है।
- योग के विभिन्न पहलुओं में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर नियमित पाठ्यक्रम आरंभ करना।
- प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री स्तरों पर योग में पाठ्यक्रमों का पदानुक्रम विकसित करना।
- विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कॉर्पोरेट संगठनों, केंद्रीय सेवाओं में धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक अभिविन्यास के साथ सभी आयु समूहों के इच्छुक लोगों को योग सिखाने के लिए योग्य संसाधन व्यक्तियों को तैयार करना।
- योग और विभिन्न क्षेत्रों में योग के अनुप्रयोग में शिक्षण विधियों की गहन जानकारी देना।
- अनुप्रयुक्त मानव शरीर रचना और शरीर विज्ञान, भारतीय दर्शन, मनोविज्ञान, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा, एक्जूप्रेसर जैसे वैकल्पिक उपचारों और योग के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित शास्त्रीय योग ग्रंथों और योग चिकित्सा की गहन जानकारी प्रदान करने में मदद करने के लिए प्रासंगिक ज्ञान की मूलभूत समझबूझ विकसित करना ताकि उन्हें योग के सैद्धांतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद की जा सके।
- योग में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- स्नातकोत्तर छात्रों को अपने स्वयं के योग केंद्रों को स्वरोजगार के रूप में स्थापित करने और जनता के बीच स्वास्थ्य चेतना को बढ़ावा देने में छात्रों को सक्षम बनाना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित आठ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभाग को संस्वीकृति प्रदान की है:

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	संस्वीकृत शिक्षण और शिक्षणोत्तर पदों की संख्या					
		आचार्य	सह आचार्य	सहायक आचार्य	कुल	एडजक्ट संकाय	शिक्षणोत्तर पद
1.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	1	1	2	4	5	0
2.	विश्वभारती	1	1	2	4	5	0
3.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1	1	2	4	5	2
4.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	1	2	3	3	2
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,	1	1	2	4	5	2
6.	मणिपुर विश्वविद्यालय	1	1	2	4	5	0
7.	हिमाचल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1	2	4	7	0	0
8.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	2	2	0	0

3.2(ii)(ज): शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2022 तक अवसंरचना और प्रणालियों को पुनर्जीवित कर उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेन्सी का विस्तार करना (आरआईएसई)

केंद्र सरकार के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए बजटीय से इतर संसाधनों को जुटाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गैर-लाभकारी, गैर-बैंकिंग वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 31 मई, 2017 को एचईएफए की स्थापना की गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2022 तक अवसंरचना और प्रणालियों को पुनर्जीवित करना (आरआईएसई)

आरआईएसई 2022 बाजार से संसाधन उपलब्ध कराकर उद्देश्यों को कार्य योजना में बदलने का प्रयास है। सभी संस्थानों, विशेषरूप से वर्ष 2014 के बाद स्थापित संस्थानों, **केंद्रीय विश्वविद्यालयों**, और सीमित आंतरिक संसाधनों वाले संस्थानों और विद्यालयी शिक्षा/स्वास्थ्य शिक्षा अवसंरचना जैसे एम्स, केन्द्रीय विद्यालयों के लिए, सरकार ने एचईएफए के तहत वित्तपोषण और निधियों के मूल भाग के पुनर्भुगतान के तौर-तरीकों के लिए निम्नलिखित पांच माध्यमों को मंजूरी दी है (इन सभी मामलों में सरकारी अनुदान के माध्यम से ब्याज चुकाया जाएगा):

- नव स्थापित संस्थान (2014 के बाद आरंभ हुए) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्य संस्थान, जिनमें शुल्क संशोधन/आंतरिक संसाधन सृजन की बहुत कम गुंजाइश है: उनके अनुदान के मूल और ब्याज सहित ऋण की संपूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी।

- ii. अन्य शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुदान-सहायता प्राप्त संस्थान: सभी नए स्थापित एम्स और अन्य स्वास्थ्य संस्थान, केंद्रीय विद्यालय/ नवोदय विद्यालयों को वित्तपोषित किया जाएगा और संबंधित विभाग/मंत्रालय को संस्थान को पर्याप्त अनुदान सुनिश्चित कर ऋण और ब्याज के संपूर्ण भुगतान हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे।
- iii. वर्ष 2004 से पूर्व आरंभ किए केंद्रीय विश्वविद्यालय: आंतरिक संसाधनों से ऋण के मूल भाग के 10 प्रतिशत भाग का पुनर्भुगतान करेंगे और शेष मूल भाग हेतु अनुदान प्राप्त करेंगे।
- iv. वर्ष 2008 और 2014 के बीच आरंभ हुए तकनीकी संस्थान: आंतरिक संसाधनों से ऋण के मूल भाग के 25 प्रतिशत भाग का पुनर्भुगतान करेंगे और शेष मूल भाग हेतु अनुदान प्राप्त करेंगे।
- v. 10 वर्ष से अधिक पुराने तकनीकी संस्थान : आंतरिक रूप से सृजित बजटीय संसाधनों से ऋण के संपूर्ण मूल भाग पुनर्भुगतान करेंगे।

एचईएफ की क्रेडिट नीति में शामिल परियोजनाओं की एक नकारात्मक सूची होगी ताकि वित्तपोषण के लिए केवल आवश्यक परियोजनाएं शुरू की जाएं। प्रत्येक प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिए कदम, राजस्व सृजन की कार्यनीति, सृजित की गई परिसंपत्तियों से राजस्व सृजन और एस्को प्रणाली शामिल होंगी। 'नीति' सहित हितधारक मंत्रालयों/ संगठनों द्वारा निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड के साथ एक परियोजना निगरानी प्रणाली के माध्यम से सभी परियोजनाओं की निगरानी की जाएगी।

3.2 (ii)(ट): एनएएसी द्वारा प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अनिवार्य प्रत्यायन

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शी तथा संसूचित बाह्य समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन तथा प्रत्यायन, गुणवत्ता आश्वासन की प्रभावी पद्धतियां हैं जिससे छात्रों तथा अन्य को सामान्य संदर्भ ढांचा उपलब्ध कराया जा सकता है तथा सभी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिससे घरेलू के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में छात्रों के स्थानांतरण में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

किसी संस्थान में शिक्षा कार्यक्रमों के प्रारंभ होने से पूर्व मूल्यांकन आरंभ किया जाता है। संस्थान द्वारा उसकी स्थापना के कतिपय वर्ष (6 वर्ष) पूर्ण होने पर/विनिर्दिष्ट संख्या में बैच (दो बैच) उत्तीर्ण होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, के पश्चात् प्रत्यायन आरंभ किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा संकाय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र अथवा इसके अंतर्गत कोई इकाई चाहे जिस नाम से इसे जानी जाए, यदि वह दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को अथवा इससे पूर्व अपना निर्धारण तथा मूल्यांकन नहीं करवाती है तो वह दिनांक 01 अप्रैल, 2015 तथा इसके पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इसकी किसी भी योजना के लिये वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने अथवा प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होगी।

40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 36 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त किया है। 2 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पूर्व में प्रत्यायन प्राप्त कर लिया था परंतु उनकी प्रत्यायन अवधि समाप्त हो गई है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय तथा मिजोरम विश्वविद्यालय ने पुनर्प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है। 1. झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने प्रत्यायन हेतु पहली बार आवेदन किया है। 1. एक नया स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय (अर्थात् महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी) प्रत्यायन हेतु पात्र नहीं है।

3.2 (ii)(ठ): केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश तथा नियुक्ति हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय/ भारत सरकार ने संविधान में किए गए एक सौ तीनवें संशोधन के अनुरूप आरक्षण के तत्काल कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश तथा नियुक्ति हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लागू किया है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17 जनवरी, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20013/01/ 2018-बीसी-II में अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुसार होगा और निम्नलिखित के अध्यक्षीन होगा:

- (क) शिक्षा वर्ष 2019-20 और उसके बाद से केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा (2) के खंड (घ) में यथा परिभाषित के अनुरूप केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
- (ख) प्रत्येक केंद्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित उपयुक्त प्राधिकारी की पूर्व अनुमोदन के साथ, अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक प्रवेश की संख्या से इतर अतिरिक्त सीटों की संख्या में वृद्धि करेगा ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर, उपलब्ध सीटों की संख्या, इस ओएम के लागू होने की तिथि से तुरंत पूर्व शिक्षा सत्र के लिए प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध ऐसी सीटों की संख्या से कम नहीं हो।
- ग) जहां कहीं भी, किसी भी केंद्रीय शैक्षिक संस्थान के अभ्यावेदन पर, उपयुक्त प्राधिकारी संतुष्ट हो कि वित्तीय, वास्तविक अथवा शैक्षणिक सीमाओं के कारणों के लिए अथवा शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए, इस अधिनियम के लागू होने के बाद, मौजूदा शिक्षा सत्र के दौरान, अध्ययन या संकाय की किसी भी शाखा में वार्षिक संस्वीकृत संख्या में वृद्धि नहीं की जा सकती है तो वह इस अधिनियम के लागू होने के बाद आगामी शिक्षा सत्र से आरंभ होकर अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक प्रवेश संख्या में वृद्धि करने की अनुमति प्रदान कर सकता है; और तत्पश्चात्, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा उस शिक्षा सत्र के लिए इस प्रकार सीमित होगी इस प्रकार से सीमित होगी कि प्रत्येक शिक्षा सत्र के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराई गई सीटों की संख्या के फलस्वरूप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए उपलब्ध कराए गए आरक्षण का प्रतिशत और सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं होगी।
- (घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने की योजना को यथा संभव शीघ्र, परंतु दिनांक 31 मार्च, 2019 से पूर्व संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केंद्रीय शिक्षा संस्थानों से केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लागू करने का अनुरोध किया है।

इसी प्रकार से, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 19 जनवरी, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019- स्थाप0 (आरईएस) के माध्यम से केन्द्र सरकार के पदों और सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को अधिसूचित किया है और यह 01 फरवरी, 2019 अथवा उसके पश्चात् अधिसूचित होने वाली सभी सीधी भर्ती वाली रिक्तियों के संबंध में प्रभावी होगा। भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 20 मार्च, 2018 के पत्र संख्या एफ. 25-4/ 2007 (सीयू) पार्ट फाइल के माध्यम से उपयुक्त निर्णय को सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लागू किया।

3.2 (ii)(ड): उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और संस्थाकृत करने के लिए ग्रेडिड स्वायत्ता

एक सक्षमकारी परिवेश तैयार करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) वैश्विक उत्कृष्टता के संस्थान बन सकें, उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और संस्थागत बनाने के लिए स्वायत्तता अत्यंत महत्वपूर्ण है। विनियामक ढांचे ने इस आवश्यकता को पहचाना है और इस दिशा में, दिनांक 12 फरवरी, 2018 को अधिसूचित किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडिड स्वायत्ता के अनुदान के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया गया है। इन विनियमों का उद्देश्य गुणवत्ता बेंचमार्क के आधार पर स्वायत्तता प्रदान करना है।

इन विनियमों के तहत, जिन विश्वविद्यालयों के पास 3.51 या उससे ऊपर का नैक प्राप्तांक हैं अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पैनलबद्ध की गई एक प्रतिष्ठित मान्यताप्रदान करने वाली एजेंसी से संबंधित प्राप्तांक/ ग्रेड प्राप्त हुआ है या जिन्हें प्रतिष्ठित रैंकिंग के शीर्ष 500 में स्थान दिया गया है, उन्हें श्रेणी-I में रखा गया है। जिन विश्वविद्यालयों को 3.26 तथा उससे ऊपर 3.50 तक नैक प्राप्तांक प्राप्त हुआ हो और जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पैनलबद्ध की गई एक प्रतिष्ठित प्रत्यायन एजेंसी से संबंधित प्रत्यायन ग्रेड/ अंक प्राप्त हुए हों, उन्हें श्रेणी-II में रखा गया है। जो विश्वविद्यालय उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें श्रेणी-III में रखा गया है।

निम्नवत केंद्रीय विश्वविद्यालयों को निम्नानुसार स्वायत्तता प्रदान की गई है: -

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	श्रेणी-I	श्रेणी-II
1.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली	I	
2.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	I	
3.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी		II
4.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़		II
5.	द इंग्लिश एंड फारेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी, तेलंगाना		II

3.2(iii) वर्ष 2018-19 के दौरान के संबंध में शिक्षण कर्मचारिवृंदों, छात्र प्रवेश, शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों और छात्रावास में निवास करने वाले कुल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्गों/शारीरिक रूप से निशक्त छात्रों की संख्या/ कवरेज

3.2(iii)(क) वर्ष 2018-19 के दौरान शिक्षण और शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंद

(*40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में जानकारी)

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या = 40

	कुल	वर्तमान	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त
शिक्षण कर्मचारिवृंदों की संख्या (दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)	17869	11130	1100	480	1141	159
शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों की संख्या (दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)	35108	23063	2204	1229	2352	205
छात्र नामांकन (दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)	कुल	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त
	243272	101519	29331	25454	66765	3064
छात्रावास में निवास करने वाले छात्र (दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)	83424	36721	9337	9618	23575	1313

3.2(iii)(ख) छात्र प्रवेश: वर्ष 2018-19

स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर कुल वास्तविक प्रवेश (श्रेणी वार) (दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)						
श्रेणी / → शिक्षण संकाय ↓	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
स्नातकपूर्व						93087
स्नातकोत्तर						86293
5 वर्ष समेकित						11289
एम.फिल./ एम. टेक.	118568	29331	25454	66765	3064	9186
पीएचडी						28431
डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र						14986
कुल योग						243272

3.2(iii)(ग) शिक्षण कर्मचारिवृंद: वर्ष 2018-19

श्रेणी→ शिक्षण संकाय ↓	संकाय की कुल संस्वीकृत संख्या (श्रेणी वार)							कार्यरत संकाय की कुल संस्वीकृत संख्या (श्रेणी वार) (दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)						
	सामान्य	अ. जा.	अ. जन.	अ. पि. वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	कुल	सामान्य	अ. जा.	अ. जन.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	कुल
आचार्य	1955	257	116	90	33	33	2513	1347	43	9	0	0	10	1409
सह आचार्य	3739	552	260	232	77	128	4988	2343	131	34	0	0	13	2521
सहायक आचार्य	6051	1215	603	2004	206	289	10368	4560	926	437	1141	0	136	7200
कुल योग	11745	2024	979	2326	316	479	17869	8250	1100	480	1141	0	159	11130

3.2(iii)(घ) शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंद: वर्ष 2018-19

शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों की कुल संस्वीकृत संख्या (श्रेणी वार)								कार्यरत शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों की कुल संख्या (श्रेणी वार) (दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)						
श्रेणी→ शिक्षणोत्तर ↓	सामान्य	अ. जा.	अ. जन.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	कुल	सामान्य	अ. जा.	अ. जन.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	कुल
समूह 'क'	1614	122	55	211	3	35	2040	1054	80	57	118	0	9	1318
समूह 'ख'	5096	627	296	636	9	112	6776	3305	386	195	420	0	19	4325
समूह 'ग'	18040	2809	1667	3242	15	519	26292	12714	1738	977	1814	0	177	17420
कुल योग	24750	3558	2018	4089	27	666	35108	17073	2204	1229	2352	0	205	23063

3.3 : राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनिर्दिष्ट मानकों के ढांचे तथा व्यापक परिव्यय के भीतर ऐसे सभी पात्र राज्य विश्वविद्यालय को सामान्य विकास सहायता मुहैया करवाता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यता प्राप्त हैं ताकि ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा सकें, जो सामान्यतः उन्हें राज्य सरकार अथवा सहायता प्रदान करने वाले निकायों से प्राप्त नहीं होती हैं। भवन, कर्मचारिवृंदों, पुस्तकों तथा जर्नलों, उपस्करों एवं अन्य मदों आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

- विश्वविद्यालयों सामान्य विकास सहायता, योजनागत ब्लॉक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में, इसमें भवन का निर्माण, नवीकरण (विरासत भवनों का नवीकरण सहित) कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद, पुस्तकों तथा जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसंरचना वार्षिक अनुरक्षण संविदा, नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय-उद्योग संबंध, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं, यात्रा अनुदान/ सम्मेलन/ संगोष्ठियां/ परिसंवाद/ कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य, अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति तथा वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठ, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिये मूलभूत सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि शामिल होंगे।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामान्य विकास सहायता के तहत मौजूदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के तहत आवंटन के समक्ष अनुदान का उपयोग करने हेतु समय सीमा को दिनांक 30 सितम्बर, 2019 से विस्तार देकर दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया गया है, तथापि, ऐसे भवन परियोजनाओं का निर्माण कार्य दिनांक 31 मार्च, 2017 तक प्रारंभ हो चुका हो।
- एनकोर नामक योजना जिसे अभी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था, अब बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता का भाग है। इस योजना के लिए कोई अलग से धन उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की पूर्ववर्ती योजना अर्थात् मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा को भी बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता योजना के तहत कवर किया गया था। इस योजना के लिए कोई अलग से वित्तपोषण उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- अतिथि अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति/ मानदेय भी बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता योजना का एक भाग थी।
- विश्वविद्यालयों में पीठ की स्थापना की योजना के तहत, विश्वविद्यालयों में राजीव गांधी पीठ की स्थापना जारी रही। जारी रही। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012-17) के दौरान विश्वविद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रख्यात व्यक्तियों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं और अपने योगदान के क्षेत्रों/ क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर निम्नलिखित नई पीठों की आरंभ की हैं। योजना के तहत निम्नलिखित पीठों को कवर किया गया है:

क्रम संख्या	राष्ट्रीय पीठ का नाम	विषय/ क्षेत्र
1.	मोतीलाल नेहरू	- विधिक शिक्षा - स्वतंत्रता आंदोलन
2.	मौलाना अबुल कलाम आजाद	- पत्रकारिता - शिक्षा - उर्दू और अरबी साहित्य - स्वतंत्रता आंदोलन
3.	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद	- स्वतंत्रता आंदोलन - अभिशासन
4.	लाल बहादुर शास्त्री	- धारणीय कृषि तथा ग्रामीण विकास - आचार तथा अभिशासन - स्वतंत्रता आंदोलन
5.	बाबू जगजीवन राम	समाज में हाशिये पर जीवन यापन कर रहे वर्गों का सशक्तिकरण
6.	राजीव गांधी	- पंचायती राज - आईसीटी तथा कम्प्यूटरीकरण - युवाओं का सशक्तिकरण - शांति तथा विवाद समाधान
7.	स्वामी विवेकानन्द	- राष्ट्रीय और सामाजिक जागरण - दर्शन शास्त्र - युवा विकास तथा नेतृत्व
8.	महात्मा गांधी	- शांति तथा अहिंसा - स्वतंत्रता आंदोलन - राष्ट्रीय एकता
9.	पं० जवाहर लाल नेहरू	- स्वतंत्रता आंदोलन - अंतराष्ट्रीय सहयोग - विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी - गुट-निरपेक्षता आंदोलन
10.	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर	- सामाजिक समावेशन - संविधान संबंधी अध्ययन
11.	डॉ० जाकिर हुसैन	- शिक्षा - स्वतंत्रता आंदोलन
12.	डॉ० एस० राधाकृष्णन	- शिक्षा - दर्शन शास्त्र
13.	सरदार वल्लभ भाई पटेल	- राष्ट्रीय एकता - अभिशासन
14.	पं० मदन मोहन मालवीय	- शिक्षा - सामाजिक सुधार - स्वतंत्रता आंदोलन
15.	सर सैयद अहमद खान	- शिक्षा - सामाजिक सुधार - धर्म तथा संस्कृति
16.	महात्मा अय्यानकली	समाज सुधारक और शोषित वर्गों के पक्ष-समर्थक

क्रम संख्या	राष्ट्रीय पीठ का नाम	विषय/ क्षेत्र
17.	श्री गुरु गोबिंद सिंह	समाज सुधारक/ सभी धर्मों तथा संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन
18.	स्वामी दयानंद सरस्वती	समाज सुधारक/ समाजिक जागरूकता
19.	पंडित दीन दयाल उपाध्याय	सामाजिक आर्थिक विचारधारा तथा अंतर्निहित मानव- प्रेम
20.	रविन्द्र नाथ टैगोर	- साहित्य - कला और सौन्दर्यशास्त्र - संस्कृति - संगीत
21.	सी० वी० रमन	- भौतिकी तथा प्रकाशिकी, स्पेक्ट्रमदर्शी तथा ध्वनिविज्ञान - रसायन शास्त्र
22.	मदर टैरिसा	- मानवाधिकार - महिला सशक्तिकरण - शांति - गरीबी उन्मूलन और परोपकारिता
23.	सुब्रहमण्यम् चंद्रशेखर	- भौतिकी तथा खगोल भौतिकी - खगोलशास्त्र - चुंबकीय- द्रवगतिक विज्ञान
24.	हरगोबिन्द खुराना	- जीव विज्ञान - रसायन और जीव रसायन - शरीरक्रिया विज्ञान और औषधि
25.	अमर्त्य सेन	- आर्थिक व्यवस्था संबंधी विज्ञान - लोकहितकारी अर्थशास्त्र - सामाजिक विकल्प संबंधी सिद्धांत - मानव विकास - धारणीय विकास
26.	वेंकटराम रामकृष्णन	- ढांचागत तथा आप्तिक जीव विज्ञान - जीव रसायन और रसायन शास्त्र
27.	ई० श्रीधरन	- शहरी विकास - सड़क परिवहन
28.	डॉ० होमी जहांगीर भाभा	अंतरिक्ष विज्ञान
29.	लक्ष्मीकांत बेजबाराव	- साहित्य - कला - संस्कृति
30.	श्री अरविन्दो	- शिक्षा - दर्शन शास्त्र - योग - आध्यात्मिकता

- आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना तथा महिला छात्रावास के निर्माण की एक स्वतंत्र योजना को सभी राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित किया जायेगा तथा अब यह आमेलित योजना का भाग नहीं होगी और पृथक योजना के रूप में जारी रहेगी।
- ऐसे शिक्षकों को विशेष मानदेय की योजना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित चार में से कम से कम दो विज्ञान अकादमियों के अध्येता हों, यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पृथक योजना के रूप में जारी रहेगी।

राज्य विश्वविद्यालयों हेतु सामान्य विकास सहायता के तहत निम्नवत योजनाएं लागू की जा रही हैं:-

क्रम संख्या	मद	क्रम संख्या	मद
1	भवनों का निर्माण और उनका नवीकरण	14	यात्रा अनुदान
2	कैम्पस विकास	15	सम्मेलन/ संगोष्ठी/ परिसंवाद/ कार्यशाला
3	कर्मचारिवृंद	16	प्रकाशन अनुदान
4	पुस्तकें और जर्नल	17	अभ्यागत आचार्य/ अभ्यागत अध्येताओं की नियुक्ति
5	प्रयोगशाला उपस्कर और अवसंरचना	18	वृत्ति तथा परामर्श संबंधी सेवा प्रकोष्ठ की स्थापना
6	वार्षिक अनुरक्षण संविदा	19	दिवसीय देखभाल केन्द्र
7	नवोन्मेषी शोध क्रियाकलाप	20	महिलाओं हेतु मूलभूत सुविधाएं
8	विश्वविद्यालय- उद्योग संबंध	21	संकाय विकास कार्यक्रम
9	विस्तार क्रियाकलाप	22	एनकोर
10	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	23	मानवाधिकार और कर्तव्यों संबंधी शिक्षा
11	आईसीटी का विकास	24	अंशकालिक अभ्यागत शिक्षकों की नियुक्ति/मानदेय
12	स्वास्थ्य परिचर्या	25	छात्रों को गैर-नेट अध्येतावृत्तियां
13	छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं		

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014-15 के दौरान "स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत" नामक नई योजना आरंभ की थी। इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालयों को पहले से आबंटित सामान्य विकास अनुदान का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी जो पहले ही राज्य विश्वविद्यालयों को आबंटित किया गया था।
- वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के तहत राज्य विश्वविद्यालयों को 253.80 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है।
- पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को गैर-योजनागत अनुदान (2018-19) वेतन शीर्ष के तहत 220.27 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई।

3.4 सम विश्वविद्यालय संस्थान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के तहत चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को विकास तथा अनुरक्षण सहायता उपलब्ध कराता है।

वर्तमान में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने वाले 19 चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थान हैं। चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों के नाम नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या	राज्य/ विश्वविद्यालय/ संस्थान	क्रम संख्या	राज्य/ विश्वविद्यालय/ संस्थान
	आंध्र प्रदेश		गुजरात
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति-517507, (आंध्र प्रदेश)	5.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद- 380 014 (गुजरात)
2.	श्री सत्य साईं इंस्टिट्यूट ऑफ हॉयर लर्निंग, प्रशांतिलयम-515134, जिला अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)		महाराष्ट्र
	दिल्ली	6.	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे-411 006 (महाराष्ट्र)
3.	जमिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली-110 062	7.	गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स, शिवाजीनगर डेक्कन जिमखाना, बीएमसीसी रोड, पुणे-411 006, (महाराष्ट्र)
4.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महरोली रोड, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110 016	8.	इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नथ्यालाल पारेख मार्ग, मटंगा, मुंबई-400 019 (महाराष्ट्र)

क्रम संख्या	राज्य/ विश्वविद्यालय/ संस्थान
9.	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सियान ट्राम्बे रोड, देवनार, मुंबई-400 088 (महाराष्ट्र)
	राजस्थान
10.	वनस्थली विद्यापीठ, पी0 ओ0 वनस्थली, विद्यानगर-304 022, (राजस्थान)
11.	जैन विश्व भारती इंस्टिट्यूट लांडनू-341 306(राजस्थान)
	तमिलनाडु
12.	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हॉयर एजुकेशन फॉर वूमेन, कोयंबतूर-641 043 (तमिलनाडु)
13.	चेन्नै मेथेमेटिकल इंस्टिट्यूट, एच-1 सिपकोट आईटी पार्क पादुर पोस्ट, सिरुसेरी-603 103 (तमिलनाडु)
14.	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिडिगुल-624 302, (तमिलनाडु)

क्रम संख्या	राज्य/ विश्वविद्यालय/ संस्थान
15.	श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, एनाथुर, कांचीपुरम-631 552 (तमिलनाडु)
	उत्तर प्रदेश
16.	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी-221 007, (उत्तर प्रदेश)
17.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, दयालबाग, आगरा-282 005, (उत्तर प्रदेश)
	उत्तराखण्ड
18.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार- 249 404 (उत्तराखण्ड)
	पश्चिम बंगाल
19.	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टिट्यूट बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल-711 202 (वर्ष 2018-19 तक अनुदान प्रदान किया गया है)

3.4(i) विकास अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 10 चिह्नित सम विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान प्रदान किया जाता है। सामान्य विकास सहायता का उद्देश्य विश्वविद्यालय में मौजूदा अवसंरचना में सुधार तथा समेकन करना बल्कि कतिपय चिह्नित क्षेत्रों में उत्कृष्टता का विकास करना है। वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालयों को योजनागत ब्लॉक अनुदान के रूप में सामान्य विकास सहायता प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालयों के मामले में, इसमें भवन का निर्माण, नवीकरण (विरासत भवनों का नवीकरण सहित) कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद, पुस्तकें तथा जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसंरचना वार्षिक अनुरक्षण संविदा, नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय-उद्योग संबंध, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं, छात्रों को गैर-नेट अध्येतावृत्ति, यात्रा अनुदान, सम्मेलन/ संगोष्ठियां/ परिसंवाद/ कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य / अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति तथा वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठ, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिए सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ तथा महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना को सभी चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों में स्वतंत्र योजना के रूप में लागू किया जा रहा है।

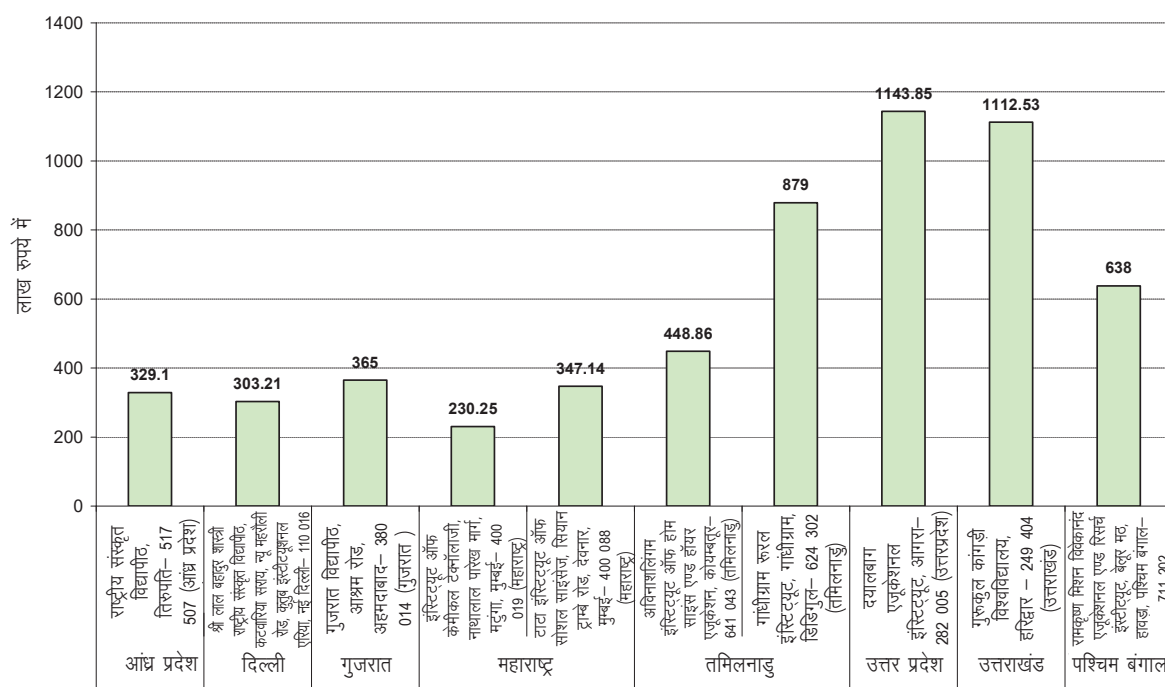
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2018-19 के दौरान विकास अनुदान के तहत चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को **5796.94 लाख रुपये** की राशि जारी की। अनुदानों को संस्वीकृत किये जाने का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

तालिका 3.4(i) : वर्ष 2018-19 के दौरान चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को जारी किया गया विकास अनुदान

क्रम संख्या	राज्य/ विश्वविद्यालय का नाम	अनुदान सहायता सामान्य 31	पूँजीगत परिसम्पत्तियां 35	वेतन मद 36	कुल शीर्ष 31, 35 और 36
	आंध्र प्रदेश				
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति- 517 507 (आंध्र प्रदेश)	0.00	329.10	0.00	329.10
	दिल्ली				
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महारौली रोड, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110 016	225.21	78.00	0.00	303.21
	गुजरात				
3.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 014 (गुजरात)	20.00	345.00	0.00	365.00

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	अनुदान सहायता सामान्य 31	पूँजीगत परिसम्पत्तियां 35	वेतन मद 36	कुल शीर्ष 31, 35 और 36
	महाराष्ट्र				
4.	इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलाजी, नाथालाल पारेख मार्ग, मटुंगा, मुम्बई- 400 019 (महाराष्ट्र)	230.25	0.00	0.00	230.25
5.	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सियान ट्राम्बे रोड, देवनार, मुम्बई- 400 088 (महाराष्ट्र)	45.91	190.23	111.00	347.14
	तमिलनाडु				
6.	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हॉयर एजुकेशन, कोयम्बतूर- 641 043 (तमिलनाडु)	122.86	326.00	0.00	448.86
7.	गांधीग्राम रुरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिडिगुल-624 302 (तमिलनाडु)	354.00	525.00	0.00	879.00
	उत्तर प्रदेश				
8.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा- 282 005 (उत्तरप्रदेश)	73.00	800.00	270.85	1143.85
	उत्तराखंड				
9.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार- 249 404 (उत्तराखंड)	994.38	0.00	118.15	1112.53
	पश्चिम बंगाल				
10.	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल-711 202	319.00	319.00	0.00	638.00
	कुल	2384.61	2912.33	500.00	5796.94

रेखाचित्र 3.4(i) : वर्ष 2018-19 के दौरान सम विश्वविद्यालय संस्थानों को जारी किया गया विकास अनुदान (शीर्ष 31, 35 और 36) (लाख रुपये में)



3.4 (ii) : अनुरक्षण अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 10 चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को अनुरक्षण अनुदान प्रदान कर रहा है। इन चिह्नित 10 सम विश्वविद्यालयों में से 8 चिह्नित सम विश्वविद्यालय, वेतन तथा भत्तों, सेवानिवृत्ति हित लाभों और वेतनेत्तर मदों के लिए शत-प्रतिशत गैर योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। वेतनेत्तर घटकों में उपभोज्य वस्तुएं, विद्युत प्रभार, जल प्रभार, संपत्ति कर, गृह कर, आकस्मिक व्यय, भवनों का रखरखाव/मरम्मत और अन्य व्यय शामिल हैं। 8 चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों के बजट अनुमानों/ संशोधित बजट अनुमानों को इन विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों तथा वित्त अधिकारियों के साथ चर्चा उपरांत निर्धारित किया जाता है।

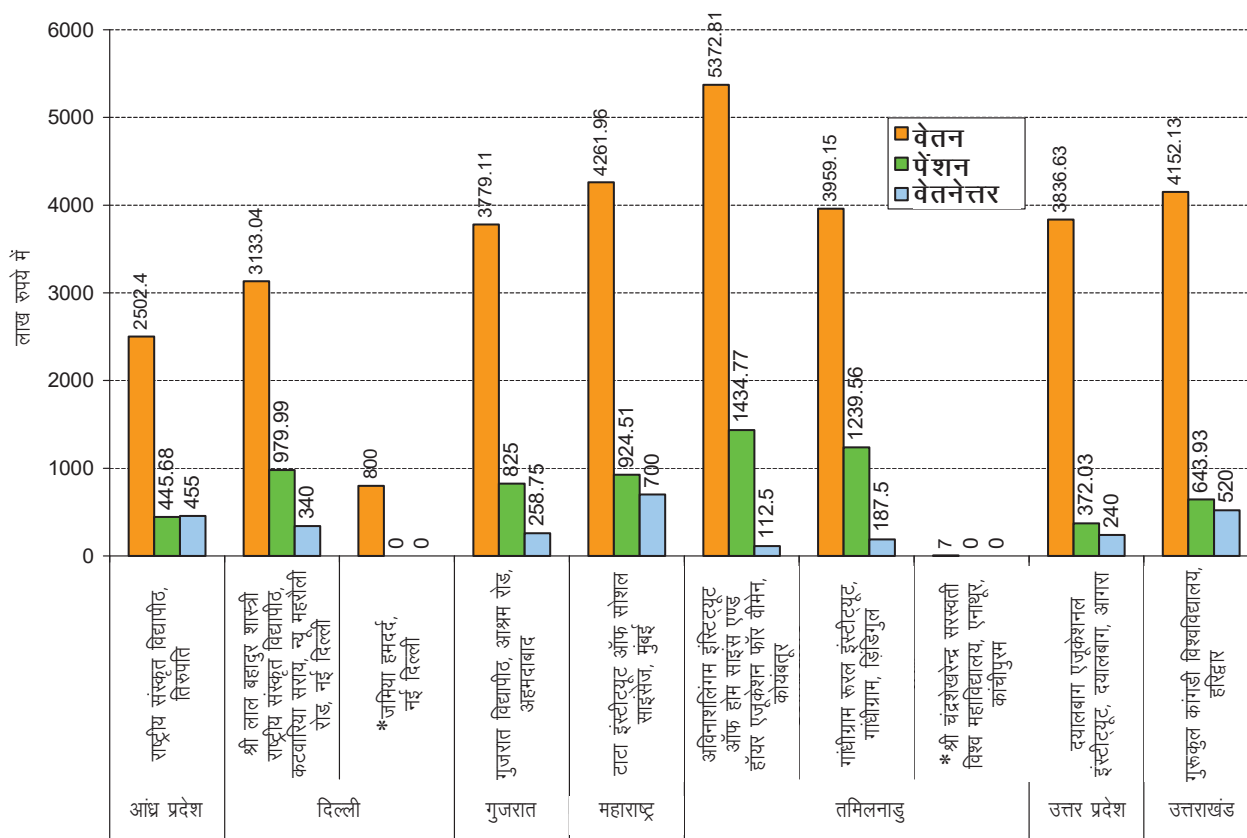
शेष दो चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थान अर्थात् जामिया हमदर्द, नई दिल्ली और श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम प्रतिवर्ष क्रमशः 800.00 लाख रुपये और 7.00 लाख रुपये की निर्धारित अनुरक्षण अनुदान राशि प्राप्त कर रहे हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान गैर- योजनागत अनुदान के तहत **41483.45 लाख रुपये** की राशि जारी की जा चुकी है, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान			
		वेतन	पेंशन	वेतनेत्तर	कुल
	आंध्र प्रदेश				
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	2502.40	445.68	455.00	3403.08
	दिल्ली				
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली	3133.04	979.99	340.00	4453.03
3.	*जमिया हमदर्द, नई दिल्ली	800.00	0.00	0.00	800.00
	गुजरात				
4.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद	3779.11	825.00	258.75	4862.86
	महाराष्ट्र				
5.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई	4261.96	924.51	700.00	5886.47
	तमिलनाडु				
6.	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हॉयर एजुकेशन फॉर वीमेन, कोयंबतूर	5372.81	1434.77	112.50	6920.08
7.	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम, डिंडिगुल	3959.15	1239.56	187.50	5386.21
8.	*श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, एनाथूर, कांचीपुरम	7.00	0.00	0.00	7.00
	उत्तर प्रदेश				
9.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा	3836.63	372.03	240.00	4448.66
	उत्तराखंड				
10.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	4152.13	643.93	520.00	5316.06
	कुल	31804.23	6865.47	2813.75	41483.45

* निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

रेखाचित्र 3.4 (ii) : वर्ष 2018-19 के दौरान सम विश्वविद्यालय संस्थानों को जारी किया गया वेतन, पेंशन और वेतनेत्तर अनुदान



3.5 राज्य निजी विश्वविद्यालय

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, संबंधित राज्य विधानमंडल के अधिनियम के माध्यम से की जाती है। संबंधित राज्य सरकार से विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए स्थापना संबंधी अधिनियम तथा अधिसूचना की प्राप्ति होने पर निजी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत निजी विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है। राज्य निजी विश्वविद्यालयों की सूची अध्याय 2 तालिका 2.2 (i)(ज)(iii) में दी गई है।

दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार देश में 334 राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं। पिछले दस वर्षों के दौरान स्थापित किए गए निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 334 राज्य निजी विश्वविद्यालयों में से 267 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष 2010 के बाद हुई है।

निजी विश्वविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा मानदंडों का रखरखाव) विनियम, 2003 के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित किया जाता है।
- इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्र समुदाय के हितों को सुरक्षित बनाने के लिए अधिसूचित किया गया था जिसमें उच्चतर शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर पर्याप्त बल दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण एक विशेषज्ञ समिति (जिसमें संबंधित सांविधिक परिषद्(दों) से प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं) द्वारा किया जाता है ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों, संकाय, अवसरचनात्मक सुविधाओं, वित्तीय व्ययता आदि के संबंध में न्यूनतम मानदंडों पर खरा उतरने के संबंध में उनका आंकलन किया जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टों को विश्वविद्यालय को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु भेजा जाता है जिसे आयोग द्वारा इसकी दिनांक 10 जनवरी, 2014 को आयोजित 497वीं बैठक में गठित समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाता है और तत्पश्चात् जानकारी हेतु आयोग के समक्ष रखा जाता है।

► महाविद्यालयों को विकास और अनुरक्षण सहायता

- ❖ 4.1 महाविद्यालयों का विकास
- ❖ 4.2 वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त महाविद्यालय
- ❖ 4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान
- ❖ 4.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को जारी योजनावार अनुदान (सामान्य विकास सहायता)
- ❖ 4.5 दिल्ली के महाविद्यालयों/ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों को अनुदान

4.1 महाविद्यालयों का विकास

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के स्तर को बनाए रखने, सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने, नवोन्मेष तथा परिवर्तन का संवर्धन करने, शिक्षा को उभरते करियर पैटर्न, पढ़ाई, से जोड़ने, समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने की दृष्टि से महाविद्यालयों का विकास करना भारतीय उच्चतर शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि स्नातकपूर्व और काफी हद तक स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने में महाविद्यालयों की एक अहम भूमिका होती है। महाविद्यालयों को प्रदान की जानी वाली विकास सहायता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संपर्क सुलभता आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करके सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सहयोग देने की दिशा में केन्द्रित होनी चाहिए। तथापि, मौजूदा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार तथा समेकन करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तर बढ़ाने, करियर की संभावनाओं से जोड़ने के लिए विशेषकर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को तर्कसंगत बनाने और उनका विविधिकरण करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

4.2 वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय

दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 40489 (संबद्ध/ संघटक) महाविद्यालय हैं, जिनमें से केवल 12070 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त हैं। मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों में से केवल 9755 महाविद्यालय ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 में एक चरणबद्ध ढंग से देश में अपने सात क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण किया है, ताकि महाविद्यालय, क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन आसानी से शीघ्र अनुदान प्राप्त कर सकें तथा उन्हें तुरन्त जारी और कार्यान्वित किया जा सके। तत्पश्चात्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (एनआरओ), गाजियाबाद को “उत्तरी क्षेत्र महाविद्यालय ब्यूरो” में परिवर्तित कर दिनांक 25 सितम्बर, 2001 से गाजियाबाद से दिल्ली में 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके नाम, अवस्थिति, स्थापना की तिथि तथा राज्यों की कवरेज का ब्योरा निम्नवत है:

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	स्थापना की तिथि	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ)	हैदराबाद	28.09.1994	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ)	पुणे	11.11.1994	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव
3.	मध्य क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ)	भोपाल	01.12.1994	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	स्थापना की तिथि	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
4.	उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ)	गुवाहाटी	01.04.1955	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम
5.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ)	कोलकाता	03.09.1996	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओड़ीशा, झारखण्ड
6.	दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ)	बंगलुरु	25.04.1999	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो (एनआरसीबी)	गाजियाबाद	03.12.1994	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा
		नई दिल्ली	25.09.2001	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड

वर्ष 2018-19 के दौरान महाविद्यालयों के लिए कार्यान्वित की गई योजनाएं

दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नवत योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो संपूर्ण देश के सभी पात्र महाविद्यालयों को अनुदानों का संवितरण कर रहे हैं:-

- 1) महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता**
- 2) महाविद्यालयों हेतु महिला छात्रावासों का निर्माण
- 3) स्वायत्त महाविद्यालय (केवल अनुदानों को जारी किया जाता है)
- 4) महाविद्यालयों हेतु लघु शोध परियोजनाएं
- 5) महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठी/परिसंवाद/सम्मेलन
- 6) महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम
- 7) महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
- 8) महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपकरणों का विकास
- 9) महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा प्रदान करना
- 10) दृष्टिबाधित शिक्षक
- 11) प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)

(*जीडीए में शिक्षा से जुड़े नवोन्मेष, क्षेत्र कार्य, अध्ययन दौरे, विस्तार क्रियाकलाप, शिक्षा में आईसीटी, मौजूदा भवनों में सुविधाओं में सुधार, कॉमन रूम तथा महिलाओं के लिए शौच सुविधाएं, दिवसीय देखभाल केन्द्र, मानवाधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा, करियर तथा परामर्श प्रकोष्ठ शामिल हैं)

पात्रता संबंधी मानदण्ड: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपर्युक्त योजनाओं हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत मान्यताप्राप्त पात्र महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। 12 (ख) का दर्जा प्राप्त स्व-वित्तपोषित महाविद्यालय केवल शिक्षक/छात्र केन्द्रीत योजनाओं हेतु पात्र हैं।

4.3 (क) महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता

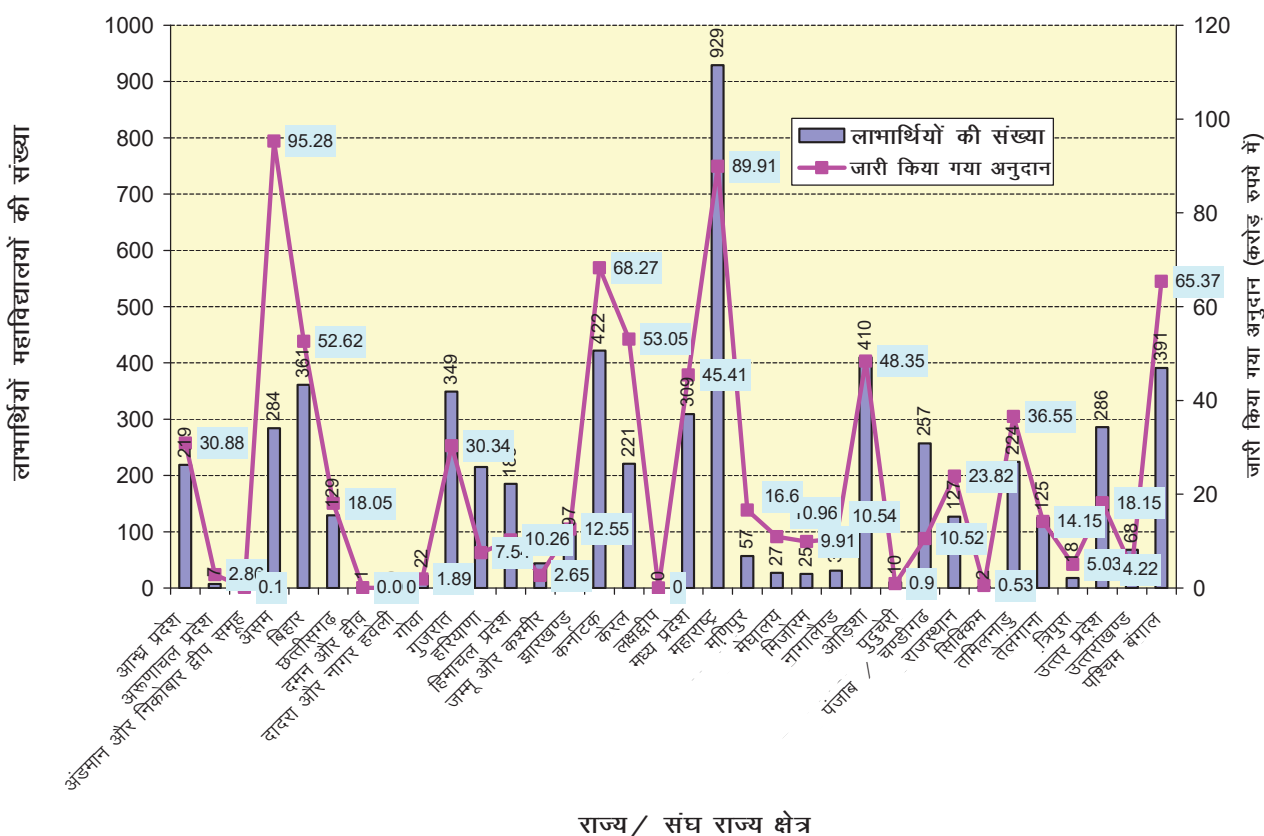
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों में यथा विहित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है। योजना के तहत, महाविद्यालयों को मूलभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए तथा उनकी पुस्तकों और पत्रिकाओं (पुस्तक बैंक सहित), वैज्ञानिक उपकरणों, कैम्पस विकास, उपर्युक्त शिक्षण हेतु अनिवार्य शिक्षण उपकरण, मौजूदा भवन के विस्तार/नवीकरण तथा नए भवनों का निर्माण, विस्तार क्रियाकलापों, महिलाओं के लिए सुविधाओं, आदि के लिए योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

वर्ष 2018-19 और बारहवीं पंचवर्षीय योजना (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019) के दौरान सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों का राज्य-वार (तालिका-4.4 (क) (i)) और क्षेत्रीय कार्यालय-वार (तालिका-4.4 (क) (ii)) ब्योरा निम्नवत है:-

तालिका 4.3 (क) (i) : सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किए गए अनुदानों (करोड़ रुपये में) का राज्य-वार ब्योरा

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2018-19 के दौरान सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान		सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 तक) (करोड़ रुपये में)	
		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1	आन्ध्र प्रदेश	3	0.59	219	30.88
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	7	2.86
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	1	0.10
4	असम	1	0.12	284	95.28
5	बिहार	27	4.07	361	52.62
6	छत्तीसगढ़	0	0	129	18.05
7	दमन और दीव	0	0	1	0.06
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9	गोवा	0	0	22	1.89
10	गुजरात	0	0	349	30.34
11	हरियाणा	0	0	215	7.54
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	185	10.26
13	जम्मू और कश्मीर	0	0	44	2.65
14	झारखण्ड	2	0.29	97	12.55
15	कर्नाटक	36	1.93	422	68.27
16	केरल	34	2.99	221	53.05
17	लक्षद्वीप	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	0	0	309	45.41
19	महाराष्ट्र	1	0.06	929	89.91
20	मणिपुर	0	0	57	16.60
21	मेघालय	0	0	27	10.96
22	मिजोरम	0	0	25	9.91
23	नागालैण्ड	0	0	31	10.54
24	ओडिशा	8	0.46	410	48.35
25	पुदुचेरी	1	0.11	10	0.9
26	पंजाब / चण्डीगढ़	3	0.04	257	10.52
27	राजस्थान	0	0	127	23.82
28	सिक्किम	0	0	2	0.53
29	तमिलनाडु	4	0.39	224	36.55
30	तेलंगाना	3	0.19	125	14.15
31	त्रिपुरा	0	0	18	5.03
32	उत्तर प्रदेश	21	1.49	286	18.15
33	उत्तराखण्ड	1	0.03	68	4.22
34	पश्चिम बंगाल	10	0.84	391	65.37
कुल		155	13.60	5853	797.32

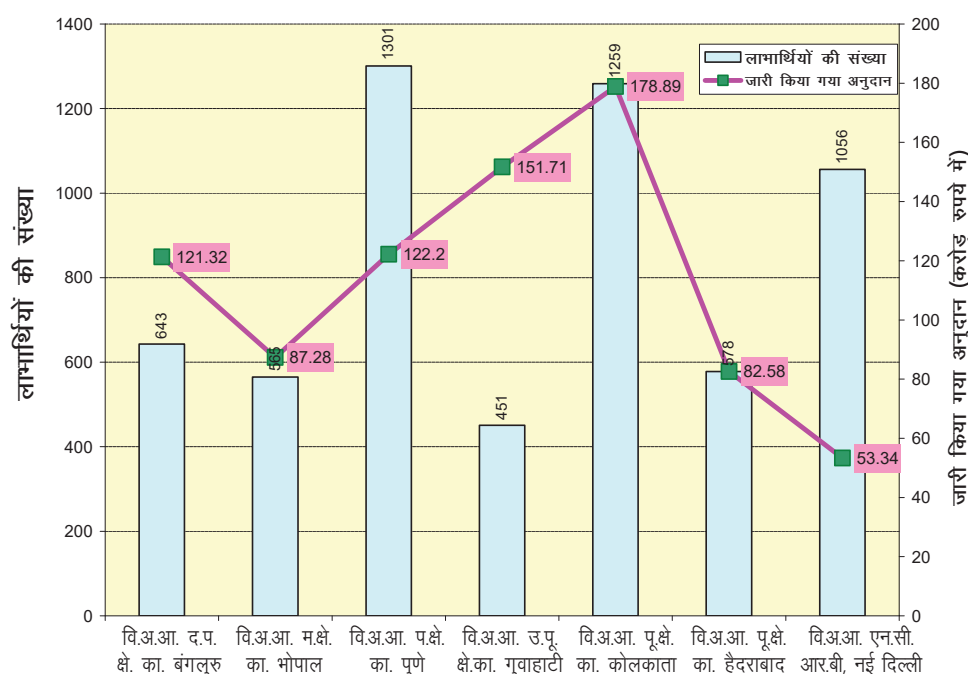
रेखाचित्र 4.3(क)(i) : दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान राज्यवार जारी की गई सामान्य विकास सहायता (करोड़ रुपये में) तथा लाभार्थी महाविद्यालयों की संख्या



तालिका 4.3 (क) (ii): वर्ष 2018-19 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय-वार जारी किया गया सामान्य विकास अनुदान तथा जारी किया कुल अनुदान (वर्ष 2012-13 से 2018-19 के दौरान) (करोड़ रुपये में) तथा लाभार्थियों की संख्या

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय/एनआरसीबी	सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019)				सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 तक)	
		वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	सामान्य अनुदान – सहायता – 31	पूँजीगत परिसम्पत्तियां – 35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया अनुदान
1	वि.अ.आ.-द.प.क्षे. का., बंगलुरु	70	0.08	4.84	4.92	643	121.32
2	वि.अ.आ.-म.क्षे. का., भोपाल	0	0	0	0	565	87.28
3	वि.अ.आ.-प.क्षे. का., पुणे	1	0.01	0.05	0.06	1301	122.20
4	वि.अ.आ.-उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	1	0.02	0.10	0.12	451	151.71
5	वि.अ.आ.-पू.क्षे. का., कोलकाता	47	0.86	4.80	5.66	1259	178.89
6	वि.अ.आ.-द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	11	0.07	1.21	1.28	578	82.58
7	वि.अ.आ.-एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	25	0	1.56	1.56	1056	53.34
कुल		155	1.04	12.56	13.60	5853	797.32

रेखाचित्र 4.3 (क) (ii) : क्षेत्रीय कार्यालय-वार जारी किया गया सामान्य विकास सहायता अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019) (करोड़ रुपये में) और लाभार्थियों की संख्या



4.4 क्षेत्रीय कार्यालयों/एनआरसीबी द्वारा महाविद्यालयों को योजनावार जारी किया गया अनुदान

4.4 (क) महाविद्यालयों हेतु महिला छात्रवासों का निर्माण:-

महिलाओं का नामांकन बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में महिला छात्रावास तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मद्देनजर आयोग ने वर्ष 1995-96 के दौरान, महिला छात्रावासों के निर्माण की एक विशेष योजना आरंभ की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले महाविद्यालय, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हैं, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

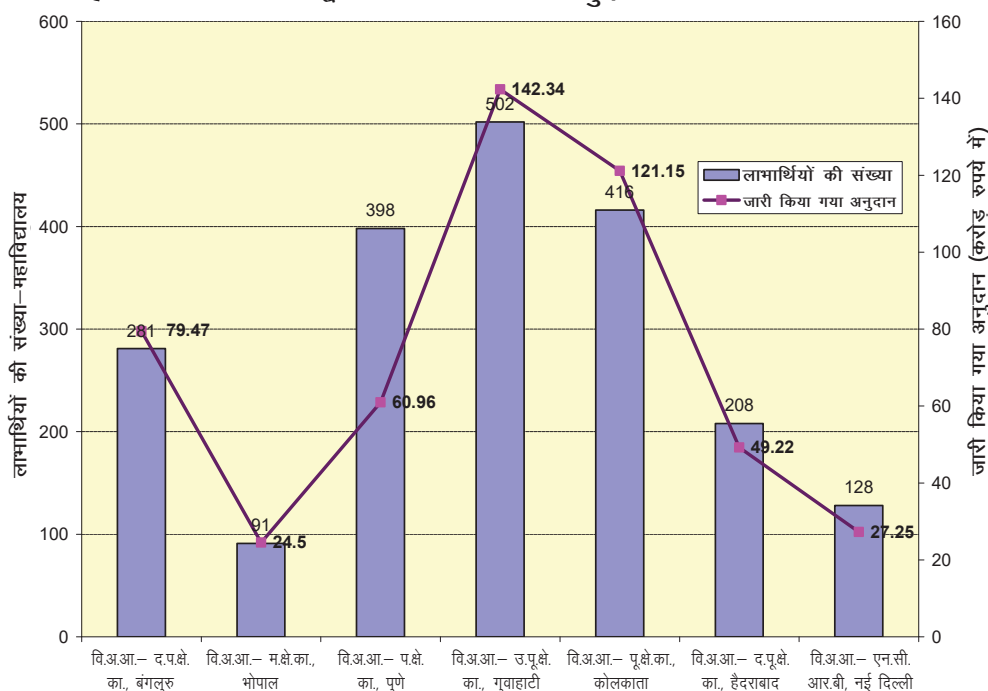
वर्ष 2018-19 और दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/ ब्यूरो द्वारा संस्वीकृत किए गए अनुदान का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम	क्षेत्रीय कार्यालय/ संख्या एनआरसीबी का नाम	वर्ष 2018-19 के दौरान महिला छात्रावास हेतु जारी किया गया अनुदान			महिला छात्रावास हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019)	
		वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालय) की संख्या	पूँजीगत परिसम्पत्तियां -35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.-द.प.क्षेत्र. का., बंगलुरु	29	4.60	4.60	281	79.47
2.	वि.अ.आ.-म.क्षेत्र. का., भोपाल	06	0.88	0.88	91	24.50
3.	वि.अ.आ.-प.क्षेत्र. का., पुणे	12	2.40	2.40	398	60.96
4.	वि.अ.आ.-उ.पू.क्षेत्र. का., गुवाहाटी	15	1.16	1.16	502	142.34
5.	वि.अ.आ.-पू.क्षेत्र. का., कोलकाता	38	4.69	4.69	416	121.15
6.	वि.अ.आ.-द.पू.क्षेत्र. का., हैदराबाद	20	1.65	1.65	208	49.22
7.	वि.अ.आ.-एन.सी.आर.बी*, नई दिल्ली	11	0.62	0.62	128	27.25
	कुल	131	16.00	16.00	2024	504.89

* इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान प्रधानमंत्री विकास पैकेज, 2015 के तहत 13.25 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था।

रेखाचित्र 4.4 (क): दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किया गया अनुदान तथा लाभार्थियों की संख्या



4.4 (ख) स्वायत्त महाविद्यालय :-

स्वायत्त महाविद्यालय की योजना का उद्देश्य महाविद्यालयों को संबद्ध ढांचे से असंबद्ध करके स्नातकपूर्व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। जिन महाविद्यालयों को स्थापित हुए दस से अधिक वर्ष हो गए हैं तथा जिनके पास एनएएसी ग्रेड 'बी' अथवा इससे बेहतर ग्रेड उपलब्ध है उन्हें कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान की जाती थी तथा निम्नवत अधिकतम राशि की सहायता प्रदान की जाती है:

1. स्नातकपूर्व महाविद्यालय के एकल संकाय के लिए 9 लाख रुपये।
2. स्नातकपूर्व महाविद्यालय के बहु संकाय के लिए 15 लाख रुपये।
3. स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दोनों महाविद्यालयों के एकल संकाय के लिए 10 लाख रुपये।
4. स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दोनों महाविद्यालयों के बहु संकाय के लिए 20 लाख रुपये।

शिक्षा वर्ष 2013-2014 से एनसीसी को क्रेडिट प्वाइंट के साथ वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करने के लिए 1.00 लाख रुपये से 2.00 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

एक विशेषज्ञ समिति महाविद्यालय का दौरा करती है तथा महाविद्यालय को स्वायत्ता प्रदान करने के मुद्दे पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सिफारिश करती है। स्वायत्ता छह वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

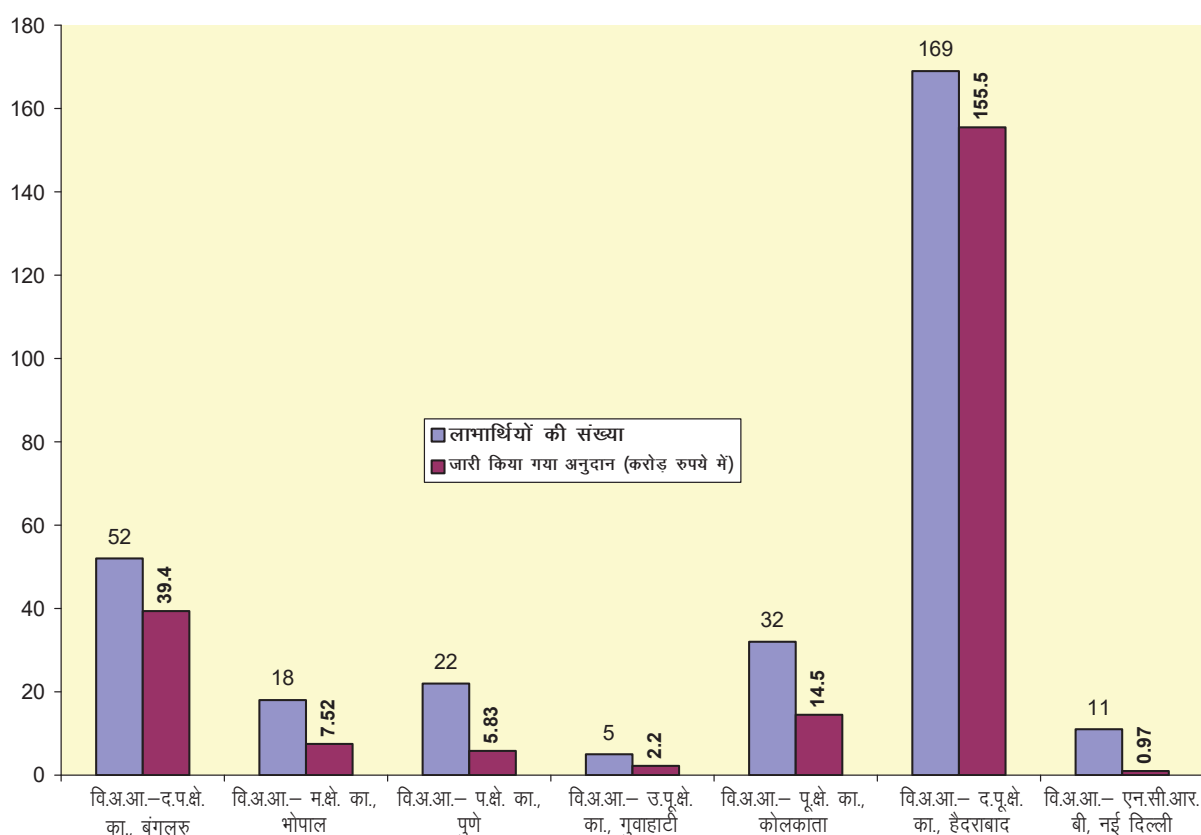
योजना के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ एनआरसीबी द्वारा संस्वीकृत अनुदान नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय/ एनआरसीबी का नाम	वर्ष 2018-19 के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु जारी किया गया अनुदान				दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों को जारी किया गया अनुदान	
		वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालय) की संख्या	सामान्य अनुदान-सहायता-31	पूँजीगत परिसम्पत्तियां - 35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1	वि.अ.आ.- द.प.क्षे. का., बंगलुरु	35	3.33	3.88	7.21	52	39.4
2	वि.अ.आ.- म.क्षे. का., भोपाल	06	1.44	0.00	1.44	18	7.52
3	वि.अ.आ.- प.क्षे. का., पुणे	11	1.88	0	1.88	22	5.83

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय/ एनआरसीबी का नाम	वर्ष 2018-19 के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु जारी किया गया अनुदान				दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों को जारी किया गया अनुदान	
		वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालय) की संख्या	सामान्य अनुदान-सहायता-31	पूँजीगत परिसम्पत्तियां - 35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
4	वि.अ.आ.-उ.पू.क्षे.का., गुवाहाटी	0	0	0	0	5	2.20
5	वि.अ.आ.-पू.क्षे. का., कोलकाता	7	1.22	0	1.22	32	14.50
6	वि.अ.आ.-द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	116	21.34	0	21.34	169	155.50
7	वि.अ.आ.-एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	1	0.01	0	0.01	11	0.97
कुल		176	29.22	3.88	33.10	309	225.92

रेखाचित्र 4.4 (ख) : दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों (लाभार्थियों) को जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)



4.4 (ग) महाविद्यालयों के शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजनाएं:-

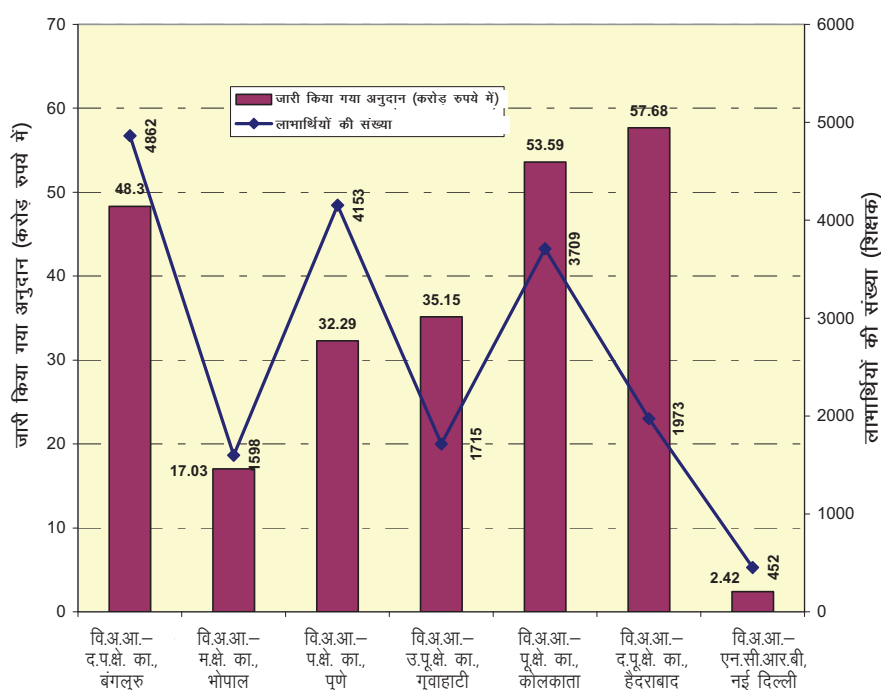
योजना का उद्देश्य विभिन्न विधाओं में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करके उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता का संवर्धन करना है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पात्र शिक्षक लघु शोध परियोजना की योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान हेतु 3.00 लाख रुपये तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, भेषजी, कृषि आदि सहित विज्ञान में 5.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केवल ऑनलाइन पद्धति से ही योजना के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं

योजना के तहत, वर्ष 2018-2019 तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के तहत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय/ एनआरसीबी का नाम	वर्ष 2018-19 के दौरान लघु शोध परियोजनाओं हेतु जारी किया गया अनुदान								लघु शोध परियोजनाओं हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 तक)	
		वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या		सामान्य अनुदान-सहायता- 31		पूँजीगत परिसम्पत्तियां - 35		कुल		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
		विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी		
1.	वि.अ.आ.- द.प.क्षे. का., बंगलुरु	111	167	0.50	0.47	0	0	0.50	0.47	4862	48.30
2.	वि.अ.आ.- म.क्षे. का., भोपाल	33	46	0.21	0.24	0	(-)0.01	0.21	0.23	1598	17.03
3.	वि.अ.आ.- प.क्षे. का., पुणे	2	4	0.02	0.01	0	0	0.02	0.01	4153	32.29
4.	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	32	69	0.09	0.24	0	0	0.09	0.24	1715	35.15
5.	वि.अ.आ.- पू.क्षे. का., कोलकाता	109	154	0.46	0.64	0	0	0.46	0.64	3709	53.59
6.	वि.अ.आ.- द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	159	114	0.79	0.42	0.04	0.03	0.83	0.45	1973	57.68
7.	वि.अ.आ.- एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	11		0.03		0	0	0.03	0.0	452	2.42
कुल		457	554	2.10	2.02	0.04	0.02	2.14	2.04	18462	246.46

रेखाचित्र 4.4 (ग): दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए लघु शोध परियोजना की योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)



4.4 (घ) : महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठियां/ परिसंवाद/ सम्मेलन:-

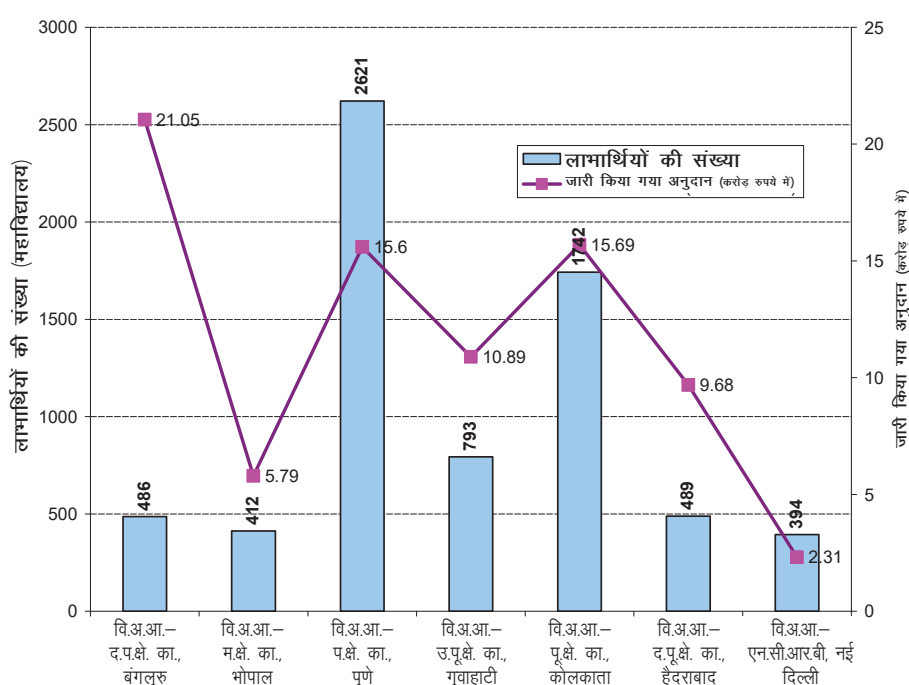
इस योजना के तहत संस्थानों को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों/ परिसंवाद तथा सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, योजना का उद्देश्य शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपने ज्ञान, अनुभवों और शोध को साझा करने के लिए मंच प्रदान करके महाविद्यालयों में उच्च मानकों का संवर्धन करना है। योजना के तहत सभी पात्र महाविद्यालय आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 1.00 लाख रुपये से 2.00 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तपोषण को अनुमोदन प्रदान करता है।

वर्ष 2018-19 तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान योजना के तहत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय/ एनआरसीबी का नाम	वर्ष 2018-19 के दौरान संगोष्ठियां/परिसंवाद/ सम्मेलन हेतु जारी किया गया अनुदान			संगोष्ठियां/ परिसंवाद/सम्मेलन हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि तक)	
		वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	सामान्य अनुदान - सहायता - 31	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.- द.प.क्षे. का., बंगलुरु	94	0.35	0.35	486	21.05
2.	वि.अ.आ.- म.क्षे. का., भोपाल	17	0.04	0.04	412	5.79
3.	वि.अ.आ.- प.क्षे. का., पुणे	14	0.03	0.03	2621	15.60
4.	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	0	0	0	793	10.89
5.	वि.अ.आ.- पू.क्षे. का., कोलकाता	109	0.45	0.45	1742	15.69
6.	वि.अ.आ.- द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	13	0.02	0.02	489	9.68
7.	वि.अ.आ.- एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	8	0.02	0.02	394	2.31
कुल		255	0.91	0.91	6937	81.01

रेखाचित्र 4.4 (घ) : दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठियां/ परिसंवाद/ सम्मेलन की योजना के तहत जारी किया गया अनुदान



4.4 (ङ) महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम:-

इस कार्यक्रम का लक्ष्य संकाय सदस्यों को शोध करने के लिए संस्थानों में शैक्षणिक तथा बौद्धिक परिवेश का विकास करना तथा संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं में सहभागिता का अवसर उपलब्ध करवाना है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से संकाय सदस्यगण अपने शोध कार्य को अद्यतन तथा शैक्षणिक कौशल बढ़ाने में सक्षम होंगे।

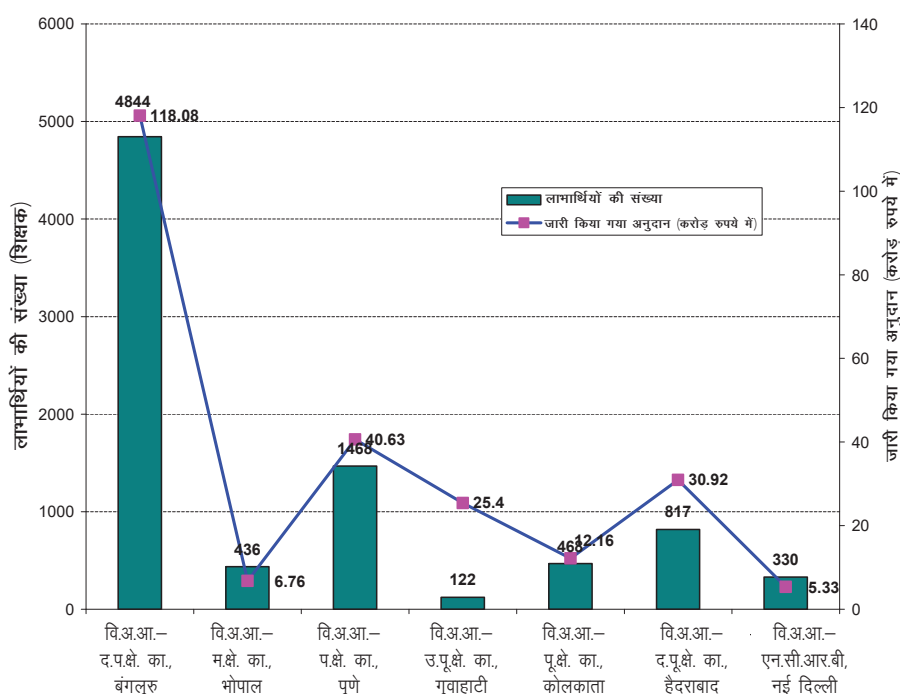
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षक अध्येता के स्थान पर तैनात एवजी शिक्षक को वेतन तथा साथ ही शिक्षक अध्येता को 15000 रुपये प्रतिवर्ष आकस्मिक राशि के रूप में उपलब्ध कराता है। महाविद्यालय के स्तर पर गठित चयन समिति, दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुरूप आवेदनों की संवीक्षा करती है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अभ्यर्थी की सिफारिश करती है।

वर्ष 2018-2019 तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय/ एनआरसीबी का नाम	वर्ष 2018-19 के दौरान संकाय विकास कार्यक्रम हेतु जारी किया गया अनुदान			संकाय विकास कार्यक्रम हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि तक)	
		वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या	अनुदान-सहायता सामान्य- 31	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.- द.प.क्षे. का., बंगलुरु	985	43.95	43.95	4844	118.08
2.	वि.अ.आ.- म.क्षे. का., भोपाल	22	0.29	0.29	436	6.76
3.	वि.अ.आ.- प.क्षे. का., पुणे	111	4.39	4.39	1468	40.63
4.	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	73	3.07	3.07	122	25.40
5.	वि.अ.आ.- पू.क्षे. का., कोलकाता	51	0.42	0.42	468	12.16
6.	वि.अ.आ.- द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	146	4.36	4.36	817	30.92
7.	वि.अ.आ.- एन.सी.आर.बी., नई दिल्ली	8	0.17	0.17	330	5.33
	कुल	1396	56.65	56.65	8485	239.28

रेखाचित्र 4.4 (ङ) : दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के दौरान महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम



4.4 (च) : महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ :-

उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मानकों का रखरखाव करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (गगग) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सितम्बर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् की स्थापना की। ऐसे संस्थागत आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली के महत्व को पहचानते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी महाविद्यालयों को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने के हेतु निदेश देने का नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आईक्यूएसी की स्थापना तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए व्यय हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को 3.00 लाख रुपये की प्रारंभिक राशि (सीड मनी) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। वर्ष 2014-15 के दौरान इस योजना को इस योजना को महाविद्यालयों के लिए आरंभ किया गया था।

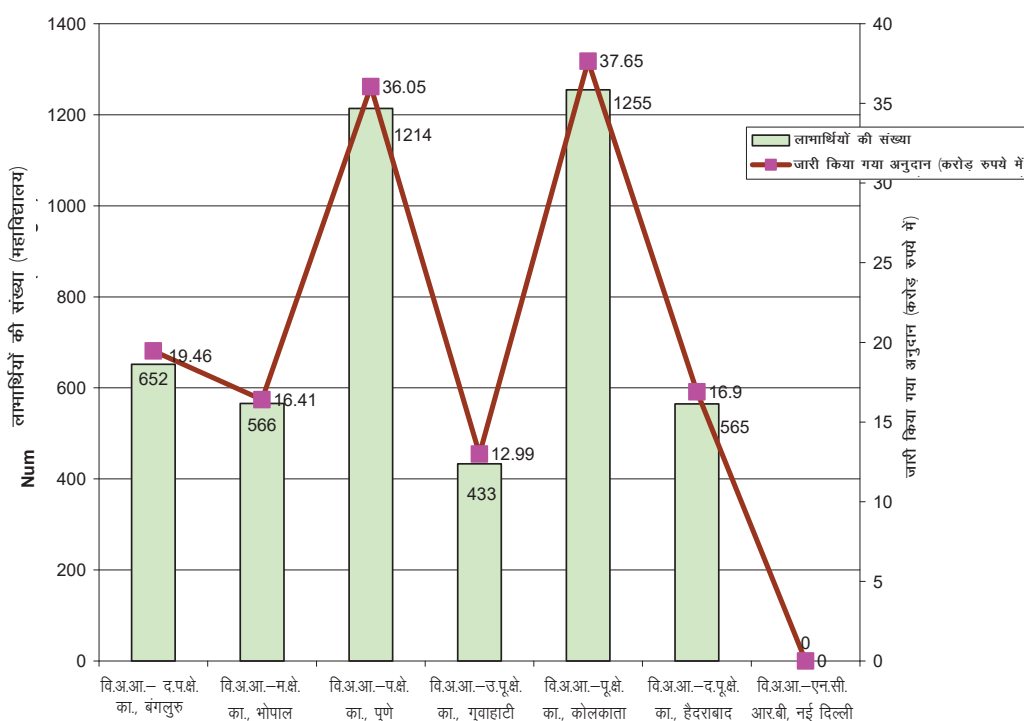
ऐसे सभी महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12 (ख) के तहत आते हैं वे अपने संस्थान में आईक्यूएसी की स्थापना और उसे सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। प्रत्येक महाविद्यालय के लिए दो बैच के उत्तीर्ण होने अथवा छह वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, के पश्चात् प्रत्यायन एजेन्सी से प्रत्यायित होना अनिवार्य है।

वर्ष 2018-2019 तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान योजना के तहत जारी किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय/ एनआरसीबी का नाम	वर्ष 2018-19 के दौरान आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ हेतु जारी किया गया अनुदान				आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि तक)	
		वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	सामान्य अनुदान- सहायता- 31	पूँजीगत परिसम्पत्तियां - 35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.-द.प.क्षे. का., बंगलुरु	0	0	0	0	652	19.46
2.	वि.अ.आ.-म.क्षे. का., भोपाल	0	0	0	0	566	16.41
3.	वि.अ.आ.-प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	0	1214	36.05
4.	वि.अ.आ.-उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	0	0	0	0	433	12.99
5.	वि.अ.आ.-पू.क्षे. का., कोलकाता	0	0	0	0	1255	37.65
6.	वि.अ.आ.-द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	0	0	0	0	565	16.90
7.	वि.अ.आ.-एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	0	0	0	4685	139.46

रेखाचित्र 4.4 (च) : दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ



4.4 (छ) महाविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना और उपकरणों का विकास

योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रों के बीच एक स्वस्थ भागीदारी और सहयोग की भावना पैदा करना और खेलकूद में आपसी सहयोग से उपलब्धियाँ प्राप्त करना और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का साहस और दृढ़ता के साथ सामना करने और उनसे प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने की क्षमता पैदा करना है।

उपयुक्त उद्देश्यों के मद्देनजर, योजना को निम्नवत की पेशकश करने के लिए तैयार किया गया है

- (क) खेलों में छात्रों की बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नई और मौजूदा बाहरी/ आंतरिक अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता। जबकि छात्रों को ऐसी खेल सुविधाओं का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होगा, इस योजना का विशेष उद्देश्य, शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में पहली पीढ़ी के छात्रों की सेवा करना है।

- (ख) किसी विशेष खेल में 'प्राप्ति' के स्तर पर, छात्रों को बेहतर उपकरण और अवसंरचना की उपलब्धता के माध्यम से खेल के उसी अथवा संबद्ध क्षेत्र में खेल के अधिक उन्नत स्तर पर भागीदारी करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।
- (ग) जहां, पहले से उपलब्ध अवसंरचना में सुधार/ सुदृढ़ किए जाने की मंशा हो। महाविद्यालय को ऐसी मानक अवसंरचना और गैर-विस्तारणीय उपकरण सुविधाओं के सृजन में सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें अपने छात्रों के लिए ऐसे क्रियाकलापों को आयोजित करने हेतु सुविधा प्रदान की जा सके।

वित्तीय सहायता के तीन पृथक चरण हैं और इन चरणों की अधिकतम सीमा निम्नवत है:-

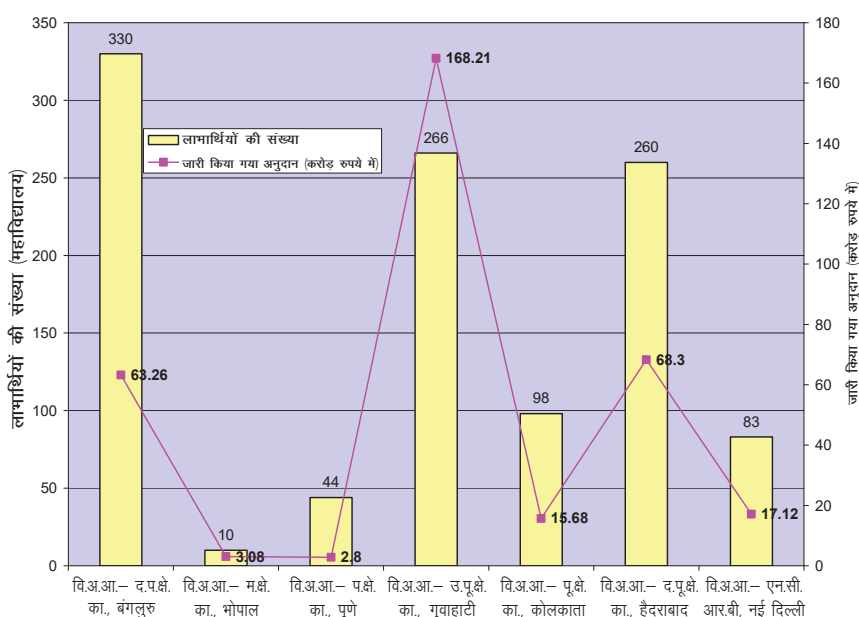
- (क) चरण- I : 12 लाख रुपये + उपकरण के लिए 10 लाख रुपये = 22 लाख रुपये।
- (ख) चरण- I : 170.00 लाख रुपये + उपकरण के लिए 10 लाख रुपये = 180.00 लाख रुपये।
- (ग) चरण- I : 240.00 लाख रुपये + उपकरण के लिए 10 लाख रुपये = 250.00 लाख रुपये।

वर्ष 2018-2019 के दौरान तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय/ एनआरसीबी का नाम	वर्ष 2018-19 के दौरान खेलकूद अवसंरचना और उपकरण के विकास हेतु जारी किया गया अनुदान			खेलकूद अवसंरचना और उपकरण के विकास हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि तक)	
		वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ-35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.- द.प.क्षे. का., बंगलुरु	46	8.44	8.44	330	63.26
2.	वि.अ.आ.- म.क्षे. का., भोपाल	03	0.55	0.55	10	3.08
3.	वि.अ.आ.- प.क्षे. का., पुणे	2	0.03	0.03	44	2.80
4.	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	42	2.65	2.65	266	168.21
5.	वि.अ.आ.- पू.क्षे. का., कोलकाता	14	1.82	1.82	98	15.68
6.	वि.अ.आ.- द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	36	11.44	11.44	260	68.30
7.	वि.अ.आ.- एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	6	0.51	0.51	83	17.12
	कुल	149	25.44	25.44	1091	338.45

रेखाचित्र 4.4 (छ): दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान महाविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना और उपकरणों का विकास



4.4 (ज) : महाविद्यालयों को विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजना:-

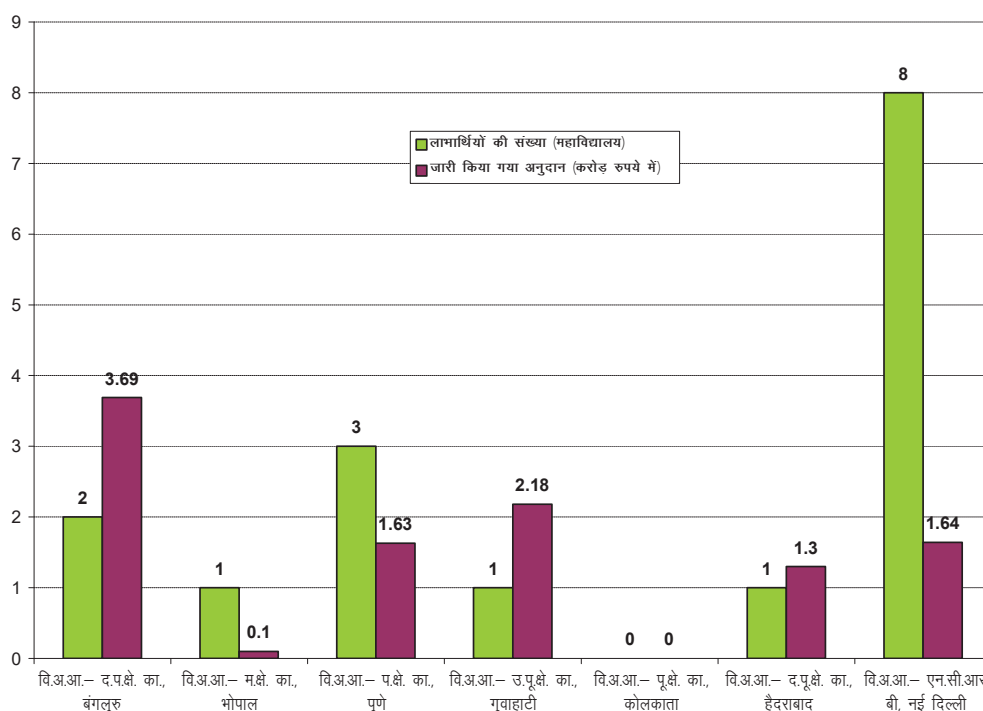
स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है तथा गुणवत्ता तथा प्रमात्रा में भी वृद्धि दर्ज की गई है। जिससे गुणवत्तायुक्त शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि हुई है। तथापि, ऐसे महाविद्यालय भी हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं तथा लगातार लंबे समय तक गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षा प्रदान करते आए हैं। ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं तथा उन्होंने न केवल उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है बल्कि हमारे देश के लंबे इतिहास के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नैतिक ताने-बाने को सहेज कर रखा है। इसलिए, ऐसे धरोहर रूपी इन संस्थानों को पहचान प्रदान करने तथा पुरस्कृत करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वे हमारी युवा पीढ़ी में 'वास्तविक शिक्षा' के मूल्यों का संचार करने में सक्षम हो सकें। इस कार्यक्रम के तहत बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी महाविद्यालय को प्रदान की जाने वाली सहायता की अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रुपये है।

वर्ष 2018-19 और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, योजना के तहत संस्वीकृत किए गए अनुदान का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय/ एनआरसीबी का नाम	वर्ष 2018-19 के दौरान विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजना हेतु जारी किया गया अनुदान				विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजना हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि तक)	
		वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	सामान्य अनुदान- सहायता- 31	पूँजीगत परिसम्पत्तियां -35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1	वि.अ.आ.- द.प.क्षे. का., बंगलुरु	0	0	0	0	2	3.69
2	वि.अ.आ.- म.क्षे. का., भोपाल	0	0	0	0	1	0.10
3	वि.अ.आ.- प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	0	3	1.63
4	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	0	0	0	0	1	2.18
5	वि.अ.आ.- पू.क्षे. का., कोलकाता	0	0	0	0	0	0
6	वि.अ.आ.- द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	1	0.34	0	0.34	1	1.30
7	वि.अ.आ.- एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	0	8	1.64
	कुल	1	0.34	0	0.34	16	10.54

रेखाचित्र 4.4 (ज) : दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान महाविद्यालयों को विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान किया जाना



4.4 (झ) : दृष्टिबाधित शिक्षक :-

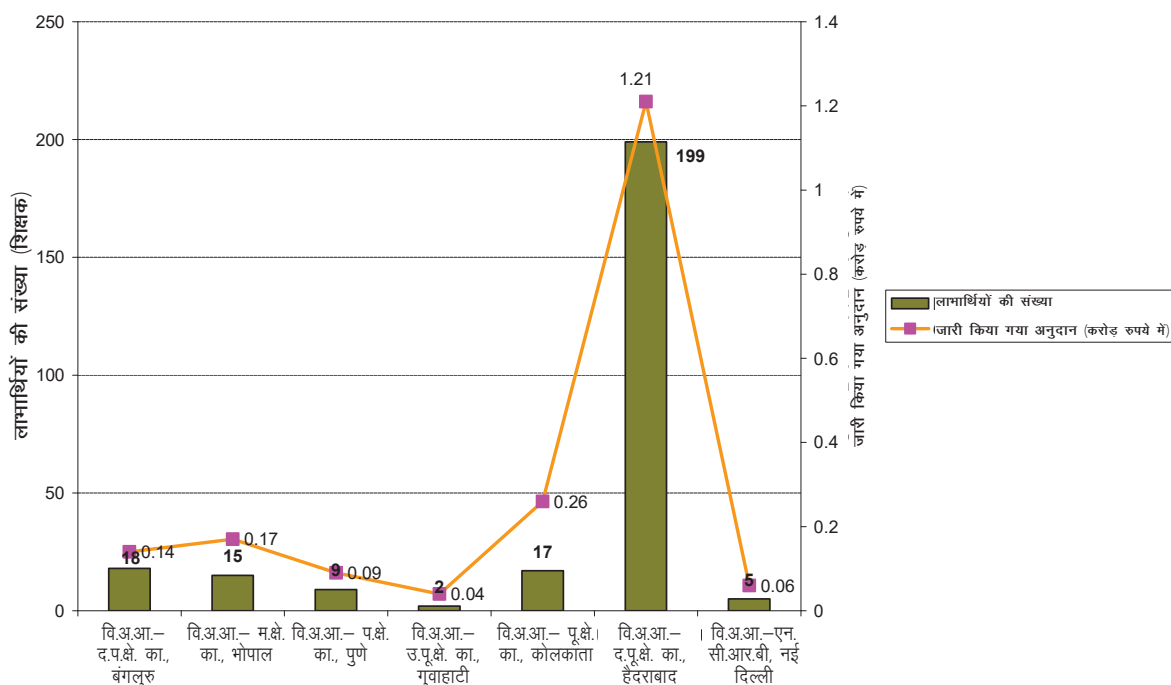
इस योजना को रीडर की सहायता से शिक्षण तथा ज्ञान अर्जन के उपकरणों का उपयोग कर तथा रीडर भत्ता तथा ब्रेल पुस्तकें, रिकार्ड की गई सामग्री आदि के क्रय हेतु निधियां उपलब्ध करवाकर स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षकों की मदद करने के लिए तैयार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षकों को शिक्षण तथा ज्ञान अर्जन तथा शोध करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर आत्म निर्भरता प्राप्त करने में मदद मिलती है। योजना का उद्देश्य सुविधा प्रदान करना है ताकि स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षक को विभिन्न शिक्षा, ज्ञानअर्जन और अनुसंधान हेतु उपलब्ध विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके आत्म निर्भरता प्राप्त करने में मदद की जा सके। स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षक को 36,000 रुपये प्रतिवर्ष का भत्ता प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2018-2019 के दौरान तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि में योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय/ एनआरसीबी का नाम	दृष्टिबाधित शिक्षकों को जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019)				दृष्टिबाधित शिक्षकों को जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि तक)	
		वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या	सामान्य अनुदान – सहायता – 31	पूजीगत परिसम्पत्तियां – 35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1	वि.अ.आ.-द.प.क्षे. का., बंगलुरु	0	0	0	0	18	0.14
2	वि.अ.आ.-म.क्षे. का., भोपाल	3	0.01	0	0.01	15	0.17
3	वि.अ.आ.-प.क्षे. का., पुणे	4	0.02	0	0.02	9	0.09
4	वि.अ.आ.-उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	1	0	0	0	2	0.04
5	वि.अ.आ.-पू.क्षे. का., कोलकाता	9	0.04	0	0.04	17	0.26
6	वि.अ.आ.-द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	55	0.22	0	0.22	199	1.21
7	वि.अ.आ.-एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	2	0.04	0	0.04	5	0.06
	कुल	74	0.33	0	0.33	265	1.97

रेखाचित्र 4.4 (झ): दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान दृष्टिबाधित शिक्षकों हेतु योजना



4.4 (ज) प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं) :-

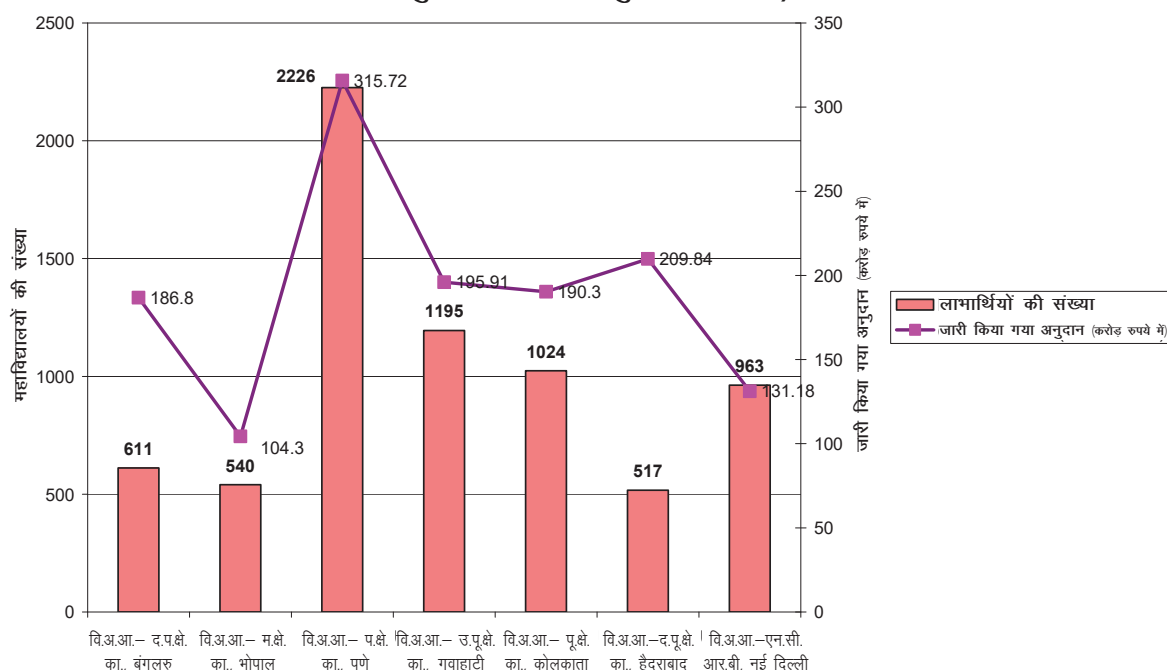
बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बंद की गई योजनाएं जैसे एकमुश्त 'कैच-अप' अनुदान, अतिरिक्त सहायता, आमेलित योजनाएं, आदि के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को वर्ष 2018-19 और दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 के

दौरान भुगतान किए गए अनुदानों का ब्योरा निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय/ एनआरसीबी का नाम	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिबद्ध देयताओं हेतु जारी किया गया अनुदान				प्रतिबद्ध देयताओं हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि तक)	
		वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	सामान्य अनुदान - सहायता- 31	पूँजीगत परिसम्पत्तियां - 35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.- द.प.क्षे. का., बंगलुरु	0	0	0	0	611	186.80
2.	वि.अ.आ.- म.क्षे. का., भोपाल	35	0	1.87	1.87	540	104.30
3.	वि.अ.आ.- प.क्षे. का., पुणे	24	0.27	0.73	1.00	2226	315.72
4.	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	0	0	0	0	1195	195.91
5.	वि.अ.आ.- पू.क्षे. का., कोलकाता	75	0	2.35	2.35	1024	190.30
6.	वि.अ.आ.- द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	5	0	0.16	0.16	517	209.84
7.	वि.अ.आ.- एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली	48	0	1.99	1.99	963	131.18
	कुल	187	0.27	7.10	7.37	7076	1334.05

रेखाचित्र 4.4 (ज) : दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)



4.5 दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गैर-योजनागत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध 53 महाविद्यालयों तथा 12 छात्रावासों को तथा राजस्व अनुदान के तहत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 4 महाविद्यालयों और पूँजीगत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध 64 महाविद्यालयों (53 महाविद्यालय + दिल्ली प्रशासन के 11 महाविद्यालय) को वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली के महाविद्यालयों/ दिल्ली में स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों को राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय/ राज्य स्तर पर संगोष्ठियां/ सम्मेलन/ कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराता है।

4.5(क) राजस्व अनुदान

53 महाविद्यालयों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 36 महाविद्यालयों को 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है और शेष 17 महाविद्यालयों को शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है (08 साध्यकालीन महाविद्यालय + 09 विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले इन 36 महाविद्यालयों में से 16 महाविद्यालय दिल्ली प्रशासन से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करते हैं और 20 महाविद्यालयों को उनके संबंधित न्यासों/ सोसायटियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध यह 53 महाविद्यालय तथा 12 छात्रावास, आयोग से प्राप्त अनुरक्षण अनुदान से अपने वेतन, पेंशन और वेतनेतर व्यय की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय का बजट निर्धारित करने के लिए महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ वार्षिक बैठकें की जाती हैं।

तालिका 4.5 (क)(i): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से राजस्व अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों तथा छात्रावासों की श्रेणी-वार सूची:

क्रम संख्या	श्रेणी. 1. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)	क्रम संख्या	श्रेणी.2. सांध्यकालीन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)
1	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज	10	दयाल सिंह महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
2	देशबन्धु कॉलेज (दिवसीय) *	11	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
3	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	12	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (न्यास)
4	किरोड़ी मल कॉलेज #	13	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
5	मिरान्डा हॉउस #	14	श्याम लाल महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
6	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)	15	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
7	रामानुजन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)	16	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
8	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)	17	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय (न्यास)#
9	आर्यभट्ट महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)		
क्रम संख्या	श्रेणी.3. दिल्ली प्रशासन के अधीन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 95 प्रतिशत और दिल्ली प्रशासन द्वारा 5 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है।)	क्रम संख्या	श्रेणी.2. सांध्यकालीन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)
18	भारती महाविद्यालय	36	लेडी इरविन महाविद्यालय #
19	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कामर्स	37	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स #
20	विवेकानन्द महाविद्यालय	38	सेंट स्टीफेन्स महाविद्यालय #
21	गार्गी महाविद्यालय *	39	आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय*
22	कालिन्दी महाविद्यालय *	40	दौलतराम महाविद्यालय #
23	कमला नेहरू महाविद्यालय *	41	हंसराज महाविद्यालय #
24	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय *	42	हिन्दू महाविद्यालय #
25	मैत्रेयी महाविद्यालय *	43	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय #
26	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)*	44	जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज*
27	राजधानी महाविद्यालय *	45	जीसस एण्ड मेरी कॉलेज*
28	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)*	46	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय #
29	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)*	47	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय*
30	शिवाजी महाविद्यालय*	48	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय) *
31	श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय*	49	रामजस महाविद्यालय #
32	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिवसीय) *	50	श्यामलाल महाविद्यालय (दिवसीय) *
33	स्वामी श्रद्धानन्द महाविद्यालय*	51	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय) *
34	श्री गुरु गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	52	श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज
35	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स	53	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय*

*ऐसे विस्तारित महाविद्यालय जो 1000 छात्रों पर शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले दिल्ली के महाविद्यालयों के छात्रावास

तालिका 4.5 (क)(i): वर्ष 2018-19 के दौरान दिल्ली के महाविद्यालयों को जारी किए गए 'राजस्व अनुदान' (लाख रुपये में) को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेंशन	कुल
1	आत्माराम सतानधर्म महाविद्यालय	3824.00	750.00	4574.00
2	भारती महाविद्यालय	2201.00	287.90	2488.90
3	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज	2811.42	208.40	3019.82
4	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	4744.50	668.90	5413.40
5	दयाल सिंह कॉलेज (सांध्यकालीन)	1831.66	243.79	2075.45
6	दौलतराम महाविद्यालय	4100.00	973.60	5073.60
7	देशबन्धु महाविद्यालय (दिवसीय)	4198.75	808.90	5007.65
8	रामानुजन महाविद्यालय	1729.86	317.50	2047.36
9	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कामर्स	2108.00	400.29	2508.29
10	श्री गुरु गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	1900.00	54.50	1954.50
11	गार्गी महाविद्यालय	4632.84	827.00	5459.84

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेंशन	कुल
12	हंसराज महाविद्यालय	3922.71	1043.10	4965.81
13	हिन्दू महाविद्यालय	4395.00	673.00	5068.00
14	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	2622.00	695.03	3317.03
15	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स	1855.98	384.60	2240.58
16	जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज	4500.25	1528.00	6028.25
17	जीसस एण्ड मेरी कॉलेज	2159.60	635.00	2794.60
18	कालिन्दी महाविद्यालय	2799.27	699.40	3498.67
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	3352.68	696.45	4049.13
20	किरोड़ी मल कॉलेज	4490.00	646.71	5136.71
21	लेडी इरविन महाविद्यालय	2538.29	607.90	3146.19
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	2918.21	823.60	3741.81
23	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय	3272.00	914.00	4186.00
24	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय	3044.00	590.20	3634.20
25	मिरान्डा हॉउस	4179.00	1179.50	5358.50
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	5209.10	810.79	6019.89
27	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	2845.00	537.90	3382.90
28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1772.84	467.29	2240.13
29	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)	3168.00	376.60	3544.60
30	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1808.29	293.22	2101.51
31	रामजस महाविद्यालय	5800.00	911.29	6711.29
32	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)	1579.74	319.60	1899.34
33	आर्यभट्ट महाविद्यालय	3051.60	256.35	3307.95
34	राजधानी महाविद्यालय	3000.00	614.60	3614.60
35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)	3000.50	554.60	3555.10
36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2167.00	246.87	2413.87
37	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज	2054.00	312.00	2366.00
38	श्री राम कालेज ऑफ कामर्स	2396.43	372.21	2768.64
39	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)	4591.20	724.00	5315.20
40	श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज	2300.00	270.80	2570.80
41	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय	4800.00	595.00	5395.00
42	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)	2450.00	465.00	2915.00
43	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1476.70	395.50	1872.20
44	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय	4678.50	937.50	5616.00
45	एस0पी0एम कालेज फॉर वीमेन	3176.10	508.29	3684.39
46	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)	3100.00	631.21	3731.21
47	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2477.07	322.50	2799.57
48	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)	2800.00	264.00	3064.00
49	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2016.25	114.56	2130.81
50	शिवाजी महाविद्यालय	4862.00	894.00	5756.00
51	विवेकानन्द महाविद्यालय	2199.90	392.29	2592.19
52	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)	5654.29	789.90	6444.19
53	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1800.00	330.40	2130.40
कुल		166365.53	30365.54	196731.07

छात्रावास

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेंशन	कुल
1	दौलतराम महाविद्यालय	67.10	10.32	77.42
2	हंसराज महाविद्यालय	77.10	25.56	102.66
3	हिन्दू महाविद्यालय	57.12	42.40	99.52
4	इन्द्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन	77.10	50.27	127.37
5	किरोड़ी मल कॉलेज	102.10	40.19	142.29
6	लेडी इरविन महाविद्यालय	126.40	97.41	223.81
7	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय	122.40	17.72	140.12
8	मिरान्डा हॉउस	77.10	72.10	149.20
9	रामजस महाविद्यालय	77.10	28.16	105.26

12	हंसराज महाविद्यालय	यूनीवर्सिटी एन्क्लेव	दिल्ली- 110 007
13	हिन्दू महाविद्यालय	यूनीवर्सिटी एन्क्लेव	दिल्ली- 110 007
14	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	शाम नाथ मार्ग	दिल्ली- 110 054
15	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स	एफ -4, हौजखास एनक्लेव	नई दिल्ली- 110 016
16	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय	सर गंगाराम हास्पिटल मार्ग	नई दिल्ली- 110 060
17	जीसस एण्ड मेरी महाविद्यालय	चाणक्यपुरी	नई दिल्ली- 110 021
18	कालिन्दी महाविद्यालय	ईस्ट पटेल नगर	नई दिल्ली- 110 008
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	खेल गांव मार्ग	नई दिल्ली-110 049
20	किरोड़ी मल कॉलेज	यूनीवर्सिटी एन्क्लेव	दिल्ली- 110 007
21	लेडी इरविन महाविद्यालय	सिकंदरा रोड	नई दिल्ली- 110 001
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	अशोक विहार, फेज-III	दिल्ली- 110 052
23	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय	लाजपत नगर	नई दिल्ली- 110 024
24	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय	माता सुंदरी लेन	नई दिल्ली- 110 002
25	मिरान्डा हॉउस	पटेल चेस्ट मार्ग	दिल्ली- 110 007
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	चाणक्यपुरी, बापूधाम कॉम्प्लेक्स	नई दिल्ली - 110021
27	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	बेनिटो जुआरेज रोड	नई दिल्ली- 110 021
28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	बेनिटो जुआरेज रोड	नई दिल्ली- 110 021
29	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)	नेहरू नगर, रिंग रोड	नई दिल्ली- 110 065
30	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	नेहरू नगर, रिंग रोड	नई दिल्ली- 110 065
31	रामजस महाविद्यालय	यूनीवर्सिटी एन्क्लेव	दिल्ली- 110 007
32	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)	बेनिटो जुआरेज रोड	नई दिल्ली- 110 021
33	आर्यभट्ट महाविद्यालय	बेनिटो जुआरेज रोड, (आनंद निकेतन)	नई दिल्ली- 110 021
34	राजधानी महाविद्यालय	राजा गार्डन	नई दिल्ली- 110 015
35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)	शेखसराय, फेज-II	नई दिल्ली- 110 017
36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	शेखसराय, फेज-II	नई दिल्ली- 110 017
37	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज	विश्वविद्यालय एन्क्लेव	दिल्ली- 110 007
38	श्री राम कालेज ऑफ कामर्स	श्री गुरु तेगबहादुर मार्ग	दिल्ली- 110 007
39	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)	यूनीवर्सिटी एन्क्लेव	दिल्ली- 110 007
40	श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज	देव नगर	नई दिल्ली- 110 005
41	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय	बेनिटो जुआरेज रोड, धौला कुआँ	नई दिल्ली- 110 021
42	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)	जी.टी. रोड, शाहदरा	दिल्ली-110 032
43	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	जी.टी. रोड, शाहदरा	दिल्ली- 110 032
44	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय	अलीपुर	दिल्ली- 110 036
45	एस0पी0एम कालेज फॉर वीमेन	पंजाबी बाग (पश्चिम), रोड नं. 57	नई दिल्ली- 110 026
46	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)	अशोक विहार, फेज-III	दिल्ली- 110 052
47	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	अशोक विहार, फेज-III	दिल्ली- 110 052
48	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)	मालवीय नगर	नई दिल्ली- 110 017
49	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	मालवीय नगर	नई दिल्ली- 110 017
50	शिवाजी महाविद्यालय	रिंग रोड, राजा गार्डन	नई दिल्ली- 110 027
51	विवेकानन्द महाविद्यालय	विवेक विहार	दिल्ली- 110 095
52	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)	जवाहरलाल नेहरू मार्ग	नई दिल्ली- 110 002
53	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	जवाहरलाल नेहरू मार्ग	नई दिल्ली- 110 002
54	आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय	गोविंद पुरी, कालकाजी	नई दिल्ली- 110 019
55	भगिनी निवेदिता महाविद्यालय	कैर, (नजफगढ़ के नजदीक)	नई दिल्ली- 110 043
56	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस	सेक्टर -2, फेज-I, द्वारका	नई दिल्ली- 110 075
57	केशव महाविद्यालय	एच-4-5 जोन पीतमपुरा	दिल्ली- 110 034
58	शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर एप्लाइड साइंस फार वीमेन	वसुंधरा रोड, चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स	दिल्ली- 110 096
59	भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय	मेन वजीराबाद रोड	दिल्ली- 110 094
60	दुर्गाबाई देशमुख कालेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन	लाल बहादुर शास्त्री मार्ग,	नई दिल्ली- 110003
61	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय	वसुंधरा एन्क्लेव	दिल्ली- 110 096

62	दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय	सेक्टर -3, द्वारका	दिल्ली. 110 078
63	अदिति महाविद्यालय	औचंदी रोड	दिल्ली- 110 039
64	सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज	झिलमिल कॉलोनी, विवेक विहार	दिल्ली- 110 095
65	यूनीवर्सिटी कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेज	शाहदरा	दिल्ली- 110 095
66	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज	शाहिद भगत सिंह मार्ग	नई दिल्ली -110 001

वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत योजनाओं के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को अनुदान जारी किया:-

तालिका 4.5 (ख)(ii): वर्ष 2018-19 के दौरान दिल्ली के महाविद्यालयों को जारी किए गए 'पूँजीगत अनुदान' (लाख रुपये में) को दर्शाने वाला विवरण:

(लाख रुपये में)

प्रयोजन	जारी किया गया अनुदान		कुल
	शीर्ष- 31	शीर्ष- 35	
भवन निर्माण परियोजनाएं	-	1033.00	1033.00
विशेष योजना के तहत महिला छात्रावास	-	108.00	108.00
संगोष्ठियां / सम्मेलन / कार्यशालाएं	12.24	-	12.24
दृष्टिबाधित शिक्षकों- रीडर भत्ता	12.39		12.39
कुल	24.63	1141.00	1165.63

तालिका 4.5 (ख)(iii): वर्ष 2018-19 के दौरान दिल्ली के महाविद्यालयों को जारी किए गए 'संगोष्ठियां / सम्मेलन अनुदान' (लाख रुपये में) को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	राशि रुपये में
1	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	129419
2	आर्यभट्ट महाविद्यालय	500000
3	सत्यवती महाविद्यालय (दिवसीय)	24000
4	जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय (दिवसीय)	185100
5	अदिति महाविद्यालय	112981
6	दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय	123124
7	शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस फॉर वीमेन	149790
	कुल	1224414

तालिका 4.5 (ख)(iv): वर्ष 2018-19 के दौरान दिल्ली के महाविद्यालयों को पूँजीगत शीर्ष के तहत जारी किए गए अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये में)

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	भवन	महिला छात्रावास	दृष्टिबाधित शिक्षकों को रीडर भत्ता	कुल
1	श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	0	6000000	0	6000000
2	हंसराज कॉलेज	3500000	0	0	3500000
3	हिन्दू महाविद्यालय	4800000	0	0	4800000
4	कमला नेहरू महाविद्यालय	0	0	276000	276000
5	किरोड़ी मल महाविद्यालय	8000000	0	288000	8288000
6	मिरांडा हाऊस	12000000	0	0	12000000
7	मैत्रेयी महाविद्यालय	20000000	4800000	0	24800000
8	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	0	0	288000	288000
9	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	0	0	36000	36000
10	रामजस महाविद्यालय	15000000	0	0	15000000
11	आर्यभट्ट कॉलेज	40000000	0	0	40000000
12	शिवाजी महाविद्यालय	0	0	243200	243200
13	दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय	0	0	108000	108000
	कुल	103300000	10800000	1239200	115339200
	लाख रुपये में	1033.00	108.00	12.39	1153.39

► गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता

- ❖ 5.1 उत्कृष्टता की संभावना- प्रशिक्षण और अनुसंधान
- ❖ 5.2 विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)
- ❖ 5.3 स्वायत्त महाविद्यालय
- ❖ 5.4 मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी)
- ❖ 5.5 शिक्षाविदों के लिए नेतृत्व कार्यक्रम (एलईएपी)
- ❖ 5.6 राजभाषा का संवर्धन
- ❖ 5.7 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
- ❖ 5.8 राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा : शिक्षण और शोध हेतु मानव संसाधन विकास
- ❖ 5.9 यात्रा अनुदान
- ❖ 5.10 गुणवत्ता संवर्धन हेतु अंतर्विश्वविद्यालय संसाधन
- ❖ 5.11 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र
- ❖ 5.12 विश्वविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपस्करों का विकास
- ❖ 5.13 उत्कृष्टता के संस्थान
- ❖ 5.14 गुणवत्तायुक्त शोधपत्रों का संवर्धन
- ❖ 5.15 उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने तथा उसे संस्थाबद्ध करने के लिए ग्रेडिड स्वायत्ता
- ❖ 5.16 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गुणवत्ता अधिदेश

5.1 उत्कृष्टता की संभावना-शिक्षण और अनुसंधान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता की प्राप्ति के प्रयत्न स्वरूप विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चयनित विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध करवा रहा है ताकि उन्हें विश्वस्तरीय बनाया जा सके तथा देश में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई), उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई) तथा किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सीपीईपीए) और नई योजनाओं की भांति अन्य संस्थानों के लिए बैचमार्क के रूप में कार्य करें।

5.1(i) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस योजना को आरंभ किया था ताकि कुछ विश्वविद्यालयों की पहचान की जा सके जिनकी शिक्षण और अनुसंधान क्रियाकलापों में उत्कृष्टता की संभाव्यता है। यूपीई योजना के तहत अब तक 16 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है। 15 विश्वविद्यालयों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है और दिनांक 31 मार्च, 2019 तक समय विस्तार दिया गया था ताकि पहले से ही अनुमोदित बजट शीर्ष पर यूपीई अनुदान पर अव्ययित अनुदान के साथ अर्जित ब्याज का उपयोग किया जा सके। मौजूदा 16 (सोलह) विश्वविद्यालय और उन्हें अब तक भुगतान किए गए अनुदान का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

योजना	क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	बल दिया जाने वाला क्षेत्र	अनुमोदित अनुदान राशि (रूपये करोड़ में)		जारी किया गया अनुदान (रूपये करोड़ में)	
				चरण-I	चरण-II	चरण-I	चरण-II
ग्यारहवीं	1.	जादवपुर विश्वविद्यालय	1. नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2. कोगनिटिव साइंस	30.00	25.00 संशोधित कर 50.00 किया गया	30.00	44.58
	2.	पुणे विश्वविद्यालय	जैव प्रौद्योगिकी तथा नवीन पदार्थ और नैनो प्रणालियां	30.00	25.00 संशोधित कर 50.00 किया गया	30.00	37.55
	3.	मद्रास विश्वविद्यालय	शाकीय विज्ञान (हर्बल विज्ञान)	30.00	25.00	30.00	15.20
	4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	शिक्षण तथा शोध में इंटरफेस अध्ययन	30.00	25.00 तथा संशोधित कर 50.00 किया गया	30.00	50.00

योजना	क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	बल दिया जाने वाला क्षेत्र	अनुमोदित अनुदान राशि (रूपये करोड़ में)		जारी किया गया अनुदान (रूपये करोड़ में)	
				चरण-I	चरण-II	चरण-I	चरण-II
	5.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1. भौतिकी तथा नैनोविज्ञान तकनीकों का उपयोग करते हुए जैविक तथा पर्यावरणीय उत्पत्ति के पदार्थों में जीनोमिक्स तथा प्रोटियोमिक्स का अध्ययन। 2. वैश्वीकरण, राष्ट्रीय विकास तथा ज्ञान प्रणालियाँ: एक दूसरे से संबद्ध अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज तथा संस्कृति	30.00	60.00	30.00	30.00
दसवीं	6.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	जीव विज्ञान में नैनो विज्ञान	28.65	--	28.65	--
	7.	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय (एनईएचयू)	जैव विज्ञान एवं क्षेत्र अध्ययन	30.00	--	25.00	--
	8.	कोलकाता विश्वविद्यालय	आधुनिक जीव विज्ञान	30.00	60.00 (वर्ष 2015-20)	30.00	39.60
	9.	मुम्बई विश्वविद्यालय	हरित प्रौद्योगिकी	30.00 जिसे दिनांक 31 मार्च, 2015 तक बढ़ाया गया	--	20.85	--
ग्यारहवीं	10	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	द्रव्य अनुसंधान-सामाजिक प्रासंगिकता	50.00	--	30.00	--
	11	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1) अत्याधुनिक क्रियाशील द्रव्यमान (उर्जा द्रव्यमान, मल्टीफेरानिक्स, अत्याधुनिक पालीमर) 2) जीनोमिकी और प्रोटियोमिक्स	50.00	--	50.00	--
	12	राजस्थान विश्वविद्यालय	पदार्थ और अभिसरणात्मक विज्ञान: नैनो-पदार्थ, नैनो-कंपोजिट तथा बहुपरतीय पदार्थ	50.00	--	25.00	--
	13	मैसूर विश्वविद्यालय	1) अत्याधुनिक क्रियाशील पदार्थों को संसाधित करना, लक्षण वर्णन तथा उनका अनुप्रयोग 2) मीडिया और सामाजिक विकास -कर्नाटक का एक अध्ययन मामला	50.00	--	50.00	--
	14	कर्नाटक विश्वविद्यालय	ट्यूमर-रोधी क्रियाकलाप - एक समेकित पद्धति	50.00	--	25.00	--
	15	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय	पदार्थ विज्ञान	50.00	--	30.00	--
	16	अन्ना विश्वविद्यालय	जैव-चिकित्सा अभियांत्रिकी तथा यांत्रिकी	23.11 (2016-17)	प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए	23.11	--

5.1 (ii) किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीईपीए)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान "किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीईपीए)" योजना को आरंभ किया था ताकि शिक्षण तथा शोध क्रियाकलापों में उत्कृष्टता तथा अंतर्विषयक पद्धति को बढ़ावा दिया जा सके। योजना का व्यापक उद्देश्य चयनित विश्वविद्यालयों में चुनिंदा विभागों को बढ़ावा देना तथा सुविधा प्रदान करना है ताकि वे क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उभरते हुए नवीन अथवा अत्याधुनिक क्षेत्रों में विभाग और/अथवा विधाओं की सीमाओं से इतर अपने कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों में संकाय सदस्यों को जोड़कर उनका सहयोग प्राप्त कर सकें।

आज की तिथि के अनुसार, इस योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों से 29 केन्द्रों को सहायता प्रदान की जा रही है। ब्योरा नीचे दिया गया है:

राज्य	क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र	मौजूदा चरण	लाख रुपये में	
					आबंटन	जारी किया गया अनुदान
आंध्र प्रदेश	1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति,	पारम्परिक शास्त्र	चरण-II	300	240
	2.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	“कतिपय महत्वपूर्ण चिकित्सा पादपों की स्वास्थ्य परिचर्या हेतु बायो-प्रोस्पेक्टिंग”	चरण-I	280	250
	3.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	एरोसोल वायुमंडलीय मॉडलिंग तथा दूरसंवेदी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का अध्ययन	चरण-I	494	280.05
असम	4.	तेजपुर विश्वविद्यालय	पूर्वोत्तर क्षेत्र में सांस्कृतिक स्मृति : टेक्ट्याक तथा दृश्यात्मक विवरणों के संबंध में एक शोध तथा प्रलेखन कार्यक्रम	चरण-I	230.00	115.65
अरुणाचल प्रदेश	5.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	जैव विविधता	चरण-II	700	700
चण्डीगढ़	6.	पंजाब विश्वविद्यालय	जैव चिकित्सा विज्ञान	चरण-I	500	500
	7.	पंजाब विश्वविद्यालय	पंजाब और हरियाणा में लिंग संबंधी लेखापरीक्षा “कल्चरल फिक्सेशन ऑन ऑनर”	चरण-I	185	185
	8.	पंजाब विश्वविद्यालय	“नैनो पदार्थों, नैनो-कणों तथा नैनो संघटकों का अनुप्रयोग”	चरण-I	355	317.5
दिल्ली	9.	जामिया मीलिया इस्लामिया	देश में मीडिया तथा संचार अध्ययनों को सुदृढ़ करना	चरण-I	280	98
गुजरात	10.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	अनुप्रयुक्त पॉलीमर	चरण-II	670	454
हिमाचल प्रदेश	11.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमालय अध्ययन	चरण-II	700	350
जम्मू और कश्मीर	12.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	कश्मीर हिमालयी जैव-विविधता का दस्तावेजीकरण, जैव-प्रलेखन तथा संरक्षण	चरण-I	527.184	260
कर्नाटक	13.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	“चिकित्सीय निदान, उद्योगों तथा कृषि अनुप्रयोगों हेतु उन्नत पदार्थ”	चरण-I	685	342.5
	14.	बंगलुरु विश्वविद्यालय	“रोग प्रबंधन में लक्षित औषधि तथा कोशिकाओं में उसके प्रभाव का पता लगाने हेतु आणविक तथा नैनो उपकरणों का अनुप्रयोग”	चरण-I	575	575
	15.	मैसूर विश्वविद्यालय	“केरेक्ट्राईजेशन एण्ड एप्लीकेशन ऑफ एडवांस फंक्शनल नैनो मैटीरियल”	चरण-I	430	430
	16.	मंगलोर विश्वविद्यालय	“माइक्रोट्रॉन सुविधा का उपयोग करते हुए ‘पालीस्केल फंक्शनल मैटीरियल पर इलेक्ट्रॉन बीम इरेडियेशन का प्रभाव”	चरण-I	505.8	406.76

राज्य	क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र	मौजूदा चरण	लाख रुपये में	
					आबंटन	जारी किया गया अनुदान
मध्य प्रदेश	17.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	ई-प्रबंधन अध्ययन	चरण-I	300	300
	18.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	“इंदौर के जनजातीय क्षेत्रों में समेकित तथा सतत् विकास”	चरण-I	250	130
महाराष्ट्र	19.	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	“मराठवाड़ा के पिछड़े जिलों में ग्रामीण विकास”	चरण-I	250	70
पंजाब	20.	गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय	खेल-कूद विज्ञान	चरण-I	500	500
	21.	गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय	“पंजाब में कैंसर तथा मधुमेह के द्वितीय प्रकार का आनुवंशिक आधार”	चरण-I	615	615
तमिलनाडु	22.	अन्ना विश्वविद्यालय	पर्यावरणीय विज्ञान	चरण-II	500	450
	23.	मद्रास विश्वविद्यालय	“मानव कल्याण हेतु चिकित्सीय पादपों से औषधियों का विकास”	चरण-I	325	162
	24.	मद्रास विश्वविद्यालय	जलवायु परिवर्तन तथा क्षेत्र में मैनग्रोव पारिस्थितिकीय पर इसका प्रभाव	चरण-I	230	215
	25..	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	“समुद्र विज्ञान संकाय में समुद्री जीव विज्ञान पर उच्च अध्ययन”	चरण-I	385	385
	26.	भरतीयार विश्वविद्यालय	“सौर ऊर्जा सामग्री तथा उपकरणों को विकसित करने के लिए भौतिकी में उन्नत शोध”	चरण-I	354	326.80
	27.	भारतीदासन विश्वविद्यालय	“पशुओं पर प्रयोग के विकल्प के संबंध में राष्ट्रीय केन्द्र”	चरण-I	500	246.38
उत्तर प्रदेश	28.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	बिहेवियरल कॉग्नेटिव साइंस	चरण-II	700	700
पश्चिम बंगाल	29.	कोलकाता विश्वविद्यालय	“इलेक्ट्रो फिजीयोलॉजीकल एण्ड न्यूरो इमेजिंग स्टडीज इन्कलूडिंग मैथेमेटिकल मॉडलिंग”	चरण-I	615	615

29 केन्द्रों में से 20 केन्द्रों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है और दिनांक 31 मार्च, 2019 तक समय विस्तार दिया गया था ताकि पहले से ही अनुमोदित बजट शीर्ष पर सीपीईपीए अनुदान पर अव्ययित अनुदान के साथ अर्जित ब्याज का उपयोग किया जा सके। वर्ष 2018-19 के दौरान सीपीईपीए योजना के तहत केन्द्रों को 2.45 करोड़ रुपये (केवल दो करोड़ पैंतालीस लाख रुपये) जारी किए गए थे। सीपीईपीए की योजना को बंद कर दिया गया था।

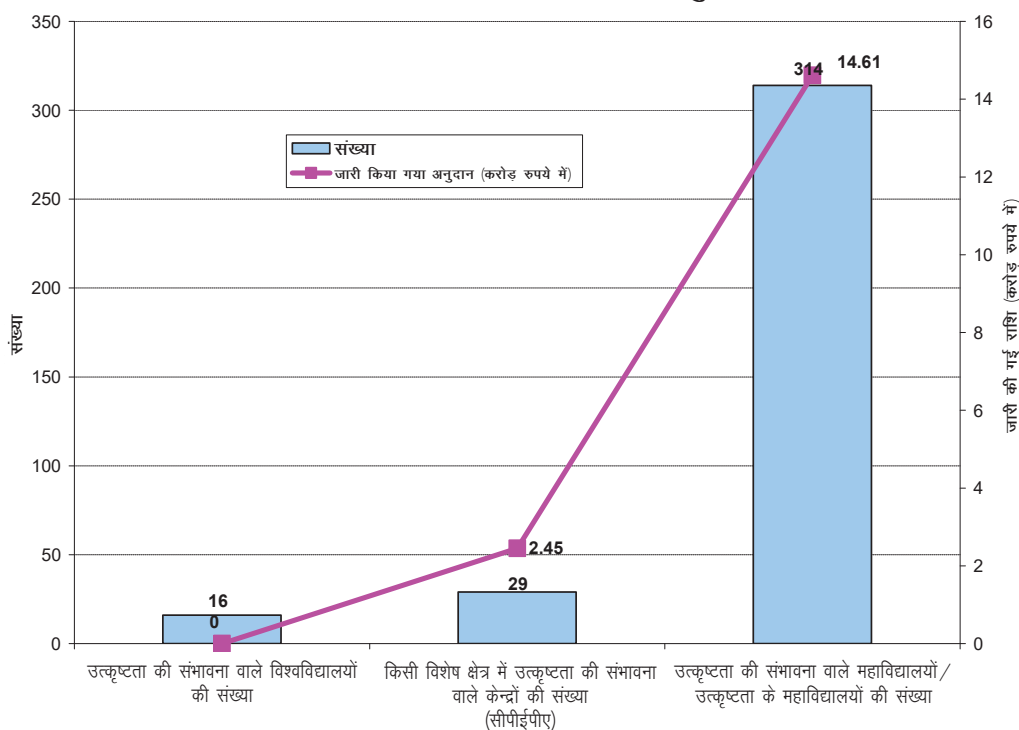
5.1(iii) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीपीई योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत महाविद्यालयों को उनकी शैक्षणिक अवसंरचना में सुधार लाने, शिक्षण, प्रशिक्षण में नवोन्मेष को अपनाने के लिए तथा उपाधि स्तर पर पाठ्यक्रमों के चयन में एक लचीला दृष्टिकोण प्रस्तावित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीपीई महाविद्यालय अन्य महाविद्यालयों को उनके प्रचालन के क्षेत्र में अनुकरणीय महाविद्यालय के रूप में कार्य कर सकता है। योजना का उद्देश्य चयनित महाविद्यालयों को मुख्यतः उनके शिक्षण क्रियाकलापों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करना और ऐसे महाविद्यालयों में शोध की संस्कृति आरंभ करना है।

वर्तमान में, 295 महाविद्यालयों को “उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय” (सीपीई) का दर्जा प्राप्त है तथा 19 महाविद्यालयों को “उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय” (सीई) का दर्जा प्राप्त है। आज की स्थिति के अनुसार सीपीई योजना के तहत कुल 314 महाविद्यालय हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान यूपीई की इस योजना के तहत महाविद्यालयों को 14.61 करोड़ रुपये (केवल चौदह करोड़ इकसठ लाख रुपये) की राशि जारी की गई थी।

रेखाचित्र 5.1: वर्ष 2018–19 के दौरान उत्कृष्टता की संभावना के दर्जे: यूपीई: सीपीईपीए: सीपीई वाले केन्द्रों की संख्या और उन्हें जारी किया गया अनुदान



5.2 विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)

एसएपी कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1963 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध और शिक्षण में कुछ संभाव्यता वाले चुनिंदा विश्वविद्यालय विभागों को सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति के लिए उन्नत शिक्षण और शोध में समूह के रूप में कार्य करने तथा उत्कृष्टता प्राप्ति को प्रोत्साहित करना है। सर्वप्रथम, ऐसे कार्यक्रम को ‘उच्च अध्ययन केन्द्र’ (सीएस) के रूप में 1963 में आरंभ किया गया था। ऐसे कुछ केन्द्रों को यूएनडीपी/यूनेस्को से भी मान्यता और वित्तीय प्राप्त हुई है। “विशेष सहायता विभाग” (डीएसए) और “विभागीय शोध सहायता” (डीआरएस) कार्यक्रमों को क्रमशः वर्ष 1972 और 1977 में सीएस हेतु फीडर विभागों के संवर्ग का सृजन करने के लिए आरंभ किया गया था।

विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) स्तर

1. शोध सहायता विभाग (डीआरएस)
2. विशेष सहायता विभाग (डीएसए)
3. उच्च अध्ययन केन्द्र (सीएस)

विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) का कार्यकाल एक विशिष्ट चरण के लिए **पांच वर्ष** का होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डीआरएस और डीएसए के समान स्तर पर तीन से अधिक बार (05 वर्ष का प्रत्येक) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा। डीआरएस/ डीएसए के स्तर पर विभाग के निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार होता है, तो विभाग को डीआरएस/डीएसए के अगले स्तर, जैसा भी मामला हो, पर उन्नयन हुआ माना जाएगा।

सहायता का स्वरूप

कार्यक्रम के विभिन्न स्तर पर पांच वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:

कार्यक्रम/ स्तर	विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी (लाख रुपये में)	गणित, सांख्यिकीय, मानविकी और सामाजिक विज्ञान (लाख रुपये में)
सीएसएस	300	200
डीएसएस	200	150
डीआरएस	150	120

वित्तीय सहायता में निम्नवत सम्मिलित

- परियोजना अध्येताओं का वेतन।
- व्यय की अनावर्ती और आवर्ती मदें।

विभागों की निगरानी/ मूल्यांकन

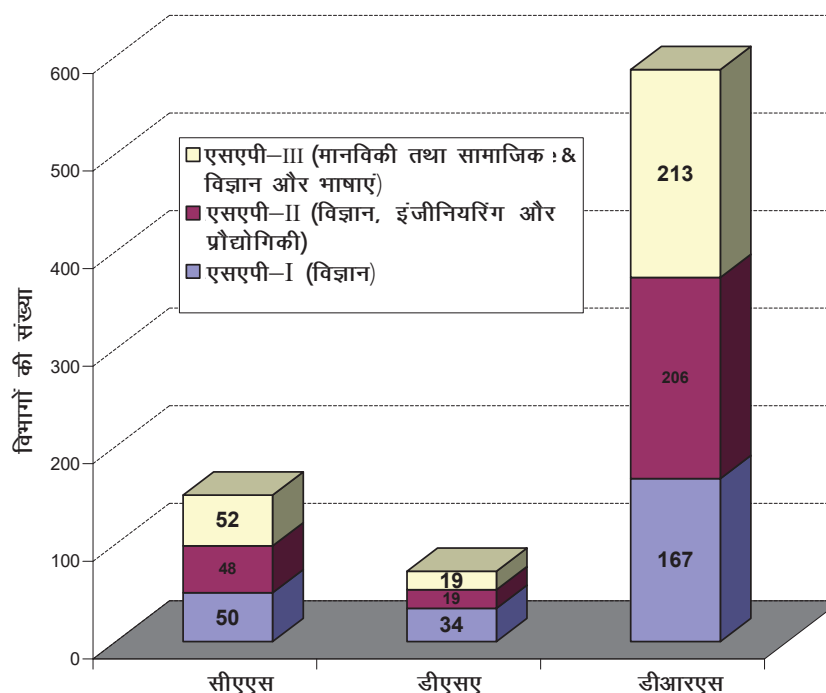
सैप के तहत सहायता प्राप्त विभागों की प्रगति, निष्पादन, उपलब्धियों की निगरानी/ मूल्यांकन और समीक्षा सलाहकार समिति और अंतिम समीक्षा समिति के माध्यम से किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विभागों की संख्या

स्तर/ अनुभाग	एसएपी-I (विज्ञान)	एसएपी-II (विज्ञान तथा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी)	एसएपी-III (मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान और भाषाएं)	कुल
सीएसएस	50	48	52	150
डीएसएस	34	19	19	72
डीआरएस	167	206	213	586
कुल	251	273	284	808

- बंद किए गए विभागों की संख्या = 02
- प्रवेशन (12ख की स्थिति के तहत) = 02
- वर्ष 2018-19 के दौरान हुआ व्यय : 74,61,92,757 / – रुपये (अर्थात् 74.62 करोड़ रुपये)

रेखाचित्र 5.2: दिनांक 31 मार्च, 2019 के स्थिति के अनुसार एसएपी विभागों की स्थिति



5.3 स्वायत्त महाविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्त महाविद्यालय की योजना को वर्ष 1964-66 के शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, चौथी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1969-73) के दौरान तैयार की गई थी ताकि संभावित महाविद्यालयों को विशेषरूप से उनके पाठ्यक्रम को तैयार करने, अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम को निर्धारित करने और परीक्षाएं आयोजित करने हेतु अकादमिक स्वतंत्रता प्रदान की जा सके। इसके पीछे बौद्धिक परिवेश के संवर्धन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर प्रदान करना था, जो छात्रवृत्ति और उत्कृष्टता की खोज के लिए अनुकूल है। यह योजना 1976 में लागू की गई थी।

महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और इसका कार्यान्वयन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त महाविद्यालयों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2018 द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा।

प्रारंभ में, स्वायत्त दर्जा दस वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा; नीचे पैरा में उल्लिखित परिस्थिति में आगे का समय विस्तार एक बार में पांच वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा:

“यदि किसी स्वायत्त महाविद्यालय ने नैक से 4-पवॉइंट स्केल पर 3.51 और उससे अधिक के अंक प्राप्त किए हैं अथवा एनबीए अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कम से कम तीन कार्यक्रमों को प्रत्येक कार्यक्रम को 750 अंकों के साथ प्रत्यायित अथवा समवर्ती प्रत्यायन ग्रेड/अंक प्रदान किए गए हों तो महाविद्यालय को बिना स्थल का दौरा किए आगे दस वर्षों के लिए स्वायत्तता को विस्तार प्रदान किया जाएगा”

वित्तीय सहायता: स्वायत्त महाविद्यालयों को स्वीकृत स्वायत्तता अनुदान को हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलुरु और दिल्ली में स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों (अलग से विहित किए गए) के अनुसार स्वायत्त महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तथापि, स्व-वित्तपोषित महाविद्यालयों को स्वायत्तता अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा। स्वायत्तता अनुदान और लेखाओं के रखरखाव से संबंधित मामले, महाविद्यालय, योजना के दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होंगे।

दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार पिछले वर्ष के 637 स्वायत्त महाविद्यालयों की तुलना में 25 राज्यों में फैले 108 विश्वविद्यालयों में 687 स्वायत्त महाविद्यालय थे।

5.4 मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी)

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में शिक्षण के उच्च मानदण्ड बनाए रखने के लिए वर्ष 1986-87 में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज की योजना आरंभ की गई थी। वर्तमान में, देशभर में 66 एचआरडीसी केन्द्र (पूर्व में एससीसी के नाम से जाना जाता था) हैं। इस प्रकार से स्थापित ऐसे महाविद्यालय, नए नियुक्त हुए व्याख्याताओं के लिए चार सप्ताह का विशेषरूप से अभिविन्यास कार्यक्रम तथा सेवारत शिक्षकों के लिए तीन सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम साथ ही सेवारत शिक्षकों को उनके शिक्षण कौशल का उन्नयन करने के लिए ‘समर-विंटर स्कूल’ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

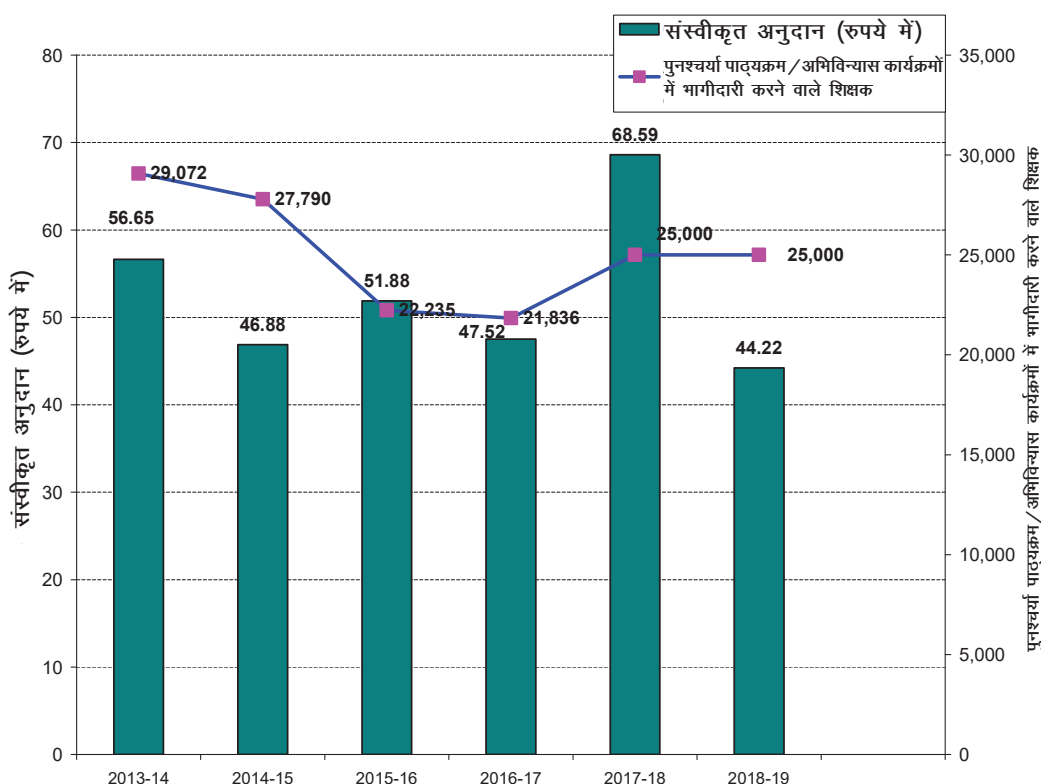
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एचआरडीसी योजना के तहत 66 मानव संसाधन विकास केन्द्रों को संपूर्ण देश में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास कार्यक्रम, अल्पावधि कार्यक्रम, समर-विंटर स्कूल प्रोग्राम तथा एससीसी- अतिथि गृह आदि आयोजित करने के लिए अनुदान संस्वीकृत किए हैं।
- लगभग 25000 शिक्षक-प्रतिभागियों ने 66 विआ-एचआरडीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में भागीदारी की है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान एचआरडीसी के लिए कुल 44.22 करोड़ रुपये की राशि पहले ही संस्वीकृत की गई थी।
- स्वयं प्लेटफार्म के माध्यम से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 24 एचआरडीसी में से प्रत्येक को 5,00,000/- रुपये के नए संस्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं जोकि वर्ष 2018-19 के लिए प्रदत्त अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एनआरसी हैं।

- वर्ष 2019 के लिए मानव संसाधन विकास केन्द्र के लिए योजना के दिशानिर्देश पहले ही तैयार किए जा रहे हैं।

तालिका 5.4: वर्ष 2013-14 से 2018-19 के दौरान पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ अभिविन्यास कार्यक्रमों में भागीदारी करने वाले शिक्षकों और संस्वीकृत किए गए अनुदान का ब्योरा:

क्रम संख्या	वर्ष	संस्वीकृत अनुदान (रुपये में)	पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ अभिविन्यास कार्यक्रमों में भागीदारी करने वाले शिक्षक
1	2013-14	56,65,15,392/-	29,072
2	2014-15	46,88,27,655/-	27,790
3	2015-16	51,88,09,386/-	22,235
4	2016-17	47,52,47,571/-	21,836
5	2017-18	68,59,16,830/-	25,000
6	2018-19	44,22,00,000/-	25,000

रेखाचित्र 5.4: वर्ष 2013-14 से 2018-19 के दौरान संस्वीकृत अनुदान और भागीदारी करने वाले शिक्षक



5.5 शिक्षाविदों के लिए नेतृत्व कार्यक्रम (एलईएपी)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया एलईएपी, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में द्वितीय स्तर के शैक्षणिक अधिकारियों के लिए तीन सप्ताह का महत्वाकांक्षी नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (2 सप्ताह स्वदेश और एक सप्ताह का विदेश में प्रशिक्षण) है। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय स्तरीय शैक्षणिक प्रमुखों को तैयार करना है जो भविष्य में नेतृत्व की भूमिकाएं ग्रहण करने की संभावना रखते हैं। कार्यक्रम में उच्च शैक्षणिक साख वाले वरिष्ठ संकाय को समस्या-सुलझाने के कौशल, तनाव से निपटने, दल तैयार करने संबंधी कार्य, विवाद प्रबंधन, संचार कौशल विकसित करने, उच्चतर शिक्षा में अभिशासन की जटिलताओं और चुनौतियों को समझने और उसका सामना करने सहित वित्तीय और सामान्य प्रशासन सहित अपेक्षित नेतृत्व और प्रबंधन कौशल उपलब्ध कराएगा।

5.6 राजभाषा का संवर्धन

केन्द्र सरकार ने 1963 में राजभाषा अधिनियम के द्वारा हिन्दी को भारत संघ की सरकारी/कामकाजी भाषा घोषित किया तथा केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों को सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक 'राजभाषा सेल' स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसे तत्पश्चात् वर्ष 1992 में पूर्ण राजभाषा अनुभाग बना दिया गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु सभी प्रयास कर रहा है। आयोग द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रकोष्ठ की स्थापना एवं आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त केन्द्रीय/सम/राज्य विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग की स्थापना एवं उन्नयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले कागजात (सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसदीय प्रश्न आदि) द्विभाषी रूप में जारी करने के लिए परिपत्र जारी किए गए।
- वर्ष 2018-19 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें क्रमशः दिनांक 27.06.2018, 04.10.2018, 22.12.2018 और 19.03.2019 को आयोजित की गईं।
- हिंदी को बढ़ावा देने के लिए क्रमशः दिनांक 20.06.2018, 28.12.2018, 01.02.2019 और 24.04.2019 को चार कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- वर्ष 2018-19 के दौरान पांच कर्मचारियों को हिन्दी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया जिनमें से एक कर्मचारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और एक कर्मचारी द्वितीय स्थान पर रहा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट द्विभाषी है तथा अंग्रेजी एवं हिन्दी सामग्री का समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
- आयोग के विभिन्न अनुभागों से अनुवाद के लिए प्राप्त सामग्री का हिन्दी में अनुवाद राजभाषा अनुभाग द्वारा किया गया है जैसे: वार्षिक रिपोर्ट 2017-18, वार्षिक लेखा 2017-18, प्रशासनिक निविदा सूचनाएँ, प्रशासन द्वारा निर्धारित विभिन्न अवकाशों के प्रारूप (अर्जित अवकाश/आकस्मिक/शिशु देख-रेख/चिकित्सा, अवकाश नकदीकरण, कार्यभार ग्रहण, त्यागपत्र इत्यादि), सूचना के अधिकार संबंधी सूचना एवं पत्र, प्रशासनिक कार्यालय आदेश, ज्ञापन, स्थानान्तरण, तैनातियाँ, सेवानिवृत्तियाँ, अनुशासन संबंधी आदेश, अर्द्धशासकीय पत्र एवं अनुभागों द्वारा प्राप्त विज्ञापन, परिपत्र।
- वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे हिन्दी निबंध, वाद-विवाद, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी टंकण आयोजित की गईं। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतियोगियों एवं प्रोत्साहन हेतु क्रमशः 5,000/-रुपये, 4,000/-रुपये, 3,000/-रुपये और 2,000/-रुपये के नगद पुरस्कार प्रदान किए गए।
- सितम्बर माह में दिनांक 01 से 14 सितम्बर, 2018 के दौरान हिन्दी पखवाड़े तथा दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। हिन्दी दिवस के आयोजन एवं पुरस्कार वितरण हेतु कुल 4,12,351.00 रुपये की कुल राशि का व्यय किया गया।
- 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति' (टीओएलआईसी) की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें आयोग नियमित रूप से भाग लेता है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग से अनुदान प्राप्त करने वाले केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों में से 02 विश्वविद्यालयों को हिंदी विभाग के उन्नयन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। आयोग द्वारा अनावर्ती व्यय के तहत भवन निर्माण के लिए 1,00,00,000/- की अंतिम एवं शेष राशि जारी की गई।

दोनों पक्षों ने इस कार्यक्रम का वर्ष 2016 से 2020 तक चार वर्षों की अवधि हेतु वित्तपोषित करने और इस अवधि हेतु प्रत्येक पक्ष द्वारा 3.5 मिलियन यूरो आवंटित करने की इच्छा व्यक्त की है।

मंत्रालयों के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन और और आशय की संयुक्त घोषणा के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.), भारत और जर्मन शैक्षिक प्रतिदान सेवा (डीएएडी), जर्मनी के बीच उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत-जर्मन भागीदारी (आईजीपी) पर दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 को एक समझौता किया गया तथा भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं जर्मनी के महामहिम चांसलर की उपस्थिति में उक्त समझौते का आदान-प्रदान किया गया।

प्रथम चरण में, चार (04) वर्षों की परियोजना अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2020 की अवधि के लिए वर्ष 2016 में 08 संस्थागत भागीदारियां प्रदान की गई हैं।

5.7 (क)(iv): परियोजना आधारित व्यक्तिगत आदान-प्रदान कार्यक्रम (पीपीपी):

जर्मन शैक्षणिक विनिमय सेवा (डीएएडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) ने नई दिल्ली में शोध छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है, जो मुख्य रूप से मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सहयोगात्मक शोध परियोजनाओं में भाग लेंगे। युवा पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट वैज्ञानिकों और शोध छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 2017 में दो वर्ष की अवधि के कार्यक्रम के लिए एक परियोजना का चयन किया गया था।

5.7 (क)(v): भारत-नार्वे सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) :

उच्चतर शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भारत-नार्वे सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत और नार्वे के बीच उच्चतर शिक्षा के संपर्कों को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम दिनांक 14 फरवरी, 2014 को भारत और नार्वे के बीच हस्ताक्षरित उच्चतर शिक्षा में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत तथा शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु नार्वे केंद्र (एसआईयू) के बीच शैक्षणिक सहयोग संबंधी करार पर आधारित है।

आईएनसीपी का वित्तपोषण संयुक्त रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) भारत और नार्वे के विदेश मंत्रालय (एमएफए) द्वारा समान अनुदान के माध्यम से किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत और एसआईयू, नार्वे इस कार्यक्रम हेतु कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

आईएनसीपी का उद्देश्य भारत और नार्वे के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को और बढ़ाने के उद्देश्य से नई परियोजनाओं के एक पोर्टफोलियो की स्थापना करना और उसका प्रशासन करना शामिल है।

पात्रता: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत विकास अनुदान पाने हेतु पात्र, मान्यताप्राप्त सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थान और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

व्यापक विषयगत क्षेत्र: किसी भी शैक्षणिक विधा में सहयोग किया जा सकता है परंतु वह निम्नवत प्राथमिकता वाले क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए:

- ऊर्जा, विशेषरूप से स्वच्छ ऊर्जा
- समुद्री तथा आर्कटिक/ध्रुवीय शोध सहित जलवायु परिवर्तन
- स्वास्थ्य विशेषरूप से जन स्वास्थ्य
- सूचना प्रौद्योगिकी विशेषरूप से जानकारी से जुड़ी सुरक्षा
- शहरी आयोजना और विकास
- पर्यावरण
- जैव प्रौद्योगिकी तथा चिकित्सा विज्ञान
- वैश्विक विकास
- विकास अर्थशास्त्र
- समुद्र विज्ञान

- आईएनसीपी के अंतर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत और एसआईयू, नार्वे ने संयुक्त शोध परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और वर्ष 2014 के दौरान तीन वर्षों अर्थात् दिनांक 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि, जिसे दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक विस्तार दिया गया है, के लिए 13 परियोजनाओं का चयन किया।

शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्धित भारत-अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को तैयार करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि स्वरूप वर्ष 2009 में भारत-अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल की घोषणा की गई थी। इसके कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, वि0अ0आ0 ने भारत-अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल के अंतर्गत एक खुली प्रतियोगिता की घोषणा की है और वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12ख के अंतर्गत मान्यताप्राप्त संस्थानों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से निम्नलिखित क्षेत्रों में संयुक्त शोध हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

- 5.7 (क)(vii): भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त शोध परियोजनाएं

भारत-न्यूजीलैंड शिक्षा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वाधान में भारत तथा 'एजुकेशन न्यूजीलैंड' ने संयुक्त शोध परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण प्राप्त करने के इच्छुक भारत और न्यूजीलैंड के शिक्षाविदों से आवेदन आमंत्रित किये। यह परियोजनाएं किसी भी विधा पर केंद्रीत हो सकती हैं लेकिन निम्नवत् विषयों में से एक अथवा अधिक विधाओं पर बल दिया जाना चाहिए:

- 5.7 (क)(viii): आस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद (एआईईसी)**

आस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद् का गठन वर्ष 2011 में किया गया था, जिसमें पांच पहलुओं यथा उच्चतर शिक्षा और शोध, कौशल, गुणवत्ता आश्वासन और मान्यता, 'स्टूडेंट मोबिलिटी' और विद्यालय पर ध्यान दिया गया था। एआईईसी के तहत जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली को 'स्टूडेंट मोबिलिटी' के विषय पर एक परियोजना अवार्ड की गई थी।

एक अन्य परियोजना को राष्ट्रीय शैक्षिक आयोगना और प्रशासन (एनईयूपीए) के एक कार्य समूह को 30600 आस्ट्रेलियन डॉलर के कल आवंटन के साथ अनुमोदित किया गया था।

5.7(ख): अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां और विद्वानों का आदान-प्रदान

5.7(ख)(i): संयुक्त राज्य अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल शोध के लिए रमन अध्येतावृत्तियां

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उभरते हुए क्षेत्रों में उन्नत तकनीक और प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक शोध प्रशिक्षण के लिए युवा भारतीय शोधकर्ताओं और सभी विषयों के शिक्षकों को सुनहरा अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इन अध्येतावृत्तियों की पेशकश की है जिससे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उनकी शोध क्षमता और उच्चतर शिक्षा में उनके योगदान को और बढ़ाया जा सके और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ दीर्घकालिक संबंधों को विकसित किया जा सके।

5.7 (ख)(ii): राष्ट्रमंडल चिकित्सा अध्येतावृत्तियां

वर्ष 2018 के दौरान, राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ, यूनाइटेड किंगडम ने भारत के विश्वविद्यालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रतिभावान संकाय सदस्यों को यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य करने के लिए 10 राष्ट्रमंडल चिकित्सा अध्येतावृत्तियां प्रदान की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन अध्येतावृत्तियों हेतु एक नामनिर्दिष्ट करने वाली एजेंसी के रूप में काम किया था। पिछले वर्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10 भारतीय चिकित्सकों को नामनिर्दिष्ट किया था, जिसमें से 3 भारतीय चिकित्सकों का राष्ट्रमंडल चिकित्सा अध्येतावृत्तियों के लिए चयन किया गया था।

5.7 (ख)(iii) : स्टाईपेंडियम हंगरीकम कार्यक्रम

दिनांक 19 नवंबर, 2014 को हंगरी के 'ह्यूमन कैपेसिटिज' मंत्रालय और भारत गणराज्य के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित भारत-हंगरी शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हंगरी में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट संबंधी अध्ययन करने के लिए भारतीय छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए। इस करार के तहत हंगरी की सरकार 200 भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराती है, और उनके अध्ययन की समाप्ति उपरांत उनकी हवाई यात्रा हेतु व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत हंगेरियन छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा 166 भारतीय छात्रों का चयन किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से भारत सरकार हंगरी के छात्रों के लिए 35 छात्रवृत्तियों की पेशकश करता है। इन 3 हंगरी के विद्वानों ने देश में उच्चतर शिक्षा के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में अध्ययन जारी रखने के लिए भारत का दौरा किया।

5.7(ख)(iv) : भारत-बुल्गारिया सीईपी

2018 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बुल्गेरियाई भाषा और संस्कृति में "सेंट क्लेमेंट ओह्रिड्सकी: सोफिया विश्वविद्यालय ने दिनांक 15 जुलाई से 4 अगस्त, 2018 तक और "सेंट सिरिल और सेंट मेथोडियस" यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिको टर्नोवो ने दिनांक 16 जुलाई से 5 अगस्त, 2018 तक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए चार विद्वानों को नामित किया था। सभी यात्राएं सफल हुईं।

5.7 (ग) विदेशी भाषा के शिक्षक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोगात्मक कार्यक्रम हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं को पढ़ाने के लिए विदेशी भाषा के शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रावधान है। विश्वविद्यालयों में इनकी नियुक्ति संबंधित देश के मिशन और संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से किया जाता है। किसी विश्वविद्यालय में भाषा संबंधी शिक्षक की नियुक्ति करते समय सामान्यतया यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त विश्वविद्यालय में विदेशी भाषाओं के अध्यापन के लिए उपर्युक्त अवसरचना मौजूद हो।

ईईपी और सीईपी के अनुसार देश में विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विदेशी भाषा के 22 विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति को अनुमोदित किया गया है।

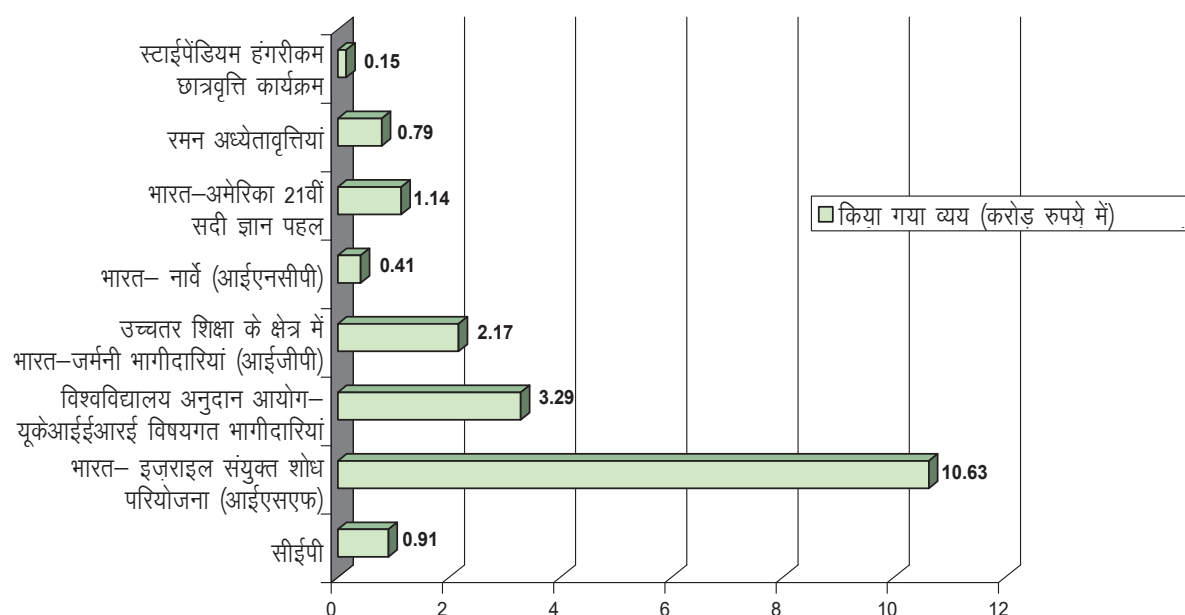
वर्ष 2018-19 के दौरान भाषा के ऐसे शिक्षकों को समय विस्तार दिया गया है जिनके लिए उनके दूतावास से अनुमोदन प्राप्त हुआ है और जहां कहीं भी रिक्तियां हुईं, वहां नई नियुक्तियां की गईं। शिक्षकों का भाषा-वार ब्योरा निम्नानुसार है :-

जर्मन – 3	स्पेनिश– 10	पश्तो – 1	बुल्गारियाई – 1	चेक– 1
पुर्तगाली– 2	हंगेरियाई– 1	क्रोएशियाई – 1	रोमानियन – 1	पोलिश– 1

वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के लिए किया गया व्यय निम्नवत है:

योजना का नाम	किया गया व्यय (करोड़ रुपये)
सीईपी	0.91
भारत– इज़राइल संयुक्त शोध परियोजना (आईएसएफ)	10.63
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– यूकेआईआईआरई विषयगत भागीदारियां	3.29
उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत–जर्मनी भागीदारियां (आईजीपी)	2.17
भारत–नार्वे (आईएनसीपी)	0.41
भारत–अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल	1.14
रमन अध्येतावृत्तियां	0.79
स्टाईपेंडियम हंगरीकम छात्रवृत्ति कार्यक्रम	0.15

रेखाचित्र 5.7: वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों पर किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)



5.8: राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा: शिक्षण और शोध हेतु मानव संसाधन विकास

मानविकी (इनमें भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं), योग, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञान जैसे अनेक विषयों में शिक्षण और शोध में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सहायक आचार्य और कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ) की पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा अर्थात् राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा देशभर में अनेक शहरों और 81 विषयों (परीक्षा-I के अलावा) में वर्ष में दो बार, सामान्यतः जनवरी/ जुलाई माह में आयोजित की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने शोध के क्षेत्र में व्यापक समतुलनीयता के साथ-साथ वैधता और विश्वसनीयता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने हेतु कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 1984 से नेट परीक्षा का आयोजन कर रहा है। देश में एक समान शिक्षण तथा शोध के मानदंड बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति, 1986 के माध्यम से परिकल्पना की थी कि “व्याख्याता के पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को पूरा करने वाले केवल ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने इस प्रयोजनार्थ विशेषरूप से आयोजित की गई एक वृहद परीक्षा को उत्तीर्ण किया हो, ही व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।” विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायक आचार्य/व्याख्याता के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हता परीक्षा को विकसित करने के संबंध में

इस मुद्दे पर शिक्षाविदों तथा शैक्षणिक प्रशासकों जैसे राज्य शिक्षा सचिवों के साथ व्यापक चर्चा की। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उसके द्वारा पहले ही आयोजित की जा रही जेआरएफ की परीक्षा के साथ जोड़ दिया तथा 24 दिसम्बर, 1989 को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति तथा व्याख्याता हेतु प्रथम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट) भाषाओं सहित मानविकी के तहत आने वाले विषयों, सामाजिक विज्ञान तथा कुछ विज्ञान विषयों में आयोजित की। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने आधारभूत विज्ञान विषयों के तहत आने वाले विषयों के लिए 31 दिसम्बर, 1989 को जेआरएफ तथा व्याख्याता हेतु पात्रता परीक्षा, सीएसआईआर-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परीक्षा आयोजित की। उसी समय से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट तथा संयुक्त सीएसआईआर-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परीक्षा को वर्ष में दो बार जून/जुलाई तथा दिसम्बर के माह में आयोजित किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2014 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा स्वयं आयोजित की। तत्पश्चात्, दिसम्बर, 2014 से जुलाई, 2018 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट की परीक्षा को आयोजित करने का कार्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ऑउटसोर्स कर दिया गया है। तत्पश्चात् विअआ-नेट को आयोजित करने का कार्य, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) को सौंपा गया था। परिणामस्वरूप, दिसम्बर, 2018 में आयोजित विअआ-नेट परीक्षा को एनटीए द्वारा आयोजित किया गया था।

जबकि सीएसआईआर भी संयुक्त सीएसआईआर-वि.अ.आ. नेट संयुक्त परीक्षा के तहत प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर माह में विज्ञान के 5 मुख्य विषयों अर्थात् रसायन विज्ञान; पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान, जीवन विज्ञान, गणित विज्ञान और शारीरिक विज्ञान विषयों में इसका आयोजन कर रहा है।

ऐसे प्रत्याशी, जो शोध करना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अध्येतावृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे या तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट अथवा सीएसआईआर-वि.अ.आ. संयुक्त परीक्षा के तहत कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे0आर0एफ0) परीक्षा में बैठ सकते हैं। उच्च मेरिट वाले प्रत्याशी जो वि.अ.आ.-नेट परीक्षा में जे0आर0एफ0 परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य भी कर सकते हैं। वे देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु भी पात्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा के माध्यम से 3200 से अधिक कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियां तथा प्रत्येक सी0एस0आर0आई0-वि0अ0आ0 संयुक्त नेट परीक्षा के माध्यम से लगभग 1500 अभ्यर्थियां (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधारभूत विज्ञान शोध ब्यूरो की 300 अध्येतावृत्तियों सहित) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होती है।

दिनांक 08 जुलाई, 2018 को आयोजित वि0अ0आ0-नेट परीक्षा में 3972 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति हेतु पात्र घोषित किया गया जबकि दिसम्बर, 2018 में आयोजित वि0अ0आ0-नेट परीक्षा में 3946 अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया।

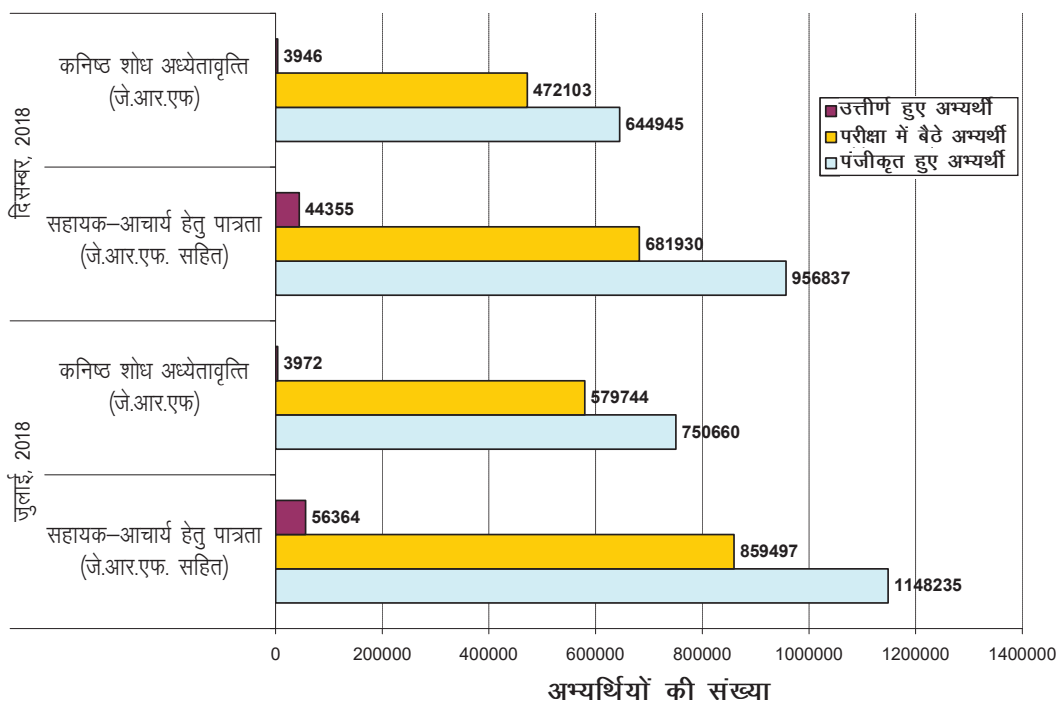
5.8 (क) वि0अ0आ0- नेट परीक्षा में निष्पादन

वि0अ0आ0-नेट परीक्षा के तहत व्याख्याता एवं कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ) परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाने वाले, परीक्षा में बैठने वाले और सफल हुए अभ्यर्थियों का संक्षिप्त ब्योरा निम्नवत तालिका-5.8 (क) में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5.8 (क): वर्ष 2018-19 के दौरान पंजीकृत, परीक्षा में बैठे तथा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या

वि0अ0आ0-नेट		पंजीकृत	परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी		परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी	
			संख्या	पंजीकृत का प्रतिशत	संख्या	परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों का प्रतिशत
जुलाई, 2018	सहायक-आचार्य (जे.आर.एफ. सहित) हेतु पात्रता	1148235	859497	74.85	56364	6.56
	कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ)	750660	579744	77.23	3972	0.69
दिसम्बर, 2018	सहायक-आचार्य (जे.आर.एफ. सहित) हेतु पात्रता	956837	681930	71.27	44355	6.50
	कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ)	644945	472103	73.20	3946	0.84

रेखाचित्र 5.8(क): वर्ष 2018-19 के दौरान वि०अ०आ०-नेट परीक्षा हेतु पंजीकृत हुए, परीक्षा में बैठे तथा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या



5.8 (क)(i) वर्ष 2018-19 के दौरान वि.अ.आ.-नेट की योजना में सुधार/बेहतर बनाना

आयोग ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को आयोजित 527वीं बैठक में वि.अ.आ.-नेट की योजना में अनेक ऐतिहासिक सुधार किए हैं जिन्हें दिनांक 08 जुलाई, 2018 को आयोजित वि.अ.आ.-नेट की परीक्षा से लागू किया गया। इनका ब्योरा नीचे दिया गया है:

- जेआरएफ हेतु परीक्षा देने के लिए अधिकतम आयु सीमा को दो वर्ष बढ़ा दिया गया है, अर्थात् पूर्व की 28 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से निशक्त/अन्य पिछड़े वर्ग (असम्पन्न वर्ग) के छात्रों तथा महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पहले की भांति ही पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाती रहेगी। वर्तमान की भांति, शोध में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को भी छूट प्रदान की जाती है जोकि उपर्युक्त प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्वधीन स्नातकोत्तर उपाधि में संगत/संबंधित विषय में शोध पर व्यतीत की गई अवधि तक सीमित होगा। एलएमएम उपाधि धारक अभ्यर्थियों को आयु में तीन वर्ष की छूट की अनुमति प्राप्त होगी। उपर्युक्त आधारों पर श्रेणी अथवा लिंग की अनपेक्षत: किसी भी परिस्थिति में आयु में कुल पांच वर्ष से अधिक की छूट नहीं दी जाएगी।
- कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) हेतु वैधता की अवधि को एक वर्ष बढ़ा दिया गया है, जिसे पूर्व की दो वर्ष की अवधि से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया है। इससे ऐसे अभ्यर्थियों को काफी राहत मिलेगी जिन्हें उनके संबंधित विषयों में शोध कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले उपर्युक्त विश्वविद्यालयों में एम.फिल. से पी.एचडी पाठ्यक्रमों में पूर्व की दो वर्ष की विनिर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश प्राप्त करने में अत्यंत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
- अन्य लिंग के अभ्यर्थियों, दूसरे शब्दों में अब ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई है। वे भी नेट हेतु शुल्क, आयु तथा अर्हता मानदंड में समान छूट प्राप्त करने हेतु पात्र हैं जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से निशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त है। इस श्रेणी के लिए संबंधित विषय में परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु विषयवार न्यूनतम अंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से निशक्त/अन्य पिछड़े वर्ग (असम्पन्न वर्ग) श्रेणियों में न्यूनतम होंगे।

- रक्षा सेवाओं में सेवा प्रदान कर चुके अभ्यर्थी भी जेआरएफ हेतु आवेदन करते हुए आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए छूट के पात्र हैं जोकि जिस माह में संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा आयोजित की जानी है उस माह के प्रथम दिवस तक उनके द्वारा रक्षा सेवाओं में प्रदान की गई सेवा की अवधि के अध्यक्षीन होगी।
- ii) दिसंबर, 2018 में आयोजित विअआ-नेट परीक्षा से पाठ्यचर्या निर्धारित करवाने के पश्चात् प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिंधी को एक नेट विषय के रूप में आरंभ किया गया है।
- iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'सामान्य ज्ञान' के पत्र-I सहित विअआ-नेट परीक्षा सभी विषयों की पाठ्यचर्या को भी अद्यतन किया है, अद्यतन की गई पाठ्यचर्या को जनसाधारण की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर डाला गया है और यह जून 2019 आयोजित होने वाली विअआ-नेट परीक्षाओं पर लागू है।
- iv) विअआ-नेट परीक्षा, दिसंबर 2018 में पहली बार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से आयोजित की गई है। विअआ-नेट परीक्षा केन्द्रों के शहरों की संख्या जुलाई 2018 में 91 से बढ़ाकर दिसंबर 2018 में 264 कर दी गई है। अभ्यर्थियों को पहुंच योग्य दूरी के भीतर परीक्षा केन्द्र उपलब्ध कराने के लिए एनटीए प्रशंसा की हकदार हैं।

5.8 (क)(ii) वंचित श्रेणियों को उपलब्ध कराई गई छूट

i) शुल्क में उपलब्ध कराई गई छूट

भारत सरकार की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समाज के सभी कमजोर वर्गों को वि0अ0आ0-नेट परीक्षा, जिसे अब एनटीए द्वारा आयोजित किया जा रहा है, हेतु आवेदन करने हेतु शुल्क में काफी रियायत प्रदान करता आ रहा है। जहां सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 800/- रुपये हैं, वहीं भारत सरकार की सूची के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग के असम्पन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए यह केवल 400/- रुपये हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, ट्रांसजेंडरों और शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल 200 रुपये नाममात्र शुल्क देना होता है।

ii) जे0आर0एफ0 के लिए आयु में उपलब्ध कराई गई छूट

सामान्य श्रेणी के लिए जे आर एफ में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/ ट्रांसजेंडरों/ शारीरिक रूप से निशक्त श्रेणी और महिला आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है।

(iii) नेट हेतु पात्रता की शर्तों में उपलब्ध कराई गई छूट

1	सामान्य अभ्यर्थी	निष्णात उपाधि में 55 प्रतिशत अंक (बिना पूर्णांकित किए)
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) शारीरिक रूप से निशक्त/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	निष्णात उपाधि में 50 प्रतिशत अंक (बिना पूर्णांकित किए)

(iv) विअआ-नेट हेतु अर्हता मानदण्ड में उपलब्ध कराई गई छूट

अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से परिणाम तैयार करने हेतु विचार किये जाने के लिए प्रश्न पत्र-I, और II में अलग-अलग नीचे दिये गये न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं जैसा कि तालिका- 5.8 (क)(ii) में दर्शाया गया है:

तालिका 5.8 (क)(ii) : अंतिम रूप से परिणाम तैयार करने हेतु विचार किये जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्राप्तांकों का श्रेणी-वार ब्योरा।

श्रेणी	न्यूनतम कुल प्रतिशत
सामान्य श्रेणी	40 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न)/शारीरिक रूप से निशक्त/ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	35 प्रतिशत

जैसा की यहां स्पष्ट है कि अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंकों से कम है। तथापि, जेआरएफ के साथ-साथ सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए स्लॉट आबंटित करने हेतु आयोजित सीएसआईआर-वि0अ0आ0 परीक्षा के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति को लागू किया गया है।

5.8 (घ) राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)

राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार की दिनांक 22.07.1988 की अधिसूचना के माध्यम से वि.अ.आ. ने राज्य सरकारों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट), जिन्हें पूर्व में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.एल.ई.टी.) कहा जाता था तथा अब राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) के नाम से जाना जाता है, को आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है, जिन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित किया गया है। एस.ई.टी. का पैटर्न भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा के समान है।

कुछ राज्यों/समूहों के नेट परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उनके प्रस्तावों की जांच करने तथा उनकी सक्षमता और योग्यता का पूर्णतया मूल्यांकन करने पश्चात् ही सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए सेट परीक्षा को अधिकतम तीन वर्ष के लिए आयोजित करने हेतु प्रत्यायित करता है। एस0ई0टी0 अभिकरणों के निष्पादन की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवधिक तौर पर विशेषज्ञ समितियों की सहायता से समीक्षा की जाती है।

जिन अभ्यर्थियों ने व्याख्याता हेतु दिनांक 01 जून, 2002 से पूर्व वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण की है उन्हें नेट परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है। जून, 2002 या उसके बाद आयोजित होने वाली सेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी संबंधित राज्य के केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में व्याख्याता के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे जहां से उन्होंने अपनी सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। तथापि, ऐसे उम्मीदवार यदि चाहें तो, नेट हेतु आवेदन करने के पात्र भी होंगे।

भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए स्लॉट आबंटन करने के लिए मानदंड, जिसे वि0अ0आ0-नेट परीक्षा में भी लागू किया जा रहा था उसे अब सेट परीक्षा में भी लागू किया जा रहा है, अंतर सिर्फ इतना है कि सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए कुल स्लॉटों का परिकलन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित पात्रता मानदंड के अनुरूप ही किया जाता है, उन्हें संबंधित राज्य की आरक्षण नीति के अनुरूप ही आबंटित किया जाता है।

अब तक, निम्नवत राज्यों/राज्य समूहों ने सेट का संचालन किया है:

i आन्ध्र प्रदेश	ii बिहार	iii छत्तीसगढ़	iv गुजरात	v हरियाणा
vi हिमाचल प्रदेश	vii जम्मू और कश्मीर	viii झारखण्ड	ix कर्नाटक	x मध्य प्रदेश
xi महाराष्ट्र और गोवा	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्य (भागीदारी करने वाले राज्य: असम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम)			
xii राजस्थान	xiii तेलंगाना	xiv उत्तराखण्ड	xv उत्तर प्रदेश	
ixvi पश्चिम बंगाल				

इन राज्यों में से, वर्ष 2018-19 के दौरान सेट परीक्षा का आयोजन करने राज्य/ समूहों अथवा अपना परिणाम घोषित करने वाले राज्यों का ब्योरा को नीचे दिया गया है:

i आन्ध्र प्रदेश	ii छत्तीसगढ़	iii गुजरात	iv हिमाचल प्रदेश	v जम्मू और कश्मीर
vi कर्नाटक	vii मध्य प्रदेश	viii महाराष्ट्र और गोवा	ix उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्य	
x तमिलनाडु	xi तेलंगाना	xii पश्चिम बंगाल		

वर्ष 2018-19 के दौरान महाराष्ट्र राज्य की सेट एजेन्सी अर्थात् सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय को और तीन वर्षों के लिए, प्रत्येक वर्ष, राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायन प्रदान किया गया।

5.9 यात्रा अनुदान

यात्रा अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षकों तथा महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्षों एवं कुलपतियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किया जाता है। योजना का उद्देश्य विदेशी शिक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्रों को प्रस्तुत करने तथा उन देशों में उच्चतर शिक्षा की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के स्थायी शिक्षकों को वर्ष में अनुमोदित कुल मामलों की 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के साथ उपलब्ध है। शिक्षा अधिकारी/अवर सचिव के स्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारी तथा आयोग के सदस्य इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। महाविद्यालय के शिक्षक/महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष/

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा उनकी अधिवर्षिता की आयु है तथा कुलपतियों एवं आयोग के सदस्य के मामले में, उन्हें पद पर नियुक्त होना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख के तहत सूचीबद्ध महाविद्यालय के स्थायी शिक्षकों और पुस्तकाध्यक्षों को तीन वर्ष की अवधि में एक बार यात्रा, पंजीकरण शुल्क, प्रति दिवस भत्ता और वीजा शुल्क आदि के लिए शतप्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख के तहत सम्मिलित राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, आयोग के सदस्यों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) के महाविद्यालय के शिक्षकों को दो वर्ष की अवधि में एक बार शतप्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष यात्रा अनुदान योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन को सम्मेलन के आरंभ होने से दो माह पूर्व सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने वाले पत्र और सम्मेलन के आयोजकों से स्वीकृति पत्र सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

उक्त योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा गठित यात्रा अनुदान समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। विषय विशेषज्ञ की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जाता है।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान लाभार्थियों की संख्या और किये गये व्यय का ब्योरा निम्नवत है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या			व्यय (करोड़ रुपये में)
	कुलपति	महाविद्यालय के शिक्षक/ पुस्तकालय अध्यक्ष	आयोग के सदस्यगण/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारी	
2017-2018	02	383	-	6.30
2018-2019	07	355	02	5.25

यूनेस्को कार्यक्रम: यूनेस्को द्वारा विश्व में विभिन्न सदस्य देशों में चलाये जाने वाले विभिन्न छात्रवृत्ति/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में परिपत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त होते हैं और इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों में परिचालित किया जाता है। उच्चतर शिक्षा के विकास और सदस्य देशों के बीच समन्वय से संबंधित यूनेस्को के कुछ मामलों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचार/टिप्पणी आमंत्रित करता है, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भली-भांति विचार करने/ दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद भेजा जाता है।

5.10 गुणवत्ता के संवर्धन हेतु अंतर्विश्वविद्यालय संसाधन

5.10(क) अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त निकायों के रूप में वर्ष 1984 से अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूसी) की स्थापना की है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे शोधकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय रूप से अत्याधुनिक उपस्कर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें जो सामान्यतः लागत कारक के कारण कई विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुख्यतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे 9 केन्द्र स्थापित किए हैं। इन्टर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर (आईयूएसी), नई दिल्ली (जो कि पूर्व में इस नाम से जाना जाता था) नाभिकीय विज्ञान केन्द्र, सन् 1984 में स्थापित किया जाने वाला इस तरह का पहला केन्द्र था। इन अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं :

- जो विश्वविद्यालय आधारभूत अवसंरचना तथा अन्य निवेशों में भारी पूंजी लगाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सामान्य अत्याधुनिक केन्द्रीयकृत उपस्कर तथा सुविधाएं सुविधाएं/सेवाएं उपलब्ध कराना।
- सम्पूर्ण देश में शिक्षकों तथा शोधकर्ताओं को सर्वोत्तम पद्धतियाँ तथा विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।

- शोधकर्ताओं तथा शिक्षण संकायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य आधुनिक उपस्कर, अत्याधुनिक उत्कृष्ट पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्प्यूनीकेशन (सी.ई.सी), नई दिल्ली में मार्गदर्शन एवं समन्वय द्वारा विश्वविद्यालयों में स्थापित, विभिन्न मीडिया केन्द्रों के माध्यम से एक हजार से भी अधिक शैक्षिक फिल्मों तथा कार्यक्रम तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। देश में दूरदर्शन से दिनांक 15 अगस्त, 1984 को प्रथम देशव्यापी कक्षा (सी0डब्ल्यू0सी0आर0) कार्यक्रम प्रसारित हुआ था।

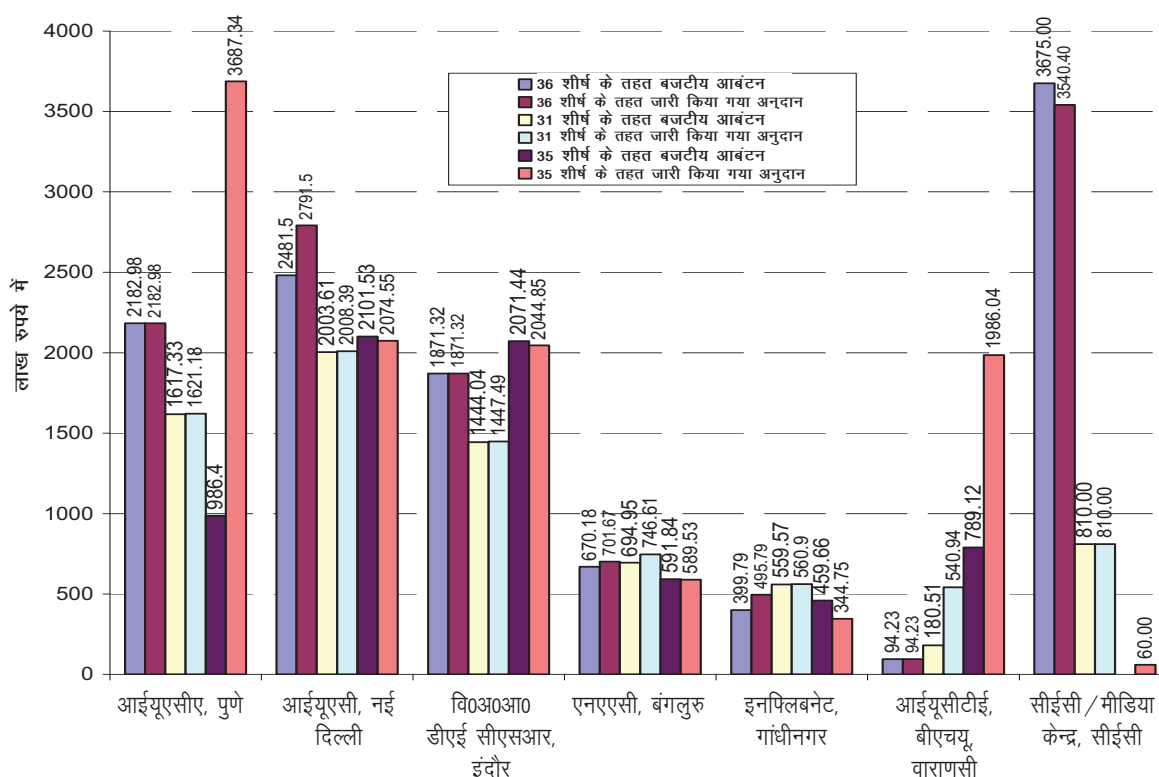
तालिका 5.10 (क): अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की सूची तथा उनके विशिष्ट उद्देश्य निम्नवत हैं

क्र. स.	केन्द्रों का नाम	स्थापना का वर्ष	उद्देश्य
1	अंतर्विश्वविद्यालय ऐक्सीलरेटर केन्द्र, (आईयूएसी)	1984	ऐक्सीलरेटर परक शोध
2	अंतर्विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी केन्द्र, पुणे-411007 (आईयूसीएए)	1988	खगोल विज्ञान में शोध के लिए अत्याधुनिक यंत्रीकरण
3	वि0अ0आ0-डीई, वैज्ञानिक अनुसंधान कंसोर्टियम, इंदौर-452001 (विअआ-डीई-सीएसआर)	1989	आणविक ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग
4	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् बंगलुरु-560010	1994	उच्चतर शिक्षा के सरकारी तथा निजी संस्थानों का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन करना
5	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (इन्पिलबनेट) गांधीनगर	1991	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की नेटवर्किंग
6	शैक्षिक संचार कंसोर्टियम, अरुण आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067 (सीईसी/मीडिया केन्द्र)	1993	टेलीविजन के माध्यम से देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारित करना। वर्तमान में, देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 21 शैक्षणिक मीडिया शोध केन्द्र स्थापित हैं।
7	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र-अध्यापक शिक्षा, काकीनाड़ा (आईयूसीटीई-काकीनाड़ा)	2013	साधारण रूप से शिक्षा में तथा विशेष रूप से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में नए ज्ञान का सृजन कर अध्यापक शिक्षा के ज्ञान आधार को सुदृढ़ करना।
8	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र-अध्यापक शिक्षा, वाराणसी (आईयूसीटीई-वाराणसी)	2014	
9	योग विज्ञान हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसीवाईएस)	2018	योग शिक्षा में नए ज्ञान के सृजन के माध्यम से योग के ज्ञान और योग विज्ञान को सुदृढ़ करना, पाठ्यचर्या का तुलनात्मक अध्ययन और योग के लाभ तथा इसकी पद्धति का प्रसार करना।

तालिका 5.10 (ख) वर्ष 2018-19 के दौरान शीर्षवार बजटीय आबंटन और अनुदानों को जारी किए जाने का ब्योरा नीचे दिया गया है (लाख रुपये में)

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	शीर्ष 36		शीर्ष 31		शीर्ष 35	
		बजटीय आबंटन	जारी किया गया अनुदान	बजटीय आबंटन	जारी किया गया अनुदान	बजटीय आबंटन	जारी किया गया अनुदान
1	आईयूएसीए, पुणे	2182.98	2182.98	1617.33	1621.18	986.4	3687.34
2	आईयूएसी, नई दिल्ली	2481.5	2791.5	2003.61	2008.39	2101.53	2074.55
3	वि0अ0आ0 डीई सीएसआर, इंदौर	1871.32	1871.32	1444.04	1447.49	2071.44	2044.85
4	एनएसी, बंगलुरु	670.18	701.67	694.95	746.61	591.84	589.53
5	इन्पिलबनेट, गांधीनगर	399.79	495.79	559.57	560.9	459.66	344.75
6	आईयूसीटीई, बीएचयू, वाराणसी	94.23	94.23	180.51	540.94	789.12	1986.04
7	सीईसी / मीडिया केन्द्र सीईसी	3675.00	3540.40	810.00	810.00		60.00
	कुल	11375	11677.89	7310	7735.51	7000	10787.06

रेखाचित्र 5.10 (ख): वर्ष 2018-19 के दौरान अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों हेतु बजटीय आबंटन तथा शीर्षवार जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)



विभिन्न अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की मुख्य विशेषताएं

5.10 (i) अंतर्विश्वविद्यालय एक्सलरेटर केन्द्र-नई दिल्ली



अक्तूबर, 1984 में योजना आयोग और प्रधानमंत्री के यथोचित अनुमोदन के पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परमाणु विज्ञान केन्द्र कहे जाने वाले पहले अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी) के रूप में अंतर्विश्वविद्यालय एक्सलरेटर केन्द्र (आईयूएसी) की स्थापना की। कई किरणपुंज परीक्षण और 15यूडी पेलेट्रन टैंडम एक्सलरेटर के नाम से जाने जाने वाले भारत के सबसे बड़े टैंडम एक्सलरेटर का प्रचालन मानदंडों के इष्टतम उपयोग के बाद दिनांक 08 जुलाई, 1991 को केन्द्र अपने प्रकार का पहला राष्ट्रीय प्रयोक्ता सुविधा केन्द्र बना। तदुपरांत, आईयूएसी ने 'नियोबिअम क्वाट्रर वेव रेजोनेटर्स' (क्यूडब्ल्यूआर) का प्रयोग करते हुए अद्यतन 'सुपर कंडक्टिंग लिनियर एक्सलरेटर' (एससी-लिनैक), 1.7 एमवी पेलेट्रन टैंडम एक्सलरेटर, 0.5 एमवी पेलेट्रन टैंडम एक्सलरेटर आधारित 'एक्सलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटर' (एमएस), इलेक्ट्रान साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस (ईसीआर) आयन स्रोत आधारित आयन बीम सुविधा, ऋणात्मक आयन बीम सुविधा, आदि जैसे अन्य एक्सलरेटरों का विकास किया। एक हजार से ज्यादा शोध विद्वानों ने आईयूएसी में विश्वस्तरीय आयन एक्सलरेटर आधारित शोध सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपनी पीएच.डी उपाधि पूर्ण की है। वर्तमान में, आईयूएसी दिल्ली देश में अग्रणी आयन एक्सलरेटर सुविधा केन्द्र है। विभिन्न आयन एक्सलरेटर सुविधाओं के अतिरिक्त, आईयूएसी परमाणु भौतिक विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, विकिरण जीवविज्ञान, परमाणु और आणविक भौतिकी विज्ञान और भू-विज्ञान के क्षेत्र में शोध करने के लिए प्रायोगिक शोध सुविधाओं हेतु निम्न आधुनिकतम प्रायोगिक शोध सुविधाएं उपलब्ध कराता है। आईयूएसी में उच्च शक्ति गणक (एचपीसी) सुविधा (70टीएफ) की स्थापना की गई है जिसका पूरे भारतवर्ष से 400 से ज्यादा शोधकर्ता उपयोग कर रहे हैं।

पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत, अकादमिक समुदाय द्वारा आईयूएसी में विकसित विज्ञान प्रयोगों के लिए 'कम्पैक्ट कम्प्यूटर इंटरफेस' (ईएक्सपी ईवाईईएस) का बहुत अधिक उपयोग किया गया है। देशभर के शिक्षकों और शोधकर्ताओं को इंटरफेस विज्ञान प्रयोगों, पाइथन प्रोग्रामिंग आधारित डॉटा विश्लेषण, मुक्त स्रोत से प्राप्त शिक्षा सॉफ्टवेयर का चित्रण और प्रतिष्ठापन के संबंध में नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

युवा शोधकर्ताओं का आकृष्ट करने और विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं के शिक्षा संबंधी कार्यों को बनाए रखने के लिए आईयूसीए द्वारा शोध हेतु विश्वविद्यालय अध्यवेतावृत्ति (यूएफआर) कार्यक्रम का भी प्रबंधन किया जा रहा है :-

शोध हेतु विश्वविद्यालय अध्यवेतावृत्ति (यूएफआर) : वर्ष 2018-19 के दौरान आईयूसीए की एक्सलरेटर प्रयोक्ता समिति (एयूसी) द्वारा कुल 201 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लगभग 15 परियोजनाएं शामिल हैं। आईयूसीए प्रायोगिक सुविधाओं को उपयोग करने के लिए कुल 43 पीएचडी परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान आबंटित और जारी किए गए अनुदान का ब्योरा
आबंटित अनुदान : 6586.64 लाख रुपये जारी किया गया अनुदान: 6874.44 लाख रुपये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटित राजस्व अनुदान से शोध हेतु विश्वविद्यालयी अध्यवेतावृत्ति (यूएफआर) अनुदान को जारी किया जाता है और यूएफआर और विआ से कोई पृथक अनुदान प्राप्त नहीं होता है।

5.10 (ii) इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विआ) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के अन्तर्गत पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में उत्कृष्टता के स्वायत्त केन्द्र के रूप में हुई थी ताकि विश्वविद्यालय क्षेत्र में खगोल तथा खगोल भौतिकी में शिक्षण, शोध तथा विकास क्रियाकलापों को पोषित तथा उनका विकास करने में मदद की जा सके।

उद्देश्य जिनके लिए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीए) की स्थापना की गई थी :

- अपनी तरह के गहन शोध करना और भारतीय विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता के केन्द्र स्थापित करना।
- भारतीय विश्वविद्यालयों में सक्रिय समूहों के संकेन्द्रण को बढ़ावा देना और विकास करना।
- भारत और पड़ोसी देशों में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी (एएंडए) कार्यों में क्षेत्र स्टेशन और संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना और सामान्य मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।

उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आईयूसीए ने उनके कार्यक्रम तैयार किए हैं और कुछ उद्देश्यों का उल्लेख किया है :

- (क) एएंडए में मूलभूत शोध।
- (ख) स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एएंडए का शिक्षण।
- (ग) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रों के लिए 'वेकेशन स्टूडेंट्स प्रोग्राम' और ग्रीष्मकालीन विद्यालय।
- (घ) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
- (ङ) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों के लिए एसोशिएटशिप कार्यक्रम।
- (च) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के लिए विजिटर कार्यक्रम।
- (छ) भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आईयूसीए संसाधन केन्द्र।
- (ज) आईयूसीए में और इसके बाहर विद्यालयों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करना।
- (झ) भारतीय विश्वविद्यालयों के सदस्यों के लिए आईयूसीए गिरवाली प्रयोगशाला का प्रचालन करना।
- (ञ) भागीदारी के माध्यम से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और छात्रों के लिए दक्षिण अफ्रीका लार्ज टेलीस्कोप (एसएएलटी) तक पहुंच।
- (ट) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, विद्यालय छात्रों और आम जनता के लिए व्यापक जन पहुंच कार्यक्रम।
- (ठ) खगोल भौतिकी में राष्ट्रीय वृहद परियोजनाओं में अग्रणी भूमिका निभाना :
 - (I) विज्ञान और 'लेजर इंटरफरोमेट्रिक ग्रेवीटेशनल-वेव आबजर्वेटरी' (एलआईजीओ) में कम्प्यूटिंग - भारत।
 - (II) तीस मीटर टेलीस्कोप।
 - (III) स्क्वेयर किलोमीटर अरे - भारत।

संघ को विश्वविद्यालय प्रणाली में शोधकर्ताओं को उपलब्ध डी0ए0ई की तीन प्रमुख “बिग-विज्ञान” सुविधाएं तैयार करने का अधिदेश था। ये तीन सुविधाएं बीएआरसी में ध्रुव रिएक्टर, कोलकाता में ‘वेरिबल एनर्जी सॉइक्लोट्रॉन’ और इंदौर में ‘सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सोर्स’ हैं। तदनुसार, संघ ने इंदौर, कोलकाता और मुंबई में तीन केन्द्र स्थापित किए, जिनका इंदौर में मुख्यालय है। हाल में, कल्पाक्कम में नोड की स्थापना की गई है जो आईजीसीएआर सुविधाओं की प्रासंगिकता के साथ पदार्थ विज्ञान की आवश्यकता को पूरा करता है।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा पी0ए0डी0 के छात्रों को अत्याधुनिक शोध सुविधाएं उपलब्ध कराने के हमारे प्रयास के एक भाग के रूप में, इस संघ ने इंदौर, कोलकाता और मुंबई के अपने तीन केन्द्रों में अत्याधुनिक और उन्नत अनुसंधान सुविधाओं को स्थापित किया है। ये सुविधाएं खर्चीली हैं और इनका रखरखाव कठिन है तथा ये अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं। इन वर्षों में इस संघ ने अपने दायरे को बढ़ाया भी है और विश्वविद्यालय अनुसंधानकर्ताओं को आईजीसीएआर कलपक्कम एवं आईओपी भुवनेश्वर में डीई की निम्न ऊर्जा आयन एक्सीलेटर सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की गई। वीईसीसी में एक निम्न ऊर्जा भारी आयन ईसीआर आधारित एक्सीलेटर को भी उपलब्ध कराया गया है। सामान्यरूप से सीएसआर और विशेषरूप से इंदौर केन्द्र में विश्वविद्यालयों के लिए उपलब्ध निम्न तापमान और उच्च चुम्बकीय क्षेत्र सुविधाओं के परिणामस्वरूप, एक विशिष्ट स्थान बनाया है।

वर्ष 2018-19 के लिए सांख्यिकीय प्रोफाइल

क्रम संख्या	ब्योरा	संख्या
1.	उपयोगकर्ता	1588
2.	सीआरएस परियोजनाएं	406
3.	प्रकाशन –पत्रिकाएं	414
4.	सीएसआर कर्मियों द्वारा आमंत्रित वार्ताएं	65
5.	आयोजित की गई कार्यशालाएं	7

(i) मुख्य सुविधा विकास : सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोतों से ध्रुवीकृत एक्स-रे किरणपुंज की उपलब्धता ने ‘एक्स-रे मैग्नेटिक सर्कुलर डिफ्रैक्शन’ (एक्सएमसीडी) का विकास किया है। एक्सएमसीडी माप विभिन्न भौतिकी मानदंडों का मात्रात्मक आकलन और योगदान करने में सक्षम बनाएगा, ताकि चुम्बकीय सामग्री में विभिन्न परिघटनाओं के पूर्ण रूप से समझा जा सके। हमने इंडस-2 सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत में एक्स-रे चुम्बकीय सर्कुलर डिफ्रैक्शन (एक्सएमसीडी) मापन के लिए किरणपुंज का विकास किया है। विआ-डी0ए0ई सीएसआर द्वारा इस नई एक्सएमसीडी मापन सुविधा (देश में विशिष्ट) पदार्थ विज्ञान के शोध समुदाय के लिए विभिन्न चुम्बकीय परिघटना के सूक्ष्म उत्पत्ति की जांच करने और समझने में एक बहुत ही शक्तिशाली एकीकृत उपकरण बनने जा रहा है।

(ii) इंडस सिंक्रोट्रॉन के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास (डी0ए0ई वृहद सुविधा) : दिनांक 27 से 29 मार्च, 2019 के दौरान वि0अ0आ0-डी0ए0ई0 कन्सोर्ट्रियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च (सीएसआर), इंदौर ने विआ-डी0ए0ई सीएसआर, इंदौर में डीएवीवी और आरआरसीएटी के साथ संयुक्त रूप से इंडस सिंक्रोट्रॉन प्रयोग बैठक का आयोजन किया। आईएसयूएम का उद्देश्य इंडस सिंक्रोट्रॉन पर चालू शोध और विकास प्रयासों और विश्वविद्यालय एवं शिक्षा संस्थानों के विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत के उपयोग को उजागर करना था। इस बैठक के दौरान प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने इंडस सिंक्रोट्रॉन सुविधा के विकास और उपयोग पर व्याख्यान दिए। इसके साथ, विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों के संकाय सदस्य से इंडस एसआरएस के उपयोग हेतु अवधारणात्मक सहयोग शोध योजना (सीआरएस) परियोजना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। इसके प्रत्युत्तर में, 350 से अधिक भागीदारों ने इस बैठक के लिए पंजीकृत किया। देशभर से वैज्ञानिक समुदाय से पोस्टर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से 38 आमंत्रित वार्ताएं की गई, 45 सहयोगात्मक पत्र और 80 सीआरएस परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।

(iii) ज्ञान अर्जन की नैसर्गिक प्रक्रिया पर कार्यशाला : इंदौर के आरआरसीएटी सम्मेलन कक्ष में दिनांक 24 अगस्त को “ज्ञान अर्जन की नैसर्गिक प्रक्रिया” पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रो. एच सी वर्मा, सुप्रसिद्ध शिक्षक और पूर्व आचार्य, आईआईटी कानपुर उपस्थित थे। प्रो. वर्मा विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच भौतिकी के बारे में बहुत ही सरल भाषा में संवाद करने के लिए लोकप्रिय हैं। उन्होंने “भौतिकी के विकास में प्रयोगों की भूमिका” विषय पर एक संगोष्ठी की। उन्होंने भौतिकी के अनेक मौलिक पहलुओं की स्वाभाविक रूप से व्याख्या करके छात्रों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने सामान्य रूप से विचार किए जाने से हटकर विचार कर प्राप्त होने वाले विपुल ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न

उदाहरण दिए। उन्होंने विद्यालयी शिक्षा प्रणाली की पद्धति पर दुख प्रकट किया, जो छात्रों को अपने परिवेश में घट रही घटनाओं से स्वाभाविक रूप से ज्ञानअर्जन का अवसर नहीं देती है। उन्होंने सरल प्रयोगों के कई तत्स्थानिक उदाहरण दिए जिससे अनेक यांत्रिक, प्रकाश विज्ञान, चुम्बकीय विज्ञान आदि के कई समस्याओं को स्पष्ट किया। शहर के अनेक विद्यालयों और महाविद्यालयों के लगभग 750 छात्रों ने कार्यशाला में भाग लिया।

वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों की संख्या (केवल उच्चतर शिक्षा/ शोध के लिए)

विश्वविद्यालयों से शोधकर्ताओं की संख्या	824
महाविद्यालयों से शोधकर्ताओं की संख्या	108
छात्रों और शिक्षकों का कुल योग	1588
1588 भागीदारों में से महिला शोधकर्ताओं की संख्या	415

वर्ष 2018-19 के दौरान आबंटित और जारी किए गए अनुदान का व्योरा

आबंटित अनुदान : 5386.80 लाख रुपये

जारी किया गया अनुदान : 5363.66 लाख रुपये



5.10 (iv) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12गगग के अंतर्गत दिनांक 16 सितम्बर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) की स्थापना की जिसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है।

भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संदर्भ में व्यापक परिमाणात्मक विस्तार हुआ है। शिक्षाप्रदाताओं का प्रोफाइल, कार्यक्रम, पाठ्यचर्या की पेशकश, शिक्षा प्रदान की पद्धति और वित्तपोषण के अनुरूप भिन्न हो सकता है। वास्तव में, संपूर्ण विश्व में उच्चतर शिक्षा निरंतर परिवर्तनशील है। ऐसी स्थिति में मानकों और गुणवत्ता में भिन्नताएं स्वाभाविक हैं। संपूर्ण देश में महाविद्यालयों के प्रसार के संदर्भ में शिक्षा में मानक स्थापित करने की आवश्यकता के मद्देनजर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई, 1986) और 'प्रोग्राम ऑफ एक्शन' (पीओए, 1992) ने एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया जो संस्थानों में स्व-मूल्यांकन को प्रोत्साहित करेगा और बाह्य एजेंसी द्वारा मूल्यांकन और प्रत्यायन को भी प्रोत्साहित करेगा। हमारी शिक्षा प्रणाली के लाभ को समेकित करने के संदर्भ में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) के स्वायत्त संस्थान के रूप में वर्ष 1994 में एनएएसी की स्थापना की गई जिसका मुख्य एजेंडा देश में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करना है। एनएएसी बंगलुरु में स्थित है। उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता की खोज पूरे विश्व में देशों का मुख्य एजेंडा बन गया है। उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु गुणवत्ता की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उच्चतर शिक्षा के स्तर को बनाए रखने और उसमें सुधार करने लिए बाह्य गुणवत्ता आश्वासन (ईक्यूए) की स्थापना को कार्य सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना गया है और ऐसी एजेंसियों की स्थापना पूरे विश्व में की गई है। अपनाए जाने हेतु यह अपेक्षाकृत नई अवधारणा है, शायद कुछ विकसित देशों को छोड़कर एक दशक पुरानी अवधारणा है। दिनांक 16 सितंबर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) की स्थापना करके भारत ने उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता के लिए एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हुआ है। इस प्रभाव का सूचक यह है कि "गुणवत्ता", "एनएएसी प्रत्यायन", "आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोट (आईक्यूएसी)" बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले पद हैं और आजकल महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चर्चा का विषय है।

मूल्यांकन और प्रत्यायन का मुख्य उद्देश्य हैं

- (क) उच्चतर शिक्षा के संस्थानों और उनके कार्यक्रमों को ग्रेडबद्ध करना;
- (ख) इन संस्थानों में शैक्षणिक परिवेश और शिक्षण की गुणवत्ता तथा शोध को उत्प्रेरित करना;
- (ग) संस्थानों को अपने शैक्षिक उद्देश्यों का प्राप्त करने में सहायता करना;
- (घ) उक्त उद्देश्य के लिए कार्यरत संस्थानों के सभी पहलुओं में आवश्यक परिवर्तनों, नवाचारों और सुधारों को बढ़ावा देना;

(ड.) उच्चतर शिक्षा में नवाचारों, स्व-मूल्यांकन और जवाबदेही को प्रोत्साहित करना;

अपने अधिदेश को प्राप्त करने के लिए एनएएसी:

- (क) आवधिक रूप से समीक्षा करगी और मूल्यांकन के तकनीक और प्रविधि से प्राप्त अनुभव के आलोक में जैसा और जब आवश्यक समझा जाए संशोधित और अद्यतन करेगी;
- (ख) मूल्यांकन के परिणाम को संसूचित करेगा और सुधारात्मक कार्य, परिहार और स्व-सुधार के लिए उपयुक्त प्रारूप और पद्धति से संबंधित संस्थान को ग्रेड प्रदान करेगा;
- (ग) संस्थानों को स्व-मूल्यांकन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं, तकनीकों और प्रविधियों का विकास करने में संस्थानों को सहायता देगा और प्रोत्साहित करेगा;
- (घ) शिक्षा संस्थानों की आयोजना और मूल्यांकन, कार्यक्रमों आदि में शोध अध्ययन आरंभ करेगा;
- (ड.) उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के संसाधनों का इष्टतम उपयोग करेगा और अभिज्ञात लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा;
- (च) एनएएसी समान स्वरूप के कार्य कर रहे भारतीय और विदेशी संस्थानों के साथ समन्वय कर सकता है और अनुरोध के आधार पर विदेशों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन भी कर सकता है।

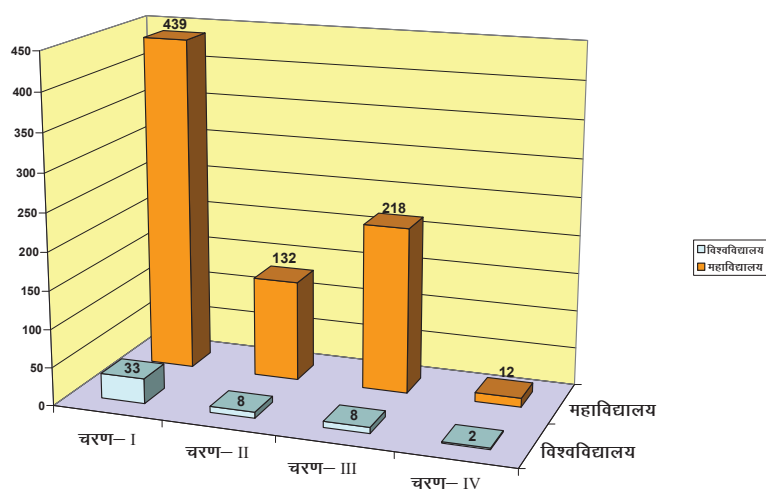
एनएएसी अपनी सामान्य परिषद् (जीसी) और कार्यकारी समिति (ईसी) के माध्यम से कार्य करता है, जहां शिक्षा प्रशासक, नीति निर्माता और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के सभी वर्गों के वरिष्ठ शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष एनएएसी की सामान्य परिषद् का अध्यक्ष होता है और कार्यकारी समिति का अध्यक्ष प्रसिद्ध शिक्षाविद् होता है जिसका नामनिर्देशन सामान्य परिषद् का अध्यक्ष करता है। इसका निदेशक एनएएसी का मुख्य शिक्षा और प्रशासनिक अधिकारी होता है, और सामान्य परिषद् एवं कार्यकारी समिति दोनों का सदस्य-सचिव भी होता है। एनएएसी के पास अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए परामर्शदाताओं द्वारा पूरित कोर स्टॉफ होता है।

एनएएसी का लक्षित समूह, मूल्यांकन और प्रत्यायन के प्रयोजनार्थ भारत में स्थित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होते हैं, 12126 महाविद्यालयों और 586 विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन और प्रत्यायन किया गया।

तालिका 5.10 (iv): वर्ष 2018-19 के दौरान प्रत्यायित संस्थानों की संख्या

चरण	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	कुल
चरण- I	33	439	472
चरण- II	8	132	140
चरण- III	8	218	226
चरण- IV	2	12	14
कुल	51	801	852

रेखाचित्र 5.10(iv): वर्ष 2018-19 के दौरान प्रत्यायित संस्थानों की संख्या



- **दिल्ली में अणुव्रत भवन, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में एनएएसी कार्यालय का उद्घाटन**

अणुव्रत भवन, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), दिल्ली कार्यालय का उद्घाटन प्रो. डी. पी. सिंह, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 14 मई, 2018 को किया गया। प्रो. वीरेन्द्र चौहान, अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, एनएएसी, डॉ. लता पिल्लई, निदेशक, कार्यकारी, एनएएसी और प्रो. रजनीश जैन, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एनएएसी एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

एनएएसी, दिल्ली की कार्यकारी समिति द्वारा यथा अनुमोदित एनएएसी कार्यालय मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया का समन्वय करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा, उत्तरी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, हिन्दी में प्रोत्साहन सामग्री का विकास, मूल्यांकनकर्ताओं, सम्पर्क अधिकारी, सरकारी, सांविधिक और विनियामक निकायों का डाटाबेस तैयार करेगा ताकि संगठन का ब्रांड इमेज बढ़ाया जा सके और इसके द्वारा अन्य दैनिक क्रियाकलापों को करने के अतिरिक्त दिन प्रतिदिन के कार्यों, राजभाषा का सर्वधन एवं अनुवाद कार्य के लिए नोडल यूनिट के रूप में कार्य करे।

- **अध्यापक शिक्षा संस्थान (टीईआई) के लिए एनएएसी-एनसीटीई समझौता ज्ञापन का रद्दीकरण**

कार्यकारी समिति (ईसी) द्वारा यथा अनुमोदित एनएएसी-एनसीटीई समझौता ज्ञापन दिनांक 16 मई, 2018 से समाप्त हो गया है और एनएएसी द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) का मूल्यांकन और प्रत्यायन तत्काल बंद हो गया है।

- **भेषज महाविद्यालयों का मूल्यांकन और प्रत्यायन बंद किया जाना**

एनएएसी, स्वास्थ्य विज्ञान के लिए नियम-पुस्तिका तैयार कर रहा है। सक्षम प्राधिकारी ने यह संकल्प लिया है कि स्वास्थ्य विज्ञान के लिए नियम-पुस्तिका को अंतिम रूप दिए जाने तक एनएएसी भेषज महाविद्यालयों का प्रत्यायन करना बंद रहेगा। इसलिए, भेषज महाविद्यालयों से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

- **एनएएसी वृत्तचित्र**

एनएएसी के बारे में एनएएसी वृत्तचित्र संबंधी जागरूकता अपेक्षित थी। प्रभावी जागरूकता का सबसे अच्छा तरीका एनएएसी पर लघु वृत्तचित्र बनाने को प्रोत्साहित करना है जिसमें एनएएसी के अनिवार्य क्रियाकलापों और उपलब्धियों का उल्लेख हो। यह आईपीआर संरक्षित होता है और हितधारकों के पहुंच के लिए इसे एनएएसी के वेबसाइट पर डाला जाता है और इससे उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच दूरगामी प्रभाव पड़ा है।

- **मानव संसाधन विकास मंत्रालय डैशबोर्ड**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ तुल्यकालन करने लिए और कार्य की दिन-प्रतिदिन प्रगति साझा करने के लिए डैशबोर्ड बनाया गया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साझा किया गया है। यह डैशबोर्ड सक्रिय डैशबोर्ड है और आईआईक्यूए, एसएसआर, डीवीवी, समकक्ष दलों के दौरों और परिणामों जैसे विभिन्न कार्यकलापों की समवर्ती कार्य की स्थिति को प्रदर्शित करता है। डैशबोर्ड मूल्यांकन और प्रत्यायन संबंधी एनएएसी के पास कार्य की संपूर्ण स्थिति को कवर करता है।

- **ऑनलाइन निर्धारक मॉड्यूल**

मूल्यांकनकर्ता के डाटा को सुग्राही बनाना एक दुरुह कार्य है। वर्तमान और भविष्य की अपेक्षाओं के मद्देनजर मूल्यांकनकर्ता के लिए डाटाबेस तैयार किया गया था। एनएएसी में मूल्यांकनकर्ता के ब्योरे के डाटा की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थे। साथ ही, मूल्यांकनकर्ता का विस्तार करना तत्काल जरूरी था। मूल्यांकनकर्ता के पंजीकरण को ऑनलाइन अस्थायी बनाया गया, और मूल्यांकनकर्ताओं के ब्योरों को स्पष्ट रूप से तैयार करने के लिए डाटाबेस की जांच की गई ताकि समकक्ष दल के दौरों के लिए मूल्यांकनकर्ता के स्व-चयन के लिए प्रणाली को सक्षम बनाया जा सके। इसे समर्पित दल के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्यवाई करके छह माह से कम समय में प्राप्त कर लिया गया। मूल्यांकनकर्ताओं की स्थिति की जानकारी के लिए इस विशिष्ट डैशबोर्ड का रखरखाव भी किया जाता है।

- **‘इशू मैनेजमेंट साफ्टवेयर’ का आंतरिक विकास**

उच्चतर शिक्षा संस्थानों की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के निराकरण के लिए यह नवीन तरीका निकालना एनएएसी के पहला कार्य था। यद्यपि, ई-मेल और फोन कॉल के माध्यम से पहले ही ऐसे प्रावधान किए गए थे, लेकिन आरएएफ से संबंधित मामलों के साथ प्रभावी रूप से नहीं निपटा गया क्योंकि इसमें समन्वय के विभिन्न पहलू शामिल थे। इसलिए, ‘इशू मैनेजमेंट सिस्टम’ (आईएमएस)

को तैयार किया गया और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के डैशबोर्ड, 'प्रोसेस ऑनर' और शिक्षा समन्वयकों के साथ समेकित किया गया। संस्थानों को पोर्टल पर किसी भी समय अपनी शंकाओं, चिंताओं और आशंकाओं को उठाने के लिए प्रणाली से सक्षम बनाया गया है। जिस क्षेत्र से संबंधित चिंताएं या मुद्दे उठाए गए हैं उसके आधार पर संबंधित व्यक्तियों को इसे आवंटित किया जाता है। मामले को निपटाने हेतु समय सीमा एक दिन होती है और समर्पित टीम द्वारा सूक्ष्मता से निगरानी की जाती है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने इस पर अच्छी प्रतिक्रिया दी है और उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने इसकी अत्यंत प्रशंसा की है। ऑनलाइन माध्यम से मामले उठाए जा रहे हैं और संबंधित अधिकारी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से समाधान किया जाता है, एनएएसी द्वारा स्थिति की निगरानी की जा रही है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनएएसी के कार्यों की पारदर्शिता स्तर को उठाया है। विशेषरूप से एनएएसी इस बात की गर्व से घोषणा करता है कि यह मॉड्यूल स्वयं उसने तैयार किया है इसे एनएएसी के दल द्वारा कार्य को आउटसोर्स किये बिना विकसित किया गया और तैनात किया है। यह स्वयं दल की कुशलता को सिद्ध करता है।

● एनएएसी वीडियो ट्यूटोरियल

डिजिटल आरएएफ के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों का शिक्षण कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। दूरस्थ क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ डिजिटल सारक्षता एनएएसी के लिए चिंता का विषय है। इससे निपटने के लिए मूल्यांकन और प्रत्यायन की प्रक्रिया में संस्थानों को कदम-दर-कदम मार्गनिर्देशन करने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल तैयार किया है और पोर्टल की जानकारी भी इसमें दी गई है। नए भर्ती किए गए सहायक सलाहकारों द्वारा इन वीडियो को संस्थान में ही तैयार किया गया है। यह संस्थानों को राहत देने वाला साबित हुआ और उन्हें पोर्टल के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने हेतु मार्गनिर्देशित करता है तथा यहां बार-बार पूछे जाने वाले 9 प्रश्न दिए गए हैं। यह वीडियो वृहद हैं और इन्हें संस्थानों द्वारा डाउनलोड करने एवं उपयोग करने के लिए एनएएसी वेबसाइट पर डाला गया है।

● डीवीवी को सरल बनाना

डाटा प्रमाणीकरण और सत्यापन आरएएफ का केन्द्र बिंदु है और संस्थान के गुणवत्ता निर्धारण में महत्वपूर्ण घटक है। डीवीवी की प्रक्रिया को भली-भांति सरलीकृत किया गया और स्थिर किया गया है। मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया गया है और मीट्रिक के बोध एवं दस्तावेजों के आदान-प्रदान के बीच अंतराल को पाटने के लिए वेबसाइट पर डाला गया है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि डीवीवी भागीदार, जो संस्थान के डाटा का सत्यापन करते हैं और संस्थान जो डाटा उपलब्ध कराते हैं, उसी मीट्रिक के साथ बोधगम्य पेज पर होते हैं जिसे एनएएसी ने उपलब्ध कराया है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि संस्थानों की डीवीवी प्रक्रिया 30 से 40 दिनों के भीतर पूरी हो जाए।

● अपील के निपटान के लिए तंत्र

अपील करने की प्रक्रिया की प्रविधि को अंतिम रूप दिया गया और इसे कार्यान्वित किया गया। अपील को भी पूर्णतः आईसीटी सक्षम बनाया जा रहा है। किसी भी क्षुब्ध संस्थान को नियत समय-सीमा में अपील करने हेतु सक्षम बनाया गया है। अपील समिति कार्यवाही की योजना का सुझाव दे सकती है और इसे ऑनलाइन कार्यान्वित किया जा सकता है। अपील के अंतिम परिणाम के बारे में संस्थान को ऑनलाइन जानकारी देने की भी योजना बनाई जा रही है। चूंकि एक वर्ष से अपील का मामला एनएएसी के पास लंबित था, क्योंकि आरएएफ के अंतर्गत नई प्रक्रिया को अपनाया जाना था। इस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की गई है और समाधान किया गया। अपील के प्रथम परिणाम की घोषणा की जा रही है।

● डीवीवी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग

डीवीवी को आईसीटी के नए स्तर पर उन्नयन करने की जरूरत है। दस्तावेज पठन, दस्तावेजों की पूरी सूची में संख्याओं की पहचान करने के रूप में डीवीवी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावना को साकार किया गया है। मीट्रिक्स की संभावना का पता लगाने के लिए 1200 संस्थानों के डाटा के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करने के बारे में अवसरों की पहचान की जा रही है जहां स्वतः सत्यापन करना संभव है।

अवसंरचनात्मक विकास

● मीडिया केन्द्र

भारत सरकार के उद्यम 'ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रेंट्स इंडिया लिमिटेड' (बीईसीआईएल) के पेशेवर परामर्श और परियोजना निष्पादन सेवाओं के तहत मीडिया केन्द्र स्थापित करने का प्रयास आरंभ किए गए हैं ताकि उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन एवं

पुष्टि के बारे में जागरूकता फैलाने एवं एनएएसी की भूमिका और महत्व को देश के कोने-कोने में पहुंचा जा सके। बीईसीआईएल के साथ पहले ही 11 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और इसके लिए कार्ययोजना पर रूपरेखा तैयार की गई है।

● दिव्यांग अनुकूल कार्यालय

एनएएसी का कार्यालय का वास्तुशिल्प उल्लेखनीय, आधुनिक और विशिष्ट है जोकि किसी भी सरकारी कार्यालय के अनुकरणीय हो सकता है। यद्यपि, इसके डिजाइन में कमी महसूस की गई कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए कार्यालय का उपयोग उपयुक्त बनाने के लिए डिजाइन में लिफ्ट का प्रावधान नहीं किया गया। इसलिए, वास्तुशिल्प के साथ अनुपालन हेतु डिजाइन में लिफ्ट का प्रावधान किया गया और इसका प्रचालन किए जाने की संभावना है।

● डिजिटल ग्रंथालय की स्थापना

एनएएसी जैसे अंतर्विश्वविद्यालय के लिए, जो देश में उच्चतर शिक्षा के केन्द्र बिंदु हैं, एनएएसी के ग्रंथालय का स्तरोन्मन करना जरूरी है। वर्तमान में, एनएएसी की डिजिटल ग्रंथालय में पुस्तकों का अच्छा संग्रहण है। एनएएसी की लाइब्रेरी को अत्याधुनिक ग्रंथालय बनाने के लिए प्रक्रिया और प्रविधि तैयार की जा रही है। इसके परिवेश और स्थान के उपयोग का पुनर्गठन किया गया है ताकि यह आकर्षक और प्रेरक प्रतीत हो।

● अवसंरचना का आधुनिकीकरण

चर्चा कक्ष से विश्राम कक्ष तक एनएएसी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती गई है। महिलाओं के प्रति लिंग संवेदना की आवश्यकताओं को पूर्ण किया गया है और उन पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। उनके लिए अलग से प्रवेश और निकास निमार्णाधीन है। एनएएसी में जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा बोरवेल की गहराई को बढ़ाया गया और नया बोरवेल लगाया गया है ताकि एनएएसी के कार्यालय और आवासीय क्षेत्र में पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। चूंकि नई अवसंरचना में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपलब्ध सुविधाओं का यथा संभव इष्टतम उपयोग करना भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

● एनएएसी में हरित पहल को बढ़ावा देना

एनएएसी को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है और इसलिए, एनएएसी में प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रोत्साहन कदम के रूप में और एनएएसी के 25 वर्ष का उत्सव मनाने के लिए अधिकारियों को तांबे की धातु की बोतल उपहार में दी गई है तथा उन्हें कार्यालय में इसका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बैठक में पानी की प्लास्टिक की बोतलों को इससे प्रतिस्थापित किया गया है। आंगतुकों में इसे बढ़ावा देने के लिए एनएएसी ने अपने इस प्रयास को बनाए रखा है।

वर्ष 2018-19 के दौरान आबंटित और जारी किए गए अनुदान का ब्योरा

आबंटित अनुदान : 1956.97 लाख रुपये

जारी किया गया अनुदान : 2037.81 लाख रुपये



5.10 (v) इंफार्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क (इंफिलबनेट) सेन्टर, गांधी नगर:-

सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क (इंफिलबनेट), की स्थापना मई, 1996 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक स्वायत्त अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में हुई जो कि गुजरात के इन्फोसिटी में स्थित हैं। इस केन्द्र के मुख्य क्रियाकलापों में अकादमिक ग्रंथालय एवं सूचना केन्द्रों का आधुनिकीकरण, करना शामिल है जिससे जानकारी के अंतरण तथा पहुंच, छात्रवृत्तियों, ज्ञान अर्जन, तथा शैक्षिक क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा सके। यह केन्द्र, देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान और विकास संस्थानों में स्थित विभिन्न पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के साथ, नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से एक नोडल ऐजन्सी के रूप में कार्य करता है।

समकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एक आधारभूत कारक होने के कारण, केन्द्र ने अपने भारत में शैक्षिक समुदाय के लाभ हेतु अनेक पहल की हैं। इन सभी पहल को मोटे-तौर पर निम्नलिखित 12 श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

- **विश्वविद्यालय ग्रंथालयों का स्वचालन:** यह केन्द्र विश्वविद्यालयों को विभिन्न तरीकों से ग्रंथालयों के स्वचालन में सक्रिय रूप से मदद करता है। इन्पिलबनेट केन्द्र ने ग्रंथालय स्वचालन के संबंध में 166 विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो विश्वविद्यालयों को उनके ग्रंथालय में उपलब्ध ग्रंथालय की सूची के अभिलेखों का इनपिलबनेट केन्द्र के यूनियन कैटलॉग इन्डकैट में योगदान करने में सक्षम बनाता है।

- **इन्डकैट: भारतीय विश्वविद्यालय का यूनियन कैटलॉग:** इन्डकैट में भारतीय विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों में उपलब्ध पुस्तकों, सीरियलों तथा पीएचडी शोध प्रबंधों का यूनियन कैटलॉग शामिल है। इसमें 184 विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों से 142 लाख पुस्तकें, 223 विश्वविद्यालय हेतु 0.35 लाख विशिष्ट जर्नल के संबंध में धारिता जानकारी तथा 317 विश्वविद्यालयों से 2.7 लाख ग्रंथालय सूची के रिकार्ड अंतर्विष्ट हैं।

- **सॉफ्टवेयर विकास: सोल 2.0 समेकित ग्रंथालय स्वचालन सॉफ्टवेयर**

सोल 2.0 : इन्पिलबनेट संगठन के भीतर विकसित किए गए सोल सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्रंथालयों के स्वचालन के संबंध में योगदान देता है। सोल को देशभर में 3,500 स्थानों पर संस्थापित किया गया है।

- **मुक्त पहुंच तथा मुक्त डॉटा पहल**

शोधगंगा : जनवरी, 2010 में आरंभ किया गया, शोधगंगा भारतीय शोध प्रबंधों का भंडार है जिसमें 397 संस्थानों से प्रदत्त 2.22 लाख पूर्ण पाठ वाले शोध प्रबंध होस्ट किए गए हैं। इस पहल को उस समय बल मिला, जब पात्र विश्वविद्यालयों को साहित्य चोरी रोकने हेतु सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया तथा वर्तमान में 203 संस्थान साहित्य चोरी का पता लगाने हेतु सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शन का लाभ उठा रहे हैं।

शोध गंगोत्री: वर्ष 2013 में आरंभ किया गया, शोध गंगोत्री कार्यक्रम चल रहे शोध का भण्डारगृह है जो 63 विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए 6450 से अधिक सिनॉपसिस को होस्ट करता है, रिपोर्टधीन अवधि के दौरान 2,250 सिनॉपसिस को जोड़ा गया है, जबकि 12 से अधिक संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है।

आईसीएसएसआर डॉटा सेवा—भारतीय सामाजिक विज्ञान डॉटा भण्डारगृह:— इस परियोजना को आईसीएसएसआर द्वारा वर्ष 2015 में इन्पिलबनेट केन्द्र को सौंपा गया था जिसमें एनएडीए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर कस्टमाइज किए गए प्लेटफार्म पर एमओएसपीआई द्वारा 140 डॉटासेट को होस्ट किया गया है। यह शोधकर्ता समुदाय में काफी लोकप्रिय रहा है और इसमें 30 लाख से अधिक रिसोर्स डॉउनलोड हैं।

- **ग्रंथालय कन्सोर्टियम तथा इसके उप—उत्पाद**

ई—शोध सिंधु: जिसे वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था, ई—शोधसिंधु विश्वविद्यालयों, केन्द्रों द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों तथा महाविद्यालयों सहित 300 से अधिक संस्थाओं को 7,000 से अधिक ई—जर्नलों तथा 31 लाख से अधिक पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करता है। एन—लिस्ट जोकि ई—शोधसिंधु का महाविद्यालय घटक है, जो 3200 से अधिक महाविद्यालयों को 6,000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक जर्नलों तथा 31.65 लाख से अधिक ई—पुस्तकों तथा पहुंच उपलब्ध कराता है।

इन्पिलबनेट पहुंच प्रबंधन संघ (आईएनएफईडी): वर्ष 2017 में पूर्णरूप से आरंभ किया गया आईएनएफईडी, ई—शोध सिंधु के तहत कवर किए गए संस्थानों में उपयोगकर्ताओं को ई—संसाधनों तक ऑफ—कैम्पस पहुंच उपलब्ध कराता है।

इन्फिस्टैट: इन्फिस्टैट को वर्ष 2015 में आरंभ किया गया। यह ई—शोध सिंधु का उप उत्पाद है, जो सब्सक्राइब किए गए ई—संसाधनों को ई—शोध सिंधु के तहत सदस्य संस्थाओं को उपलब्ध कराए गए सब्सक्राइब किए गए ई—संसाधनों के उपयोग संबंधी आंकड़ों की निगरानी तथा मूल्यांकन को सुकर बनाता है।

साहित्यचोरी का पता लगाने हेतु सॉफ्टवेयर (पीडीएस): मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इन्पिलबनेट केन्द्र 960 से अधिक विश्वविद्यालयों/ संस्थानों जिसमें सभी निजी विश्वविद्यालय तथा सीएफटीआई शामिल हैं को वेब आधारित साहित्यचोरी का पता लगाने हेतु सॉफ्टवेयर (पीडीएस) (कहीं—कहीं साहित्यचोरी रोधी/ डायूल्कीशन स्क्रीनिंग/ सिमिलेरिटी चैक टूल के नाम से जाना जाता है) उपलब्ध कराएगा। साहित्यचोरी का पता लगाने हेतु सॉफ्टवेयर (पीडीएस) शैक्षिक और शोध कार्य में चोरी की हुई विषयवस्तु का सुलभता से पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है।

- **ई—शिक्षण, विषयवस्तु विकास तथा एमओओसी**

ई—पीजी पाठशाला : वर्ष 2012 में आरंभ की गई ई—पीजी पाठशाला ने वर्ष 2014 के बाद से रफ्तार पकड़नी शुरू की। इन्पिलबनेट सभी विधाओं में 70 विषयों में ई—विषयवस्तु के विकास को समन्वित करता है। वर्तमान में, यह 5000 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा योगदान दिए गए 23,900 से अधिक मॉड्यूल को होस्ट करता है।

विद्यामित्र: इस परियोजना को मई, 2014 में इन्फिलबनेट केन्द्र को सौंपा गया था, विद्यामित्र, एनएमई-आईसीटी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत विकसित सभी ई-विषयवस्तु परियोजनाओं के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल है। विद्यामित्र 66,000 से अधिक वीडियो (स्व-शिक्षण/ई-अनुशिक्षण) तथा 44,000 से अधिक ई-पाठ को होस्ट करता है।

स्वयं (पीजी पाठ्यक्रमों हेतु): दिनांक 09 जुलाई, 2017 को आरंभ किया गया इन्फिलबनेट केन्द्र एमओओसी तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के समन्वय हेतु एक नोडल एजेंसी है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान स्वयं प्लेटफार्म पर एमओओसी हेतु 80 से अधिक पाठ्यक्रमों तथा 60 गैर-तकनीकी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश की जा रही है। इन्फिलबनेट केन्द्र, स्टॉप प्लेटफार्म पर ग्रंथालय तथा सूचना विज्ञान में सात पाठ्यक्रमों की पेशकश करने हेतु एक नोडल एजेंसी है। एलआईएस में सात पाठ्यक्रम, जिन्हें नवम्बर 2017 के माह में स्वयं प्लेटफार्म पर आरंभ किया गया, को मार्च, 2018 में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। अधिक मांग के चलते वर्ष 2018 में इन कार्यक्रमों को पुनः चलाने के लिए भी अनुमोदित किया गया है।

स्वयं— प्रभा: दिनांक 09 जुलाई, 2017 को आरंभ किए गए इन्फिलबनेट केन्द्र ने स्वयं प्रभा हेतु एक पोर्टल विकसित किया है तथा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों को समर्पित 31 डीटीएच चैनलों हेतु वीडियो को होस्ट करता है तथा संजोकर रखता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इन्फिलबनेट हेतु प्रबंधन हेतु विशिष्ट रूप से चैनल नम्बर 29 (स्नातकोत्तर विषय और योग) नियत किया गया है।

एफएसएसएआई का एफएसकेएसएन: एक संगठनों का नेटवर्क जिसका उद्देश्य खाद्य प्राधिकरण के उत्तरदायित्वों के भीतर क्रियाकलापों के समन्वय, जानकारी के आदान-प्रदान, संयुक्त परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से वैज्ञानिक सहयोग के ढांचे को सुकर बनाना है। एफएसएसएआई ने 'फूड सेपटी नालेज एसोसिएशन नेटवर्क' (एफएसकेएसएन) को स्थापित किया है।

● संस्थाओं की रैंकिंग तथा एनबीए और एनएएसी हेतु प्रत्यायन कार्य

वर्ष 2016, 2017, 2018 तथा 2019 हेतु इंडिया रैंकिंग (एनआईआरएफ): सितम्बर, 2015 में आरंभ की गई इंडिया रैंकिंग के प्रथम संस्करण को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। इन्फिलबनेट केन्द्र ने संस्थानों को रैंक करने हेतु अपेक्षित आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया है। केन्द्र ने सभी आवेदक संस्थानों के लिए प्रकाशनों, उद्धरणों तथा पेटेण्टों पर आंकड़े भी उपलब्ध कराए हैं।

ई-एनबीए : राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) ने दिसम्बर, 2019 में तकनीकी संस्थानों हेतु प्रत्यायित कार्य प्रवाह प्रबंधन प्रणाली हेतु एक पूर्णरूपेण ऑनलाइन प्लेटफार्म विकसित करने का कार्य सौंपा है।

एआरआईआईए: एआरआईआईए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है ताकि देश में सभी बड़े उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को छात्र और संकाय के मध्य "नवोन्मेष और उद्यमिता विकास" से संबंधित सूचकों पर प्रणालीगत रूप से रैंक किया जा सके। इन्फिलबनेट एक तकनीकी भागीदार है।

एनएएसी : एनएएसी ने प्रत्यायित किए जाने वाले संस्थानों के लिए प्रकाशन, साईटेशन, एच-इंडेक्स तथा अन्य संबंधित पुस्तकों के आंकड़ों को उपलब्ध कराने का कार्य नवम्बर, 2017 में सौंपा है।

● विद्वान तथा भारतीय शोध सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईआरआईएनएस)

विद्वान: एनएमई-आईसीटी द्वारा मई, 2014 में परियोजना कार्य इन्फिलबनेट को सौंपा गया था, विद्वान में 4151 से अधिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत 0.30 लाख से अधिक भारतीय वैज्ञानिकों तथा संकाय सदस्यों के विस्तृत प्रोफाइल मौजूद है।

भारतीय शोध सूचना नेटवर्क प्रणाली (आईआरआईएनएस): मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा परियोजना प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था और एनएमईआईसीटी के द्वितीय चरण के तहत दिसम्बर, 2018 में इन्फिलबनेट को सौंपा गया। आईआरआईएनएस एक वेब आधारित शोध सूचना प्रबंधन (आरआईएम) सेवा है जो शैक्षणिक, अनुसंधान और विकास संगठनों तथा संकाय सदस्यों, वैज्ञानिकों को विद्वतापूर्ण सम्प्रेषण क्रियाकलापों को एकत्रित करने, प्रबंधन करने तथा प्रदर्शन करने की सुविधा प्रदान करता है तथा विद्वतापूर्ण नेटवर्क सृजित करने का अवसर प्रदान करता है।

● वेबसाइट विकास तथा रखरखाव

केन्द्र अपने सभी क्रियाकलापों हेतु अंग्रेजी हिन्दी में वृहद वेबसाइट का रखरखाव करता है। आरएसएस (रीयल सिम्पल सिंडिकेशन) प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता तथा ब्लॉगर केन्द्र की वेबसाइट से नवीनतम जानकारी को अद्यतन करने में सक्षम हो पाएं। वेब 2.0 की विशेषताएं तथा कार्यकरण में विकी, ब्लॉग, चैट तथा चर्चा संबंधी मंच, आरएसएस फीड आदि हैं, जिन्हें वेबसाइट में शामिल किया गया है।

● विभिन्न सरकारी पहलों (वर्ष 2018–19 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से की गई सभी पहल) के संबंध में वेब पोर्टल

स्टडी इन इंडिया : स्टडी इन इंडिया, भारत में अध्ययन करने के इच्छुक विदेशी छात्रों हेतु डिजाइन किया गया एक वेब पोर्टल है। यह ऐसी जानकारीयों उपलब्ध कराता है जो किसी व्यक्ति को देश में भारतीय शिक्षा संस्थानों के बारे में जानने, उन्हें अपने अध्ययन को आयोजनाबद्ध करने, भारत में किस प्रकार तथा कहां ठहरें यह जानने, किस प्रकार के कार्यक्रम योजनाबद्ध किए गए हैं, आवेदन प्रक्रिया आदि को प्लॉन करने में मदद करता है। पोर्टल का मुख्य भाग 'इंस्टीट्यूट लॉगिन' है (जहां संस्थान विदेशी छात्रों को अपनी सीटें विदेशी छात्रों को निर्दिष्ट कर सकते हैं) तथा छात्र लॉगिन (जहां पंजीकृत छात्र, विकल्प को चुनने, मॉक काउंसिलिंग तथा अंतिम काउंसिलिंग सहित विकल्प को चुनने में भागीदारी कर सकते हैं)

एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) : पोर्टल विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के ब्योरे को होस्ट करता है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम आदि शामिल हैं। ईबीएसबी को सभी भारतीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच एक सुदृढ़ तथा ढांचागत संबंध के माध्यम से राज्यों के बीच वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने हेतु तैयार किया गया है।

संस्थानों हेतु उन्नत भारत अभियान (यूबीए) : यूबीए 2.0 में भीगीदारी कर रहे ऐसे सभी संस्थानों हेतु एक प्लेटफार्म सह डाटाबेस है।

पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग (पीएमएमएमएनएमटीटी): पीएमएमएमएमटीटी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना है। योजना का उद्देश्य 1,00,000 से अधिक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षण, शिक्षकों को तैयार करना, पेशेवर विकास, पाठ्यचर्या को तैयार करना, मूल्यांकन को तैयार करना और उसका विकास करने से संबंधित सभी मुद्दों को व्यापक रूप से समाधान करके विद्यालयी और उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इनपिलबनेट केन्द्र, वेब और तकनीकी विकास सहायता प्रदान कर रहा है।

स्कीम फॉर हॉयर एजुकेशन यूथ फॉर एंप्रेंटिसशिप और स्किल्स (एसएचआरआईआईएस): एसएचआरआईआईएस कार्यक्रम, मुख्य रूप से गैर-तकनीकी, डिग्री पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए तैयार किया गया एक कार्यक्रम है ताकि उनके ज्ञानअर्जन में नियोजन संबंधी कौशल लाए जा सकें, प्रशिक्षुता को शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में बढ़ावा दिया जा सके, और साथ ही सरकार द्वारा रोजगार को सुकर बनाने के प्रयासों को शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित किया जा सके ताकि छात्रों को शिक्षा के दौरान और उसके पूर्ण होने पर रोजगार के स्पष्ट अवसर प्राप्त हो सकें। इनपिलबनेट केन्द्र, वेब प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास सहायता उपलब्ध करवा रहा है।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए): इनपिलबनेट केन्द्र, एनटीए को वेबसाइट विकास और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पोर्टल प्लेटफॉर्म की सुविधा देता है जो "परीक्षा प्रेक्षक", "प्रशिक्षण अभ्यास केंद्र", मोबाइल-ऐप आदि की पूरी प्रशासनिक और प्रबंधन प्रक्रिया को स्वचालित करता है।

● विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाइट तथा ई-अभिशासन@विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी वेबसाइट के विकास तथा रखरखाव की जिम्मेदारी के साथ ही इसकी विभिन्न योजनाओं, अनुदान प्रबंधन प्रणाली तथा ई-छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति अवार्ड पंजीकरण ट्रेकिंग प्रणाली (ई-एसएआरटीएस) का कार्य इनपिलबनेट को सौंपा है।

ई-अभिशासन@विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाएं : इनपिलबनेट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेतु छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, यात्रा सहायता, सामान्य विकास सहायता, महिला छात्रावास, स्वायत्त तथा विरासत वाले संस्थान, दूरस्थ शिक्षा आदि हेतु 30 से अधिक वेब सेवाएं विकसित की हैं।

- क्षमता निर्माण कार्यक्रम

अपनी स्थापना से, इनपिलबनेट केन्द्र विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों अर्थात् संगठन के भीतर और 'ऑफसाइट' कार्यशालाओं, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, अब तक केंद्र ने 797 ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से 0.61 लाख पेशेवर प्रशिक्षित किए हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, केंद्र ने 29 प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 769 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- लाभार्थियों की संख्या (संचयी) सहित लक्षित समूह की कवरेज

क्रम संख्या	क्रियाकलाप, सेवाएं तथा परियोजनाएं	प्रारंभ होने का वर्ष	संख्या	
			विश्वविद्यालय	रिकार्डों की संचयी संख्या
1	इंडकैट: विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में यूनियन कैटलॉग की पुस्तकें, सीरियल और शोध प्रबंध योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या / पुस्तकों की संख्या योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या / सीरियलों की संख्या योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या / शोध प्रबंधों की संख्या पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है	1991	184	1,41,85,886
2	आईआर @ इन्फ्लिबनेट: संस्थागत रिपोजिटरी पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है उपयोग:	2004		1777
3	वार्षिक / द्विवार्षिक सम्मेलन, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं (सहित एसओयूएल, आईआरटीपीएलए, ई-रिसोर्स जागरूकता, डी-स्पेस, शोधगंगा, बिबलियोमेट्रिक तथा अन्य विशिष्ट कार्यक्रम 11वां अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर 2017 / प्रतिभागियों की संख्या कार्यक्रम की संख्या प्रतिभागियों की संख्या	1991 1994		260 39 986
4	एसओयूएल 2.0: पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर / इंस्टॉलेशन की संख्या	2009		3492
5	शोधगंगा: भारतीय शोध प्रबंधों का एक भण्डारगृह हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन शोध प्रबंधों की संख्या योगदान देने वाले संस्थानों की संख्या साहित्य-चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर यूआरकेयूएनडी तक पहुंच वाले विश्वविद्यालयों की संख्या पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है उपयोग: पृष्ठ का अवलोकन	2010 2015		375 1,87,000 325 179 43,94,25,467
6	ई-पीजी पाठशाला: स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ई-विषयवस्तु विषयों की संख्या मॉड्यूल की संख्या (ई-टेक्स्ट) मॉड्यूल की संख्या (वीडियो) विशेषज्ञों की संख्या पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है उपयोग: पृष्ठ का अवलोकन (विद्या मित्र और ई-पीजी पाठशाला):	2011		70 18,200 17,450 4,000+ 1,02,70,740
7	शोधगंगोत्री: डॉक्टरल शोध प्रबंध हेतु अनुमोदित सारांश का भंडारगृह सारांशों की संख्या योगदान देने वाले संस्थानों का नाम पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है	2011		3900 51
8	विद्वान: विशेषज्ञों और उनके शोध प्रकाशनों का डॉटाबेस विशेषज्ञों के प्रोफाइलों की संख्या योगदान देने वाले संस्थानों की संख्या पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है उपयोग: पृष्ठ का अवलोकन	2013		25,093 2,999 1,69,420

क्रम संख्या	क्रियाकलाप, सेवाएं तथा परियोजनाएं	प्रारंभ होने का वर्ष	संख्या	
			विश्वविद्यालय	रिकार्डों की संचयी संख्या
9	विद्यामित्र: सभी ई-विषयवस्तु परियोजनाओं का समेकित भंडारगृह, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित ई-विषयवस्तु का परियोजना भंडारगृह ई- टेक्स्ट की संख्या ई- अनुशिक्षण की संख्या अन्य ई- सामग्री पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है उपयोग: पृष्ठ का अवलोकन (विद्यामित्र और ई- पाठशाला):	2013		44,459 66,174 37,827 1,02,70,740
10	भारत की रैंकिंग (एनआईआरएफ) आवेदक संस्थानों की संख्या विशिष्ट संस्थानों की संख्या	2015		3,585 2.812
11	आईसीएसएसआर डॉटा सेवा: एमओएसपीआई से प्लेटफॉर्म टू होस्ट डॉटासेट डॉटासेटों की संख्या पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है उपयोग:	2015		140
12	ई- शोध सिंधु: भारतीय संस्थानों की ई संसाधनों (ई-जर्नल, ई- पुस्तकें तथा डॉटाबेस) तक पहुंच मुख्य सदस्यों की संख्या (सीएफटीआई) मुख्य सदस्यों की संख्या (विश्वविद्यालय) तकनीकी संस्थानों की संख्या (एआईसीटीई) ई- जर्नलों की संख्या ग्रंथसूची संबंधी डॉटाबेसों की संख्या ई- पुस्तकों की संख्या उपयोग: पूर्ण-पाठ डॉउनलोड की संख्या एन-लिस्ट : महाविद्यालयों को ई-संसाधन धारा 12(ख) के तहत महाविद्यालयों की संख्या ई- जर्नलों की संख्या ग्रंथसूची संबंधी डॉटाबेसों की संख्या ई- पुस्तकों की संख्या उपयोग: पहुंच हेतु सृजित की गई यूजर आईडी की संख्या	2016		91 178 94 7038+ 04 30,00,000 3,21,05,292 2,972 6,094+ 04 31,65,409 4,50,000+
13	स्वयं: वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की संख्या (वि0अ0आ के माध्यम से) एंकर संस्थानों के रूप में एलआईएस में इनपिलबनेट द्वारा पेशकश किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है उपयोग:	2016		60 07
14	स्वयं प्रभा: 32 शैक्षिक डीटीएच चैनल चैनलों की संख्या वीडियो व्याख्यानों की संख्या पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है			32 32,300+
15	इनपिलबनेट पहुंच प्रबंधन संघ (आईएनएफईडी): ई- संसाधनों तक ऑफ-कैम्पस पहुंच आईएनएफईडी में शामिल होने वाले संस्थानों की संख्या प्रकाशकों की संख्या आईएनएफईडी की सदस्यता पर हस्ताक्षर करने वाले प्रकाशक	2017		48 32 04

वर्ष 2018-19 के दौरान आबंटित और जारी किए गए अनुदानों का ब्योरा
आबंटित अनुदान: 1419.02 लाख रुपये जारी किया गया अनुदान: 1401.44 लाख रुपये



शैक्षिक संचार संघ जिसे सामान्यतः सीईसी के नाम से जाना है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित एक अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुई। यह भारतीय उच्चतर शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य को उभरती सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) के उचित उपयोग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक तथा नए मीडिया के प्रयोग के माध्यम से पूरा करता है। सीईसी प्रसारण और गैर प्रसारण तरीके के माध्यम से उच्चतर शिक्षा के लिए मल्टीमीडिया विषयवस्तु तथा शैक्षिक वीडियो बनाकर तथा उनका प्रचार करके देश की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है। कंसोर्टियम सदस्य के रूप में इसके 21 शिक्षा और मल्टीमीडिया शोध केन्द्र (ईएमआरसी) हैं जिन्हें मीडिया केन्द्र के रूप में भी जाना जाता है।

सीईसी तथा इसका मीडिंग केन्द्र, पाठ्यचर्या आधारित तथा विषय को समृद्ध बनाने (अनुपूरक शिक्षण हेतु) विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक वीडियो, कार्यक्रमों को तैयार करने का कार्य करते हैं। यह कार्यक्रम चार बैंड/विषयों में विभिन्न विषयों को कवर करते हैं:-

- ‘कोर्सवेयर’ ई—विषयवस्तु**

अब तक, सीईसी के पास लगभग 39759 शैक्षणिक वीडियो के ज्ञान का भण्डार उपलब्ध है। इन ई-विषयवस्तु को उपर्युक्त उल्लिखित ज्ञान की चार विधाओं में 87 गैर-प्रौद्योगिकीय तथा स्नातकपूर्व (यूजी) विषयों में मुख्य रूप से अंग्रेजी तथा हिन्दी में भी तैयार किया गया है। संपूर्ण संग्रह को डिजिटार्इज किया जा रहा है ताकि वीडियो कार्यक्रम को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और डिजिटल पद्धति से चलाया जा सके ताकि यह लंबे समय तक चले तथा सुवाह्य हो।

सीईसी तथा मीडिया सेंटर द्वारा कुल 19003 विषयवस्तु को समृद्ध करने वाले वीडियो तैयार किए गए थे जिनमें विभिन्न विषयों को अनुरक्त शैक्षणिक विषयवस्तु के रूप में कवर किया गया था।

इन शैक्षणिक तथा विषयवस्तु को समृद्ध करने वाले वीडियो के अलावा, सीईसी ने कुल 19000 शार्ट लर्निंग आब्जेक्ट्स (एससीओ) तैयार किए हैं। यह अल्पकालिक वीडियो बेहतर शिक्षण अनुभव के साथ विभिन्न विषयों में पाठ्य तथा मल्टीमीडिया विषयवस्तु युक्त हैं।

सीईसी ने मौजूदा ई-विषयवस्तु में परिवर्तन कर 330 एमओओसी विकसित किए हैं तथा नई विषयवस्तु को तैयार कर 50 एमओडीसी तैयार किए जा रहे हैं। आज तक, जनवरी-जुलाई, 2019 सेमेस्टर के लिए सीईसी ने 70000 से अधिक पंजीकृत छात्रों के साथ स्वयं पर 61 एसओओसी की पेशकश की है तथा जुलाई-दिसम्बर, 2019 सेमेस्टर के लिए 91 पाठ्यक्रम प्रस्तावित हैं।

● प्रसार

आज, सीईसी देश में सबसे बड़ी डिजिटल शैक्षणिक विषयवस्तु का भंडारगृह है जिसमें लाखों शिक्षार्थियों के लाभ के लिए व्यापक शैक्षणिक विषयवस्तु/कार्यक्रम के प्ररूप उपलब्ध हैं। ऐसी शैक्षणिक विषयवस्तु को तैयार किए जाने में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है बल्कि इसमें ज्ञान अर्जन के अधिक नवोन्मेषी प्ररूपों को भी शामिल किया गया है। देशभर में तथा विदेशों में स्थित शिक्षार्थियों की पहुंच में डिजिटल शैक्षणिक विषयवस्तु को लाने के लिए इसने एक विशिष्ट तथा विविध मीडिया प्लेटफार्म को विकसित किया है। आज सीईसी निम्नवत शिक्षण प्लेटफार्मों का उपयोग करता है:

स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल

उच्चतर शिक्षा पर स्वयं प्रभा-11 डीटीएच चैनल जिसे केवल सीईसी द्वारा ही चलाया जाता है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 33 डीटीएच शैक्षणिक चैनलों का बुके)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 23 जून, 2016 के पत्र संख्या एफ सं. 16-16/2002-टीईएल के माध्यम से गैर-प्रौद्योगिकीय स्नातकपूर्ण तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु स्वयं प्रभा प्लेटफार्म पर 10 सीईसी-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डीटीएच चैनलों हेतु सीईसी को राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है।

सीईसी तथा मीडिया केन्द्रों को निम्नवत चैनल आबंटित किए गए हैं:-

चैनल संख्या/कोड	चैनल का नाम	चैनल का समन्वयक	चैनल समन्वयक का संगठन
सीईसी- वि0अ0आ0 01	भाषा और साहित्य	प्रोफेसर के0 वेंकटरेड्डी, निदेशक ईएमआरसी ईएफएल्यू	ईएमआरसी, ईएफएल्यू, हैदराबाद (दी इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी)
सीईसी- वि0अ0आ0 02	इतिहास, संस्कृति और दर्शनशास्त्र	श्रीनागेश्वर नाथ जेडी, (एचडब्ल्यू), सीईसी	सीईसी, नई दिल्ली
सीईसी- वि0अ0आ0 03	सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान	प्रोफेसर कमलेश पुरोहित, निदेशक	ईएमआरसी, जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय
सीईसी- वि0अ0आ0 04	शिक्षा और गृह विज्ञान	श्री नागेश्वरनाथ, जेडी, (एचडब्ल्यू), सीईसी	सीईसी, नई दिल्ली
सीईसी- वि0अ0आ0 05	सूचना, संचार और प्रबंधन अध्ययन	प्रोफेसर इफतेकार अहमद, निदेशक	ईएमआरसी / एमसीआरसी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
सीईसी- वि0अ0आ0 06	विधि और विधि संबंधी अध्ययन	डॉ गुरमीत सिंह मान, निदेशक	ईएमआरसी, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला
सीईसी- वि0अ0आ0 07	अर्थशास्त्र और वाणिज्य	प्रोफेसर बी.वी. पटेल	ईएमआरसी, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
सीईसी- वि0अ0आ0 08	भौतिक और पृथ्वी विज्ञान	श्री डी. दामोदर प्रसाद, निदेशक	ईएमआरसी, कालीकट विश्वविद्यालय
सीईसी- वि0अ0आ0 09	जीव विज्ञान	डॉ सलीमा जन, निदेशक	ईएमआरसी, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
सीईसी- वि0अ0आ0 10	अनुप्रयुक्त विज्ञान	डॉ एस. गोवरी, निदेशक	ईएमआरसी, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
सीईसी- वि0अ0आ0 33	व्यास उच्च शिक्षा चैनल	श्री नागेश्वर नाथ	सीईसी, नई दिल्ली

ऑनलाइन/वेब

1. **सीईसी लाइव लेक्चर्स** : प्रतिदिन 4 घंटों का सीधा तथा अंतर्क्रियात्मक व्याख्यान (वेब स्ट्रिमिंग और व्यास डीटीएच चैनल)
2. **सीईसी यू-ट्यूब चैनल** : आज सबसे लोकप्रिय शैक्षणिक चैनल है जिसमें एक लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं तथा एक करोड़ से अधिक दर्शक हैं।

1	सीईसी यू-ट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या	2,38,571
2	यू-ट्यूब पर सीईसी वीडियो को कितने समय देखा गया	1,525,638 घंटे
3	कितनी बार देखा गया	17,914,837

4. डिजिटल विषयवस्तु तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, सीईसी ने अनेकानेक वेब पोर्टलों जैसे सीईसी, इन्फ्लबनेट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा भारत सरकार के पोर्टल पर अपनी विषयवस्तु उपलब्ध करवाई है।

● सामुदायिक रेडियो स्टेशन

ईएमएमआरसी अहमदाबाद, चेन्नई, श्रीनगर, मैसूर तथा एमसीआरसी जामिया मिलिया सहित कुछ मीडिया केन्द्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन चलाते हैं जहां शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं तथा प्रसारित किए जाते हैं। ईएमएमआरसी चेन्नई, अन्ना विश्वविद्यालय, सामुदायिक रेडियो चलाने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय था।

● आईसीटी परिवेश तैयार करना

सीईसी, शैक्षणिक प्रयोजन हेतु आईसीटी परिवेश तैयार करने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगोष्ठियों/वीडियो प्रतियोगिताएं/प्रकृति फिल्म महोत्सव आयोजित करता है।

● अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यशालाएं तथा संगोष्ठियां

सीईसी ने मीडिया तथा आईसीटी के उपयोग के माध्यम से शिक्षा को विस्तार देने लिए सम्मेलन, कार्यशालाएं तथा संगोष्ठियां आयोजित कर शिक्षाविदों तथा मीडिया पेशेवरों को एक ही प्लेटफार्म पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सीईसी, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्षमता विस्तार प्रयासों के भाग के रूप में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं आयोजित करता है: यह विभिन्न महाविद्यालयों, संस्थानों तथा शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी अनुप्रयोग के लिए मीडिया केन्द्रों में कार्यरत शिक्षकों तथा मीडिया पेशेवरों को प्रशिक्षित करता है। इसके अलावा, अपने कर्मचारियों में इष्टतम उत्पादकता का संचार करने के लिए सीईसी मीडिया केन्द्रों के तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जो कि देशभर में विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। सीईसी अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं तथा शैक्षणिक कार्यक्रम भी आयोजित करता है जिसका उद्देश्य बेहतर उत्पादकता, सक्षमता तथा कार्यकुशलता है। सीईसी तथा ईएमआरसी, मीडिया प्रोडक्शन तथा प्रसारण के क्षेत्रों में मीडिया छात्रों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण/प्रशिक्षुता कार्यक्रम की भी पेशकश करता है। कन्सोर्टियम ई-शिक्षण सामग्री को तैयार करने तथा अध्यापन में इसे अंगीकार करने में अध्यापक प्रशिक्षण भी आरंभ करता है। शैक्षणिक विषयवस्तु के विकास के लिए देशभर के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से 2000 से अधिक शिक्षक, सीईसी के साथ संसाधन के रूप में जुड़े हुए हैं। इसके साथ-साथ सीईसी विख्यात एजेन्सियों जैसे कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया (सीईएमसीए), मीडिया लैब एशिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, श्रीलंका सरकार, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी), क्वालालम्पुर, मलेशिया आदि के साथ जुड़ा हुआ है तथा इसने समय-समय पर देश-विदेश में सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों को आयोजित किया है/उनमें भागीदारी की है।

- डिजिटल शिक्षा में सीईसी की भूमिका और योगदान की परिकल्पना करने तथा देश में डिजिटल शिक्षा के भावी चुनौतियों से निपटने की कार्यनीति का पता लगाने के लिए सीईसी, नई दिल्ली में “देश में डिजिटल शिक्षा के लिए सीईसी की उभरती भूमिका” विषय पर दिनांक 27 और 28 दिसंबर, 2018 को दो दिवसीय विचार मंथन का आयोजन किया गया।

- निदेशक, सीईसी, प्रो. जगत भूषण नड्डा ने लास वेगास कन्वेंशन सेंटर, नेवेडा, अमेरिका में दिनांक 06 से 11 अप्रैल, 2019 तक राष्ट्रीय प्रसारक संघ (एनएबी) के अंतर्गत ‘नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्राडकास्टर्स (एनएबी) शो लास वेगास, 2019’ में भाग लिया। ‘एनएबी शो लास वेगास 2019’ एक वार्षिक व्यापार प्रदर्शनी है जिसमें दूरसंचार, विज्ञापन, फिल्म, प्रसारण, डिजिटल मीडिया, मनोरंजन तकनीकी और फिल्म निर्माण के पश्चात् के मुद्दों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

- ‘सीईसी गुरुकुल लाइव लेक्चर्स प्लेटफार्म’ के माध्यम से प्रसारित विषयवस्तु की गुणवत्ता और डिलिवरी में सुधार लाने के लिए दिनांक 30 मार्च, 2019 को सीईसी ने “ओरिएंटेशन वर्कशाप फॉर द रिसोर्स पर्सनस एंड कंटेंट प्रोवाइडर्स” का आयोजन किया।

- कन्सोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्यूनिकेशन (सीईसी), नई दिल्ली और 'स्टेट यूनीवर्सिटी आफ परफार्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स' (एसयूपीवीए), रोहतक द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 23 से 28 जुलाई, 2018 तक डिजिटल लर्निंग विषय पर 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।
- सीईसी ने दिनांक 23 और 24 जुलाई, 2018 को जनसंचार अनुसंधान केन्द्र (एमसीआरसी), जामिया मिलिया इस्लामिया में पाठ्यक्रम समन्वयकों के लिए नए एमओओसी के विकास और परिदान विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।
- मैसर्स एसआरएसजी ब्रॉडकास्ट के साथ समन्वय से कन्सोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्यूनिकेशन (सीईसी) ने सीईसी, नई दिल्ली में दिनांक 5, 6 और 10 अप्रैल, 2018 तक सीईसी द्वारा संचालित स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल का भंडारण करने के लिए हाल में खरीदे गए 64टीबी एनएस (नेटवर्क एटैच्ड स्टोरेज) के प्रचालन के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया।
- सीईसी, नई दिल्ली में दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 को 'एमओओसी प्रॉक्टर्ड एक्जाम' के लिए प्रश्नपत्र मॉड्यूल पर 1 दिवसीय अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। 'स्वयं' राष्ट्रीय समन्वयकों (एनसी) और सीईसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इग्नू और एनटीए से 'सिंगल प्वाइंट कॉन्टैक्ट' (एसपीओसी) के लिए टीसीएस के टीम ने प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया।

● वीडियो प्रतियोगिता

विआ-सीईसी शैक्षणिक वीडियो प्रतियोगिता को सीईसी द्वारा वर्ष 1980 से आयोजित कर रहा है ताकि इसके मीडिया केन्द्रों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक वीडियो कार्यक्रम के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जा सके। इस पुरस्कार में वर्ष के सर्वोत्तम शैक्षणिक कार्यक्रम, वर्ष के सर्वोत्तम ई-विषयवस्तु कार्यक्रम, सर्वोत्तम आधारभूत शोध तथा सर्वोत्तम पटकथा आदि में नकद पुरस्कार, ट्रॉफी तथा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

● प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव

सीईसी वर्ष 1997 से एक वार्षिक वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव, प्रकृति, का आयोजन कर रहा है। दो दशकों से अधिक समय से, एक गैर-प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के रूप में 'प्रकृति' ने स्थानीय और राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन निर्माताओं को शामिल करने, पुरस्कार देने और सीधे प्रोत्साहित करने और प्रतिभा भंडार को सामने लाने के लिए संपूर्ण देश में आयोजित किया जाता रहा है, पहली बार, वर्ष 2018-19 में 'प्रकृति' एक प्रतिस्पर्धी के साथ-साथ एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव बन गया, और इसकी पहुंच संपूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र तक फैल गई है। विगत में, 'प्रकृति' ने पर्यावरण, मानव अधिकार और विकास की 3 श्रेणियों में प्रविष्टियाँ आमंत्रित कीं। तथापि, स्वच्छ भारत श्रेणी को पहली बार चौथी श्रेणी के रूप में आरंभ किया गया है। तीन दिवसीय उत्सव का आयोजन हर वर्ष देशभर के विभिन्न संस्थानों/स्थानों पर किया जाता है। इसका उद्देश्य, आईसीटी सक्षमकारी शिक्षा परिवेश तैयार करना और शैक्षिक विषयवस्तु के बारे में जागरूकता फैलाना है।

● सीईसी प्रतियोगिता 2018: 'एजूटून' और 'एजूराईट'

सीईसी ने एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता 'सीईसी प्रतियोगिता 2018: 'एजूटून' और 'एजूराईट' का शुभारंभ किया जिसमें देशभर से डिजिटल शिक्षा विषय पर कार्टून और लेख के रूप में प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई हैं। यह समानता, आचार और पारिस्थितिकीय के शैक्षिक पहलुओं पर कार्य करने वाले लोगों का वृहद गठबंधन की दिशा में एक कदम है जिसका उद्देश्य जागरूकता को बढ़ावा देना, उनके प्रति आभार पैदा करना और कार्यवाही आरंभ करना है। दो श्रेणियों में पुरस्कार स्वरूप नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

- 'एजूटून' : डिजिटल शिक्षा विषय पर शैक्षिक कार्टून।
- 'एजूराईट' : डिजिटल शिक्षा विषय पर शैक्षिक लेख।

वर्ष 2018-19 के दौरान आबंटित और जारी किए गए अनदानों का ब्योरा

आबंटित अनुदान: 902.71 लाख रुपये

जारी किया गया अनुदान: 962.71 लाख रुपये

मीडिया केन्द्रों की सूची निम्नवत है:

1. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
गुजरात विश्वविद्यालय, गुरु नानक भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380 009
2. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
सेन्ट जेवियर कालेज, 50, सर्कस एवन्यू, कोलकाता-700 017
3. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
द इंग्लिश एण्ड फारेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी, हैदराबाद-500 017
4. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, अभियांत्रिकी संकाय परिसर, जोधपुर-342 001
5. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, पालकालाई नगर, मदुरई-625 021
6. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखिन्ड, पुणे-411 007
7. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
द्वितीय तल, ओस्मानिया विश्वविद्यालय ग्रंथागार भवन, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500 007
8. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ए0बी0 रोड, भंवर कुंआ, इंदौर-452 001
9. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई-600 025
10. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर-570 006
11. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इंफाल-795 003
12. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला-147 002
13. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
आईआईटी रुणकी, रुणकी-247 667 (उत्तर प्रदेश)
14. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर-190 006 (जम्मू और कश्मीर)
15. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
जनसंचार विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट-675 635
16. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
डॉ० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर-470 003 (मध्यप्रदेश)

वर्ष 2010-11 के दौरान देश के विभिन्न भागों में चार (4) नए मीडिया केन्द्रों को लघुसूचीबद्ध किया गया था। तथापि, उनकी सूची निम्नवत है :-

1. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
डिब्रूगढ़, असम-786 004
2. मगध विश्वविद्यालय
बोधगया, बिहार-824 234

3. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ-226 005 (उत्तर प्रदेश)
4. ईएमएमआरसी, पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी-605 014



5.10(vii) अध्यापक शिक्षण हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 25 दिसंबर 2014 को स्वतंत्रता भवन, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में उद्घाटन के साथ ही अध्यापक शिक्षण हेतु अंतर्विश्वविद्यालय (आईयूसीटीई), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। आईयूसीटीई एक स्वायत्त निकाय है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की संख्या 3) की धारा 12 (गगग) के तहत स्थापित किया है।

माननीय प्रधानमंत्री ने उसी दिन पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक और शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) का शुभारंभ किया। आईयूसीटीई का उद्देश्य पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक और शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) को प्रोत्साहित करना है जो अध्यापक, शिक्षण, शिक्षकों को तैयार करने, अध्यापक शिक्षक और उनके पेशे के विकास, पाठ्यक्रम, आंकलन और मूल्यांकन तथा प्रभावी अध्यापन के विकास से संबंधित सभी मुद्दों का व्यापक रूप से समाधान करने की परिकल्पना करता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान आईयूसीटीई ने उनके शिक्षा कार्य आरंभ किए जिसमें शिक्षा संबंधी बैठकें, सम्मेलन, अंतःक्रियात्मक सत्र और बाहरी क्रियाकलाप शामिल हैं ताकि विद्यालय शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के हितधारकों के साथ साथ समुदाय को लाभान्वित किया जा सके। संस्थान के पास बहुत ही सीमित सुविधाएँ हैं, वर्तमान में, किराए के मकान में प्रचालनरत है और बहुत ही सीमित स्थान है तथा अपनी स्वयं की अवसंरचना, मानव संसाधन का सृजन करने का भरसक प्रयास कर रहा है ताकि अपने उद्देश्यों और कार्यों को पूर्ण करने के लिए अत्याधुनिक संस्थान तैयार किया जा सके।

हम अध्यापक शिक्षा में पेशेवर गुणों का अंतर्निविष्ट करना और पोषण करना तथा शिक्षण और ज्ञानअर्जन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए आईयूसीटीई के उद्देश्य को निश्चित रूप देने की प्रक्रिया में है

शिक्षा वर्ष 2018-19 में किए जाने वाले प्रमुख कार्य

• अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

अंतर्विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केन्द्र (आईयूसीटीई), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने दिनांक 21 जून, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जिसमें छात्र, शिक्षक और समुदाय के सदस्य शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इंटर कालेज रोहणिया, वाराणसी में किया गया। योग अनुदेशक ने आयुष, भारत सरकार के नयाचार के अनुसार योग का अभ्यास करवाया। इस कार्यक्रम में लगभग 400 लोगों ने भाग लिया जिसमें शिक्षक, छात्र, अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए।

माननीय श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह, विधान सभा सदस्य, जिला मजिस्ट्रेट, प्रो. बी.के. त्रिपाठी, निदेशक, आईयूसीटीई, जिला वन अधिकारी, डॉ० अनिल सिंह, प्रो. आलोक राय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, डॉ. जी.एन. तिवारी, वरिष्ठ सलाहकार, डॉ. अनिल तिवारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आईयूसीटीई ने योग कार्यक्रम में भाग लिया।

• विज्ञान और गणित में गुणवत्तायुक्त ज्ञान अर्जन (दिनांक 23 जून, 2018)

सात जिलों अर्थात् वाराणसी, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर और सोनभद्र के डीआईटी के साथ दिनांक 23 जून, 2018 को आईयूसीटीई, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में “विज्ञान और गणित में गुणवत्तायुक्त ज्ञान अर्जन” पर बैठक आयोजित की गई, ताकि “विज्ञान और गणित में गुणवत्तायुक्त ज्ञानअर्जन” परियोजना में प्रगति की जांच की जा सके। प्रो. बी.के. त्रिपाठी, निदेशक, आईयूसीटीई ने बैठक की अध्यक्षता की। परियोजना को सुदृढ़ बनाने के लिए विज्ञान और गणित ज्ञानअर्जन पर कार्यक्रम के बेसलाइन और टर्मिनल सर्वेक्षण के परिणाम पर सभी सदस्यों के साथ चर्चा की गई :

- टर्मिनल सर्वेक्षण के पश्चात् उपलब्धि अंक में काफी सुधार देखा गया।
- सभी जिलों में शिक्षकों के शिक्षण-ज्ञानअर्जन प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार की रिपोर्ट हैं और डीआईटी सिद्धांतों के अनुसार यह मत था कि सात जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में कुछ और विद्यालयों में इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाए।
- तदनुसार, प्रत्येक ब्लॉक के कम-से-कम 10 विद्यालयों में परियोजना के विस्तार के लिए विस्तृत दिशानिर्देश देने के लिए जुलाई के अंत तक डीआईटी और बीएसए के सभी प्रचार्यों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है।

● **स्वास्थ्य और शिक्षा: विद्यालय आधारित कार्यक्रम (दिनांक 20 अगस्त, 2018)**

“विज्ञान और गणित में गुणवत्तायुक्त ज्ञानअर्जन” (क्यूएलएसएम) के परिणामों की समीक्षा करने और विद्यालय शिक्षा के साथ स्वास्थ्य को जोड़ने के लिए सात जिलों अर्थात् वाराणसी, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर और सोनभद्र में जिला स्तर पर राज्य शिक्षा अधिकारी, शिक्षा संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के शिक्षाविद्, आधुनिक चिकित्सा संकाय, आयुर्वेद संकाय, आईएमएस, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और आईयूसीटीई के चिकित्सा अधिकारी और शिक्षाविद् के साथ आईयूसीटीई में दिनांक 20 अगस्त, 2018 को बैठक की गई। सदस्यों ने चालू क्यूएलएसएम कार्यक्रम के विस्तार और आयुष्मान भारत व आयुष के स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुसार स्वास्थ्य घटक को समाहित करने के लिए संशोधित और भावी कार्य योजना पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त, आईयूसीटीई के निदेशक ने एकीकृत शिक्षा और स्वास्थ्य प्रस्ताव (आईपीक्यूएचई) पर चर्चा आरंभ की। आयुष्मान भारत के घटक अर्थात् आरोग्य और स्वास्थ्य पर चर्चा की गई जिसमें स्वास्थ्य केन्द्र में इंटरनेट, टेलीमेडीसन सुविधाएं और योग कक्ष का उपयोग किया जाता है। यह सुझाव दिया गया कि विद्यालय जाने वाले बच्चों में स्वस्थ जीवनचर्या के लिए आसन, प्राणायाम के साथ यम और नियम अपनाया जाना चाहिए। निवारण, उपचार और पुनर्वास स्वास्थ्य जागरूकता के तीन मूलभूत घटक हैं। बैठक में कार्य योजना को एकसमान लागू करने पर बल दिया गया। सभी तीनों चयनित विद्यालयों में हस्तक्षेप के समान पैटर्न या मानक पैकेज बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित किया गया और इलेक्ट्रानिक एवं डिजिटल तरीकों के माध्यम से मुख्य हितधारकों के बीच नेटवर्किंग के द्वारा कार्यक्रम को ज्यादा सुगम्य बनाने पर बल दिया। ज्ञानअर्जन परिणाम के मापन के द्वारा शिक्षकों का गुणवत्तात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। ज्ञानअर्जन परिणाम (एलओ) के माध्यम से निष्पादन मूल्यांकन पर बल दिया गया।

● **एचआरडीसी की राष्ट्रीय बैठक (दिनांक 27-28 अगस्त, 2018)**

आईयूसीटीई ने गुणवत्तायुक्त शिक्षक और शिक्षण में सुधार लाने के लिए अध्यापक शिक्षा हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराने में सलाहकार की भूमिका निभाई। इस संबंध में आईयूसीटीई, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में 27 से 28 अगस्त, 2018 को एचआरडीसी के साथ बैठक की गई। इस बैठक के मुख्य अतिथि प्रो. डी. पी. सिंह, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग थे। प्रो. राकेश भटनागर, कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, प्रो. एच. सी. एस. राठौर, कुलपति, दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया, प्रो. बी. के. त्रिपाठी, निदेशक, आईयूसीटीई, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, डॉ० अर्चना ठाकुर, संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रो. जी. सी. उपाध्याय, शिक्षा सलाहकार, आईयूसीटीई, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बैठक में शामिल थे।

इस बैठक में शिक्षकों के कायाकल्प में एचआरडीसी की भूमिका पर बल दिया गया और एचआरडीसी के संकाय सदस्यों को नेतृत्व कार्यक्रम, एमओओसी का विकास, मल्टीमीडिया और अन्य वेब आधारित कार्यक्रम में निदेशकों और एचआरडीसी के संकाय सदस्यों के लिए प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

● **शिक्षक दिवस (दिनांक 05 सितंबर, 2018)**

दिनांक 05 सितंबर, 2018 को संपूर्ण देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन- भारत के दूसरे राष्ट्रपति को समर्पित है। वे बड़े शिक्षाविद्, दार्शनिक और सुप्रसिद्ध राजनयिक, विद्वान, भारत के राष्ट्रपति और सबसे बढ़कर वे एक शिक्षक थे। इस महान शिक्षक के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए उनके जन्म दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिनांक 05 सितंबर, 2018 को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अंतर्विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केन्द्र (आईयूसीटीई) द्वारा एक आयोजन किया गया।

● “स्वच्छता ही सेवा” (दिनांक 15 सितंबर से 02 अक्टूबर, 2018)

गलियों, सड़कों और देश के 4041 सांविधिक शहरों और नगरों की अवसंरचनाओं तथा इसके ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार का एक अभियान है। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 (महात्मा गांधी के 145 वर्षगांठ) को राजघाट, नई दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसी के क्रम में आईयूसीटीई, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने स्वच्छ भारत अभियान की चौथी वर्षगांठ मनाने के लिए दिनांक 15 सितंबर, 2018 से 2 अक्टूबर, 2018 तक ‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा मनाया। इस अवसर पर अंतर्विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केन्द्र, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने 15 सितंबर, 2018 को सुंदर बगिया, वाराणसी में स्वच्छता पखवाड़े का अनौपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया। उद्घाटन कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक, आईयूसीटीई, प्रो. बी.के. त्रिपाठी के उद्घाटन भाषण से हुआ और आईयूसीटीई के सभी कर्मचारियों ने स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में शपथ ली।

● राष्ट्रीय एकता दिवस (दिनांक 31 अक्टूबर, 2018)

सरदार वल्लभभाई पटेल, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014 से प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को ‘नेशनल यूनिटी डे’ (अथवा राष्ट्रीय एकता दिवस) मनाना आरंभ किया है।

यह अवसर हमें अपने देश की अंतर्निहित ताकत और हर स्थिति से उबरने की पुनर्पुष्टि करने का अवसर देता है ताकि अपने देश की एकता, अखंडता, और सुरक्षा के प्रति वास्तविक और संभावित खतरों का सामना कर सकें।

● आईयूसीटीई की प्रथम दृष्टिकोण दस्तावेज बैठक (दिनांक 19 फरवरी, 2019)

आईयूसीटीई की दृष्टिकोण दस्तावेज संबंधी बैठक दिनांक 19 फरवरी, 2019 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में आयोजित की गई। सर्वप्रथम प्रो. बी.के. त्रिपाठी, निदेशक, आईयूसीटीई ने माननीय अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रो. डी.पी. सिंह, उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रो. भूषण पटवर्धन, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रो. रजनीश जैन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारीगण एवं सम्मानित विशेषज्ञों का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रो. त्रिपाठी ने आईयूसीटीई के दृष्टिकोण पत्र का प्रारूप प्रस्तुत किया। प्रो. त्रिपाठी ने आगे यह भी कहा कि विद्यालयी प्रणाली और उच्चतर शिक्षा संस्थानों दोनों में सेवारत अध्यापक शिक्षा की अत्याधुनिक गुणवत्तायुक्त शिक्षा का उद्देश्य गुणवत्तायुक्त ज्ञानार्जन की आवश्यकताओं को पूरा करना है। कक्षा के संव्यवहार और ज्ञानार्जन उपलब्धि की रूपरेखा स्पष्टरूप से शिक्षण ज्ञानार्जन की गुणवत्ता में क्षय को दर्शाता है। प्रो. डी.पी. सिंह, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ने भारतीय संदर्भ में शिक्षक को तैयार करने पर बल दिया। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आईयूसीटीई द्वारा शिक्षक अनुदेशकों के लिए नए ज्ञान और आवश्यकता आधारित अनुदेशकीय मॉड्यूल का विकास किया जा सकता है। दस्तावेज में भारतीय शिक्षकों के वर्तमान और भावी संदर्भ के लिए चरणवार लक्ष्यों का स्पष्टरूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में सीईसी, आईयूसीटीई, आईएनएफएलआईबीएनईटी, आईयूसीवाईएस जैसे अलग-अलग आईयूसी के साथ आईयूसीटीई सहयोग कर सकता है।

आईयूसीटीई को अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों यथा कॉमनवेल्थ लर्निंग के साथ संभावित संबंध, सहयोग और भागीदारी की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। आईयूसीटीई, संदर्भी योजना, कार्यनीतिक योजना और नेटवर्क तैयार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से संस्थानों, विशेषज्ञों और लोगों को जोड़ सकता है। आईयूसीटीई की एचआरडीसी को संसाधन सहायता और सहयोगात्मक प्रौद्योगिकी देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आईयूसीटीई की कार्ययोजना चरणबद्ध तरीके से लक्ष्यों, कार्यनीति बनाने पर आधारित होनी चाहिए, इस प्रकार यह बहुत ही वास्तविक होगा।

वर्ष 2018–19 के दौरान आबंटित और जारी किए गए अनुदानों का ब्योरा

आबंटित अनुदान: 1063.86 लाख रुपये

जारी किया गया अनुदान: 2621.21 लाख रुपये

5.11 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र

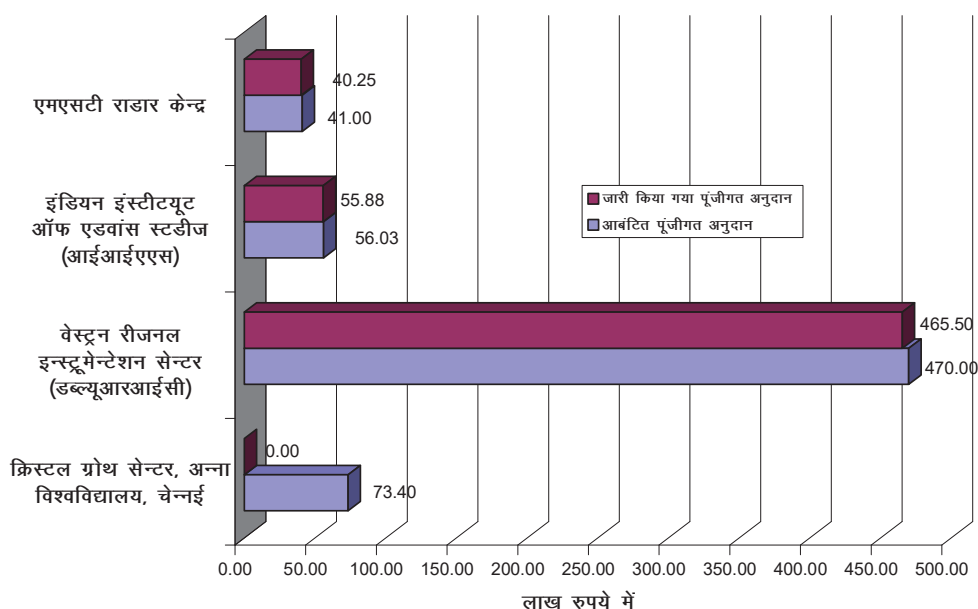
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र स्थापित किए हैं, जो निम्नवत हैं

1. क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
2. वेस्ट्रन रीजनल इन्स्ट्रुमेंटेशन सेन्टर (डब्ल्यूआरआईसी), मुंबई

3. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (आईआईएस), शिमला

4. एमएसटी राडार सेंटर, एसवी विश्वविद्यालय, तिरुपति

रेखाचित्र 5.11 वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों को किए गए बजटीय आबंटन और जारी की गई राशि



राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों की विशेषताएं

5.11 (i) क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई

क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई की स्थापना वर्ष 1982 में निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई थी:-

1. प्रौद्योगिकीय एवं औद्योगिक महत्व के क्रिस्टल के विकास एवं करेक्ट्राइजेशन हेतु सुविधाओं को विकसित करना;
2. जरूरतमंद उद्योगों तथा प्रयोगशालायी शोध के बीच के अन्तर को पाटना;
3. शोध हेतु विशेष क्रिस्टल की आवश्यकताओं के संबंध में देश के विभिन्न संस्थानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

विभाग/केन्द्र/संस्थान द्वारा आयोजित किए गए सम्मेलन/संगोष्ठियां/परिसंवाद/कार्यशालाएं

क्रम संख्या	आयोजित किया गया सम्मेलन/ संगोष्ठी/ परिसंवाद/ कार्यशाला	दिनांक	स्थल
1.	जीआईएन कार्यक्रम	3 से 7 दिसम्बर, 2018	क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर, अन्ना विश्वविद्यालय
2.	क्रिस्टलाइन सामग्री और उसके अनुप्रयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	3 से 5 जनवरी, 2019	क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर, अन्ना विश्वविद्यालय
3.	क्रिस्टलाइन सामग्री और करेक्ट्राइजेशन के संबंध में अल्पावधि पाठ्यक्रम	5 जनवरी, 2019	क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर, अन्ना विश्वविद्यालय
4.	पदार्थ विज्ञान पर एफडीटीपी	21 से 2 फरवरी, 2019	क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर, अन्ना विश्वविद्यालय

बजट

आबंटन: 73.40 लाख रुपये जारी किया गया अनुदान: 00.00 लाख रुपये

5.11 (ii) वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईसी), मुम्बई

वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना इंस्ट्रूमेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए वि.अ.आ. के व्यापक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष 1977 में की गई। इसका पूर्ण वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) द्वारा

किया जाता है। डब्ल्यूआरआईसी एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य करती है जिसके शासी निकाय के पदेन सदस्य मुम्बई विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और वि०अ०आ० द्वारा अब इसे इंस्ट्रूमेंटेशन में राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

डब्ल्यूआरआईसी का प्रमुख उत्तरदायित्व देश के विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योगों के सहयोग से इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रारंभ करना है।

वर्ष 2018-19 के दौरान टीएसडी में आरंभ की गई तथा संस्थान के भीतर ही पूर्ण की गई परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

- **डब्ल्यूआरआईसी में आंतरिक रूप से अभिकल्पित और विकसित यंत्र**
 1. पीएच मीटर के लिए पोर्टेबल, मोबाइल चार्जर को ऊर्जा स्रोत के रूप से प्रयोग करते हुए कंडक्टिविटी मीटर।
 2. थर्मल प्रोटेक्शन के साथ डीसी मोटर कंट्रोल के लिए कंट्रोल कार्ड का अभिकल्पन और विकास।
 3. मोबाइल चार्जर को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करते हुए अशांकन तापमान नियंत्रक हेतु तापमान कैलिब्रेटर स्रोत (थर्मोकपलस) का अभिकल्पन।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए डब्ल्यूआरआईसी में आंतरिक रूप से विकसित और डिजाइन किए गए यंत्र**
 1. मोबाइल चार्जर को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करते हुए एसी एनर्जी रेग्युलेटर हेतु माइक्रो कंट्रोलर आधारित टाइमर।
 2. मिले वोल्ट सोर्स/थर्मोकपल तथा आरटीडी आधारित टेम्परेचर कंट्रोल सिमुलेटर।
- **डब्ल्यूआरआईसी में अपनी पाठ्यचर्या के एक भाग के रूप में छात्रों द्वारा अभिकल्पित और विकसित यंत्र**
 1. आरजीबी एलईडी के स्पैक्ट्रल रिस्पॉन्स का अध्ययन करने के लिए करंट स्रोत (0-200 एमए)
 2. पीआईडी के लिए डिजिटल टेम्परेचर केलीब्रेटर और पीआईसी माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग करते हुए डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर।
 3. वायरलेस सेंसर नेटवर्क के उपयोग करते हुए कृषि में जल संरक्षण का एक अनूठा तरीका।
 4. संस्थान के भीतर पीआईसी माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग करते हुए मल्टीपल पैरामीटर कैलिब्रेटर (पीएचए कंडक्टिविटी, एमवी, थर्मोकपल आरटीडी, थर्मिस्टर) के प्रयोगशाला मॉडल का अभिकल्पन और विकास।

विकसित किए गए यंत्र

1. ब्लू टूथ मॉड्यूल के उपयोग से आर्डयूनो आधारित होम ऑटोमेशन प्रणाली।
2. जीएसएम मॉड्यूल के प्रयोग वाली आर्डयूनो आधारित होम ऑटोमेशन प्रणाली।
3. आर्डयूनों आधारित सोलर ट्रेकर।
4. एटमेगा 32 के लिए टारगेट बोर्ड।
5. सोलर ट्रेकर हेतु स्टेपर मोटर डायरेक्शन कंट्रोलर आधारित एवीआर।

माइक्रोकंट्रोलर विकास

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए खरीदी गई किट:

1. एटमेगा 32 डेवलपमेंट बोर्ड।
2. आर्डयूनो।
3. एटमेगा 32 तथा आर्डयूनो के लिए सहायक उपकरण।

डब्ल्यूआरआईसी ने विभिन्न महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों विभागों तथा संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं संचालित की। इससे डब्ल्यूआरआईसी तथा विभिन्न अकादमिक संस्थानों और उद्योगों के बीच घनिष्ठ सहयोग का परिवेश तैयार हुआ जिससे सभी को लाभ हुआ।

इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला की मरम्मत संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान इलेक्ट्रिकल, एनॉलाइटिकल तथा ऑप्टिकल (माइक्रोस्कोप तथा अन्य) यंत्रों की मरम्मत की गई।

केन्द्र का उद्देश्य: केन्द्र के शैक्षणिक कार्यक्रम में तीन बुनियादी घटक होते हैं: (i) एसोशिएटशिप की योजना (ii) देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान संगोष्ठियों का आयोजन, और (iii) शिमला में संस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर अध्ययन सप्ताह आयोजित करना।

एसोशिएटशिप : वर्ष 2018-19 के दौरान देशभर के, छियत्तर (76) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों ने संस्थान में एक महीने के लिए आईयूसी एसोशिएट के रूप में संस्थान का दौरा किया। सभी एसोशिएट, जिन्होंने संस्थान का दौरा किया, आईयूसी कार्यक्रम की अत्यधिक सराहना कर रहे थे, जैसा कि उनकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट है। आईआईएस, एसोशियेट को पर्याप्त पुस्तकालय सुविधाओं के साथ एक शान्त एवं प्राकृतिक शैक्षिक परिवेश, सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक विद्वानों के साथ संपर्क करने का सुअवसर उपलब्ध कराता है तथा एसोशिएट अपने शिक्षण वृत्ति को जारी रखने के लिए बौद्धिक रूप से स्फूर्त होकर संस्थान से प्रस्थान करते हैं। एसोशिएट ने इस अवधि का उपयोग (क) अध्ययन को पूरा करने में करते हैं जिससे वे पिछले कुछ समय से जुड़े रहे हों; (ख) वाचस्पति शोध की समीक्षा करने में व्यतीत करते हैं; (ग) संस्थान के ग्रंथागार में वाचन क्षमता को प्राप्त करने में; (घ) एक पत्र लिखने के लिए उपयोग करते हैं जिसे वे अपने सहयोगियों के समक्ष प्रस्तुत करें; (ङ) संस्थान के अध्येताओं तथा यदा-कदा देश-विदेश से आने वाले विशिष्ट विद्वानों के साथ बातचीत करने में सार्थक ढंग से व्यतीत करते हैं। एसोशिएट, संस्थान के नियमित क्रियाकलाप के रूप में होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भी भाग लेते हैं।

आईयूसी एसोशिएट: एसोशिएट जो संस्थान का दौरा करते हैं उन्हें अपनी पसंद के एक विषय पर संस्थान के अकादमिक समुदाय के समक्ष प्रस्तुति देनी होती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान का दौरा करने वाले 76 आईयूसी एसोशिएट ने दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान अपनी प्रस्तुतियां दी। 76 आईयूसी एसोशिएट में से 25 महिलाएं थीं (सामान्य श्रेणी से 22; अनुसूचित जाति से 1; अनुसूचित जनजाति से 1 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 1) तथा 51 पुरुष (सामान्य श्रेणी से 32; अनुसूचित जाति से 6; अनुसूचित जनजाति से 2 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 11) एसोशिएट ने अवधि के दौरान संस्थान का दौरा किया।

बजट

आबंटन: 56.03 लाख रुपये

जारी किया गया अनुदान: 55.88 लाख रुपये

5.11 (iv) एमएसटी राडार केन्द्र, तिरुपति

केन्द्र का उद्देश्य वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक राडार तथा अन्य यंत्र सुविधाओं के संभावित उपयोग के प्रति वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करना तथा एम.एस.टी.राडार सुविधा के उपयोग के प्रति मेधावी युवा शोधकर्ताओं को एमएसटी राडार, लीडार तथा एनएआरएल, गदांकी में भी मौजूद अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आकर्षित करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) ने एसवी विश्वविद्यालय, तिरुपति में वि0अ0आ0-एसयूवी केन्द्र की स्थापना की है जो देश की विश्वविद्यालयी प्रणाली में एक सामान्य प्लेटफार्म के रूप में कार्य कर सके ताकि वैज्ञानिक ज्ञान का आदान-प्रदान किया जा सके और यह केन्द्र वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे वैज्ञानिक तथा शोधकर्ताओं की पहुंच में हो।

उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं:

- विअआ-एसवीयू केन्द्र वायुमंडलीय विज्ञान में क्षेत्र में कार्यरत भारतीय विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।
- विअआ-एसवीयू केन्द्र शोध और मौलिक अभिकलनात्मक कार्य और ऐसे शोध करने के लिए अन्य सहायता हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
- विअआ-एसवीयू केन्द्र जो वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में आदान-प्रदान के दौरों के लिए मंच की पेशकश करता है, ताकि भारतीय वायुमंडलीय वैज्ञानिक समुदाय ऐसे सहयोग से लाभान्वित हो सके।
- विअआ-एसवीयू केन्द्र वायुमंडलीय भौतिकी के बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में अनेक चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए स्नातकोत्तर छात्रों और शोध अध्येताओं के प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है।
- विअआ-एसवीयू केन्द्र, एमएसटी राडार और इन सुविधाओं के अवस्थिति के विशेष संदर्भ में अन्य एमएसटी राडार और सह-स्थानिक उपकरण सुविधाओं का उपयोग करते हुए वायुमंडलीय गतिकी के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यक्रम का समन्वय करने में सहायता करता है।
- विअआ-एसवीयू केन्द्र विशेषकर एमएसटी राडार और अन्य सहस्थिति सुविधाओं से प्राप्त बड़ी मात्रा में संसाधित डेटा में से वायुमंडलीय विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े व्यापक राष्ट्रीय डाटा/अभिलेख को सुव्यवस्थित करता है।

- विअआ-एसवीयू केन्द्र भारतीय आक्षांश पर मध्य वायुमंडल के लिए मॉडल तैयार करने और उसे अद्यतन करने में सहायता करता है। परिणामस्वरूप, ऐसे मॉडलों और डाटा के प्रयोग से आईएमडी और अन्य संबंधित राष्ट्रीय संगठनों को पूर्वानुमान और भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है।

बजट

आबंटन: 41.00 लाख रुपये

जारी किया गया अनुदान: 40.25 लाख रुपये

5.12 विश्वविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपस्करों का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014 के दौरान विश्वविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपस्करों के विकास की योजना आरंभ की जिसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षमता निर्माण में वृद्धि करना है जिससे एक ऐसा व्यापक खेल आधार वाला पिरामिड तैयार हो सके जिससे अंतराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश को गौरव दिलाने के लिए भाग लेने हेतु पर्याप्त खिलाड़ी मिल सकें। विश्वविद्यालयों से 101 खेल प्रस्ताव प्राप्त हुए। विशेषज्ञ समिति ने 69 प्रस्तावों की संस्तुति की है।

उपर्युक्त योजना के यथा उल्लिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजना निम्नलिखित की पेशकश करने के लिए तैयार किया गया है:

- क) विशिष्ट खेलों में छात्रों की भागीदारी को देखते हुए पर्याप्त खेल अवसंरचना के निरन्तर विकास हेतु चरणबद्ध सहायता;
- ख) अवसंरचना और उपकरण के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट खेल में छात्र के पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा।
- ग) जैसा कि चरण एक में उल्लेखित है, सभी पात्र विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, बशर्ते उनका प्रस्ताव एक विधिवत् रूप से गठित समिति द्वारा ठीक पाया जाए। तत्पश्चात् अनुदान को चरण-II अथवा III तक बढ़ाया जाना, जैसा भी मामला हो, पहले ही प्रदान किए गए अनुदान/संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के मद्देनजर किया जाएगा; और
- घ) इस योजना का संपूर्ण उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर उचित निगरानी करते हुए चरण-वार तरीके से अवसंरचना के विकास हेतु व्यवस्था करना है।

वर्ष 2018-19 के दौरान 5.72 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान योजना के तहत 69 लाभार्थी विश्वविद्यालयों को कुल 73.68 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

5.13 उत्कृष्टता के संस्थान

सरकार ने 20 संस्थानों (10 सरकारी क्षेत्र और 10 निजी क्षेत्र के संस्थान) को विश्वस्तरीय शिक्षण और शोध संस्थान के रूप में, जिसे 'उत्कृष्टता के संस्थान' कहा जाएगा, की स्थापना/स्तरोन्नयन करने के लिए विनियामक संरचना प्रदान करने की योजना अनुमोदित की। यह विनियामक संरचना सरकारी संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सरकारी संस्थानों की उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में घोषणा) दिशानिर्देश, 2017 और निजी संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उत्कृष्ट संस्थान सम विश्वविद्यालय) विनियम, 2017 के रूप में उपलब्ध कराई गई है, जिनका ब्योरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in/ioc पर उपलब्ध है।

चयन, इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा चुनौती पद्धति के माध्यम से किया जाएगा। संस्थान को विश्वस्तरीय संस्थान बनने के लिए अपना मार्ग चुनने की आजादी होगी। यह आशा की जाती है कि चयनित संस्थान 10 वर्षों में विश्व के शीर्ष 500 रैंकिंग और समय के साथ शीर्ष के 100 संस्थानों में आ जाएंगे। विश्व में शीर्ष रैंकिंग प्राप्त करने के लिए इन संस्थानों को निम्नवत व्यापक स्वायत्तता दी जाएगी अर्थात् प्रवेश दिए जाने वाले कुल छात्रों का 30 प्रतिशत तक विदेशी छात्रों को प्रवेश देना, संकाय क्षमता का 25 प्रतिशत तक विदेशी संकायों की भर्ती करना, अपने कार्यक्रम के 20 प्रतिशत तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के बिना विश्व में शीर्ष रैंकिंग के 500 संस्थानों के साथ शिक्षा सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन करना, बिना प्रतिबंध के विदेशी छात्रों के लिए शुल्क तय करने और प्रभारित करने की स्वतंत्रता, उपाधि लेने के लिए क्रेडिट, घंटे और वर्ष के संदर्भ में पाठ्यक्रम की संरचना तैयार करने में लचीलापन; पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के निर्धारण में लचीलापन आदि।

‘उत्कृष्टता के संस्थान’ के रूप में चुना गया प्रत्येक सरकारी संस्थान, इस योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2017 के विनियमों और दिशानिर्देशों के उपबंधों के अंतर्गत 20 उच्च संभाव्यता वाले संस्थानों के चयन के लिए गठित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी पहली रिपोर्ट (दिनांक 10 मई, 2018) को प्रस्तुत की थी जिसमें इस योजना के अंतर्गत लाए जाने के लिए निम्नवत 8 सरकारी संस्थानों और 3 निजी संस्थानों की पहचान और सिफारिश की थी।

क. सरकारी संस्थान

1. आईआईएससी बंगलुरु
2. आईआईटी मद्रास
3. आईआईटी खड़गपुर
4. आईआईटी बंबई
5. आईआईटी दिल्ली
6. दिल्ली विश्वविद्यालय
7. जाधवपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल
8. अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु

ख. निजी संस्थान

1. बीआईटीएस पिलानी, राजस्थान
2. मनीपाल एकेडमी ऑफ हॉयर एजुकेशन, कर्नाटक
3. जिओ इंस्टीट्यूट (रिलायंस फाउंडेशन)

यद्यपि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निजी और सरकारी दोनों संस्थानों को समान महत्व देने के सिद्धांत का पालन करते हुए केवल 3 सरकारी संस्थानों और 3 निजी संस्थानों को अनुमोदन दिया और इन मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एलओआई जारी करके और समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करके आगे की कार्रवाई की गई, जो पूर्ण होने वाली है।

ईईसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुशंसित संस्थानों की अपनी दूसरी सूची प्रस्तुत की है, जो निम्नवत है –

सरकारी संस्थान

1. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
2. तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, असम
3. सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र
4. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना
5. अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
6. पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब, चंडीगढ़
7. आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश

निजी संस्थान

1. अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
2. वीआईटी, वेल्लोर, तमिलनाडु
3. जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
4. शिव नाडर विश्वविद्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश
5. अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बंगलुरु, कर्नाटक
6. अशोक विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा
7. केआरईए विश्वविद्यालय, नुंगाबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु
8. कलिंग इंस्टीट्यूट आफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर, ओडिशा

9. ओपी जिंदल ग्लोबल, विश्वविद्यालय, हरियाणा
10. इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, बंगलुरु, कर्नाटक
11. इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, तेलंगाना
(प्रायोजक : पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली)
12. सत्य भारती विश्वविद्यालय, हरियाणा (प्रायोजक : सत्य भारती फाउंडेशन, नई दिल्ली)

आयोग ने दिनांक 29 जनवरी, 2019 को आयोजित अपनी 538वीं बैठक में अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) की दूसरी रिपोर्ट और सिफारिशों पर विचार किया और सरकार से स्पष्टीकरण लेने का निर्णय किया कि क्या अतिरिक्त 10 संस्थानों (10 सरकारी और 10 निजी संस्थानों के मूल अधिदेश से अधिक) पर विचार किया जा सकता है? सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरांत आगे निर्णय लिया जाएगा।

वित्तीय प्रगति — आईओई खाते में 1 करोड़ रुपये का आवेदन शुल्क जमा किया गया। ईईसी द्वारा कुल 30 संस्थानों की सिफारिश की गई। आईओई के दिशानिर्देश और विनियम के अनुसार चयनित नहीं किए गए संस्थानों अर्थात् 83 संस्थानों में से प्रत्येक को 75 लाख रुपये लौटाए जाने हैं। अनुमोदित आईओई संस्थानों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सीधे निधियाँ आवंटित की जाएंगी।

5.14 गुणवत्तायुक्त शोधपत्रों का संवर्धन

कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स (केयर)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची को पुनः परिभाषित करने और मुद्दे पर विचार करने के लिए दिनांक 14 नवम्बर, 2018 को आयोजित आयोग की 536वीं बैठक के समक्ष कार्यसूची मद रखी गई, “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची” संबंधी स्थायी समिति को भंग करते हुए कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स (केयर) को अनुमोदित किया।

आयोग ने सामाजिक विज्ञान, मानविकी भाषाओं, कला, संस्कृति, भारतीय ज्ञान पद्धति आदि जैसे विषयों के लिए विश्वसनीय गुणवत्ता युक्त पत्रिकाओं की एक नई सूची तैयार करने के लिए कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स (सीएआरई) के गठन पर विचार किया और इसे मंजूरी दी। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि केयर में संगत वैधानिक परिषद्/शैक्षणिक निकाय शामिल होने चाहिए।

आयोग के उपरोक्त निर्णय के प्रत्युत्तर में, अनुमोदित पत्रिकाओं की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची को परिष्कृत और सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण के साथ अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में बिंदुवार विवरण के साध्य दिनांक 28 नवम्बर, 2018 को एक जन सूचना जारी की गई। दिनांक 05 दिसंबर, 2018 को सभी परिषदों/सरकारी निकायों को एक परामर्श भी जारी किया गया। दिनांक 19 दिसंबर, 2018 को कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स (केयर) की पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आगे की कार्यवाही हेतु सभी संबंधित परिषदों/शैक्षणिक निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पत्रिकाओं के विश्लेषण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रकोष्ठ के गठन के लिए दिनांक 7 दिसंबर, 2018 को दो सदस्यों की एक उप समिति का गठन किया गया था। समिति ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय को अपने परिसर में जर्नल विश्लेषण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रकोष्ठ स्थापित करने का कार्य सौंपा और निम्नलिखित चार क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों की पहचान की ताकि जर्नलों की केयर सूची में सम्मिलित करने के लिए विचार करने हेतु उनके संबंधित क्षेत्र में स्थित संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुकार बनाया जा सके।

1. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र)
2. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद (दक्षिणी क्षेत्र)
3. तेजपुर विश्वविद्यालय (पूर्वी क्षेत्र)
4. एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा (पश्चिमी क्षेत्र)

जर्नलों के मूल्यांकन के लिए एक प्रक्रिया/मानदंड विकसित करने और विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं की सूची का चयन/शैक्षिक जर्नलों के मूल्यांकन को सुकर बनाने और शैक्षणिक आचार के संवर्धन के लिए दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 को विभिन्न परिषदों से केयर सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में विभिन्न सांविधिक परिषदों/सरकारी निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

केयर समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में केयर से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक शक्ति प्राप्त समिति (ईसी-केयर) का गठन किया। दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 को आयोजित प्रथम बैठक में निम्नवत की सिफारिश की:

1. चार क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों में एसपीपीयू तथा केयर क्रियाकलापों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रकोष्ठ जल्द से जल्द चालू होना चाहिए। इन्फ्लबनेट को सहायक एजेन्सी के रूप में कार्य करना चाहिए।

2. सामाजिक विज्ञान, मानविकी तथा भाषाओं से संबद्ध केयर सदस्यों से प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करने के पश्चात् सीपीई-एसपीपीयू स्थित प्रकोष्ठ को इसी सदस्यों को अंतिम नयाचार प्रचालित करना चाहिए।
3. सीपीई-एसपीपीयू स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रकोष्ठ के लिए 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष के बजट तथा क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों हेतु 06 लाख रुपये प्रतिवर्ष के बजट को अनुमोदित कर दिया गया है। उत्तरवर्ती चरण में इन्फिलबनेट की आवश्यकताओं के लिए बजटीय सहायकता पर विचार किया जा सकता है।
4. केयर प्रयोजनार्थ (केयर विश्वविद्यालय) हेतु चिह्नित चार विश्वविद्यालयों को उनके संबंधित क्षेत्रों से विश्वविद्यालयों से जर्नलों हेतु सुझाव प्राप्त होने चाहिए। इस बाबत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को उपयुक्त अधिसूचना भेजी जाए।
5. इस प्रयोजनार्थ बेहतर स्पष्टता के लिए केयर सूची को चार खंडों में विभाजित किया जा सकता है:
 - o समूह क: स्कोपस और/अथवा वेब ऑफ साइंस में अनुक्रमणिकाबद्ध विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कृषि और जैव चिकित्सा विज्ञान विधाओं में अनुसंधान जर्नल।
 - o समूह ख: सीपीई एसपीपीयू द्वारा पहले से ही विश्लेषण किए गए जर्नल जिन्हें केयर सूची में शामिल किया जा सकता है।
 - o समूह ग: केयर सदस्य परिषदों/निकायों द्वारा सुझाए गए सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषाओं और भारतीय ज्ञान पद्धतियों से पत्रिकाएं।
 - o समूह घ: केयर विश्वविद्यालयों/परिषदों/निकायों द्वारा संस्तुत सभी नए जर्नल।

दिनांक 04 जनवरी, 2019 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय ने एसएसपीयू, पुणे में जर्नलों के विश्लेषण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया।

दिनांक 18 मार्च, 2019 को आयोजित केयर-ईसी की द्वितीय बैठक में, समिति को एस.पी. पुणे विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर पब्लिकेशन एथिक्स की स्थापना से अवगत कराया गया, और विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ की गई विभिन्न गतिविधियों को निम्नानुसार उल्लेख किया:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रकोष्ठ में 8 सदस्य होते हैं जो जर्नल विश्लेषण करते हैं।
- यह विश्वविद्यालय के पोर्टल का प्रबंधन करता है।
- यह साहित्यिक चोरी की जाँच करता है।
- “रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स” नामक दो क्रेडिट पाठ्यक्रम को डिजाइन किया गया है, जिसे सभी पी.एच.डी. छात्रों को पंजीकरण के पहले वर्ष में अनिवार्य बनाया जाएगा।

केयर विश्वविद्यालयों के सदस्यों ने जर्नलों में सिफारिश करने के लिए अपने विश्वविद्यालयों में किए गए कार्यों की स्थिति के बारे में अद्यतन किया। केयर-ईसी की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं:

1. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित जर्नलों की सूची** के स्थान पर केयर जर्नलों पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राजपत्र अधिसूचना में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न प्रयोजनार्थ विचार किए जाने हेतु जर्नलों की केयर सूची की अनुप्रयोजनीयता पर स्पष्ट अधिसूचना जारी करेगा। जर्नलों की एक परिवर्तनशील सूची होने के नाते, जर्नलों की सूची जिस तिथि को संबंधित जर्नल में सम्मिलित की गई/सूची से हटाई गई थी, उस दिन की तिथि के अनुसार लागू होगी।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्लेषण प्रकोष्ठ आंतरिक उपयोग हेतु जर्नलों की एक काली सूची का भी रखरखाव करेगा। इसे भविष्य में उपयुक्त समय पर सार्वजनिक किया जाएगा।
4. अस्वीकृत जर्नलों के पुनर्मूल्यांकन के विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर, अगले वर्ष के चरण में विचार किया जा सकता है। सभी शोध विद्वानों द्वारा किए जा रहे प्रकाशन संबंधी आचार पर दो-क्रेडिट पाठ्यक्रम, के संबंध में यह सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों में शोधकर्ताओं के लिए इस पाठ्यक्रम की सिफारिश कर सकता है।
5. एस.पी. पुणे विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए “शोध और प्रकाशन संबंधी आचार” के दो क्रेडिट वाले पाठ्यक्रम को पूर्व-पंजीकरण पाठ्यक्रम कार्य के रूप में सभी पी.एच.डी. छात्रों के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

केयर-ईसी द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद अंतिमरूप दिए जाने के पश्चात् केयर वेबसाइट <https://ugccare.unipune.ac.in> को जनता के लिए खोला दिया गया था। दिनांक 16 जून, 2019 को केयर वेबसाइट पर सूची अपलोड की गई थी और केयर से संबंधित सभी पहलुओं को कवर करते हुए दिनांक 14 जून, 2019 को केयर वेबसाइट पर शैक्षिक सत्यनिष्ठा के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस को जारी किया गया था तथा अपलोड किया गया था।

5.15 उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने तथा उसे संस्थाबद्ध करने के लिए ग्रेडिड स्वायत्तता

एक सक्षमकारी परिवेश तैयार करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) वैश्विक उत्कृष्टता के संस्थान बन सकें, उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और संस्थाबद्ध करने के लिए स्वायत्तता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विनियामक ढांचे ने इस आवश्यकता को पहचाना है और इस दिशा में, दिनांक 12 फरवरी, 2018 को अधिसूचित किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडिड स्वायत्ता के अनुदान के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया गया है। इन विनियमों का उद्देश्य गुणवत्ता बैचमार्क के आधार पर स्वायत्तता प्रदान करना है।

इन विनियमों के तहत, जिन विश्वविद्यालयों के पास 3.51 या उससे ऊपर का नैक प्राप्तांक हैं अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पैनलबद्ध की गई एक प्रतिष्ठित मान्यताप्रदान करने वाली एजेंसी से संबंधित प्राप्तांक/ ग्रेड प्राप्त हुआ है या जिन्हें प्रतिष्ठित रैंकिंग के शीर्ष 500 में स्थान दिया गया है, उन्हें श्रेणी-I में रखा गया है। जिन विश्वविद्यालयों को 3.26 तथा उससे ऊपर 3.50 तक नैक प्राप्तांक प्राप्त हुआ हो और जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पैनलबद्ध की गई एक प्रतिष्ठित प्रत्यायन एजेंसी से संबंधित प्रत्यायन ग्रेड/ अंक प्राप्त हुए हों, उन्हें श्रेणी-II में रखा गया है। जो विश्वविद्यालय उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें श्रेणी-III में रखा गया है।

5.16 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गुणवत्ता अधिदेश

आयोग ने दिनांक 24 मई, 2018 को आयोजित अपनी 532वीं बैठक में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उद्देश्यों के सेट को अनुमोदित किया। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान वर्ष 2022 तक निम्नवत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे:

1. छात्रों के लिए स्नातक परिणाम में सुधार करना ताकि उनमें से कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों को रोजगार/ स्वरोजगार अथवा उच्चतर शिक्षा लेने में स्वयं को शामिल करने के लिए पहुंच प्राप्त कर सकें।
2. समाज/उद्योग के साथ छात्रों के संबंध को इस प्रकार बढ़ावा देना कि कम से कम दो तिहाई छात्र संस्थाओं में अपने अध्ययन के दौरान सामाजिक रूप से उत्पादक क्रियाकलापों में शामिल हो सकें।
3. छात्रों को अनिवार्य पेशेवर कौशल यथा टीम वर्क, संप्रेषण कौशल, नेतृत्व कौशल, समय प्रबंधन कौशल आदि में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा छात्रों में नवोन्मेष/उद्यमशीलता एवं महत्वपूर्ण विचार को अंतर्निविष्ट करना और इन प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए अवसरों को बढ़ावा देना।
4. यह सुनिश्चित करना कि किसी भी समय शिक्षकों की रिक्तियां संस्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हों; तथा संबंधित ज्ञान और अध्यापन के संबंधित क्षेत्र में अद्यतन और उभर रहे रुझानों के बारे में शतप्रतिशत शिक्षकों को अनुकूलित किया जाए जिससे कि छात्रों को ज्ञान प्राप्त हो।
5. वर्ष 2022 तक 2.5 के न्यूनतम अंक के साथ प्रत्येक संस्थान एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त करें।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा निम्नलिखित पहल की जाएंगी:

- (i) छात्रों के लिए प्रवेशन कार्यक्रम
- (ii) ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या रूपरेखा— नियमित अंतराल में पाठ्यचर्या में संशोधन।
- (iii) प्रभावी शिक्षण ज्ञानअर्जन प्रक्रिया के लिए आईसीटी आधारित ज्ञानअर्जन साधनों का उपयोग।
- (iv) छात्रों के लिए व्यवहार कौशल।
- (v) प्रत्येक संस्थान के लिए सामाजिक और औद्योगिक संबंध: ग्रामीण समुदायों में ज्ञान सांझा करने और समग्र सामाजिक/आर्थिक बेहतरी के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय कम से कम 5 गांवों को गोद लेगा और प्रत्येक महाविद्यालय कम से कम एक गांव को गोद लेगा।
- (vi) परीक्षा संबंधी सुधार— संकल्पना और अनुप्रयोग का परीक्षण; निर्गम परीक्षाएं आयोजित करना।
- (vii) पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद छात्रों कैरियर में होने वाली प्रगति का पता लगाना।
- (viii) सभी नए शिक्षकों के लिए प्रवेशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, और सभी शिक्षकों के लिए वार्षिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण— एनआरसी की भूमिका; एवं सभी शैक्षिक प्रशासकों के लिए अनिवार्य नेतृत्व/ प्रबंधन प्रशिक्षण।
- (ix) संकाय सदस्यों द्वारा गुणवत्तायुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना और नए ज्ञान का सृजन करना।
- (x) गैर-प्रत्यायित संस्थानों को परामर्श देना ताकि प्रत्येक संस्था ने वर्ष 2022 तक प्रत्यायन प्राप्त कर सकें।

► शोध को प्रोत्साहन

- ❖ 6.1 शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं
- ❖ 6.2 शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक
- ❖ 6.3 पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ
- ❖ 6.4 एम.फिल./पी.एच.डी. हेतु शोध अध्येतावृत्तियाँ (कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ/शोध एसोशिएटशिप)
- ❖ 6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ
- ❖ 6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियाँ
- ❖ 6.7 खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए निशुल्क शिक्षा
- ❖ 6.8 विभिन्न शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलापों हेतु शिक्षकों, विषय/विधा आधारित संघों को प्रोत्साहन देना
- ❖ 6.9 विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध

उच्चतर शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षण और ज्ञान अर्जन प्रक्रिया, जो किसी शिक्षार्थी में कौशल का संचार करता है और भी सुदृढ़ होता है यदि इसे शोध के साथ समेकित किया जाए। शोध इस प्रक्रिया को जीवंत और प्राणवान बनाता है। शोध संवर्धन के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षकों तथा छात्रों को स्पर्धा आधारित वित्तपोषण योजना में भाग लेने के लिए अभिविन्यास कर शोध उत्पादकता में वृद्धि करने का संकल्प लिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सत्तर के दशक के पूर्वार्द्ध से ही विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की शोध परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर रहा है।

6.1 शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) तथा 12 (ख) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में स्थायी, नियमित, कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकों के शोध प्रस्तावों को वित्तीय सहायता प्रदान करता आ रहा है। वृहद शोध परियोजना कार्यक्रम उन्हें उनकी नियमित नौकरी अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् विशिष्ट विषय क्षेत्रों में गहन और सूक्ष्मता से शोध अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। व्यक्तिगत तौर पर किसी शिक्षक अथवा शिक्षक के समूह अथवा समग्ररूप से किसी विभाग द्वारा शोध परियोजना को आरंभ किया जा सकता है। इसे सत्तर वर्ष की आयु के किसी सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा भी आरंभ किया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदन करने के समय प्रार्थी की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं हो। अंतर्विधायी शोध और अंतर्संस्थागत सहयोगात्मक शोध को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आयुविज्ञान, भेषजी, कृषि आदि सहित विज्ञान विषयों में वृहद शोध परियोजनाओं में सहायता की राशि 20.00 लाख रुपये और मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषाएं, साहित्य, कला, विधि और अनुप्रयुक्त विधाओं में 15.00 लाख रुपये है।

वृहद शोध परियोजना के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता में परियोजना के लिए उपकरण, पुस्तकें और जर्नल, रसायन और उपभोग्य, आकस्मिताएं, यात्रा और क्षेत्र कार्य, भाड़े पर ली गई सेवाएं, परियोजना अध्येताओं को अध्येतावृत्ति तथा परियोजना के लिए आवश्यक अन्य मदें शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए वृहद शोध परियोजनाओं हेतु जारी किए गए अनुदानों का ब्योरा :

(करोड़ रुपये में)

योजना का नाम	कुल लाभार्थी	अनुदान- सहायता- सामान्य (31)			पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ (35)			एनईआर सामान्य (31)			एनईआर पूँजीगत (35)			कुल
		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
वृहद शोध परियोजना														
मानविकी (एचआरपी)	227	2.1	0.075	--	--	--	--	0.046	--	0.093	--	--	--	2.314
विज्ञान शोध (एसआर)	861	8.58	0.21	--	--	0.0043	--	0.34	--	--	--	--	--	9.1343
कुल	1088	10.68	0.285	--	--	0.0043	--	0.386	--	0.093	--	--	--	11.4483

वर्ष 2018-19 के दौरान मानविकी में 227 लाभार्थी (परियोजना/ शिक्षक) और विज्ञान में 861 लाभार्थी (परियोजना/ शिक्षक) थे।

वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों को कुल 11.45 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

6.2 शोध अवार्ड/ शोध वैज्ञानिक

6.2(i) शोध अवार्ड

शोध अवार्ड की योजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में कार्यरत डॉक्टरल उपाधि धारक स्थायी शिक्षकों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में बिना कोई शोध मार्गदर्शन प्राप्त किये दो वर्ष की अवधि तक शोध कार्य हेतु अवसर प्रदान करना है जिसे अपवाद स्वरूप किन्हीं मामलों में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की सभी विधाओं के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 स्लॉटों पर चयन किया जाता है। **वर्ष 2018-19 के दौरान 5.80 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई।**

6.2 (ii) शोध वैज्ञानिक

शोध वैज्ञानिक योजना को मूल रूप से वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था ताकि इसका लक्ष्य विशिष्ट योग्यता वाले तथा विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान, अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी एवं मानविकी तथा समाज विज्ञान में तीन स्तरों पर पर उच्च गुणवत्तायुक्त शोध कार्य को बढ़ावा दिया जा सके।

1. शोध वैज्ञानिक 'क' (व्याख्याता)
2. शोध वैज्ञानिक 'ख' (उपाचार्य)
3. शोध वैज्ञानिक 'ग' (आचार्य)

यह एक पुरानी योजना है और वर्तमान में 24 शोध वैज्ञानिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नामावली पर हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान 1.89 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

6.3 पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ

6.3(i): अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ

योजना का उद्देश्य डॉक्टरल (वाचस्पति) उपाधि धारक तथा शोध पत्र प्रकाशित करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में उच्च शोध करने के लिए सुविधा प्रदान करना है ताकि वे अपने चुने हुए क्षेत्रों में उच्च शोध कर सकें। इस प्रयोजनार्थ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष उनके लिए 100 स्लॉट उपलब्ध करवा रहा है। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान योजना के तहत 460 लाभार्थियों पर 25.95 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

6.3(ii) महिलाओं के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ

इस योजना का उद्देश्य पी.एच.डी उपाधि धारक बेरोजगार महिलाएं, जो पूर्णकालीन आधार पर विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में पोस्ट-डॉक्टरल शोध करने की इच्छुक हैं, उन्हें शोध कार्य का अवसर प्रदान करना है। वर्तमान

में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 100 अध्येतावृत्तियां उपलब्ध करवा रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2018–19 के दौरान 591 लाभार्थियों पर 32.72 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

6.3(iii) भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य संगत विषयों में पी.एच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को मानविकी और सामाजिक विज्ञान सहित भाषाओं में उन्नत अध्ययन और शोध कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 200 स्लॉट उपलब्ध हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2018–19 के दौरान 454 लाभार्थियों पर 18.63 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

6.3(iv): डॉ० डी० एस० कोठारी पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ

इस योजना के तहत मूलभूत विज्ञान/चिकित्सा/अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में पोस्ट डॉक्टरल शोध करने के लिए शोध अध्येताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। चयन प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है। अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए एक विनिर्दिष्ट वेबसाइट ugcdskpdf.unipune.ac.in है। पृथक आवेदन की प्राप्ति पर चयन प्रक्रिया को छह माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने या तो पीएचडी उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा जिन्होंने अपने पीएचडी शोध प्रबंध जमा कर दिये हैं वे आवेदन करने के लिये पात्र हैं। आज तक, 2661 अभ्यर्थियों को अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है तथा 1364 पीडीएफ कार्यरत हैं। जनवरी, 2013 से अध्येतावृत्ति प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) योजना के माध्यम से संवितरित की जाती है (जहां अध्येतावृत्ति सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है)।

वित्तीय सहायता

	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
पोस्ट डाक्टरल अध्येतावृत्ति	43,400 रुपये प्रतिमाह	45,000 रुपये प्रतिमाह	46,500 रुपये प्रतिमाह
उच्च पोस्ट डाक्टरल अध्येतावृत्ति	46,500 रुपये प्रतिमाह	46,500 रुपये प्रतिमाह	46,500 रुपये प्रतिमाह

वर्ष 2017–18 के दौरान 23.26 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.3(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति

योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति की आयु के समीप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रतिभावान शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् तीन अतिरिक्त वर्षों तक सार्थक शोध कार्य जारी रखना तथा युवा शोधकर्ताओं एवं पीएचडी छात्रों के लिए निगरानीकर्ता की भूमिका निभाना है।

वित्तीय सहायता: योजना के तहत 50,000/– रुपये प्रतिमाह (पेंशन और/ अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अलावा) की वित्तीय सहायता होगी, और 5,00,000/– रुपये प्रतिवर्ष का शोध अनुदान प्रदान किया जाएगा।

104 बीएसआर संकाय अध्येताओं 11.14 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

6.3(vi) एमेरिटस अध्येतावृत्तियां

इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सत्तर वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके द्वारा उनकी विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्र में सक्रिय शोध कार्य करने का अवसर अवसर प्रदान करना है। इस अध्येतावृत्ति हेतु पात्रता, शिक्षक द्वारा उसके सेवाकाल में किए गए शोध और प्रकाशन के कार्य की गुणवत्ता पर आधारित है। इस योजना के तहत किसी भी एक समय के आधार पर विज्ञान विषय के लिए 100 और मानविकी, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं के लिए 100 स्लॉट हैं (कुल 200 स्लॉट हैं)। इस योजना के तहत वर्ष 2018–19 के दौरान 169 लाभार्थियों पर 3.82 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

6.4 एम.फिल./पी.एच.डी हेतु शोध अध्येतावृत्तियाँ (कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ/शोध एसोशियेटशिप)

6.4(i) वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शोध विद्वानों हेतु अध्येतावृत्ति की योजना है ताकि शोध विद्वान भाषाओं सहित विज्ञान, मानविकी तथा समाज विज्ञान के क्षेत्र में शोध कर सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई अध्येतावृत्तियाँ न केवल इन शोधकर्ताओं को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करती हैं बल्कि उन्हें अत्यंत गंभीरता तथा स्वतंत्र रूप अपना डाक्टोरल शोध जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं।

विज्ञान, मानविकी तथा समाज विज्ञान विषयों में कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ (जेआरएफ) प्रदान किया जाना

इसका उद्देश्य ऐसे विद्वानों को उच्च अध्ययन तथा शोध आरंभ करने का अवसर प्रदान करना है जिससे उन्हें भाषाओं सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में एम.फिल./ पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त हो सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे अभ्यर्थियों को जेआरएफ प्रदान करता है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट/ जेआरएफ) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग –सीएसआईआर संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण की है। अध्येतावृत्ति की कुल अवधि पांच वर्ष की है। दिनांक 01 जनवरी, 2019 से जेआरएफ/ एसआरएफ अध्येतावृत्ति को क्रमशः 25,000/- से बढ़ाकर 31,000/- रुपये तथा 28,000/- से बढ़ाकर 35,000/- रुपये कर दिया गया है। अन्य निबंधन और शर्तें बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप हैं। अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत है:

अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 31,000 रुपये प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 35,000 रुपये प्रतिमाह की दर से	जेआरएफ (दो वर्षों के लिए) एसआरएफ (तीन वर्षों के लिए)
आकस्मिकता क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिकता ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान
विभागीय सहायता	अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए मेजबान संस्थान को 3,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से	
सहचर/ पाठक सहायता	शारीरिक रूप से निश्चित और दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के मामले में 2,000 रुपये प्रतिमाह की दर से।	
मकान किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/ भारत सरकार के नियमों के अनुरूप।	

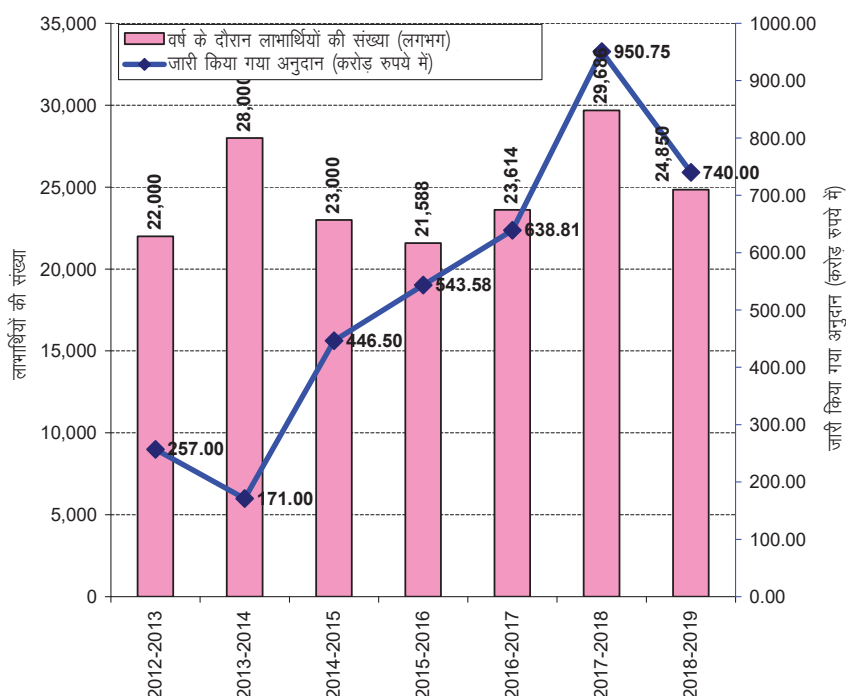
योजना का प्रभाव:-

1. समाज के कमजोर वर्गों को शोध हेतु अवसर उपलब्ध कराना।
2. सभी विधाएं जैसे विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान आदि योजना के तहत कवर हैं।
3. योजना के तहत शोध और व्यावहारिक ज्ञान के सभी आयाम आधारित शोध।
4. स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के संदर्भ में शोध की उपयुक्तता और संगतता को योजना के तहत अंगीकार किया जा रहा है।

योजना के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से जारी किए गए अनुदानों का ब्योरा निम्नवत है:

क्रम संख्या	वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	उपलब्ध स्लॉटों की संख्या (प्रतिवर्ष)	वर्ष के दौरान लाभार्थियों की संख्या (लगभग)
1.	2012-2013	257.00	8,800	22,000
2.	2013-2014	171.00	8,800	28,000
3.	2014-2015	446.50	8,800	23,000
4.	2015-2016	543.58	8,800	21,588
5.	2016-2017	638.81	8,800	23,614
6.	2017-2018	950.75	8,800	29,686
7.	2018-2019	758.01	8,800	24,850

रेखाचित्र 6.4(i): वर्ष 2012-13 से 2018-19 के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियों हेतु वर्षवार जारी किया गया अनुदान



वर्ष 2018-19 के दौरान विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में जेआरएफ के तहत 740.00 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। जेआरएफ के तहत प्रतिवर्ष 9400 स्लॉट हैं। वर्तमान में, 24,850 लाभार्थी जेआरएफ के तहत एम0फिल0/पी0एच0डी0 में अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिसम्बर, 2012 के बाद से प्रत्यक्ष रूप से जेआरएफ/एसआरएफ के बैंक खातों में ई-भुगतान करना आरंभ कर दिया है और 01 जुलाई, 2016 से पुरानी और नई सभी जेआरएफ/एसआरएफ अध्येतावृत्तियों का प्रत्यक्ष रूप से बैंक अंतरण कर भुगतान किया जा रहा है।

वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नवत उपलब्धियां रही हैं:-

1. सभी मामले प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण योजना के अंतर्गत लाए गए हैं।
2. वर्ष के दौरान 24,850 जेआरएफ/ एसआरएफ को अध्येतावृत्ति भुगतान अंतरण किया गया है।
3. अक्टूबर, 2018 से पोर्टल पर मासिक भुगतान प्रणाली आरंभ की गई है।

6.4(ii) विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) तथा शोध एसोशिएटशिप (आर.ए.)

6.4(ii)(क) विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति

दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 बड़ी हुई दरें लागू हैं।

अध्येतावृत्ति	18,600 रुपये प्रतिमाह की दर से	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए
	21,700 रुपये प्रतिमाह की दर से	दो वर्षों की शेष अवधि के लिए
आकस्मिकता	10,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए
	12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान के लिए
	25,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान में शेष अवधि के लिए
	20,500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान की शेष अवधि के लिए
विभागीय सहायता	3,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से	प्रति जेआरएफ सहायता
सहचर/ निःशक्तता भत्ता	2,000 रुपये प्रतिमाह की दर से	प्रति जेआरएफ
मकान किराया भत्ता	भारत सरकार के नियमों के अनुरूप।	

6.4(ii) (ख) विदेशी नागरिकों के लिए शोध एसोशिएटशिप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर, भारतीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की किन्हीं भी विधाओं में पोस्ट डाक्टोरल शोध करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों से वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान प्राप्त आवेदनों में से वर्ष 2015-16 के दौरान 8 (निर्धारित अध्येतावृत्तियाँ) अभ्यर्थियों का शोध एसोशिएटशिप के लिए चयन किया गया है। अध्येतावृत्ति को चार वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा (जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है)

अध्येतावृत्ति	25,000 रुपये प्रतिमाह की दर से	चार वर्षों के लिए (निर्धारित)
आकस्मिकता	30,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से	चार वर्षों के लिए (निर्धारित)
विभागीय सहायता	अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मेजबान संस्थान को एसोशिएटशिप के 10 प्रतिशत की दर से	चार वर्षों के लिए (निर्धारित)
मकान किराया भत्ता	भारत सरकार के नियमों के अनुरूप।	चार वर्षों के लिए (निर्धारित)

वर्तमान में, इस योजना के तहत लगभग 46 विदेशी नागरिक पी.एच.डी./ पोस्ट डाक्टोरल शोध कर रहे हैं।

दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति तथा शोध एसोशिएटशिप (विदेशी नागरिकों हेतु) को भुगतान किए गए अनुदानों का ब्योरा निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	जेआरएफ + आरए हेतु उपलब्ध स्लॉटों की संख्या
1.	2012-2013	1.05	20+7
2.	2013-2014	0.42	20+7
3.	2014-2015	0.78	20+7
4.	2015-2016	0.97	20+7
5.	2016-2017	1.17	20+7
6.	2017-2018	1.07	20+7
7.	2018-2019	0.52	20+7

वर्ष 2018-19 के दौरान जेआरएफ तथा आरए (विदेशी नागरिक) को 0.52 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

6.4(iii) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रतिवर्ष 2000 स्लॉट उपलब्ध करवाकर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (जिसे पूर्व में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के नाम से जाना जाता था) को कार्यान्वित करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है और इसे वित्तपोषित किया है ताकि उच्चतर शिक्षा में सामाजिक विषमता को कम किया जा सके। केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अनुसूचित जाति की श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है ताकि वे भाषाओं तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में उच्च अध्ययन तथा शोध कर सकें तथा एम0फिल0 तथा पी0एच0डी0 की उपाधि अर्जित कर सकें। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष है।

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना के तहत अध्येतावृत्ति के अवार्ड के लिए स्लॉटों के राज्यवार संवितरण को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से स्लॉटों की संख्या	क्रम संख्या	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से स्लॉटों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	90	19	लक्षद्वीप	0
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	20	मध्य प्रदेश	110
3	अरुणाचल प्रदेश	0	21	महाराष्ट्र	119
4	असम	22	22	मणिपुर	1
5	बिहार	157	23	मेघालय	0
6	चण्डीगढ़	2	24	मिजोरम	0
7	छत्तीसगढ़	29	25	नागालैण्ड	0
8	दादरा और नागर हवेली	0	26	ओड़ीशा	73

क्रम संख्या	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से स्लॉटों की संख्या	क्रम संख्या	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से स्लॉटों की संख्या
9	दमन और द्वीव	0	27	पुदुचेरी	2
10	दिल्ली	28	28	पंजाब	84
11	गोवा	1	29	राजस्थान	117
12	गुजरात	43	30	सिक्किम	0
13	हरियाणा	49	31	तमिलनाडु	142
14	हिमाचल प्रदेश	18	32	तेलंगाना	58
15	जम्मू और कश्मीर	9	33	त्रिपुरा	7
16	झारखण्ड	38	34	उत्तर प्रदेश	422
17	कर्नाटक	103	35	उत्तराखण्ड	18
18	केरल	38	36	पश्चिम बंगाल	220
कुल					2000

योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 के दौरान अध्येतावृत्ति के लिए एनटीए/सीएसआईआर नेट के माध्यम से चयन किया जा रहा है।

उपयुक्त योजना के तहत रिपोर्टधीन वर्ष 2018-19 के दौरान **254.84 करोड़ रुपये** का व्यय हुआ और **6883 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।**

6.4(iv) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रतिवर्ष 750 स्लॉट उपलब्ध करवाकर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना कार्यान्वित करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है और इसे वित्तपोषित किया है ताकि उच्चतर शिक्षा में सामाजिक विषमता को कम किया जा सके। केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाती है ताकि वे भाषाओं तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में उच्च अध्ययन तथा शोध कर सकें ताकि वे एम0फिल0 तथा पी0एच0डी0 की उपाधि अर्जित कर सकें। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष है।

वर्ष 2015-16 से अनुसूचित जनजाति वर्ग में पीवीटीजी तथा बीपीएल श्रेणी को प्राथमिकता के साथ इस श्रेणी के छात्रों को अध्येतावृत्ति अवार्ड करने हेतु स्लॉटों को 667 से बढ़ाकर 750 कर दिया गया है। वर्ष 2017-18 तथा उसके पश्चात् चयन प्रक्रिया को स्वयं जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है।

रिपोर्टधीन वर्ष 2018-19 के दौरान चालू मामलों पर 35 लाभार्थियों हेतु **1.50 करोड़ रुपये** का व्यय किया गया।

6.4(v) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान 756 स्लॉट प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1000 स्लॉट प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाकर केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् (i) मुस्लिम (ii) सिक्ख (iii) ईसाई (iv) बौद्ध (v) पारसी और (vi) जैन (वर्ष 2014 में सम्मिलित किया गया) के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को कार्यान्वित करने का कार्य वर्ष 2009 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा और इसे वित्तपोषित किया है। केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाती है ताकि वे भाषाओं तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में उच्च अध्ययन तथा शोध कर सकें ताकि वे एम0फिल0 तथा पी0एच0डी0 की उपाधि अर्जित कर सकें। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष है।

6.4(vi) अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वित्तपोषित और कार्यान्वयन हेतु सौंपी गई योजना नामतः अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (रा0अ0) योजना को वर्ष 2014 से कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के अभ्यर्थियों के लिए है जो विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में पूर्णकालिक तथा नियमित एमफिल तथा पीएचडी उपाधि आदि उच्चतर अध्ययन करना चाहते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के शोध विद्वानों से सभी विषयों पर ऑनलाइन पद्धति से प्राप्त किए गए आवेदनों हेतु अध्येतावृत्ति अवार्ड करने हेतु वर्ष 2018-19 के दौरान 300 से बढ़ाकर 1000 स्लॉट किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निशक्त श्रेणी से शोध विद्वानों को अध्येतावृत्ति अवार्ड करने पर विचार करने हेतु 3 प्रतिशत स्लॉटों के आरक्षण का उपबंध है।

‘अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना (ओबीसी)’ के तहत अध्येतावृत्ति अवार्ड करने हेतु स्लाटों का राज्य वार संवितरण

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई अध्येतावृत्ति के अवार्ड हेतु स्लाटों की संख्या वर्ष 2018-19 से	क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई अध्येतावृत्ति के अवार्ड हेतु स्लाटों की संख्या वर्ष 2018-19 से
1	आन्ध्र प्रदेश	43	19	लक्षद्वीप	0
2	अंडमान और निकोबार	3	20	मध्य प्रदेश	55
3	अरुणाचल प्रदेश	0	21	महाराष्ट्र	75
4	असम	68	22	मणिपुर	8
5	बिहार	68	23	मेघालय	0
6	चंडीगढ़	3	24	मिजोरम	0
7	छत्तीसगढ़	20	25	नागालैंड	0
8	दादरा और नगर हवेली	3	26	ओडिशा	33
9	दमन और दीव	3	27	पुदुचेरी	8
10	दिल्ली	15	28	पंजाब	20
11	गोवा	8	29	राजस्थान	53
12	गुजरात	50	30	सिक्किम	8
13	हरियाणा	25	31	तमिलनाडु	55
14	हिमाचल प्रदेश	7	32	तेलंगाना	27
15	जम्मू और कश्मीर	12	33	त्रिपुरा	8
16	झारखण्ड	27	34	उत्तर प्रदेश	145
17	कर्नाटक	50	35	उत्तराखण्ड	8
18	केरल	27	36	पश्चिम बंगाल	65
dly					1000

उक्त योजना के तहत वर्ष 2018-19 के लिए, अध्येतावृत्ति अवार्ड किए पर विचार करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयन की प्रक्रिया चल रही है।

योजना के तहत, रिपोर्टाधीन वर्ष 2018-19 के दौरान 22-44 दिनों का व्यय हुआ और 683 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

6.4 (vii) निशक्त छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्ष 2012 से निशक्त छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु अवसरों में वृद्धि करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, निशक्तता कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अनुदान को लागू करने का उत्तरदायित्व सौंपा है, जिससे वे एम.फिल. और पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त कर सकें। यह योजना भारत में विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में शोध उपाधि का अनुशीलन करने वाले निशक्त छात्रों की

कार्यक्रम में पंजीकरण हेतु चयनित हैं। बीएसआर योजना का उद्देश्य विज्ञान में पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिये उच्च अध्ययन तथा शोध आरंभ करने हेतु प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अवसर उपलब्ध कराना है। बीएसआर अध्येतावृत्ति को वर्ष 2006 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- नेट अध्येतावृत्ति के साथ आमेलित कर दिया गया है।

अभ्यर्थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय/उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र/उच्च अध्ययन केन्द्र तथा विशेष सहायता विभाग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना में पहले ही दी गई प्रक्रिया के माध्यम से नियमित प्रवेश प्रक्रिया द्वारा विश्वविद्यालय के पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण करवाने हेतु चयनित हैं। प्रवेश के उपरान्त पीएचडी हेतु पंजीकरण किया जायेगा।

2018-19 के दौरान सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 113.38 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

6.4(x) केन्द्रीय विश्वविद्यालय में गैर-नेट अध्येतावृत्ति की योजना

दिनांक 27 दिसम्बर 2006 को आयोजित आयोग की 433वीं बैठक के माध्यम से आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त वर्ष 2006-07 से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एमफिल/पीएचडी हेतु गैर-नेट अध्येतावृत्ति आरंभ हुई।

योजना के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 113.38 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

6.5(i) पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

समाज के वंचित वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन का अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है। डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर इन छात्रवृत्तियों की अवधि दो/तीन वर्ष है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रत्याशियों के लिए स्लॉटों की संख्या प्रतिवर्ष 1000 है।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:-

एम.टेक. छात्र	7,800 रुपये प्रतिमाह की दर से
आकस्मिकताएं	15,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से
अन्य पाठ्यक्रम	4,700 रुपये प्रतिमाह की दर से
आकस्मिकताएं	10,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से

योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी), एनआईसी, भारत सरकार, नई दिल्ली पर डाला गया था।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए चयन को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से अंतिमरूप दिया जा रहा है।

योजना के तहत, रिपोर्टाधीन वर्ष 2018-19 के दौरान 2.18 करोड़ रुपये का व्यय हुआ और 312 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

6.5 (ii) एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के स्तर को उठाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा मूलभूत शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाना शामिल है। इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना भी एक ऐसी ही योजना है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर बालिकाओं, विशेषरूप से ऐसी बालिकाएँ जो कि अपने-अपने परिवारों में एकमात्र संतान हैं, की शिक्षा के लिए किए गए प्रत्यक्ष व्यय की प्रतिपूर्ति करना है।

इस योजना के उद्देश्य गैर-पेशेवर पाठ्यक्रमों में एकमात्र बालिका संतान के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए समर्थन तथा छोटे परिवार के मानदण्ड के महत्व को पहचान प्रदान करना।

यह योजना स्नातकोत्तर शिक्षा सत्र 2005-07 से आरंभ की गई थी। अपने माता-पिता की एकल बालिका और जिसने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नियमित, पूर्णकालिक निष्णात पाठ्यक्रम (गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त किया है, छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। छात्रवृत्ति, पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए उपलब्ध है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय 30 वर्ष की आयु तक की छात्राएं पात्र हैं। सभी पात्र बालिकाओं को छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति की संख्या पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

ऐसे संस्थान जहां छात्रा ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त किया है उनसे अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत कवर विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम का अनुशीलन करने वाली छात्रा से संस्थान द्वारा कोई शिक्षण शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।

स्लॉट: कोई अधिकतम सीमा नहीं।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:-

C;kjk	Nk=ofck dh nj	Nk=ofck dh vof/k
छात्रवृत्ति	3,100 रुपये प्रतिमाह की दर से	केवल दो वर्ष (केवल 20 माह) अर्थात् पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि

योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी), एनआईसी, भारत सरकार, नई दिल्ली पर डाला गया था।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए चयन को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से अंतिमरूप दिया जा रहा है।

;ktuk d rgr] fjikVki/khu o"ki 2018&19 d nkjku 9-96 djkm #i; dk 0;; gvk vkj 2289 YkkHkkfFki; dk वित्ति; l gk;rk iklr gbA

6.5 (iii) स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति

प्रतिभावान छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में समुचित प्रोत्साहन उपलब्ध करवाकर स्नातकोत्तर शिक्षा पद्धति की शिक्षा प्राप्त करने हेतु आकर्षित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय में स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय रैंक धारकों हेतु स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति को आरंभ तथा कार्यान्वित किया है।

छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्ष होगी ताकि प्रत्येक विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले स्नातक स्तर के छात्र निष्णात उपाधि को जारी रख सकें। बी.ए., बी.एस.सी. और बी.कॉम में सामान्य एवं ऑनर्स पाठ्यक्रमों में, संपूर्ण विश्वविद्यालय (महाविद्यालय के स्तर के अलावा) में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ताओं को सभी सम्बद्ध विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा रैंक संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने होंगे।

केवल उन सबद्ध विश्वविद्यालयों से रैंक धारकों पर विचार किया जाएगा जहां कम से कम 100 छात्र है और सम विश्वविद्यालयों/स्वायत्त/गैर-संबद्ध महाविद्यालयों में जहां कम से कम 25 छात्र स्नातकपूर्व स्तर पर परीक्षा में बैठे हों। स्लॉट की संख्या: प्रतिवर्ष 3000

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:-

C;kjk	Nk=ofUk dh nj	Nk=ofUk dh vof/k
छात्रवृत्ति	3,100/- रुपये प्रतिमाह की दर से	केवल दो वर्ष (केवल 20 माह) अर्थात् पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए

योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी), एनआईसी, भारत सरकार, नई दिल्ली पर डाला गया था।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए चयन को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से अंतिमरूप दिया जा रहा है।

;k t uk d i rgr] f j i k V k / k h u o " k 2018&19 d i n k j k u 4-49 d j k M # i ; i d k 0 ; ; g v k v k j 979 Y k k H k k f F k ; k d k f o t k h ; l g k ; r k i k l r g b A

6.5 (iv) गेट/जी.पी.ए.टी. अर्हता प्राप्त एम.ई./एम.टेक./एम.फार्मा. छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गेट/जीपीएटी अर्हता प्राप्त एम.ई./एम.टेक./एम. फार्मा. पाठ्यक्रमों और समेकित दोहरी उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को लागू कर रहा है। योजना का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा को जारी रखने हेतु प्रतिभावान स्नातक उपाधि धारक युवा छात्रों को आकर्षित करने में मदद करना है। योजना के आरंभ से तकनीकी कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता हेतु प्रतिवर्ष 1200 छात्रवृत्तियों के लिये दावा प्रस्तुत कर रहे हैं।

f o t k h ; l g k ; r k d k i V u i f u E u o r g % &

C; k j k	Nk=ofUk dh nj	Nk=ofUk dh vof/k
छात्रवृत्ति गेट/जी.पी.ए.टी. में 60 प्रतिशत अंकों से अधिक	12400/- रुपये प्रतिमाह की दर से	केवल दो वर्ष
आकस्मिकताएं	5000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से	
छात्रवृत्ति प्रथम सेमेस्टर में 60 प्रतिशत अंकों से कम	1550/- रुपये प्रतिमाह की दर से	
आकस्मिकताएं	5000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से	

;k t uk d i rgr] f j i k V k / k h u o " k 2018&19 d i n k j k u 21-01 d j k M # i ; i d k 0 ; ; g v k v k j 1125 Y k k H k k f F k ; k d k f o U k h ; l g k ; r k i k l r g b A

6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां

6.6 (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विशेष रुचि दिखाई है। जीईआर में वृद्धि करने तथा उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2014-15 से उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु एक विशेष छात्रवृत्ति योजना "ईशान उदय" को आरंभ करने का निर्णय लिया है। योजना आरंभ करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकार, केन्द्र तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्य विश्वविद्यालयों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उत्तर-पूर्व परिषद्, शिलांग तथा अन्य हितधारकों के साथ व्यापक रूप से परामर्श किया। स्लॉट: 10000 प्रतिवर्ष

वित्तीय सहायता का स्वरूप निम्नवत है:-

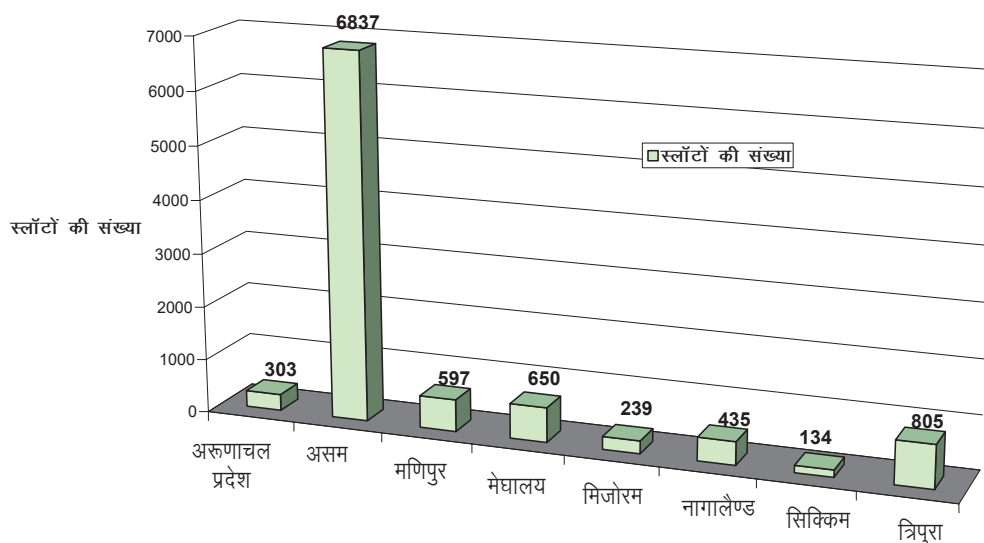
Øe l i ; k	C; k j k	f n u k d 01 f n l E c j] 2014 l i Nk=ofUk dh nj	Nk=ofUk dh vof/k
1.	छात्रवृत्ति की राशि (सामान्य उपाधि के कार्यक्रमों के लिए)	5,400/- रुपये प्रतिमाह	स्नातकपूर्व कार्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए
2.	छात्रवृत्ति की राशि (चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों हेतु)	7,800/- रुपये प्रतिमाह	

* i o k t k j { k = g r i ^ b i ' k k u m n ; * * u k e d f o ' k " k Nk=ofUk ; k t u k * के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में स्लॉट का राज्य वार संवितरण

राज्य	स्लॉटों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	303
असम	6837
मणिपुर	597
मेघालय	650
मिजोरम	239

राज्य	स्लॉटों की संख्या
नागालैण्ड	435
सिक्किम	134
त्रिपुरा	805
dy	10000

रेखाचित्र 6.6 (i): वर्ष 2018-19 के दौरान 'ईशान उदय' योजना के तहत राज्यवार स्लॉटों की संख्या



योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी), एनआईसी, भारत सरकार, नई दिल्ली पर डाला गया था।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए चयन को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से अंतिमरूप दिया जाना शेष है।

योजना के तहत, रिपोर्टाधीन वर्ष 2018-19 के दौरान 151.67 करोड़ रुपये का व्यय हुआ और 19970 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

तालिका 6.1 से 6.6: वर्ष 2018-19 के दौरान स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत वृहद शोध परियोजनाओं, शोध अवार्ड/ शोध वैज्ञानिक, पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति, शोध अध्येतावृत्ति, स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति, स्नातकपूर्व छात्रवृत्ति योजनाओं का संक्षिप्त ब्योरा

क्रम संख्या	योजना का नाम	योजना को प्रारंभ करने का वर्ष	प्रतिवर्ष स्लॉटों की संख्या	अध्येतावृत्ति/ छात्रवृत्ति की अवधि	लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2018-19 के दौरान जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
6.1	शिक्षकों हेतु वृहद शोध परियोजनाएं				1088	11.45
6.2 शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक						
6.2(i)	शोध अवार्ड		100 (प्रत्येक दूसरे वर्ष)	दो वर्ष		5.80
6.2(ii)	शोध वैज्ञानिक*	1983			24	1.89
6.3 पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ						
6.3(i)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ	2006-07	100	पांच वर्ष	460	25.95

क्रम संख्या	योजना का नाम	योजना को प्रारंभ करने का वर्ष	प्रतिवर्ष स्लॉटों की संख्या	अध्येतावृत्ति/ छात्रवृत्ति की अवधि	लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2018-19 के दौरान जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
6.3(ii)	महिलाओं के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ	1998	100	पांच वर्ष	591	32.72
6.3(iii)	भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ० एस० राधाकृष्णन पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ	2014-15	200	तीन वर्ष	454	18.63
6.3(iv)	डॉ० डी० एस० कोठारी पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	2008-2009	500	तीन वर्ष	1364	23.26
6.3(v)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति योजना	2010-11	(कोई अधिकतम सीमा नहीं)	तीन वर्ष	104	11.14
6.3(vi)	एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ		किसी एक दिए गए समय पर दो वर्षों के लिए 200	दो वर्ष	169	3.82

6.4 शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम०फिल० / पी०एच०डी हेतु)

6.4(i)	नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ (जे०आर०एफ०)	1957-58	9400	पांच वर्ष	24850	740.00
6.4(ii)	विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) तथा शोध एसोशिएटशिप (आर.ए.)	1957-58	20+7	चार वर्ष	46	0.52
6.4(iii)	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ	2005-2006	2000	पांच वर्ष	6883	254.84
6.4 (iv)	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2005-06	750 अमरीकी डालर	पांच वर्ष	35	1.50*
6.4(v)	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (वर्ष 2009-2010 से आरंभ की गई योजना तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की गई)	2009-2010	1000	पांच वर्ष	2537	91.13
6.4(vi)	अन्य पिछड़े वर्गों (अपिब) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सौंपी गई और वित्तपोषित की जाती है)	2014-15	1000	पांच वर्ष	683	22.44
6.4(vii)	निशक्त छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निशक्तता विभाग द्वारा सौंपी गई और वित्तपोषित की गई)	2012-13	200 अमरीकी डालर	पांच वर्ष	**	**

क्रम संख्या	योजना का नाम	योजना को प्रारंभ करने का वर्ष	प्रतिवर्ष स्लॉटों की संख्या	अध्येतावृत्ति/ छात्रवृत्ति की अवधि	लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2018-19 के दौरान जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
6.4(viii)	सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति	2014-15	कोई अधिकतम सीमा नहीं	चार से पांच वर्ष	142	4.74
6.4(ix)	बी0एस0आर0 अध्येतावृत्तियां (आरएफएसएमएस)	2006-07	1500	पांच वर्ष	3550	62.94
6.4(x)	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गैर-नेट अध्येतावृत्तियां	2006-07				1.13

6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

6.5(i)	पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	2006-07	1000	दो/ तीन वर्ष	312	2.18
6.5(ii)	एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	2005-07	कोई सीमा नहीं	दो वर्ष	2289	9.96
6.5(iii)	स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	2005-07	3000	दो वर्ष	979	4.49
6.5(iv)	गेट/जीपीएटी अर्हता प्राप्त एम.ई./एम. टेक./एम.फार्मा छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	लंबे समय से	1500	दो/ तीन वर्ष	1125	21.01

6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां

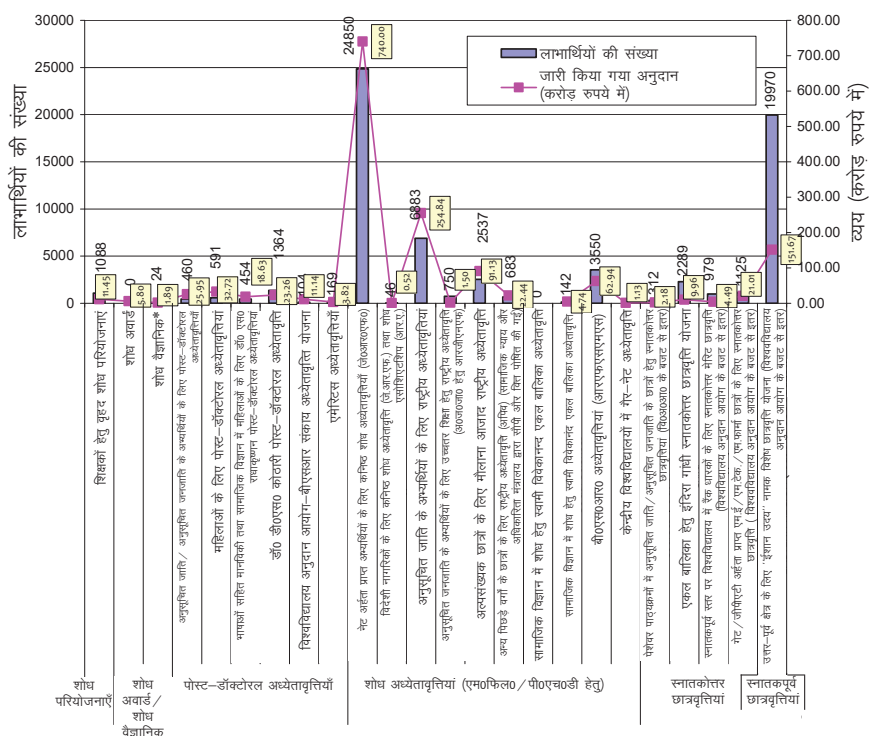
6.6(i)	'पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना' (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	2014-15	10000	स्नातकपूर्व स्तर की पूर्ण अवधि के लिए	19970	151.67

§ प्रति वर्ष स्लॉटों की संख्या

* योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बंद कर दिया गया है, केवल पुराने मामलों को ही वित्तपोषित किया जा रहा है। वर्तमान में, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थानों में 24 शोध वैज्ञानिक कार्यरत हैं।

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुदान का भुगतान किया जाता है।

रेखाचित्र 6.1 से 6.6: वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों की योजना-वार संख्या और किया गया व्यय (करोड़ रुपये में):



6.7 खेल पदक विजेताओं/ राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए निशुल्क शिक्षा

खेल पदक विजेताओं/ राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए निशुल्क शिक्षा योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत आरंभ किया गया है। योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों सहित पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत तथा राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं अथवा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस, अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति तथा एशिया ओलम्पिक समिति (ओसीए) द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों/ ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्र की पात्रता के अध्यधीन, प्रत्येक मामले में प्राप्त ब्योरे के आधार पर राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थानों को वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति की जाती है। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रारूप के अनुरूप विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित तथा सत्यापित संगत दस्तावेजों को जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के अंतर्गत 70 लाभार्थी हैं।

लाभार्थियों को भुगतान करने पर हुए व्यय का वर्षवार ब्योरा निम्नवत है:

वर्ष	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
2014-15	0.39
2015-16	0.45
2016-17	-
2017-18	0.13
2018-19	--

योजना के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

6.8 विभिन्न शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलापों हेतु शिक्षकों, विषय/विधा आधारित संघों को प्रोत्साहन देना।

योजना का उद्देश्य सामाजिक विज्ञान, मानविकी तथा भाषाओं में विशिष्ट क्रियाकलापों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विषय आधारित संघों को सहायता देना है ताकि शिक्षकों तथा शोधार्थियों को पत्र प्रस्तुत करने हेतु सम्मेलनों/ संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके जिससे पत्रों का प्रकाशन हो सके।

वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिपूर्ति की गई अनुदान की राशि

वर्ष	प्रस्तावों की संख्या	
	प्राप्त (विश्वविद्यालय)	अनुमोदित (विश्वविद्यालय)
2018-2019	5	शून्य*

*वर्ष 2018-19 के लिए योजना हेतु संशोधित दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

पांच प्रस्तावों को मूल्यांकन हेतु यात्रा अनुदान विशेषज्ञ समिति (टीजी) को भेजा जाता है।

6.9 विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूआईसीटी, मुंबई के पूर्व निदेशक, प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध को पुनर्जीवित करने के लिए एक कृतबल का गठन किया था। यूआईसीटी, मुंबई के पूर्व निदेशक, प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में मई, 2005 में कृतबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु प्रथम अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। समिति ने मार्च, 2014 तक लगभग 8 वर्ष तक की अवधि तक कार्य किया। तत्पश्चात्, कृतबल की सिफारिशों को लागू करने के लिए नवम्बर, 2014 में डॉ० अनिल सहस्रबुद्धि की अध्यक्षता में दूसरी अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया।

कृतबल की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकार प्राप्त समिति के मार्गदर्शन में निम्नवत योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

6.9 (i) फ़ैकल्टी रीचार्ज प्रोग्राम (एफआरपी)

‘ऑपरेशन फ़ैकल्टी रीचार्ज’ को वर्ष 2011 में आरंभ किया गया है जिसके तहत 1000 संकाय के पदों का सृजन किया गया है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक विज्ञापन द्वारा भरा गया। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जेएनयू में एक प्रकोष्ठ की भी स्थापना की जा चुकी है जिसमें प्रो० आर० पी० गांधी राष्ट्रीय समन्वयक तथा प्रो० सुदेश नागिया सहायक समन्वयक नियुक्त किये गये हैं। अब, एफआरपी प्रकोष्ठ को बीएसआर अनुभाग के साथ आमेलित कर दिया गया है। वर्तमान में, **373** संकाय अर्थात् आचार्य/सहायक आचार्य/सह आचार्यों का चयन किया जा चुका है जिसमें से **185** ने कार्यग्रहण कर लिया है।

संकायों अर्थात् आचार्य/ सहायक आचार्य/ सह-आचार्य की नियुक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष है जिसके पश्चात् सहकर्मि समीक्षा (पीयर-रीव्यू) की जायेगी। सिद्धांत रूप में “फ़ैकल्टी रीचार्ज” पदों को अधिवर्षिता की आयु (65 वर्ष) तक जारी रखा जा सकता है। पांच वर्ष के प्रत्येक कार्यकाल में मध्यावधि मूल्यांकन का उपबंध है।

वित्तीय सहायता: वेतन: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संकाय को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संकाय के समकक्ष परिलब्धियां प्राप्त होती हैं। **अतिरिक्त अनुदान:** संकाय पदधारियों को शोध हेतु 10.00 लाख रुपये तक का स्टार्ट-अप अनुदान प्राप्त होता है।

वर्ष अर्थात् 2018-19 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों से 160 चयनित संकायों को वेतन तथा 30 अभ्यर्थियों को स्टार्ट-अप अनुदान के लिए अब तक 13.32 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

आयोग ने दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को हुई बैठक में आधारभूत वैज्ञानिक शोध की योजना के तहत उत्तरव्यापी प्रभाव से एफआरपी को वापस लेने का संकल्प पारित किया।

6.9 (ii) नेटवर्किंग शोध केन्द्र: समर-विंटर स्कूल

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नेटवर्किंग शोध केन्द्र की स्थापना की गई:

1. समय-समय पर चर्चा, कार्यशाला तथा ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन विद्यालयों के माध्यम से संकाय तथा शोध विद्वानों का शोध प्रशिक्षण तथा कौशल विकास।
2. संकाय एवं विभागों को उनके शोध कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें परामर्श प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण।
3. महत्वपूर्ण प्रयोग करने के लिए अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से शोधकर्ताओं को आमंत्रित करना तथा उन्हें सुविधा प्रदान करना।
4. अन्य संस्थानों/शोधकर्ताओं को गुणवत्तायुक्त शोध सूचना उपलब्ध करवाने के लिए विभाग की सूचना संसाधन सुविधा में वृद्धि करना।
5. विभाग के भीतर अत्याधुनिक शोध अवसंरचना तथा अन्य शोध सुविधाओं में वृद्धि करना तथा उनका निर्माण करना।

बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत नेटवर्किंग शोध केन्द्रों की स्थापना के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निम्नवत 10 विभागों को अनुमोदित किया गया है :

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	विभाग	स्थापना का वर्ष
1.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	जीव विज्ञान	2008
2.	कोलकाता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स	2008
3.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	रसायन	2008
4.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु	पदार्थ अभियांत्रिकी	2008
5.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई	रसायन अभियांत्रिकी	2008
6.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु	जीव विज्ञान का एक भाग	2008
7.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	भेषज विज्ञान	2008
8.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	भौतिकी	2008
9.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	स्कूल ऑफ लाइफ साइंस	2008
10.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	भौतिकी	2014–2015

मूलभूत वैज्ञानिक शोध कार्यक्रम के तहत दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रथम चरण में 6 विश्वविद्यालयों में 10 नेटवर्किंग संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गई है। अधिकार प्राप्त समिति ने नेटवर्किंग संसाधन केन्द्रों द्वारा दिए गए प्रस्तावों/प्रस्तुतियों की संवीक्षा की है साथ ही प्रथम चरण के दौरान नेटवर्किंग संसाधन केन्द्रों के निष्पादन के आधार पर द्वितीय चरण के लिए 8 केन्द्रों को भी अनुमोदित किया।

केन्द्रों का नाम	द्वितीय चरण के लिए आबंटित अनुदान (करोड़ रुपये में)
मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु में जीव विज्ञान में वि0अ0आ0- एन0आर0सी0	10.00
हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद में रसायन विषय में वि0अ0आ0- एन0आर0सी0	10.00
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में भेषज विज्ञान में वि0अ0आ0- एन0आर0सी0	5.00
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में जीव विज्ञान में वि0अ0आ0- एन0आर0सी0	5.00
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु में जीव विज्ञान के विषय में वि0अ0आ0- एन0आर0सी0	10.00
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु में सामग्री विज्ञान विषय में वि0अ0आ0- एन0आर0सी0	10.00
कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में भैतिक विज्ञान (रेडियो भौतिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स) में वि0अ0आ0- एन0आर0सी0	10.00
रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई में रसायन विज्ञान में वि0अ0आ0- एन0आर0सी0	10.00

वर्ष 2018–19 के दौरान, अब तक उपयुक्त केन्द्रों के लिए 4.81 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

6.9 (iii) भर्ती हुए नये संकाय सदस्यों हेतु 'स्टार्ट-अप' अनुदान

इस योजना के तहत ऐसे सभी शिक्षक पात्र हैं, जो सहायक आचार्य के पद पर नये भर्ती हुए हों और जो पी0एच0डी0 उपाधि धारक हों तथा जिनके अनुमोदित/उद्धृत जर्नलों में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हों। विश्वविद्यालय की विनिर्दिष्ट

प्रक्रिया का पालन करते हुए मूलभूत विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संकायों में स्थायी पद के समक्ष विभाग/विश्वविद्यालयों में कार्यग्रहण करने की तिथि से छह माह के भीतर की अवधि के भीतर आवेदन करने वाले सहायक आचार्य, योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

- 1) इस योजना के तहत सहायता की सीमा 10 लाख रुपये है।
- 2) अनुदान का उपयोग छोटे सामान, उपभोज्य सामग्रियों को क्रय करने, आकस्मिकताओं (अधिकतम 50,000/- रुपये प्रतिवर्ष), क्षेत्र कार्य (अधिकतम 50,000/- प्रतिवर्ष), यात्रा आदि के लिए किया जा सकता है।
- 3) अनुदान का उपयोग अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने के लिए अथवा परियोजना सहायक या शोध अध्येता की नियुक्ति के लिए नहीं किया जा सकता है।
- 4) इन शीर्षों के तहत निधियों की प्रमात्रा के बारे में प्रधान अन्वेषक द्वारा उसकी आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के लिए 181 नव नियुक्त संकाय सदस्यों को 11.96 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.9(iv) बीएसआर कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को 'मिड करियर अवार्ड'

'मिड करियर अवार्ड' योजना के तहत, एक शिक्षक को शोध कार्य करने के लिए 10 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। अनुदान का उपयोग लघु उपकरणों, रसायनों, आकस्मिकताओं और क्षेत्र कार्यों के लिए किया जा सकता है।

शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान देने का उद्देश्य उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में शोध को जारी रखने में मदद देना है। न्यूनतम पात्रता मानदंड निम्नानुसार है :-

- क) आवेदक ने सफलतापूर्वक 15 पूर्णकालिक अभ्यर्थियों के 05 पीएचडी शोध ग्रंथों का पर्यवेक्षण किया हो। जिनमें से 5 अभ्यर्थियों को पिछले 5 वर्षों में अपनी उपाधि प्राप्त हुई हो।
- ख) आवेदक ने राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय सरकार या निजी एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित कम से कम 5 प्रायोजित शोध परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर किया हो।
- ग) आवेदक द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए।
- घ) आवेदक द्वारा प्रकाशित पत्रों का संचयी प्रभाव कारक ≥ 30 होना चाहिए (थॉमसन रायटर्स के जर्नल उद्धरण रिपोर्ट के अनुसार)।

विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में अपना शोध जारी रखने वाले 28 शिक्षकों को 2.09 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

► लिंग तथा सामाजिक समानता

- ❖ 7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास
- ❖ 7.2 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रों तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम
- ❖ 7.3 उच्चतर शिक्षा में सामाजिक श्रेणियों, अल्पसंख्यकों, शारीरिक रूप से निशक्त छात्रों और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व

7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास

महिला अध्ययन के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन हेतु केन्द्रों और प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है। केन्द्रों/ प्रकोष्ठों को लिंग समानता, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, बालिकाओं की शिक्षा, जनसंख्या से जुड़े मुद्दों, मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों, सामाजिक शोषण आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान, पाठ्यक्रम विकसित करने और प्रशिक्षण के आयोजन और विस्तार कार्य करना अपेक्षित होता है। इन क्रियाकलापों के माध्यम से न केवल सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन बल्कि शैक्षणिक विकास में भी योगदान देने की आशा की जाती है।

महिला अध्ययन केन्द्र हेतु दिशानिर्देश (डब्ल्यूएससी): इस सदी के शुरुआती वर्षों में महिला अध्ययन के उभरने वाले व्यापक संदर्भ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था। वर्ष 2017 में बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के समाप्त होने के पश्चात् मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महिला अध्ययन के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया था ताकि समानता को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य (यूएन-एसडीजी) के आलोक में महिला अध्ययन केन्द्रों को और सुदृढ़ किया जा सके।

इस पृष्ठभूमि में, निष्पक्ष मानदंडों के साथ दिशानिर्देशों को साथ विकसित किया गया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। महिला अध्ययन केन्द्र (डब्ल्यूएससी) के इन दिशानिर्देशों को मसौदा दिशानिर्देश माना जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनांक 05 अप्रैल, 2019 तक सभी हितधारकों से wscugc2019@gmail.com पर प्रतिक्रिया आमंत्रित करता है।

इस बात को दोहराया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, महिलाओं को समानता और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के निमित्त प्रतिबद्ध है। हितधारकों से प्राप्त हुई प्रतिक्रिया के आधार पर, दिशानिर्देशों को अंतिमरूप दिया जाएगा। अंतिमरूप दिए गए दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

वर्तमान में, विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 159 महिला अध्ययन केन्द्रों (डब्ल्यूएससी) को स्थापित किया गया है।

आयोग की दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात् ऐसे संस्थानों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा जिनकी समीक्षा रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

4. विश्वविद्यालय, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ पिछड़ा वर्ग के छात्रों/ शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए एक समिति का गठन करे।

7.2(घ) विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में शिक्षण से जुड़े शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्ति छात्र प्रवेश, छात्रावास में निवास करने वाले छात्रों के मामले में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण सीएमडब्ल्यूपी संख्या 43260 में दिनांक 07 अप्रैल, 2017 को दिए गए निर्णय जिसकी पुष्टि, उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी(सी) संख्या 16515/2017 में पारित दिनांक 21 जुलाई, 2017 के निर्णय में की गई, के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षण से संबंधित पदों पर आरक्षण के मामले में 10 निर्णयों में सभी पहलुओं से संबंधित मुद्दों की जांच की है और अपनी सिफारिशों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उसके विचारार्थ तथा उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए प्रस्तुत की है। यह मुद्दा मुख्यतः समग्र विश्वविद्यालय को आरक्षण की एक इकाई मानने की पद्धति से संबंधित है।

अंतर्मंत्रालयी समिति ने एकमत से यह सिफारिश की है कि (1) अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण के मामले में, सभी विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और अन्य अनुदान-सहायता प्राप्तकर्ता संस्थान तथा केन्द्र, एक रोस्टर प्रणाली तैयार करेंगे तथा यथा लागू सभी स्तरों के शिक्षकों हेतु विभाग/ विषय को एक इकाई मानेंगे (ii) विभाग/ विषय के भीतर प्रत्येक श्रेणी में पदों की कुल संख्या पर रोस्टर विभाग वार लागू होगा (उदाहरण के लिए आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य)।

मानव संसाधन विभाग मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 फरवरी, 2018 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 1-7/2017-सीयू.वी के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को तदनुसार जानकारी प्रदान करने और एक माह के भीतर नया रोस्टर तैयार करने के अनुरोध के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्ष 2006 के दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 05 मार्च, 2018 के पत्र संख्या एफ.1-5/2006 (एससीटी) के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों में अपने उपयुक्त निर्णय को परिचालित किया।

“विश्वविद्यालय को एक इकाई” से “विभाग को एक इकाई” में अंतरण के मामले से आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व बड़े पैमाने पर कम हो सकता है जैसा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी कल्याण संबंधी संसदीय समिति के माननीय सभापति महोदय द्वारा भी चर्चा की गई थी और मानव संसाधन विभाग मंत्रालय ने अंतर्मंत्रालयी समिति का गठन किया था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा मानव संसाधन विभाग मंत्रालय ने पृथक रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करने का निर्णय लिया। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा मानव संसाधन विभाग मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की। दिनांक 22 जनवरी को माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका खारिज की।

दिनांक 07 मार्च, 2019 के केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (शिक्षक के पदों पर आरक्षण) अध्यादेश को भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय तथा मानव संसाधन विभाग मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

मानव संसाधन विभाग मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेश के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 07 मार्च, 2019 के मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.38-II/2018-सीयू.वी के साथ-साथ केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (शिक्षक के पदों पर आरक्षण) अध्यादेश, 2019 के संबंध में दिनांक 07 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या 1013 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 07 मार्च, 2019 और दिनांक 08 मार्च, 2019 के पत्रांक संख्या एफ.1-5/2006 (एससीटी) के माध्यम से अग्रेषित किया, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

केन्द्र सरकार एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि किसी केन्द्रीय शिक्षा संस्थान में शिक्षक के संवर्ग में संस्वीकृत संख्या में सीधी भर्ती में पदों पर इस पद्धति से, निम्नवत सीमा के अनुसार आरक्षण होगा जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्थाप0 (आरईएस) में विनिर्दिष्ट है, नामतः

- (क) अनुसूचित जातियों के लिए पंद्रह प्रतिशत आरक्षण।
- (ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण।
- (ग) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण।

वर्ष 2018-19 के दौरान शिक्षण, शिक्षणेत्तर पदों, छात्र प्रवेश और छात्रावास में निवास करने वाले छात्रों के संबंध में 32 केन्द्रीय, 95 राज्य सार्वजनिक, 15 सम विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 ख के तहत) ने निम्नवत जानकारी प्रस्तुत की:

7.2(घ)(i) शिक्षण कर्मचारी

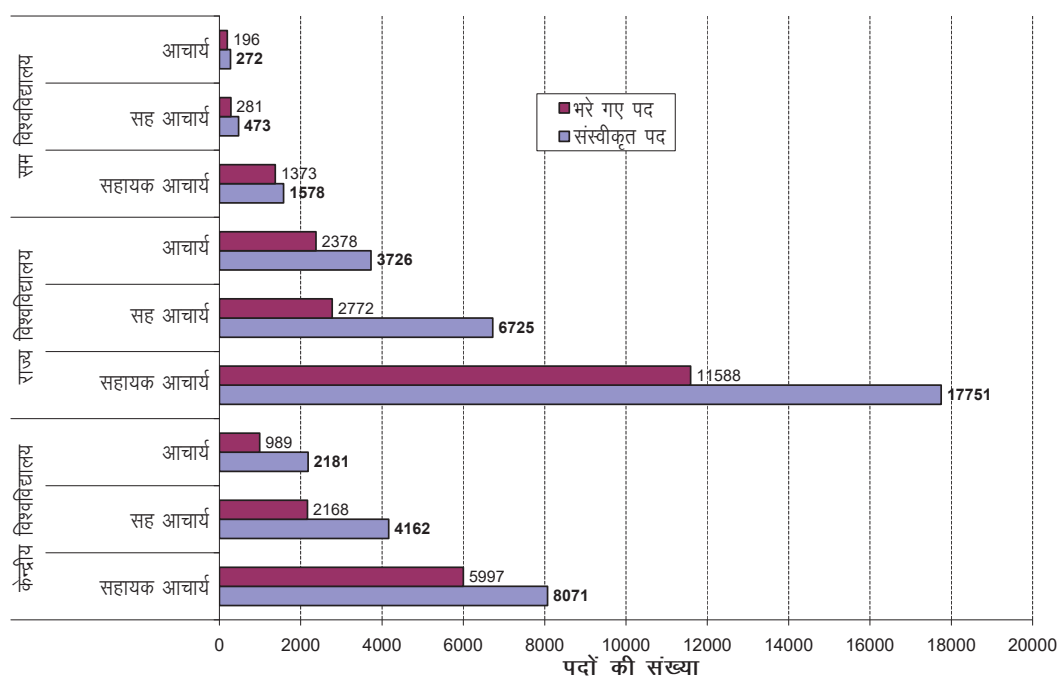
तालिका 7.2 (घ)(i): शिक्षण कर्मचारिवृद्धों (वर्ष 2018–19) का ब्योरा

पद का नाम	आंकड़े उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	पदों की संख्या संस्वीकृत	भरे गए पदों की श्रेणीवार स्थिति					*कुल पदों में से		
			सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय										
सहायक आचार्य	32	8071	4026	904	682	385	5997	102	1180	307
सह आचार्य	32	4162	2020	10	112	26	2168	13	333	52
आचार्य	32	2181	910	19	50	10	989	27	167	21
कुल	32	14414	6956	933	844	421	9154	142	1680	380
राज्य विश्वविद्यालय										
सहायक आचार्य	95	17751	6739	2581	1729	539	11588	154	606	267
सह आचार्य	95	6725	1712	596	379	85	2772	33	137	90
आचार्य	95	3726	1532	512	259	75	2378	7	54	69
कुल	95	28202	9983	3689	2367	699	16738	194	797	426
सम विश्वविद्यालय										
सहायक आचार्य	15	1578	920	287	133	33	1373	13	12	51
सह आचार्य	15	473	228	37	15	1	281	0	2	12
आचार्य	15	272	164	28	2	2	196	0	2	7
कुल	15	2323	1312	352	150	36	1850	13	16	70

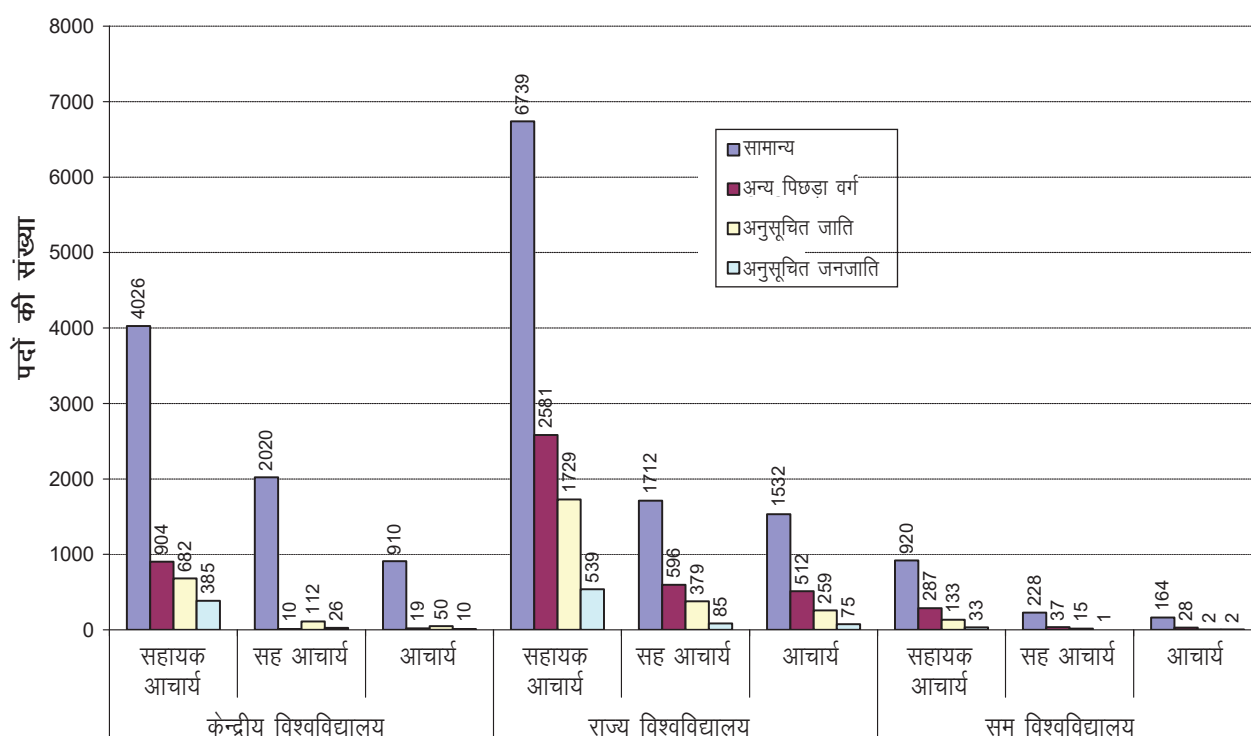
नोट: *विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

**32 केन्द्रीय, 95 राज्य सार्वजनिक, 15 सम विश्वविद्यालयों (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 ख के तहत) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

रेखाचित्र 7.2(घ)(i): वर्ष 2018–19 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालयों में संस्वीकृत किए गए** और भरे गए* शिक्षण पदों की स्तर वार संख्या



रेखाचित्र 7.2 (घ) (i) (क): वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों में भरे गए शिक्षण पदों का श्रेणीवार संवितरण

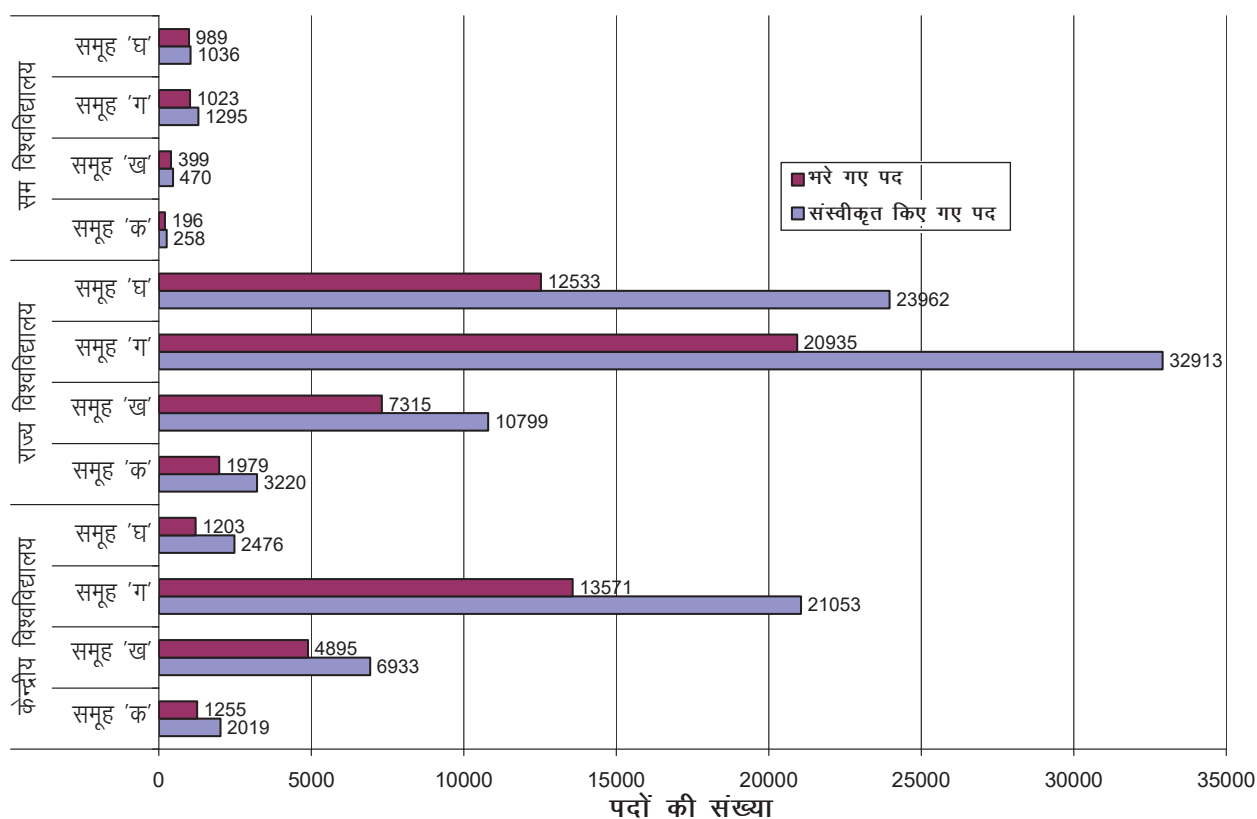


7.2(घ)(ii) शिक्षणोत्तर कर्मचारी

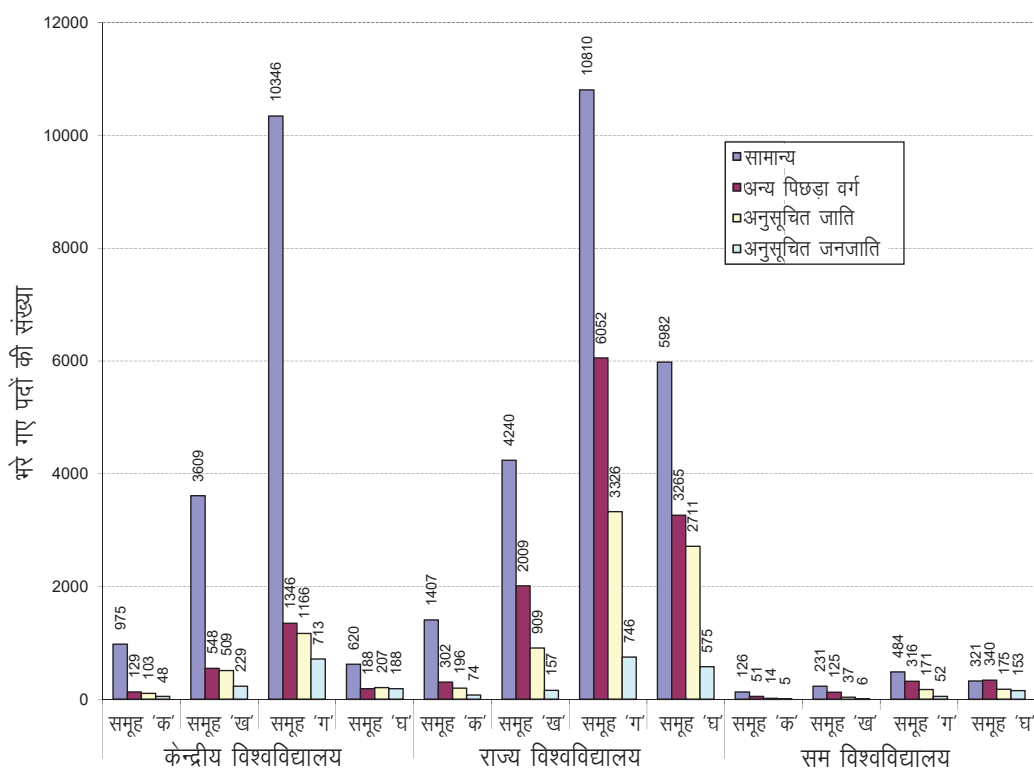
तालिका 7.2(घ)(ii) : शिक्षणोत्तर कर्मचारियों (वर्ष 2018-19) का ब्योरा

पद का नाम	आंकड़े उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	पदों की संख्या	भरे गए पदों की श्रेणीवार स्थिति					*कुल पदों में से		
		संस्वीकृत	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय										
समूह 'क'	32	2019	975	129	103	48	1255	23	189	81
समूह 'ख'	32	6933	3609	548	509	229	4895	42	805	286
समूह 'ग'	32	21053	10346	1346	1166	713	13571	203	4597	897
समूह 'घ'	32	2476	620	188	207	188	1203	13	27	218
कुल	32	32481	15550	2211	1985	1178	20924	281	5618	1482
राज्य विश्वविद्यालय										
समूह 'क'	93	3220	1407	302	196	74	1979	15	74	44
समूह 'ख'	93	10799	4240	2009	909	157	7315	148	451	347
समूह 'ग'	93	32913	10810	6052	3326	746	20935	417	1169	536
समूह 'घ'	93	23962	5982	3265	2711	575	12533	172	596	254
कुल	93	70894	22439	11628	7142	1552	42762	752	2290	1181
सम विश्वविद्यालय										
समूह 'क'	17	258	126	51	14	5	196	0	1	8
समूह 'ख'	17	470	231	125	37	6	399	0	0	2
समूह 'ग'	17	1295	484	316	171	52	1023	19	8	21
समूह 'घ'	17	1036	321	340	175	153	989	2	1	1
कुल	17	3059	1162	832	397	216	2607	21	10	32

रेखाचित्र 7.2 (घ) (ii) : वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों में संस्वीकृत और भरे गए शिक्षणोत्तर पदों की स्तरवार स्थिति



रेखाचित्र 7.2 (घ) (ii) (क): वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों में शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृद्धों का श्रेणीवार संवितरण



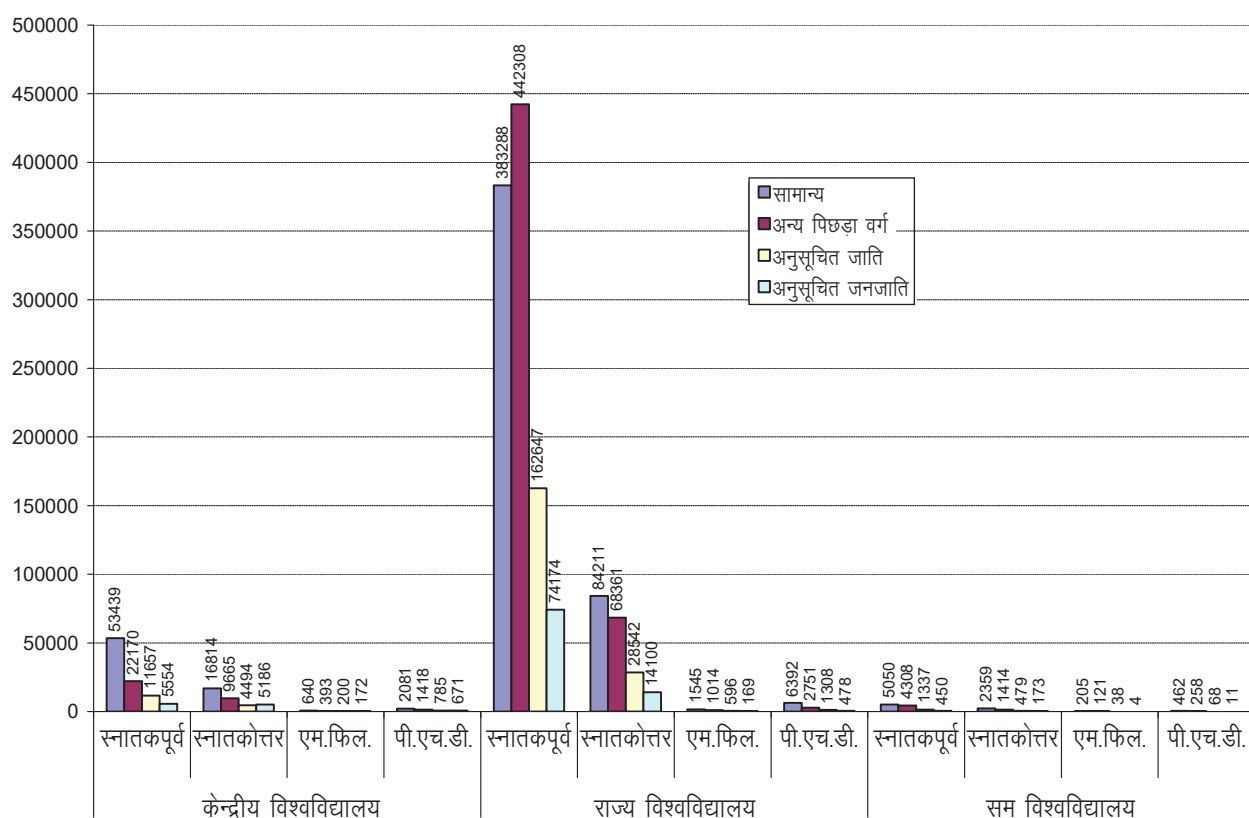
7.2 (घ)(iii) छात्र प्रवेश

तालिका 7.2(घ)(iii) : शिक्षा सत्र वर्ष 2018-19 के दौरान सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्र (प्रवेश का प्रथम वर्ष)

विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम	आंकड़े उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रवेश पाने वाले छात्रों की श्रेणीवार स्थिति					*कुल पदों में से		
		सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय									
स्नातकपूर्व	31	53439	22170	11657	5554	92820	1122	5132	2365
स्नातकोत्तर	31	16814	9665	4494	5186	36159	547	4299	2827
एम.फिल.	31	640	393	200	172	1405	30	49	82
पी.एच.डी.	31	2081	1418	785	671	4955	45	199	320
राज्य विश्वविद्यालय									
स्नातकपूर्व	94	383288	442308	162647	74174	1062417	1918	53982	22454
स्नातकोत्तर	94	84211	68361	28542	14100	195214	714	7529	4964
एम.फिल.	94	1545	1014	596	169	3324	27	144	66
पी.एच.डी.	94	6392	2751	1308	478	10929	40	344	173
सम विश्वविद्यालय									
स्नातकपूर्व	15	5050	4308	1337	450	11145	62	297	1044
स्नातकोत्तर	15	2359	1414	479	173	4425	16	83	643
एम.फिल.	15	205	121	38	4	368	3	11	21
पी.एच.डी.	15	462	258	68	11	799	3	16	74

नोट : विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया डेटा

रेखाचित्र 7.2(घ)(iii) : वर्ष 2018-19 के दौरान श्रेणी वार प्रवेश पाने वाले छात्र (प्रवेश का प्रथम वर्ष)

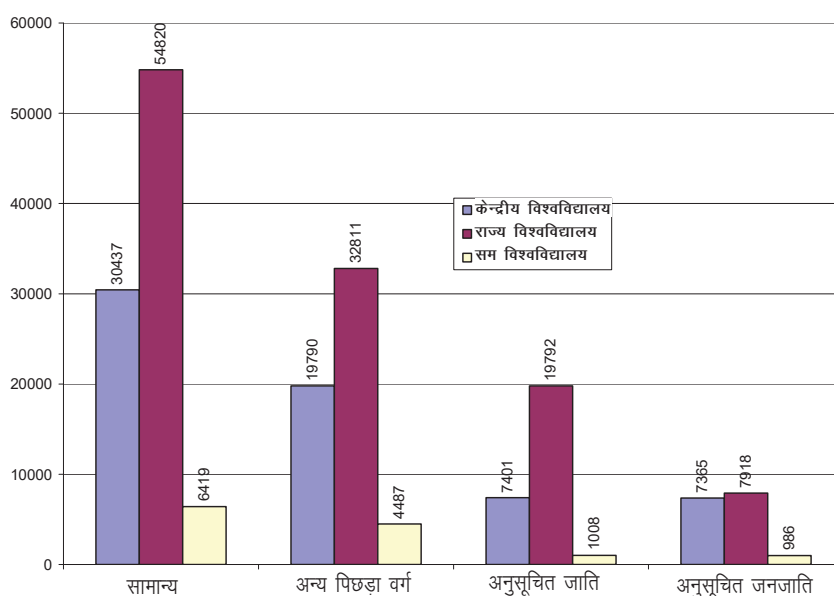


तालिका 7.2 (घ) (iv) : छात्रावासों में निवास करने वाले छात्र

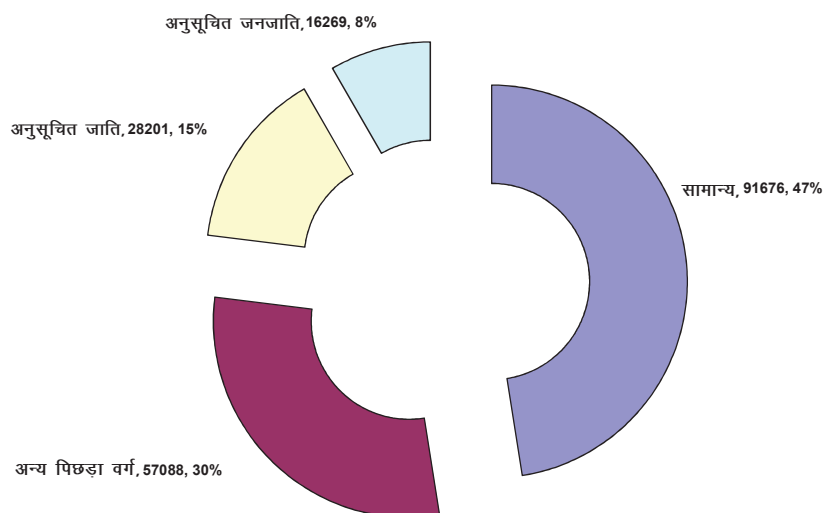
तालिका 7.2 (घ) (iv) : छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों का ब्योरा (वर्ष 2018-19)

आंकड़े उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	छात्रावासों की संख्या	कुल प्रवेश क्षमता	छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों की संख्या					*कुल पदों में से		
			सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय										
30	375	65490	30437	19790	7401	7365	64993	1103	14264	2720
राज्य विश्वविद्यालय										
85	468	118922	54820	32811	19792	7918	115341	665	5160	1800
सम विश्वविद्यालय										
14	46	12534	6419	4487	1008	986	12900	47	101	107

तालिका 7.2(घ)(iv) : वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों : राज्य विश्वविद्यालयों : सम विश्वविद्यालयों में छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों की श्रेणीवार संख्या



तालिका 7.2(घ)(iv)(क) : वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों का श्रेणीवार सवितरण



7.2 (ड) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/ अल्पसंख्यकों हेतु अनुशिक्षण योजनाएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में विशेष अनुशिक्षण योजनाओं के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों के लिए सामाजिक समानता तथा सामाजिक आर्थिक उत्थान की दिशा में योगदान दे रहा है।

7.2 (ड) (i) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण योजनाएं

आयोग ने वर्ष 1994 में स्नातकपूर्व (यूजी)/स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रों के लाभ हेतु उपचारी अनुशिक्षण का आयोजन किया था ताकि विभिन्न विषयों में उनके ज्ञान, शैक्षणिक कौशल तथा भाषायी प्रवीणता में सुधार किया जा सके तथा उसे सुदृढ़ बनाया जा सके तथा परीक्षा में समग्र निष्पादन में सुधार किया जा सके।

वर्ष 2018-19 के दौरान पांच केन्द्रों को 6.13 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

7.2 (ड)(ii) : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट/ सेट हेतु अनुशिक्षण

आयोग ने वर्ष 2004-05 में नेट/ सेट हेतु अनुशिक्षण आरंभ किया था ताकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा राज्य पात्रता परीक्षा (सेट), जोकि किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में व्याख्याता बनने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, हेतु प्रशिक्षण दिया जा सके।

7.2 (ड)(iii) : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं

‘क’, ‘ख’, और ‘ग’ समूह की केन्द्रीय सेवाओं सहित भारतीय और राज्य प्रांतीय सेवाओं अथवा निजी क्षेत्र में समकक्ष स्तर का लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आयोग ने वर्ष 2004-05 में अनुशिक्षण की योजना आरंभ की थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान पांच केन्द्रों को 10.14 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

7.2 (च) विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना: महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से समान अवसर प्रकोष्ठ, इन समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान पांच केन्द्रों को 0.88 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

7.2 (छ) : सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक बहिष्करण के मुद्दे पर शोध को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न विश्वविद्यालयों में 33 केन्द्रों की स्थापना की है। वर्ष 2018-19 के दौरान पांच केन्द्रों को 7.25 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

7.2 (ज) : निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और निशक्त व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज को अतिनिहित रूप से अधिदेशित करता है। हाल के वर्षों में, निशक्त व्यक्तियों के प्रति समाज की धारणा में व्यापक और सकारात्मक बदलाव हुए हैं। यह महसूस किया गया है कि अधिकांश निशक्त व्यक्ति, यदि उनके पास समान अवसर हों और पुनर्वास के उपायों तक प्रभावी पहुंच हो तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवनयापन कर सकते हैं।

निशक्त व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 इंगित करता है कि निशक्त व्यक्तियों की शिक्षा के प्रत्येक स्तर तक पहुंच होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, देश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है और निशक्त व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें विशेष शिक्षा क्रियाकलापों में शामिल कर रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर समस्त विश्वविद्यालयों और सम-विश्वविद्यालयों को समस्त नीति-विषयक निर्णयों से अवगत कराया जाता रहा है जिनमें कि निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए दाखिले एवं रोजगार के संबंध में भारत सरकार द्वारा विहित आरक्षण नीतियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस विषय में आयोग के स्तर पर जो भी निर्णय लिए गए हैं तथा जो

उद्देश्य— विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने (टीईपीएसई) की योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों को विशेष शिक्षा में एम.एड. पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु प्रोत्साहित करना है ताकि विशेष शिक्षा में शिक्षकों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षक-शिक्षाविदों को तैयार किया जा सके।

7.2 (ज)(iii) : दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता

उद्देश्य— योजना को दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को रीडर तथा शिक्षण और अधिगम उपकरणों की सहायता से तथा ब्रेल पुस्तकें, रिकार्ड की हुई सामग्री आदि के क्रय हेतु रीडर भत्ते तथा निधियां उपलब्ध करवा कर शिक्षण तथा शोध कार्य जारी रखने के लिए तैयार करना तथा ऐसे दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को शिक्षण, ज्ञान अर्जन तथा शोध हेतु विभिन्न सहायक उपकरणों का उपयोग कर आत्म निर्भर बनने में सहायता प्रदान करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना है।

पात्रता—योजना के तहत वित्तीय सहायता ऐसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए उपलब्ध है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत आते हैं और धारा 12बी के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हैं।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा 36,000/- रुपये प्रतिवर्ष है।

7.3 उच्चतर शिक्षा में सामाजिक श्रेणियों, अल्पसंख्यकों, शारीरिक रूप से निशक्त छात्रों और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व

7.3(क) देश में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 18 से 23 आयु वर्ग के लिए **परिकलित अनुमानिक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) (वर्ष 2018-19)** दर 26.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों के लिए यह 23.0 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह 17.2 प्रतिशत है। वर्ष 2013-14 से उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सभी श्रेणियों के लिए सकल नामांकन अनुपात नीचे दिया गया है:-

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात (18 से 23 वर्ष) (वर्ष 2018-19)

वर्ष	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जाति के छात्र			अनुसूचित जनजाति के छात्र		
	दोनों	पुरुष	महिला	दोनों	पुरुष	महिला	दोनों	पुरुष	महिला
2013-14	23.0	23.9	22.0	17.1	17.7	16.4	11.3	12.5	10.2
2014-15	24.3	25.3	23.2	19.1	20.0	18.2	13.7	15.2	12.3
2015-16	24.5	25.4	23.5	19.9	20.8	19.0	14.2	15.6	12.9
2016-17	25.2	26.0	24.5	21.1	21.8	20.2	15.4	16.7	14.2
2017-18	25.8	26.3	25.4	21.8	22.2	21.4	15.9	17.0	14.9
2018-19	26.3	26.3	26.4	23.0	22.7	23.3	17.2	17.9	16.5

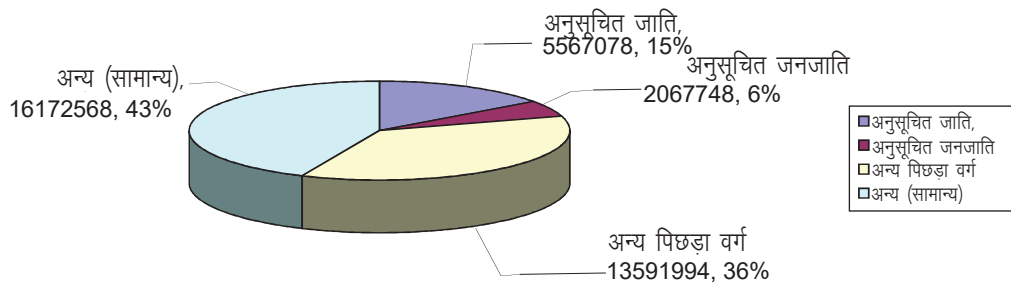
7.3(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सभी श्रेणियों के लिए **लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई)**, यह पाया गया है कि सभी श्रेणियों के लिए उच्चतर शिक्षा में महिला भागीदारी, प्रति 100 पुरुषों पर 100 महिलाएं हैं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह प्रति 100 पुरुषों पर क्रमशः 102 तथा 92 है। (स्रोत: वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई रिपोर्ट)

7.3(ग) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक श्रेणी वार छात्र नामांकन: (वर्ष 2018-19)

तालिका 7.3 (ग) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक श्रेणी वार छात्र नामांकन: (वर्ष 2018-19)

श्रेणी	छात्रों की संख्या		
	पुरुष	महिला	कुल
अनुसूचित जाति	2835663	2731415	5567078
अनुसूचित जनजाति	1052121	1015627	2067748
अन्य पिछड़ा वर्ग	6909174	6682820	13591994
अन्य (सामान्य)	8412930	7759638	16172568
कुल	19209888	18189500	37399388

रेखाचित्र 7.3(ग) वर्ष 2018-19 के दौरान सामाजिक श्रेणी वार छात्र नामांकन



7.3 (घ) : उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रों, निशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) छात्रों प्रतिनिधित्व—(वर्ष 2018–19)

तालिका 7.3(घ) शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति और अल्पसंख्यक श्रेणी में छात्र नामांकन

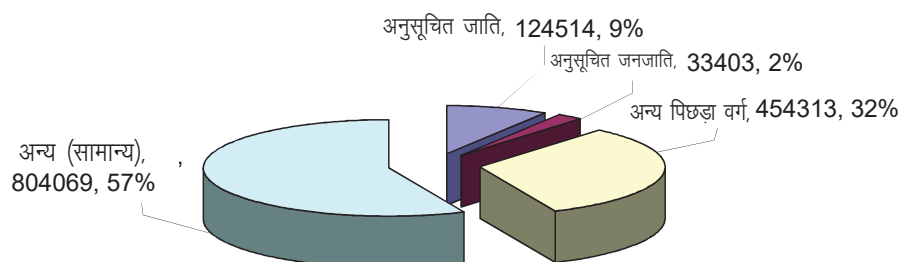
श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति	48212	37665	85877
मुस्लिम	993396	965608	1959004
अन्य अल्पसंख्यक समुदाय	397146	470954	868100

7.3 (ङ) : उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक श्रेणीवार शिक्षण कर्मचारिवृंद: (वर्ष 2018-19)

तालिका 7.3 (ङ) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में शिक्षकों की संख्या (वर्ष 2018-19)

श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
अनुसूचित जाति	79358	45156	124514
अनुसूचित जनजाति	19829	13574	33403
अन्य पिछड़ा वर्ग	270168	184145	454313
अन्य (सामान्य)	449928	354141	804069
कुल	819283	597016	1416299

रेखाचित्र 7.4 (ड): उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में शिक्षकों की संख्या (वर्ष 2018-19)



7.3 (च) : शिक्षण कर्मचारिवृंदों में अल्पसंख्यकों, निशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) का प्रतिनिधित्व— (वर्ष 2018-19)

तालिका 7.3 (घ) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों और निशक्त व्यक्तियों के शिक्षकों की संख्या

श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति	3268	1220	4488
मुस्लिम	49164	27803	76967
अन्य अल्पसंख्यक समुदाय	52071	78368	130439

► प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा

- ❖ 8.1 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र
- ❖ 8.2 भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतक

8.1 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र

आयोग ने वर्ष 1963 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रमों को आरंभ किया। पिछले पांच दशकों में यह अपनी विशेषताओं तथा सीमाओं के साथ उभरा कर आगे आया है। यह केन्द्र निम्नवत मुख्य उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं :

- क. क्षेत्रों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत विशिष्टियों के संपूर्ण बोध को बढ़ावा देना;
- ख. उपनिवेशवाद के बाद के समाज के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र अध्ययनों के वैकल्पिक प्रतिमानों को बढ़ावा देना;
- ग. क्षेत्र और अन्य मुद्दों के संबंध में भारतीय परिप्रेक्ष्य में योगदान देना;
- घ. विशेषरूप से देश के आर्थिक, रणनीतिक तथा राजनीतिक हितों में नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराना;
- ङ. विश्व के क्षेत्रों के ज्ञान को बौद्धिक विधाओं का मुख्य अंग बनाना;
- च. अंतर्क्षेत्रीय तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए शोध करना।

उपयुक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2018–19 के दौरान, 35 केन्द्र कार्य कर रहे हैं तथा क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के तहत 8 केन्द्रों को 79.14 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

8.2 भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतक

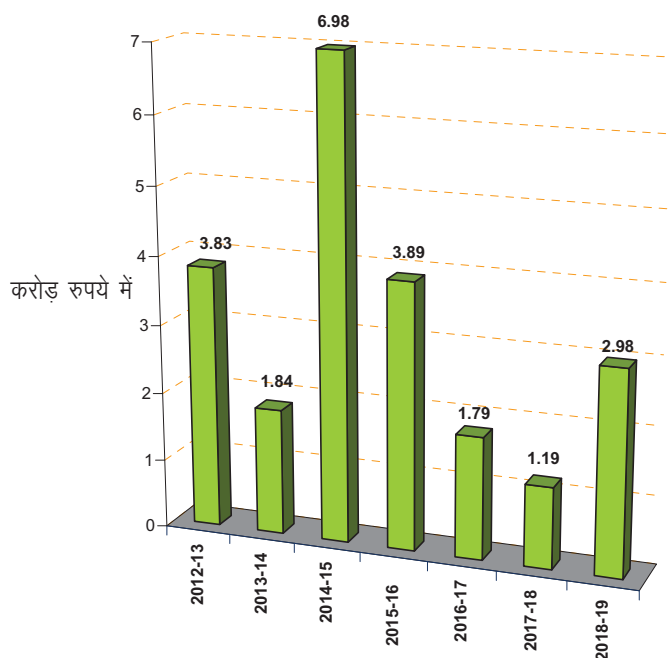
भारत में अनेक बुद्धिजीवी और महान नेता हुए हैं जिन्होंने अपने क्रान्तिकारी और उत्कृष्ट विचारों और कार्यों से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने नवीन विचार विकसित किये तथा भारत को सांस्कृतिक तथा सदाचारी देश की पहचान प्रदान की है। शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनके विचारों और कार्यों और अध्ययन शोध और क्षेत्र आधारित विस्तार सेवा कार्यक्रमों के सृजनात्मक कार्यों से परिचित कराने की आवश्यकता है। भारत के युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतक (विशेष अध्ययन) योजना को वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था।

‘भारत के युगप्रवर्तक सामाजिक चिंतकों’ संबंधी योजना के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में 394 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई है।

तालिका 8.2(i) : वर्ष 2012-13 से 2018-19 के दौरान वर्षवार भुगतान किए गए अनुदान (करोड़ रुपये में) का ब्योरा

2012-13	3.83 करोड़ रुपये
2013-14	1.84 करोड़ रुपये
2014-15	6.98 करोड़ रुपये
2015-16	3.89 करोड़ रुपये
2016-17	1.79 करोड़ रुपये
2017-18	1.19 करोड़ रुपये
2018-19	2.81 करोड़ रुपये

रेखाचित्र 8.2 (i) : वर्ष 2012-13 से 2018-19 के दौरान भारत के युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतक' संबंधी योजना के अंतर्गत वर्षवार जारी किए गए अनुदान (करोड़ रुपये में)



► शिक्षण और ज्ञान अर्जन हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का समेकन

- ❖ 9.1 ई-गवर्नेंस/ई-कार्यालय
- ❖ 9.2 ई-विषयवस्तु/एमओओसी
- ❖ 9.3 राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी)
- ❖ 9.4 शिक्षा में वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम (एआरपीआईटी)

9.1 : ई-गवर्नेंस / ई-कार्यालय

अपनी कार्य संबंधी दक्षता को विकेन्द्रीकृत करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ई-कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों के लिए एनआईसी मेल, छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य योजनाओं के लिए वेब-आधारित आवेदन प्रपत्रों के माध्यम से ई-गवर्नेंस को लागू कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई वेबसाइट भी दिसंबर, 2017 में उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ पहुंच और जानकारी के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल संबंधी अनेक विशेषताओं, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है, के साथ आरंभ की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ई-गवर्नेंस के माध्यम से 'पेपरलेस ऑफिस' की अवधारणा की ओर अग्रसर हो रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ई-गवर्नेंस की पहल, चुनौतियों और भविष्य के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया।

दिनांक 26 फरवरी, 2019 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (इन्फिलबनेट) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए ई-गवर्नेंस के विकास और प्रबंधन के संबंध में अपनी 539वीं बैठक में आयोग के निर्णय, को इन्फिलबनेट के निदेशक को दिनांक 07 मार्च, 2019 के पत्रांक के माध्यम से सूचित किया गया था जिसमें जनशक्ति को प्रशिक्षण दिए जाने के साथ-साथ इन्फिलबनेट के प्रस्ताव में यथा उल्लिखित विनिर्धारित समय के भीतर कार्य को पूरा करने के अनुरोध किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक नया ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ई-गवर्नेंस की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य अंतिम उपयोगकर्ताओं/हितधारकों के साथ विभिन्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करना है। साथ ही, हितधारक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेब पोर्टलों के माध्यम से विश्वविद्यालय की रिपोर्टें, योजनाओं के लिए प्रस्ताव, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति/नौकरी आदि के लिए आवेदन करने सहित अपनी विभिन्न जानकारी प्रस्तुत/अपलोड कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट को नियमित आधार पर अद्यतन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट का हिंदी संस्करण ऑनलाइन कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के छात्र शिकायत पोर्टल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और अपने संस्थानों से संबंधित सभी लंबित शिकायतों का समाधान करने के अनुरोध के साथ सभी विश्वविद्यालयों को अनुस्मारक भेजा जा रहा है। यह अनुभाग, एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने के प्रावधान के साथ, विभिन्न पोर्टलों के कार्य की देखरेख कर रहा है, जो निम्नानुसार है:

विश्वविद्यालय क्रियाकलाप निगरानी पोर्टल (यूएएमपी): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विश्वविद्यालय क्रियाकलाप निगरानी पोर्टल समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की जाने वाली घटनाओं/क्रियाकलापों के लिए 'वन प्वाइंट स्टॉप' के रूप में कार्य कर रहा है। यह पोर्टल विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों का विवरण अपलोड करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि वे इस पोर्टल पर उसी 'यूजर आईडी' और 'पासवर्ड'

के साथ लॉगिन करें, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय के पोर्टल के लिए प्रदान किया है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय नियमित रूप से इस पोर्टल पर अपने संपर्क संबंधी विवरण अद्यतन कर सकते हैं। वर्ष 2018-19 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से ऑनलाइन जानकारी एकत्रित की:

(i) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 (ii) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती (iii) स्वच्छता ही सेवा (iv) दिनांक 29 सितंबर, 2018 को 'सर्जिकल स्ट्राइक- डे' का आयोजन (v) राष्ट्रीय एकता दिवस (नेशनल यूनिटी डे) (vi) सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2018 को मनाया जाना और (vii) परीक्षा पर चर्चा 2.0 (viii) शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा संचालित क्रियाकलापों के चित्र और वीडियो सहित ऑनलाइन जानकारी के साथ-साथ प्रतिभागियों की संख्या के साथ क्रियाकलापों का ब्योरा।

स्वायत्त महाविद्यालयों का पोर्टल: स्वायत्त महाविद्यालयों का दर्जा प्रदान करने के लिए पात्र महाविद्यालयों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए स्वायत्त महाविद्यालयों के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है।

सम विश्वविद्यालयों का पोर्टल: सम विश्वविद्यालयों का दर्जा देने प्रदान करने के लिए संस्थानों से प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने हेतु कार्य शुरू कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- पहुंच/ हितधारक: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का 'मास्टर डॉटावेस' तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों के बीच सम्प्रेषण (मेल/ एसएमएस के माध्यम से) की पद्धति के रूप में आरंभ किया जाएगा।

केंद्रीय विश्वविद्यालय पोर्टल: केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नियोजन, वित्तपोषण और समन्वित विकास के लिए एकीकृत पोर्टल।

ई-स्कालरशिप- फ़ैलोशिप अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रेकिंग सिस्टम (ई-एसएआरटीएस): वर्ष 2018-19 के दौरान छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन निम्नानुसार आमंत्रित किए गए थे:

1. सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति।
2. एकल बालिका के लिए स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी छात्रवृत्तियां।
3. विश्वविद्यालय रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्तियां।
4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां।
5. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" योजना।

अध्येतावृत्ति:

1. अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
2. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

9.2 ई-विषयवस्तु

9.2 (क) स्नातकोत्तर विषयों के लिए ई-विषयवस्तु पाठ्यसामग्री तैयार करना

ई-स्नातकोत्तर पाठशाला : सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमई-आईसीटी) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीआई के रूप में सामाजिक विज्ञान, कला, ललितकला, नैसर्गिक तथा गणित विज्ञान, भाषा विज्ञान तथा भाषा की सभी विधाओं में अलग-अलग विषयों में उच्च गुणवत्तायुक्त, पाठ्यचर्या आधारित और परस्पर प्रभावशील विषयवस्तु विकसित करने के लिए स्नातकोत्तर विषयों में ई-पाठ्यक्रम को तैयार किया है। ई-पाठशाला हेतु अधिगम प्रबंधन प्रणाली (<http://epgp.inflibnet.ac.in/>) पर उपलब्ध है तथा मुक्त पहुंच हेतु उपलब्ध है तथा इन्फ्लबनेट सर्वर पर होस्ट की गई है। अब तक विकसित की गई ई-विषयवस्तु की स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	पीआई/ विषयवस्तु का ब्योरा	संख्या
1	विषयों की संख्या जिनमें ई-विषयवस्तु का विकास किया गया है।	70
2	पत्रों (पाठ्यक्रम) की संख्या जिनके लिए विषयवस्तु का विकास किया जा रहा है	778
3	सर्वर पर अपलोड की गई स्टैटिक विषयवस्तु की संख्या	23425
4	अपलोड की गई वीडियो/ स्व-शिक्षण सामग्रियों की संख्या	23953
5	शैक्षिक विशेषज्ञों की संख्या	5000 से अधिक

ई-विषयवस्तु मुक्त पहुंच के लिए उपलब्ध है तथा इस तक विश्वभर से पहुंच बनाई जा सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय विजिटर्स सहित ईपीजी पाठशाला वेबसाइट पर विजिटर्स की कुल संख्या 51 लाख है:- भारत, अमेरिका से 239507 से अधिक विजिटर्स, ब्राजील से 8246 से अधिक विजिटर्स, चीन से 28423 से अधिक विजिटर्स, कनाडा से 4624 से अधिक विजिटर्स, आस्ट्रेलिया से 8959 से अधिक विजिटर्स, तथा अर्जेन्टाईना से 1790 से अधिक विजिटर्स।

वर्ष 2018-19 के दौरान परियोजना (इन्फ्लिबनेट ई-विषयवस्तु) पर कुल 5,71,98,906.40 रुपये (पांच करोड़ सत्तर इकहत्तर लाख अठ्ठानवें हजार नौ सौ छह रुपये और चालीस पैसे) की लागत आई।

9.2 (ख) 'स्वयं प्लेटफार्म' के लिए वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम:- (www.swayam.gov.in)

सरकार ने स्वयं पोर्टल भी आरंभ किया है जोकि संचार और सूचना प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का उपयोग कर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक समेकित प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से, किसी भी छात्र के लिए देश में सर्वोत्तम शिक्षकों द्वारा पेशकश किए गए 'वर्चुअल' पाठ्यक्रमों में शामिल होना संभव होगा जिसमें वह शिक्षक से बातचीत कर सकता है, परीक्षा दे सकता है, शैक्षिक क्रेडिट अर्जित कर सकता है तथा उन्हें अपने शैक्षिक रिकार्ड में अंतरित कर सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गैर-प्रौद्योगिकीय, स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय समन्वयक है।

जुलाई, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक स्वयं प्लेटफार्म पर विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा 47 पाठ्यक्रमों की पेशकश की गई है जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में क्रेडिट को ले जाने की व्यवस्था है। जनवरी से मार्च, 2019 के सत्र के लिए 58 पाठ्यक्रमों को पेशकश करने हेतु अंतिमरूप दिया गया है।

मार्च, 2019 स्वयं प्लेटफार्म के माध्यम से पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट अंतरण को स्वीकार करने के लिए बानवे (92) विश्वविद्यालयों एक साथ आए हैं।

1. जुलाई से दिसंबर 2018 के सत्र में स्वयं प्लेटफार्म पर राष्ट्रीय एमओओसी पाठ्यक्रम में 47 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गैर-प्रौद्योगिकीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में **40,311** शिक्षार्थियों ने नामांकन किया है।
 - o दिनांक 01 दिसंबर और 02 दिसंबर, 2018 को एनटीए द्वारा 08 पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी, 412 शिक्षार्थी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे।
 - o विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो द्वारा दिनांक 19 और 20 जनवरी, 2019 को शेष एमओओसी के पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'पेन और पेपर' परीक्षा आयोजित की गई थी। 33 पाठ्यक्रमों में 1436 शिक्षार्थी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए।
 - o विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एमओओसी के लिए 1848 प्रमाणपत्र और ट्रांस्क्रिप्ट जारी किए गए हैं।
2. जनवरी से मई, 2019 से आरंभ होने वाले सत्र के लिए 58 पाठ्यक्रमों की पेशकश की जानी है।
3. नए एमओओसी पाठ्यक्रमों का विकास करने के लिए एमओओसी संबंधी अकादमिक परिषद ने 48 नए प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित 10 क्षेत्रीय भाषाओं में तीन 30 सेकंड के रेडियो स्पॉट और तीन टीवीसी तैयार किए हैं:- बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, गुजराती कन्नड़, मलयालम, ओडिया, असमिया और अंग्रेजी तथा हिंदी।
5. 04 जुलाई, 2018 से 02 अगस्त, 2018 से 30 दिनों की अवधि के लिए देशभर में सभी एफएम चैनल में 10 क्षेत्रीय भाषाओं का प्रसारण किया गया है।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'स्वयं पहल' पर 3 अलग-अलग पोस्टर भी तैयार किए हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय कैम्पसों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करके 'स्वयं पहल' को बढ़ावा देने के लिए सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में भेजा गया था।
7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध किया कि वे अपने संबंधित उच्चतर शिक्षा संस्थान में स्वयं हेतु एकल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए क्रमशः स्वयं समन्वयकों तथा परामर्शदाताओं की पहचान करने का अनुरोध किया।

8. लगभग 140 स्वयं समन्वयक और लगभग 1000 से अधिक स्वयं परामर्शदाताओं की विश्वविद्यालयों द्वारा पहचान की गई है।
9. ट्विटर जैसे सोशल मीडिया का उपयोग नियमित रूप से स्वयं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है।
10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एमओओसी को अंगीकार करने, तैयार करने और उसके संवर्धन के लिए दो क्षेत्रीय कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इस तरह की पहली कार्यशाला दिनांक 31 अगस्त, 2018 को मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद में आयोजित की गई थी जिसमें कुल 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें कुलपति, प्रधानाचार्य, 'स्वयं' समन्वयक और 'स्वयं' परामर्शदाताओं और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और दमन और दीव के राज्य परिषदों से प्रतिनिधि शामिल थे।
11. दूसरी कार्यशाला दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 को गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर में आयोजित की गई थी, जिसमें 455 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें गुजरात राज्य, महाराष्ट्र, गोवा और दमन और दीव के कुलपति, प्रधानाचार्य, 'स्वयं' समन्वयक और 'स्वयं' परामर्शदाता शामिल थे।
12. 'स्वयं' प्लेटफॉर्म के लिए नए एमओओसी को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रमों की क्षमता विकास करने के लिए आईआईएम बंगलुरु में दिनांक 15 से 16 अक्टूबर, 2018 को दो दिवसीय एमओओसी विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

वर्ष 2018-19 के दौरान परियोजना ('स्वयं' हेतु एमओओसी) पर कुल 5,89,88,176.20 रुपये (पांच करोड़ नवासी लाख अट्ठासी हजार एक सौ छिहत्तर रुपये) की लागत का व्यय हुआ।

9.3 राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी)

वर्ष 2017 में, राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार एक डिजिटल प्रारूप में शैक्षणिक संस्थानों/ बोर्डों/ पात्र मूल्यांकनकर्ता निकायों द्वारा दर्ज अकादमिक पुरस्कार (डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अंक तालिका आदि) के ऑनलाइन स्टोर हाउस के रूप में आरंभ किया गया था। यह अकादमिक पुरस्कार उपलब्ध कराने के लिए एक 24X7 ऑनलाइन पद्धति है और यह उनकी प्रामाणिकता, उनके सुरक्षित भंडारण और सुलभतापूर्वक पुनर्प्राप्ति को वैध करने हेतु मदद करेगा।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एनएडी प्रकोष्ठ की स्थापना की है जो विआ- एनएडी प्रकोष्ठ, पुरानी सीआरएस भवन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अरुण आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067 से संचालित किया जा रहा है। प्रकोष्ठ दिसंबर, 2018 से प्रचालनरत है।
- प्रकोष्ठ के लिए विनिर्दिष्ट कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति की गई है जिनमें 1 वित्त, 2 तकनीकी, 4 सिस्टम और 4 डॉटा विश्लेषक शामिल हैं।
- एनएडी से संबंधित शिकायतों की जानकारी प्रदान करने के लिए वेबसाइट पर एक विनिर्दिष्ट ई-मेल और संपर्क हेतु नम्बर उपलब्ध कराए गए हैं।
- शिकायतों के निपटान हेतु विआ- एनएडी, शिकायत निवारण पोर्टल का विकास कर रहा है। यह पोर्टल एनएडी की विशिष्ट वेबसाइट का अभिन्न अंग होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2017 से 31 मार्च, 2019 तक देशभर में 29 कार्यशालाएं/ बैठक/ प्रशिक्षण आयोजित किए हैं ताकि शिक्षा संस्थानों को एनएडी प्रणाली से अवगत करवाया जा सके। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी एनएडी प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशाला/ संगोष्ठी आयोजित की हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारी, एनएडी ने दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को 'हैंड होल्डिंग' प्रक्रिया अर्थात् एनएडी में शिक्षा अवार्ड को अपलोड करने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रायपुर का दौरा किया।
- शिक्षा अवार्डों को अपलोड करने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रशिक्षित करने और सहायता प्रदान करने के लिए एनएडी परामर्शदाताओं ने 31 एआई (एनसीआर में 23 और एनसीआर से इतर 8) का दौरा किया।
- एनएडी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निक्षेपागार संचालकों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच आवधिक बैठकें आयोजित की गईं।

- मीडिया रणनीति के भाग के रूप में, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को एनएडी टेलीविजन कमर्शियल और राडियो जिंगल और पोस्टर तैयार करने और प्रसारित करने का कार्य सौंपा गया था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जागरूकता पैदा करने और संस्थानों को एनएडी के साथ जुड़ने और एआईडी द्वारा समय-समय पर एनएडी के बारे में सूचित करने में सक्षम बनाने के लिए देशभर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में सचिव स्तर पर नियमित रूप से पत्र भेजे थे।
- इंटरनेट की दुनिया में सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए, एनएडी और इसकी प्रक्रिया के बारे में विवरण विकिपीडिया में उपलब्ध कराया गया था और पृष्ठ की नियमित रूप से निगरानी और अद्यतन किया जाता है।
- अपलोड किए गए अवार्ड के संबंध में शैक्षणिक संस्थानों की प्रगति-सह-स्थिति रिपोर्ट नियमित रूप से सभी एआई से एकत्रित की गई थी।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को एनएडी वेबसाइट को गतिशील बनाने का काम सौंपा गया था। कार्य की निगरानी के लिए एनएडी से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे।
- एसएलए पर हस्ताक्षर करने वाले सभी एआई ने एनएडी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जिनका संपर्क ब्योरा (ई-मेल और मोबाइल फोन) डिपॉजिटरी/ विआ एनएडी के प्रकोष्ठ पर उपलब्ध हैं। एनएडी के संबंध में अब तक हुई प्रगति को प्रस्तुत करने के लिए नोडल अधिकारियों से नियमित रूप से संपर्क किया गया था।
- एनएडी की मौजूदा स्थिति को एनएडी वेबसाइट (www.nad.gov.in) पर साप्ताहिक रूप से अद्यतन किया जाता है, जिसमें ऑन-बोर्ड संस्थानों की सूची, दर्ज किया गया शैक्षणिक डॉटा, छात्रों का पंजीकरण आदि की सूची होती है।

एनएडी की प्रगति से संबंधित डॉटा:

1. एनएडी के डॉटा का संक्षिप्त विवरण (दिनांक 29 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार):	
कुल शैक्षणिक ऑन बोर्ड डॉटा	: 1008
पंजीकृत हुए छात्रों की संख्या	: 505405
दर्ज किए गए अवार्ड	: 31308926
सत्यापनकर्ता	: 182

II. निक्षेपागार-वार सारांश का ब्योरा (दिनांक 29 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार) :

'डैशबोर्ड' डॉटा	सीवीएल	एनडीएमएल	कुल
पंजीकृत हुए छात्रों की संख्या	2,70,098	2,35,307	505405
दर्ज किए गए शैक्षणिक अवार्डों की संख्या	104,88,960	2,08,19,966	31308926
पंजीकृत हुए सत्यापन करने वाले निकायों की संख्या	114	68	182
एनएडी पर ऑन बोर्ड शैक्षणिक संस्थानों की कुल संख्या	496	512	1008

III. दिनांक 29 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार शिक्षा संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित एसएलए और प्रत्येक डिजिटल निक्षेपागार का ब्योरा निम्नवत है:

संस्थान का स्वरूप	सीवीएल	एनडीएमएल	सीवीएल और एनडीएमएल (सामान्य)	कुल
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	12	33	2	45
राज्य विश्वविद्यालय	164	154	17	318
निजी विश्वविद्यालय	107	88	4	195
सम विश्वविद्यालय	57	49	3	106
केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान	44	50	1	94
अन्य संस्थान	98	116	0	214
विद्यालय बोर्ड	14	22	7	36
कुल	496	512	34	1008

9.4 शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम (एआरपीआईटी)

शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम (एआरपीआईटी) का उपयोग करते हुए उच्चतर शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के ऑनलाइन पेशेवर विकास की एक अनूठी पहल को दिनांक 13 नवंबर, 2018 को मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम— एआरपीआईटी, अत्यधिक लचीले प्रारूप में पेशकश किया गया 20 घंटे की वीडियो विषयवस्तु के साथ 40 घंटे का कार्यक्रम है जिसे किसी व्यक्ति की गति और समय के अनुरूप प्रदान किया जा सकता है। कार्यक्रम में पाठ्यक्रम में अकादमिक प्रगति के भाग के रूप में अंतर्निहित मूल्यांकन अभ्यास और क्रियाकलाप हैं। पाठ्यक्रम के अंत में, अंतर्कालिक मूल्यांकन का प्रावधान है जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा के रूप में हो सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एआरपीआईटी कार्यक्रम के तहत 40 घंटे की अनुदेश सामग्री के साथ निरीक्षक परीक्षा के साथ पेशकश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के सफलता पूर्वक समापन को कैरियर की उन्नति के प्रयोजनार्थ एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के समकक्ष माना जाएगा।

► कौशल विकास संबंधी पहल

❖ 10.1 एनएसक्यूएफ के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौशल विकास योजना

10.1 एनएसक्यूएफ के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौशल विकास योजना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एनएसक्यूएफ के तहत तीन योजनाएं यथा सामुदायिक महाविद्यालय, बी0 वोक्0 उपाधि कार्यक्रम, तथा दीन दयाल उपाध्याय ज्ञान अर्जन तथा कौशलयुक्त मानव सक्षमताओं तथा आजीविका केन्द्र (कौशल) योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

विशिष्ट एनएसक्यूएफ स्तर के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यचर्या संबंधी पहलुओं, आंकलन मानदंड तथा क्रेडिट प्रणाली के लिए निर्धारित क्रेडिट हैं जिन्हें किसी संस्थान द्वारा संबंधित विशिष्टताओं में प्रदान किए गए क्रेडिटों की समान संख्या के समतुल्य शैक्षिक योग्यता की समकक्षता के एक साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

वर्ष 2018–19 के दौरान कौशल विकास योजना संबंधी क्रियाकलाप/ निष्कर्ष :

● कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एनएसडीसी और संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) के परामर्श से 45 संभावित व्यापारों में क्वालिफिकेशन पैक (क्यू.पी.) पाठ्यचर्या विकसित की है। पेशकश किए जा रहे प्रस्तावित पाठ्यक्रम, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) के तहत क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम और कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम के लिए कौशल भंडार के विकल्प के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

● शिक्षा समाज— उद्योग जगत का सहयोग:

कौशल विकास योजनाओं को शिक्षा समाज— उद्योग जगत का सहयोग है, जहां शिक्षा समाज में उद्योगों के लिए उपयुक्त मंच प्रदान किया जाता है, जो अन्यथा नीतिगत प्रयासों के साथ भी वांछित तरीके से पूरा नहीं हो सकता था।

- अदानी पावर इंडस्ट्रीज (तिरुदा— नागपुर)
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (अहमदाबाद)
- वोल्वो— आइशर वाणिज्यिक वाहन लिमिटेड
- यामाहा ऑटोमोबाइल— टू व्हीलर्स
- दैनिक भास्कर— मीडिया क्षेत्र
- नागांव पेपर मिल्स, हिंदुस्तान पेपर कम्पनी लिमिटेड, असम
- आईएसटीवी टीवी चैनल, इम्फाल
- बाबीना हेल्थकेयर एंड होस्पिटैलिटी लिमिटेड

- अधीरा— एक्यूटेक सीएनसी उत्पाद, प्राइवेट लिमिटेड
- अरुण हाईटेक इंजीनियरिंग— फाउंड्री उपकरण

● पाठ्यक्रमों और अवार्ड के स्वरूप:

पूर्णकालिक क्रेडिट—आधारित मॉड्यूलर कार्यक्रम होंगे, जिसमें कौशल और सामान्य शिक्षा के घटकों के को संचित करने हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी ताकि बहु निकास और प्रवेश को सक्षम बनाया जा सके।

एनएसक्यूएफ स्तर-4	• प्रमाणपत्र (छह माह— 10+2 के पश्चात् 30 क्रेडिट)
एनएसक्यूएफ स्तर-5	• डिप्लोमा (एक वर्ष— 10+2 के पश्चात् 60 संचयी क्रेडिट)
एनएसक्यूएफ स्तर-6	• उच्च डिप्लोमा (दो वर्ष— 120 संचयी क्रेडिट)
एनएसक्यूएफ स्तर-7	• बी0 वोक0 (तीन वर्ष— 10+2 के पश्चात् 180 संचयी क्रेडिट)
एनएसक्यूएफ स्तर-8	• स्नातकोत्तर डिप्लोमा (01 वर्ष— बी0 वोक0 के पश्चात् 60 क्रेडिट)
एनएसक्यूएफ स्तर-9	• एम0 वोक0 (02 वर्ष— बी0 वोक0 के पश्चात् 120 क्रेडिट)
एनएसक्यूएफ स्तर-10	• शोध के स्तर पर [विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधियां प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रियाएं), विनियम, 2016]

10.1 (क) सामुदायिक महाविद्यालय (सीसी)

सामुदायिक महाविद्यालय कम लागत—उच्च गुणवत्तायुक्त की स्थानीय रूप से पेशकश करता है जिसमें कौशल विकास के साथ पारम्परिक पाठ्यचर्या कार्य शामिल है, जिसके माध्यम से शिक्षार्थी को सीधे रोजगार क्षेत्र में जाने अथवा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जाने का अवसर प्रदान करता है। सामुदायिक महाविद्यालय अलग—अलग अवधि के ज्ञान—कौशल समिश्रण कार्यक्रम की पेशकश करता है जोकि स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं पर निर्भर होगा जिससे एनएसक्यूएफ के विभिन्न स्तर पर प्रमाणन प्राप्त होता है।

योजना के उद्देश्य

- उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार रोजगार के लिए तैयार कार्य बल का विकास करना।
- उपयुक्त एनएसक्यूएफ स्तर के अनुरूप लाने के लिए प्रमाणपत्र या डिप्लोमा वाले शिक्षार्थियों के लिए 'ब्रिज कोर्स'।
- शिक्षार्थियों की आयु के अनपेक्षित: पारंपरिक/ अर्जित कौशल का उन्नयन और प्रमाणन।
- शिक्षार्थियों के बीच तालमेल संबंध विकसित करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2018—2019 के लिए इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से नए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना के तहत 172 संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। वर्ष 2018—2019 के दौरान आवंटित राशि और जारी किए गए अनुदान की स्थिति:

योजना का नाम	वर्ष 2018—19 में अनुमोदित संस्थानों की कुल संख्या	लाभार्थी संस्थानों की संख्या अर्थात् ऐसे संस्थान जिन्होंने अनुदान प्राप्त किया है	वर्ष 2018—19 तक आबंटन (करोड़ रुपये में)	जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
सामुदायिक महाविद्यालय	172	90	35.05	25.24

सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना के तहत इन संस्थानों के लिए 2.5 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। 109 संस्थानों को सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना के तहत पाठ्यक्रम चलाने हेतु समय विस्तार प्रदान किया गया है।

10.1 (ख) बी0 वोक0 उपाधि कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय-विश्वविद्यालयी शिक्षा के भाग के रूप में कौशल विकास आधारित उच्चतर शिक्षा पर एक योजना आरंभ की है जिससे एनएसक्यूएफ के तहत डिप्लोमा / उच्च डिप्लोमा के स्तर पर पार्श्व प्रवेश और बहु निकास विकल्प के साथ व्यवसाय स्नातक (बी0वोक0) की उपाधि प्रदान की जाएगी। बी0वोक0 कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो स्नातकपूर्व स्तर पर अध्ययन प्रदान करते हैं जो विशिष्ट रोजगार भूमिकाओं और उनके एनओएस के साथ-साथ व्यापक आधार वाली सामान्य शिक्षा को भी शामिल करेंगे। इससे बी0 वोक0 पूर्ण करने वाले स्नातक समुचित रोजगार प्राप्त कर, उद्यमी बनकर और समुचित ज्ञान का सृजन कर भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में सक्षम होंगे।

योजना के उद्देश्य

- किसी पेशे से संबंधित कौशल का विवेकपूर्ण मिश्रण और सामान्य शिक्षा की उपयुक्त विषयवस्तु उपलब्ध करवाना।
- यह सुनिश्चित करना की छात्रों के पास पर्याप्त ज्ञान और कौशल हो, ताकि वे कार्यक्रम के प्रत्येक निकास बिंदु पर कार्य हेतु तैयार रहें।
- पूर्व-निर्धारित प्रवेश और कई बहु निकास बिंदुओं के माध्यम से छात्रों को लचीलापन प्रदान करना।
- स्नातकों की नियोजन क्षमता बढ़ाने और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्चतर शिक्षा के स्नातकपूर्व स्तर के भीतर एनएसक्यूएफ को एकीकृत करना। ऐसे स्नातकों से, स्थानीय और राष्ट्रीय उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के अलावा, वैश्विक कार्यबल का भाग बनने के लिए कौशल से सुसज्जित होने की आशा की जाती है।
- (क) व्यावसायिक विषयों के साथ 10+2 (ख) सामुदायिक महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को आगे की शिक्षा प्राप्ति हेतु सुविधा प्रदान करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना के तहत, वर्ष 2018–2019 के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से नए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। बी0 वोक0 उपाधि कार्यक्रम के तहत 330 संस्थानों को अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान संबंधित संस्थानों को आबंटित किए गए और जारी किए गए अनुदानों की स्थिति निम्नानुसार है:

योजना का नाम	वर्ष 2018–19 में अनुमोदित संस्थानों की कुल संख्या	लाभार्थी संस्थानों की संख्या अर्थात् जिन संस्थानों ने अनुदान प्राप्त किया है	वर्ष 2018–19 तक आबंटन (करोड़ रुपये में)	जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
बी0 वोक0 उपाधि कार्यक्रम	330	195	120.67	102.08

बी0 वोक0 उपाधि कार्यक्रम की योजना के तहत 116 संस्थानों को बी0 वोक0 उपाधि कार्यक्रम की योजना के तहत पाठ्यक्रम चलाने हेतु समय विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थानों को 1 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

10.1 (ग) दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र

दीन दयाल उपाध्याय ज्ञान अर्जन और कुशल मानव क्षमताओं और आजीविका के उन्नयन हेतु (डीडीयू कौशल) कौशल केन्द्र

बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता को समझते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ज्ञान अर्जन और कुशल मानवीय सक्षमताओं और आजीविका के उन्नयन हेतु (कौशल) 100 'दीन दयाल उपाध्याय केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये केन्द्र व्यावसायिक शिक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएंगे और डिप्लोमा और बी0 वोक0 उपाधि से इतर भी पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे। यह केन्द्र मात्र कौशल प्रदान करने पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे बल्कि उद्यमशीलता के लक्षण भी विकसित करेंगे। यह केन्द्र डिप्लोमा, उच्च डिप्लोमा, बी0 वोक0 और स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर में उच्च अध्ययन के संबंध में छात्र नामांकन के एक पैरामेट्रिकल संरचना को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। यह केन्द्र देश की उच्चतर शिक्षा प्रणाली और उद्योग के बीच समन्वय करेंगे ताकि वे विशेषज्ञता के क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम कर सकें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2018–19 के लिए योजना के तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से नए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र की योजना के तहत 28 संस्थानों को अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान संगत संस्थानों को आबंटित और जारी किए गए अनुदान की स्थिति निम्नवत है:

योजना का नाम	वर्ष 2018-19 में अनुमोदित संस्थानों की कुल संख्या	लाभार्थी संस्थानों की संख्या अर्थात् अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान	वर्ष 2018-19 तक आबंटन (करोड़ रुपये में)	जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र	28	18	15.42	11.78

सारांश

तालिका 10.1(i) वर्ष 2018-19 के दौरान एनएसक्यूएफ के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौशल विकास केन्द्रों की योजना वार स्थिति

योजना का नाम	वर्ष 2018-19 में अनुमोदित संस्थानों की कुल संख्या	लाभार्थी संस्थानों की संख्या अर्थात् अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान	वर्ष 2018-19 तक आबंटन (करोड़ रुपये में)	जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
सामुदायिक महाविद्यालय	172	090	12000	35.05
बी० वोक० डिग्री संस्थान	330	195	22000	120.67
डीडीयू कौशल केन्द्र	028	18	4000	15.42
कुल	530	303	38000	171.14

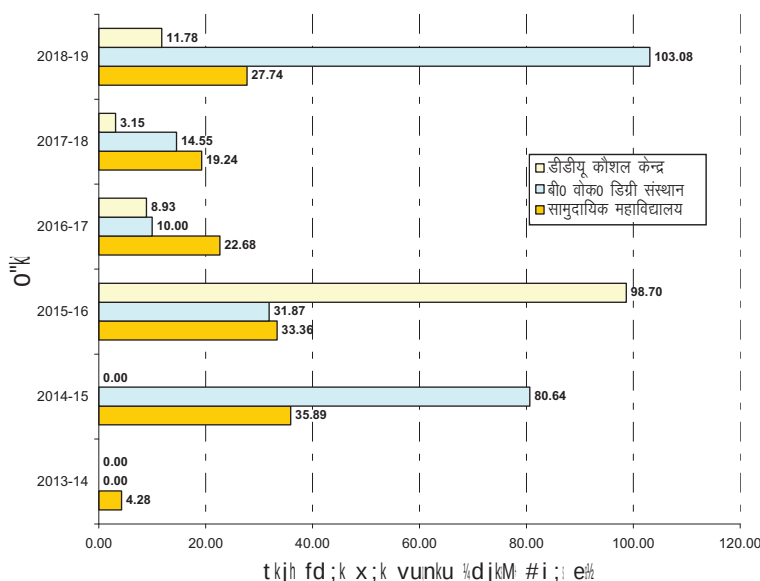
दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कौशल विकास केन्द्रों की संख्या (एनएसक्यूएफ) (विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय)

योजना का नाम	संस्थानों की संख्या		
	मौजूदा	नए	कुल
सामुदायिक महाविद्यालय	109	172	281
बी० वोक० डिग्री कार्यक्रम	116	330	446
डीडीयू कौशल केन्द्र	64	28	92
कुल	289	530	819

तालिका 10.1(ii) एनएसक्यूएफ के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौशल विकास केन्द्रों की योजना वार स्थिति

योजना का नाम	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19
सामुदायिक महाविद्यालय	4.28	35.89	33.36	22.68	19.24	25.24
बी० वोक० डिग्री संस्थान	--	80.64	31.87	10.00	14.55	102.08
डीडीयू कौशल केन्द्र	--	--	98.70	8.93	3.15	11.78

रेखाचित्र 10.1: सामुदायिक महाविद्यालय, बी० वोक० और दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र की योजना के लिए जारी किए गए अनुदान का वर्ष-वार ब्योरा (करोड़ रुपये में)



► मुक्त और दूरस्थ शिक्षा

- ❖ 11.1 मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
- ❖ 11.2 ऑनलाइन ज्ञान अर्जन

11.1 मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 23 जून, 2017 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 को अधिसूचित किया तत्पश्चात् प्रथम संशोधन दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को अधिसूचित किया गया था, द्वितीय संशोधन दिनांक 06 फरवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था और तृतीय संशोधन दिनांक 06 सितम्बर, 2018 को अधिसूचित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा वर्ष 2018-19 और उसके पश्चात् के सत्रों के लिए द्वितीय और तृतीय संशोधनों के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किए थे।

द्वितीय और तृतीय संशोधन, 2018 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) के तहत प्राप्त प्रस्तावों को संसाधित करने के पश्चात् 82 उच्चतर शिक्षा संस्थानों (जुलाई, 2018 और उसके पश्चात् आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र के लिए 75 उच्चतर शिक्षा संस्थानों और जनवरी, 2019 और उसके पश्चात् आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र के लिए 7 उच्चतर शिक्षा संस्थानों) को शिक्षा सत्र 2018-19 और उसके पश्चात् मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति से 1328 कार्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। इसके संबंध में ब्योरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और साथ ही नीचे दी गई **तालिका 11.1(क)** में भी दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडिड स्वायत्ता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 के अनुसार, श्रेणी-I के विश्वविद्यालय, आयोग के अनुमोदन के बिना मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति से पाठ्यक्रमों की पेशकश कर सकते हैं बशर्ते कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 और इसके संशोधनों में निर्धारित सभी शर्तों पर खरा उतरते हों। उपयुक्त के संदर्भ में ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा औपचारिक पत्राचार के माध्यम से श्रेणी-I के तहत रखा गया हो, उन्हें एक शपथ पत्र जमा करना होगा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि उच्चतर शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 और इसके संशोधनों के तहत यथा विनिर्धारित सभी निबंधन और शर्तों और समय-समय पर सांविधिक निकायों/ परिषदों द्वारा जारी मानदंडों का अनुपालन करेंगे।

तदनुसार, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए पात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडिड स्वायत्ता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 के अनुसार श्रेणी-I के तहत 20 उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की एक सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और उसका ब्योरा **तालिका 11.1(ख)** में दिया गया है।

11.1 (क): शिक्षा वर्ष 2018-19 और उसके पश्चात् के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ संस्थानों की सूची नीचे दी गई है:

तालिका 11.1(क)

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
1	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश
2	जामिया मिलिया इस्लामिया	दिल्ली
3	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	महाराष्ट्र
4	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	तेलंगाना
5	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	पुदुचेरी
6	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	अरुणाचल प्रदेश
7	तेजपुर विश्वविद्यालय	अरुणाचल प्रदेश
8	द इंग्लिश एण्ड फारेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी, हैदराबाद	तेलंगाना
9	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	त्रिपुरा
10	दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली
राज्य विश्वविद्यालय		
11	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	आन्ध्र प्रदेश
12	अन्ना विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
13	बंगलुरु विश्वविद्यालय	कर्नाटक
14	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश
15	बुर्दवान विश्वविद्यालय	पश्चिम बंगाल
16	कालीकट विश्वविद्यालय	केरल
17	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय	हरियाणा
18	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश
19	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	असम
20	फकीर मोहन विश्वविद्यालय	ओडीशा
21	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	असम
22	गुरु जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	हरियाणा
23	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमाचल प्रदेश
24	जीवाजी विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश
25	ककातिया विश्वविद्यालय	तेलंगाना
26	कन्नूर विश्वविद्यालय	केरल
27	कश्मीर विश्वविद्यालय	जम्मू और कश्मीर
28	कुवेम्पू विश्वविद्यालय	कर्नाटक
29	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	बिहार
30	महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश
31	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय	हरियाणा
32	मंगलोर विश्वविद्यालय	कर्नाटक
33	मैसूर विश्वविद्यालय	कर्नाटक
34	नार्थ ओडीशा विश्वविद्यालय	ओडीशा
35	पंजाब विश्वविद्यालय	पंजाब
36	पंजाबी विश्वविद्यालय	पंजाब
37	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय	पश्चिम बंगाल
38	शिवाजी विश्वविद्यालय	महाराष्ट्र
39	श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय	महाराष्ट्र
40	श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय	आन्ध्र प्रदेश
41	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालयम्	आन्ध्र प्रदेश

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
42	तमिल विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
43	कल्याणी विश्वविद्यालय	पश्चिम बंगाल
44	केरल विश्वविद्यालय	केरल
45	मद्रास विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
46	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय	पश्चिम बंगाल
47	विद्यासागर विश्वविद्यालय	पश्चिम बंगाल
केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालय		
48	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	दिल्ली
राज्य मुक्त विश्वविद्यालय		
49	डॉ० भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय	तेलंगाना
50	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय	गुजरात
51	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय,	कर्नाटक
52	कृष्णाकान्त हान्डीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	असम
53	मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश
54	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय	बिहार
55	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय	पश्चिम बंगाल
56	ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	ओडिशा
57	पंडित सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय	छत्तीसगढ़
58	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
59	यू० पी० राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश
60	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	उत्तराखण्ड
61	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय	राजस्थान
62	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय	महाराष्ट्र
निजी विश्वविद्यालय		
63	असम डॉन बास्को विश्वविद्यालय,	असम
64	सी० वी० रमन विश्वविद्यालय	छत्तीसगढ़
65	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनांशियल एनॉलिस्ट ऑफ इंडिया	त्रिपुरा
66	इंटीग्रल युनिवर्सिटी	उत्तर प्रदेश
67	जगन्नाथ विश्वविद्यालय	राजस्थान
68	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	राजस्थान
69	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय	राजस्थान
70	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	पंजाब
71	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश
72	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय	राजस्थान
73	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश
74	युनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड
सम विश्वविद्यालय		
75	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट	उत्तर प्रदेश
76	जगतगुरु श्री शिवरात्रिसवरा विश्वविद्यालय	कर्नाटक
77	जैन विश्वविद्यालय	कर्नाटक
78	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट	राजस्थान
79	जामिया हमदर्द	दिल्ली
80	पद्मश्री डॉ० डी० वाई० पाटिल विद्यापीठ	महाराष्ट्र
81	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	दिल्ली
82	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलाजी	तमिलनाडु

11.1(ख) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए पात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडिड स्वायत्ता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 के अनुसार श्रेणी-I के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) का ब्योरा:

क्रम संख्या	राज्य	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	उच्चतर शिक्षा संस्थान का स्वरूप
1	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्रा विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
2	आन्ध्र प्रदेश	गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट (जीआईटीएम)	सम विश्वविद्यालय
3	आन्ध्र प्रदेश	कोनेरु लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन	सम विश्वविद्यालय
4	आन्ध्र प्रदेश	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	सम विश्वविद्यालय
5	दिल्ली	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड	सम विश्वविद्यालय
6	हरियाणा	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
7	जम्मू और कश्मीर	जम्मू विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
8	कर्नाटक	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान	सम विश्वविद्यालय
9	महाराष्ट्र	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंसेज	सम विश्वविद्यालय
10	महाराष्ट्र	भारती विद्यापीठ	सम विश्वविद्यालय
11	महाराष्ट्र	डॉ० डी० वाई० पाटिल विद्यापीठ	सम विश्वविद्यालय
12	महाराष्ट्र	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज	सम विश्वविद्यालय
13	ओडिशा	उत्कल विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
14	पंजाब	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
15	तमिलनाडु	षण्मुघा आर्ट्स, साइंस, टेक्नालॉजी एंड रिसर्च अकादमी (शास्त्रा)	सम विश्वविद्यालय
16	तमिलनाडु	अल्गाप्पा विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
17	तमिलनाडु	श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च	सम विश्वविद्यालय
18	तेलंगाना	नालसार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ	राज्य विश्वविद्यालय
19	तेलंगाना	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
20	तेलंगाना	हैदराबाद विश्वविद्यालय	केन्द्रीय विश्वविद्यालय

11.1(ग) वर्ष 2018-19 (शिक्षा सत्र जुलाई, 2018 और जनवरी, 2019) के दौरान स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में नामांकित छात्रों के प्रवेश का ब्योरा

उच्चतर शिक्षा संस्थान का स्वरूप	उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या (कुल)	जुलाई, 2018* में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या	जनवरी, 2019* में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या	कुल (जुलाई, 2018 + जनवरी, 2019)*
मुक्त विश्वविद्यालय	15	9,71,788	2,11,564	11,83,352
दोहरी पद्धति वाला विश्वविद्यालय	87	4,47,825	73,882	5,21,707
कुल	102	14,19,613	2,85,446	17,05,059

* उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्योरे के अनुसार

11.2 ऑनलाइन ज्ञान अर्जन:

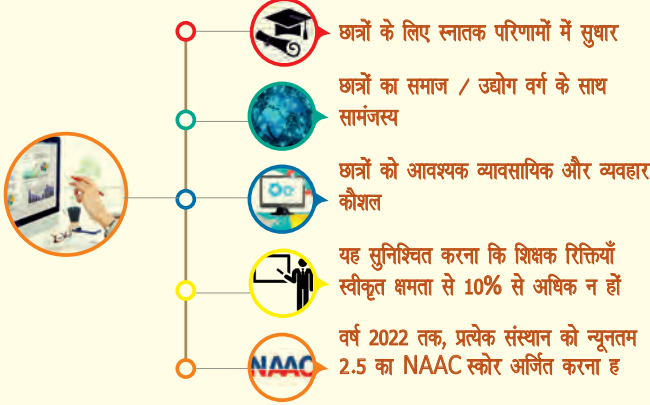
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 04 जुलाई, 2018 को ऑनलाइन (पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेब-पोर्टल, जिसे दिनांक 07 जनवरी, 2019 से 15 अप्रैल, 2019 तक खोला गया था, के माध्यम से पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों से आवेदन प्राप्त किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 22 उच्चतर शिक्षा संस्थानों से आवेदन प्राप्त हुए थे।



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गुणवत्ता अधिदेश



उद्देश्य



उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा निम्नलिखित पहल की जानी हैं :-

- विद्यार्थियों के लिए आरंभिक प्रेरण कार्यक्रम-दीक्षारंभ।
- अध्ययन- निष्कर्ष आधारित पाठ्यक्रम रचना-नियमित अंतराल पर पाठ्यक्रम में परिशोधन (LOCF)।
- प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना -MOOC, और ऑनलाइन उपाधियाँ।
- विद्यार्थियों हेतु व्यावहारिक कौशल-जीवन कौशल
- प्रत्येक संस्थान हेतु सामाजिक एवं उद्योग वर्ग से संपर्क, प्रत्येक संस्थान, ज्ञान के परस्पर आदान-प्रदान तथा ग्रामीण समुदायों की समग्र सामाजिक/आर्थिक समुन्नति हेतु कम से कम 5 गावों का अभिग्रहण करेगा। नियोजन योग्यता में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय-उद्योग के बीच संपर्क को बढ़ावा देना।
- परीक्षा प्रणाली में सुधार-परिकल्पना की जांच एवं अनुप्रयोग।
- पाठ्यक्रम के पूरा होने के पश्चात, विद्यार्थी प्रगति की जानकारी रखना व पूर्व छात्र नेटवर्क।
- संकाय प्रेरणा कार्यक्रम (FIP) शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम (ARPIT) तथा शिक्षा प्रशासकों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण (LEAP)।
- भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए परा-विद्या संबंधी अनुसंधान योजना (STRIDE) और कन्सोर्टियम फॉर एकेडेमिक एंड रिसर्च एथिक्स (CARE)
- गैर प्रत्यायित संस्थानों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराना (परामर्श)

उच्चतर शिक्षा संस्थान (HEIs) गुणवत्ता सुधार हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों को 2022 तक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे

- विद्यार्थियों के लिए स्नातक परिणामों में सुधार, जिससे की उनमें से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थी अपने लिए रोजगार/ स्व-रोजगार सुरक्षित कर सकें, या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएँ।
- विद्यार्थियों का समाज/उद्योग वर्ग के साथ सामंजस्य स्थापित करना जिससे कि कम से कम दो-तिहाई छात्र, संस्थानों में अपने अध्ययन के दौरान, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी कर सकें।
- विद्यार्थियों को आवश्यक व्यावसायिक और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करना जैसे सामूहिक कार्य, सम्प्रेषण कौशल, नेतृत्व कौशल, समय-प्रबंधन कौशल आदि में पारंगत करना, मानवीय मूल्यों एवं व्यवसायगत नीतियों का संचार करना, नवप्रवर्तन / उद्गमशीलता तथा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन की भावना को जाग्रत करना तथा इन प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए अवसर प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना की शिक्षक रिक्रियॉ में किसी भी समय पर, स्वीकृत क्षमता के 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं हो तथा शत-प्रतिशत शिक्षक अपने संबन्धित ज्ञान क्षेत्र में नवीनतम एवं उभरती जानकारी एवं शिक्षण विधियों का ज्ञान रखते हों, जिससे वो विद्यार्थियों को प्रभावशाली तरीके से विषय को समझा सकें।
- वर्ष 2022 तक, प्रत्येक संस्थान, न्यूनतम 2.5 प्राप्तांकों सहित राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा प्रमाणित हो।

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा की जाने वाली पहल





ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

www.ugc.ac.in